

जनता पार्टी का उद्भव एवं पराभव (RISE AND FALL OF THE JANATA-PARTY)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

एच० एम० जैन

भूतपूर्व अध्यक्ष

राजनीति शास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

शोधकर्ता

अरुण कुमार गुप्ता

एम०ए० (राजनीति शास्त्र)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद



राजनीति शास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

१९६५

समर्पित्

पूज्य पिता श्री राम नारायण गुप्ता

एवं

पूज्य माता श्रीमती रम्या देवी

के चरण कमलों में

डा० एच० एम० जैन

एम० ए०, डी० फिल०

भूतपूर्व- विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार गुप्ता ने डी० फिल० उपाधि हेतु मेरे निर्देशन में शीर्षक "जनता पार्टी का उद्भव एवं प्वाभव (RISE AND FALL OF THE JANATA PARTY)" पर अपना शोध प्रबन्ध पूर्ण कर लिया है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की डी० फिल० उपाधि अधिनियम के अनुसार सारी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली हैं। मेरी अनुशासा है कि यह शोध प्रबन्ध परीक्षणार्थ प्रेषित किया जाए।

दिनांक 20 Dec 1975

H M Jain
(डा० एच० एम० जैन)

प्राक्कथन

संसदीय लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष का भी दायित्व गम्भीर और गुरुतर होता है। भारत में स्वतंत्र्यो परान्त 'एक दल प्रभावी बहुदलीय व्यवस्था' रही है तथा सन् 1976 तक केन्द्र में कांग्रेस का एकाधिकार था। छठी लोकसभा चुनाव (1977) में विपक्ष के संयुक्त एवं एकीकृत प्रयास से जनता पार्टी केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई, जिसका अल्प काल (28 महीने) में पतन भी हो गया। अतः जनता पार्टी का अध्ययन एक सीमा तक पार्टी की विपक्षी एवं सत्ता पक्षीय दोनों भूमिका का गहन अध्ययन है। जनता पार्टी की इसी विलक्षण भूमिका ने मुझे 'इसके उद्भव एवं पराभव' के अध्ययन हेतु प्रेरित किया।

जनता पार्टी का उद्भव एवं पराभव मात्र एक राजनीतिक दल की उत्थान एवं पतन की गाथा न होकर तत्कालीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की यथार्थ व्याख्या है। इसमें जहाँ एक ओर प्रजातान्त्रिक मूल्यों एवं संस्थाओं की ध्वंस की पीड़ा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक नेताओं द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों एवं महत्वाकांक्षाओं के लिये इन्हीं मूल्यों एवं संस्थाओं को पुनः शोषित करने की राजनीतिक विद्रूपता भी है। जनता पार्टी का अल्पकालिक इतिहास (1977-79) विश्वासघात राजनीतिक मूल्यों की पतन, पदलोलुपता और व्यक्तिमूलक राजनीतिक का जीवन्त दस्तावेज है, जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में सर्वत्र दृष्टिगोचर है। पुनः जनता पार्टी का यह अध्ययन जहाँ एक ओर भारतीय राजनीति के उन सकारात्मक आयामों का उद्घाटन है, जिसके फलस्वरूप 'दो दलीय व्यवस्था' के विकास के लिये प्रयास किये गये, वहीं दूसरी ओर उन नकारात्मक आयामों का विश्लेषण भी है, जिनके कारण भारत में स्वस्थ दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो सका।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का विषय अनेक अन्य कारणों से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय राजनीति के इतिहास का 'सक्रांति काल' कहना अनुपयुक्त न होगा क्योंकि इसके बिना अतीत एवं भविष्य की राजनीतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या सुचारू रूप से नहीं की जा सकती। जनता पार्टी के उद्भव से भारत में 'दो दलीय व्यवस्था' की आशयें जगी थी, जो शीघ्र ही धूल-धूसरित हो गयी। लेकिन जनता पार्टी का महत्व इसलिये है कि इस काल की 'दो दलीय ध्रुवीकरण' की प्रक्रिया के माध्यम से अतीत की 'एक दलीय कांग्रेस-प्रभुत्व व्यवस्था' भविष्य में 'बहुदलीय ध्रुवीकरण' की ओर अग्रसर हुई। जनता पार्टी ने जिस प्रक्रिया के माध्यम से कांग्रेस के प्रभुत्व को तोड़ा, भविष्य में वे राजनीतिक प्रक्रियाएँ भारतीय राजनीति की वास्तविकताएँ बन गयीं और 1989 में पुनः विपक्षी एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप केन्द्र में गर कांग्रेसी सरकार बनी। यह सत्य है कि यह प्रयोग भी असफल रहा परन्तु जनता पार्टी ने राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन की जिस प्रक्रिया का आह्वान किया, वह निर्बाध रूप से जारी है और यदि भारत में कभी भी (भविष्य में) दो दलीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ तो इसमें जनता पार्टी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता।

अनेक राजनीतिक पंडितों ने अपनी पुस्तकों¹ एवं लेखों में जनता पार्टी के विभिन्न आयामों की चर्चा की है। जिसमें श्री अरुण शौरी, श्री जनार्दन ठाकुर, श्री कुलदीप नैयर, श्री अरुण गाधी, सुश्री उमा वसुदेव, श्री डी० आर० मेनकेकर एवं कमलामेनकेकर एवं श्री दीनानाथ मिश्र आदि विद्वानों ने पत्रकारिता के दृष्टिकोण से जनता पार्टी के विभिन्न आयामों की चर्चा की है। अनेक राजनीतिज्ञों ने भी जनता पार्टी के विषय में पुस्तकें लिखीं, इनमें श्री मधुलिमि, आचार्य जे० बी० कृपलानी, श्री जय प्रकाश नारायण, श्री एल० के० अडवानी एवं श्री ब्रह्मदत्त का नाम उल्लेखनीय है, इन सभी राजनेताओं की विवेचना में राजनीतिक पूर्वग्रहों की स्पष्ट झलक है। श्री जे० ए० नैयक, सुश्री कविता नारवेन, श्री एस० के० घोष, श्री सी० पी० भाम्भरी और श्री हॉस्ट हार्टमैन ने जनता पार्टी के उद्भव और पराभव का विवरण तो किया है, परन्तु इसके विभिन्न आयामों की सम्यक विवेचना नहीं की। अतः जनता पार्टी के विषय में ऐसी कृति का नितान्त अभाव रहा है जिसमें सम्पूर्ण जनता प्रक्रिया (Janata Phenomenon) के विभिन्न आयामों का सम्यक एवं बौद्धिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया हो।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इस अभाव की पूर्ति का एक निष्पक्ष प्रयास है। मैंने जनता पार्टी के उद्भव को भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि से उकेरकर उसके पराभव के लिये अनरदायी विभिन्न कारकों एवं समीकरणों की यथोचित विवेचना की है। एक निष्पक्ष शोधकर्ता की दृष्टि से जब मैंने उन सभी पत्रों का अध्ययन किया जिनका अदान-प्रदान प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई और राष्ट्रपति श्री नीलम सजीवा रेड्डी के बीच हुआ था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जनता पार्टी के पराभव के एक अभिकारक, श्री सजीवा रेड्डी भी थे। इसलिये मैंने दोनों सवैधानिक सक्तों (जो श्री मोरार जी देसाई और श्री चरणसिंह के प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र के बाद उत्पन्न हुये थे) में राष्ट्रपति के निर्णय की वैधानिकता एवं औचित्यता को परखने का प्रयास किया है। यह आयाम अभी तक कमोवेश उपेक्षित था। अतः प्रस्तुत शोध प्रबन्ध जनता पार्टी के उद्भव एवं पराभव जैसे महत्वपूर्ण विषय के अध्ययन का वस्तुनिष्ठ, समेकित एवं मौलिक प्रयास है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध एक 'राजनीतिक दल के व्यवहार' का गहन अध्ययन है। इस विषय में विद्वानों के दो दृष्टिकोण हैं— राबर्ट मिशेल, एम० डुवर्जर और इल्डर्सवेल्ड आदि विद्वानों का मानना है कि 'दल के आन्तरिक क्रियाकलाप' दल-व्यवहार के अध्ययन के लिये व्यापक अर्तदृष्टि प्रदान करते हैं जबकि दूसरे अन्य विद्वानों का विचार है कि दलीय गत्यात्मकता (उदय, विलय, विभाजन एवं विघटन आदि) को समझने के लिये दल के आन्तरिक क्रिया कलापों को सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के बाह्य तत्वों से जोड़कर देखना चाहिये। मेरी मान्यता है कि 'दल व्यवहार' के अध्ययन के लिये दोनों ही दृष्टिकोण एकांगी हैं। किसी भी दल के व्यावहारिक एवं यथार्थवादी अध्ययन के लिये दोनों दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। जनता पार्टी के उद्भव एवं पराभव का अध्ययन इसी समन्वित उपागम से किया गया है। इसके साथ-साथ जनता पार्टी के नेताओं के पार्टी एवं सरकार सम्बन्धी निर्णयों का विश्लेषण उनकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया गया है, इसी कारण यह सम्पूर्ण अध्ययन वैज्ञानिक एवं व्यवहारवादी उपागम के निकट आ गया है।

इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने के लिये उपयोगी सामग्री एवं जानकारी प्राप्त करने में मैंने अनेक व्यक्तियों

1 इन सभी पुस्तकों के शीर्षकों एवं प्रकाशनों का उल्लेख इसी शोध प्रबन्ध के सन्दर्भ सूची में किया गया है।

एव सस्थाओ का सहयोग प्राप्त किया । सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में उपलब्ध पुस्तको एव विशेषकर विभिन्न समाचार पत्रों से एकत्रित राजनीतिक दलों से सम्बन्धित फाइलों का गहन अध्ययन किया । इसके आलावा केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय इलाहाबाद, (उ० प्र०), पुस्तकालय गांधी विचार भवन इलाहाबाद, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद, केन्द्रीय पुस्तकालय बी० एच० यू० वाराणसी, पुस्तकालय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, सप्रू हाउस पुस्तकालय दिल्ली एव सामाजिक विज्ञान प्रलेख केन्द्र दिल्ली से उपयोगी शोध सामग्री एकत्र की ।

मैंने जनता पार्टी कार्यालय दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित विभिन्न पुस्तको, लघु पुस्तिकाओ एव प्रलेखों का उपयोग अपने शोध प्रबन्ध में किया है । वैसे मेरे शोध प्रबन्ध सबधी सामग्री का प्रमुख स्रोत विभिन्न दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, किसिगंग कॉन्टेम्पोरी आर्किव्ज, एसियन रेकार्डर, ससदीय अधिनियम, विभिन्न राजनीतिक दलों के दलीय प्रलेख तथा जनता पार्टी से सम्बन्धित पुस्तके एव महत्वपूर्ण लेख हैं । मैंने भूतपूर्व सासद एव जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव श्री सुरेन्द्र मोहन से जनता पार्टी के विभिन्न आयामों की विशद चर्चा की इनका यह साक्षात्कार मेरे शोध के लिये काफी उपयोगी सिद्ध हुआ ।

इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में जिन व्यक्तियों का सहयोग रहा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन को अपना परम कर्तव्य समझता हूँ । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मैंने अपने गुरु प्रो० हरिमोहन जैन (भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद) के सक्रिय निर्देशन में पूर्ण किया । अतः किसी प्रकार की औपचारिकता में न पडकर मैं श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करता हूँ ।

इस शोध प्रबन्ध के विषय में डा० उमाकान्त तिवारी (विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) का सत्परामर्श एव सहयोग मुझे सतत मिलता रहा, इनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ । मैं अपने विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण राजनीति शास्त्र विभाग एव विशेषकर डा० एच० एन० मिश्रा, डा० के० के० मिश्रा, डा० आलोक पत, डा० डी० डी० कौशिक, डा० वी० के० राय एव डा० अनुराधा अग्रवाल का ऋणी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मेरा उचित मार्ग दर्शन किया एव महत्वपूर्ण शोध सामग्री उपलब्ध करायी ।

मैं श्री एम० एल० वर्मा (प्राचार्य, महामति प्राणनाथ महाविद्यालय, मऊ बाँदा) का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने शोध प्रबन्ध पूर्ण करने में हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया तथा महाविद्यालय से यथासम्भव अवकाश प्रदान किया, जिसके बिना यह शोध कार्य सम्भव न हो पाता । मैं अपने महाविद्यालय के सभी सहयोगी बंधुओं - सर्वश्री गागेय मुखर्जी, डा० आर० के० दीक्षित, डा० एम० एम० द्विवेदी, डा० आर० के० शर्मा एव डा० एस० के० मेहरोत्रा का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने शोध कार्य पूर्ण करने में मुझे महत्वपूर्ण सहयोग दिया ।

मैं अपने महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय प्रो० माताबदल जायसवाल के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ । वे स्वयं उच्च कोटि के शोधकर्ता थे एव उनके प्रोत्साहन से मुझे शोध प्रबन्ध पूर्ण करने की प्रेरणा मिली । उसके आलावा समाजवादी आन्दोलन से जुड़े श्री कृष्ण दत्त द्विवेदी 'पालीवाल' (प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति, महामति प्राणनाथ महाविद्यालय, मऊ बाँदा) श्री सुन्दर लाल 'सुमन' तथा मऊ क्षेत्र के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता श्री गिरजाशंकर त्रिपाठी का उनके सक्रिय सहयोग एव प्रोत्साहन के लिये हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ ।

मै, प्रसिद्ध राजनीतिक टीकाकार, समाजवादी चिंतक एव जनता पार्टी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार श्री सुरेन्द्र मोहन का अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने अनेको बार मुझे वार्तालाप एव साक्षात्कार का अवसर प्रदान करके, जनता पार्टी के उद्भव एव पराभव की वास्तविकताओं का ज्ञान कराया और मेरी राजनीतिक विश्लेषण की क्षमता को सराह कर मुझे प्रोत्साहित किया ।


मै प० गगानाथ झा छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । मै लगभग एक दशक इस छात्रावास का अन्ते वासी रहा हूँ और इसके बौद्धिक एव गरिमापूर्ण वातावरण में रहकर मैने अपना शोध प्रबन्ध पूर्ण किया । मै अपने अनेक छात्रावासी बंधुओं—सर्वश्री अरुण शर्मा, श्री अरविद पाण्डेय, श्री अखिलेश कुमार राय एव श्री राजेन्द्र सिंह यादव का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे मूल्यवान सुझाव एव अन्य प्रकार के सहयोग प्रदान किये ।

मै श्री अनुपम दयाल (मेल्लस प्रमोशन आफिसर, लॉ पब्लिशर्स इलाहाबाद), श्री शेखर श्रीवास्तव (डिप्टी मनेजर, लॉ पब्लिशर्स, इलाहाबाद), ने मेरे लिये जनता पार्टी से सम्बन्धित अनेक अनुलब्ध पुस्तकों की व्यवस्था की । श्री उमाशंकर वर्मा, श्री मनु मिश्रा एव श्री चरण सिंह का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने शोध प्रबन्ध के कम्प्यूटरीकरण एव डिजाइनिंग में सहयोग प्रदान किया ।

अत मै मै अपने पूजनीय माता पिता, भाईयो, बहनो एव सहधर्मिणी सगीता का विशेष रूप से ऋणी हूँ, जिनका स्नेह सहयोग, एव सात्विक रोप मेरी प्रेरणा का मुख्य अभिकारक था ।

इसके बावजूद इस शोध प्रबन्ध की त्रुटियों का एक मात्र उत्तरदायी स्वयं मै हूँ ।

दिनांक 20 Dec. 1995


(अरुण कुमार गुप्ता)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	I - IV
प्रथम -अध्याय	1 - 22
भारत मे राजनीतिक दलो का विकास	
(I) प्रस्तावना	
(II) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्तापक्षीय भूमिका (1976 तक)	
(II) गैर कांग्रेसी दल प्रतिपक्षीय भूमिका (1976 तक)	
द्वितीय -अध्याय	23 - 101
जनता पार्टी का उद्भव कारण और प्रक्रिया	
(I) बिहार आन्दोलन से आपातस्थिति की घोषणा तक	
(II) आपातस्थिति मे राजनीतिक सस्थाये	
(III) आपातकाल मे भूमिगत आन्दोलन की भूमिका	
(IV) विपक्षी दलो द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प की तलाश	
तृतीय -अध्याय	102 - 118
छठी लोक सभा का चुनाव (1977) जनता लहर एवं कांग्रेस युग का अन्त	
चतुर्थ -अध्याय	119 - 130
केन्द्र मे जनता पार्टी की सरकार का गठन - दलीय एकता मे दरारे	
पंचम -अध्याय	131 - 146
दस राज्यों में विधान सभा के चुनाव जनता एकता की पुनरावृत्ति	
(I) जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग एक विवादास्पद प्रकरण	
(II) विधान सभा चुनाव एवं जनता पार्टी गुटीय सघर्ष की शुरुआत	

षष्ठम्-अध्याय

147 - 195

जनता पार्टी का पराभव भाग 1 . कारण एव प्रक्रिया

(I) प्रस्तावना

(II) जनता पार्टी घटकवाद का प्रभाव विवाद के विभिन्न मुद्दे

(III) जनता पार्टी एव सरकार की प्रकृति एक सविद व्यवस्था

(IV) जनता पार्टी के नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षायें एव सत्तालोलुपता त्रिमूर्ति विवाद

(V) आलोचनाओं, आक्षेपों एव दुरभिसन्धियों की राजनीति

सप्तम् -अध्याय

196 - 222

जनता पार्टी का पराभव भाग 2 : सम्पूर्ण घटनाक्रम एवं परिणाम

(I) जनता पार्टी का विघटन एव श्री देसाई की सरकार का पतन

(II) जनता पार्टी (एस0) की सरकार का गठन एव पतन

अष्टम्-अध्याय

223 - 231

उपसहार

परिशिष्ट

232 - 238

(I) शोधकर्ता का जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव श्री सुरेन्द्र मोहन से साक्षात्कार ।

(II) जनता पार्टी की वशावली ।

सन्दर्भ सूची

239 - 247

संरणी तललका

क्रम संख्या		पृष्ठ
1 संरणी संख्या —1	प्रथम, दुवलतीय और तृतीय आम चुनाव (लोक सभा) में राजनीतिक दलों का निष्पादन ।	5
2. संरणी संख्या —2	1967 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का निष्पादन ।	7
3 संरणी संख्या —3	1971 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की स्थिति ।	9
4 संरणी संख्या —4	1972 के राज्य विधान-सभाओं के चुनावों में राजनीतिक दलों की स्थिति ।	10
5 संरणी संख्या —5	1975 के गुजरात विधान सभा के चुनाव में राजनीतिक दलों की स्थिति ।	34
6 संरणी संख्या —6	1977 के लोक सभा चुनाव में राजनीतिक दलों की स्थिति ।	114
7 संरणी संख्या —7	जून 1977 में राज्य विधान सभाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों की स्थिति ।	141
8 संरणी संख्या —8	1980 के लोक सभा चुनाव में राजनीतिक दलों का निष्पादन	224

प्रथम - अध्याय

भारत में राजनीतिक दलों का विकास

(I) प्रस्तावना

(II) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : सत्तापक्षीय भूमिका (1976 तक)

(III) गैर कांग्रेसी दल : प्रतिपक्षीय भूमिका (1976 तक)

भारत में राजनीतिक दलों का विकास

प्रस्तावना

राजनीतिक दल प्रतिनिधिक जनतन्त्र का अटूट अंग होते हैं। 'बिना राजनीतिक दलों के न तो सिद्धान्तों की सगठित अभिव्यक्ति हो सकती है और न नीतियों का व्यवस्थित विकास, न ससदीय निर्वाचन के सवैधानिक साधन का अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त ऐसी सस्था का नियमित प्रयोग जिसके द्वारा दल सत्ता प्राप्त करते हैं और उसे बनाये रखते हैं।'¹ विभिन्न जनतन्त्रीय देशों में दल प्रणाली का स्वरूप सम्बन्धित देशों के राजनीतिक इतिहास और सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की देन होता है। यही कारण है कि ससार की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में दल प्रणाली का स्वरूप और उसका कार्य-कलाप भिन्न-भिन्न दिखाई देता है। नार्मन डी० पामर का कहना है कि जपान-फिलीपाइन और इजराइल को छोड़कर एशिया के किसी भी देश में पश्चिमी ढंग की सुसगठित तथा प्रभावशाली जनतन्त्रीय दल प्रणाली का विकास नहीं हुआ।²

भारत में दलीय प्रणाली का उद्भव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जा सकता है। आरम्भ में कांग्रेस एक राजनीतिक दल न था। दिसम्बर 1885 में इसका निर्माण एक दबाव समूह के रूप में किया गया, बाद में कांग्रेस ने एक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया और इसी के नेतृत्व में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान कांग्रेस एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया। आरम्भ में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतवासियों के लिये अधिक से अधिक सुविधाएँ प्राप्त करना था। 1920 में गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन ने एक जन आन्दोलन का रूप धारण किया और विभिन्न धर्म जाति और आदर्शों को मानने वाले लोग एक सामान्य उद्देश्य अर्थात् स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये कांग्रेस में सम्मिलित हुए।

सन् 1947 तक यह संघर्ष एक विदेशी राजनीतिक सत्ता और भारतवासियों के बीच रहा इसलिए भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने इस आन्दोलन में सगठित होकर भाग लिया और सैद्धान्तिक मतभेद राष्ट्रीय भावना को न कुचल सके। इस प्रकार जो सगठन विकसित हुआ उसमें विभिन्न वर्गों, हितों और सिद्धान्तों का समिश्रण था। "इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस सगठन में प्रधान या सत्ताधारी गुट के आलावा विरोधी गुट भी रहते थे। जब इसने शासक दल का रूप ग्रहण किया तब भी इसमें विरोधी गुट बने रहे।"³

1. आर० एम० मैकाइवर "दि माडर्न स्टेट," आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1926 पृ० 316।

2. नार्मन डी० पामर "दि इंडियन पोलिटिकल सिस्टम," जार्ज एलेन ऐंड अनविन, लन्दन, 1963, पृ० 182।

3. रजनी कोठारी 'भारत में राजनीति' (अनु० अशोक श्री) ओरियन्ट लॉन्गमैन लिमिटेड, प्रथम प्रकाशन, 1972 नई दिल्ली, पृ० 110, देखें वही 'कांग्रेस एक और अर्थ में विरोध का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अन्दर अनेक विचारों के छोटे दल एवं समूह थे। हिन्दू महासभा, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सभी दलों के कुछ सदस्य एक समय कांग्रेस के अंग थे। कांग्रेस के सत्ताधारी दल से

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद गाँधी जी ने सुझाव दिया कि कांग्रेस के राजनीतिक रूप को समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर जनता में रचनात्मक कार्य करने के लिये 'लोक सेवक सघ' की स्थापना की जाए तथा ससदीय क्षेत्र नवीन एवं स्पष्ट रूप से राजनीतिक- उन्मुख सगठनों के लिये छोड़ देना चाहिए।¹ लेकिन उनकी इस बात को स्वयं उनके अनुयायियों ने नहीं माना और देश की शासन सत्ता कांग्रेस के हाथों में पहुँच गयी। इस प्रकार 1947 के बाद कांग्रेस के वास्तविक अर्थों में एक राजनीतिक दल का रूप धारण किया। बाद में धीरे-धीरे अन्य राजनीतिक दलों का जन्म हुआ।

कांग्रेस निर्माण के कुछ वर्षों पश्चात् 1906 में एक साम्प्रदायिक सस्था (दल) 'मुस्लिम लीग' के नाम से स्थापित हुई। आरम्भ में इसका उद्देश्य मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा विकसित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। बाद में मुस्लिम लीग ने एक ओर देश की स्वतन्त्रता और दूसरी ओर द्विराष्ट्र सिद्धान्त के आधार पर पाकिस्तान की माँग की। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के रूप में एक अन्य साम्प्रदायिक सस्था 'हिन्दू महासभा' सगठित की गयी। इसका उद्देश्य हिन्दू सस्कृति तथा हिन्दू राष्ट्र के गौरव की रक्षा एवं विकास तथा पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। हिन्दू महासभा के गठन की तिथि विवादास्पद है, वैसे इसका गठन 1907 में पंजाब में एक सांस्कृतिक सस्था के रूप में हुआ (पूना महासभा के कार्यालय के अनुसार यह अक्टूबर 1909 है)। सन् 1915 में श्री मदन मोहन मालवीय एवं लाला लाजपत राय के सक्रिय योगदान से हिन्दू महासभा ने अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण किया।² जबकि श्री सुमित सरकार के अनुसार हिन्दू महासभा का गठन श्री मदन मोहन मालवीय और पंजाब के कुछ नेताओं द्वारा हरिद्वार कुम्भ मेले में 1915 में किया गया।³ वास्तव में हिन्दू महासभा का जन्म कांग्रेस से स्वतन्त्र रूप में हुआ था परन्तु कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं का सरक्षण इसे प्राप्त था श्री मदन मोहन मालवीय एवं लाला लाजपत राय इसके सक्रिय सदस्य थे जबकि ये दोनों महानुभाव कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इस समय कांग्रेस में अनेक विचारधाराओं के लोगों का स्थान सुरक्षित था। 1930 के दशक में हिन्दू सभा के सदस्यों को कांग्रेस से निकाल दिया गया।⁴

स्वतन्त्रता के पूर्व ही कुछ वामपथी दलों का भी जन्म हुआ, इसमें कुछ आज भी जीवित हैं। 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। वर्तमान में इसकी अनेक शाखाएँ हो गयी हैं। 1934 में कांग्रेस में एक नये राजनीतिक गुट का उदय हुआ, जिसे कांग्रेस समाजवादी दल कहा गया। सन् 1948 में इसने कांग्रेस से अलग होकर 'समाजवादी दल' नामक नवीन राजनीतिक दल का निर्माण किया। जनता पार्टी (1977) तक अपनी यात्रा के दौरान यह दल अनेकों बार विभाजित एवं पुनर्गठित होता रहा और उसके कुछ घटक पुनः कांग्रेस में चले गये जबकि कुछ जनता पार्टी में शामिल हुए।

स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले दल में पहला नाम भारतीय जनसघ का है जिसकी स्थापना 1951 में की गयी। यह दल कांग्रेस एवं समाजवादी दलों के सिद्धान्तों से भिन्न सिद्धान्तों पर बनाया गया। 1959 में

-
1. देखें-एम० वी० रमन्ना राव 'डेवलपमेंट ऑफ कांग्रेस कॉन्ट्रॉयूशन' कांग्रेस पब्लिकेशन, पृ० 70।
 2. एस० एन० सदाशिवन "पार्टी ऐण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया" टाटा मैग्राहिल पब्लिशिंग कम्पनी, लिमिटेड, नई दिल्ली, 1977 पृ० 125-126, देखें हॉस्ट हाटमैन "पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया", मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1982, पृ० 111-112।
 3. सुमित सरकार "माडर्न इण्डिया (1885-1947)", मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1984, पृ० 235-236।
 4. रजनी कोठारी 'भारत में राजनीति', पूर्वोक्ति, पृ० 111।

पूर्वावादी व्यवस्था का समर्थन करने वाले एक दल का निर्माण 'स्वतन्त्र पार्टी' के नाम से किया गया। इन दलों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में पृथक राजनीतिक दलों की स्थापना की गयी, जो प्रादेशिक और क्षेत्रीय राजनीतिक तक ही सीमित हैं और उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कोई विशेष भाग नहीं लिया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला दल देश की राजनीतिक व्यवस्था में छाया रहा।

भारतीय दलीय व्यवस्था के प्रारम्भ में अधिकतर राजनीतिक दल एक वृहद राजनीतिक आन्दोलन – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएँ और उप शाखाएँ हैं। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक सस्था (दल) है, इस प्रकार कांग्रेस दल को यहाँ अन्य राजनीतिक दलों का 'आदि वंश-स्थल' कहा जा सकता है। इसमें से कुछ दलों का गठन कांग्रेस से वैचारिक भिन्नता के कारण हुआ, जैसे सोशलिस्ट पार्टी। कुछ एक दल कांग्रेस की व्यापकता एवं प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप विशिष्ट सामुदायिक हितों के संरक्षण हेतु अस्तित्व में आये, जैसे मुस्लिम लीग। जबकि कुछ दल कांग्रेस के आन्तरिक विभाजन के फलस्वरूप बने जैसे सगठन कांग्रेस। इसके आलावा कुछ दल कांग्रेस को चुनौती देने एवं उनका राष्ट्रीय विकल्प प्रस्तुत करने हेतु अस्तित्व में आये जैसे 'जनता पार्टी'।

इस परम्परा से थोड़ा हटकर भारतीय साम्यवादी दल का गठन अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन की एक कड़ी के रूप में हुआ। इसके बावजूद 1936-39 के बीच कांग्रेस एवं विशेषकर कांग्रेस समाजवादी दल तथा साम्यवादी दल के बीच व्यापक सहयोग रहा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद गठित हुए लगभग सभी प्रमुख दलों के कुछ महत्वपूर्ण नेतागण कभी न कभी कांग्रेसी रहे थे। इसी कारण सभी राजनीतिक दलों में कांग्रेस सस्कृति का प्रभाव था। अतः न केवल विपक्षी दलों के विकास एवं स्वरूप के निर्धारण में बल्कि सम्पूर्ण दलीय व्यवस्था के विकास में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सन् 1977 में जनता पार्टी का उद्भव कांग्रेस के 'राष्ट्रीय विकल्प' के रूप में हुआ, इसलिए 1976 तक कांग्रेस एवं प्रमुख विपक्षी दलों के स्वरूप एवं विकास पर विहगम दृष्टि डालना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि इससे भारतीय दलीय व्यवस्था की तारतम्यता एवं विभिन्न दलों के अतर्सम्बन्धों का भी उद्घाटन होगा। इस अध्याय में राजनीतिक दलों के विकास की गाथा इसी विशेष सन्दर्भ में वर्णित है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : सत्ता पक्षीय भूमिका (1976 तक)

1947 से लेकर 1976 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास एवं प्रभाव एक समान नहीं रहा। 1967 तक कांग्रेस का केन्द्र एवं राज्यों में एक छत्र शासन था। 1967 के चतुर्थ आम चुनावों में केन्द्र में कांग्रेस सत्तारूढ़ अवश्य हुई, परन्तु भारतीय संघ के लगभग आधे राज्यों की विधान सभाओं में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी और इन राज्यों में विरोधी दलों की मिली-जुली सरकारों, (सविद सरकारों) की स्थापना हुई और ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत की दलीय व्यवस्था नवीन रूप ग्रहण करने जा रही है। इस स्थिति के सन्दर्भ में भारतीय राजनीति के अनेक समीक्षकों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि अब भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हो गया है और भारत में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर मिली-जुली सरकारों की स्थापना होगी। रजनी कोठारी के शब्दों में “भारतीय राजनीति ने एक दल की प्रधान वाली स्थिति से निकलकर उस स्थिति में प्रवेश किया है, जिसमें विभिन्न दलों में प्रधानता प्राप्त करने के लिये प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गयी है।”¹

सन् 1969 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन ने उपरोक्त मत की पुष्टि की लेकिन 1971 के लोक सभा चुनावों और 1972 के विधान सभा चुनावों में दलीय स्थिति इस रूप में सामने नहीं आयी और दलीय व्यवस्था ने पुनः अपने पुराने स्वरूप, ‘एक दल की प्रधानता वाली बहु दलीय व्यवस्था’ को प्राप्त कर लिया। अतः 1976 तक कांग्रेस का विकास निम्न महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरा जैसे – कांग्रेस प्रभुत्व व्यवस्था (1947-67), भारत में सविद राजनीति (1967-69), कांग्रेस का विभाजन (1969-70), कांग्रेस आधिपत्य का पुर्नजन्म (1971 के लोकसभा चुनाव),

एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था (1947-67)

आजादी के पश्चात् भारत में आधुनिकीकरण, लोकतन्त्रीकरण, स्थायित्व एवं राष्ट्रीय एकीकरण आदि राजनीतिक विकास के प्रमुख स्तम्भ, बहुत हद तक कांग्रेस की आरम्भिक सामर्थ्य के कारण सम्भव हो सके। सन् 1947 से 1964 तक श्री जवाहर लाल नेहरू के हाथों में देश के ऊपर कांग्रेस का एक छत्र शासन रहा। अतः राजनीतिक शास्त्रियों ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को ‘एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था’² तथा ‘कांग्रेस व्यवस्था’³ के नाम से सम्बोधित करना प्रारम्भ कर दिया। पहले तीन आम चुनावों (1950, 1957, 1962) में कांग्रेस को लगभग 74% स्थान मिले और प्रमुख विरोधी दलों की स्थिति बहुत खराब रही। इन तीनों निर्वाचनों में विरोधी दलों की स्थिति एक सी रही और उनका यथोचित विकास न हो सका। केन्द्र के साथ-साथ लगभग सभी राज्यों में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और कुछ राज्यों में केवल कुछ दिनों के लिये गैर-कांग्रेसी सरकार बनने के आलावा लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस दल सत्ता में रहा।

1 रजनी कोठारी ‘भारत में राजनीति’, पूर्वोक्त, पृ० 205।

2 डब्ल्यू एच० मोरिस जोन्स ‘भारतीय शासन और राजनीति (हिन्दी रूपान्तर, अनु० हरिन्दर के० छावडा) सुरजीत पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ० 180।

3 रजनी कोठारी “दि कांग्रेस सिस्टम इन इण्डिया”, एसियन सर्वे वायलुम VI न० 12 (1964) पृ० 1161-1173।

सारिणी संख्या - 1

प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनावों में राजनीतिक दलों का निष्पादन

(लोक सभा)

राजनीतिक दल	प्रथम चुनाव 1952 कुल स्थान 489			द्वितीय चुनाव 1957 कुल स्थान 494			तृतीय चुनाव 1962 कुल स्थान 494		
	प्राप्त स्थान	प्राप्त स्थानों का %	प्राप्त मतों का %	प्राप्त स्थान	प्राप्त स्थानों का %	प्राप्त मतों का %	प्राप्त स्थान	प्राप्त स्थानों का %	प्राप्त मतों का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कांग्रेस	364	74.4	45.0	371	75.1	47.78	361	72.9	44.73
कम्युनिस्ट पार्टी	16	3.3	3.3	27	5.4	8.92	29	5.9	9.04
सोशलिस्ट पार्टी	12	2.5	10.6	-	-	-	6	1.2	2.83
कि० म० प्र० पार्टी	9	1.8	5.8	-	-	-	-	-	-
प्रसोपा	-	-	-	19	3.8	10.41	12	2.4	6.81
जनसंघ	3	0.6	3.1	4	0.8	5.92	14	2.8	6.43
हिंदू महासभा	4	0.8	0.95	1	0.2	0.80	1	0.2	0.65
स्वतंत्र पार्टी	-	-	-	-	-	-	18	3.7	7.89
रिपब्लिकन पार्टी	2	0.4	2.36	4	0.8	1.5	3	0.6	2.83
रामराज्य परिषद	3	0.6	2.03	-	-	0.38	2	0.4	0.60
अन्य दल	35	7.2	11.1	29	5.9	4.81	28	5.7	6.35
निर्दलीय	41	8.4	15.8	39	7.9	19.39	20	4.1	11.08

1952 से 1962 तक देश में हुये तीन आम चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों का तुलनात्मक निष्पादन सारणी (संख्या - 1) में देखा जा सकता है। यद्यपि तृतीय आम चुनाव में विरोधी दलों की स्थिति में मामूली सा सुधार हुआ लेकिन कांग्रेस को विशेष हानि नहीं उठानी पड़ी और उसका प्रभुत्व बना रखा। इन तीनों आम चुनावों की सामान्य विशेषता एक दल का एकाधिकार रहा। कांग्रेस का यह अधिपत्य विश्वसनीय सत्ता पर आधारित था न कि असैनिक या सैनिक शक्ति पर।¹ इन 15 वर्षों में विरोधी दलों को विकसित होने का मौका नहीं मिला और इन तीनों चुनावों में भरसक प्रयत्नों के बाद भी विरोधी दल कांग्रेस के मुकाबले अपनी स्थिति को न सुधार सके। इसके बाद भी विरोधी दल राष्ट्रीय स्तर पर किसी समझौते (क) राजी न हुए। यदि विरोधी दल मिलकर कांग्रेस का मुकाबला करते तो कांग्रेस

1. रजनी कोठारी "दि कांग्रेस सिस्टम इन इण्डिया", पूर्वोक्त, पृ० 1170।

को पराजित कर देना कठिन न था क्योंकि सभी चुनाव में विरोधी दलों को देश में पड़े हुए कुल मतों के 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हुए। लेकिन निर्वाचन में अनेक छोटे राजनीतिक दलों के भाग लेने के कारण विरोधी दलों को मिलने वाले मत विभाजित हो गये और इसके फलस्वरूप कांग्रेस विजयी होती रही।

इस काल में कांग्रेस की सफलता का मुख्य कारण इसकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता, कुशल नेतृत्व, सशक्त संगठन के अलावा मध्यमार्गी वैचारिकता एवं व्यापक समर्थन का ढाँचा था। इस सफलता में नेहरू जी के व्यक्तित्व का चमत्कार भी था उन्हें विरोधी गुटों में समन्वय कर्ता कहा जाता था। नेहरू का योगदान किसी क्रांति का सूत्रपात करने में नहीं अपितु एक विश्वसनीय धरातल के विकास करने में है। उन्होंने समानता, स्वतन्त्रता एवं अधिकार जैसे जटिल मूल्यों को अपने देशवासियों के गले के नीचे उतारा।¹ इस काल में कांग्रेस ने भारतीय भूमि में लोकतन्त्र का बीज बोया और अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व को समझा। इस काल में अनेक राजनीतिक सस्थाओं का विकास हुआ और विपक्षी दलों के शक्तिहीन होने पर भी उनके महत्व को स्वीकार किया गया।

भारत में संविद राजनीति (1967-69)

फरवरी 1967 में होने वाला चौथा आम चुनाव भारतीय राजनीति में एक सीमा चिन्ह की हैसियत रखता है। इस चुनाव के पश्चात भारतीय राजनीति एवं दलीय प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस आम चुनाव में कांग्रेस दल के राजनीतिक एकाधिकार का अन्त हुआ और विरोधी दलों की स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। यद्यपि केन्द्र में राजनीतिक सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही लेकिन लोक सभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या बहुत कम हो गई। राज्य विधानमण्डलों के चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय सभ के 17 प्रान्तों में से 9 प्रान्तों में गैर-कांग्रेसी 'मिली जुली सरकार' की स्थापना थी।² इस प्रकार कांग्रेस जिसने भारतीय राजनीति मंच पर वर्षों तक एक छत्र शासन किया था, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। किन्तु एक दलीय आधिपत्य का स्थान द्विदलीय या त्रिदलीय व्यवस्था ने ग्रहण नहीं किया।³ इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ ?

मई 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हो गयी। और कांग्रेस दल के चमत्कारी नेतृत्व का अन्त हो गया। हार्टमैन के शब्दों में कांग्रेस 'नेहरू वोट्स' से वंचित हो गयी। 1962 से 1967 के बीच देश को गम्भीर राजनीतिक एवं आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। 1962 के भारत-चीन एवं 1965 के भारत-पाक युद्ध का प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा। इसी काल में एक ओर देश में व्यापक श्रमिक हड़तालें हुईं तो दूसरी ओर जनसभ एवं हिन्दू महासभा ने भी गोहत्या जैसे विषयों को लेकर व्यापक स्तर पर 'सरकार-विरोधी' प्रदर्शन किये। इन विभिन्न साधनों से विरोधी दला ने जन साधारण को सरकार के विरुद्ध उकसाया और उनमें कांग्रेस विरोधी भावनाओं को खूब विकसित किया। इसके आलावा चतुर्थ आम चुनाव में विपक्ष की आंशिक सफलता का मुख्य कारण चुनाव संध्या पर डॉ० राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तावित कांग्रेस विरोधी 'संयुक्त चुनाव मोर्चे' के रूप में चुनाव लड़ने का देश व्यापी आन्दोलन।

1. रजनी कोठारी "दि मीनिंग ऑफ जवाहर लाल नेहरू", दि इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, विशेषांक, जुलाई 1964।
2. प्रारम्भ में मात राज्यों में (बिहार, मद्रास, केरल, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश) गैर-कांग्रेसी 'मिश्रित सरकारें' बनीं। बाद में दल-बदल के कारण हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के पतन के बाद गैर-कांग्रेसी 'संविद मन्त्रिमण्डल' का गठन हुआ। 1967 से ही औपचारिक अर्थों में संविद राजनीति का युग प्रारम्भ हुआ।
3. एन० डी० पामर "इण्डियाज फोर्थ जनरल इलेक्शन", एशियन सर्वे मई, 1967, पृ० 275।

सारणी संख्या - 2

1967 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का निष्पादन

राजनीतिक दल	प्राप्त स्थान	प्राप्त मतो का प्रतिशत
कांग्रेस	283	40.82
स्वतंत्र पार्टी	42	8.54
कम्युनिस्ट पार्टी	23	4.90
कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	19	4.46
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी	13	3.08
सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी	23	4.89
भारतीय जनसंघ	35	9.29
रिपब्लिकन पार्टी	1	2.53
अन्य दल	39	10.40
निर्दलीय	42	11.09
योग	520	100.00

1967 के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक समझौता जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच हुआ। तमिलनाडु में स्वतंत्र पार्टी ने 30,000 के साथ चुनाव समझौता किया। बाकी किसी भी राजनीतिक दल ने कोई गठबन्धन नहीं किया। इस निर्वाचन में 520 स्थानों में कांग्रेस को 283 स्थान और विरोधी दलों को 236 स्थान प्राप्त हुए। जैसा कि सारणी संख्या-2 से स्पष्ट है कि यदि विरोधी दल कुछ और संगठित प्रयास करते तो केन्द्र से कांग्रेस सरकार का अन्त हो सकता था क्योंकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेसी उम्मीदवार बहुत ही कम वोटों से विजयी हुए। यद्यपि लोकसभा में विरोधी दलों की संख्या में वृद्धि हुई लेकिन कोई एक राजनीतिक दल इस बार भी इतनी संख्या में न आ सका कि उसे 'सरकारी विरोधी दल' के रूप में मान्यता दी जा सके। इस बार दक्षिण पंथी दलों के सदस्यों की संख्या काफी बढ़ी।

इस चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ राजनीति दल बदल के कारण आया। विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में दल-बदल की घटनाएँ हुईं और फलस्वरूप इतनी शीघ्रता से मन्त्रिमण्डलों का विघटन हुआ कि स्थायी सरकार की स्थापना एक समस्या बनकर रह गयी। इस चुनाव के बाद इस बात की सम्भावना पैदा हो गयी थी कि भविष्य में विरोधी राजनीतिक दलों की शक्ति बढ़ेगी और भारत में संगठित विरोधी दल का विकास हो सकेगा। लेकिन 1971 के मध्यावधि चुनाव के बाद यह सारी आशाएँ समाप्त हो गयीं।

कांग्रेस का विभाजन (1969-70)

यद्यपि 1967 में केन्द्र में कांग्रेस एक दलीय सरकार बनाने में सफल हुई, लेकिन दल के आन्तरिक विरोध और गुटबन्दी के कारण कांग्रेस दल में धीरे-धीरे दरार पडने लगी। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सुसंगठित होकर इंदिरा गांधी का विरोध करना आरम्भ कर दिया। यह विरोध जुलाई 1969 में 'बगलौर कांग्रेस अधिवेशन' में बिलकुल स्पष्ट हो गया, जब इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई आर्थिक नीतियों का कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजिलिगप्पा तथा अन्य सिण्डीकेट नेताओं द्वारा खुला विरोध किया गया।¹ बगलौर अधिवेशन ने कांग्रेस के विभाजन की नींव रखी और 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव ने कांग्रेस को दो टुकड़ों में बाँट दिया। सिण्डीकेट गुट ने इंदिरा गांधी की इच्छा के विरुद्ध श्री सजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिये कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार मनोनीत किया। इंदिरा गांधी ने निर्दलीय उम्मीदवार श्री वी० वी० गिरि को अपने समर्थन से खड़ा किया और नारा दिया कि इस चुनाव में कांग्रेस मतदाता अपने अन्तःकरण के अनुसार वोट देने को स्वतन्त्र है। श्री वी० वी० गिरि विजयी हुए। इस निर्वाचन के बाद कांग्रेस के दोनों गुट खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के सामने आ गये। इस प्रकार 1967 के आम चुनावों में जहाँ भारतीय राजनीतिक दलों के विकास के एक ऐतिहासिक चरण की समाप्ति की घोषणा की, वहाँ 1969-70 का कांग्रेस का विभाजन एक दलीय आधिपत्य के विखण्डन की प्रक्रिया को इसके तार्किक अन्त तक ले जाने में सहायक हुआ, और नवम्बर 1969 में औपचारिक रूप से कांग्रेस दो भागों में बंट गयी। इसमें एक की नेता इंदिरा गाँधी थी जिसे सत्ता कांग्रेस या नई कांग्रेस कहा गया और दूसरी के नेता मोरार जी देसाई थे जिसे पुरानी कांग्रेस या सगठन कांग्रेस कहा गया। 1971 के लोक सभा चुनाव में सगठन कांग्रेस ने विपक्षी मोर्चे (महागठबंधन) के घटक के रूप में चुनाव लड़ा, जिसमें उसे करारी पराजय मिली और लोकसभा में उसे मात्र 16 स्थान प्राप्त हुए। मई 1977 में सगठन कांग्रेस का विलय जनता पार्टी में हो गया।

कांग्रेस के विभाजन के फलस्वरूप लोकसभा में श्रीमती इंदिरा गाँधी की सत्ता कांग्रेस अल्पमत में रह गयी। लेकिन श्रीमती गाँधी द्वारा भारतीय साम्यवादी दल, डी० एम० के०, मुस्लिम लीग और निर्दलीय सदस्यों की सहायता से अपनी सरकार का संचालन किया जाता रहा, लेकिन इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को असुविधा महसूस हो रही थी। अतः उन्होंने जनता से स्पष्ट निर्णय प्राप्त करने के लिये दिसम्बर 1970 में लोक सभा का विघटन करा दिया और इस पृष्ठभूमि में 1971 लोकसभा के मध्यावधि चुनाव सम्पन्न हुये।

1 प्रमुख सिण्डीकेट नेता श्री निजिलिगप्पा, श्री मोरार जी देसाई, एस० के० पाटिल, आतुल्य घोष जैसे लोग इंदिरा गांधी की समाजवादी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध थे। इन नेताओं ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं राजाओं के प्रिवीपर्सज का समाप्ति का विरोध किया। इस विरोध की मुख्य समस्या यह थी कि कांग्रेस की वास्तविक नेतृत्व शक्ति किसके हाथ में हो - मसदीय गुट के हाथ में जिम्का नेता प्रधानमंत्री होता है अथवा मसदीय गुट के हाथ में जिसका मुखिया कांग्रेस अध्यक्ष होता है।

सारणी संख्या - 3

1971 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की स्थिति

राजनीतिक दल	कुल प्राप्त स्थान	प्राप्त स्थानों का प्रतिशत	प्राप्त किए मतों का प्रतिशत
इंडियन नेशनल कांग्रेस	352	67.95	43.68
इंडियन नेशनल कांग्रेस (सगठन)	16	3.08	10.42
स्वतंत्र पार्टी	8	1.54	3.06
भारतीय जनसंघ	22	4.24	7.35
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी	3	0.57	2.42
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी	2	0.38	1.04
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	23	4.44	4.73
सी० पी० आई० (एम०)	25	4.82	5.12
रजिस्टर्ड राजनीतिक दल	13	2.50	3.61
निर्दलीय	14	2.70	8.36

स्रोत— रिपोर्ट ऑफ 'दि फिफथ जनरल इलेक्शन टु दि हाउस आफ दि पिपुल इन इण्डिया,' 1971, खण्ड 2, एलेक्शन कमीशन आफ इंडिया, 1973।

1971 का मध्यावधि चुनाव दल प्रणाली के विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। भारतीय इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी विचारधारा वाले दल एक मंच पर एकत्रित हुये और सगठन कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ तथा संयुक्त समाजवादी दल ने मिलकर एक समझौता किया जिन्हें 'महामैत्री' (Grand Alliance) का नाम दिया गया। भारतीय क्रांति दल एवं प्रजा समाजवादी पार्टी ने स्वयं को इस 'महा गठबन्धन' से बाहर रखा, परन्तु राज्य स्तर पर महागठबन्धन के कुछ दलों से चुनावी समझौते किये। 'संयुक्त मोर्चे' के नेता सत्ता-कांग्रेस की पराजय एवं अपनी जीत के प्रति काफी आशान्वित थे। कांग्रेस ने सामान्यता सी० पी० आई० एवं तमिलनाडु में डी० एम० के सहयोग से चुनाव लड़े। चुनावों में कांग्रेस का अपूर्व सफलता प्राप्त हुई।

1971 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने पूरे देश को आश्चर्य चकित कर दिया। इसमें श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 352 स्थान एवं लोक सभा में 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ और 1967 में विरोधी दलों की संख्या एक बार पुनः अपनी पिछले स्थिति में पहुँच गयी, (देखें सारणी सं० 3)। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि सगठन कांग्रेस को मात्र 16 स्थान मिले। पिछले आम चुनाव की तरह इस बार भी लोकसभा में कोई भी राजनीतिक दल इतनी संख्या में न आ सका कि 'नियमित विरोधी दल' का दर्जा प्राप्त कर सके। पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी साम्यवादी दल लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में वापस हुआ, अन्य सभी विरोधी दलों को भारी क्षति उठानी पड़ी। संक्षेप में 1971 के मध्यावधि चुनाव में भारत में 'एक दलीय आधिपत्य' की पुनः स्थापना हो

गयी और सगठित विरोधी दलों के विकास की आशाये क्षीण हो गयी ।

इस निर्वाचन मे कांग्रेस की सफलता का मुख्य कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व, उनकी समाजवादी नीतिया एव उनके स्थायित्व का नारा था । इसी कारण समाज के सभी वर्गों ने उन्हें समर्थन दिया ।¹ इस चुनाव मे दक्षिण पथी दलों की घोर असफलता मिली । अत रूडोल्फ का यह विचार काफी हद तक ठीक है कि 'इस निर्वाचन के सामूहिक परिणाम वामपक्ष की ओर झुकाव को इंगित करते है ।'²

सारणी संख्या- 4

1972 के राज्य विधानसभाओं के चुनावो मे राजनीतिक दलों की स्थिति

राज्य	विधानसभा की कुल सदस्य संख्या	कांग्रेस को प्राप्त स्थान	अन्य दलों को प्राप्त स्थान
1	2	3	4
1 आन्ध्र प्रदेश	287	219 (76.31 प्र०)	68
2 असम	114	95 (83.33 प्र०)	19
3 बिहार	318	167 (52.51 प्र०)	151
4 गुजरात	168	140 (83.33 प्र०)	28
5 हरियाणा	81	52 (64.20 प्र०)	29
6 हिमाचल प्रदेश	68	53 (77.49 प्र०)	15
7 जम्मू और कश्मीर	75	58 (77.33 प्र०)	17
8 मध्य प्रदेश	296	220 (74.32 प्र०)	76
9 महाराष्ट्र	270	222 (82.22 प्र०)	48
10 मणिपुर	60	17 (28.33 प्र०)	43
11 मेघालय	60	9 (15.00 प्र०)	51
12 मैसूर	216	165 (76.39 प्र०)	51
13 पंजाब	104	66 (63.46 प्र०)	38
14 राजस्थान	184	145 (78.80 प्र०)	39
15 त्रिपुरा	60	41 (68.33 प्र०)	19
16 पश्चिमी बंगाल	280	216 (77.14 प्र०)	64
17 देहली	56	44 (78.58 प्र०)	12
18 गोआ, दमन दियू	30	1 (3.33 प्र०)	29
19 मिजोरम	30	6 (20.00 प्र०)	24

1. माथरन वीनर 'दि 1971 एलेक्शस ऐण्ड इण्डियन पार्टी सिस्टम,' एशियन सर्वे (बर्कले) दिसम्बर 1971, पृ० 1954 ।
2. लायड आई० रूडोल्फ 'काटिन्यूटीज ऐंड चेज इन एलेक्टोरल विहेवियर, दि 1971 पार्लियामेटरी एलेक्शस इन इण्डिया,' एशियन सर्वे, दिसम्बर 1971, खण्ड 11, न० 12, पृ० 1137 ।

स्रोत- रिपोर्ट आफ दि जनरल इलेक्शस टू दि लेजिस्लेटिव एसेम्बलीज, 1972 एलेक्शस कमीशन आफ इंडिया, 1974 ।

वस्तुतः 1971 के चुनाव परिणामों से सविद और अस्थिर फिसलन की ओर उन्मुख राजनीति का भयावह रूप दृढ़ता से रूक गया । इसके बाद जिन राज्यों में आम चुनाव हुए उसमें इंदिरा कांग्रेस को भारी बहुमत मिला । मार्च 1972 में 19 राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में चुनाव हुये ।¹ जिसमें केवल मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और गोवा दमन द्वीप के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में कांग्रेस को निरपेक्ष बहुमत मिला । इस बार कांग्रेस ने कई ऐसे क्षेत्रों में अपने प्रभाव को जमाने में सफलता प्राप्त की, जो कि कुछ वर्षों पूर्व स्वतन्त्र पार्टी, जनसघ एवं साम्यवादी दलों (मार्क्सवादी) के गठ समझे जाने लगे थे ।²

सक्षेप में 1971 से 1974 तक होने वाले चुनाव में कुछ छोटे-छोटे राज्यों के अतिरिक्त लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और इस प्रकार भारत में एक दलीय आधिपत्य की पुनर्स्थापना हुई । इन परिस्थितियों में सामान्य रूप से निष्कर्ष निकाला गया कि निकट भविष्य में कांग्रेस को सत्ता से हटाने की क्षमता विरोधी दलों में न रहेगी, लेकिन 1974-75 में बिहार एवं गुजरात में जन आन्दोलनों एवं जून 1975 में हुये गुजरात विधान सभा के निर्वाचन में नक्शा ही बदल गया । इस चुनाव के परिणाम स्वरूप गुजरात में कांग्रेस सरकार का अन्त और विरोधी दलों की सरकार (जनता मोर्वे की) की स्थापना हुई । विरोधी दलों का ऐसा ही प्रयास 19 महीने के आन्तरिक आपात स्थिति की ऊर्जा में पगिपक्व होकर “जनता पार्टी” के रूप में उभरा ।

-
1. इनमें 17 राज्य – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, प० बंगाल और मिजोरम तथा 2 केन्द्र शासित प्रदेश – देहली और गोवा दमन दीयू थे ।
 2. राम जोशी और के० डी० देसाई ‘डोमिनेस विद ए डिफरेंस’, दि इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वार्षिकांक, फरवरी, 1973” ।

गैर-कांग्रेसी दल : प्रतिपक्षीय १ (मैका) (1976 तक)

भारत में प्रतिपक्षीय दलों का इतिहास अत्यन्त निराशाजनक रहा है। प्रारम्भिक पाँच आम चुनावों में (1967 को छोड़कर) कांग्रेस को केन्द्र में 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ और कोई भी राजनीतिक दल इतनी सख्या में न आ सका कि 'नियमित विरोधी दल' का दर्जा प्राप्त कर सके। इन चुनावों में राजनीतिक जनमत कोई 15 राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के इर्द-गिर्द घूमता रहा, जो राष्ट्रीय, समाजवादी, उदारवादी, साम्प्रदायिक एवं क्षेत्रीय व स्थानीय तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें कांग्रेस एक मात्र सत्ता पक्षीय दल था एवं प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिपक्षीय थे— भारतीय साम्यवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल, प्रजा समाजवादी दल, स्वतन्त्र पार्टी, अखिल भारतीय जनसंघ, सगठन कांग्रेस, और बाद में उपर्युक्त में से कुछ और अन्य क्षेत्रीय दलों के सामूहिक विलय से बना भारतीय लोक दल।

इसके आलावा कुछ क्षेत्रीय दल भी थे जो एक से अधिक राज्यों में फैले हुये थे— मद्रास में डी० एम० के०, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्र का किसान मजदूर दल, प० बंगाल का फारवर्ड ब्लाक, उ० प्र० एवं राजस्थान का भारतीय क्रान्ति दल। इसमें से कतिपय राजनीतिक दल विलय एवं विभाजन की प्रक्रिया के बाद जनता पार्टी में सम्मिलित हुये, जिसका विस्तृत वर्णन अगले अध्यायों में किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में केवल प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों की विकास यात्रा का वर्णन करते हुये जनता पार्टी से उनके अर्तसम्बन्धों को दर्शाया गया है।

विभिन्न समाजवादी दल

भारत में अनेक समाजवादी दल हुये हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस दल के अन्दर ही आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री युसुफ मेहर अली, श्री मीनू मसानी, श्री अशोक मेहता एवं श्री अच्युत पटवर्धन के प्रयत्नों से 'कांग्रेस समाजवादी पार्टी' की स्थापना हुई। उसका उद्देश्य कांग्रेस को अधिक समाजवादी एवं क्रान्तिकारी नीतियों को अपनाने के लिये प्रेरित करना था। समाजवादियों में वामपथ को प्रोत्साहन देते हुये कांग्रेस का नियन्त्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की जिसमें वे असफल रहे।¹ यह पार्टी 1948 तक चलती रही, लेकिन कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं (विशेषकर सरदार पटेल गुट) का समर्थन न मिलने के कारण इस गुट को कांग्रेस से अलग होना पड़ा।² इस प्रकार 1948 में समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ।

1952 के प्रथम आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को सफलता को नहीं मिली, लोक सभा की 489 सीटों में उसे

-
1. थामस ए० रश डायनामिक्स आफ सोशलिस्ट लीडरशिप इन इण्डिया, रिचर्ड एल० पार्क और इरने टिकर (सम्पा०) 'लीडरशिप ऐण्ड पोलिटिकल इन्स्टीटयुशन इन इण्डिया,' प्रिन्सटॉन एन० जे० प्रिन्सटॉन यूनीवर्सिटी प्रेस, 1959, पृ० 191।
 2. पंडित नेहरू और गांधी जी समाजवादियों के बहुत विरुद्ध नहीं थे लेकिन सरदार बल्लभ भाई पटेल कांग्रेस को अनुशासन बद्ध दल बनाना चाहते थे। उन्होंने ही सन् 1948 में कांग्रेस के संविधान में संशोधन कराया, जिससे सगठन के अन्दर ऐसे दलों के रहने में रोक लगा दी जिनकी अलग मददस्यता, विधान और कार्यक्रम हो। इस संशोधन के कारण कांग्रेस मोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा।

केवल 12 स्थान प्राप्त हुये। अतः इस दल के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाये रखने के लिये उन दलों का मेल किया जाय जिनसे हमारी विचारधारा मिलती हो। समाजवादियों ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ, जो जे. बी. कृपलानी के नेतृत्व में कांग्रेसी असन्तुष्टों का एक समूह था, विलय वार्ता की। यह दल चुनाव की संध्या पर कांग्रेस से अलग हो गया था, और दृष्टिकोण में गांधीवादी था। दोनों ने मिलकर सितम्बर 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना की। शीघ्र ही इसमें फारवर्ड ब्लाक का एक धड़ा भी शामिल हो गया, जो कि पं० बगाल में सुभाष चन्द्र बोस राजनीतिक स्मृति में सलग्न था।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (प्रसोपा) इस दल के निर्माण के बाद समाजवादियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आचार्य नरेन्द्र देव की मृत्यु और श्री जय प्रकाश नारायण के भूदान आन्दोलन में चले जाने के कारण स्थिति और खराब हो गयी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में फूट के लक्षण दिखाई देने लगे, इसका मुख्य कारण समाजवादियों का 'सत्ताधारी कांग्रेस के प्रति रुख' रहा है। श्री अशोक मेहता का विचार था कि प्रसोपा को सत्ताधारी कांग्रेस के साथ जहाँ तक सम्भव हो सहयोग करना चाहिये। उनका तर्क था कि भारत जैसा सीमित ससाधन वाला देश 'विरोध की सहूलियत' (लक्जरी आफ अपोजीशन) बर्दास्त नहीं कर सकता। अतः 'देश की पिछड़ी हुई आर्थिक दशा का तकाजा' है कि कांग्रेस का सहयोग किया जाय।¹ डा० राम मनोहर लोहिया इस विचार के विरोधी थे। प्रसोपा का अधिक क्रांतिकारी दल बनाना चाहते थे। अतः प्रसोपा के दोनों गुटों में तनाव बढ़ा, जब कांग्रेस ने जनवरी 1955 में अवाडी में समाजवादी ढाँचे पर आधारित समाज की घोषणा की श्री अशोक मेहता गुट ने इसका स्वागत किया, जबकि डा० लोहिया गुट ने विरोध किया। जुलाई 1955 में लोहिया को उनके समर्थकों सहित प्रसोपा से निष्कासित कर दिया गया। दिसम्बर 1955 में लोहिया गुट ने सच्चे समाजवाद की स्थापना के लिये 'लोहिया समर्थक समाजवादी पार्टी' का गठन किया।

1957 एवं 1962 के चुनाव में समाजवादियों को आशानुरूप सफलता नहीं मिली अतः समाजवादी पुनः सहयोग की बात सोचने लगे। इधर श्री अशोक मेहता कांग्रेस के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों की पैरवी लगातार करते रहे तथा 1963 में उन्होंने योजना आयोग का उपसभापतित्व स्वीकार किया। अतः श्री मेहता को दल से निष्कासित कर दिया गया। अप्रैल 1964 में अपने अनुयायियों सहित श्री मेहता कांग्रेस में सम्मिलित हो गये।²

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (ससोपा) : प्रसोपा एवं लोहिया समर्थक समाजवादी पार्टी के विलय में सबसे बड़ी बाधा डा० लोहिया का यह विचार था कि प्रसोपा को समाजवादी पार्टी की नीतियों को बिना किसी आरक्षण के स्वीकार करना पड़ेगा।³ श्री अशोक मेहता के कांग्रेस में चले जाने से प्रसोपा ने समाजवादी पार्टी की शर्त मान ली।

-
- 1 श्री अशोक मेहता ने इस विचार का प्रतिवादन 1953 में पार्टी की एक रिपोर्ट में किया। उद्धृत, माइरन वीनर "पार्टी पोलिटिकल इन इण्डिया", क्रिसटॉन, एन० जे० प्रिंसटॉन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1957, पृ० 31
 - 2 अशोक मेहता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के लिये देखें, प्रसोपा का सातवाँ राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट रामगढ़, प्रमापा प्रकाशन, 17-20 मई 1964, पृ० 25।
 - 3 सोशलिस्ट यूनिटी - एनॉदर अटैम्ट फेलस, पी० एम० पी०, नून् 1963, नई दिल्ली।

इस प्रकार जून 1964 में दोनों दलों के विलय से 'सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी' (ससोपा) का गठन हुआ।¹ श्री एस० एम० जोशी इसके अध्यक्ष एवं श्री राजनारायण इसके महासचिव बने। इसके पहले कि 'ससोपा' एक सगठित दल बने, यह पुनः गुटबन्दी एवं विभाजन का शिकार हो गया।²

पुनः विभाजन नव गठित ससोपा में डा० लोहिया के व्यक्तित्व एवं विचार हावी रहे। डा० लोहिया का विचार था कि कांग्रेस को पराजित करने के लिये सभी गैर-कांग्रेसी वामपंथी एवं दक्षिण पंथी दलों का सहयोग लिया जाना चाहिये, जबकि उनके अन्य सहयोगियों ने इसका विरोध किया। अतः ससोपा में दो विचारधाराएँ हो गयीं।³ अन्ततोगत्या जनवरी 1965 में पार्टी के बनारस सम्मेलन में ससोपा का विभाजन हो गया। श्री एच० वी० कामथ, श्री प्रेम भसीन, एवं एन० जी० गोरे के नेतृत्व में प्रसोपा का पुनर्गठन किया।⁴ जबकि भूतपूर्व प्रसोपा नेता श्री एस० एम० जोशी ससोपा में रहे। इसके बाद विभिन्न राज्यों में ससोपा एवं प्रसोपा गुटों में विभाजन एवं एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी और उनके अनेक असन्तुष्ट गुट सत्ता कांग्रेस में शामिल हो गये।⁵

1967 में डा० लोहिया की मृत्यु के बाद तथा 1971 के मध्यावधि चुनाव में समाजवादी दलों की असफलता ने पुनः एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। 1971 के लोकसभा चुनाव में ससोपा ने गैर कांग्रेसी महागठबन्धन के तहत चुनाव लड़ा परन्तु उसे लोकसभा में मात्र 3 स्थान प्राप्त हुये। अगस्त 1971 में प्रसोपा, ससोपा एवं विभिन्न राज्यों के कुछ असन्तुष्ट समाजवादी गुटों ने मिलकर पुनः 'सोशलिस्ट पार्टी' का गठन किया। इस सोशलिस्ट पार्टी में देश की सभी प्रमुख समाजवादी नेता श्री एस० एम० जोशी, श्री जार्ज फर्नांडीज, श्री एन० जी० गोरे और श्री मधुलिमि ए शामिल थे। श्री राजनारायण गुट ने इसका विरोध किया। अप्रैल 1972 में राजनारायण ने सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर 'सोशलिस्ट पार्टी (लोहियावादी)' का गठन किया जबकि सोशलिस्ट पार्टी के एक अन्य असन्तुष्ट गुट ने मई 1972 में श्री कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में 'सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी-एकतावादी)' की स्थापना की। श्री राजनारायण एवं श्री कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पार्टी को लोहिया के समाजवाद का वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित किया, इस प्रकार दोनों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी। दिसम्बर 1972 में इन दोनों गुटों (राजनारायण एवं कर्पूरी ठाकुर गुट) ने मिलकर पुनः एक नये दल 'सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी' का गठन किया।⁶

1973-75 में जय प्रकाश आन्दोलन के दौरान व्यापक विपक्षी एकता का आह्वान किया गया। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में प्रारम्भ विपक्षी एकता के प्रयासों के फलस्वरूप अगस्त 1974 में (अन्य छ. दलों के सहित) सयुक्त 'सोशलिस्ट पार्टी' का विलय भारतीय लोक दल में हो गया, जिसका पुनः मई 1977 में विलय जनता पार्टी में हुआ।

1 बेनामिन एम० शॉन्केल्ड "दि बर्थ ऑफ इण्डियाज सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी", पेसिफिक अफेयर, फाल एण्ड विन्टर, 1965-66, पृ० 246-47, लेखक का मानना है कि दिसम्बर 1962 में उ० प्र० में दोनों दलों के 'विधायक दलों के सम्मेलन' ने राष्ट्रीय स्तर पर दलीय एकीकरण को प्रोत्साहित किया।

2 दि स्टेटसमैन, दिल्ली, मार्च 25, 1965।

3 देखें, पी० एस० पी० सर्कुलर, फरवरी 7, 1965।

4 देखें, पी० एस० पी० सर्कुलर, फरवरी 7, 1965।

5 विस्तृत अध्ययन के लिए देखें, एस० एन० सदाशिवन "पार्टी ऐण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया", टाटा मैग्राहिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली, पृ० 153-170।

6 वही।

दूसरी ओर जार्ज फर्नांडीज के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी का विलय भी मई 1977 में जनता पार्टी में हो गया। इस प्रकार 1977 में राष्ट्रीय स्तर के लगभग सभी समाजवादी दलों का विलय जनता पार्टी में हो गया। इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि 1948 में स्वतन्त्र रूप से अस्तित्व में आयी सोशलिस्ट पार्टी आज तक अपने सुदृढ़ राष्ट्रीय सगठन का निर्माण न कर सकी और विघटन, विभाजन और विलय ही इसकी नियति रही है।

साम्यवादी दल

जनता पार्टी के उद्भव में साम्यवादी दलों का कोई भी समर्थन या सहयोग नहीं था, क्योंकि जनता पार्टी मूलतः गैर-साम्यवादी विपक्षी दलों के एकता प्रयासों का परिणाम थी। स्वतन्त्रता के बाद 'विपक्षी-राजनीति' के सन्दर्भ में साम्यवादी दलों का अध्ययन, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यद्यपि भारतीय राजनीतिक वास्तव में 'विपक्षी-राजनीति' की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही थी, फिर भी लोकसभा के प्रथम तीनों आम चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल लोकसभा में एक मात्र सबसे बड़ा दल था। (देखें सारणी सख्या 1) 1964 में इस दल के विभाजन से दो दल अस्तित्व में आये। प्रथम भारतीय साम्यवादी दल (सी० पी० आई०) एवं भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) [(सी० पी० आई० (एम०)] इस विभाजन से 1967 के आम चुनाव में दक्षिण पथी दलों को लाभ हुआ। सी० पी० आई० में सत्ता कांग्रेस के साथ सहयोग की राजनीति अपना ली। इसके बावजूद 1971 के मध्यावधि चुनाव में सी० पी० आई० (एम०) लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरा (देखें सारणी सख्या 3)। संक्षेप में इसका विकास निम्न है।

1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति की सफलता के बाद भारत में साम्यवादी चेतना का प्रारंभ हुआ और इसके फलस्वरूप सर्वप्रथम सितम्बर 1924 में 'इण्डियन कम्युनिस्ट पार्टी' का जन्म हुआ। बाद में मास्को के दिशा निर्देश पर भारत के विभिन्न वामपथी इकाइयों को मिलाकर दिसम्बर 1928 में 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया' (सी० पी० आई०) की स्थापना हुई। अपने प्रारम्भिक वर्षों में सी० पी० आई०, ग्रेट ब्रिटेन के साम्यवादी दल के साथ सम्बन्धित होते हुये भी मास्को के दिशा निर्देशों का अनुसरण करती रही। 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों से बचने के लिये, दल ने राष्ट्रीय आन्दोलन के सहयोग करने में ऊपर से 'सयुक्त मोर्चे' की नीति अपनायी। कांग्रेस समाजवादी दल में प्रवेश करते हुये कम्युनिस्टों ने शीघ्र समाजवादी सगठन में नेतृत्व प्राप्त कर लिया, विशेष तौर से दक्षिण में, जहाँ उन्हें प्रभावशाली नियन्त्रण प्राप्त हुआ। समाजवादी सगठन के नियन्त्रण के प्रश्न से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एवं कम्युनिस्टों में मतभेद प्रारम्भ हुये और 1940 में कम्युनिस्टों को 'सयुक्त मोर्चे' से निकाल दिया गया। कांग्रेस से इनके सम्बन्ध अन्तिम रूप से तब टूटे जब इन्होंने गाँधी जी के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का विरोध करते हुये ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रारम्भ से ही साम्यवादी दल में आन्तरिक विरोध थे, इसी कारण किसी निश्चित नीति का अनुसरण नहीं कर सका। साम्यवादी दल का एक छोटा वर्ग, जिसका नेतृत्व श्री रणदिवे कर रहे थे अधिक

1 श्री एस० एन० सदाशिवन पूर्वोक्त, पृ० 171।

2. श्री सज्जाद जहीर, श्री सोली बाटलीवाला, श्री दिनकर मेहता एवं श्री इ० एम० एस० नम्बूदरीपाद आदि सी० पी० आई० नेता कांग्रेस समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुये।

3 श्री एस० एन० सदाशिवन, पूर्वोक्त, पृ० 172-173

कठोर नीतिया अपनाने के पक्ष में था। अतः 1948 में श्री रणदिवे के महासचिव बनने से साम्यवादी दल के इतिहास में 'अधिकतम युद्ध प्रिय युग आरम्भ' हुआ। 1950 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में सोवियत संघ का सरकारी दृष्टिकोण श्री जवाहर लाल नेहरू के प्रति बदलने लगा, इराका श्री राजेश्वर राव, श्री एस० ए० डॉंगे, श्री पी० सी० जोशी एवं श्री अजय घोष ने स्वागत किया और कहा कि साम्यवादी दल 'संवैधानिक साम्यवाद' का स्वागत करेगा।¹ प्रथम लोक सभा के आम चुनाव में कांग्रेस के बाद इसी दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुये और इसे अखिल भारतीय दल घोषित किया गया।

1957 के दूसरे आम चुनाव में साम्यवादी दल की शक्ति में वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में यह मुख्य विरोधी दल के रूप में उदित हुआ। केरल में तो साम्यवादी दल सत्ता रूढ़ भी हुआ और ई० एम० एस० नम्बूद्रीपाद के नेतृत्व में लोकतान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार सत्ता रूढ़ हुयी। विश्व के इतिहास में पहली बार चुनाव के माध्यम से साम्यवादियों को सत्ता में आने का पहला मौका था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रैल 1958 के अमृतसर के विशेष अधिवेशन में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में सम्मानजनक परिवर्तन किया और यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि 'कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा पूर्ण प्रजातन्त्र एवं समाजवाद लाने के लिये प्रतिबद्ध है। इसके लिये शक्तिशाली जन आन्दोलन का विकास किया जायेगा। यह कार्य ससद में बहुमत प्राप्त करके तथा जनता की स्वीकृति में किया जायेगा।'²

साम्यवादी दल की बदलती हुयी नीतियों के कारण दल में आन्तरिक मतभेद बढ़ रहा था, और उसका दक्षिण पक्ष की ओर यह झुकाव दल के कट्टर वामपथियों को असहनीय हो रहा था। परन्तु 1962 में हुये चुनाव के कारण मतभेदों को दबा दिया गया। 1962 के आम चुनाव में एक बार पुनः साम्यवादी दल कांग्रेस के बाद सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। इसमें आन्तरिक झगड़ा कम नहीं हुआ और 1962 में 'सन्तुलनवादी', अजय घोष की मृत्यु हो गयी। इसी बीच सोवियत संघ तथा चीन के बीच फूट और 1962 में भारत-चीन सीमा विवाद आदि मतभेदों को बढ़ावा दिया।³ भारत-चीन सीमा युद्ध के प्रति साम्यवादी दल का दृष्टिकोण मिश्रित था। दल के कुछ नेता जैसे— एस० ए० डॉंगे, एस० एन० गोविन्द, नैथ्यर, जेड० ए० अहमद आदि ने नेहरू सरकार के दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन किया और सभी वर्गों के लोगों का आह्वान किया कि वे चीन के आक्रमण के विरुद्ध एक होकर मातृभूमि की रक्षा करें।⁴ श्री ज्योति बसु, पी० सुन्दरैया, श्री हरकिशन सिंह सुरजीत और श्री भूपेश गुप्त जैसे वामपन्थियों ने यह मानने से इन्कार कर दिया कि चीन ने आक्रमण किया है। इन लोगों ने दलीय सचिवालय से त्याग पत्र भी दे दिया।

अप्रैल 1964 दल की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री एस० ए० डॉंगे का पत्र-प्रकरण⁵ उठाया गया और

-
1. जेन डी० ओवरस्ट्रीट एण्ड मार्शल विडमिलर— 'कम्युनिस्ट इन इण्डिया' बर्कले 1956, पृ० 309।
 2. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया का सविधान (अप्रैल 1958 की अमृतसर 'पार्टी कांग्रेस' के बाद), नई दिल्ली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया, 1958, पृ० 4।
 3. हैरी जेलमैन "दि कम्युनिस्ट पार्टी बिटु इन मास्को एण्ड पेकिंग, प्राब्लम ऑफ कम्युनिज्म", वाशिंगटन, नवम्बर-दिसम्बर 1962, पृ० 18।
 4. सी० पी० आई० की राष्ट्रीय परिषद का प्रस्ताव, 31 अक्टूबर एवं नवम्बर 1962।
 5. बैठक में दल के वामपथी गुटों ने चेररमैन श्री डॉंगे के उस तथाकथित पत्र का प्रकरण उठाया, जो डॉंगे ने 1924 में तत्कालीन गवर्नर

वामपंथी गुट ने श्री डांगे से त्यागपत्र की मांग की डांगे द्वारा त्यागपत्र देने से इकार करने पर दल के कतिपय प्रमुख सदस्य जैसे सुन्दरैया, श्री ज्योतिबसु, श्री ए. के. गोपालन, श्री नम्बूद्रीपाद, श्री भूपेश गुप्ता एव श्री प्रमोद दास गुप्ता इत्यादि दल से अलग हो गये। इस गुट ने श्री गोपालन के नेतृत्व में नये दल-कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) [सी० पी० आई० (एम०)] का गठन किया। इस विभाजन से भारतीय साम्यवादी आन्दोलन के महारी ठेस लगी।

1967 के चतुर्थ आम चुनाव दोनो साम्यवादी दलो ने लड़े। केरल और पश्चिम बंगाल में इन्होंने अन्य गैर कांग्रेसी दलो के साथ मिलकर 'सविद सरकार' बनायी। पुन सी० पी० आई० (एम०) में इस कारण फूट पड गयी क्योंकि सी० पी० आई० (एम०) के अनेक लोग इस प्रकार की 'मिली जुली सरकारो' में सम्मिलित होने के पक्ष में नहीं थे। इन लोगो ने मई 1969 में श्री मजूमदार और श्री कानू सन्याल के नेतृत्व में नई पार्टी बनायी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनलिस्ट) (सी० पी० आई० (एम० एल०)) कहा गया। सी० पी० आई० (एम० एल०) माओ के दर्शन एव पद्धति से प्रभावित थी। इन्हे सामान्यत नक्सलवादी कहा जाता हे। आंध्र प्रदेश के नक्सलवादी गुट ने श्री चारू मजूमदार पर 'माओ-दर्शन' को विकृत करने का आरोप लगाया और श्री नागी रेड्डी एव श्री असित सेन (बंगाल का एक गुट) के नेतृत्व में चौथी साम्यवादी पार्टी - सी० पी० आई० (एम० एल०) बनायी, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सत्ता की प्राप्ति थी।¹ चुनाव एव ससदीय सरकार में सी० पी० आई० (एम० एल०) की आस्था नहीं है।

सी० पी० आई० (एम०) का झुकाव सोवियत संघ की अपेक्षा चीन की ओर अधिक था और यह भारतीय साम्यवादी दल की अपेक्षा अधिक क्रांतिकारी प्रवृत्तियों पर विश्वास करती है, लेकिन इसका चुनाव एव ससदीय सरकार में विश्वास है। 1967 में लोकसभा में इस दल को 19 स्थान मिले जबकि 1971 के लोक सभायी चुनाव में इस दल की स्थिति में सुधार हुआ और इसे 25 स्थान प्राप्त यह कांग्रेस के बाद लोक सभा में सब से बड़ा दल था। इस दल का प्रभाव केरल एव पश्चिमी बंगाल में अधिक रहा।

1964 में विभाजन के बाद सी० पी० आई० को 1967 के चतुर्थ आम चुनाव में पहले की अपेक्षा 6 स्थान कम प्राप्त हुये। 1971 के चुनाव में 1962 के बराबर अर्थात् 23 स्थान प्राप्त हुय (देखे सारणी सख्या 1, 2, एवं 3) 1972 और 1974 के विधान सभायी चुनावो में इसकी स्थिति सन्तोष जनक रही। विभाजन के बाद इसका वैचारिक दृष्टिकोण अधिकाधिक सोवियत संघ के निकट रहा और उसी के प्रभाव के कारण इसने सत्ता-कांग्रेस के साथ न केवल सहयोग की नीति अपनायी बल्कि चुनाव गठबन्धन भी किया। इसकी चरम परिणति इस बात में हुई कि उसने 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आरोपित आपात स्थिति का समर्थन किया।

सन् 1976 तक दोनो प्रमुख साम्यवादी दल - सी० पी० आई० एव सी० पी० आई० (एम०) विभिन्न राजनीति युद्धो पर विभाजित रहे। सी० पी० आई० (एम०) तुलनात्मक दृष्टि से क्रांतिकारी परम्पराओं पर अपनी आस्था व्यक्त

जनरल को ब्रिटिश शासक के साथ सहयोग के आश्वासन के बदले में अपने रिहाई के लिये जेल से लिखे थे। श्री डांगे ने इसे नेतृत्व को बदनाम करने के लिये जान बूझकर की गयी, जालसाजी कहा।

1 एम० एन० सदाशिवन "पार्टी एण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया," पूर्वोक्त, पृ० 179-180।

करती है और सी० पी० आई० पर 'नितान्त सशोधन वादी' होने का आरोप लगाती है। 1971 तक के प्रथम पाचो आम चुनावो मे साम्यवादी दल एव दलो ने अकेले या सामूहिक रूप से (1967 को छोड़कर) लोकसभा में सर्वाधिक स्थान प्राप्त किये। लेकिन, इन्होंने कभी भी अन्य वामपथी एव समाजवादी दलो एव गुटो को एक मंच मे लाकर कांग्रेस का 'राष्ट्रीय वामपथी विकल्प' तैयार करने का व्यापक प्रयास नहीं किया।

दक्षिण पन्थी दल

जनता पार्टी के गठन मे दक्षिणपथी एव मध्यमार्गी दलो ने प्रमुख भूमिका निभायी। इसमे प्रमुख दक्षिण पथी दल, जनसघ, स्वतन्त्र पार्टी एव सगठन कांग्रेस थे। जबकि मध्यमार्गी दलो मे भारतीय क्रांति दल एव भारतीय लोकदल उल्लेखनीय है। अपने विकास के विभिन्न चरणो मे इन सभी दलो का विलय जनता पार्टी मे हुआ। सगठन कांग्रेस के गठन, विकास और जनता पार्टी मे विलय का वर्णन किया जा चुका है। प्रासांगिकता के आधार पर भारतीय क्रांति दल और भारतीय लोक दल के उद्भव, विकास एव जनता पार्टी मे विलय का इतिहास अगले अध्याय (अध्याय 2 के उपभाग 4) मे वर्णित है। यहाँ केवल स्वतन्त्र पार्टी एव भारतीय जन सघ की जनता पार्टी तक विकास यात्रा का विवरण दिया गया है।

स्वतन्त्र पार्टी

स्वतन्त्र पार्टी की स्थापना जून 1959 मे 'भारत को वामपथ की ओर ले जाने से बचाने तथा राज्यवाद की विचारधारा के विरुद्ध खेत और परिवार की रक्षा' के लिये की गयी थी। इसके सस्थापको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, (जो कि दल के दिशा निर्देशक थे), और श्री वी० पी० मेनन (जो राज्य की एकीकरण प्रक्रिया मे सरदार पटेल के सहायक रहे थे) जैसे अनुदारवादी, और श्री एन० जी० रंगा जैसे उदारवादी (जो 1930 के दशक मे कांग्रेस कृषक आन्दोलन के नेता थे) तथा श्री एम० आर० मसानी (जिन्होंने अपने प्रारम्भिक समाजवादी झुकाव से हटकर स्वतन्त्र उद्यमों के पक्ष मे अपना मत व्यक्त किया था) आदि व्यक्ति थे। दल का घोषित मिशन देश मे 'धर्म की पुर्नस्थापना' भी था।¹

इस दल के निर्माण मे धनी जमीदारो के सगठन 'अखिल भारतीय कृषक सघ' और बडे उद्यमियो के सघ 'फोरम ऑफ फ्री इन्टर प्राइसेज' की सक्रिय भूमिका थी। इसलिये स्वतन्त्र पार्टी को इन सगठनो की राजनीतिक शाखा के रूप मे देखा गया।² चूँकि इस दल को व्यापारिक समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रो के परम्परागत गढो से समर्थन प्राप्त होता रहा, अत यह प्रतिक्रियावादी दल के रूप मे आरोपित रहा।³ यह दल कांग्रेस की अधिक वामपथी होती जा रही नीतियो का कटु आलोचक था। घरेलू मामलो मे स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्तो की विरोधी थी तथा प्रतिबन्ध से मुक्त व्यवसाय एव सार्वजनिक क्षेत्र के निषेध की योजना पर विश्वास करती थी। यद्यपि स्वतन्त्र पार्टी पूर्ण 'अहस्तक्षेप की नीति' की समर्थक नहीं थी, फिर व्यक्ति को सभी क्षेत्रों मे अधिकाधिक स्वतन्त्रता देना चाहती थी।⁴ विदेश नीति

-
- 1 पी० डी० नन्दन एण्ड एम० एम० थामस (सम्पादित) "प्राब्लम ऑफ इण्डियन डेमोक्रेसी," बंगलोर, क्रिश्चियन इन्स्टीट्यूट फॉर दि स्टडी ऑफ रीलिज़न एण्ड सोसायटी, 1962, पृ० 133।
 2. माइरन वीनर 'पोलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी' बाम्बे, 1963, पृ० 106।
 3. हावर्ड एल० इर्डमैन 'दि स्वतन्त्र पार्टी एण्ड इण्डियन कॉन्जरवेटिज़्म', कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1967, पृ० 257।
 4. मीनू ममानो 'हवाई स्वतन्त्र', बाम्बे, 1967, पृ० 33।

जनसघ की निर्माण पूर्णतः परम्परावादी हिन्दू राष्ट्र के स्थान पर आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में हिन्दू सस्कृति के आधार पर राजनीतिक दल के आवश्यकता पर आधारित था। 'उस सन्दर्भ में जनसघ हिन्दू महासभा और प्रकार के इस अन्य हिन्दू साम्प्रदायिक दलों से इस रूप में भिन्न था कि इसमें मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य संप्रदायों की सदस्यता पर रोक नहीं थी।'¹ दल की विचारधारा के अनुसार हिन्दूपन कोई निश्चित धर्म नहीं अपितु राष्ट्र की व्याख्या है। 'हिन्दू सस्कृति ही भारतीय सस्कृति है।' हिन्दू सस्कृति को मानने वाला और भारत के क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति, जाति, भाषा, वर्ग आदि भिन्नताओं से प्रभावित हुए बिना, इस हिन्दू राष्ट्र का सदस्य है।² इस प्रकार जनसघ ने स्वयं को धर्म निरपेक्षता का समर्थक प्रस्तुत किया (अन्य दलों का धर्म निरपेक्षता के प्रति दूसरा दृष्टिकोण है) जनसघ का हिन्दू राष्ट्रवाद मूल रूप से 'वैदिक हिन्दू सस्कृति' पर आधारित था।

जनसघ ने सभी आम चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1952 के प्रथम आम चुनाव में जनसघ ने 3 प्रतिशत से कुछ अधिक मत प्राप्त हुए और लोक सभा की तीन सीटें जीती तथा एक राष्ट्रीय दल के रूप में, चुनावी उद्देश्यों के लिये मान्यता प्राप्त की, जो 1976 तक बनी रही। 1957 के लोकसभा चुनाव में इसे मात्र 4 स्थान मिले। परन्तु 1962 के आम चुनाव में इसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ इसे लोकसभा में 14 स्थान प्राप्त हुए। 1967 के आम चुनाव में इसे पर्याप्त सफलता मिली इसने लोक सभा में 35 स्थान प्राप्त किये, इस प्रकार स्वतन्त्र पार्टी के बाद लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आयी। राज्य विधान सभाओं के चुनाव में भी इसके स्थिति में सुधार हुआ तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान में तो इसे आशातीत सफलता मिली। 1967 के बाद बनी अनेक राज्यों में गैर-कांग्रेसी सविद सरकारों में जनसघ की प्रभावी भूमिका रही, (देखें; सारणी सख्या 1 एवं 2)।

1968 में जनसघ के सर्वे सर्वा श्री दीन दयाल उपाध्यक्ष की मृत्यु के बाद दल का नेतृत्व श्री अटल बिहारी वाजपेई एवं श्री लालकृष्ण अडवाणी के कुशल हाथों में आया। दल के प्रति इन नेताओं का दृष्टिकोण आपेक्षाकृत व्यावहारिक था जिससे आधुनिक दृष्टिकोण के अनेक नवयुवक जनसघ की ओर आकृष्ट हुये।³ 1971 के मध्यस्थि आम चुनाव में जनसघ ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुये सत्ता का कांग्रेस के विरुद्ध संगठन कांग्रेस, स्वतन्त्र पार्टी एवं ससोपा के साथ चुनावी गठबंधन (सयुक्त मोर्चे बनाया) किया। इस चुनाव में सम्पूर्ण विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा, परन्तु 'सयुक्त मोर्चे' में सबसे अधिक स्थान (22 सीटें) जनसघ को प्राप्त हुए, (देखें सारणी सख्या 3)। फिर भी इसकी शक्ति में काफी हास हुआ। मार्च 1972 के विधान सभा चुनावों में भी जनसघ की स्थिति नाजुक ही रही।

भारतीय जनसघ की एक अनुशासनबद्ध दल के रूप में छवि रही है, लेकिन यह पार्टी भी आन्तरिक मतभेद एवं फूट से नहीं बच पायी, परन्तु जनसघ से अलग हुये गुट इतने शक्ति हीन और अप्रभावी थे, कि वे दल के केन्द्रीय स्वरूप एवं नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सके। सर्वप्रथम नवम्बर 1954 में जनसघ की संस्थापक सदस्य एवं भूतपूर्व अध्यक्ष

1. देखें नारमन डी। पामर "दि इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम", लन्दन, 1961, पृ 210

2. बाल राज मधोक 'हाट भारतीय जनसघ स्टैंड फॉर', अहमदाबाद, 1966, पृ 7

3. प्रो। सुब्रह्मण्यम् स्वामी को दल के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रवक्ता कहा जा सकता था। प्रो। स्वामी वर्तमान समय में जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं।

श्री मौली चन्द्र शर्मा ने जनसंघ की नीतियों पर आर(0) एस(0) एस(0) के अनुचित हस्तक्षेप के विरोध में अपने समर्थकों सहित जनसंघ से त्यागपत्र दे दिया और बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गये।¹ इसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश जनसंघ की राज्य इकाईयों में कुछ मतभेद उभरे, परन्तु इसकी व्यापक अभिव्यक्ति विहार में हुई, जहाँ मई 1972 में श्री कालिका नन्दन के नेतृत्व में एक बड़े गुट ने जनसंघ से अलग होकर नया दल 'राष्ट्रीय जनसंघ' बनाया।²

सन् 1971 में जनसंघ के प्रमुख नेता श्री बालराज मधोक की केन्द्रीय नेतृत्व से मतभेदों की शुरुआत हुयी। श्री मधोक ने जनसंघ के 'सयुक्त मोर्चे' में शामिल होने की नीति की आलोचना की। उनका विचार था कि 'सयुक्त मोर्चे' की राजनीति से पार्टी को लाभ नहीं पहुँचा है, इसके स्थान पर जनसंघ को सगठन कांग्रेस एवं स्वतन्त्र पार्टी के साथ विलय करके एक 'एकीकृत राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक दल' बनाना चाहिये। मार्च 1973 में केन्द्रीय नेतृत्व ने उन्हें दल विरोधी गतिविधियों के लिये पार्टी से निष्कासित कर दिया। अप्रैल 1973 में श्री मधोक ने 'राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक संघ', नामक नये दल का गठन किया। बाद में बिहार के 'राष्ट्रीय जनसंघ' का इसमें विलय हो गया। विपक्षी एकता के राष्ट्रव्यापी अभिगान के दौरान अगस्त 1974 में 'राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक संघ' का विलय भारतीय लोकदल में हो गया। कालान्तर में भारतीय लोकदल एवं भारतीय जनसंघ ने स्वयं को जनता पार्टी में विलीन कर लिया।

1976 तक विरोधी राजनीति: आलोचनात्मक विश्लेषण

भारतीय राजनीति की एक प्रमुख विशेषता रही एक सगठित विरोधी दल का अभाव। स्वतन्त्रता प्राप्ति में योगदान के आधार पर कांग्रेस भारतीय राजनीतिक में छापी रही, अतः कांग्रेस रूपी 'वट-वृक्ष' के नीचे कोई दूसरा दल नहीं पनप सका। किसी भी प्रजातन्त्र की सफलता के लिये एक सगठित विरोधी दल आवश्यक है। सत्तारुढ़ दल को सही मार्ग में रखने का यह एक मात्र साधन होता है। भारत में विभिन्न हितों और सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे-छोटे दल का जनता पर नगण्य प्रभाव रहा। अतः कोई विरोधी दल या सभी विरोधी दल मिलकर सामूहिक रूप से कांग्रेस की शक्ति एवं सगठन को चुनौती नहीं दे पाये, यद्यपि 1967 के चौथे आम चुनावों में 'सविद मन्त्रिमण्डल' की राजनीति को जन्म दिया।

गैर-कांग्रेसी दल के नेता 'सविद सरकार' को अपनी सफलता की कुजी मान कर 1967 के चुनावी नर्ताजों की गलत ध्याख्या के शिकार हुए। सविद सरकार कांग्रेस के विकल्प के रूप में कोई 'जनतावादी' मध्यमथी विकल्प प्रस्तुत करने की जगह जोड़-तोड़ की राजनीति में लिप्त रही। दक्षिण पथ और वामपथ के छोटे-बड़े दलों की सरकारों ने जो अस्थिरता राज्यों को दी, वह जनता के मन में, 'कांग्रेस-विरोध' से सफल बने दलों के प्रति विराक्त पैदा करता गयी। लेकिन इससे बेखबर 'कांग्रेस हटाओं' वाले विरोधी दल 'इंदिरा हटाओं' के दौर में पहुँच गये और अपनी सफलता के विषय में आश्वस्त रहे कि इस नारे के आधार पर उन्होंने 1971 के लोकसभायी चुनाव के लिये गठबन्धन कर डाला। इस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की 'प्रगतिशील' छवि प्रस्तुत करने में सफल हुईं। परिणामतः इंदिरा कांग्रेस ने अपनी शक्ति 1971 के लोकसभा और 1972 के विधान सभा चुनावों में बढ़ाकर विरोधी दलों को सन्देहस्पद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया।

1. एस(0) एन(0) सदाशिवन, पूर्वोक्त पृ(0) 183। स्वतन्त्र पार्टी बनाने के बाद श्री मौली चन्द्र शर्मा स्वतन्त्र पार्टी में शामिल हो गये।

2. एस(0) एन(0) सदाशिवन, पूर्वोक्त पृ(0) 184।

मन् 1973-74 का समय देश और विशेषकर कांग्रेस के लिये कठिनाई का रहा । कांग्रेस के चरित्र और व्यक्तित्व का पतन होने लगा । इस पर आर्थिक सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाने, भ्रष्टाचार को पनपाने तथा गरीबी की खाई बढाने के आरोप लगाये जाने लगे । विरोधी दला ने इस स्थिति का लाभ उठाने को प्रयास किया । इसी समय बिहार एवं गुजरात की सरकारों के विरुद्ध जन आन्दोलनों ने विपक्ष एकता को एक दिशा दी । जिसके फलस्वरूप जून 1975 में गुजरात में विपक्षी 'जनता मोर्चे' की सरकार बनी । संयोग से 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध फैसला दिया, इससे सम्पूर्ण विपक्ष ने सामूहिक रूप से श्रीमती इंदिरा गाँधी से त्यागपत्र की माँग की । 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गाँधी ने आन्तरिक आपात काल की घोषणा करके सम्पूर्ण विपक्ष को जेल में डाल दिया, आपात काल की भयानक रात में लोग विपक्ष को भूल सा गये, परन्तु विपक्षी एकता की कहानी चलती रही, जिसका सुखान्त था- जनता पार्टी का उद्भव ।

द्वितीय - अध्याय

जनता पार्टी का उद्भव : कारण और प्रक्रिया

- (I) बिहार आन्दोलन से आपातस्थिति की घोषणा तक
- (II) आपातस्थिति में राजनीतिक संस्थाएँ
- (III) आपातकाल में भूमिगत आन्दोलन की भूमिका
- (IV) विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प की तलाश

बिहार आन्दोलन से आपाता श्रुति की घोषणा तक

भारत के राजनीतिक क्षितिज में जनता पार्टी का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने स्वाधीनता के बाद लगभग 30 वर्षों से शासन कर रहे कांग्रेस दल को चुनौती दी और 1977 के लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त कर के केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार कायम की। जनता पार्टी का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, इसकी भूमिका वर्षों से सरकार के विरुद्ध प्रदर्शनों जन-आन्दोलनों एवं सार्वजनिक विरोधों के रूप में तैयार हो रही थी। इन आन्दोलनों में गुजरात एवं बिहार के जन-आन्दोलन प्रमुख थे।

हॉस्ट हार्ट मैन ने अपनी पुस्तक 'पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया' यह मत व्यक्त किया है कि 'उद्देश्य के आधार पर आन्दोलन दो प्रकार के होते हैं- (1) ऐसा आन्दोलन जो सरकार से इस्तीफा माँग कर एवं विधायिका भंग करने की माग लेकर सत्ता परिवर्तन की माँग करता है (2) दूसरे अन्य आन्दोलन जिसमें अपनी माँगों के लिये सरकार पर दबाव डाला जाता है। दूसरे प्रकार के आन्दोलन को उसकी माँगों की विवेचना के बाद उचित या अनुचित कहा जा सकता है। परन्तु प्रथम प्रकार के आन्दोलन को उस समय तक पूर्णतया उचित नहीं कहा जा सकता जब तक सरकार बदलने के अन्य विकल्प मौजूद हो।'¹

इस सन्दर्भ में 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' तथा बिहार एवं गुजरात के 'समग्रकान्त्रि' से सम्बन्धित आन्दोलनों का उल्लेख किया जा सकता है। सन् 1942 में भारतीय जनता के समक्ष विदेशी शासन के खत्म करने के लिये आन्दोलन को आलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था जबकि सन् 1950 के बाद सरकार बदलने के लिये नियतकालिक चुनाव की व्यवस्था की गयी है।² अतः बिहार जन-आन्दोलन (1974) को वैधानिक रूप से उतना उचित नहीं ठहराया जा सकता जितना की भारत छोड़ो आन्दोलन को। मई 1974 में स्वयं जय प्रकाश नारायण ने स्वीकार किया कि 'बिहार जन आन्दोलन असवैधानिक है परन्तु अप्रजातान्त्रिक नहीं।'³

राजनीतिक दलों एवं जन-आन्दोलनों में गहरा सम्बन्ध है। कभी-कभी विपक्षी दल अपनी माँगों को लेकर आन्दोलन शुरू करते हैं और यह आन्दोलन व्यापक सहयोग एवं जन-समर्थन के कारण वृहद रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के आन्दोलन में प्रारम्भ से ही राजनीतिक दलों की सक्रिय भूमिका होती है। दूसरे प्रकार के आन्दोलन प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दलों की उदासीनता, निष्क्रियता, तथा जनता एवं शासन के बीच मध्यस्थी भूमिका के ह्रास के कारण जन समुदाय में फैले आक्रोश एवं निराशा से जन्म लेते हैं। ये आन्दोलन प्रारम्भ में राजनीतिक दलों के प्रभाव से परे होते हैं। यहाँ राजनीतिक दल तो आन्दोलन में भाग लेने वालों की माँगों को सगठित एवं शुरू

1. हॉस्ट हार्ट मैन "पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया", पूर्वोक्त, पृ० 218

2. वही पृ० 219

3. मैरी सी० केरास 'ए पोलिटिकल बायोग्राफी इन्दिरा गॉंधी इन दि क्रुसिबल ऑफ लीडरशिप,' जेंको प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, बाम्बे, 1979, पृ० 178

करने के बजाए इन आन्दोलनों में तब भाग लेना शुरू करते हैं जब ये प्रारम्भ हो चुके होते हैं। इनमें राजनीतिक दलों की सक्रिय भूमिका बाद में शुरू होती है सन् 1974 के बिहार का लोकप्रिय जन आंदोलन एवं गुजरात आन्दोलन इस प्रकार के आन्दोलनों के उदाहरण हैं। बिहार तथा गुजरात के आन्दोलनों ने विपक्षों एकता को गति प्रदान की और उन्हें ऐसे मंच में लाकर खड़ा किया जहाँ से नये राजनीतिक दल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सके। अतः इन आन्दोलनों को 'जनता पार्टी' के निर्माण प्रक्रिया की प्रथम सोपान कहा जा सकता है।

जय प्रकाश नारायण का जन-आन्दोलन

कारण सन् 1971 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस की व्यापक सफलता ने पार्टी के आन्तरिक विरोधों की प्रक्रिया को लगभग समाप्त कर दिया था। इसके द्वारा कांग्रेस व्यवस्था में शक्ति के अत्याधिक 'केन्द्रीकरण और प्रभुत्व' की प्रक्रिया का आरम्भ हुआ। निःसन्देह इसकी कुछ प्रवृत्तियों का आर्थिक क्षेत्र की घटनाओं से निकट का सम्बन्ध था। 1970 के दशक के शुरू के वर्षों में यह स्पष्ट होने लगा था कि अर्थ व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वह भारत-पाक युद्ध (1971), लगातार सूखा और सबसे अधिक पेट्रोल की कीमत में वृद्धि¹ के दबाव को सहन कर सकती। इन्हीं तत्वों के कारण समाज में व्यापक असन्तोष एवं निराशा उत्पन्न हो रही थी, विशेष रूप से उन वर्गों में जो बढ़ती हुयी बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी से प्रभावित थे। ग्रामीण क्षेत्रों में असमानतायें दूर करने की विफलता के कारण कृषि के विकास में और भी कमी होती जा रही थी और कृषि उत्पादन में यह गिरावट औद्योगिक विकास में भी धीमापन ला रही थी।² इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था गम्भीर संकट की स्थिति में थी। इस कारण समाज में असन्तोष फैल रहा था जो सरकार के विरुद्ध अनेक प्रकार के आन्दोलनों के रूप में प्रकट हो रहा था। 1970 के दशक में इन आन्दोलनों में प्रमुख 1974 की रेलवे हड़ताल एवं श्री जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन था।

कांग्रेस में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति ने उसके अन्दर के विभिन्न वैचारिक गुटों एवं उससे सम्बन्धित दबाव समूहों की आकांक्षाओं को भी कुचल दिया। इससे आन्तरिक संघर्ष की पृष्ठीभूमि भी तैयार हो रही थी। इसके अलावा विभिन्न दबाव समूहों एवं सगठनों की मागों को प्रति भी कांग्रेस नेतृत्व अत्यन्त निरकुश हो गया था। विभिन्न वर्गों की समस्यायें विभिन्न स्तरों पर सत्ता के केन्द्रीकरण से और भी अधिक प्रबल हो रही थी। शक्ति का केन्द्रीकरण कांग्रेस व्यवस्था की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की उस आरम्भिक राजनीति से प्रस्थान की ओर एक बड़ा कदम था, जिसमें असहमति तथा विभिन्न वर्गों में मतभेद की काफी गुंजाइश थी। इस राजनीतिक केन्द्रीकरण ने समाज के महत्वपूर्ण सगठनों की शक्ति और सत्ता सहयोग प्राप्ति के रास्ते पर रुकावट लगा दी थी। इन विभिन्न सगठनों ने अब अपनी राजनीतिक विरक्ति को विपक्षी दलों (जनसंघ, समाजवादी पार्टी, तथा सगठन कांग्रेस) के माध्यम से गुजरात और बिहार आन्दोलनों द्वारा प्रकट करना आरम्भ किया।³

1. 1971 के अरब इजराइल युद्ध में अरब देशों ने पश्चिमी देशों के प्रति अपनी तेल नीति परिवर्तित करके, खनिज तेल के दाम अत्यधिक बढ़ा दिया। इसका असर भारत तथा अन्य तृतीय विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
2. कृषि विकास के सन्दर्भ में भूमि सुधारों की समस्या और सरकार की तकनीकी नीति इत्यादि के उपयोगी विश्लेषण के लिये देखें, फ्रान्सिस फान्केल "इण्डिया पोलिटिकल इकोनोमी, 1947-77" (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1978) अध्याय 4
3. जान बुड "एकस्ट्रा पार्लियामेन्टरी अपोजिशन इन इण्डिया एन एनैलेसिस ऑफ पापुलिस्ट ऐजिटेशन इन गुजरात एण्ड बिहार",

सन् 1974 के गुजरात और 1974-75 में बिहार आन्दोलनों ने कांग्रेस के नैतिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया। बिहार राज्य की चिर कालीन निर्धनता तथा पिछड़ेपन के अतिरिक्त अत्याधिक मूल्य-वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं की कमी के लिये कांग्रेस शासन को जिम्मेदार ठहराया गया। जबकि लोगों को सामाजिक न्याय और जीवन स्तर की सुधारने की आशाये बंधाई जा रही थी। वास्तव में विभिन्न ग्रामीण वर्गों में धन प्राप्त करने, सरकारी पदों में उपलब्ध विशेषाधिकार प्राप्त करने तथा मित्रों सम्बन्धियों एवं पिछलग्गुओं में नौकरियों और आय सुविधायें बाँटने के लक्ष्यों को लेकर सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने की होड़ लगी हुयी थी।¹ धीरे- धीरे सरकार की क्षमता और राजनीतिक दलों पर से लोगों का विश्वास उठ रहा था। बिहार आन्दोलन में जनता एवं जनता के नेताओं ने आह्वान किया कि यह गम्भीर स्थिति केवल कांग्रेस सरकार को समाप्त करके ही सुधारी जा सकती है इस लिये आन्दोलन की पहली और प्रमुख माँग कांग्रेस सरकार² का त्याग पत्र थी जिसे भ्रष्ट दलीय राजनीति का रूप माना जा रहा था।

बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से आज तक बिहार अर्द्ध-सामान्तावादी राज्य है। यहाँ सरकार वोट की राजनीति के कारण अपने सामान्तावादी गढ़ को नहीं तोड़ना चाहती थी अतः, बिहार की सरकार भ्रष्टता का प्रतीक बन गयी थी। 'यहाँ गरीबों की दासता तुल्य स्थिति, लाखों लोगों की निर्धनता, शिक्षित एवं अशिक्षितों की बेरोजगारी, धनियों द्वारा गरीबों के शोषण, भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद आदि ऐसे कारक³ थे जिन्होंने यूरोप में फ्रांसीसी क्रान्ति की भाँति आन्दोलन की भूमिका तैयार की थी।³ इस निराशा पूर्ण स्थिति में विपक्षी दल भी असहाय हो गये थे। अतः 16 मार्च 1974 को बिहार के छात्रों में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। छात्रों ने 'बिहार छात्र संघर्ष समिति' का गठन किया और 'मूल्यवृद्धि बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार' के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया। उन्होंने जिलाधीशों के कार्यालयों को घेर लिया, जिससे प्रशासनिक कार्यकलाप ठप हो गया। सरकार ने आन्दोलन को कुचलना चाहा और कई स्थानों पर लाठी चार्ज हुआ और पुलिस द्वारा गोलियाँ चलायी गईं।

जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन में भाग लेना 19 मार्च³ को श्री जय प्रकाश नारायण ने इस शर्त पर आन्दोलन का नेतृत्व स्वीकार किया कि आन्दोलनकारी हिंसात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे। श्री जय प्रकाश नारायण, श्रीमती इंदिरा गाँधी सरकार की अप्रजातान्त्रिक नीतियों से काफी असन्तुष्ट थे, अतः जब छात्रों ने उनसे आन्दोलन के नेतृत्व की माँग की तो वह तैयार हो गये। उन्होंने स्वयं कहा था, "मैं पटना, दिल्ली या अन्य जगहों के कुशासन एवं भ्रष्टाचार का मूक दृष्टा नहीं रह सकता। मैंने भ्रष्टाचार, कुशासन, कालाबजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया है तथा शिक्षा तन्त्र में पूर्ण सुधार एवं जनवादी-प्रजातन्त्र (People's Democracy) के लिये संघर्ष

पेसिफिक अफेयर्स, फाल, 1975 डेनियल ग्रेवस "पोलिटिकल मोबिलाइजेशन इन इण्डिया दि फर्स्ट पार्टी सिस्टम" एसियन सर्वे, सितम्बर 1976, रजनी कोठरी, "दि कांग्रेस सिस्टम ऑन ट्रायल" एसियन सर्वे, फरवरी 1967

1 अजीत भट्टाचार्य, "डिस्पेयर एण्ड होप इन बिहार," टाइम्स ऑफ इण्डिया, सितम्बर 17, 1973

2. 1973 में बिहार सरकार की भ्रष्ट राजनीतिक छवि को सुधारने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने कांग्रेसी मुख्य मंत्री श्री केदार पाण्डे से इस्तीफा लेकर श्री अब्दुल गफ्फार को मुख्य मंत्री बनाया। श्री गफ्फार ने अपनी छवि सुधारने के लिये अपने मन्त्रिमण्डल से बहुत से भ्रष्ट मन्त्रियों को हटाकर इनकी संख्या 45 से 13 कर दी। इस परिवर्तन के बाद कुछ असन्तुष्ट विधायक भी बिहार सरकार से इस्तीफे की माँग करने लगे थे।

3 कविता नारवेन "दि ग्रेट बिट्टेयल 1966-1977," पापुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, बाम्बे, 1980, पृ 86

करुगा।”¹ सर्वप्रथम जय प्रकाश नारायण ने छात्रों को मौम्य तरीके से सघर्ष का कार्यक्रम दिया परन्तु जब उन्होंने देखा कि सरकार उनकी माँगों को ठुकरा रही है तो उन्होंने अहिंसात्मक परन्तु बाध्यकारी साधनों का सहारा लिया। 8 मार्च 1974 को उन्होंने पटना सरकार के विरोध में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया। 10 मार्च को जन-सघ, विपक्षी कांग्रेस, सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एव सोशलिस्ट पार्टी ने आन्दोलन में सहयोग देने की घोषणा की।²

विपक्षी दलों एवं अन्य वर्गों द्वारा सहयोग की घोषणा बिहार आन्दोलन के दौरान यह पहला मौका था जब गैर साम्यवादी विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार का सामूहिक रूप से विरोध करने का फैसला किया था श्री जय प्रकाश नारायण की अध्यक्षता में 13-14 अप्रैल 1974 को एक गैर दलीय सगठन ‘नागरिकों के चिये प्रजातंत्र’ (Citizens For Democracy) का गठन किया गया। इस सगठन का कार्य भ्रष्टाचार, जातिवाद एवं साम्प्रदायिकतावाद के खिलाफ सघर्ष करना और नागरिक स्वतन्त्रता एवं न्याय पालिका, प्रेस और समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना था। 24 अप्रैल को ‘छात्र सघर्ष-समिति’ ने श्री जय प्रकाश के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि अब वह असेम्बली को भग कराने एवं गम्फूर मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा लेने के लिये सघर्ष करेगी।

‘यह सामाजिक उथल पुथल केवल छात्र समुदाय तक समिति नहीं थी। बड़े शहरों में सगठित मजदूरों ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किये। देश में ट्रेड यूनियन आन्दोलन विशेषकर 60 के दशक के बाद राजनीतिक नियन्त्रण से स्वतन्त्र हो गया था। अब मजदूर वर्ग-विपक्षी दलों के पीछे सहयोग केलिये नहीं दौड़ते थे। बल्कि विपक्षी दल स्वयं ट्रेड यूनियन के पीछे दौड़ते थे। देश में समाजवाद या साम्यवाद नहीं वरन् अर्थवाद (Economicism) (मजदूर वर्ग के आन्दोलन) का निर्धारक बन गया था। सामाजिक उथल-पुथल एवं राजनीतिक गतिहीनता की स्थिति में ऐसा अर्थवाद जरूरी था।’³ यहाँ भी इन्हीं आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों के कारण ‘छात्र आन्दोलन शीघ्र सभी वर्गों में फैल गया। अमीर, मध्यमवर्ग एवं निर्धन वर्ग तथा लगभग सभी गैर साम्यवादी राजनीतिक दल इसमें शामिल हो गये। यहाँ तक कि कांग्रेस समर्थक समाचार पत्रों ने स्वीकार किया कि यह छात्र आन्दोलन अब जन-आन्दोलन में बदल गया है।’⁴

बिहार विधान सभा भग कराने की माँग के समर्थन में 7 मई को 12 जनसघ और 6 सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों ने अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया। इस प्रक्रिया में विभिन्न दलों के कुछ विधायकों ने इस्तीफा देने से इन्कार भी कर दिया था। यद्यपि 8 जून 1975 तक विभिन्न विपक्षी दलों के 42 विधायकों ने जय प्रकाश आन्दोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया।⁵ साम्यवादी दलों ने श्री जय प्रकाश नारायण की विधान सभा भग कराने की माँग को अनुचित ठहराया और उसके खिलाफ पटना में प्रदर्शन किया।

समानान्तर प्रशासन की घोषणा 16 अक्टूबर 1974 को श्री जय प्रकाश नारायण ने घोषणा की कि यदि

1. देखे कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ 87-88
2. कीसिंग कॉन्टेम्पोरेरी आर्किव्स, फरवरी 17-23, 1975, पृ 26977
3. जे। ए। नैयक “दि ग्रेट जनता रिवोल्यूशन”, एस। चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली- 1977 पृ 0 1
4. कविता नारवेन पूर्वोक्त पृ 89
5. इन विधायकों में 14 जनसघ, 11 सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 8 सोशलिस्ट पार्टी, 6 विपक्षी कांग्रेस, 1 कांग्रेस, 1 भारतीय लोक दल और 1 निर्दलीय विधायक था।

सरकार आन्दोलनकारियों की माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती और गफ्फूर मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा माँगकर 3 दिसम्बर तक विधान सभा भंग नहीं करती तो वह जनता की 'समानान्तर सरकार' का गठन करेगी।¹ नवम्बर 1974 में श्रीमती इंदिरा गाँधी और श्री जय प्रकाश नारायण की वार्ता विफल रही। 4 नवम्बर को श्री जय प्रकाश नारायण ने पटना में एक विशाल प्रदर्शन कराया जिसमें हिंसा भड़क उठी और पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें श्री जय प्रकाश नारायण को भी चोट आयी।

छात्र संघर्ष समिति ने अपना अगला कार्यक्रम प्रशासन को पगु बनाने के लिये शुरू किया। ब्लाक स्तर पर उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से शुरू करके जिलास्तर पर कोर्ट कचहरी एवं अन्य कार्यालयों में अधिकारियों एवं क्लर्कों से आफिस में न जाने का अनुरोध किया। लोगों को बताया गया कि 'वह अपने झगड़ों को कोर्ट और थाने में ले जाने के बजाय स्वयं आपस में समिति बनाकर सुलझा ले। इस तरह एक "समानान्तर प्रशासन" का विकास होगा।' ² जय प्रकाश नारायण ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा था, 'यह सच्चे अर्थों में 'स्वायत्त शासन' एवं 'स्वायत्त प्रबन्ध' कौशल होगा, और एक उदासीन प्रशासन, जो लोगों के लिये अनावश्यक एवं असंगत है, के बदले में होगा।' ³

विपक्षी एकता की शुरुआत 25 नवम्बर 1974 को दिल्ली में गैर साम्यवादी विपक्षी दलों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात 'राष्ट्रीय समन्वय समिति' की स्थापना थी। उस समिति में जनसंघ, संगठन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल (बी० एल० डी०), अकाली दल एवं द्रविण मुनेत्र कड़गम के प्रतिनिधि शामिल थे। 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया' (मार्क्सवादी) ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया और 'राष्ट्रीय समन्वय समिति' को 'प्रतिक्रियावादी दलों का समूह' कहा परन्तु उसने स्पष्ट किया कि वह जय प्रकाश नारायण एवं वामपंथी ताकतों से अपना सम्पर्क बनाये रखेगी। ⁴

यह सम्मेलन 'विपक्षी एकता' के सन्दर्भ में एक सकारात्मक कदम था, लेकिन विपक्षी दलों की एकता की उस समय पुष्टि हुई जब "आन्दोलन ने 21 जनवरी 1975 को अपनी प्रथम चुनावी विजय हासिल की। कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली जबलपुर (म०प्र०) की लोक सभा सीट से कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार की 87,000 मतों से विजय हुई। इस निर्दलीय उम्मीदवार को जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, बी० एल० डी०, कांग्रेस (सं) और सी० पी० आई (एम०) आदि विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था। ⁵ इस चुनाव ने भविष्य में होने वाले द्विपक्षीय मुकाबले में विपक्ष की जीत का संकेत दे दिया था तथा चुनावी समझौते में वामपंथी एवं दक्षिणपंथी ताकतों के दूसरे को कांग्रेस के खिलाफ सहयोग करने को तैयार थी।

जनवरी से अप्रैल 1975 तक श्री जय प्रकाश नारायण ने बिहार आन्दोलन का प्रसार अन्य प्रदेशों में करने के

1. जय प्रकाश नारायण ने यह बात एन० एस० जगन्नाथन (हिन्दुस्तान टाइम्स के उप सम्पादक) से साक्षात्कार के दौरान कही 'ए रिवोल्यूशन इन मे किंग ?', दि हिन्दुस्तान टाइम्स अगस्त 26, 1974
2. वही
3. वही इसके अलावा देखें, उमाशंकर फडनीस "दि गाँधीयन मेनीफेस्टो," दि हिन्दुस्तान टाइम्स, अगस्त 24, 1974
4. कीसिंग कॉन्टेम्पोरेरी आर्किव्स, फरवरी 17-23, 1975, पृ० 26977
5. वही पृ० 26978

लिये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक एव तमिलनाडु का दौरा किया। इन प्रदेशों में इससे विपक्षी एकता को बल तो मिला परन्तु किसी अन्य प्रदेश में वृहद स्तर पर आन्दोलन नहीं फैल सका। इसी समय श्री जय प्रकाश नारायण ने सी० पी० आई०¹ को छोड़कर सभी विपक्ष दलों को कांग्रेस के विरुद्ध 'एक जुट' होने का आह्वान किया।²

श्री जय प्रकाश नारायण का मॉग पत्र इसी भूमिका में श्री जय प्रकाश नारायण एव गैर साम्यवादी विपक्षी दलों के नेताओं ने 6 मार्च 1975 को एक 'मॉग पत्र'³ लेकर दिल्ली प्रस्थान किया और उसे ससद में प्रस्तुत किया उनकी मांगें निम्नलिखित थीं।

1 बिहार और गुजरात की विधान सभाओं में चुनाव कराना।

2 गरीबी का उन्मूलन।

3 चुनाव सुधार एव मतदाताओं को यह अधिकार दिया कि जाय कि वे अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाले।

4 राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण।

5 1971 से लागू बाह्य आपातस्थिति को वापस लेना एव आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 (मीसा) एव भारतीय सुरक्षा अधिनियम (डी०आई० आर०) को रद्द करना।

6 शिक्षा व्यवस्था में सुधार।

7 जनता के सामाजिक एव आर्थिक अधिकारों की रक्षा, मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषि उत्पादों एव औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में न्यायसंगत सन्तुलन, पूर्ण रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, तथा विलासप्रिय वस्तुओं के उत्पादन एव आयात पर रोक लगाना।

जय प्रकाश नारायण ने कई बार स्पष्ट किया था कि 'वह मात्र किसी मन्त्रि मण्डल में बदलाव या विधान सभा के भंग कराने में इच्छुक नहीं है, उनके आन्दोलन एव "समग्रकान्त्रि" का वास्तविक उद्देश्य तो सम्पूर्ण सामाजिक एव आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना एव जनवादी प्रजातन्त्र (People's Democracy) स्थापना के लिये संघर्ष करना है।'⁴

आन्दोलन का व्यापक प्रसार. दिल्ली, कलकत्ता एव दूसरे अन्य स्थानों में प्रदर्शन होने के बावजूद यहाँ आन्दोलन व्यापक रूप धारण न कर सका। परन्तु इस आन्दोलन में केन्द्रीय सरकार को चुनौती देकर इसे राष्ट्रीय रूप

1. सी०पी०आई० कांग्रेस को प्रगतिशील दल मानत हुये उसकी नीतियों का समर्थन कर रही थी। इसने कांग्रेस की नीतियों एव 1975 की आपात स्थिति का समर्थन किया जबकि सी० पी० आई० (एम०) ने इसका विरोध किया।

2. कीसिंग कान्टेम्पोरेरी आर्किव्स, अक्टूबर, 6-12, 1975, पृ०, 27365,

3. वही देखे, दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, मार्च 7, 1975

4. अजीत भट्टाचार्या, "जय प्रकाश नारायण- ए पोलिटिकल बायोग्राफी," विकास पब्लिसिंग हाउस, प्राइवेट लिमिटेड, 1975, पृष्ठ 143-44

देने का प्रयत्न किया गया। इससे देशवासियों को भ्रष्ट, सरकार का विरोध करने की चेतना मिली। इस चेतना ने केवल विपक्षी दलों एवं जन साधारण की ही प्रभावित नहीं किया बल्कि सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं को भी झकझोर दिया। कांग्रेस पार्टी के एक तत्कालीन राज्यमंत्री श्री मोहन धारिया एवं दो अन्य ससद सदस्य श्री चन्द्रशेखर एवं श्री कृष्णकान्त ने खुले रूप से 'जय प्रकाश आन्दोलन' के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और श्रीमती इंदिरा गाँधी को सलाह दी कि वह श्री जय प्रकाश से वार्ता की पहल करें।¹ श्रीमती इंदिरा गाँधी ने श्री मोहन धारिया की सलाह को ठुकरा दिया और 1 मार्च 1975 को पत्र द्वारा श्री मोहन धारिया को सूचित किया कि उनकी श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन सम्बन्धी विचारधारा से कांग्रेस पार्टी एवं सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है अतः उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये। दूसरे दिन श्री मोहन धारिया ने इस्तीफा दे दिया।

उपसंहार यह तथ्य इस बात का संकेत देते हैं कि 'जय प्रकाश-आन्दोलन' को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में दरारे पड़ने लगी थी। इस आन्दोलन ने लोगों को दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक गुट सत्तारूढ़ दल के साथ था और दूसरा गुट वह जो सत्तारूढ़ दल का विरोध कर रहा था श्री जय प्रकाश नारायण ने आन्दोलन का आधार व्यापक बनाने के लिये जनसघ, समाजवादी पार्टी, भारतीय लोक दल, कांग्रेस (स) तथा विभिन्न गाँधीवादी, सगठनों से सहयोग देने का आह्वान किया। श्री जय प्रकाश नारायण ने व्यक्तिगत, जातीय, साम्प्रदायिक गुटों के स्थान पर राजनीतिक एकता एवं सामूहिक कार्यवाही पर जोर दिया। विभिन्न दलों एवं सगठनों की सहमति के आधार पर वह एक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम निर्धारित करने में सफल हुये। इस कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न वर्गों में सहयोग कायम रखा जा सकता था।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि श्री जय प्रकाश नारायण को अधिक सफलता उनके व्यक्तित्व एवं सार्वजनिक जीवन में उनकी ईमानदारी के आधार पर प्राप्त हुई। वस्तुतः वे विपक्षी दलों के सक्रिय नेतृत्व का दायित्व नहीं उठाना चाहते थे परन्तु वे ही समस्त आन्दोलन का केन्द्र, विभिन्न विचार धाराओं, परस्पर विरोधी दलों तथा सगठनों में एकता के प्रतीक थे। अतः विपक्षी एकता का श्रेय, श्री जय प्रकाश नारायण एवं उनके 'समग्र कान्त्रि' के आन्दोलन को है, जिसने गैर साम्यवादी विपक्षी दलों को एक साथ आने का मंच प्रदान किया।² 'जय प्रकाश आन्दोलन' ने बिखरे हुये विरोधी दलों को नैतिक बल प्रदान किया और दलों को एकता के लिये आवश्यक आधार प्रदान किया।

गुजरात मोर्चा का गठन एवं प्रभाव

बिहार आन्दोलन ने तो राजनीतिक दलों को राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय किया, उन्हें एक सगठित आन्दोलन की शुरुआत करने का अवसर दिया परन्तु गुजरात आन्दोलन एवं गुजरात मार्च का निर्माण वास्तव में जनता पार्टी के उदय का पूर्वाभिनय था। कांग्रेस सरकार के विरुद्ध असन्तोष की स्थिति का फायदा उठाते हुये विरोधी दलों ने कन्धे से कंधा मिलाकर गुजरात में 1975 के विधान सभा चुनाव में विजय हासिल की अतः "जय प्रकाश आन्दोलन की तरह गुजरात में 'जनता मार्च' का निर्माण 'जनता पार्टी के उदय' के लिये सहायक हुआ। यदि गुजरात सरकार अपने इस

-
1. श्री मोहन धारिया, श्री चन्द्रशेखर, श्री रामधन, श्री कृष्णकान्त एवं सुश्री लक्ष्मीकातम्मा कांग्रेस के अन्दर 'यग तुर्क' के नाम से जाने जाते थे। वे उग्र आर्थिक नीतियों के समर्थक थे।
 2. जे। ए। नैयक "पूर्वोक्त, पृ० 6

परिक्षण में असफल हो जाती तो 'जनता पार्टी' की निर्माण की प्रक्रिया को बहुत बड़ा धक्का लगता।”¹

कारण बिहार आन्दोलन के पहले ही गुजरात में मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार एवं खाद्य पदार्थों की कमी के विरोध में एक आन्दोलन शुरू हो गया था। गुजरात में खाद्यान्न बाहरी प्रदेश से मगाना पड़ना था तथा 1973 में केन्द्र सरकार ने इसकी आपूर्ति में कटौती कर दी इसी समय बाजार में तेल, सब्जी, घी, केरोसीन एवं अन्य आवश्यक उपयोग की वस्तुओं की अत्यन्त कमी हो गयी जिससे मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय, ग्रामीण एवं शहरी सभी लोग अत्यन्त प्रभावित हुये। आश्चर्य की बात यह थी कि बड़े और धनी किसान भी इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। उन्होंने इस आन्दोलन का उपयोग भूमि का अधिकतम सीमा एवं धान की उगाही समाप्त करने के लिये किया।² गुजरात 'खेदुत समाज' जो इस आन्दोलन का अगुआ था, ने प्रमुख रूप से आर्थिक माँगों को पेश करने के लिये सत्याग्रह एवं प्रदर्शन आयोजित किये।

विभिन्न वर्गों की आन्दोलन में भागीदारी इस आन्दोलन ने अन्य वर्गों को भी प्रभावित किया जिसमें विद्यार्थी, तेल के व्यापारी एवं दूकानदार शामिल थे। विद्यार्थी समुदाय में निराशा फैली हुयी थी क्योंकि मूल्य वृद्धि, राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं शिक्षा सस्थाओं को दोषपूर्ण प्रक्रिया से उनका भविष्य खतरे में पड़ गया। राज्य सरकार ने दिसम्बर 1973 में अहमदाबाद इंजीनियरिंग कालेज छात्रावास के मेस का बिल 85 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 120 रु० कर दिया। 'छात्र एवं उनके अभिभावक पहले से ही राज्य में मूल्य वृद्धि के कारण आर्थिक तंगी में थे, इस घटनाक्रम ने अग्नि में घी का कार्य किया।'³ बाद में सर्वोदयी नेता श्री जय प्रकाश नारायण ने बिहार आन्दोलन का सक्रिय नेतृत्व किया एवं गुजरात आन्दोलन का समर्थन किया। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से आग्रह किया कि पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए आपस में मिलकर कांग्रेस का 'सशक्त राष्ट्रीय विकल्प' तैयार करें। विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग के कारण बिहार एवं गुजरात आन्दोलन सफल रहे। सीमित अर्थों में विपक्षी एकता परिणति गुजरात में जनता मोर्चे की सरकार का गठन था। अतः जनता पार्टी के गठन में गुजरात जनता मोर्चे के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस पृष्ठभूमि में संघर्ष को सुचारु रूप से चलाने के लिये 'नव निर्माण युवक समिति' एवं 'छात्र समिति' का गठन किया गया, एवं 10 जनवरी को 'अहमदाबाद बन्द' का आह्वान किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सगठन कांग्रेस जनसंघ एवं कई गैर राजनीतिक सस्थाओं के समर्थन के कारण आन्दोलन ने व्यापक रूप धारण किया। आन्दोलनकारियों ने सर्वोदयी नेता श्री जय प्रकाश नारायण से आन्दोलन के नेतृत्व की मांग की। श्री जय प्रकाश नारायण ने कुछ कारणों से नेतृत्व का भार उठाने में असमर्थता दिखाई, परन्तु पूर्ण समर्थन एवं दिशा निर्देश देने का आश्वासन दिया।

आन्दोलनकारियों ने आन्दोलन को पूरे राज्य में फैला दिया, श्री जय प्रकाश जी के समर्थन के कारण आन्दोलन

-
1. जे। ए। नैयक पूर्वोक्त पृ० 38
 2. घनश्याम शाह "दि 1976 गुजरात असेम्बली इलेक्शन इन इण्डिया" एसियन सर्वे, मार्च 1976, डान जोन्स ऐण्ड रेडनी जोम्स, "अरबन अपहिबल इन इण्डिया दि 1974 नव निर्माण राईट इन गुजरात" एसियन सर्वे, नवम्बर 1971
 3. कविता नारवेन पूर्वोक्त पृ० 81

मे एक नयी चेतना आ गई। उन्होंने पूरे राज्य में प्रदर्शन किये, जलूस निकाले तथा श्रीमती इंदिरा गाँधी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं के पुतले जलाये। छात्रों ने मन्त्रियों को खून की बोतले भेंट की जो इस बात का प्रतीक थी कि वे अपना संघर्ष खून कर आखिरी बूँद तक जारी रखेंगे। 'यह आन्दोलन उस समय ज्यादा तेज हो गया जब पुलिस ने छात्रों को पीटा। इसके विरोध में प्रोफेसरो ने अपने इस्तीफे दे दिये, वकीलो ने कोर्ट का बहिष्कार किया और बैंक, जीवन बीमा निगम एवं अन्य राजकीय कर्मचारियों ने एक दिन का आकस्मिक अवकाश ले लिया।'¹ आन्दोलनकारियों ने राज्य की बिगड़ती हुई राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के लिये कांग्रेस नेतृत्व को दोषी ठहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल² से इस्तीफे की मांग की तथा कांग्रेस हाई कमान पर दबाव डाला कि वह गुजरात विधान सभाको भंग करके नये चुनाव कराये।

मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र इस आन्दोलन के कारण सत्तारूढ़ पार्टी के अन्दर भी दरारे पड़ने लगी। गुजरात राज्य सरकार के 4 मन्त्रियों³ ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया था, कि 'गुजरात की जनता को यह विश्वास हो गया है कि राज्य सरकार में कई भ्रष्ट मन्त्री हैं और आप (मुख्यमंत्री) उन्हें सरक्षण दे रहे हैं एवं उनका नेतृत्व कर रहे हैं।'⁴ मुख्य मन्त्री ने इन चारों मन्त्रियों को बरखास्त कर दिया। इन मन्त्रियों की बरखास्तगी ने कांग्रेसी पार्टी के आन्तरिक गुटबन्दी को काफी बढ़ा दिया। इन पदच्युत मन्त्रियों ने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुये उनसे इस्तीफे की मांग की जबकि मुख्य मन्त्री चिमनभाई पटेल ने कहा इन्हीं मन्त्रियों के कारण गुजरात की स्थिति बिगड़ी है एवं यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को धक्का लगा है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी एवं गुजरात सरकार की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुँचाई है। परन्तु पार्टी के अन्दर एवं अन्य बाहरी दबाव के कारण मुख्यमंत्री श्री चिमन भाई पटेल ने 9 फरवरी 1974 को स्वयं इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा तुरन्त स्वीकार कर लिया एवं राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। केन्द्र सरकार 'गुजरात राज्य की स्थिति पर नजर रखे हुये थी' तथा राज्य मन्त्रिमण्डल के सभी घटना क्रम केन्द्र के इशारे पर हो रहे थे। अतः स्थिति की समीक्षा करने के लिये 'केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल' की एक आपात-कालीन बैठक हुई जिमें राष्ट्रपति को गुजरात में 'राष्ट्रपति शासन' लागू करने की सलाह दी गयी।⁵ अतः उसी दिन, 9 फरवरी 1974, से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। विधान सभा को भंग नहीं किया गया, परन्तु निलम्बित कर दिया गया। इससे आन्दोलन-कारियों एवं अन्य राजनीतिक वृत्तों में खुशी फैलकर दौड़ गयी।

1 वही पृ० 83

2 1972 में गुजरात विधान सभा के चुनाव सम्पन्न हुये। विजयी कांग्रेस पार्टी में तीन नेता-श्री कान्ति लाल धिया, श्री चिमन भाई पटेल एवं श्री रातुभाई अदनी मुख्य मन्त्री पद के दावेदार थे। परन्तु पार्टी के आन्तरिक असन्तोष और गुटबन्दी को कम करने के लिये श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने श्री घनश्याम ओजा को गुजरात का मुख्य मन्त्री बनाया। राज्य के कई कांग्रेसी नेताओं को हाईकमान का यह निर्णय पसन्द नहीं आया और पार्टी के अन्दर शक्ति-संघर्ष शुरू हो गया। इसी संघर्ष एवं गुटबन्दी के कारण 1973 में घनश्याम ओजा ने इस्तीफा दे दिया और चिमनभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने।

3. इन चार मन्त्रियों में तीन मन्त्री डा० अमूल देसाई, श्री दिव्यकान्त नानावती एवं श्री अमर सिंह चौधरी कबिनेट स्तर के थे एवं श्री नवीन चन्द्र रवानी उपमन्त्री थे।

4. देखें, कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ० 83

5. हॉस्ट हार्टमैन पूर्वोक्त पृ० 219

विधान सभा भग करने की घोषणा कांग्रेसी एव विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री श्री चिमनभाई पटेल के इस्तीफे का स्वागत किया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री जिनाभाई दार्जी ने कहा 'अतगतोत्वा उन्हें (मुख्यमंत्री) जनता की इच्छाओं के सामने झुकना पडा।' कांग्रेस के असन्तुष्ट नेता डा० अमूल देसाई ने 'नव निर्माण युवक समिति' एव शिक्षकों को उनकी सफलता के लिये बधाई दी। छात्रों ने नये उत्साह के साथ विधान सभा भग कराने के लिये अपना सघर्ष जारी रखा। उन्होंने बहुत से विधायकों को इस्तीफे के लिये राजी कर लिया तथा 95 विधायकों ने अपने इस्तीफे दे दिये। इस घटनाक्रम के बाद केन्द्र सरकार पर पार्टी के अन्दर से भी दबाव पडने लगा यहाँ तक की श्री चिमन भाई पटेल ने भी विधान सभा भग, करने की माग की समर्थन किया 'जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने यह महसूस किया कि जनमत का विरोध करना लाभदायक नहीं है, तो 16 मार्च 1974 को विधान सभा भग करने की घोषणा कर दी गयी।' ¹

गुजरात के विधान सभा चुनाव मार्च 1974 में विधान सभा भग होने के बाद आन्दोलन में थोड़ी शिथिलता आ गयी, परन्तु आन्दोलन वापस नहीं लिया गया। सन् 1975 के शुरु के महीनों में आन्दोलन ने एक बार फिर जोर पकड़ा और छात्रों एव विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति शासन को खत्म करके, राज्य में नये चुनाव कराने की माँग को दोहराया जिससे राज्य में सर्वैधानिक सरकार कायम हो सके। सगठन कांग्रेस के नेता श्री मोरार जी देसाई ने प्रदेश में चुनाव कराने की माग को लेकर 7 अप्रैल से 'आमरण अनशन' शुरु कर दिया। 'आमरण अनशन' गाँधीवादी सत्याग्रह पद्धति है जिससे जनतन्त्र को गतिशील बनाकर एव सरकार पर दबाव डालकर अपनी माँगों को मनवाया जाता है। यह दबाव डालने का शान्तिपूर्ण परन्तु सीधा तरीका है। ² साधारणतया इससे किसी भी प्रजातान्त्रिक देश की सरकार पर इतना दबाव पड जाता है कि वह जनमत के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य हो जाती है।

इसी बीच इसी माग को लेकर 'जय प्रकाश आन्दोलन' को समर्थन देने वाले सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर सघर्ष छेड़ने का फैसला किया। अन्त में सरकार आन्दोलनकारियों एव मोरारजी देसाई के अनशन के आगे झुक गयी और उसने जून के आरम्भमें गुजरात विधान सभा के चुनाव कराने की घोषणा की श्री मोरारजी देसाई को अपने एक पत्र में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने लिखा कि 'यद्यपि इस विधान सभा चुनाव से गुजरात में सूखा राहत कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा, क्योंकि बहुत से सरकार कर्मचारी चुनाव में व्यस्त हो जायेंगे, परन्तु इस समय आप का जीवन खतरे में है। अतः मैं और मेरे सहयोगी यह नहीं चाहते कि एक उच्चकोटि के स्वतन्त्रता सेनानी का बहुमूल्य जीवन बलिदान हो जाय। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ और विधान सभा के चुनाव 7 जून के आस पास कराये जायेंगे।' ³

गुजरात की चुनावी गणनीति केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में चुनाव कराये जाने की घोषणा ने विपक्षी दलों को एक नयी दिशा प्रदान की। विगत दो वर्षों में गुजरात एव बिहार के छात्र आन्दोलन के दौरान सभी गैर साम्यवादी विपक्षी दलों ने आपसी एकता के सकेत दिये थे। इसमें श्री जय प्रकाश नारायण ने विपक्षी दलों का नेतृत्व

-
1. कविता नारवेन पूर्वोक्त पृ० 84
 2. होस्ट हार्टमैन पूर्वोक्त पृ० 220
 3. देखे, कीसिंगस कान्टेम्पोरेरी आर्किव्स अक्टूबर 6-12, 1975, पृ० 27366

तो नहीं किया था परन्तु विपक्षी एकता के प्रतीक बन गये थे। श्री जय प्रकाश नारायण ने बिखरे हुये विपक्ष को एकता के लिये नैतिक बल प्रदान किया था। अतः गुजरात विधान सभा के चुनाव में विपक्षी दलों को पहली बार अपनी एकता दिखाने का मौका मिला, इसलिये विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दलों ने 'एक कार्यक्रम एव एक ही मंच' से चुनाव लड़ने का फैसला किया इस नये मंच या गठबन्धन का नाम 'जनता मोर्चा' रखा गया, 'जिसे जनता पार्टी का अग्रदूत कहा जा सकता है। विपक्षी दलों ने ऐसा विश्वास व्यक्त किया कि "गुजरात चुनाव में विपक्षी दलों की राष्ट्रीय स्तर की ऐसी, भागीदारी ने भविष्य में प्रस्तावित 'संघीय पार्टी' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है, तथा इससे दूसरे राष्ट्रीय उद्देश्य की भी पूर्ति होगी,'।¹ औपचारिक रूप से 'जनता मोर्चा' के निर्माण के पूर्व श्री अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था कि 'आने वाले लोक सभा चुनाव के लिये सगठन कांग्रेस, भारतीय लोकदल, जनसंघ एव सोशलिस्ट पार्टी ने 'एक चुनाव चिन्ह एव समान कार्यक्रम' अपनाने का फैसला किया है तथा गठबन्धन के बाद ये सभी राजनीतिक दल, एक संघीय पार्टी, जो कांग्रेस का सशक्त विकल्प होगी, का निर्माण करेगी।'²

जनता मोर्चे का निर्माण 'जनता-मोर्चा' पाँच राजनीतिक दलों-सगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी एव एक स्थानीय सगठन, नेशनल लेबर पार्टी का गठबन्धन था। रिपब्लिकन पार्टी एव मुस्लिम लीग प्रारम्भ में 'जनता मोर्चे' में शामिल थे, परन्तु सीटों के आबटन के प्रश्न पर इन दोनों दलों का 'जनता मोर्चे' से मतभेद हो गया एव ये दल अलग हो गये। 'जनता मोर्चे' ने अपने घोषणा पत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने, नशाबन्दी लागू करने, छुआछूत उन्मूलन एव साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने जैसे गाँधीवादी सिद्धान्तों का उल्लेख किया था।'³ इस घोषणा द्वारा विभिन्न विचार धारा वाले राजनीतिक दलों ने एक सामान्य राजनीतिक, सामाजिक एव आर्थिक कार्यक्रम स्वीकार करके विपक्षी एकता की पुष्टि की थी

'जनता मोर्चे' के गठन एव उसके चुनावी घोषणा पत्र ने गुजरात की जनता को राहत दी, क्योंकि वह (जनता) कांग्रेस के शासन में मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार एव प्रदेश में खाद्यान्नों के कमी के कारण कराह रही थी। इसके अलावा 'गुजरात जन- आन्दोलन' के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण समाज के सभी वर्गों-शिक्षक विद्यार्थी, वकील, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी एव अन्य मध्यमवर्गीय लोगों का सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार से मोहभंग हो गया था। उन्हें सरकार के किसी भी आश्वासन पर विश्वास नहीं रह गया था तथा उसकी समस्त आशाएँ विपक्ष पर टिकी थी। ऐसी परिस्थितियों में जन-साधारण यह विश्वास हो गया था कि 'जनता मोर्चे' उन सभी कमियों एव अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास करेगा, जिसके लिये उन्होंने दो वर्षों से अधिक समय तक संघर्ष किया था, इस प्रकार 'संयुक्त विपक्ष' जनता की भावना के अनुरूप 'कांग्रेस के विकल्प' की रूप में उभरा था।

गुजरात चुनाव : गुजरात विधान सभा के चुनाव 8 एव 11 जून 1975 को सम्पन्न हुये। वस्तुतः गुजरात का चुनाव तीन राजनीतिक शक्तियों एव तीन राजनीतिक व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमता रहा। ये तीन राजनीतिक शक्तियाँ थीं कांग्रेस, 'जनता मोर्चे' एव 'किसान मजदूर लोकपक्ष'⁴ तथा तीन राजनीतिक व्यक्ति थे- श्रीमती इंदिरा गाँधी, श्री

1. जे0 ए0 नैयक पूर्वोक्त पृ0 37

2. कीसिंगसू कान्टेम्पोरेरी आर्किव्स अक्टूबर, 6-12, 1975, पृ0 27366

3. वही

4. किसान मजदूर लोकपक्ष का गठन भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री चिमन भाई पटेल ने किया था। सन् 1974 में इन्हें पार्टी विरोधी

मोरारजी देसाई एव श्री चिमन भाई पटेल । श्री मोरार जी देसाई की सगठन कांग्रेस 'जनता मोर्चे' की मुख्य घटक एव शक्ति थी । मोर्चे के अन्य दलों की सामूहिक शक्ति भी सगठन कांग्रेस से कम थी, परन्तु मोर्चे का दूसरा महत्वपूर्ण घटक जनसघ थी । श्री जय प्रकाश नारायण, जिन्हें 'सयुक्त विपक्ष' ने विपक्षी एकता के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था, ने जनता मोर्चे के लिये चुनावी दौरे किये । उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे निरकुश कांग्रेस को उखाड़ फेंके और सच्चे जनवादी जनतन्त्र का स्थापना के लिये, 'जनता मोर्चे' को विजयी बनाये

गुजरात चुनाव के दौरान श्रीमती इंदिरा गाँधी की कई जन सभाओं में असन्तुष्ट लोगों ने गडबडी फैलाई जिससे छुट-पुट हिंसात्मक कार्यवाही हुई । यह हिंसात्मक कार्यवाही इस बात का प्रतीक थी कि प्रदेश की जनता सत्तारुढ़ कांग्रेस से अत्यधिक अप्रसन्न थी । अतः गुजरात विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुयी, परन्तु किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका । कांग्रेस दल को 182 सदस्यीय विधान सभा में 75 स्थान मिले । 'जनता मोर्चे' को 86 स्थान मिले, इसने सगठन कांग्रेस को 57, जनसघ को 18, भारतीय लोक दल को 2 एव सोशलिस्ट पार्टी को 2 स्थान मिले, तथा मोर्चे द्वारा समर्थित 6 निर्दलीय एव 1 राष्ट्रीय मजदूर पार्टी का उम्मीदवार ही विजयी हुआ । श्री चिमन भाई पटेल की पार्टी किसान मजदूर लोक पक्ष को 12 स्थान प्राप्त हुये ।

सारणी संख्या 5

गुजरात विधान सभा चुनाव 1975

विभिन्न दलों की स्थिति

दल	जीती गयी सीटों की संख्या	वोटों का प्रतिशत
कुल सीट संख्या	181	
जनता मोर्चा	86	
कांग्रेस (स०)	57	25.18
जनसघ	18	9.49
सोशलिस्ट पार्टी	2	0.74
भारतीय लोकदल	2	1.47
राष्ट्रीय मजदूर पार्टी	1	1.08
निर्दलीय	6	
कांग्रेस	75	39.94
किसान मजदूर लोकपक्ष	12	11.05
सी० पी० आई०	-	0.18
सी० पी० आई० (एम.)	-	0.08
निर्दलीय	8	10.79

गतिविधियों के कारण कांग्रेस से निकाल दिया गया था । इन्होंने एक अलग पार्टी का गठन करके स्वतन्त्र रूप से चुनाव में भाग लिया था । परन्तु इनकी सहानुभूति 'विपक्षी मोर्चे' के साथ थी ।

● कुल स्थान 182 थे परन्तु । विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित हो गया था ।

● ● यह प्रतिशत 56 उम्मीदवार का है ।

● ● ● यह प्रतिशत कुछ 15 निर्दलीय उम्मीदवार का है ।

चुनाव के परिणाम से स्पष्ट था कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त था । 'जनता मोर्चे' ने किसान मजदूर लोकपक्ष की सहायता से सरकार बनायी । लोकपक्ष सरकार में सम्मिलित नहीं हुआ । 18 जून 1975 को मुख्यमंत्री श्री बाबू भाई पटेल ने 18 सदस्यीय 'जनता मोर्चे' के मन्त्रिमण्डल का गठन किया । किसान मजदूर लोक पक्ष के सहायता से सरकार बनने के कारण, सरकार का स्थिति नाजुक हो गयी थी क्योंकि चिमन भाई की लोकपक्ष पार्टी का कोई भी सदस्य सरकार में शामिल नहीं हुआ । अतः वह किसी भी समय सरकार से अपना समर्थन लेकर सरकार गिरा सकता था । परन्तु यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि पहली बार विपक्षी एकता के सन्दर्भ में गुजरात में 'जनता मोर्चे मन्त्रिमण्डल' का गठन हुआ ।

महत्व गुजरात में 'जनता मोर्चा' एक नवीन प्रयोग था । गैर साम्यवादी दलों ने जनता मोर्चे का निर्माण कर सत्ताधारी कांग्रेस का एक राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने की एक जोरदार पहल की । प्रतिपक्षी दलों के सभी नेताओं ने यह उम्मीद की कि गुजरात में जिस मोर्चे का गठन हुआ है वह शीघ्र ही एक महासघीय दल के रूप में बदलेगा और बाद में उस सबका एक दल के रूप में विलय हो जायेगा । भविष्य की 'जनता पार्टी' इसी विकल्प की प्रतिरूप थी । बिहार तथा गुजरात आन्दोलन ने सर्वप्रथम विपक्षी एकता का मार्गदर्शन किया । "फर्रुख में ये आन्दोलन वास्तव में मध्यम वर्गीय थे, जिसमें न तो कोई राष्ट्रीय दल शामिल हुआ था और न ही कोई राष्ट्रीय नेता ।¹ बाद में सर्वोदयी नेता श्री जय प्रकाश नारायण ने बिहार आन्दोलन का सक्रिय नेतृत्व किया एवं गुजरात आन्दोलन का समर्थन किया । उन्होंने सभी विपक्षी दलों से आग्रह किया कि पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए आपस में मिलकर कांग्रेस का 'सशक्त राष्ट्रीय विकल्प' तैयार करें । विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग के कारण बिहार एवं गुजरात आन्दोलन सफल रहे । सीमित अर्थों में विपक्षी एकता परिणति गुजरात में जनता मोर्चे की सरकार का गठन था । अतः जनता पार्टी के गठन में गुजरात जनता मोर्चे के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय एवं प्रभाव

संयुक्त विपक्ष का जून 1975 के गुजरात विधानसभा चुनाव में विजय हासिल कर लेने के कारण उसका हौसला बढ़ा हुआ था । उसने 1976 में होने वाले लोकसभा चुनाव को सामने रख एवं परिस्थितियों को देखते हुए एक गैर कांग्रेसी संगठन के निर्माण की गतिविधियाँ तेजी से आरम्भ की । विरोधी दलों में सहयोग की प्रक्रिया को एक घटना ने और प्रोत्साहित किया । यह घटना थी, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के रायबरेली चुनाव क्षेत्र से चुनाव को अवैध घोषित करने का निर्णय और इसके बाद 24 जून, 1975 को उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती गाँधी को इस निर्णय के विरुद्ध पूर्ण स्थगन (Stay) प्रदान करने से इन्कार करना ।

1 कविता नारवेन पूर्वोक्त पृ० 84

‘विरोधी दलों में इस निर्णय को एक महान उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में तथाकथित कांग्रेस भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके अभियान को जैसे न्यायिक वैधता प्राप्त होगी हो।’¹ इलाहाबाद उच्च-न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय कई कारणों से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। प्रथम इसने कांग्रेस सत्ता के भ्रष्ट चरित्र का पर्दापूँश किया था एवं न्यायिक निष्पक्षता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। द्वितीय इसने बँटे हुए विपक्ष को एकता की दिशा में प्रयास करने का नया आयाम प्रदान किया, जिससे कि वे भविष्य में लोकसभा के चुनावों में जनता के भावनाओं के अनुरूप भ्रष्ट कांग्रेस सरकार का ‘सशक्त राष्ट्रीय विकल्प’ प्रस्तुत कर सकें। अतः श्रीमती इंदिरा गाँधी पर लगाये गये आरोपों के आधार पर इलाहाबाद उच्च-न्यायालय का निर्णय, श्रीमती इंदिरा गाँधी एवं विपक्ष का, इस निर्णय के प्रति दृष्टिकोण, एवं विपक्ष का ‘इन्दिरा हटाओ’ अभियान आदि महत्वपूर्ण बिन्दु है। इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विवेकपूर्ण परीक्षण करके उन परिस्थितियों तक पहुँचा जा सकता है, जिसमें श्रीमती इंदिरा गाँधी ने सभी प्रजातन्त्रिक मूल्यों को ताक में रखकर आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा की।

श्रीमती इंदिरा गाँधी के मामले की पृष्ठभूमि श्रीमती इंदिरा गाँधी मार्च 1971 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदीय निर्वाचन क्षेत्र से सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री राज नारायण को हराकर विजयी हुई।² श्री राज नारायण ने यह आरोप लगाया कि श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है तथा उन्होंने इसके विरुद्ध इलाहाबाद उच्च-न्यायालय में एक याचिका³ दायर की। राज नारायण ने आरोप लगाया कि—

(1) श्रीमती इंदिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री सचिवालय के राज पत्रित अधिकारी श्री यशपाल कपूर से अपने ‘चुनाव-एजेन्ट’ के रूप में सेवाये ली है। ये सेवाये उस समय ली गयी जब श्री कपूर ने अपने पद से त्याग-पत्र नहीं दिया था।⁴

(2) उन्होंने चुनाव सभावनाओं को सफल बनाने के लिये केन्द्र सरकार की सेना की सहयता ली। वायुसेना के विमानों और हेलीकाप्टरों का प्रयोग कर अपने निर्वाचन क्षेत्र की सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित किया।

1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, जून 27, 1975
2. इस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गाँधी को 1,83,109 तथा श्री राज नारायण को 71,499 मत मिले। श्रीमती इंदिरा गाँधी जीती हुयी थी।
3. श्री राज नारायण ने श्रीमती इंदिरा गाँधी के खिलाफ याचिका अप्रैल 1971 में दाखिल की थी, लेकिन कुछ कारणों से मुकदमे में की सुनवाई में विलम्ब हो गया। पहले दो जज, जिन्होंने मुकदमे की सुनवाई शुरू की, वे साक्ष्यों के पूर्ण अभिलेखन के पूर्व ही सेवा निवृत्त हो गये। न्यायमूर्ति श्री जग मोहन लाल सिन्हा इस मुकदमे की सुनवाई करने वाले तीसरे जज थे। उन्होंने 3 सितम्बर 1974 से साक्ष्यों के अभिलेखन की प्रक्रिया पुन आरम्भ की- अन्य विवरण के लिये देखें कीसिंग्स कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स, अक्टूबर 6-12, 1975 पृ 27367
4. 19 मार्च 1975 को श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करते समय कहा कि श्री यशपाल कपूर ने सचिवालय में अपने पद से 13 फरवरी 1971 को त्याग पत्र दे दिया था, तथा 1 फरवरी 1971 को उनकी नियुक्ति में चुनाव एजेन्ट के रूप में हुई। श्रीमती गाँधी ने उपर्युक्त आरोप का खण्डन करते हुये कहा कि 14 जनवरी 1971 से श्री यशपाल कपूर द्वारा चुनाव प्रचार करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 14 जनवरी को मैं इस क्षेत्र से उम्मीदवार ही नहीं थी। श्रीमती गाँधी ने रायबरेली चुनाव क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र 1 फरवरी को भरा था।

(3) उन्होंने और उनके चुनाव अभिकर्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में लगे राजपत्रित आफिसर, रायबरेली के जिलाधिकारी, एस0 पी0 और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव की सेवाये ली ।

(4) श्रीमती इंदिरा गाँधी के चुनाव अभिकर्ता यशपाल कपूर ने और उनके दूसरे एजेन्टों ने श्री यशपाल कपूर की सहमति से कम्बल, रजाई, धोती, शराब एवं रुपये मतदाताओं को बाँटे ।

(5) उन्होंने धार्मिक प्रतीक 'गाय और बिछड़े' का प्रयोग मतदाताओं से चुनावी अपील के लिये किया ।

(6) श्री यशपाल कपूर ने श्रीमती गाँधी की सहमति से मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर लाने के लिये बहुत सी सवारी गाड़ियों का प्रयोग किया ।

(7) उन्होंने विधिविहित रकम से कही अधिक व्यय उपगत या प्राधिकृत किया था । अनुमानत यह रकम रु0 9,27,030 थी । जबकि विधि सीमा 35000 रुपये की है ।

उच्च-न्यायालय का निर्णय इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गाँधी के विरुद्ध निर्णय दिया । उन्होंने श्रीमती गाँधी के 1971 के लोक-सभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें ससद के दोनों सदनों एवं किसी भी राज्य के विधान-मण्डल की सदस्यता से 6 वर्षों के लिये अयोग्य घोषित कर दिया । यद्यपि न्यायमूर्ति ने इस निर्णय के सदर्थ में 20 दिन का स्थगन आदेश (Stay Order) भी दिया जिससे कि प्रतिवादी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सके । परन्तु वास्तव में यह स्थगन आदेश इसलिये दिया गया था कि सम्प्रद में श्रीमती इंदिरा गाँधी की जगह कांग्रेस पार्टी के किसी नये नेता का चुनाव हो सके एवं सत्ता का सुचारु रूप से हस्तान्तरण हो जाय ।

उच्च-न्यायालय ने श्री राज नारायण द्वारा लगाये गये बहुत से आरोपों को निरस्त कर दिया परन्तु दो आरोपों को स्वीकार करते हुये प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय दिया । 'उच्च-न्यायालय' ने श्रीमती को 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम' को धारा 123 (7) के अन्तर्गत दोषी ठहराते हुये कहा कि उन्होंने अपने चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की सहायता ली है । ये अधिकारी थे- रायबरेली के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता एवं बिजली विभाग के अभियन्ता आदि । इसके आलावा न्यायमूर्ति ने श्रीमती इंदिरा गाँधी को एक अन्य भ्रष्ट आचरण के लिये भी दोषी ठहराया, उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारत सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी श्री यशपाल कपूर¹ से अपने चुनाव में सहायता ली है । श्री कपूर प्रधानमंत्री सचिवालय के 'महत्वपूर्ण विशेष पद पर थे और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गाँधी के चुनाव सभ्यताओं को बढ़ाया । न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गाँधी को 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 8(ए) के अनुसार इस आदेश की दिनांक से 6 वर्षों के लिये ससद के दोनों सदनों एवं किसी भी राज्य के विधान मण्डल की सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित किया जाता है । उच्च- न्यायालय ने प्रधान मंत्री पर लगाये गये अन्य आरोपो, जैसे-वायुसेना के विमानों, हैलीकाप्टर

1. उच्च-न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि श्री यशपाल कपूर ने श्रीमती इंदिरा गाँधी के चुनाव के लिये 7 जनवरी 1971 से कार्य किया था । जबकि 25 जनवरी तक वे भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी रहे । यद्यपि उन्होंने अपना त्याग पत्र 13 जनवरी को दे दिया था, परन्तु राष्ट्रपति ने 25 जनवरी को उनका त्यागपत्र स्वीकार किया ।

एव विमान चालको का प्रयोग, धार्मिक चुनाव चिन्ह का प्रयोग एव चुनावी खर्चें सम्बन्धी आरोपो को निरस्त कर दिया।'¹

निर्णय के सन्दर्भ मे कांग्रेस जनो का दृष्टिकोण . भारतीय एव विदेशी स्रोतो से ऐसी खबर थी कि उच्च-न्यायालय के निर्णय के बाद श्रीमती इन्दिरा गॉंधी प्रधान मन्त्री पद से त्यागपत्र देने पर विचार कर रही थी, परन्तु कांग्रेस के कुछ वरिष्ठजनो ने उन्हे ऐसा करने से मना किया। "श्रीमती इन्दिरा गॉंधी ने अपने चारो ओर जिस गुट की सरचना की थी, वह गुट (Caucus) भी नहीं चाहता था कि वह अपने पद से त्यागपत्र दे क्योंकि श्रीमती इन्दिरा गॉंधी ने इस गुट के कुत्सित एव निन्दनीय कार्यों को एक आवरण प्रदान किया था।"² इसी बीच श्रीमती इन्दिरा गॉंधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अतः कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सहित बहुत से वरिष्ठ जनो ने एक सयुक्त वक्तव्य में कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले तक श्रीमती इन्दिरा गॉंधी को को प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि देश की अखण्डता, स्थिरता एव उन्नति के लिये उनका (श्रीमती इन्दिरा गॉंधी का) गत्यात्मक नेतृत्व अतिआवश्यक है।

इधर कांग्रेस पार्टी की गतिविधिया अत्यन्त तेज हो गयी, जिसका सार यह था कि प्रधानमन्त्री अपने पद से त्यागपत्र न दे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी आदेश एव फैसले के पूर्व ही, 18 जून 1975 को उनके गुट ने उन्हे पुनः कांग्रेस पार्टी का नेता चुन लिया, यद्यपि चन्द्रशेखर गुट³ के कांग्रेसी सासदो ने इसका विरोध किया। 18 जून को ही कांग्रेस ससदीय दल की सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें श्रीमती गॉंधी 'पर पूर्ण विश्वास एव समर्थन' व्यक्त करते हुये कहा गया कि उनका प्रधानमन्त्री के रूप में सतत् नेतृत्व राष्ट्र के लिये अपरिहार्य है। श्री देवकान्त बरुआ ने तो यहाँ तक कहा कि 'इन्दिरा ही भारत हैं और भारत ही इन्दिरा हैं।'⁴ यानी भारत एव इन्दिरा गॉंधी एक दूसरे के पर्याप्त हैं। इस प्रकार कांग्रेसजनो ने व्यक्ति को राष्ट्र मानकर राष्ट्र की प्रतिष्ठा की गहरा धक्का पहुँचाया।

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित स्थगन आदेश . इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद प्रजातान्त्रिक मूल्यों की माँग थी कि श्रीमती इन्दिरा गॉंधी को त्याग पत्र दे देना चाहिये। उनके कुछ सहयोगियों ने भी सलाह दी कि उन्हे अपने पद से त्यागपत्र देकर एक अच्छी परम्परा की शुरुआत करनी चाहिये। वास्तव में उनका त्यागपत्र देना एक परम्परा की माँग न होकर, एक कानूनी आवश्यकता थी। श्रीमती इन्दिरा गॉंधी ने ऐसी किसी भी माँग मानने से इन्कार कर दिया जो उनके त्याग पत्र से सम्बन्धित थी। श्रीमती इन्दिरा गॉंधी ने त्यागपत्र देने से इन्कार करने के साथ-साथ हाई-कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक सशोधनात्मक याचिका दायर की तथा याचना की कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तब तक हाई कोर्ट के फैसले में पूर्ण स्थगन (Absolute Stay

1. (1975) चुनाव याचिका सख्या 5-1971 डी0/-12 6 1975
2. बी० एम० सिन्हा "आपरेशन इमरजेन्सी", हिन्दू पाकेट बुक्स प्रा० लि० दिल्ली 1977 पृ० 8।
3. इस समय कांग्रेस में मुख्य रूप से तीन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद श्रीमती इन्दिरा गॉंधी को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये। इन लोगो में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य, श्री चन्द्रशेखर, कांग्रेस ससदीय दल के महासचिव श्री रामधन कबीनेट स्तर, के मन्त्री श्री मोहन धारिया थे। कुछ महीने पहले जय प्रकाश आन्दोलन के समर्थन में वक्तव्य देने के कारण श्री मोहन धारिया को अपने पद से त्यागपत्र देना पडा था।
4. कीसिंग्स कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स, अक्टूबर 6-12, 1975 पृ० 27367

(Order) आदेश प्रदान किया जाय । उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री बी० आर० कृष्ण अय्यर ने आशिक रूप याचिका स्वीकार कर लिया एव एक प्रतिबन्धित आदेश प्रदान किया ।

24 जून की न्यायमूर्ति ने प्रतिबन्धित स्थगन आदेश (Conditional Stay Order) में स्वीकृत किया कि श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रधान मंत्री पद पर बनी रह सकती हैं, परन्तु सुप्रीम कोर्ट के अन्तिम निर्णय तक उन्हें लोक सभा की कार्यात्मक सदस्यता से वंचित किया जाता है । न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने अपने लम्बे फैसले में स्थगन का आदेश देते हुये यह निर्देश दिया कि श्रीमती गाँधी लोक सभा की सदस्य रहेगी और लोक सभा के रजिस्ट्रार पर हस्ताक्षर करने की अधिकारी होगी, किन्तु लोक सभा के सदस्य के रूप में लोक सभा के अधिवेशन में भाग नहीं ले सकेगी और लोक सभा के सदस्य के रूप में पारिश्रमिक भी नहीं लेगी । इस उलझन भरे आदेश को स्पष्ट करते हुये माननीय न्यायमूर्ति ने पुनः यह कहा कि श्रीमती गाँधी को प्रधानमन्त्री या मन्त्री के रूप में ससद के दोनों या सयुक्त बैठकों में बिना मतदान किये भाग लेने का पूरा अधिकार होगा एव प्रधानमन्त्री की हैसियत से अपना वेतन लेने का भी पूरा अधिकार होगा ।¹ इस 'आशिक स्थगन आदेश' ने श्रीमती गाँधी की प्रतिष्ठा को सुधारने की जगह और धक्का पहुँचाया । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उन्हें 'विकलाग प्रधानमन्त्री' की सज़ा दी गयी । इसके बाद भी वह और उनका गुट इस योजना में लगा रहा कि किसी तरह हाई-कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावित करके एव सर्वैधानिक रूप से उच्चतम न्यायालय को बाध्य करके निर्णय को अपने पक्ष में किया जाय ।'²

इस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी की दोहरी स्थिति को मान्यता दी प्रथम एक ससद सदस्य के रूप में एव द्वितीय प्रधानमन्त्री के रूप में । अतः अपनी 20 वर्षों पुरानी परम्परा का आदर करते हुये न्यायालय ने चुनाव के मामले में पूर्ण स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया । न्यायालय ने उन्हें केवल प्रधानमन्त्री बने रहने एव उस पद के सभी विशेषाधिकार एव सुविधायें उपभोग करने की अनुमति प्रदान की । भारतीय सविधान भी इस बात की अनुमति देता है कि 'कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक ससद का सदस्य न होने पर भी मंत्री या प्रधानमन्त्री के पद पर बना रह सकता है' ।³ इस 6 महीने की अवधि की गणना व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण की तारीख से की जायेगी ।

प्रधानमंत्री का वक्तव्य एव विपक्ष की प्रतिक्रिया श्रीमती इंदिरा गाँधी जानती थी अगर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो उनका उत्ताधिकारी बाद में उनके लिये पद खाली नहीं करेगा । प्रारम्भ में उन्होंने एक बार त्याग पत्र देने के विषय में विचार किया था तथा अपने उत्ताधिकारी के रूप में सरदार स्वर्ण सिंह के नाम की अनुशंसा की थी, जो उनके लिये बाद में पद खाली कर दे ।" परन्तु जब श्री जग जीवन राम ने कहा कि उत्ताधिकारी का चुनाव करना किसी व्यक्ति का नहीं पार्टी का विशेषाधिकार है, तो उन्हें आने वाले खतरे का पूर्ण एहसास हो गया ।"⁴

इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी इस सन्दर्भ में नहीं सोचा कि उन्हें त्याग पत्र दे देने चाहिये । उन्होंने

1 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, जून 25, 1975

2 बी०एम० सिंह पूर्वोक्त पृ० 8-9

3 भारतीय सविधान अनुच्छेद 75 (5)

4 कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ० 109-110 ऐसी भी खबर थी कि सरदार स्वर्ण सिंह के आलावा बंगाल के मुख्य मंत्री सिद्धार्थ शंकर रे एव रेल मंत्री कमलापति त्रिपाठी का नाम भी उम्मीदवार की सूची में थे ।

देशवासियों को विभिन्न प्रकार आन्तरिक एवं बाध्य खतरो के प्रति आगाह करके, जनता की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की। 20 जून 1975 को दिल्ली में भारी जनसभा को सम्बोधित करते हुये श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कहा कि "देश के अन्दर एवं बाहर का कुछ शक्तिशाली ताकते मेरे खिलाफ षडयंत्र कर रही है, तथा वे मेरी हत्या का प्रयास भी कर सकती है। उन्होने कहा कि विपक्ष जैसा अक्रामक रुख मेरे विरुद्ध अपना रहा है, वैसा किसी अन्य देश में बर्दाशत नहीं किया जा सकता। वास्तव में अनेक देशों के नेताओं ने मुझसे कहा कि आपने इस सीमा तक जाने की लोगों को अनुमति क्यों दी?"¹ इस प्रकार के वक्तव्यों से श्रीमती इंदिरा गाँधी यह दिखाना चाहती थी कि विपक्ष अपनी नैतिक एवं राजनैतिक जिम्मेदारी न निभाते हुए, देश में हिंसा एवं अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होने कहा कि "मेरा प्रधानमंत्री पद पर बने रहना विपक्ष की माँग पर नहीं बल्कि मेरी अपनी पार्टी के लोगों की इच्छा एवं समर्थन पर निर्भर करता है।"²

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सन्दर्भ में श्रीमती इंदिरा गाँधी के वक्तव्यों एवं प्रतिक्रियाओं ने एक प्रजातान्त्रिक नेता को तानाशाह में बदल दिया। आचार्य जे० बी० कृपलानी ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि "प्रजातन्त्र की भावना एवं प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखते हुये उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये।"³ श्रीमती इंदिरा गाँधी ने उन लोकतान्त्रिक मूल्यों की परवाह नहीं की जिनके लिये उनके पिता श्री जवाहर लाल नेहरू ने लम्बे अर्थों तक संघर्ष किया था। उन्होने न्यायालय के निर्णयों को मानने से इसलिये इन्कार कर दिया कि उनमें एक 'आत्म संरक्षण' की भावना ने जन्म में लिया था। श्रीमती गाँधी द्वारा ऐसा करना नैतिक एवं विधिपरक विचारों से नहीं वरन् राजनीतिक एवं व्यक्तिगत विचारों से प्रेरित था।

सत्याग्रह का आह्वान विपक्ष की इंदिरा हटाओ रणनीति: इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद विपक्ष तो श्रीमती इंदिरा गाँधी से इस्तीफे की माँग कर ही रहा था, परन्तु कांग्रेसी नेताओं में भी इस मुद्दे पर मतभेद हो गया था।⁴ यह आश्चर्य की बात थी कि "श्रीमती इंदिरा गाँधी के हटाने के मामले में जनसंघ जैसे दक्षिणी पक्षी दल एवं सी० पी० आई० (एम०) जैसे वामपक्षी दल मिलजुल कर कार्य कर रहे थे। कुछ गैर राजनीतिक सगठन जैसे कि जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व वाला सयौंदय गुट एवं दूसरे अन्य दल भी 'इंदिरा-हटाओ अभियान' में शामिल हो गये थे।"⁵

1 देखे, किसिंगस कॉन्टम्पोरेरी आर्किव्स, अक्टूबर 6-12, 1975 पृ० 27367।

2 वही

3 उद्धृत, आचार्य जे० बी० कृपलानी "दि नाइटमेयर एण्ड आफ्टर" पापुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, 1980, पृ० 1.

4 विस्तृत रूप से इसका विवरण दिया जा चुका है कि कुछ कांग्रेसी नेता जैसे श्री चन्द्र शेखर, श्री रामधन एवं श्री मोहन धारिया आदि का विचार था कि श्रीमती इंदिरा गाँधी को त्यागपत्र दे देना चाहिये, जबकि शेष गुट श्रीमती गाँधी पर पूर्ण समर्थन एवं विश्वास प्रकट कर रहा था

5 होस्ट हार्टमैन, पूर्वोक्त पृ० 230

22 जून 1975 को 'जनता मोर्चे' ने एक जन सभा आयोजित की तथा इन्दिरा गाँधी से सवैधानिक, वैधानिक एवं नैतिक आधार पर इस्तीफे की माग की। इस सभा में श्री जय प्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। अतः जय प्रकाश नारायण की उपस्थिति में 25 जून को एक विशाल जन सभा का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस सभा में सगठन कांग्रेस, जनसघ, भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी तथा अकाली-दल ने भाग लिया। इस सभा में ऐतिहासिक सभा में सी० पी० आई० (एम०) एवं द्रविड़ मुनेत्र कडगम (डी० एम० के०) के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

श्री जय प्रकाश नारायण ने अपने 90 मिनट के भाषण में बहुत से मुद्दों पर प्रकाश डालते हुये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय धीशो को अब श्रीमती इंदिरा गाँधी के मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिये। "उन्होंने श्रीमती इंदिरा गाँधी के पक्ष में हुये जन प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि यह जनता की मदद से न्यायपालिका के निर्णय को बदलने का फासीवादी रवैया है।"¹ उन्होंने पुलिस एवं सेना से अपील की कि "सरकारी कर्मचारियों को अन्यायपूर्ण व्यवस्था की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिये। सेना की यह जिम्मेदारी है कि वह भारतीय प्रजातन्त्र की रक्षा करे एवं यह उसका कर्तव्य है कि वह सविधान का संरक्षण करे। पुलिस को अन्धा धुन्ध कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है, परन्तु उन्हें सोच विचार कर कार्य करना चाहिये।"² इस सभा में विपक्षी दलों ने यह निर्णय लिया कि 29 जून से एक सप्ताह का सत्याग्रह कार्यक्रम आरम्भ किया जाये। इस कार्यक्रम में धारा 144 भंग करके दिल्ली एवं सभी राज्य की राजधानियों में प्रदर्शन करना एवं श्रीमती इंदिरा गाँधी से त्यागपत्र मागना शामिल था। यह भी निश्चय लिया गया कि यदि श्रीमती गाँधी त्यागपत्र नहीं देती तो एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया जायेगा। श्री जय प्रकाश नारायण ने छात्रों से कक्षाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया एवं लोगों से अपील की कि वे सरकार का सहयोग न करे एवं कर देने से इन्कार कर दे। यह एक प्रकार का 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' था जिसके बल पर महात्मा गाँधी ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। श्री जय प्रकाश नारायण इसका प्रयोग 'इन्दिरा-राज' को उखाड़ फेंकने के लिये कर रहे थे।

आपातस्थिति की घोषणा

25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में श्री जय प्रकाश नारायण, श्री मोररजी देसाई एवं श्री नानाजी देशमुख के व्याख्यानो ने लोगों में उत्तेजना भर दी। विपक्ष द्वारा 29 जून से सत्याग्रह का फैसला सुनकर

-
1. उद्धृत, वही, श्री जय प्रकाश नारायण के भाषण का अंश।
 2. जय प्रकाश नारायण के भाषण का अंश, जून 25, 1975 देखें कीसिंग्स कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स, अक्टूबर 6-12, 1975 पृ० 27368

सरकार घबरा गयी। श्रीमती इन्दिरागॉंधी ने यह समझ लिया अगर विपक्षी नेताओं को आन्दोलन का मौका दिया गया तो गुजरात एवं बिहार की स्थिति की पुनरावृत्ति केन्द्र में भी हो सकती है अतः "हिटलर एवं मुसोलिनी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुये, श्रीमती गॉंधी ने बहुत ही खतरनाक निर्णय लिया। परन्तु उन्होंने यह नहीं सोचा कि तानाशाही एक प्रकार की त्रासदी है एवं प्रत्येक तानाशाह का बहुत ही घृणित अन्त होता है।" ¹

गुजरात और बिहार आन्दोलन की सफलता के कारण विपक्ष के हौसले बुलन्द थे परन्तु इस बार उसने कांग्रेस पार्टी की शक्ति एवं प्रतिक्रिया की क्षमता का गलत अनुमान लगाया। वैसे श्री जय प्रकाश नारायण ने जनता को आगाह किया था कि "इसकी बहुत सम्भावना है कि कि भविष्य में देश में प्रजातन्त्र का नामोनिशान मिट जाए।" ² परन्तु उनकी यह धारणा थी कि "कांग्रेस एवं सरकार तुष्टीकरण की नीति अपनायेगी एवं उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जायेगी।" ³ उनके विश्वास का आधार गुजरात का सफल अनुभव था, परन्तु दूसरे ही दिन विपक्ष के इस विश्वास को, जबरजस्त धक्का लगा।

26 जून 1975 को बिना मन्त्रिमण्डल की सलाह लिये, आन्तरिक आपातस्थिति की घोषणा करके श्रीमती इन्दिरा गॉंधी ने भारत एवं दूसरे अन्य प्रजातान्त्रिक देशों को चौंका दिया। हमारे सविधान में यह प्रावधान है कि "राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता एवं मन्त्रणा के लिये एक मन्त्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान, प्रधानमन्त्री होगा। एवं राष्ट्रपति ऐसी मन्त्रणा के अनुसार कार्य करेगा।" ⁴ श्रीमती इन्दिरा गॉंधी ने आपातकाल की घोषणा के सन्दर्भ में सविधान के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा एवं पूर्ण रूप से एक तानाशाह की भांति कार्य किया। 'आपातकाल घोषणा पत्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस समय लिये गये जब मन्त्रिमण्डल के सदस्य गहरी नींद में सोये हुये थे।' ⁵ 25 जून की रात में बिना मन्त्रिमण्डल की बैठक एवं सलाह के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने श्रीमती इन्दिरा गॉंधी के सलाह पर आपात काल घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय सविधान के प्रावधानों के तहत कार्य नहीं किया। राष्ट्रपति ने बहुत ही संक्षेप में घोषणा की कि "सविधान के अनुच्छेद 352(1) के द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, भारत का राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद इस आशय की घोषणा करता हूँ कि 'आभ्यन्तरिक अशान्ति' ⁶ के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है, अतः आपातकाल की घोषणा की जाती है।" ⁷

राष्ट्रपति की अधिसूचना में उन कारणों एवं परिस्थितियों का विस्तृत उल्लेख नहीं था जिनके कारण आपात स्थिति की घोषणा की गयी। यद्यपि बाद में सरकार के कई दस्तावेज, वक्तव्य एवं कांग्रेसी नेताओं के स्पष्टीकरण सामने आये, जिन्होंने आपातस्थिति को न्यायोचित ठहराया। गृह-मन्त्रालय से प्रकाशित एक सरकारी दस्तावेज ने आपात स्थिति की घोषणा के कारणों पर प्रकाश डालते हुये कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की गतिविधियों के कारण

1. कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ० 110
2. बी० एम० सिंह पूर्वोक्त पृ० 12
3. हॉस्ट हार्टमैन पूर्वोक्त पृ० 232
4. भारतीय सविधान अनुच्छेद 74 (1)
5. कविता नारवेन पूर्वोक्त पृ० 110
6. सविधान (चौवालिसवा सशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 37 (क) द्वारा अनुच्छेद 352 में खण्ड (1) में "आभ्यन्तरिक अशान्ति" के लिये शब्द "सशस्त्र विद्रोह" रखा गया है।
7. देखे हॉस्ट हार्टमैन पूर्वोक्त, पृ० 232

इसकी घोषणा की गयी।¹ इस दस्तावेज में गुजरात एवं बिहार की घटनाओं का, 1974 की रेलवे हड़ताल एवं 'जनता मोर्चों' एवं श्री 'जय प्रकाश नारायण' के आन्दोलन का उल्लेख किया गया और कहा गया कि इसने भारत का एकता, अखण्डता एवं आर्थिक स्थिति को खतरा पैदा हो गया था।

श्रीमती इंदिरा गाँधी ने आपातस्थिति को घोषणा को न्यायोचित बताते हुये कहा कि 'मुझे विश्वास है कि आप लोगों को उस गम्भीर षडयन्त्र का अन्दाजा होगा, जो उस समय से चलाया जा रहा है जब से मैंने भारत की जनता के लिये कुछ प्रगतिशील आर्थिक उपायों की घोषणा की।'² इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गाँधी एवं सम्पूर्ण कांग्रेस तन्त्र शब्दों के जाल में फसा कर जनता को गुमराह कर रहा था, जिसे कि उनकी दमनकारी कार्यवाहियों का पर्दाफाश न हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सेना एवं पुलिस को विद्रोह करने के लिये भड़काया हमारी सेनाएँ एवं पुलिस बल अत्यन्त अनुशासित हैं, अतः इस भड़काने वाली कार्यवाही का उन पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ श्रीमती इंदिरा गाँधी का सीधा संकेत श्री जय प्रकाश नारायण के ओर था। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कहा कि इन विघटनकारी शक्तियों ने साम्प्रदायिकता एवं हिंसा फैला कर देश की एकता एवं अखण्डता के लिये खतरा पैदा कर दिया था। अतः हमारा प्रथम कर्तव्य है कि इन शक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

श्रीमती इंदिरा गाँधी ने आश्वासन दिया कि इस नयी आपात स्थिति³ की घोषणा किसी भी प्रकार कानून में निष्ठा रखने वाले नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया 'आन्तरिक स्थिति में शीघ्रप्रतिशीघ्र सुधार होगा, जिससे हम जल्दी ही जल्दी इस आपातस्थिति से छुटकारा पा जायेंगे।' ⁴ 27 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अपने द्वितीय प्रसारण में सरकार की कार्यवाही का उचित ठहराते हुये कहा कि 'एक हिंसा एवं घृणा का वातावरण पैदा हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप केबिनेट स्तर के मन्त्री श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या की गयी एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की हत्या का प्रयास किया गया। विपक्षी दलों ने 29 जून से राष्ट्र व्यापी बन्द, घेराव प्रदर्शन एवं आन्दोलन का निर्णय लेकर सब प्रकार से केन्द्रीय सरकार को पगु बनाने का फैसला ले लिया था। हमें इसमें सन्देह नहीं होना चाहिये कि ऐसे कार्य नागरिक व्यवस्था के लिये गम्भीर खतरा उत्पन्न करेंगे एवं राष्ट्र की आर्थिक स्थिति चौपट कर देंगे। इन्हें रोकना ही श्रेयस्कर था। ...।' ⁵ इस सन्दर्भ में हम ऐसा कदम उठाना चाहते थे कि जो स्थिति पर नियन्त्रण भी कर ले एवं सविधान के ढाँचे के अन्तर्गत हो। आपात स्थिति की घोषणा ऐसा ही कदम था। ⁶ श्रीमती इंदिरा गाँधी ने श्री जय प्रकाश नारायण की स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा कि उनका सम्बन्ध न तो महात्मा गाँधी से है और न ही गाँधी दर्शन से। इण्टर नेशनल फुडरेशन आफ कैथोलिक यूनिवर्सिटी की महासभा के 11 वे

-
1. 'हवाई इमरजेन्सी', ग्रह मन्त्रालय का दस्तावेज, उद्धृत, हॉस्टहार्टमैन, पूर्वोक्त, पृ0 232-233
 2. देखें कीसिंग्गस् कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स, अक्टूबर 6-12, 1975 पृ0 27368
 3. यद्यपि 3 दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान घोषित की गयी आपात स्थिति लागू थी, परन्तु इससे सरकार की विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने का कानूनी आधार नहीं प्राप्त था। अतः इस बात की जरूरत थी कि तथाकथित 'आन्तरिक सुरक्षा' के खतरे से निपटने के लिये द्वितीय (आन्तरिक) आपातस्थिति की घोषणा की जाय।
 4. देखें, कीसिंग्गस् कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स अक्टूबर 6-12, 1975, पृ0 27368
 5. वही
 6. देश की उन राजनीतिक परिस्थितियों का विवृत विवरण जिसके कारण आपात स्थिति की घोषणा हुई, देखें, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव, जुलाई 14, 1975, तथा प्रधान मन्त्री का 'सटरडे रिव्यू' से साक्षात्कार, अगस्त 1, 1975

सत्र का उद्घाटन करते हुये, उन्होंने कहा कि 'हरिजन' पत्रिका में महात्मा गाँधी द्वारा लिखे गये लेखों से स्पष्ट है कि वह (जय श्री जय प्रकाश नारायण) कभी भी उनके सच्चे अनुयायी नहीं थे।'¹

निष्कर्ष

इस प्रकार बिहार एवं गुजरात आन्दोलन एवं गुजरात में 'जनता मोर्चे' का गठन की भाँति इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने भी 'जनता पार्टी' के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभायी। इन घटनाक्रमों ने ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की व्यापक चर्चा शुरू हो सके। न्यायालयों के निर्णयों से विपक्ष की कांग्रेस के विरुद्ध सामूहिक अभियान में एक प्रकार से न्यायिक वैधता प्राप्त हो गयी। विजय के उल्लास में पाँच विरोधी दलों ने एक मोर्चा कायम किया और प्रधानमंत्री से तुरन्त त्यागपत्र की माँग को लेकर सत्याग्रह की एक योजना बनायी। इस व्यापक योजना के क्रियान्वित होने के पहले इसे आपातस्थिति की घोषणा करके दबा दिया गया। अतः विपक्षी एकता की जो आग आपात काल की घोषणा के पहले लगी थी, वह आपात काल के दौरान जेल में एवं जेल के बाहर भूमिगत आन्दोलन के रूप में सुलगती रही।

यद्यपि उच्चतम न्यायालय के निर्णय बाद कानूनी एवं सवैधानिक तौर पर भी श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी। किन्तु उस समय अत्यन्त व्यक्तिगत और राजनीतिक आशकाओं से आक्रांत होकर दूसरे दिन आपातस्थिति की घोषणा करने का मूल कारण शायद यह था कि श्रीमती इंदिरा गाँधी को एक ओर प्रबल जनमत से खतरा हो रहा था, तो दूसरी ओर अपनी पार्टी के सदस्यों से भी भयकर आशकाएँ थीं। सविधान और राजनीति का इतिहास शायद यही कहेगा कि अविवेक का एक दिन न केवल 19 महीने के लिये देश के लिये अभिशाप सिद्ध हुआ बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिये भी विनाश एवं विश्रुखला के बीज बो गया।

1 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, अगस्त 15, 1975 विस्तृत विवरण के लिये देखें, हरी किशोर ठाकुर महात्मा गाँधी, जे0 पी0 एण्ड स्टूडेंट्स, आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली, 1975

आपातस्थिति में राज नीतिक संस्थाएँ

जब विपक्ष द्वारा आह्वान किया गया सत्याग्रह एव सम्पूर्ण क्रान्ति का रथ जून, 1975 की घटनाओं के कारण जड़ता के दुर्जेय गढ़ों पर निर्णायक प्रहार करने की उद्यत हुआ, तब श्रीमती इंदिरा गाँधी ने आपातस्थिति का सहारा लिया। व्यापक परिवर्तन एव विपक्षी एकता का बड़ा हुआ महत्वाकांक्षी रथ पुलिस-राज लागू करके रोक दिया गया। अब लड़ाई का तत्कालीन मुद्दा लोकतन्त्र की रक्षा बन गया, परन्तु साथ ही साथ विपक्षी एकता की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी गति से चलती रही। आपातस्थिति में व्यापक पैमाने पर विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, प्रेस पर सेंसर थोपा दिया गया, विरोध एव आलोचनाओं पर जबानबंदी लागू हुई, न्यायालयों एव व्यवस्थापिका को पगु बना दिया गया एव सतही समर्थन का ढोंग रचाकर, श्रीमती इंदिरा गाँधी ने पारिवारिक तानाशाही कायम की।

इसी समय 'सजय गाँधी गुट'¹ के रूप में एक नया गैर-सवैधानिक, निरकुश एवं गैर-जिम्मेदार सत्ता का केन्द्र उभर कर आया। श्री सजय गाँधी ने अपने जबरन नसबन्दी एव शहरी विकास एव सुन्दरीकरण कार्यक्रमों से जन मानस को अत्यन्त क्षुब्ध किया।

आपात काल की इन विषम परिस्थितियों में भी विपक्ष जेल के अन्दर एकता वार्ताओं के एव जेल के बाहर 'भूमिगत आन्दोलन' के रूप में लोकतन्त्र की रक्षा एव निरकुश कांग्रेस के खिलाफ आन्दोलन चलाता रहा। आपातस्थिति के दौरान सरकार द्वारा विपक्ष पर किये गये अत्याचारों ने बँटे हुए विपक्ष के लक्ष्यों में एकता की तीव्र भावना उत्पन्न कर दी। राजनीतिक वातावरण के अलावा देश का सामाजिक वातावरण तथा जन समुदाय भी भयाक्रान्ता के सकट में डूबा जा रहा था। नौकरी छूटने का भय, जेल-जाने का भय, कहीं कोई सुनवाई न होने का भय, तरह-तरह के सरकारी दमन का भय बगैरह। आपातस्थिति में सरकार जिस प्रकार सामाजिक एव राजनीतिक संस्थाओं के प्रति व्यवहार कर रही थी, उससे जन मानस अत्यन्त भयभीत था। अतः सरकार के इस तानाशाही रवैये ने जनता में कांग्रेस (इन्दिरा) विरोधी लहर पैदा करके विपक्षी एकता को प्रोत्साहित किया।

आतंक का राज

जब तक लोकतन्त्र श्रीमती इन्दिरा गाँधी को गद्दी पर बनाये रख सका, तब तक उन्होंने लोकतन्त्र को बनाये रखा। जिस दिन लोकतन्त्र उन्हें प्रधानमन्त्री बनाये रखने में नाकामयाब होने लगा, श्रीमती इंदिरा गाँधी ने लोकतन्त्र को नाकामयाब कर दिया। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गाँधी को सत्ता पर बनाये रख सकती थी तो सिर्फ एक शक्ति—पुलिस। श्रीमती गाँधी ने पुलिस राज का ही फैसला किया। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर एव प्रेस सेंसरशिप लागू कर उन्होंने महाआतंक का राज्य चालू किया। "स्वतन्त्र भारत के नागरिकों ने इसका पहली बार अनुभव किया कि शक्तिशाली एव लोकप्रिय नेता कितने 'कमजोर' साबित हुए। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद छुट पुट घटनाओं के आलावा बगावत जैसे कोई बात नहीं हुयी। सारा मुल्क आतंक एव दहशत में चुप हो गया। दमनकारी

1. इस गुट के प्रमुख व्यक्ति में श्री सजय गाँधी के आलावा श्री बंसी लाल, श्री विद्याचरण शुक्ल एव श्री ओम मेहता थे।

पुलिस कार्यवाही सिलसिले बार ढग से चलती गई।”¹

‘अपने हाथों में शक्ति केन्द्रित करने के साथ-साथ श्रीमती इंदिरा गाँधी ने बहुत से विभागों का विभाजन करके उनके महत्वपूर्ण हिस्से को अपने अधीन रखा। इसके लिये उन्होंने अर्द्ध सैनिक बल जैसी संस्थाओं — केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, का सहारा लिया। अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलिजेस एजेंसी एव रुस की के० जी० बी० के तौर तरीके पर स्थापित भारतीय जासूसी संस्था रिसर्च ऐण्ड एनालिसिस विंग का उपयोग उन्होंने अपने सत्ता के केन्द्रीकरण के लिये किया।’²

श्रीमती इंदिरा गाँधी ने लोकतंत्र का भ्रमोत्पादक तानाबाना बना रखा था। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्राणहीन ढाँचे से उन्हें मोह था। ससद थी और उसकी बैठके होती थी; पर विरोधी नेता और सासद जेलों में थे। विरोधी दल थे, पर उनको कार्य नहीं करने दिया जा रहा था। कार्यकर्ता बन्दी थे, पर नेताओं में कुछ आपेक्षाकृत कम प्रभावी नेताओं को बराएनाम छोड़ रखा गया था। सविधान था, पर सशोधनों से उसे पगु बना दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय एव बाकी के न्यायालय थे, पर, न्यायाधीशों को जकड़ने की पूरी नाके बन्दी सविधान, कार्यपालिका व राजनीतिक स्तर पर की गई थी। अखबार थे, पर सेसर और एक तरफा खबरों का साम्राज्य था और देश के सामूहिक दिमाग की धुलाई-रगाई का बेहद जटिल कार्यक्रम चल रहा था। उन लोगों को हर प्रकार से प्रभावित किया जा रहा था, जो श्रीमती इंदिरा गाँधी और श्री सजय गाँधी के खिलाफ थे या उनके लिये तालिया नहीं बजा रहे थे। “इसका एक ही अर्थ है वह यह कि श्रीमती इंदिरा गाँधी तानाशाही को संस्थाबद्ध करेगी एव उसका संवैधानिकीकरण करेगी।”³

विपक्षी नेताओं की वृहद पैमाने पर गिरफ्तारी आपातस्थिति की घोषणा के साथ ही श्रीमती इंदिरा गाँधी का दूसरा महत्वपूर्ण कदम बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी थी। इसके पहले कि 26 जून 1975 को देश आपातस्थिति के विषय में जाने, 25 जून की रात को ही बहुत से महत्वपूर्ण विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिये गये। इसमें से अधिकतर 25 जून की 1-4 बजे रात्रि को बन्दी बनाये गये। श्री जय प्रकाश नारायण को 3 बजे रात्रि में जगाकर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बाद में यह रहस्योद्घाटन किया कि “इस गिरफ्तारी से मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि श्रीमती इंदिरा गाँधी इस हद तक जा सकती हैं।”⁴

यद्यपि गिरफ्तार किये गये नेताओं के नाम सरकारी तौर पर नहीं लिये गये परन्तु गैर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन नेताओं में ‘सर्वश्री जय प्रकाश नारायण, श्री मोरार जी देसाई, श्री राजनारायण, असन्तुष्ट कांग्रेस सासद श्री चन्द्र शेखर एव श्री रामधन, भारतीय लोकदल के अध्यक्ष श्री चरणसिंह, सी०पी० आई० (एम०) के नेता श्री ज्योति बसु, जनसघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेई एव श्री लाल कृष्ण अडवानी, सोशलिस्ट पार्टी के श्री समर गुहा, सगठन

1 दीनानाथ मिश्र “एमरजेसी में गुप्त क्रान्ति”, आई० बी० सी० प्रेस, दिल्ली, 1977, पृ० 15

2 कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ० 111

3 उद्धृत, दीनानाथ मिश्र पूर्वोक्त, लेखक द्वारा आपातकाल के दौरान लिखा गया ‘पोजीशन पेपर’ “तानाशाह की अपराजेयता” 2 पृ० 159

4 जे०ए० नैथक “दि ग्रेट जनता रिवोल्यूशन”, एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली 1977, पृष्ठ 13

कांग्रेस के श्री अशोक मेहता, एव मदरलैण्ड अखबार के सम्पादक श्री के० आर० मलकानी थे ।¹ इसके आलावा अन्य राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण नेता एव कुछ सगठनों जैसे-आनंद मार्ग², राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ तथा जमात-ए-इस्लामी के सक्रिय सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया । 'श्रीमती गाँधी को सबसे बड़ा खतरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ से था, क्योंकि यह सगठन अपने सर्गाठित ढाँचे एव अनुशासित सदस्यों के लिये प्रसिद्ध था ।'³

केन्द्र ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिये कि सभी कांग्रेस विरोधी लोगों के गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे वे जिस पार्टी, समुदाय या सगठन के हो । जिससे कोई कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ आवाज न उठा सके । इन गिरफ्तारियों का असर जन सामान्य पर भी हुआ, और उनमें एक दहशत सी फैल गयी । 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के सघ सचालक से लेकर जिला स्तर के सामान्य कार्यकर्ताओं को तथा उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया जो किसी भी विपक्षी दल से सहानुभूति रखते थे । इन लोगों में स्त्री, पुरुष, बूढ़े, कालेज के छात्र-छात्राओं, डाक्टर, अध्यापक, प्रोफेसर, वकील, व्यापारी, छोटे दुकानदार, राजसी परिवारों की महिलायें⁴ तथा सभी वर्ग एव समुदाय के नागरिक शामिल थे । इन्हें बिना किसी भेद भाव के कैद कर लिया गया ।'⁵

सरकार ने अपने तानाशाही रवैये पर परदा डालने के लिये कुछ विपक्षी नेताओं का जानबूझकर छोड़ दिया । इसमें सोशलिस्ट पार्टी के श्री एन० जी० गोरे, श्री एस०एम० जोशी, सगठन कांग्रेस के श्री दिग्विजय नारायण सिंह, जनसघ के श्री ओम प्रकाश त्यागी और लोक दल के श्री एच० एम० पटेल थे । इसके अलावा सरकार जिन लोगों को तमाम घेरे बन्दी के बावजूद नहीं पकड़ सकी, उनमें नाना जी देश मुख के अलावा श्री जार्ज फर्नाण्डीज, श्री कपूरी ठाकुर, श्री सुरेन्द्र मोहन, श्री मोहन धारिया, श्री जग प्रसाद माथुर, श्री सुब्रहमण्यम स्वामी, श्री केदार नाथ साहनी, श्री दत्तोपत ठेगडी जैसे कोई एक दर्जन नेता थे । प्रारम्भ में सरकार ने गिरफ्तार किये गये लोगों के विषय में कोई सूचना नहीं थी । परन्तु कुछ दिन बाद 'एक सरकारी प्रवक्ता श्री ए० आर० बार्जी ने बताया कि दिल्ली में 90 लोगों को, मध्य प्रदेश में 450 को, हरियाणा में 24 को, राजस्थान में 12 को, कर्नाटक में 4 को एव उत्तर प्रदेश एव मध्य प्रदेश में 2-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।'⁶ प्रेस में संसरशिप होने के कारण गिरफ्तार लोगों के विषय में सही-सही जानकारी नहीं मिल रही थी, परन्तु एक अनुमान के अनुसार आपातस्थिति की घोषणा के प्रथम सप्ताह 25,000 लोगों को आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम या मीसा⁷ एव भारत रक्षा एव आन्तरिक सुरक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

1. देखे कीसिंगस कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स, अक्टूबर 6-12, 1975, पृ० 27368
2. आनन्द मार्ग ('शाश्वत स्वर्ग सुख का मार्ग')-यह हठधर्मी हिन्दुओं का धार्मिक एवं राजनीतिक आन्दोलन है, जिसका मुख्यालय बिहार में है । इस सस्था ने 1975 के बिहार के श्री जय प्रकाश आन्दोलन का समर्थन किया था, जबकि जय प्रकाश ने इस सस्था से अपने किसी प्रकार के सम्बन्ध होने से इन्कार किया था । अब यह सख्या लगभग मृत हो गयी है ।
3. कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ० 112-113
4. इन महिलाओं में ग्वालियर की राज माता विजयराजे सिन्धिया एव जयपुर की महारानी गायत्री देवी थी, श्रीमती इंदिरा गाँधी के कोप का शिकार हुईं थी ।
5. कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ० 113
6. देखे, कीसिंगस कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स, अक्टूबर 6-12, 1975, पृ० 27368
7. सविधान के अनुच्छेद 22 के भाग 4,5,6 के अन्तर्गत 'निवारक निरोध' का जो उल्लेख किया गया है, उसके अन्तर्गत ससद द्वारा सन् 1950 में 'निवारक नजरबन्दी अधिनियम' पारित किया गया । समय समय पर इसकी अवधि बढ़ायी जाती रही और यह अधिनियम 31 दिसम्बर 1969 तक चला । 7 मई 1971 को राष्ट्रपति ने 'आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अध्यादेश' जारी किया और

सरकार के इन कार्यों के देखकर यह कहा जा सकता है कि श्रीमती इंदिरा गाँधी बोलिशविक निकोलाई बुखारिन के कथन का अनुसरण कर रही थी। वह कहा करता था कि 'मैं द्वि दलीय व्यवस्था पर विश्वास करता हूँ उनमें से एक सरकार है एव दूसरी जेल'।

अतिवादी सगठनों में प्रतिबन्ध श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत करने के लिये देश के बहुत से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सगठनों पर प्रतिबन्ध लगाना चाह रही थी। 4 जुलाई 1975 को तत्कालीन गृहमन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ एव जमात-ए-इस्लामी बहुत दिनों से विभिन्न समुदायों के बीच द्वेष फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इनका दर्शन एव दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलाप साम्प्रदायिकता फैलाने के लिये जिम्मेदार है एव हमारे धर्म निरपेक्ष प्रजातन्त्र में साम्प्रदायिक क्रिया कलापों के लिये कोई स्थान नहीं है।¹ उन्होंने आनन्द मार्ग एव सी० पी० आई० (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) सगठनों पर भी ऐसे ही आरोप लगाये और कहा कि "इन सगठनों में आपस में कुछ भी साम्य नहीं है और इनके कार्यों को वैधता के दृष्टिकोण से राजनीतिक नहीं कहा जा सकता है।"²

4 जुलाई 1975 को भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1971 के नियम 33 (1) के अन्तर्गत विभिन्न आदेशों द्वारा 26 सगठनों को अवैध घोषित करके उनके क्रियाकलापों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।³ गृह मन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने कहा कि इन सगठनों के क्रिया कलापों से भारत की आन्तरिक सुरक्षा एव नागरिक व्यवस्था की खतरा उत्पन्न हो गया था। अतः इन पर प्रतिबन्ध लगाना देश के हित में है। इस घोषणा के बाद सारे देश में इन प्रतिबन्धित सगठनों के मुख्यालयों में छापे मारे गये एव आपत्तिजनक सामग्री को बरामद करके इन्हें सील कर दिया गया। 6 अगस्त की एक अलगाववादी सगठन 'मिजो नेशनल फ्रन्ट' को भी अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार इन 27 सगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं को सारे देश से गिरफ्तार किया गया।

जून 1971 में इस अध्यादेश ने कानून का रूप प्राप्त कर लिया। इस कानून को बोलचाल की भाषा में 'मीसा' जाना जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिये दण्ड देना नहीं वरन् उसे अपराध करने से रोकना है। इस कानून द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है जो भारत की प्रतिरक्षा, सुरक्षा, समाज के लिये आवश्यक आपूर्ति एव सेवाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कार्यवाही करता है। परन्तु 1975 में इंदिरा सरकार ने इसका प्रयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिये किया। मीसा की इस व्यवस्था को आपात स्थिति के दौरान राष्ट्रपति द्वारा विविध अध्यादेश जारी कर और अधिक कठोरता प्रदान की गयी।

1. देखें किसिंग्स कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स, अक्टूबर 6-12, 1975 पृ० 27370

2. वही

3. इन प्रतिबन्धित सगठनों के नाम हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ, जमात-ए-इस्लामी-ए-हिन्द, आनन्द मार्ग, प्राउटिस्ट फोरस आफ इण्डिया, प्राउटिस्ट ब्लाक आफ इण्डिया, विश्व सक्रान्ति सेवा, सेवा धर्म मिशन, शैक्षिक सहायता एव कल्याण समुदाय, प्रगति शील भोजपुरी समाज, बघेलखण्ड समाज, यूनिवर्सल प्राउटिस्ट लेवर फेडरेशन, यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेन्ट्स फेडरेशन, रिनेसाँ यूनिवर्सल क्लब, रिनेसाँ आटिस्ट्स एण्ड राइटर्स एसोशिएशन आनन्द मार्ग यूनिवर्सल रीलिफ टीम, सी० पी० आई- एम० एल० (चारु मजूमदार समूह-लिन प्यओ समर्थक गुट), सी० पी० आई०-एम०एल० (चारु मजूमदार समूह-लिनप्यओ विरोधी गुट), सयुक्त साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी, एस०एन०सिंह, चन्द्र फुलवा रेड्डी समूह) सी० पी० आई-एम०एल० (सुनीतिघोष शर्मा गुट), इस्टर्न इण्डिया जोनल कॉन्सोलिडेशन कामेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी (कम्युनिस्ट-लेनिननिस्ट), माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर, मुक्ति युद्ध समूह, यूनिटी सेन्टर ऑफ कम्युनिस्ट, यूनिटी सेन्टर ऑफ कम्युनिस्ट्स, भारत के क्रान्तिकारी (मार्क्सवादी लेनिनवादी), सेन्टर ऑफ इण्डिया कम्युनिस्टम्

सरकार ने गिरफ्तार किये गये लोगो का कोई भी विस्तृत विवरण नहीं दिया। 23 अगस्त 1975 को सूचना एव प्रसारण मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ला ने बताया कि 'लगभग 10,000 लोगो को गिरफ्तार किया गया था जिसमे एक तिहाई लोगो को छोड़ दिया गया और इस समय 1000 से कम राजनीतिक बन्दी है।' ¹ 'अमरीकी सरकार के रक्षा विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग एव सेंट्रल इन्टैल्लिजेन्स एजन्सी द्वारा तैयार की गयी एक जॉच के अनुसार राजनीतिक बन्दियों की संख्या 6,000 है जबकि अन्य कारणो से गिरफ्तार किये गये लोगो की संख्या 14,000 है।' ² जबकि 'विपक्ष के प्रवक्ता का दावा था कि इनकी संख्या 50,000 से 60,000 है।' ³

इन गिरफ्तारियों ने देश के राजनीतिक वातावरण के साथ-साथ सामाजिक वातावरण को भी प्रभावित किया। कुछ ऐसे भी परिवार थे जिनके 5-6 वयस्क सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन परिवारों में केवल बच्चे ही बचे थे, जिनकी आर्थिक एव सामाजिक सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इन्दिरा सरकार ने हजारो लोगो को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के एव बिना आरोप पत्र प्रस्तुत किये अनिश्चित काल के लिये जेल में बन्द कर दिया। हजारो परिवार के सामने जीविको-पार्जन की समस्या आ पडी क्योंकि उनके परिवार के कमाने वाले सदस्य जेलों में बन्द थे। सरकार के इन कार्यों का प्रभाव केवल पीडित परिवार पर ही नहीं पडा वरन् आस पडोस के सामान्य परिवारों में भी अमुरक्षा एव भय के बादल छा गये। वे इस बात से भयभीत थे कि यह स्थिति किसी भी समय उनके परिवार पर भी आ सकती है। उन्होंने सरकार की तानाशाही का विरोध तो नहीं किया परन्तु इन्दिरा सरकार विरोधी भावना उनके मन में बैठ गयी। इन तानाशाही प्रक्रियाओं के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया उस समय हुई जब देश से आपातस्थिति उठाई गयी और मार्च 1977 में लोक सभा के चुनाव कराये गये।

श्रीमती इंदिरा गाँधी आपातस्थिति के दौरान यह दावे कर रही थी सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम प्रजातान्त्रिको मूल्यों की रक्षा के लिये हैं तथा इससे जनसाधारण की स्थिति में सुधार हो रहा है। इस स्थिति पर प्रकाश डालते हुये श्री जय प्रकाश ने अपनी बीमारी हालत में जसलोक अस्पताल से कहा, "मैं भारत एव विदेशों में रह रहे मित्रों सूचना के लिये यह कह देना चाहता हूँ कि भारत की स्थिति आज भी वैसी ही है जैसी वह जून 1975 की थी अथवा जैसी वह जुलाई 1975 को थी, जिस दिन मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। सच तो यह है कि तब से जो अप्रिय घटनाये घटी हैं, उनमें मेरी आशंका टूट हो गयी है कि इन्दिरा जी तानाशाह हैं। मैं इस बात को इस दृष्टि से स्पष्ट कर रहा हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर इस बात को कही तोड़ मरोड़ कर न प्रस्तुत किया जाय" ⁴ श्री जय प्रकाश नारायण को इन्दिरा सरकार ने इस स्थिति में छोड़ा था कि शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाये। उन्होंने स्वयं इसका स्पष्टीकरण करते हुये कहा, "साठे चार महीने के जिस एकाकी कारावास से मुझे अभी हाल में छोड़ा गया है, उसी अवधि में मैंने एकदम खराब हो गये हैं।" ⁵

1 देखें, किसिंग्गस कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स अक्टूबर, 6-12, 1975, पृ० 27371

2 न्यूयार्क टाइम्स, अगस्त 10, 1975

3 देखें, किसिंग्गस कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स, अक्टूबर 6-12, 1975, पृ० 27371

4 जय प्रकाशनारायण द्वारा जस लोक अस्पताल से दिसम्बर 5, 1975, को दिया गया वक्तव्य, उद्धृत, दीनानाथ मिश्र, पूर्वोक्त, पृ०

129

5 वही

इन्दिरा सरकार द्वारा दमन एव अत्याचार का खेल एक दो महीने नही वरन् पूरे 19 महीने की आपात स्थिति के दौरान खेला गया। इसमें सत्ताधारी नेताओं, नोकरशाहों एव पुलिस ने शक्ति का अधिकतम दुरुपयोग किया। शाह आयोग¹ ने अपनी जाँच की अन्तरिम रिपोर्ट में कहा कि बहुत से लोगों का दण्ड रहिता प्रक्रिया की धारा 108 एव धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ऐसे लोगों को जब न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया गया तो न्यायाधीशों ने या तो जमानत देने से इन्कार कर दिया, या फिर जमानत देने में अत्यन्त विलम्ब किया। इसी बीच उन्हें 'मीसा' में गिरफ्तार के आदेश दे दिये गये।²

किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जनता को एक सवेदनशील प्रशासन प्रदान करना। शाह आयोग में स्पष्ट किया कि आपातस्थिति के दौरान 'प्रशासन स्वतन्त्रता के मौलिक नियमों एव कानून की धाराओं का उल्लंघन कर रहा था। अधिकारी वर्ग, अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञा का पालन, बिना सोचे समझे एव अपने कार्यों के परिणामों के चिन्ता किये बगैर, कर रहे थे। इसमें समाज सर्वाधिकारवादी हो गया था।'³

जन संचार-माध्यमों का दुरुपयोग

स्वतन्त्र एव निष्पक्ष प्रेस, लोकतन्त्र की एक अनिवार्य शर्त है, इससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। यह सरकार की नीतियों एव कार्यों पर नजर रखती है एव जनता को जागरूक बनाकर सरकार पर नियन्त्रण रखती है। कोई भी तानाशाह प्रेस की स्वतन्त्रता को बर्दाशत नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से उसके सत्ता का चरित्र उभर कर आ जायेगा। वह जनता एव देश के हित का आधार लेकर जनसंचार माध्यमों एव प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण करके उसे सरकारी प्रवक्ता (Mouth Piece) के रूप में प्रयोग करता है, ऐसा उदाहरण हिटलर, मुसोलिनी एवं स्टालिन की सरकारों के सन्दर्भ में देखा जा सकता है।

अतः समकालीन इतिहास पर नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि तानाशाह के दमन का पहला शिकार सामान्यतः जन संचार माध्यमों को और विशेष रूप से समाचार पत्रों को बनाया जाता है, इन्दिरा सरकार ने आपातस्थिति के घोषणा के बाद प्रेस सेंसरशिप की घोषणा कर दी। 26 जून 1975 को केन्द्रीय सरकार ने भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम की धारा 48 के आधीन समाचारों टिप्पणियों अथवा आदेश में निर्दिष्ट अन्य रिपोर्टों के प्रकाशन पर भारत की रक्षा एव लोक सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिये पूर्व सेंसरशिप लगाने के आदेश जारी किये। समाचार पत्रों को यह आदेश दिया गया कि वे ऐसे लेख न छापें जिससे भारत एव विदेशी शक्तियों के सम्बन्ध में असर पड़ता हो तथा प्रधानमंत्री, सशस्त्र सेनाओं, नौकरशाही एव सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचता हो। 'आपातस्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद समाचार पत्रों के लिये दो दिन तक बिजली के सप्लाई बन्द कर दी गयी जिससे

1. जनता सरकार के 'गृह मन्त्रालय' ने 28 मई 1977 को एक जाँच आयोग श्री जे। सी। शाह, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना निवृत्त, की अध्यक्षता में, आपातस्थिति के दौरान इन्दिरा सरकार द्वारा की गयी ज्यादतियों की जाँच के लिये, नियुक्त किया। इस आयोग ने आपातस्थिति के दौरान सरकार के क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन कर के बाद अपने तीन अन्तरिम प्रतिवेदन क्रमशः मार्च 1978, अप्रैल 1978 एव जुलाई 1978 को प्रस्तुत किया।
2. शाह जाच आयोग की रिपोर्ट उद्धृत, आचार्य जे। बी। कृपलानी "दि नाइट मेयर ऐण्ड आफ्टर", पापुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, 1980, पृ० 37
3. वही-पृ० 38

26 27 जून का समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सके।¹ 28 जून को पुन 'दि स्टेटसमैन' एवं 'दि मदर् लैंड' जो कि जनसंघ का समाचार पत्र था, का प्रकाशन बन्द करके, उसके सम्पादक श्री के. आर. मलकानी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस अखबार ने प्रेस सँसरशिप नियमों को मानने से इन्कार कर दिया था तथ 26 जून 1975 को सुबह का संस्करण प्रकाशित कर दिया। इसके प्रथम पृष्ठ की मुख्य खबर का पंक्तिगत थी 'विपक्ष पर मध्यरात्रि का कहर' (मिड नाइट स्वरूप आन अपोजीशन), इसमें 25 जून का श्री जय प्रकाश का भाषण एवं गिरफ्तार किये मुख्य-मुख्य नेताओं ने नाम और चित्र प्रकाशित किये गये। इसने सरकार के तानाशाही रवैये पर भी टिप्पणिया की थी। इसलिये इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

28 जून 1975 को श्री इन्द्र कुमार गुजराल के स्थान पर श्री विद्याचरण शुक्ल को सूचना एवं प्रसारण राज्य मन्त्री (मन्त्रालय का स्वतन्त्र कार्यभार) बनाया गया श्री शुक्ल स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष जन संचार-माध्यमों के दुरुपयोग करने में इंदिरा सरकार के सच्चे एवं वफादार प्रचार मन्त्री साबित हुए। 2 जुलाई को श्री शुक्ल ने यह घोषणा की कि 'सरकार की कार्यवाहिया अपरिवर्तनीय हैं, तथा अन्य लोगों की तरह प्रेस को भी इन कार्यवाहियों के साथ अपना समायोजन करना चाहिये।¹ श्री शुक्ल के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र प्रेस के अस्तित्व पर चोट की गयी थी एवं इसे सरकार की नीतियों का समर्थन करने के लिये मजबूर किया गया था। सरकार जन संचार माध्यमों पर नियन्त्रण करके लोगों को विपक्षी नेताओं के कार्यक्रमों, नीतियों एवं विचारों से एकदम काट देना चाहती थी। परन्तु जनता पर इसका प्रतिकूल असर हुआ। भूमिगत आन्दोलन एवं भूमिगत साहित्य द्वारा जनता विपक्ष की भावी रणनीतियों एवं सरकार की काली करतूतों से जुडी रही। इन्दिरा सरकार चाहती थी कि केवल सरकारी समाचार अखबारों में छपे, उसके लिये वह सभी समाचार के स्रोतों पर नियन्त्रण चाहती थी। सरकार ने चार समाचार एजेन्सियों—प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, दि यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया, समाचार भारती एवं हिन्दुस्तान समाचार, को एक में विलीन करके 'समाचार' एजेन्सी का नाम दे दिया। 'इससे सभी समाचार स्रोत इन्दिरा सरकार के नियन्त्रण में आ गये एवं यह सम्भव हो सका कि इसमें 'प्रतिबद्ध समाचार' ही छपे।'²

समाचार पत्रों पर दमनकारी कानूनों के जरिये हमला बोला गया। कई सवैधानिक कानून जल्दी से पास कराये गये, जिससे देश में समाचार पत्रों की स्वाधीनता बिल्कुल समाप्त हो गयी। 8 दिसम्बर को केन्द्रीय सरकार में तीन अध्यादेश जारी किये जो बाद में कानून बन गये इसमें 'प्रिवेशन आफ पब्लिकेशन आफ आब्जेक्शनेबिल मैटर्स एक्ट' 1975 पास करके समाचार पत्रों पर, ब्रिटिश राज्य से भी कड़े प्रतिबन्ध लगाये गये। इस कानून को सविधान की नवी सूची में सम्मिलित करके इसे न्यायिक जाँच-पडताल के क्षेत्र में बाहर कर दिया। एक अन्य कानून 'प्रेस कौंसिल (रिपील) एक्ट' 1975 बनाकर प्रेस कौंसिल समाप्त कर दी गयी। ससदीय कार्यवाही की प्रकाशित करने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों को जो स्वाधीनता प्राप्त थी उसे 'रिपीलिंग आफ दि पालियामेन्टरी प्रीसिडिंग्स (प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन) एक्ट आफ 1976, के कानून के जरिये खत्म कर दिया गया।

1 अगस्त 1977 को जनता सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्री श्री लाल कृष्ण आडवानी ने ससद में आन्तरिक

1. देखें, किसिंग्स कन्टेम्पेरी आर्किव्स, अक्टूबर 6-12, 1975, पृ0 27369
2. कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ0 116

आपातस्थिति के दौरान जनसंचार माध्यमों के दुरुपयोग के बारे में श्वेत पत्र पेश किया। यह श्वेत-पत्र के (के) दास आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। इस पत्र में कहा गया कि श्री विद्याचरण शुक्ल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री नियुक्त किये जाने के बाद आपातस्थिति की तथाकथित अच्छाइयों और आर्थिक लाभों का गुणगान एवं प्रदर्शन करने का उत्तेजक प्रयास किया गया। श्रीमती इंदिरा गाँधी को 19 महीने के दौरान उनके सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा आपातस्थिति की क्रूर आवश्यकताओं व उनकी और उनके पुत्र की प्रतिष्ठा स्थापित करने की जरूरत के अनुरूप जनसंचार माध्यमों की झुकाने की दिशा में उठाये गये कदमों की न केवल जानकारी थी, वरन् तत्सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण भी उनका हाथ था। प्रचार माध्यमों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण की जुलाई 1975 में हुई इस बैठक में श्रीमती इंदिरा गाँधी उपस्थित थी। प्रेस कौंसिल का अस्तित्व खत्म करने और समाचार की एजेन्सियों को एक ही एजेन्सी में विलीन करने इत्यादि के सम्बन्ध में प्रस्ताव भी इस बैठक में पास किये गये।¹

आकाशवाणी संहिता “फिल्म डिवीजन का इस्तेमाल ऐसे वृत्त-चित्र और न्यूजरील बनाने के लिये किया गया जिसमें आपातकाल की उपलब्धियों और फायदों को मुख्य रूप से दर्शाया गया था और जिनका उद्देश्य आम तौर पर कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर श्रीमती इंदिरा गाँधी की छवि को उभारना था।”² इस प्रकार कांग्रेस सरकार आकाशवाणी का प्रयोग भी अपने दलीय हित में कर रही थी। “आपातस्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद प्रमुख राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार को आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से प्रसारित नहीं किया गया। दूरदर्शन ने श्री सजय गाँधी को राष्ट्रीय नेता चित्रित करने के लिये मार्ग से हटकर कार्य किया। युवक कांग्रेस को समाचारों, रूपकों और नाटक, गीतों आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों में प्रमुखता दी गयी।”³ प्रचार माध्यम के रूप में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर दबाव डालकर श्रीमती इंदिरा गाँधी एवं श्री सजय गाँधी के व्यक्तित्व को उभारने एवं विपक्ष को जनता की निगाह में गिराने के अनेक प्रयत्न किये गये।

आपातकाल के दौरान युवक कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्षों के हुए सम्मेलन के बारे में विशेष न्यूजरील बनाई गयी थी। फिल्म डिवीजन ने श्री सजय गाँधी की तिरुपति यात्रा की भी न्यूजरील बनायी थी। जिन फिल्म निर्माताओं ने राजनीतिक टीका टिप्पणी की उन्हें आपातस्थिति की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ‘आधी’ फिल्म, जिसकी नायिका को एक महत्वाकांक्षी महिला को रूप में प्रस्तुत किया था, पर रोक लगा दी गयी बाद में सशोधित रूप से इसे देखने की अनुमति दी गयी। ‘किस्सा कुर्मी का’ फिल्म पर पहले प्रतिबन्ध लगाया गया बाद में इसे जब्त कर लिया। आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं फिल्म के साथ ऐसा दुर्व्यवहार केवल कांग्रेस पार्टी को छवि निखारने के लिये हुआ। भारतीय सिनेमा एवं दूरदर्शन से हमारा जन समुदाय काफी जुड़ा हुआ है अतः इनकी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव जन साधरण के मस्तिष्क पर पड़ता कि सरकार वास्तव में क्या चाह रही है? ‘आपातस्थिति एवं 20 सूत्रों तथा श्री सजय गाँधी के पाँच सूत्री कार्यक्रमों के गुणगान करने के लिये सभी संचार माध्यमों ने तेजी से अभियान चलाए। केवल इसी प्रचार पर लगभग 298 करोड़ रु० खर्च हुआ। यह समन्वित प्रचार कार्यक्रमों पर खर्च हुये 62 लाख रुपये

1. दि इण्डियन एक्सप्रेस, अगस्त 2, 1977

2. देखें जनता के समक्ष रिपोर्ट (1) पुस्तिका, “जन संचार माध्यमों के साथ बलात्कार”, पूर्वोक्त, पृ० 5

3. वही, पृ० 5-6

के अलावा है।”¹

विदेशी संवादताओं के प्रति व्यवहार इंदिरा सरकार यह महसूस कर रही थी अगर भारत में मौजूद विदेशी सवादताओं को स्वतन्त्रता दी गयी तो वे आपातस्थिति का सही मूल्यांकन अपने विदेशी समाचार पत्रों में करेंगे। इससे सम्पूर्ण विश्व एवं वहाँ बसे भारतीय लोग भारतीय सत्ता, के चरित्र से अवगत हो जायेंगे तथा भूमिगत साहित्य द्वारा यह खबरें भारतीय जनमानस तक पहुँच जायेंगी। यह स्थिति सरकार के लिये भयावह होगी। अतः 28 जून 1975 को श्री विद्याचरण शुक्ल ने घोषणा की कि यदि विदेशी सवाददाता अपनी विज्ञप्तियों और अभिलेखों को सरकार के नियमों के अनुसार प्रतिबन्धित नहीं करेंगे तो उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जायेगा।² इसी सदर्भ में ‘दि वाशिंगटन पोस्ट’ के सवाददाता श्री लेविस एम० साइमन को 30 जून का निष्कासित कर दिया गया तथा ‘दि फाइनेन्शियल टाइम्स’ के सवाददाता को 14 जुलाई को भारत प्रवेश में रोक लगा दी। 23 जुलाई को ब्रिटिश ब्रोडकास्ट कारपोरेशन ने दिल्ली से अपने सवाददाता मार्क टली को वापस बुला लिया तथा 12 अगस्त की यू० एस० इन्फार्मेशन एजेंसी ने यह घोषणा की कि वह अपने ‘वाइस आफ अमेरिका’ के सवाददाता को वापस बुला लेगी क्योंकि उसे भारत सरकार द्वारा लागू किये गये प्रेस के ‘कठोर नियम’ मजूर नहीं। भारत सरकार की इन कार्यवाही की विदेशी प्रेस ने जमकर आलोचना की। ‘न्यूयार्क टाइम्स’ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि, कुछ समय के लिये भारत से लोकतन्त्र का अन्त हो गया। ..आज सभी व्यावहारिक प्रयोजनों से श्रीमती इंदिरा गॉंधी भारत की तानाशाह हैं। ..यदि प्रधानमन्त्री और उनकी पार्टी यह दावा करती हैं कि इन्हे पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो क्या वह विपक्ष के सविनय अवज्ञा आन्दोलन का मुकाबला बिना दमनकारी उपायों के नहीं कर सकती थी?’³ अतः यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि श्रीमती इंदिरा गॉंधी की सरकार ने जनसंचार-माध्यमों का प्रयोग हिटलर की भाँति अपनी एवं अपनी पार्टी को छवि बिखरने के लिये किया। इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी जनता पर पड़ा कि वह यह जान गयी कि इंदिरा सरकार की यह छवि इसकी वास्तविक छवि नहीं है, इस ‘कारक एवं विचार’ ने जनता के मन कांग्रेस विरोधी बीज बो दिये।

संसद, संविधान एवं न्यायपालिका की स्थिति

आपातस्थिति की घोषणा के साथ ही देश की मूल सवैधानिक जीवन को लकवा मार गया। 27 जून 1975 की राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 359 (1) के अनुसार यह घोषणा की कि जिन लोगों को आपातस्थिति एवं अतर्गत गिरफ्तार किया गया है वे अनुच्छेद 14, 21 एवं 22 के अतर्गत प्राप्त अधिकार के प्रवर्तन के लिये न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। ये प्रक्रियायें तो संविधान के अतर्गत थी, अतः इनकी औचित्यता पर पश्न नहीं उठाया जा सकता। परन्तु जब पूरा विपक्ष जेलों में बन्द था, उस समय बिना किसी वाद-विवाद के संविधान में ऐसे संशोधन किये गये एवं इसके द्वारा ऐसे कानून पारित किये गये जिनसे श्रीमती इंदिरा गॉंधी एवं उनकी सरकार के कुकृत्यों को औचित्यता प्राप्त हो सके।

1 वही पृ० 10

2. देखें किसिंग्स कॉन्टेम्पेरी आर्किव्स, 6-12, अक्टूबर 1975 पृ० 27369

3. उद्धृत, कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ० 115

जिससे कांग्रेस पार्टी एव सरकार को मजबूत बनाया जा सके। “इस अनाचार को सम्मानित तथा प्रतिष्ठित करनेके लिये सविधान की आड़ ली गयी। सविधान बनाने वाले मनीषियों ने जिन आस्थाओं की धरोहर जनता को सौपी थी उनका गबन किया गया। इन सशोधन द्वारा सविधान के उन मूलाधारों को खोखला कर डाला गया जिसका न्यास 1950 में हुआ था।”¹

अडतीसवाँ संवैधानिक संशोधन² (जुलाई 1975) : इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपालों और उप राज्यपालों द्वारा उद्घोषित आपातकालीन स्थिति वाले अध्यादेश को न्यायालयों के सुनवाई के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया; अर्थात् इन विषयों पर न्यायालयों को विचार करने का अधिकार नहीं है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा मुख्य रूप से सविधान के अनुच्छेद 123, 352, 356, 359, और 360 को संशोधित किया गया।

सविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ससद के विश्राम काल में राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश जारी किये जाते हैं, इस संवैधानिक संशोधन के अनुसार उनकी जाँच करने का अधिकार भी न्यायालय को नहीं होगा। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति का समाधान हो जाना ही अध्यादेश जारी करने के लिये पर्याप्त है और न्यायालय इस बात की जाँच नहीं कर सकेगा कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये बाध्य करने वाली परिस्थितियाँ विद्यमान थी अथवा नहीं। इस प्रकार राज्यपाल और केन्द्र शासित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियों की जाँच भी न्यायालयों में नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 356 में एक पाँचवे उपखण्ड को जोड़कर इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। संशोधन का आशय यह था, कि शासन में इसके कुछ विपरीत होने पर भी यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाय कि राज्य या राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसमें राज्य का शासन इन सविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह सम्बन्धित राज्य के विषय में सकटकाल की घोषणा कर सकेगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा जो कार्य करेगा, उनके बारे में कोई मुकदमा अदालत में नहीं लाया जा सकेगा।

उन्तालीसवाँ संवैधानिक संशोधन³ (अगस्त 1975) : इस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इन चार पदाधिकारियों के निर्वाचन को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस संशोधन में यह व्यवस्था की गयी कि इन चार उच्च पदाधिकारियों के चुनाव विवादों की सुनवाई के लिये ससद के द्वारा एक नवीन समिति का गठन किया जायेगा। औरससद द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये व्यवस्थापन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा सविधान की नवी अनुसूची को भी संशोधित किया गया। इस अनुसूची को संशोधित करते हुये उसमें 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1974 और 1975 में किये गये संशोधनों सहित) और अन्य चुनाव कानूनों, आंतरिक

1 जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र 1977”, प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ 5

2. जनता सरकार में 44वें संवैधानिक संशोधन (1979) द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गयी हैं, उसके कारण 38वाँ संवैधानिक संशोधन समाप्त हो गया है।

3. 44वें संवैधानिक संशोधन (1979) द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गयी हैं, उनके कारण 38वाँ संवैधानिक संशोधन और 39 वें संशोधन द्वारा चार पदाधिकारियों के चुनाव विवादों की सुनवाई के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था समाप्त हो गयी।

जनसंचार माध्यमों में तो प्रतिबन्ध लगा था परन्तु विदेशों में 39वें संविधान संशोधन सहित इन संशोधनों को तीव्र भर्त्सना हुई। विदेशी प्रेस ने इस विधेयक को 'इन्दिरा दोष मुक्ति विधेयक' की संज्ञा दी।¹ विदेशी पत्रकारों ने अपने पत्रों पर टिप्पणियाँ की कि 'जब-जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कानून भंग किया, तब तब कानून ने संशोधन किया गया।'² श्रीमती इन्दिरा गाँधी एवं उनके कानून मंत्री श्री एच० आर० गोखले इस तथ्य को भली प्रकार जानते थे कि आपातस्थिति एवं कटकविहीन सदन के होते हुये, वे अपने निहित स्वार्थों के अनुसार संविधान में संशोधन करके उसे एक नया रूप प्रदान कर सकते हैं।

42वाँ संविधान संशोधन

1975 में आपातस्थिति के दौरान श्रीमती इन्दिरा गाँधी एवं शासक दल के एक वर्ग द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। कि देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिये संविधान में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। तत्कालीन कानून मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने संशोधन पर हुई बहस पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि 'कानून समय (वर्तमान) से एक पीढ़ी पीछे है, वकील दो पीढ़ी पीछे है, और जज तीन पीढ़ी पीछे है।'³ इस प्रकार 'प्रगतिशील विधायन' (Progressive Legislation) के नाम पर इस संशोधन द्वारा सबसे बड़ा कुठाराघात न्यायपालिका की शक्तियों पर किया गया।

सदन की सर्वोच्चता स्थापित करने के आवरण में यह काम और भी आसान हो गया। यह तर्क दिया गया कि सदन देश की प्रतिनिधि संस्था है तथा इसे सर्वोच्चता प्रदान करके देश के नागरिक को सर्वोच्चता प्रदान की गयी है। 42वें संविधान संशोधन में कुल 59 संशोधन किये। परन्तु यहाँ केवल उन्ही संशोधनों की विवेचना की जायेगी, जिसके द्वारा श्रीमती इन्दिरा गाँधी एवं कांग्रेस दल की शक्ति में वृद्धि हुई तथा अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष एवं विपक्षी दलों को पगु बना दिया गया। सरकार के इस पडयत्र को बुद्धिजीवियों एवं जन साधारण ने भी भौंप लिया था परन्तु अपने स्वयं के अधिकारों में कटौती एवं सरकार के तानाशाही रवैये के कारण वे मौन थे। इन संशोधनों में कुछ संशोधन निम्न प्रकार हैं

मौलिक अधिकारों का हनन⁴ इसके द्वारा सदन को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियन्त्रण या रोक लगाने का अधिकार दिया गया, चाहे उससे मौलिक अधिकार समिति होते हों। इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को प्रमुखता प्रदान की गयी। इससे यह कहा गया कि नीति निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करने के लिये सदन जिन किन्हीं कानूनों का निर्माण करे, उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि ये कानून संविधान में दिये गये किसी मौलिक अधिकार को समिति या समाप्त करते हैं।⁵ मौलिक अधिकारों को समिति करके, राज्य की शक्ति एवं स्वच्छन्दता को बढ़ाया गया था दूसरे शब्दों में 'न्यायपालिका, विधायिका के स्थान पर कार्यपालिका की शक्ति बढ़ा दी गई। जिसका अर्थ था प्रधानमंत्री की शक्ति को बढ़ाना। इस प्रकार चारों ओर से

1. उद्धृत, कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ० 102

2. वही

3. वही: पृ० 103

4. मौलिक अधिकारों को हनन करने वाली व्यवस्थाओं को 43वें और 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।

5. इस व्यवस्था को 'मिनर्वा मिल्स विवाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया।

प्रधानमंत्री ने शक्ति बटोर ली।'¹

राष्ट्रपति की स्थिति राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान है, इस बात को स्पष्ट करते हुए सविधान में उल्लेख किया गया है कि 'राष्ट्रपति अपने कार्यों के सम्पादन में मन्त्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श के आधार पर कार्य करेगा।' इसके साथ राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे गये। जैसे ससद सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी विवादों के सन्दर्भ में योग्यता एवं अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की परामर्श से करेगा। भारत का राष्ट्रपति जो ससद एवं राज्यों के विधान मण्डलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वास्तव में बहुमत दल द्वारा निर्देशित होता है, इसलिये उसका निर्णय एक 'राजनीतिक निर्णय' होगा। अतः राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ाने के आवरण में सरकार और अन्ततोगत्वा प्रधानमंत्री की शक्ति को बढ़ाया गया।² क्योंकि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा तथा आपात स्थिति में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गॉंधी ने मन्त्रिपरिषद को भी नपुंसक बनाकर सम्पूर्ण शक्तियाँ स्वयं में केन्द्रीत कर ली थी।

ससद की सर्वोच्चता • 42वें संवैधानिक संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य 'ससद की सर्वोच्चता' स्थापित करना बतलाया गया। अतः यह व्यवस्था की गयी कि, 'ससद द्वारा सविधान में किये गये किसी भी संशोधन को (जिसमें सविधान का भाग 3 भी शामिल है), इसके अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि इसमें अनुच्छेद 368 द्वारा बतलायी गई प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है।' सविधान सभा के राजनीतिक पण्डितों ने यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से की है कि भारत में सविधान सर्वोच्च है, तथा कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य एक समन्वय एवं सन्तुलन स्थापित हो। कि ससद की सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि ससद में बहुमत प्राप्त दल की मनमानी एवं बहुमत दल कैसा भी संशोधन कर सकता है। यह सम्भावना उस समय और बढ़ जाती है जब बहुमत दल अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर सविधान संशोधन कर रहा हो और ससद से विपक्ष गायब हो जैसा कि आपातस्थिति के दौरान हुआ। ससद और राज्य के विधान सभाओं का कार्यकाल 5 के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया। • इसका अर्थ यह हुआ कि राजनीतिक प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी कम करना।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति में कमी • 42वें सविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती थी। यह कार्य ससद की सर्वोच्चता स्थापित करने के आवरण में बहुत ही घातक तरीके से किया गया। श्रीमती इन्दिरा गॉंधी को अपने चुनाव विवाद में न्यायपालिका की शक्तियों के कारण बहुत अपमान सहना पड़ा था। अतः उन्होंने उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय से इन शक्तियों को लेकर उन्हें राष्ट्रपति को दे दिया था।

(• तारांकित व्यवस्था को 43वें एवं 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया)

-
1. डा॥ युगेश्वर "आपातकाल का धूमकेतु राजनारायण" हिन्दी प्रचारक संस्थान, विशाचमोचन, वाराणसी, 1970 पृ० 197
 2. कावता नारवेन पूर्वोक्त, पृ० 107

इसके आलावा इस सर्वैधानिक सशोधन द्वारा कई रूपों में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कमी की गयी। प्रथम, इस सशोधन के अनुसार देश का कोई भी न्यायालय सर्वैधानिक सशोधन की वैधता पर विचार नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय राज्य के कानून की वैधता पर विचार नहीं कर सकता। द्वितीय, इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किये जाने वाले 'न्यायिक पुनर्विलोकन' की प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया तथा प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों (Tribunals) की स्थापना की व्यवस्था करके भी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को समिति करने का प्रयत्न किया गया।

42वें संविधान सशोधन के द्वारा सर्वैधानिक सशोधन के 'न्यायिक पुनर्विलोकन' को अत्यन्त समिति कर दिया था। इंदिरा सरकार ने अपने निहित स्वार्थों को पूर्ति के लिये ससद को सर्वोच्च सस्था के रूप में स्थापित करने का स्वांग रचाया। लेकिन तर्कपूर्ण विवेचना से यह तथ्य उभर कर आता है कि 'दल-व्यवस्था में, और जब एक दल अत्यन्त शक्तिशाली हो, एवं विपक्ष कमजोर हो तो, ससद को दी जाने वाली सभी शक्तियाँ वास्तव में कार्यपालिका को ही दी जाती हैं, और जब कार्यपालिका जीहुजूरिया किस्म का हो तो, इन सभी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करता है।' ¹ श्रीमती इंदिरा गाँधी ने सम्पूर्ण शक्ति को अपने हाथों में लेकर उसका दुरुपयोग सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिये किया।

तत्कालीन शासकवर्ग द्वारा इस सर्वैधानिक सशोधन के चाहे जो भी लक्ष्य और उद्देश्य बतलाये गये हों, वस्तुतः इस सर्वैधानिक सशोधन का सर्वप्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री एवं कार्यपालिका के हाथों में सत्ता का अधिकाधिक केन्द्रीकरण ही था। भूतपूर्व महाधिवक्ता श्री सी० के० दफ्तरी के शब्दों में, '42वें सर्वैधानिक सशोधन का उद्देश्य व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता स्थापित करना घोषित किया गया था, लेकिन वस्तुतः इसका मूल उद्देश्य प्रधानमंत्री पद में मूर्तिमान कार्यपालिका की पूर्ण सत्ता स्थापित करना था। इस प्रकार 42वें सर्वैधानिक सशोधन के उद्देश्य और लक्ष्य के सम्बन्ध में जनता को भ्रम में डाला गया।'²

मूल कर्तव्यों की व्यवस्था. संविधान में 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करके सरकार ने यह घोषणा की कि इनसे देशवासियों के राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सहायता मिलेगी। जनता को हमेशा अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिये, अगर जनता अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन है, तो सरकार को इस दिशा में समुचित एवं सकारात्मक कदम उठाना चाहिये, ताकि राष्ट्रीय चरित्र उन्नत हो। आपातस्थिति में सरकार ने संविधान में ऐसे कर्तव्यों का समावेश किया, जो अत्यन्त उदात्त एवं पवित्र थे। परन्तु इनके पीछे सरकार की कलुषित भावना निहित थी। वह नागरिकों के जीवन में अनाश्वयक अतिक्रमण करके भय एवं आतंक फैलाना चाह रही थी। डा० युगेश्वर के शब्दों में "नागरिकों के ये दस ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे पूर्णतः पुलिस राज की स्थापना हो सकती है किसी भी नागरिक को हर वक्त जेल जाने के लिये तैयार रहना होगा। इतने अस्पष्ट एवं उलझे नियम केवल पुलिस की मदद कर सकते हैं।"³

-
1. कविता नार्विन पूर्वोक्त, पृ० 105
 2. दि इण्डियन एक्सप्रेस, अप्रैल 11, 1977
 3. डा० युगेश्वर पूर्वोक्त, पृ० 188

श्रीमती इंदिरा गाँधी के मुकदमे का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गाँधी के 1971 के रायबरेली के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तथा न्यायालय ने इस मुकदमे में 'प्रतिबन्धित स्थगन आदेश' (Conditional Stay Order) दिया। इसी बीच आपातस्थिति की घोषणा कर दी गयी एवं सविधान एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में व्यापक परिवर्तन किये गये। इन सशोधनों में उन नियमों को बदल दिया गया, जिसके आधार पर श्रीमती इंदिरा गाँधी का चुनाव अवैध घोषित हुआ था।

छ सप्ताह तक दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 7 नवम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय को उलट दिया। 'अपने निर्णय में न्यायाधीशों ने 1974 एवं 1975 में हुए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सशोधन की वैधता को स्वीकार किया एवं 39वें सविधान सशोधन की वैधता का अनुमोदन भी कर दिया।'¹

इन सशोधनों को पूर्व प्रभावी माना गया था तथा इन्हीं के प्रकाश में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। अतः श्रीमती इंदिरा गाँधी के चुनाव को वैध घोषित कर दिया गया क्योंकि नियमों में परिवर्तन करके उन मुद्दों को अप्रभावी बना दिया गया था, जिनके आधार पर श्रीमती इंदिरा गाँधी के चुनाव को पहले अवैध घोषित किया गया था। इस मुकदमे का वास्तविक फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं वरन् ससद ने किया था, "क्योंकि ससद ने न्यायालय का काम किया। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारतीय ससद से वह कार्य कराया जो उसकी बदनामी का स्थायी प्रमाण होगा।"²

आपातकाल में श्री संजय गाँधी की भूमिका

जनता पार्टी के उदय का सीधा सम्बन्ध इन्दिरा सरकार के पतन से है। इन्दिरा सरकार के पतन के लिये बहुत सी घटनाएँ एवं प्रक्रियाएँ जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी—आपातस्थिति के दौरान श्री संजय गाँधी एवं उसकी चौकड़ी³ का उदय। इस चौकड़ी को इन्दिरा सरकार का वरदहस्त प्राप्त था एवं स्वयं श्रीमती इन्दिरा गाँधी इसे प्रशय दे रही थी। इस चौकड़ी ने, जिसके सरगना श्री संजय गाँधी थे, सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों एवं सम्मानित नागरिकों के साथ अत्यन्त घिनौना व्यवहार किया और श्रीमती इन्दिरा गाँधी इसे चुपचाप देखती रही। इससे जन साधारण का इन्दिरा सरकार से मोह-भग हो गया।

'इस चौकड़ी ने केवल दल के सगठन पर नहीं वरन् सरकार पर भी नियन्त्रण कर लिया। इस गुट को 'सविधानेत्तर शक्ति के केन्द्र' के रूप में जाना गया। यही गुट केन्द्र एवं राज्य कर्मचारियों तथा सरकारी तन्त्र को कार्य

1. हॉगटहार्टमैन "पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया," पूर्वोक्त 1982, पृ(1) 229

2. डा(1) युगेश्वर पूर्वोक्त, पृ(1) 185

3. इस चौकड़ी के प्रमुख व्यक्तियों में श्री संजय गाँधी श्री बशीलाल, श्री विद्याचरण शुक्ल एवं श्री ओम मेहता थे। वास्तव में इन्दिरा सरकार में इस चौकड़ी की संरचना सोपानवत् थी। सबसे ऊपर श्रीमती इंदिरा गाँधी श्री देवकान्त बरुआ एवं अन्य लोग थे; मध्य में श्री संजय गाँधी, श्री बशीलाल एवं अन्य लोग तथा तीसरे स्तर सबसे नीचे कुछ मुख्यमन्त्री, स्थानीय नेता एवं कुछ सरकारी कर्मचारी थे।

सम्पादन का आदेश देता था। कुछ मुख्यमन्त्रियों का इसलिये अपदस्थ कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने 'इस गुट' के सदस्यों के प्रति सम्मान जनक रवैया नहीं अपनाया था। श्री सजय गॉंधी को राष्ट्रीय नेता एव श्रीमती इंदिरा गॉंधी के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिबिम्बित किया गया।¹

श्रीमती इंदिरा गॉंधी की कार्यशैली ऐसी थी कि वे अपने चापलूसों की सहायता से, हमेशा अपने चारों ओर एक 'रहस्यमय प्रभामण्डल' बनाये रखती थी। परन्तु इस प्रभामण्डल की आभा आपातस्थिति में धूमिल हो गयी थी। "आपातस्थिति के कुछ पहले उन्होंने राजवशीय शासन के स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी थी एव आपातस्थिति की घोषणा देश में राजवशीय शासन के स्थापना के लिये की गयी थी।"² अनेक गलत कार्यों के बावजूद जन समर्थन ने उन्हें अन्धा भी बना दिया। उन्होंने गलत और गंभीर का विवेक खो दिया। वे भूल गयीं कि जनता की अपनी चेतना भी होती है। वे आत्मकेन्द्रित के साथ ही परिवार केन्द्रित होती गईं।

"आपातकाल के दौरान एक ऐसे राज्य का उदय हुआ जिसमें प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त उनका पुत्र शासक हो गया। ओहदेदार अफसर, प्रदेशों के मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री आदि सब उनके इशारे एव हुक्म पर काम करने लगे। सारे राजनयाचार को खत्म कर पुलिस, सेना एव ऊँचे पदाधिकारी प्रधानमन्त्री के पुत्र श्री सजय गॉंधी की अगुवानी करने लगे। उनके स्वागत में लाखों रुपये का व्यय सरकारी साधनों द्वारा होने लगा। सरकार एक परिवार की मिल्कियत हो गई। लोकतन्त्र के नाम पर परिवार तन्त्र हावी हो गया। सारी जनता मूक दर्शक बन गयी।"³

श्री सजय गॉंधी दुनिया के सरकारी इतिहास में अद्भुत व्यक्ति माने जायेंगे। वे सरकारके किसी पद पर नहीं थे। यहाँ तक कि वे किसी विधान मण्डल के सदस्य भी नहीं थे, किन्तु भारत सरकार के सब कुछ थे। उनके आदेश के बिना सरकारी पीपल के पत्तों ने हिलना बन्द कर दिया था। सभी कांग्रेसी राजनीतिज्ञ इस युवक की कृपा चाहते थे। इन सभी कांग्रेसियों के मन में डर समा गया था कि अगर राजकुमार नाराज हुए तो उनकी खैर नहीं। परन्तु अपमानित राजनीतिज्ञों के मन ही मन में आक्रोश पनप रहा था, जिसका प्रदर्शन कांग्रेस जनों ने 1977 के लोकसभा के चुनाव में हार के बाद किया। श्रीमती इंदिरा गॉंधी का वरदहस्त प्राप्त करने के लालच में कुछ लोगो ने खुलकर श्री सजय गॉंधी के खिलाफ कार्यवाही की माग नहीं की। परन्तु "श्री देवकान्त बरुआ, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी और कांग्रेस दल के दूसरे नेताओं से मिलकर सुश्री सुभद्रा जोशी और श्री देसराज गोयल यह कहते रहे कि दल को साफ तौर से यह कहना चाहिये कि श्रीमती इंदिरा गॉंधी और सजय गॉंधी की चौकड़ी चुनाव में हार के मुख्य कारण रहे हैं।"⁴

श्री सजय गॉंधी का सरकारी तन्त्र पर अधिकार था। श्री सजय गॉंधी की तुलना उन नेताओं से नहीं की जा सकती जो सरकार के बाहर रहकर भी सरकार को प्रभावित करते हैं ऐसे नेता प्रायः सत्तात्यागी, लोकमान्यता वाले व्यक्ति होते हैं। वे सरकार विशेषकर सरकारी नीतियों, चुनावों जैसी चीजों को प्रभावित तो करते हैं किन्तु सीधे सरकार

- 1 जनता सरकार में राष्ट्रपति ने ससद के सयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुये कहा। दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, मार्च 28, 1977
- 2 जे। ए। नैयडू पूर्वोक्त, पृ० 15
- 3 डॉ० युगेश्वर पूर्वोक्त, पृ० 197
- 4 जर्नादन ठाकुर इंदिरा गॉंधी का राजनीतिक खेल, हिन्दी अनुवादक दीनानाथ मिश्र, राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागज नई दिल्ली, नवम्बर 1979, पृ० 14 (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री देसराज गोयल के साथ लेखक की भेटवार्ता)

नहीं चलाते। वे शासकों के गुरु या नेता होते हैं, परन्तु सत्ता में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करते। इस कोटि में गाँधी जी, डा० लार्डिया, श्री जय प्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति आते हैं। किन्तु सजय गाँधी सरकारी कठपुतली का सूत्रधार था। देश के सरकारी तन्त्र पर श्री सजय गाँधी का जन्म एक तानाशाह के रूप में हुआ था।

कांग्रेस की पराजय का मुख्य कारण श्री सजय गाँधी की चौकड़ी एवं उसकी निरकुश कार्य-शैली थी। 5 मई 1977 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में पूर्व-उद्योग मंत्री श्री टी०ए० पई, जिन्होंने स्वयं 'दरबार' के दबाव के सामने आत्म समर्पण कर दिया था, ने स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्दशा हुई। उन्होंने कहा, "यह भीषण पराजय तो कांग्रेस कमेटी के चडीगढ़ अधिवेशन में ही शुरू हो गयी थी जब श्री सजय गाँधी की छवि उभारने की कोशिश की गयी थी, और गौहाटी अधिवेशन में तो यह तबाही पूरी हो चुकी थी, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जगह युवक कांग्रेस को देने की कोशिश की गयी थी। श्री सजय गाँधी कांग्रेस के असली नेता हो गये थे और सच तो यह है कि वे सरकार के सर्वेसर्वा हो गये थे। बिना किसी कानूनी अधिकार के वह सरकार को सभी फाइले देख सकते थे। वह मन्त्रियों तक की नियुक्ति एवं पदोन्नति का निर्णय करने लगे। जो उनके सामने नतमस्तक नहीं होते थे, उन्हें आतंक घेर रहा था।"¹

सजय गाँधी का नसबन्दी अभियान श्री सजय गाँधी की निरकुश कार्य-शैली के दो पक्ष थे। एक पक्ष वह जिसका वर्णन ऊपर किया गया, जो सरकार के खोखलेपन को उजागर करता है तथा दूसरा पक्ष वह जिसके कारण भारत का जन समुदाय भयभीत एवं आतंकित था। यह श्री सजय गाँधी का परिवार नियोजन कार्यक्रम या नसबन्दी अभियान था, यह कार्यक्रम उनके 5 सूत्री कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण था।

श्री सजय गाँधी की आज्ञा से सारे देश में परिवार नियोजन का अभियान चला। इस कार्यक्रम को चलाने का भार 'स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय'² ने लिया एवं इस तरह से कार्यान्वित किया कि ऐसा लगा नसबन्दी ही भारत का प्रमुख कार्यक्रम है। "केन्द्रीय सरकार के निर्देश से देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की आँधी चलाई गयी। जिसमें था दमघोटू धुआँ, काली काली रेखाये, दिल दिमाग और फेफड़ों को जकड़ देने वाली सरकारी धूल। इससे सारे देश की आँखों में अधेरा छा गया।"³ परिवार नियोजन कोई बुरी चीज नहीं है, परन्तु इसके लिये लोगो का समझाया जाता है, स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है एवं अच्छे-बुरे का ज्ञान कराया जाता है। "किन्तु यहाँ तो डडा था। श्रीमती इंदिरा गाँधी के डडे से कठोर एवं मारक डडा था, उनके पुत्र श्री सजय गाँधी का डडा।"⁴

परिवार नियोजन के अन्य सारे तौर तरीके व्यर्थ कर दिये गये। केवल नसबन्दी का दरवाजा खोल दिया गया। 'लक्ष्य-दर्पितियों' पर पहाड़ टूट पडा एवं नसबन्दी के नाम पर जुल्म की लम्बी यात्रा चली। इससे जन समुदाय कराह उठा। नसबन्दी न करने पर लोगो को अनेक परेशानियों का सामना करना पडा। "इसमें शहर वालों का राशन

1. 5 मई 1977 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में टी० ए० पई द्वारा दिया गया वक्तव्य, दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, मई 6, 1977
2. जनता-संस्कार में स्वास्थ्य मन्त्री श्री राजनारायण ने इम मन्त्रालय का नाम बदलकर 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय' रख दिया।
3. डा० युगेश्वर पूर्वोक्त, पृ० 203
4. वही

बन्द हो गया। चीनी नहीं दी गयी। गाडियों के लाइसेंस, बन्दूकों के लाइसेंसों के नवीनीकरण रोक दिये गये। गाँव के लोगो को बिजली का कनेक्शन नसबन्दी के आधार पर मिलने लगा। सबसे बड़ी आफत आयी नौकरी करने वाले छोटे सगकारी कर्मचारियों पर। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों पर, इनका वेतन रोक दिया गया। खुद नसबन्दी कराइये या दूसरों की कराइये। अच्छे कार्यों का कोई अतिरिक्त पुरस्कार नहीं, किन्तु नसबन्दी केस ने लाने का दण्ड मिलने लगा।”¹

श्री सजय गाँधी के नसबन्दी कार्यक्रम को सफल बनाने में एक महिला का नाम तेजी से उभर कर आया-यह थी रुकसाना सुल्ताना² जबरन नसबन्दी एवं शहर के सुन्दरीकरण के नाम पर झुगगी झोपड़ियों का सफाया करके हजारों को बेघर कर दिया गया। इन अमानवीय कृत्या में इस महिला ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह श्री सजय गाँधी को प्रसन्न करके दिल्ली में युवा मुस्लिम वर्ग का नेता बनना चाहती थी। इससे नसबन्दी को सफल बनाने के लिये ‘नसबन्दी शिविरो’ की व्यवस्था की, इसमें दिल्ली के ‘युजाना हाउस कैम्प’ के अमानवीय कृत्य सर्वविदित हैं। यहाँ रेल के ‘बिना-टिकट यात्री’ रिकशा चालक, रास्ता चलते अनपढ़ साधारण लोगो के बलात आपरेशन होने लगे। न चाह कर भी रोजी रोटी के लिये देश ने नसबन्दी स्वीकार ली। “नसबन्दी रुस का कन्सन्ट्रेशन कैम्प” हो गयी। हदबन्दी अमीरी के विरुद्ध थी और नसबन्दी गरीबों के विरुद्ध। यही कारण था सभी प्रकार के लोग कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हो गये।”³

सारा देश नसबन्दी के घेरेबंदी में पहुँच गया था। अस्पताल के चाकू विभिन्न शिविरो में चमकने लगे कितने ही ‘कुवारे’ एवं ‘सन्तान विहीन दम्पतियों’ की जबरन नसबन्दी कर दी गयी। भय की स्थिति यह थी कि बच्चे डरने लगे। “पापा-मम्मी हम स्कूल नहीं जायेंगे। हमारी नसबन्दी हो जायेगी।”⁴ जब स्कूलों में पोलियो एवं तपैदिक की सुइया लग रही थी तो अफवाह फैली कि सरकार ‘नसबन्दी की सुइया’ लगवा रही है। यह एक अफवाह थी, परन्तु यह समाज में व्याप्त भय को स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित करती है।

श्री सजय गाँधी के इस अभियान ने कांग्रेस सरकार को जितना बदनाम किया उतना अन्य दूसरे कार्यक्रमों ने नहीं। सरकार द्वारा आपातस्थिति की घोषणा, सविधान सशोधन एवं जनसंचार माध्यमों के साथ दुर्व्यवहार आदि से लोगो में आक्रोश भरा था, परन्तु ‘नसबन्दी अभियान’ से लोगो में भय की लहर दौड़ गयी। लोगो ने समझा कि इस अभियान के द्वारा उनके व्यक्तित्व पर हमला किया जा रहा है। भारत जैसे आस्था एवं विश्वास वाले देश में लोगो ने (मुख्यतः हिन्दूओं एवं मसलमानों ने) इसे अपने धार्मिक विश्वासों पर हमला माना। अतः देश का प्रत्येक वर्ग, जाति एवं समुदाय कांग्रेस सरकार के एकदम खिलाफ हो गया, और जब चुनाव का मौका आया तो उसने इन्दिरा सरकार के

1. डा। युगेश्वर पूर्वोक्त, पृ० 204-205

2. 31 वर्षीया खुबसूरत रुकसाना सुल्ताना उच्च समाज की आधुनिक महिला थी। इसने कई विवाह किये परन्तु सबकी परिणित तलाक म हुईं। अपनी इस ‘स्वच्छन्द एशवर्य यात्रा’ के दौरान वह मीनू बिम्बेट (रुकसाना सुल्ताना का कुवारेपन का नाम) से रुकसाना सुल्तान बनी। सन् 1975 में दिल्ली में एक फिल्म महोत्सव में इसकी भेट श्री सजय गाँधी से हुई। इसने श्रीसजय गाँधी को प्रभावित किया और शीघ्र ही उनकी अभिन्न मित्र बन गयी।

3. डा। युगेश्वर पूर्वोक्त, पृ० 205

4. वही

विरोध में जनता पार्टी को अपना मत दिया। इस प्रकार उस अभियान को इन्दिरा सरकार के पतन के महत्वपूर्ण कारकों में एक कारक माना जाना चाहिये।

उसके आलावा श्री सजय गाँधी के अन्य कार्यों से भी इन्दिरा सरकार काफ़ी बदनाम हुई। श्री सजय गाँधी की दिल्ली शहर की सुन्दरीकरण की योजना, हज़ारों गरीबों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिये अभिशाप बन गयी। लगभग 80,000 लोगों को केवल कुछ घंटों का नोटिस देकर बेघर कर दिया गया तथा उनकी झोपड़ियों को बुलडोज़रों से रौंद डाला गया। इन घटनाओं में 'तुर्कमान गेट त्रासदी' ने तो सरकार के मुख पर कालिख पोत दी। श्री सजय गाँधी के सौन्दर्य बोध को तुर्कमान गेट के पास की झुग्गी झोपड़ियाँ एवं गन्दी बस्तियाँ रास नहीं आयी। उसने आदेश दिया कि इन झोपड़ियों को यहाँ से हटा दिया जाए। वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया एवं गेट पर धरना देकर बैठ गये। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश में पहले लाठी चार्ज किया। फिर गोलियों चलाई। इसमें बच्चों सहित बहुत से लोगों की जानें गयीं तथा पुलिस ने औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया। सरकार चुपचाप इस घटना को देखती रही।

यह असम्भव है कि इस घटना की जानकारी श्रीमती इन्दिरा गाँधी को नहीं थी, जैसा कि उन्होंने बयान दिया। "यदि वे ऐसा दावा करती हैं तो उन्हें राष्ट्र में शासन करनेका अधिकार नहीं है।"¹ क्योंकि इससे देश की जनता के प्रति उनकी उदासीनता स्पष्ट हो जाती है।

"झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों ने पहले के सभी लोक-सभा, मेट्रोपोलिटन कौंसिल, एवं नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिये वोट दिया था। कांग्रेस के आका लोग इन्हे सरक्षण प्रदान करके, राजनीतिक रूप इनका शोषण करते थे। इन्होंने इन लोगों को यह आश्वासन दिया था कि जब तक उनकी पार्टी सत्ता में है, उन्हें कोई हानि नहीं पहुँची जायेगी।"² श्री संजय गाँधी की एक सनक ने राजधानी से कांग्रेस के इस आधार को नष्ट कर दिया, क्योंकि आपातस्थिति के दौरान इन लोगों बहुत यातनायें सही थीं। अतः "क्या यह स्वाभाविक नहीं था कि जिन लोगों ने इन्दिरा सरकार द्वारा इतनी यातनायें झेली हैं, वे लोग मत पेटियों द्वारा इस सरकार का पूरी तरह से सफाया कर दें?"³

निष्कर्ष

अतः आपातकाल की समीक्षा करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि "आपातकाल की घोषणा सिंह की सवारी थी। चढना भी कठिन, चढा रहना भी कठिन एवं उतरना भी कठिन। किन्तु भारत में यह सब आनन-फानन में हो गया। श्रीमती इन्दिरा गाँधी आपातकाल रूपी सिंह पर सवार हो गयीं। यह सिंह विरोध को रौंदने लगा।"⁴ सारे विपक्षी नेता जेल में बन्द हो गये। अखबार एवं अन्य जनसंचार माध्यमों का गला घोट दिया गया। दमन चक्र शुरू हो गया, यह देश के लिए काला शासन चक्र था।

1. कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ(1) 127
2. बी(1) एम(1) सिंह "आपरेशन इमरजेन्सी", पूर्वोक्त पृ(1) 135
3. कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ(1) 127
4. डॉ० युगेश्वर पूर्वोक्त, पृ(1) 195

संसद गूगी बहरी हो गयी । न्यायपालिका को पगु बना दिया गया । सविधान के साथ बलात्कार किया गया । केवल कार्य पालिका के हाथो शक्ति केन्द्रित थी । लोवतन्त्र बेहाश हो गया । परिवर्तन का रथ जेल की सीखचो में था । प्रधानमन्त्री के भ्रष्ट पुत्र का आदश ही कानून बन गया । सड़के चौड़ी होने वाला । बुलडोजरो की मार से पूरा शहर काँप उठा । नसबन्दी के नाम पर धरपकड, जोर जबरदस्ती, वेतन रोको, तबादले करो क्या नहीं हुआ । प्रेस सेसरशिप के कारण जनता एव सरकार के बीच बातचीत बन्द दी । केवल सरकार बोलती थी । केवल सुनो । इन्दिरा वाणी सुनो । सजय उवाच सुनो । इस शासन में विरोध का कोई स्थान नहीं था । किसी शासन में विरोध प्रदर्शन 'सेप्टी वाल्व' जैसा होता है, इससे उबलती भाप निकलती रहती है । उसका निकलना रुका कि विस्फोट हुआ, बर्तन फूटा । 1977 के लोक सभा चुनाव में जनता के भीतर सचित भाप एकाएक फूट गया । आपातकाल का भडा फूट गया । इस विस्फोट ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया ।

आपातकाल ने भारतीय जन मानस के मन में कांग्रेस के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी थी और लोग श्रीमती इन्दिरा गाँधी का तानाशाह समझने लगे थे जो उनके सामाजिक एव राजनीतिक मूल्यों एव हितों को क्रूरता से दमन कर रही थी । अतः जहाँ आपातकाल में एक और जेलों में विभिन्न राजनीतिक दलों को एक सूत्र में बाँधकर विपक्षी एकता को प्रोत्साहित किया वही दूसरी ओर भारतीय जनमानस को 1977 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के विरुद्ध अपना समर्थन व्यक्त करने को भी तैयार किया । जनता पार्टी को जन्म देने के पूर्व भारतीय सामाजिक एव राजनीतिक व्यवस्था आपातकाल-रूपी भयानक प्रसव पीडा से गुजरी थी । यदि प्रसव-पीडा इतनी भयानक न होती तो शायद जनता पार्टी का जन्म न हुआ होता ।

आपातकाल में भूमिगत- आन्दोलन की भूमिका

इन्दिरा सरकार के पतन के अकुर तो श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन के दौरान ही फूट पड़े थे। गुजरात एव बिहार में इस आन्दोलन की सफलता ने इन्दिरा सरकार की नींद उड़ा दी थी। इन घटनाओं से 'विपक्षी एकता' को नया बल मिला था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विपक्ष ने सामूहिक रूप से श्रीमती इन्दिरा गाँधी से त्यागपत्र की माँग की एव एक देशव्यापी आन्दोलन छेड़ने का आह्वान किया। इसी समय सरकार ने आपातकाल की घोषणा करके सम्पूर्ण विपक्ष को जेल में डाल दिया एव विपक्षी एकता के प्रयासों पर पानी फेरने की नाकाम कोशिश की। ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष के पास एक ही मार्ग बचा था कि भूमिगत- आन्दोलन द्वारा विपक्षी एकता का प्रयास किया जाय एव सरकार के तानाशाही चरित्र का पर्दाफाश किया जाय।

सरकार अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद विपक्ष के बहुत से भूमिगत नेताओं एव कार्यकर्ताओं को नहीं पकड़ सकी। उनके नहीं पकड़े जाने की चिन्ता श्रीमती इन्दिरा गाँधी को सताती रहीं और किसी न किसी रूप में वह चिन्ता प्रकट करती रहीं। सिर्फ़ उनका गिरफ्तार न होना भूमिगत-आन्दोलन की बहुत बड़ी सफलता थी। "भूमिगत कार्यकर्ता तानाशाही से जूझ रहे थे, जेल और पुलिस-उत्पीड़न के खतरों को उठाकर भी भूमिगत साहित्य लिख रहे थे, छपा रहे थे और बाँट रहे थे। भूमिगत कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे थे। भूमिगत संचार-व्यवस्था का 'समानान्तर- तन्त्र' चला रहे थे। छोटे छोटे कमरों में छोटी-छोटी बैठके कर रहे थे।" ¹ इन सभी कार्यों से विपक्षी एकता के बुझते हुये चिराग को एक नयी ऊर्जा मिली एव 1977 के लोकसभा चुनाव में इसका प्रकाश सारे देश में फैल गया।

भूमिगत आन्दोलन क्यों ?

आपातस्थिति और श्रीमती इन्दिरा गाँधी की तानाशाही ने न केवल सरकार का मूल चरित्र बदल डाला बल्कि, एक बड़ी सीमा तक भारतीय जन मानस को भी प्रभावित किया। एक ओर सम्पूर्ण समाज धीरे-धीरे भयाक्रान्तता के भीषण सकट में डूब रहा था, और दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े-बड़े नेतागण जेलों में पड़े थे तथा उनके पुन शक्तिशाली होने की जन मान्यता समाप्त सी हो गयी थी।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी को समझने में विपक्ष ने शायद भूल की। श्रीमती गाँधी इस हद तक तानाशाह हो सकती हैं, शायद ही कुछ लोगो ने उसकी सम्भावना को कभी माना होगा। जब लोकतन्त्र उनकी कुर्सी रक्षा के लिये व्यर्थ सिद्ध होने लगा तो उन्होंने लोकतन्त्र को ही अपग कर दिया। लोकतन्त्र मृत्यु शय्या पर पड़ा अन्तिम घड़िया गिनने लगा। सर्वैधानिक सशोधन, आकाशवाणी, टेलीविजन, समाचार- सेसरशिप आदि के मौजूदा रंग ढग, विपक्षी नेताओं

1. दीनानाथ मिश्र "एमरजेन्सी में गुप्त क्रान्ति", में श्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा लिखित भूमिका से, आई(0) बी(0) सी(0) प्रेस, दिल्ली, 1977, पृ० 8

कार्यकर्ताओं और उनके द्वारा नियन्त्रित सस्थाओं के साथ किये गये सलूक, कांग्रेस पर व्यक्तिवादी वर्चस्व आदि सभी ने जाहिर कर दिया कि हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र का अर्थ तानाशाही है। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने गाँधीवादी भाषा को समझने और उसमें बातचीत करने से साफ इन्कार कर दिया था। अगर विपक्ष या जनता के सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के विरुद्ध खुला आन्दोलन चलाया जाता तो उसकी सफलता संदिग्ध थी, क्योंकि गाँधीवादी तकनीकी इस माहौल में पुरानी पड़ गयी थी। इस लिये जरूरी यह था कि विपक्ष नयी रणनीति का विचार करे। यह नयी रणनीति कुछ और नहीं बल्कि भूमिगत आन्दोलन था।

श्री जय प्रकाश नारायण ने भी सभी स्वतन्त्रता प्रेमी भारतीयों का इस पुनीत कार्य के लिये आह्वान किया एवं कहा, “लोक चुप और निष्क्रिय इस लिये है कि ये समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है? एकतरफा प्रचार के कारण बहुत से लोगो ने यह मान लिया है कि जो हुआ है, उनकी भलाई के लिये हुआ है। इसलिये सबसे पहला एवं जरूरी काम यह है कि लोगो को एक बार फिर से बताया जाय कि स्वतन्त्र और लोकतान्त्रिक समाज के आधार क्या हैं, बुनियादी तत्व क्या हैं। यह काम समझदारी से करना है। इसके लिये जरूरी है कि सरल भाषा में, जानकारी के साथ, और यह बताते हुये कि क्या करना है, पच्चे फोल्डर, पुस्तिकाएँ आदि तैयार की जाये। जाहिर है कि इनका प्रकाशन और प्रचार गैर-कानूनी ढंग से ही हो सकेगा। बहुत से लोग इन लिखित चीजों की पढ और समझ भी नहीं सकेगे, लेकिन ये ‘टेक्स्ट-बुक’ का काम करेगी।”¹

विपक्ष द्वारा भूमिगत आन्दोलन चलाने की आवश्यकता इसलिये भी महसूस हुयी क्योंकि यहाँ की जनता से किसी प्रकार की हिंसक क्रान्ति की आशा करना बेकार था। श्री मधुलिमये ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि श्री जय प्रकाश नारायण जैसे लोकप्रिय नेता को गिरफ्तारी से कोई जन-विद्रोह नहीं खड़ा हुआ। वास्तव भारत की जनता उत्पीड़न सहने की अभूतपूर्व क्षमता रखती है। शताब्दियों तक उन्होंने विदेशी आतताइयों को झेला है। इसलिये इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह आपातकाल की तानाशाही को स्वीकार कर ले। इसके अलावा यहाँ “इतिहास के दबाव, शान्ति की परम्परा एवं सहिष्णुता की आदत ने किसी भी स्वाभाविक विद्रोह की भावना पर रोक लगा रखी है।”² भारतीय जनता धार्मिक सवालों पर उत्तेजित हो सकती है, और बगावत कर सकती है, लेकिन भारत की जनता से लोकतन्त्र की समाप्ति या लोकतान्त्रिक मूल्यों के लिये क्रान्ति की उम्मीद नहीं की जा सकती। पूरे इतिहास में भारत की आम जनता ने कोई सफल हिंसक क्रान्ति नहीं की।³ अतः कहा जा सकता है कि विशेष राजनीतिक सन्दर्भों में भारतीय जन मानस असवेदनशील है, परन्तु इन परिस्थितियों में विपक्ष ने एक सक्रिय राजनीतिक आन्दोलन चलाने का प्रयास किया। यह आन्दोलन खुले आम नहीं चल सकता था, अतः वह भूमिगत हो गया।

भूमिगत आन्दोलन: चरित्र, रणनीति एवं नेतृत्व:

चरित्र : इस भूमिगत आन्दोलन का चरित्र दुनिया के दूसरे भूमिगत आन्दोलनों से पूरी तरह अलग था। सामान्यतया भूमिगत क्रान्तिकारी सत्ता की किलेबन्दी पर हिंसक चोट करते हैं। भारत का यह आन्दोलन अहिंसा के

-
1. जय प्रकाश नारायण का वक्तव्य तरुण क्रान्ति, सघर्ष कार्यलय पटना की ओर से प्रसारित, बम्बई, मई 2, 1976
 2. कविता नारवेन पूर्वोक्त, 152
 3. उद्धृत, दीनानाथ मिश्र पूर्वोक्त, लेखक द्वारा लिखित ‘पोजीशन पेंपर’, “तानाशाह की अपराजेयता” से पृष्ठ 162

सिद्धान्तों का पालन करता रहा। आमतौर से भूमिगत आन्दोलनों को प्रारम्भ में आप जन समर्थन प्राप्त नहीं होता परन्तु यहाँ आम जनता प्रारम्भ से ही मानसिक रूप से भूमिगत आन्दोलनकारियों से सहानुभूति का अनुभव कर रही थी।

प्रायः भूमिगत आन्दोलन किसी न किसी विदेशी सरकार की मदद से चलते हैं। भारत का यह भूमिगत आन्दोलन सिर्फ स्वदेशी शक्ति एवं प्रेरणा से चलता रहा। वैसे श्रीमती इंदिरा गाँधी ने इस बारे में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं, लेकिन न तो वे इस बेबुनियाद आरोप को सिद्ध का सकती थी, और न ही कर पाई। जनता ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। "मानवीय शक्ति और समर्थन के पैमाने पर भारत का भूमिगत आन्दोलन दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत आन्दोलन था। दुनिया की दूसरी भूमिगत बगावतों के समक्ष बहुत कम शक्ति से सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य होता था। इसीलिये उनकी प्रक्रिया जटिल और दुस्साहसपूर्ण होती थी, यहाँ लक्ष्य तो बड़े थे लेकिन आपेक्षाकृत अनुकूलताएँ भी अधिक थी।"¹

भारत में आपातकाल के दौरान चलाये गये भूमिगत आन्दोलन की तुलना अफ्रीकी देशों वियतनाम, या बोलिविया अथवा कहीं के भूमिगत गोरिल्ला सघर्षों से नहीं की जा सकती। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इन देशों के आन्दोलन का मूल चरित्र हिंसक क्रान्तियाँ थी तथा इनकी दार्शनिक प्रेरणा कहीं न कहीं मार्क्सवाद से जुड़ी थी। भारत का भूमिगत आन्दोलन मूलतः अहिंसक था तथा इसकी दार्शनिक प्रेरणा माहात्मा गाँधी एवं श्री जय प्रकाश नारायण से जुड़ी थी।

"एक अर्थ में यह गाँधीवादी 'सत्याग्रह-असहयोग' की तकनीकी का अगला विस्तार था, अहिंसक युद्ध सघर्ष के आयाम का अविष्कार था। यह खून के हर कतरे के बारे में सवेदनशील भारत की सांस्कृतिक चेतना के अनुरूप था। अहिंसक होना इसकी नियति ही नहीं थी, बल्कि मानव मात्र के लिये पाशविक सघर्ष से शिष्ट सघर्ष की ओर बढ़ने के 'प्रयोग-सिद्ध विकल्प' की खोज भी थी।"² वास्तव में भारत जैसे देश में ही ऐसा आन्दोलन सम्भव था जहाँ श्री जय प्रकाश नारायण जैसे गाँधीवादी जननायक जनता की टूटती हुयी आशाओं का प्रतीक बने हुये थे, विपक्षी एकता की घुरी बने हुये थे। अपनी बीमारी हालत में देश के आम जनता एवं नव युवकों में जोश भर रहे थे, आशा जगा रहे थे। उन्होंने केवल भूमिगत आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि आम जनता का आह्वान किया कि "जो लोग व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक सगठनों में विश्वास करते हैं, वे फौरन चाहे जिस तरह सम्भव हो, तीन-तीन, चार-चार की टोली बनाकर जनता से घुस जाये और लोगों को बताना शुरू कर दे कि क्या हो रहा है, और कौन-कौन से बुनियादी सवाल पैदा हो गये हैं?"³ यह साधारण सी अपील बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह जनता के नाम सन्देश था। गाँधीवादी तकनीक का अनुप्रयोग था। जनसाधारण ने इस आह्वान को आत्मसात कर लिया। लोगों में उत्तेजना भर गयी परन्तु तानाशाही के प्रभाव में यह उत्तेजना भीतर ही भीतर उबलती रही। इस आन्दोलन के बल पर सम्पूर्ण जनता विपक्ष से जुड़ती गयी एवं विपक्षी दला में स्वयंसेवकता बढ़ती गयी।

1 दीनानाथ मिश्र पूर्वोक्त, पृ(1) 26

2 उद्धृत, दीनानाथ मिश्र पूर्वोक्त, मे श्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा लिखित भूमिका से, पृ(1) 9

3 जय प्रकाश नारायण, तरुण क्रान्ति, सघर्ष कार्यालय, पटना की ओर से प्रसारित, बम्बई, मई 1, 1976

गणनीति इस भूमिगत आन्दोलन का अन्तिम लक्ष्य तो सम्पूर्ण व्यवस्था में आमूल परिवर्तन एवं सरकार को सत्ताच्युत करना था, लेकिन इसका प्राथमिक एवं तात्कालिक लक्ष्य था- तानाशाही से मुक्ति। इसकी मूल प्रेरणा मुक्तिवादी थी। इस आन्दोलन एवं 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में जबरजस्त अन्तर था। इस बार तानाशाह विदेशी नहीं था उसने लोकतन्त्र का भ्रमोत्पादक तानाबाजा बना रखा था। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने लोकतान्त्रिक संस्थाओं के प्राणहीन ढाँचे को बनाये रखा था। भूमिगत कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ एक भावनाप्रधान आदर्शवाद की व्यापक अपील की, परन्तु इस अपील का जनसाधारण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जिन स्तरों पर तानाशाही प्रहार विशेष रूप से उत्पीड़क था, वह आम जनता का नहीं बल्कि सक्रिय नागरिकों, बुद्धिजीवियों और नेताओं का स्तर था लेकिन तानाशाही के 'नसबन्दी अभियान' ने आम जनता को तानाशाही की अनुभूति दी। भले ही वे तानाशाही की व्याख्या न कर सकते हो परन्तु अनुभूति के धरातल पर तानाशाही निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो गयी। इसे भूमिगत कार्यकर्ताओं को जनमानस की भावनाओं को झकृत करने वाला एक प्रहार बिन्दु मिला। यह मुक्तिवादी लक्ष्य स्थूलतः नकारात्मक नजर आ सकता है, लेकिन लोकतन्त्र की लड़ाई किसी भी नाम से मूलतः विधायक या रचनात्मक ही होती है, और थी। इसका मूल लक्ष्य था- नयी व्यवस्था का निर्माण। यह तभी सम्भव था, जब सभी विपक्षी दल मिलकर एक नया दल बनाये। तानाशाही का अन्त करे। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय विकल्प प्रस्तुत करे। इन्दिरा सरकार के स्थान पर नयी सरकार बनाये। "यही आदर्शवादी लक्ष्य सम्पूर्ण संगठन का विधायक सूत्र था। यही तरह-तरह के तत्वों को एकसाथ बाँधता था। मतभेद को विलीन करता था और 'एक्शन प्रोग्राम' को पीछे से धक्का देकर सघर्ष आगे बढ़ाता था।"¹

लोकतन्त्र को फिर से कायम करना या तानाशाही का विरोध करना अपने आप में एक तैयार शुद्ध लक्ष्य था। यह कहीं से कृत्रिम माग नहीं थी। यह आम आकांक्षा थी। यही कारण था कि भूमिगत सघर्ष ने बिना किसी दार्शनिक प्रशिक्षण के एक दिशा ग्रहण कर ली। ऊपरी तौर पर देखने में तो यह सघर्ष बहुत ही सामान्य लगता था। परन्तु इसका गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस आन्दोलन ने ऐसी उपजाऊ सामाजिक एवं राजनीतिक, पृष्ठभूमि तैयार की, जिसमें विपक्षी एकता की बीज आसानी से अकुरित हो सके। आपातकाल के दौरान पूरे विपक्ष का इन्दिरा सरकार द्वारा दमन किया गया था। विपदाये विरोधियों को भी करीब ला देती है, और जब विपदाओं का खोत एक हो तो उससे मुक्त होने के साधनों में भी एकता आ जाती है। अतः इस सघर्ष के दौरान सभी विपक्षी दलों के लक्ष्यों में एकता आ गयी। इस आन्दोलन ने कुछ ऐसे कार्य किये जिससे जनसाधारण का इन्दिरा कांग्रेस से मोह भग हो गया। किसी भी नयी व्यवस्था के गठन के पहले यह जरूरी है कि पुरानी व्यवस्था की हटाया जाय। उसके आधारों को नष्ट किया जाय। तत्पश्चात् एक नयी सोच से उस दिशा में कार्य किया जाय। इस आन्दोलन ने इन्दिरा सरकार के पतन एवं जनता पार्टी के गठन, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। प्रारम्भ में इस आन्दोलन ने जो कार्य किया उसकी प्रमुख रश्मिया निम्न प्रकार हैं।²

-
1. दीनानाथ मिश्र पूर्वोक्त, पृ० 16
 2. दीनानाथ मिश्र पूर्वोक्त, पृष्ठ 25

(1) श्रीमती इन्दिरा गॉधी के तानाशाही शासन की कथनी एव करनी के बीच के अन्दर को उजागर करना ताकि तानाशाह का चरित्र जन समाज समझा सके ।

(2) यह भूमिगत आन्दोलन क्रूर शासकों के नैतिक और सैद्धांतिक मनोबल को अपनी चोटों से गिरा रहा था और तानाशाह एव उसके समर्थकों की आवाज से नैतिक बल समाप्त कर रहा था ।

(3) यह आन्दोलन भूमिगत कार्यकर्ताओं के तमाम कार्यों को जनता की नजरों में नैतिक, कानूनी, एव राजनैतिक धरातल पर देश-विदेश में न्यायोचित प्रतिपादित कर रहा था । उनकी तमाम मांगों को गरिमा प्रदान कर रहा था ।

(4) यह आन्दोलन सघर्ष कर्ताओं और आम जनता को कष्ट सहने एव बड़ा से बड़ा बलिदान करने का उत्साह पैदा करता रहा ।

(5) यह आन्दोलन सघर्ष कर्ताओं में एकता एव सामूहिकता का संचार कर रहा था ।

जनता ने भूमिगत आन्दोलन और कार्यकर्ताओं का जो साथ दिया उसके पीछे लोकतन्त्र की व्यापक निष्ठाओं की प्रेरणा थी । जनता के सघर्ष के इतिहास में जो बल उत्साह पूर्वक संचारित किया गया उसका श्रेय लोकतन्त्र की अपनी आन्तरिक आत्मशक्ति को भी है ।

श्रीमती इन्दिरा गॉधी ने आपातस्थिति लागू करके गिरफ्तारियाँ, सेसरशिप आदि से परिवर्तनकारी नेताओं एव आम जनता के बीच की संचार व्यवस्था काट दी थी । उनका सोचना यह था कि इससे ये नेता जनता से कट जायेंगे और सत्ता के वास्तविक चरित्र का पर्दाफाश नहीं होगा । अतः भूमिगत आन्दोलन के सामने सबसे बड़ा काम तोड़ी गयी संचार व्यवस्था को भूमिगत प्रचार अभियान के माध्यम से पुनः स्थगित करना था । इसने बड़ी सफलता से जनता और क्रान्तिकारी नेताओं के बीच संचार हर कीमत पर बनाये रखा । उसकी गति सरकारी प्रचार से कम थी । लेकिन विश्वसनीयता सरकारी प्रचार से अधिक थी ।

भूमिगत आन्दोलन ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को बुरी तरह से पराजित किया । सिर्फ यह तथ्य कि सरकार एडी चोटी का जोर लगाकर भी लाखों भूमिगत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं कर सकी, सरकार के लिये निराशाजनक और जनता के लिये आशा एव उत्साह का कारण बना रहा । नानाजी देशमुख और श्री जार्ज फर्नांडीज को सरकार जब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी तब तक मात्र उनका गिरफ्तार नहीं किया जाना जनता के लिये चमत्कारिक था । इसी तरह प्रो० सुब्रह्मण्यम स्वामी, श्री केदार नाथ साहनी एव जनसघ के अनेक नेताओं का अन्त तक गिरफ्तार न होना, जहाँ तानाशाही के लिये सिरदर्द का कारण था, वही यह आम जनता एव कार्यकर्ता के लिये आशा का प्रबल ज्योति स्तम्भ था ।

“भूमिगत आन्दोलन की तरफ से जो सत्याग्रह किया गया वह एक तरह से जनता एव सरकार के समक्ष भूमिगत - आन्दोलन की शक्ति का प्रदर्शन था । साथ ही प्रकट रूप में कुछ नहीं होने के कारण जो मानसिक दुर्बलता लोकमानस में पैदा हो सकती थी, उसे रोकने का प्रभावी उपकरण था ।”¹ भूमिगत आन्दोलन के सन्दर्भ में श्री जार्ज

1. दीनानाथ मिश्र, पूर्वोक्त, पृष्ठ 27

फर्नाडीज का रास्ता थोडा अलग था। जिस तरीके से 'लोक सघर्ष समिति' भूमिगत सघर्ष चला रही थी। कदाचित् उनका उसमें विश्वास नहीं था। "लेकिन लक्ष्य के बारे में मतभेद न होने के बावजूद तरीकों के बारे में मतभेद थे। वे गर्म रास्ते के हिमायती थे, अपने तरीके से वह कुछ कर भी रहे थे, लेकिन गर्म रास्ते का अर्थ यह नहीं कि वे खून खराबे के हिमायती थे। अलबत्ता वे खून खराबे और सरकार को ठप्प कर देने के बाकी रास्ते में विवेक पूर्वक फर्क करते थे।" ¹ इस तरह की गर्मी किसी भी मुल्क की आजाद तमन्नाओं की खास पूँजी होती है। कौन जनता है, अगर आपात काल और लम्बे समय तक चलता तो सघर्ष निराशोन्मत्त हाकर उसी रास्ते में चलने का बाध्य होता जिसकी दिशा श्री जार्ज फर्नाडीज़ ने दिखाई थी।

भूमिगत आन्दोलन के सन्दर्भ में श्रीमती इंदिरा गाँधी ने जो सचार अवरोधक पैदा किया, वे स्वयं उसकी शिकार बना। यह सचार अवरोध जहाँ भूमिगत आन्दोलन को बड़ा 'अवसर' देता है, वहीं श्रीमती इंदिरा गाँधी को एक अर्थ में पगु बना रहा था। उन्हे जनता की असली मनाइशा मालुम नहीं हो सकी। "यहाँ तक कि गुप्त चर व्यवस्था भी जनता की मनोदशा को सही तौर पर नहीं आँक सकी। यही कारण है कि श्रीमती इंदिरा गाँधी अपनी 'रिसर्च ऐण्ड एनालिसिस विंग' द्वारा दिये गये सम्भावित चुनाव परिणामों के आकलन के मुगालते में आकर और देश विदेश सब ओर से पड़ने वाले दबाव में लोकसभा चुनाव (1977) करा बैठी।" ²

नेतृत्व भूमिगत आन्दोलन का असली नेतृत्व कौन कर रहा था, उसे समझने के लिये थोडा विस्तार से जाना आवश्यक है। लोकनायक जय प्रकाश नारायण आपातस्थिति लागू होते ही गिरफ्तार कर लिये गये। जब वे छूटे ता उन पर कड़ी निगरानी बनी रही। इसलिये यह कहना कि भूमिगत आन्दोलन का नेतृत्व वे कर रहे थे सम्भव प्रतीत नहीं होता। परन्तु थोड़ी गहराई में जाये तो श्री जय प्रकाश नारायण भूमिगत आन्दोलन के प्राण रूप नजर आते हैं। श्री जय प्रकाश नारायण की स्थूल काया भले ही चण्डीगढ के कैद खाने या जसलोक अस्पताल अथवा कदम कुआ के निवास स्थान पर कही भी रही हो, लेकिन अपनी प्रेरणा के रूप में पूरे भूमिगत आन्दोलन में सब जगह स्थित थे। शायद ही कोई महीना गया हो जब श्री जय प्रकाश जी ने भूमिगत आन्दोलन के नाम कोई प्रेरणास्पद सन्देश जारी न किया हो। उन्होंने सभी स्वतन्त्रता प्रेमी भारतीयों के नाम अपने आह्वान में कहा, "पूरे देश में सभाये हो- आम जनता की तथा विभिन्न सस्थाओं एवं सगठन की और उसमें माँग की जाये कि आपातस्थिति उठाई जाये, राजनीतिक बन्दी छोड़े जाए, लोक सभा के चुनाव कराये जाये तथा प्रेस और बोलने की, विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता वापस दी जाए।" ³

19 महीनों के दौरान उन्होंने हर महत्वपूर्ण मौके पर भूमिगत कार्यकर्ताओं को 'ऐक्शन प्रोग्राम' दिया। भूमिगत आन्दोलन के सारे साहित्य की वे धुरी थे। जनता पार्टी के गठन सम्बन्धी वार्ताओं के भी केन्द्र बिन्दु वही थे। सभी पक्षों के जो भी नेता बन्दी नहीं बनाये जा सके थे- वे बराबर उनसे मुलाकात करते रहते थे, जिससे विभिन्न वर्गों के शीर्षस्थ नेताओं के बीच नयी पार्टी के गठन की रुपरेखा पर भी विचार विमर्श किया जाता था। इसी सन्दर्भ में "भूमिगत

1. वही पृष्ठ 28

2. वही, पृष्ठ 28

3. जय प्रकाश नारायण, बम्बई, 2 मई, 1976 (तरुण कान्ति, सघर्ष कार्यालय, पटना की ओर से प्रसारित)

आन्दोलन के दौरान श्री जय प्रकाश नारायण का 'लोकनायकत्व' अथवा 'वैयक्तिक चुम्बकत्व' अधिक प्रभावी हुआ। यही भूमिगत कार्यकर्ताओं के आत्मिक बल का पाथेय था। उनका व्यक्तित्व एक शक्तिशाली राजनैतिक चुम्बक बन गया। भारतीय राजनीति के अधिकांश शक्तिशाली राजनैतिक नेताओं को अपने लेफ्टिनेट्स के रूप में सहयोगी बना लेना, उनके क्रान्तिकारी नेतृत्व का एक जबरजस्त पहलू है। आदर्शवाद, चेतना और विचार के धरातल पर लोकनायक का नेतृत्व भूमिगत आन्दोलन को मिला, यह राजनैतिक परिवर्तन के भूमिगत आन्दोलन के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।”¹

भूमिगत आन्दोलन एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ

आपातस्थिति के ठीक पहले 'लोक-सघर्ष समिति' का गठन हो गया था। इसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, सगठन कांग्रेस, और सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों के आलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका किसी पक्ष से सम्बन्ध नहीं था। इसके आलावा पंजाब का अकाली दल भी इसमें था।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद तमाम केन्द्रीय नेता पकड़े लिये गये किन्तु सघर्ष समिति के सचिव श्री नानाजी देशमुख ने पकड़े जाने से अपने आप को बाल बाल बचा लिया। असल में भूमिगत आन्दोलन की प्रथम चुनौती उनके सम्मुख उपस्थित हुई। लोकनायक ने सघर्ष के नेतृत्व करने का दायित्व उन्हें ही दिया। उन्हें ही गिरफ्तारियों से छिन्न-भिन्न राजनैतिक शक्तियों को जोड़ने का काम करना था। उन्हें ही भूमिगत प्रचारतन्त्र के व्यापक अभियान का सूत्रपात करना था। “उन्होंने सभा पक्षों के भूमिगत नेताओं से- यथा सगठन कांग्रेस के श्री रवीन्द्र वर्मा, श्री मोहिन्दर कौर, सोशलिस्ट पार्टी के श्री सुरेन्द्र मोहन, एवं भारतीय लोकदल के प्रमुख नेताओं से सतत सम्पर्क रखते हुये व्यापक पैमाने पर भूमिगत सगठन खड़ा किया।”²

भूमिगत आन्दोलन के निर्णयों का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा ही हुआ। यह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न होता तो भूमिगत आन्दोलन उतनी सफलता से न चला होता, जितनी सफलता से आपात काल के दौरान चला। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो उसके नेताओं को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसके नेता जानते थे कि श्रीमती इंदिरा गाँधी का विपक्ष को दमन करने का यह एक स्वाभाविक कदम होगा। इस पर प्रतिबन्ध लगाने पर इसके अधिकतर प्रचारक भूमिगत हो गये, “परन्तु संघ के सभी सदस्य भूमिगत नहीं हो सके क्योंकि श्रीमती इंदिरा गाँधी ने विपक्ष का दमन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विपक्ष के मात्र छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि उसके परिवारों को भी प्रभावित किया और यह घोषणा करा दी कि जिन व्यक्तियों को सरकार गिरफ्तार करना चाहती है, अगर उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी तो उनकी सम्पत्ति आदि को जब्त कर लिया जायेगा। इसलिये वे लोग, जिनके पास परिवार एवं सम्पत्ति थी भूमिगत नहीं हो सके।”³

-
1. दीनानाथ मिश्र, पूर्वोक्त, पृ० 30
 2. वही, पृ० 31
 3. कविता नारवेन-पूर्वोक्त, पृ० 150

ऐसी परिस्थिति में “राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही ऐसा मजबूत संगठन (सवर्ग) था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रचार को एव कार्यकर्ताओं के पास ‘परिवार एव सम्पत्ति’ नहीं थी। ये संघ के ‘कुतारे एव पूर्णकालीन’ सदस्य थे और इसी कारण ये अपने आपको इस ‘मुक्ति आन्दोलन’ में पूर्णरूप से समर्पित कर सके।”¹

संघ ने अपनी पूरी शक्ति से ‘लोक समर्पण सर्गात’ के निर्णयों को कार्यान्वित किया। निर्णय के धरातल पर संघर्ष समिति के नेता संघ के सभी नेताओं से हर मौक़े पर विचार विमर्श करते थे। सही मायने में संघ भूमिगत आन्दोलन की रीढ़ की हड्डी था, इसे सर्व श्री माधवराव गुल, श्री मोरोपन्त पिंगले, श्री भाउराव देवरस, श्री बाबूराव मोधे, श्री दन्तोपन्त ठेगडी, और प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में लोक संघर्ष को सफल बनाने के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अतुलनीय योगदान किया। “प्रान्तों में, राजस्थान में श्री ब्रह्मदेव वर्मा, उत्तर प्रदेश में श्री हरिश्चन्द्र, श्री अशोक जी, श्री जय गोपाल जी, श्री कौशल किशोर और श्री राम बहादुर राय, बिहार में सर्वश्री मधुसूदन देव, श्री कैलाश पति मिश्र, और श्री गोविन्दाचार्य, मध्य प्रदेश में बाबा साहेब मातू और श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल, दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना, और श्री धनराज ओझा, श्री विश्व नाथ एव श्री सुरेश बाजपेई, दक्षिण में श्री शेषाद्रि जी, बंगाल में श्री बसन्त राव भट्ट, हिमाचल में श्री प्रेमचन्द्र, उड़ीसा में श्री बापूराव पालधीकर, महाराष्ट्र में श्री बसन्त राव केलकर, पंजाब में श्री नारायण दास कर्नाटक में श्री महवराव, आन्ध्र में श्री सोनैया, असम में श्री श्रीकान्त जोशी वगैरह ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने क्षेत्रों में भूमिगत आन्दोलन को कार्यान्वित किया।”²

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सबसे पहला कार्य लोगों के मन में बसी आतंक एव भय की भावना का निकालकर उसने आत्मविश्वास भरना था। इस कार्य में संघ काफी सफल रहा। संघ ने गिरफ्तार लोगों के परिवारों की भरपूर आर्थिक सहायता की। एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठाया जाता है कि जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पास अनुशासित सवर्ग का संगठन था तो उसने देश व्यापी बगावत क्यों नहीं की? वास्तव में इसके दो कारण थे। पहला शान्ति की परम्पराओं एव सहिष्णुता के संस्कारों ने हमारे स्वाभाविक बगावत के चरित्र को दबा दिया था और दूसरा इस प्रकार की बगावत एक गृह-युद्ध का रूप धारण कर सकती थी। जिस कारण तानाशाह सरकार को अपनी दमनात्मक कार्यवाही के लिये औचित्यता मिल जाती।

अतः विपक्ष एव विशेषकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बगावत के स्थान पर सत्याग्रह का सहारा लिया। दिसम्बर 1975 से जनवरी 1976 तक तानाशाही के खिलाफ देशभर में सत्याग्रह हुआ। पूरे समाज में ऊपरी तौर से पूरी चुप्पी एव शक्ति के बावजूद जब ‘लोक संघर्ष समिति’ द्वारा सत्याग्रह का फैसला हुआ तो देश के सभी प्रदेशों के विभिन्न केन्द्रों में सत्याग्रह हुये। “कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान दिल्ली, गुजरात आदि कुछ राज्य में सत्याग्रह आशातीत रूप से सफल रहा। अकेले कर्नाटक में 15 हजार लोगों ने सत्याग्रह किया। देशभर में सत्याग्रह एव जेल जाने वालों की संख्या एक लाख थी।”³

1 वही, पृ० 150-151

2. दीनानाथ मिश्र, पूर्वोक्त, पृ० 33

3. दीनानाथ मिश्र पूर्वोक्त, पृ० 48

लोक सघर्ष समिति में जो राजनीतिक दल थे, उसमें सगठन कांग्रेस, भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख और जुझारू नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे और कुछ भूमिगत हो गये थे। केन्द्र वाली जनसघ के भी अधिकांश लोग गिरफ्तार हो गये थे ज्यादातर राज्यों में 'नेतृत्व की दूसरी पक्ति' के लोग भूमिगत हो गये थे। और इन्होंने ही अन्य राजनीतिक दलों के भूमिगत कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भूमिगत आन्दोलन का वास्तविक संचालन किया।

सघ के सर सघ चालक श्री बाला साहब देवरस प्रारम्भ में गिरफ्तार हो गये थे परन्तु सघ के बहुत से केन्द्रीय नेताओं को पुलिस बहुत समय तक गिरफ्तार न कर सकी आपातकाल के उत्तरार्ध में दक्षिणांचल के प्रचारक श्री यादवराज जोशी को पुलिस ने पकड़ लिया। परन्तु श्री माधव राव मूले, श्री मोरान्त पिंगले, श्री भाऊराव देवरस, श्री बापूराव मोधे, प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह, श्री दन्तोपन्त ठेगडी, श्री शेषाद्रि आदि में से पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। हालांकि ये सब देश भर में प्रवास करते रहे और भूमिगत आन्दोलन के माध्यम से नये राजनैतिक गठबंधन के प्रयास करते रहे। आपातकाल के दौरान सचार माध्यमों एवं प्रेस पर सरकार का नियन्त्रण था, वह गलत सूचनाएँ देकर जनता को गुमराह कर रही थी। इसलिये विपक्ष द्वारा महसूस किया गया कि किसी प्रकार ऐसे प्रचार तन्त्र को जीवित रखा जाय जो जनता के सामने सरकार की वास्तविक स्थिति रख सके। अतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ ने अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के माध्यम से प्रचार तन्त्र की स्थापना की जिससे भूमिगत आन्दोलन में एक नया जीवन आ गया। इस आन्दोलन के माध्यम से विपक्षी राजनीतिक दलों को एक साथ कार्य करने का अवसर मिला, इसे विपक्षी एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

भूमिगत- साहित्य

आपातकाल की घोषणा के प्रथम 4-5 सप्ताह तक दिल्ली में कई स्थानों से भूमिगत पत्रें निकलते रहे। पुलिस के आतंक एवं साधन की कमी के कारण इसमें कुछ पत्रें निकलना बंद हो गये परन्तु एक 'भूमिगत पेपर' जो पुलिस एवं इन्टेलीजेंस, सभी की आंखों में धूल झाँक कर निकलता रहा वह था- 'जनवाणी'। यह साप्ताहिक पत्र दिल्ली के आसपास के जिलों के आलावा, बम्बई, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय साबित हुआ। इसके लोकप्रिय होने का कारण यह था कि इसमें दिल्ली ही नहीं वरन् देश के विभिन्न भागों की खबरें छपती थीं। ऐसा इसलिये सम्भव हो सका क्योंकि 'दिल्ली सघर्ष समिति', 'लोक सघर्ष समिति' से लगातार सम्पर्क बनाये हुये थे। यह पत्र सरकार के लिये सिरदर्द बना हुआ था।

जनवाणी के आलावा कुछ अन्य प्रमुख भूमिगत पेपर, प्रतिरोध,¹ युवा सघर्ष², रेजिस्टेंस³ आदि थे वैसे तो देश विभिन्न भागों में भूमिगत पेपर एवं बुलेटिन निकलती थी जैसे 'लोक सघर्ष', 'सत्य-समाचार', 'दिल्ली न्यूज

1 'प्रतिरोध का सम्पादन भारतीय लोक दल के युवा नेता श्री राजेन्द्र चौधरी द्वारा किया जाता था जिसकी सहायता श्री के। सी। त्यागी- एवं श्री सत्य देव त्रिपाठी जैसे भूमिगत नेता कर रहे थे।

2 'युवा सघर्ष' एक अन्य भारतीय लोक दल के युवा नेता श्री राम शंकर के प्रयासों का फल था।

3 रिजिस्टेंस का सम्पादन समाजवादी युवा नेता श्री ललित मोहन गौतम कर रहे थे। उपर्युक्त तीनों पत्र पुलिस द्वारा जब्त एवं बन्द करा दिये गये।

बुलेटिन', 'दर्पण, मार्शल', 'वेस्ट बगाल', 'न्यूज लेटर', 'सत्य भारत', 'असली-समाचार', 'कर्नाटक न्यूजलेटर', केरल न्यूजलेटर आदि है।¹ इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगो को सरकार द्वारा की गयी गिरफ्तारियों, जेल में बन्दियों को दी गयी प्रताड़नाओं एवं क्रूरताओं का पता चलता रहता था। भूमिगत साहित्य ने श्री सजय गाँधी के भ्रष्ट आचरण का कच्चा चिट्ठा लोगो के सामने रखा। प्रचारको ने इन पत्रों के वितरण में बड़ा जोरिखम उठाया। वे अर्धरात्रि के समय घरो दुकानों एवं स्कूलों को दिवारों में इन्हे चिपकाते थे। इसके आवाज़ला प्रचारको ने इन पत्रों को देश के लगभग 20,000 पतों में डाक द्वारा प्रेषित किया। इससे राष्ट्र-जागरणके आन्दोलन को बल मिला और विपक्ष द्वारा अपनाया गया प्रतिरोध सरकार के दमन के बावजूद टिका रहा।²

विदेशी समर्थन

नेतृत्व, सगठन एवं आदर्शवादी लक्ष्य ऋ अतिरिक्त एक अन्य तत्व, जो भूमिगत आन्दोलन के लिये बहुत आवश्यक होता है, वह है- विदेशी जनमत। आज के विश्व में घरेलू (आन्तरिक) स्थितियों पर अन्तर्राष्ट्रीय जनमत सन्तुलन का व्यापक असर पडना है। अन्तर्राष्ट्रीय जनमत दश की सरकार पर दबाव डालकर उसे देशीय जन भावनाओं के अनुकूल बनाने का कार्य करता है। इसलिये स्वाभाविक रूप से कोई भी आन्दोलन अपनी समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय करण करता है। आन्दोलन विरोधी शक्तिया भी अपने ताने बाने को स्थानीय स्थितियों के परिपेक्ष्य में विदेशी जनता एवं सरकार को प्रभावित करने के लिये विदेशों में फैलाती है। इसलिये श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भी अपना दृष्टिकोण दुनिया भर में फैलाने की भरपूर कोशिश की।

लेकिन भूमिगत आन्दोलन के प्रतिनिधियों को स्वाभाविक रूप से व्यापक समर्थन अग्रवासी भारतीयों और दुनिया की 'समझदार मुक्त जनता' से मिला। इस समय "अन्तर्राष्ट्रीय जनमत भी श्रीमती इंदिरा गाँधी के विरुद्ध था। एक तो श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा भारत को सोवियत सघ के साथ जोड़ देने के कारण स्वाभाविक रूप से स्वतन्त्र विश्व के जनमानस का झुकाव भूमिगत आन्दोलन के साथ था। दूसरे भारत के भूमिगत आन्दोलन ने रुपये पैसों एवं साधनों के लिये विदेशों मदद का निषेध किया था अलबत्ता भूमिगत आन्दोलन विदेशों से नैतिक एवं भावनात्मक समर्थन चाहता था और वह उसे मिला।"³

अन्तर्राष्ट्रीय जनमत की महत्ता समझकर भूमिगत आन्दोलन के द्वारा विदेश भेजे गये कार्यकर्ताओं ने उपलब्ध स्थितियों का इस्तेमाल भूमिगत आन्दोलन के समर्थन के लिये किया। विदेशों में प्रचार के लिये यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों की मदद से विभिन्न 'सेल एवं सगठन' बनाये गये। इसके लिये 'लोक सघर्ष समिति' ने लगभग डेढ़ दर्जन प्रमुख कार्यकर्ताओं को गुप्त तरीके से विदेश भेजा। इसमें प्रोफेसर सुब्रहमण्यम स्वामी, श्री केदारनाथ साहनी, और श्री मकरन्द देसाई आदि प्रमुख थे। श्री राम जेठ मलानी एवं श्रीमती

1 देखे कविता नारवेन पूर्वोक्त, पृ(1) 154

2 वही।

3. दीनानाथ मिश्र पूर्वोक्त, पृ(1) 37

लैला फर्नांडीज इसी हेतु विदेश गये। इन व्यक्तियों तथा 'फ्रेंड्स ऑफ इण्डिया सोसायटी' एवं 'इण्डिया फॉर डेमोक्रेसी' जैसी संस्थाओं के प्रयासों से सरकारी प्रचार का प्रभाव क्षीण हो गया।¹

इन नेताओं ने विश्व के जनमत को श्रीमती इंदिरा गाँधी की वास्तविकता से अवगत कराया जिससे इन्दिरा सरकार की विदेशों में कटु आलोचना हुई। 15 मार्च, 1976 को 'न्यूयार्क टाइम्स' में पाल ग्राहम्स की एक खबर प्रकाशित हुई, जिसमें आठ अमरीकियों द्वारा पारित एक 'विरोध प्रस्ताव' का विस्तार से उल्लेख है। प्रस्ताव में 26 जून 1975 को भारत में आपात स्थिति को घोषणा और नागरिकों के मानवीय अधिकार की समाप्ति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी। साथ ही साथ यह मांग की गयी कि भारतीय नागरिकों के ये अधिकार शीघ्र वापस किये जायें और श्रीमती गाँधी की वैयक्तिक तानाशाही का दौर खत्म हो। प्रस्ताव के शब्द हैं 'हम भारत में होने वाली घटनाओं की विशेषरूप से भ्रसना करते हैं, क्योंकि वहाँ आजादी की एक लम्बी लड़ाई के बाद लोकतन्त्र की स्थापना हुई थी, और इस लड़ाई का नेतृत्व उन लोगों ने किया जो इस शताब्दी में मानव अधिकारों के महान प्रवर्तकों में रहे हैं। हम इस लिये भी इसकी भ्रसना करते हैं कि लोकतान्त्रिक भारत ने मानव अधिकारों के प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है, वह वर्षों से नये आजाद होने वाले और प्रगतिशील देशों के लिये प्रकाश स्तम्भ की तरह था।'²

प्रस्ताव तैयार एवं प्रसारित करने में मुख्य भूमिका रही श्रीमती डोरोथी नार्मन की, जिन्होंने जवाहर लाल नेहरू का जीवन चरित्र लिखा है। इसके अलावा हिन्दुस्तान टाइम्स के भूतपूर्व संवाददाता सिडनी हजवर्ग और पोट्रेट ऑफ इण्डिया के लेखक तथा न्यूयार्क मैगजीन से सम्बद्ध वेद मेहता भी थे। हस्ताक्षर करने वालों में विज्ञान, कला, शिक्षा, पत्रकारिता, खेलकूद, साहित्य और संगीत के क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग शरीक थे। इसमें भाषा विशेषज्ञ डा० नौम शोम्सकी, प्रख्यात कवि एलेनगिसंबर्ग, लोकगीत गायक जोन ब्राज, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र के विभाग के डा० डेनियल ब्रेल, प्रसिद्ध कलाकार रिशाएकाउस, न्यूयार्क विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर इरविंग हो, विश्वधर्म एवं शान्ति सम्मेलन के प्रधान सचिव डा० होमर जैक, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश डा० फिलिप जेसप के आलावा चार नोबुल पुरस्कार विजेता भी शामिल थे- जिसमें नाम है- सालबेडार लूटिया (मेडिसिन-1969), डा० लाइनस पावलिग (रसायन शास्त्र-1954); डा० पाल सैमुएलसन (अर्थशास्त्र-1970), डा० जार्ज वाल्ड (शरीर विज्ञान-1967)।³

वास्तव में यह प्रचार एवं हस्ताक्षर पत्र अमरीकी जीवन के उस प्रबुद्ध वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं, जो मानव अधिकारों में अटूट विश्वास रखता है और विश्व के किसी भी भाग में इसकी सुरक्षा एवं प्राप्ति के लिये छोड़े गये संघर्ष का पूरा-पूरा समर्थन करता है। श्रीमती इंदिरा गाँधी के प्रचार तन्त्र के विरोध में विपक्ष का भूमिगत प्रचार तन्त्र एवं साहित्य, वास्तव में विपक्ष की बहुत बड़ी सफलता थी जिसमें देश-विदेश में श्रीमती गाँधी के तानाशाही रवैये का पर्दाफाश किया गया। भूमिगत आन्दोलन के जरिये विपक्ष को ऐसा परिवेश या वातावरण मिला जिससे नये राजनीतिक

1. देश के बाहर के भारतीयों ने इसमें खूब सहयोग किया। इन दोनों संस्थाओं का गठन विपक्ष द्वारा किया गया इनका मुख्य ध्येय देश तथा मुख्य रूप से विदेश में इंदिरा सरकार के मिथ्या प्रचार का खण्डन करके विदेश स्थित भारतीय एवं अन्य स्वतन्त्रता प्रेमी प्रबुद्ध-जनों को भारत की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना था।
2. देखें; 'तरुण क्रान्ति' बिहार प्रदेश छात्र जन संघर्ष की बुलेटिन, जून 5, 1976.
3. वही.

विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प की तलाश

विलय एवं विघट के सैद्धान्तिक आधार

जनता पार्टी की उदय एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसके भारतीय राजनीतिक में दूरगामी परिणाम हुए। सच्चे अर्थों में सम्पूर्ण “जनता प्रक्रिया” (Janata Phenomenon) को समझने के लिये, विलय एवं विभाजन की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। “राजनीतिक दल अत्यधिक विचार विमर्श करने के पश्चात विलय की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अत्याधिक चुनौती पूर्ण राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक नेतृत्व, दलीय नौकरों शाही एवं बड़ी सख्या में दलीय सदस्यों के दबाव के कारण चार या पाच राजनीतिक दलों का विलय होता है, तथा अत्यन्त बाध्यकारी परिस्थितियों में व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों के लिये, राजनीति नेतृत्व अपने राजनीतिक अस्तित्व का समर्पण करते हैं।”¹

कभी-2 छोटे एवं निराश राजनीतिक दल मात्र अपने अस्तित्व के लिये आपस में विलय करके एक मजबूत राजनीतिक इकाई बनाते हैं, ताकि वे मजबूत राजनीतिक विपक्ष की भूमिका निभा सकें। देश का बदलता हुआ सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण भी ‘विलय एवं विभाजन की प्रक्रिया’ को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक परिवर्तन तथा कुछ नये राजनीतिक गुटों एवं ताकतों के उदय के कारण पुराने राजनीतिक सगठन नयी “लोक-मॉगो” को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं और इन मॉगो के अनुरूप नये राजनीतिक सगठनों का उदय होता है। पश्चिमी समाज में ‘मजदूर वर्ग’ के उदय ने अनेक नये राजनीतिक गुटों को जन्म दिया। ये गुट अन्ततोगत्वा मजबूत राजनीतिक दलों में बदल गये। इन समाजों के सामाजिक सम्बन्धों में मौलिक परिवर्तन आ रहा था इसलिये समाजवादी राजनीतिक दलों को एक “सामाजिक एवं राजनीतिक सत्यता” के रूप में स्वीकार किया गया। आज स्थिति पुन बदल रही है।

एक राजनीतिक दल या गुट अपनी बढती हुई राजनीतिक सगतता को पहचान कर, सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका को बनाये रखने के लिये किसी शक्तिशाली राजनीतिक दल से सम्पर्क करते हैं। इसी सिद्धान्त के आधार पर ‘सीमान्त राजनीतिक गुट’ भी किसी शक्तिशाली राजनीतिक गुट से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, वैचारिक मतभेदों के आधार पर विभिन्नता, इन दलों के वास्तविक क्रिया कलापो में बहुत ही कम प्रतिबिम्बित होती है। संक्षेप में, ‘राजनीतिक दलों के विलय और विभाजन की रणनीति, औचित्यता, अस्तित्व की रक्षा, व्यक्तित्व के समीकरण और सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न बाध्यताओं द्वारा निर्देशित होती है।’²

जनता पार्टी का गठन उन गैर- साम्यवादी राजनीतिक दलों द्वारा हुआ, जो ‘एक दलीय प्रधान व्यवस्था’ के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। इस ‘एक दल प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था’ ने भारतीय प्रजातन्त्र के लिये खतरा उत्पन्न

1 सी० पी० भाम्भरी “दि जनता पार्टी ए प्रोफाइल” नेशनल पब्लिशिंग, हाउस नयी दिल्ली, 1987, पृ० 2

2. सी० पी० भाम्भरी “दि जनता पार्टी ए प्रोफाइल”, पूर्वोक्त पृ० 3

कर दिया था। 'आपातस्थिति के उत्पीड़न एवं श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा विपक्षी एकता के आह्वान ने सभी गैर-कांग्रेसी एवं गैर- साम्यवादी सगठनों को करीब ला दिया। ये दल ऐसी व्यवस्था की तलाश में थे, जो निरकुश दलीय व्यवस्था का विकल्प हो एवं उनके राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा भी कर सके।¹ यह विलय कर्ताओं (राजनीतिक दलों) का ऐतिहासिक प्रयास था "क्योंकि यह देश में प्रजातन्त्र को जीवित रखने के नाम पर किया गया था।"²

विपक्षी एकता के पूर्ववर्ती प्रयास और अनुभव

भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका अत्यन्त शोचनीय रही है। इसका मूल कारण भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप था भारत में "एक दल प्रभावी बहु-दलीय व्यवस्था" है, जिसमें एक प्रभावी दल (कांग्रेस) सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त कर लेता है जबकि विपक्ष बिखरा हुआ रहता है। चूंकि भारत का अधिकांश राजनीतिक दल सिद्धान्त एवं विचार को नहीं, बल्कि व्यक्ति को केन्द्र बनाकर गठित होते रहे हैं अतः इनके विलय में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एवं अवसरवादिता हावी रहती है। यही कारण है विभिन्न राजनीतिक दल विलय के लिये इच्छुक नहीं होते हैं। अगर विलय के लिये राजी हुये तो विलय के बाद भी अपने घटक के अस्तित्व के प्रति चिन्तित रहते हैं। राजनीतिक दलों की यह भावना विलय के लिये घातक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे एक सशक्त विपक्ष के निर्माण की सम्भावना क्षीण हो जाती है।

स्वतन्त्रता के बाद सत्ता सीन कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी एकता के अनेक प्रयास हुये। नेहरू काल की राजनीति के सर्वप्रमुख तथ्य थे— केन्द्रीय एवं राज्य सत्ता पर कांग्रेस का एकाधिकार और श्री जवाहरलाल नेहरू का करिश्मावादी व्यक्तित्व। इन दोनों ने विपक्षी दलों की भूमिका एवं राज्य की राजनीतिक को लगभग शून्य कर दिया था, इस काल में राज्यों की राजनीति केन्द्र द्वारा निर्देशित होती थी। सन् 1967 के चौथे ग्राम चुनाव में कतिपय राज्यों में कांग्रेस की हार तथा 1969 में कांग्रेस के महाविघटन ने विपक्षी एकता की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम किया।

चौथा आम चुनाव (1967) "चतुर्थ आम चुनाव अवसाद निराशा, अनिश्चितता, और लगभग लगातार आन्दोलनों की वातावरण में सम्पन्न हुये"।³ इस चुनाव को प्रथम वास्तविक आम चुनाव की सजा दी गयी। इन चुनाव परिणामों ने असदिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता परिवर्तन के लिये आतुर है यद्यपि केन्द्र में राजनीतिक सत्ता कांग्रेस के पक्ष में रही लेकिन लोकसभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या बहुत कम हो गयी। उस समय भारतीय संघ में सत्रह राज्य थे। सोलह राज्यों में चुनावों के परिणाम स्वरूप आठ राज्यों- आन्ध्र प्रदेश, अमम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मैसूर, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला और उसकी सरकारें बनीं। मद्रास में सी० एम० एन्नादुराई के नेतृत्व में डी० एम० के० को पूर्ण बहुमत मिला। शेष सात राज्यों में 'सविद सरकारें' बनीं। इसमें छ. राज्यों — बिहार, केरल, उड़ीसा, पंजाब, उ०प्र० और पश्चिमी बंगाल में गैर-कांग्रेसी 'सविद- सरकारें' बनीं जबकि राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। कुछ दिनों बाद हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में कांग्रेस में दल बदल के कारण गैर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ। नागालैण्ड में 1964 के चुनाव के बाद नागा

1. जे० सी० जौहरी "भारतीय शासन एवं राजनीति", स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लि०, नई दिल्ली, 1982, पृ० 896

2. सी० पी० भाम्भरी पूर्वोक्त, पृ० 3

3. नारमन डी० पामर "भारत के चतुर्थ आम चुनाव (एसियन सर्वे भाग मई, 1967) पृ० 277

नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में थी। इन चुनावों से राज्यों की राजनीति में 'सविद सरकारों' का दौर प्रारम्भ हुआ और दल-बदल की दूषित प्रवृत्ति भी प्रबल हो गयी।

'भारतीय राजनीति' में प्रथम बार कई राज्यों में विपक्षी दलों ने 'मिली जुली सरकार' बनाकर कांग्रेस का विकल्प प्रस्तुत किया। ये सभी सरकारें गैर- कांग्रेसवाद के नकारात्मक आधार पर निर्मित हुयी थीं। सरकार के गठन के तुरन्त बाद इनमें आन्तरिक विरोधाभास परिलक्षित होने लगे। इसी कारण इसमें से कोई भी सरकार दो वर्ष से ज्यादा नहीं चल सकी। 'आयाराम-गयाराम' की तर्ज पर मन्त्रिमण्डल बनते बिगड़ते रहे। "इन सविद सरकारों ने एक ओर साम्यवादी दलों एवं दूसरी ओर जनसंघ से समझौता किया था अतः यह स्पष्ट रूप से यह एक राजनीतिक औचित्यता पर आधारित व्यवस्था थी।"¹

फरवरी 1967 के चतुर्थ आम चुनाव का भारतीय राजनीति में व्यापक प्रभाव पड़ा इसके कारण भारतीय राजनीतिक एवं दलीय व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन दृष्टि गोचर हुए। कांग्रेस को राज्यों के साथ-साथ केन्द्र में भी आघात लगा। केन्द्र में उसे बहुमत तो मिला परन्तु लोकसभा में कुल 520 स्थानों में मात्र 283 स्थान ही प्राप्त हुए। जबकि अनेक विपक्षी दलों—स्वतन्त्र दल, जनसंघ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ। कुल विपक्षी दलों (एवं निर्दलीय सदस्यों को मिलाकर) कुल 237 स्थान प्राप्त हुए। (देखें सारणी सख्या-2)

दलीय व्यवस्था के विकास के इस बिन्दु पर ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतीय जनता का मोह कांग्रेस से भग हो रहा है, और "एक दलीय प्रभावक बहुदलीय व्यवस्था" "बहुदलीय व्यवस्था" में परिवर्तित हो रही है। वैसे इस स्थिति में ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि एक 'सशक्त विपक्ष' का उदय हो रहा है परन्तु सामूहिक विपक्ष की स्थिति अपनी पूर्व स्थिति से ठीक थी। ससदीय व्यवस्था की सफलता के लिये बहुदलीय व्यवस्था नहीं बल्कि 'दो दलीय व्यवस्था' आवश्यक होती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ दो दलीय व्यवस्था का जन्म एक दूर की सम्भावना लगती है। परन्तु सशक्त विपक्ष के निर्माण के लिये विरोधी दलों में सुगबुगाहट प्रारम्भ हो गयी थी, अनेक विद्वानों का मत था कि "इन चुनाव परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में 'एक दल प्रभावी व्यवस्था' का अन्त हो गया है।"²

कांग्रेस में मतभेद तो प्रारम्भ से ही थे, चतुर्थ आम चुनाव और 1969 में कतिपय राज्यों (बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल एवं हरियाणा) में मध्यावधि चुनावों से इसमें वृद्धि हुई। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया—सत्ता कांग्रेस एवं सगठन कांग्रेस। कांग्रेस के विभाजन के बाद सत्ता कांग्रेस अल्पमत में रह गयी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा भारतीय साम्यवादी दल, द्रविड मुनेत्र कड़गम, प्रजा समाजवादी दल और निर्दलीय सदस्यों की सहायता से अपनी सरकार का संचालन किया जाता रहा। यह सरकार भी मूलतः 'एक सविद सरकार' थी। भारत में केन्द्र स्तर पर 'सविद सरकार' का यह प्रथम अनुभव था। अपनी प्रकृति के अनुरूप मिली जुली सरकार अटक-अटक कर चल रही थी और "श्रीमती इंदिरा गाँधी विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन से अपनी सरकार के संचालन में

1. ब्रह्मदत्त "फाइव हेडेड मॉन्स्टर ए फैंकचुअल नरेटिव ऑफ दि जेनिसिस ऑफ जनता पार्टी", सर्ज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, अगस्त 1978, पृ 1

2. इकबाल नारायण "स्टेट पोलिटिक्स इन इण्डिया", मेरठ, 1967, पृ 64-3

असुविधा महसूस कर रही थी। अतः उन्होंने राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि को लोकसभा भंग करने का परामर्श दिया। राष्ट्रपति द्वारा 27 दिसम्बर 1970 को लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गयी।⁽¹⁾

पंचम (मध्यावधि) आम चुनाव 1971 इन चुनाव में सगठन कांग्रेस, जनसघ, स्वतन्त्र दल और सयुक्त समाजवादी दल द्वारा 'चार दलीय मोर्चे' का निर्माण किया गया। कांग्रेस को आन्तरिक एव याह्य दोनों स्तरों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में यह 'चार दलीय मोर्चा' केन्द्र में अपनी सरकार की स्थापना या पर्याप्त 'शक्तिशाली विरोधी दल' का स्थान ग्रहण करने के प्रति बहुत अधिक आशान्वित था। लेकिन चुनाव परिणाम विपक्षी दलों की आशाओं के नितान्त विपरीत रहे। चुनाव में कांग्रेस का अपूर्व सफलता मिली जिसमें सत्ता कांग्रेस का कुल 518 स्थानों में 352 स्थान प्राप्त हुए। (देखें सारणी सख्या 3)

सत्ता कांग्रेस द्वारा मार्च 1972 में सत्रह राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में आम चुनाव की घोषणा की गयी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि दिसम्बर 1971 के 'भारत-पाक युद्ध' के बाद इसका अत्याधिक बोझ जनता पर पड़ेगा परन्तु श्रीमती गाँधी अपने निर्णय में अटल रही। इन विधान सभाओं के चुनावों के परिणाम² आश्चर्य जनक रहे, कांग्रेस को 15 राज्यों एवं एक केन्द्र शासित प्रदेश में बहुमत प्राप्त हुआ।

सन् 1971-72 के लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुनावों/परिणामों ने विपक्षी एकता के प्रतीक 'सयुक्त विधायक दल'³, एवं 'चार दलीय मोर्चे' (महागठबन्धन) के अस्तित्व को धूल में मिला दिया। विपक्ष की अपमान-जनक हार ने सिद्ध कर दिया कि जन साधारण का विश्वास पूरे विपक्ष से उठ गया है। कांग्रेस स्थायी - सरकार के नाम पर सत्ता प्राप्त करने में सफल रही। कांग्रेस की सफलता का मूल कारण यह है कि "वास्तव में कांग्रेस कमोवेश विभिन्न राजनीतिक हितों, मनोभावों का वृहद गठबन्धन है, जिगम विभिन्न विचारों एवं तत्वा को आत्मसात करने एवं अपने अनुकूल बनाने की व्यापक क्षमता है। इस सगठन में अनेक महापुरुषों ने विभिन्न दृष्टिकोण रखते हुए भी एक झण्डे के नीचे मिल जुलकर कार्य किया है।"⁴

कांग्रेस की इस सफलता ने दलीय व्यवस्था के पूर्व निष्कर्षों को गलत सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस का 'एक-प्रभावी दल' के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है और सशक्त विपक्ष का शनैः शनैः उदय हो रहा है। भारतीय मतदाता का साधारणतया "मत व्यवहार" रहा है कि वह उसी दल को समर्थन देता रहा है जो स्थायी सरकार बना

1. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली दिसम्बर 28, 1970

2. मार्च 1972 में 17 राज्यों— आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, एवं केन्द्र शासित प्रदेश- गोवा एवं दिल्ली में चुनाव हुए इसमें मेघालय, एवं गोवा को छोड़कर शेष स्थानों में कांग्रेस सत्ता में आयी। मेघालय में ऑल पार्टीज हिल लीडर कांग्रेस एवं गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमन्तक दल की सरकार बनी।

3. मार्च 1972 में चतुर्थ आम चुनाव के बाद जिन राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। वहाँ लगभग सभी विपक्षी दलों ने मिलकर "सयुक्त विधायक दल" का निर्माण किया। जेमे उ० प्र० में निर्मित 'सयुक्त विधायक दल' में चरणसिंह गुट, (जन कांग्रेस), प्रसोपा, ससोपा, सी० पी० आई, सी० पी० आई (एम०), स्वतन्त्र पार्टी, जनसघ आदि शामिल थे।

4. डी० सी० पावते "कोअलिशन गवर्नमेंट्स देयर प्रॉब्लम एण्ड प्रोस्पेक्ट", एन० सी० साहनी (एडिटेड) "कोअलिशन पोलिटिक्स इन इण्डिया", पृ० 156

सके। 1967 के चुनाव के बाद कई राज्यों में 'सविद सरकार' बनी थी। वे सभी असफल हो चुकी थी अतः 1971 के मध्यावधि चुनाव में जनता ने यह महसूस किया कि यदि केन्द्र में किसी दल का बहुमत नहीं मिला तो यही स्थिति उत्पन्न होगी। जनता ने भारी मतों से कांग्रेस (सत्ता) को विजय बनाया। "1971 के चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति के प्रायः सभी देशी विदेशी प्रक्षकों को हतप्रभ कर दिया था, किसी को भी यहाँ तक कि सत्ता कांग्रेस की नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी को भी यह आशा नहीं थी कि सत्ता कांग्रेस को लोक-सभा में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो सकेगा।"¹ इन परिणामों से विपक्ष को बहुत निराशा हुई परन्तु शीघ्र से विपक्षी एकता के प्रयास पुनः प्रारम्भ हुए।

1971-72 के लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव में विपक्षी दलों की हार 'विपक्षी एकता' के मुँह पर करारा तमाचा था। कांग्रेस एक प्रभावी दल के रूप में पुनः उभरी थी और विपक्ष पूर्णतया बिखर गया था। भारतीय दलीय व्यवस्था व्यक्ति पर आधारित है एवं इसके वैचारिक मतभेद भी मूलतः अहम् के सघर्ष के प्रतिरूप हैं। यह सत्य है कि भारत में घोर दक्षिण पथी दल-जनसघ एवं वामपथी साम्यवादी दलों का अस्तित्व है। परन्तु वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित जनसघ एवं साम्यवादी दलों ने सत्ता एवं चुनावी लाभ के लिये समय-समय पर "गैर विचारधारावादी" दलों से समझौता किया है। भारतीय दलों की यही प्रकृति 'दलीय एकता एवं दलीय विघटन' की मूल प्रेरणा रही है। 1971-72 की हार के बाद विभिन्न विपक्षी दल स्वतः ही पुनः कांग्रेस के विरुद्ध गोर्वा बनाने के प्रयास में जुट गये थे एवं उनके द्वाग किये गये प्रयासों से 'विपक्षी एकता' को नयी दिशा मिली। श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा चलाये गये आन्दोलनों ने इस एकता को प्रोत्साहित किया। सभी गैर साम्यवादी विपक्षी दलों ने इस आन्दोलन का समर्थन किया इससे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और इससे एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हुई जिसमें विपक्षी दल 'एकता एवं विलय' के लिए तैयार हो सके।

वैसे श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन के पूर्व ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आत्मावलोकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी थी ये सभी राजनीतिक दल कांग्रेस को देश के लिये घातक मान रहे थे और अपने वक्तव्यों द्वारा ऐसे सकत दे रहे थे कि अगर कांग्रेस के विरुद्ध एक 'सशक्त सयुक्त मोर्चा' बनाया जाय तो इसे आसानी से परास्त किया जा सकता है। इस आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्तर पर एकता के प्रयास किये जा रहे थे। इस दिशा में सोशलिस्ट पार्टी, सगठन कांग्रेस एवं जनसघ सभी प्रयासरत थे। परन्तु विपक्ष एकता के लिये सबसे ज्यादा प्रयास उत्तर भारत के कृषक नेता चौधरी चरणसिंह द्वारा किये गये।

8 जनवरी 1973 को जार्ज फर्नांडीज के अध्यक्षता में सोशलिस्ट पार्टी का दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे यह प्रस्ताव पारित किया गया कि "कांग्रेस धनी किसानों, बुर्जुआ, नौकरशाहों के हितों के साधन का मुख्य उपकरण है जिसे सत्ता से अपदस्थ कर देना चाहिये।"² श्री जार्ज फर्नांडीज ने अन्य दलों से आग्रह किये कि वे कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध समान दृष्टिकोण अपनायें। इस क्रम में "सगठन कांग्रेस के श्री एस० एन० मिश्र, स्वतन्त्र पार्टी के श्री पी० के० देव, जनसघ के श्री अटल बिहारी बाजपेई, 17 फरवरी को दिल्ली में मिले। उन्होंने इस बात पर सहमति

-
1. श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने दलीय चुने जाने के समय लोकसभा के कांग्रेसी सदस्यों की सम्बोधित करते हुये स्वीकार किया था। टाइम्स ऑफ इण्डिया, मार्च 19, 1971
 2. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, जनवरी 9, 1973

व्यक्त की कि कल से प्रारम्भ होने वाले ससद के सत्र मे मिल जुलकर कार्य करेगे ।”¹ इस प्रकार विभिन्न विपक्षी दल- जनसघ, स्वतन्त्र पार्टी, कांग्रेस (सगठन) और द्रविड मुनेत्र कडगम एक समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर एक साथ कार्य करने को राजी हुए, जिससे ‘कांग्रेस के विकल्प’ का प्रादुर्भाव हो सके ।”²

श्री चरण सिंह द्वारा विपक्षी एकता के प्रयास

विलय एव विपक्षी एकता की विचार धारा के साथ-साथ आशकाओं की भी अर्तधारा बह रही थी । विपक्षी नेता 1971-72 के चुनावी अनुभव को नहीं भुला पा रहे थे । भारतीय क्रान्तिदल के अध्यक्ष श्री चरण सिंह का मत था कि “इसमें कठिनाइयां बहुत हैं परन्तु इसके आलावा कोई चारा भी नहीं है । प्रजातन्त्र के विकास के लिये सभी दलों के अस्तित्व का विलय करके कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक मजबूत दल का निर्माण किया जाना चाहिये ।”³ श्री चरण सिंह ने सगठन कांग्रेस के नेता श्री सी० बी० गुप्ता में इस सन्दर्भ में वार्ता की परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला । “वास्तव में दोनों नेताओं के बीच मतभेद नीतियों एवं कार्यक्रमों के लेकर नहीं था, बल्कि उनके अहम, प्रतीक एवं नारे आपस में टकरा रहे थे ॥”⁴ सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री राजनारायण ने दोनों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया परन्तु कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला ।

विपक्षी एकता के प्रयासों का मूल कारण कांग्रेस एवं श्रीमती इंदिरा गाँधी के प्रति घृणा भाव था । किसी भी सगठन के स्थायित्व का आधार सकारात्मक मूल्य होने हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं । अनेक विपक्षी नेताओं ने श्री चरण सिंह में “एकता के प्रयास जारी रखने के लिए कहा परन्तु चेतावनी भी दी कि ‘गैर-कांग्रेसवाद’ एवं ‘इंदिरा-विरोध’ से उपजी विपक्षी एकता अस्थायी होगी । अतः नीतियों एवं कार्यक्रमों में समझौता हो जाना चाहिये ।”⁵

चौधरी चरण सिंह के विपक्षी एकता के प्रयासों के फलस्वरूप “सात राजनीतिक दलों ने अपने अस्तित्व को विलय कर के एक नई पार्टी ‘भारतीय लोक दल’ की स्थापना का निश्चय किया । ये दल थे— भारतीय क्रान्ति दल (चौधरी चरणसिंह), स्वतन्त्र पार्टी (पीलूमोदी गुट), उत्कल कांग्रेस (बीजू पटनायक), राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक सघ (बालराज मधोक), सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (राजनारायण), किसान मजदूर पार्टी (चाँद राम), पंजाब खेतीबारी मजदूर यूनियन (बाबा महेन्द्र सिंह) । इन दलों में केवल स्वतन्त्र पार्टी ही राष्ट्रीय दल था, शेष सभी दल क्षेत्रीय थे ।”⁶ इसके पूर्व मुस्लिम मजलिस, भारतीय खेतिहार संघ (डा० राम सुभग सिंह) और हरिजन सघर्ष समिति ने भी भारतीय लोकदल में विलय की सहमति व्यक्त की थी, परन्तु 14 अप्रैल 1974 को दिल्ली में हुई बैठक में ये दल विलय को राजी नहीं हुए । इस विलय के दो प्रमुख घटकों— भारतीय क्रान्तिदल एवं स्वतन्त्र पार्टी, के कुछ सदस्यों ने इस विलय का विरोध किया । स्वतन्त्र पार्टी के विलय विरोधी घटक के नेता मीनू मसानी का विचार था कि “जब

-
1. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, फरवरी 18, 1973
 2. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली मार्च 4, 1973
 3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, 25 जुलाई 1973
 4. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, 10 अगस्त 1973
 5. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, 5 सितम्बर 1973
 6. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, 15 अप्रैल, 1974

तक अन्य राष्ट्रीय दलो-जैसे सगठन कांग्रेस एव जनसघ का, सहयोग नही मिलेगा तब तक सत्ता कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प उत्पन्न नही होगा।”¹

“भारतीय लोकदल का उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 1974 को सम्पन्न हुआ एव सात दलो के स्वैच्छिक विलय से भारतीय लोक दल अस्तित्व मे आया और चौधरी चरण सिंह इसके अध्यक्ष बने।”² सगठन कांग्रेस, जनसघ, सोशलिस्ट पार्टी डी(0) एम(0) के(0), अकाली दल और दूसरे अन्य दल इस विलय से बाहर रहे। यद्यपि इनके साथ विपक्षी एकता के लिए वार्ता एव प्रयास जारी थे। साम्यवादी दलो को विलय के लिए नही आमन्त्रित किया गया था।

इस घटना ने उन लोगो को, जो विपक्षी एकता के लिये प्रयासरत थे, आशा एव उत्साह प्रदान किया। सर्वोदधी नेता श्री जय प्रकाश नारायण एव आचार्य जे(0) बी(0) कृपलानी ने इसका स्वागत किया। “आचार्य कृपलानी ने कहा इसमे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेकने मे मदद मिलेगी। जब कि श्री जय प्रकाश नारायण ने आशा व्यक्त की कि यह प्रयास एक सशक्त विपक्षी दल का रूप धारण करेगा।”³ आशाओं के अनुरूप विपक्षी एकता एव राजनीतिक ध्रुवीकरण का युग प्रारम्भ हो गया था। इसी क्रम मे “20 अक्टूबर 1974 को बगला कांग्रेस ने भारतीय लोक दल मे विलय की घोषणा कर दी।”⁴ बगला कांग्रेस बगाल का एक छोटा सा क्षेत्रीय दल था, परन्तु इस विलय से भारतीय लोक दल की आभा मे वृद्धि हुई। इस विलय से यह प्रतिबिम्बित होता है कि विपक्षी एकता के लिए समाज से भी सकारात्मक प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व मे बना “भारतीय लोकदल अपने सकीर्ण अर्थो मे मात्र एक राजनीतिक दल ही नही था बल्कि समान विचारधारा वाले विभिन्न राजनीतिक दलो के विलय के आन्दोलन का एक हिस्सा था।”⁵

कांग्रेस के चुनावी इतिहास से यह विदित होता है कि उसने हमेशा लगभग 40 या 45 प्रतिशत मत प्राप्त करके सत्ता सभाली है और विभाजित विपक्ष 55 या 60 प्रतिशत मत पाता रहा है। इस प्रक्रिया से यह आशा व्यक्त की गयी कि विपक्ष के मत विभाजन मे रोक लगेगी और “ऐसी सरकार का निर्माण होगा जो सच्चे अर्थो मे बहुमत की इच्छा को व्यक्त करेगी।”⁶ भारतीय लोकदल ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, कि वर्तमान परिस्थितियों मे वामपथी एव दक्षिणीपथी विचारधारा के आधार पर मतभेद बनाये रखना विपक्ष एव ससदीय लोकतन्त्र दोनों के लिए हानिकारक है। “भारतीय बुद्धिजीवी एव विपक्ष, वामपथ और दक्षिणपथ, प्रगतिशील एव प्रतिक्रियावादी, बुर्जुआ एव सर्वहारा जैसे निरर्थक गुटो मे बटे है। हमे एक तानाशाह सरकार का सामना करने के लिये इन लेबिलो से मुक्त होना चाहिये।”⁷ भारतीय लोकदल की इस विचारधारा से लगभग सभी गैर साम्यवादी दल प्रभावित थे। समाजवादी

1 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, 13 अगस्त 1974

2 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, अगस्त 29, 1974

3 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, सितम्बर 1, 1974

4 दि स्टेटमैन, दिल्ली, अक्टूबर 21, 1974

5 जे(0) ए(0) नैयक “दि ग्रेट जनता रिवोल्यूशन”, पूर्वोक्त, पृ(0) 31

6 बी(0) एल(0) डी(0) की नीतियों के ड्राफ्ट स्टेटमेन्ट से, बी(0) एल(0) डी(0) प्रकाशन, पृ(0) 4

7 भारतीय लोक दल की नीतियों के ड्राफ्ट स्टेट मेन्ट से पूर्वोक्त पृ(0) 5

रुझान वाले दल भी इस दिशा में सोचने लगे थे परन्तु वैचारिक प्रतिबद्धता उन्हें किसी अन्य विकल्प की ओर उन्मुख कर रही थी। विलय के इस वैचारिक आन्दोलन में समाजवादी एवं वामपंथी रुझान वाले दलों की गतिविधियों पर दृष्टिपात करना प्रासांगिक होगा।

वामपंथी रुझान वाले दलों का दृष्टिकोण

साशलिस्ट पार्टी ने इस दिशा में प्रयास प्रारम्भ किया। सोशलिस्ट पार्टी का विचार था कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लाक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी एवं अन्य वामपंथी एवं प्रगतिवादी विचारधारा के समूहों को मिलाकर एक “रेडिकल पार्टी” का ‘सयुक्त मोर्चा’ तैयार करना चाहिये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी।पी।आई) सन् 1969 से कांग्रेस के सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रही थी अतः उसने ‘सयुक्त मोर्चे’ के निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं था। परन्तु “इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम सोशलिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सी।पी।एम.) के समझौते के रूप में सामने आया। जिसके फलस्वरूप दोनों दल सरकार के विरुद्ध एक आन्दोलन चलाने के लिये राजी हो गये।”¹ सी।पी।आई के अध्यक्ष एस।ए।डॉंगे ने इस समझौते की आलोचना की। उन्होंने “इसे सिद्धान्तहीन” बताया और कहा इस समझौते के चार आधार हैं— इन्दिरा गाँधी के प्रति घृणा, चीन के प्रति प्रेम, सोवियत संघ की आलोचना एवं सी।पी।आई का विरोध। इन चार आधारों पर ये दल किसी अन्य दल से समझौता कर सकते हैं।”²

भारतीय साम्यवादो दलों का चरित्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक मूल्यों के अनुरूप कभी नहीं रहा। ये दल सोवियत संघ एवं चीन के वैचारिक ढाँचे की पृष्ठभूमि में रखकर अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाते रहे हैं। जून 1974 में सोशलिस्ट पार्टी, ने सभी रेडिकल दलों को मिलाकर एक “सशक्त रेडिकल मोर्चा” बनाने के लिये एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव किया। सी।पी।आई ने आग्रह किया कि उसे भी सम्मेलन में आमन्त्रित किया जाना चाहिये। परन्तु “सोशलिस्ट पार्टी के सचिव श्री सुरेन्द्र मोहन ने कहा कि सी।पी।आई दोहरा मापदण्ड अपना रही है। एक ओर वह कांग्रेस की यथास्थितिवादी सरकार का सहयोग करती और दूसरी ओर साम्यवादी होने का नाटक करती है सी।पी।आई एक उग्र वामपंथी दल नहीं अतः उसे सम्मेलन में आमन्त्रित नहीं किया जा सकता है।”³ भारतीय वामपंथी दल सदा की भाँति इस मुद्दे पर भी विभाजित रहे और सरकार के विरुद्ध कोई भी “सयुक्त रेडिकल मोर्चा” बनाने में असफल रहे।

विपक्षी दलों द्वारा चलाये गये विलय सम्बन्धी आन्दोलनों में गैर-साम्यवादी दलों को ही सफलता मिली। विपक्ष एकता के प्रयासों से भारतीय लोक दल (बी।एल।डी.) का निर्माण हुआ, परन्तु अनेक प्रमुख विपक्षी दल— जनसंघ, सगठन कांग्रेस एवं सोशलिस्ट इससे अलग रहे। जनसंघ एवं सोशलिस्ट पार्टी ने विशेष मुद्दों पर भारतीय लोकदल को सहयोग देने का वचन दिया। बाद के महीनों में जब बी।एल।डी. ने राष्ट्रीय स्तर पर विलय का मुद्दा उठाया, तो जनसंघ ने यह विचार प्रतिपादित किया कि पहले संसद में “एक विपक्षी गुट” का निर्माण किया जाना

-
1. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, सितम्बर 26, 1973
 2. वही
 3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, अगस्त 18 1974

चाहिये, जबकि सोशलिस्ट पार्टी का विचार था कि विपक्षी एकता सुदृढ़ सुधार वार्दा नीतियो एव कार्यक्रमो के आधार पर होनी चाहिये।”¹

भारतीय दलीय व्यवस्था मे नीतियो एव कार्यक्रम से ज्यादा व्यक्ति एव दलीय नेता का महत्व रहा है। यही कारण है कि विभिन्न दलो के आपसी गठबन्धन मे नीतियो का टकराव कम व्यक्तित्व का टकराव अधिक रहा है। विपक्षी एकता के विशेष सन्दर्भ मे यह स्थिति और भी निराशाजनक थी, क्योंकि भारतीय लोकदल, जनसघ, एव सोशलिस्ट पार्टी सामान्य अर्थो मे समाज के विभिन्न एव विरोधी गुटीय हितो को प्रतिबिम्बित करते थे। भारतीय लोकदल को धनी ग्रामीण वर्गो के ‘हित-साधक’ के रूप मे देखा जाता था जबकि जनसघ को उच्च जातियो एव शहरी धनी वर्गो का समर्थन प्राप्त था। इन दोनों से हटकर सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी रुझान वाली पार्टी थी, जो प्रगति-शील सामाजिक-आर्थिक नीतियो का समर्थन करती थी। अतः इन दलो का मेल मिलाप एक टेढी खीर था। भारतीय दलीय व्यवस्था मे सत्ता के प्रति आक्रोश का नकारात्मक भाव विपक्षी एकता का महत्वपूर्ण कारक रहा है, यही कारण इन दलो को एकता के लिये प्रेरित कर रहा था। परन्तु “वे एक ऐसे व्यक्ति एव अवसर की तलाश मे थे जिससे उनके अहम को चोट पहुँचे बिना विपक्षी एकता स्थापित हो सके। उनकी दृष्टि मे ये व्यक्ति और अवसर क्रमशः श्री जय प्रकाश नारायण एव उनका आन्दोलन था।”²

‘जय प्रकाश आन्दोलन’ एवं विपक्षी राजनीतिक दल

जय प्रकाश नारायण ने गुजरात एव बिहार की विधान सभाओ को भग करने के लिये क्रमशः 1974 एव 1975 मे आन्दोलन चलाया, यह आन्दोलन जनता पार्टी के निर्माण की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम था। चूँकि इस आन्दोलन को विभिन्न विपक्षी दलो का समर्थन प्राप्त था, इसलिए उन राजनीतिक दलो का इस आन्दोलन के प्रति दृष्टिकोण समझना प्रासंगिक होगा जिन्होंने बाद मे मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया। इस आन्दोलन ने विभिन्न विपक्षी दलो को एक दूसरे को समझने एव ‘साझा-अनुभव’ का अवसर प्रदान किया। श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन को समर्थन देने वाले विभिन्न विपक्षी दलो के अपने विशिष्ट राजनीतिक हित थे। राजनीतिक दलो के ये विशिष्ट हित एव दृष्टिकाणु विलय की प्रक्रिया के प्रमुख प्रेरक बिन्दु थे। जनसघ, भारतीय लोकदल, सगठन कांग्रेस एवं सोशलिस्ट पार्टी, जिन्होंने 1977 मे जनता पार्टी का निर्माण किया, की विलय के सन्दर्भ मे अलग-अलग अवधारणाएँ थीं।

सन् 1974 एव 1975 मे गुजरात एव बिहार के आन्दोलनो को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा था। श्री जय प्रकाश नारायण ने “इन आन्दोलनो की तीव्रता और इनमे नवयुवको एव छात्रो के योगदान को देखकर यह आशा व्यक्त की कि अब भारत के नव युवक ही उनकी ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ का स्वप्न साकार करेगे।”³ श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व मे आन्दोलन का प्रभाव क्षेत्र शैल-शने व्यापक होने लगा। इस स्थिति मे असन्तुष्ट जन समुदाय विभिन्न सामाजिक सगठनो एव प्रमुख विपक्षी दलो— जनसघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी एव सगठन कांग्रेस ने इसे अपना पूर्ण समर्थन देने का वचन दिया।

1 वही, फरवरी 4, 1975

2 डॉ। सी। गुप्ता “इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पोलिटिक्स”, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लि।, नई दिल्ली, 1979, पृ० 163

3 बसन्त नारगोल कर “जे। पी। विन्डिकेटेड। नई दिल्ली, एस० चन्द एण्ड कम्पनी, 1977, पृ० 103

अपने वर्गीय चरित्र में 'जय प्रकाश- आन्दोलन' मूलतः 'शहरी मध्यम वर्ग' का सरकार के प्रति विद्रोह था चूँकि जनसंघ एवं उसके सम्पूर्ण ढाँचे को इसी वर्ग का सहयोग प्राप्त था, अतः जनसंघ इस आन्दोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गया। इस आन्दोलन का 'चरित्र एवं प्रकृति' ऐसी थी कि विभिन्न तलों के प्रदेश एवं जिले स्तर के नेता, अपन केन्द्रीय नेतृत्व की अनुमति से पूर्व ही इस आन्दोलन में शामिल हो गये। बिहार एवं गुजरात के आन्दोलनों के मुख्य कर्ता-धर्ता विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दल एवं उनके सहयोगी संगठन थे। "जनसंघ, संगठन कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, और इनके सहयोगी संगठन जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, समाजवादी युवाजन सभा, सर्वोदय मण्डल आदि अग्रगामी संगठन आन्दोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता गुप्त रूप से आन्दोलन का प्रसार कर रहे थे।"¹ अतः 'पार्टी नेतृत्व के पास इस आन्दोलन को समर्थन देने के आलावा कोई चारा नहीं था। श्री जय प्रकाश नारायण भी इन दलों के सहयोग के लिए लालायित थे क्योंकि उनके पास आन्दोलन का प्रचार-प्रसार करने के लिये संगठन की कमी थी जिसे ये दल प्रदान कर रहे थे।

"इन विपक्षी दलों में जनसंघ सुदृढ़ संगठन वाला दल था। इसके सदस्य अपने सहयोगी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सामन्तस्य स्थापित करके अपनी योजनाओं को कार्यरूप प्रदान कर रहे थे।"² इसके नेताओं ने सार्वजनिक रूप से आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने की घोषणा की। जनसंघ के अखिल भारतीय सचिव नानाजी देशमुख ने कहा, "वर्तमान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर फैले हुए भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अन्याय एवं अक्षमता का अन्त करने के लिए सम्पूर्ण क्रांति अवश्यभावी है।"³ यहाँ तक कि "जनसंघ के प्रमुख नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी आन्दोलन में पूर्ण रूप से कार्य करने के लिये अपनी लोकसभा सीट से त्यागपत्र देने के इच्छुक थे।"⁴

विपक्षी एकता एवं विभिन्न राजनीतिक दल

जनसंघ का दृष्टिकोण जनसंघी नेताओं ने विशेष कर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्षी दलों से अपील की कि वे अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक जुट हो जायें, क्योंकि "आने वाले दिन में केवल दो शक्तियों के बीच मुकाबला होगा, प्रथम सत्ता पक्ष की तानाशाही शक्तियाँ एवं द्वितीय वे सभी शक्तियाँ जो शान्तिपूर्ण ढंग से समाज में मौलिक परिवर्तन का प्रयास कर रही हैं।"⁵ आपातकाल के पूर्व जनसंघ नेतृत्व का विचार था कि सभी "राष्ट्रवादी एवं प्रजातान्त्रिक" शक्तियों को मिलाकर कांग्रेस के विरुद्ध एक 'संयुक्त विपक्षी मोर्चे' का निर्माण करना चाहिये।"⁶

-
1. घनश्याम शाह 'प्रोटेस्ट मूवमेन्ट इन टू इण्डियन स्टेट्स ए स्टडी आफ गुजरात एण्ड बिहार मूवमेन्ट्स', अजन्ता पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 1977, पृ० 52
 2. घनश्याम शाह पूर्वोक्त, पृ० 131
 3. मदन लैण्ड, दिल्ली दिसम्बर 9, 1974
 4. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, दिसम्बर 14, 1974
 5. वही, दिसम्बर 23, 1974
 6. देखें, मदन लैण्ड, दिल्ली, दिसम्बर 30, 1974

कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए “विपक्षी एकता का जनसघी मॉडल” एक समान प्रत्याशी, एक समान न्यूनतम कार्यक्रम, और एक समान चुनाव चिन्ह पर आधारित था।”¹ जनसघ की राजनीतिक योजना थी कि विपक्षी दलों को सदन में एक “सयुक्त विपक्षी गूट बनाना चाहिये और एक निश्चित न्यूनतम कार्यक्रम एवं समान जनता प्रत्याशी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिये।”² भारतीय दलीय व्यवस्था में भारतीय जनसघ एक वैचारिक प्रतिबद्धता वाली पार्टी थी। इसकी वैचारिक प्रतिबद्धता ने इस पार्टी को एक सशक्त एवं कठोर सगठन प्रदान किया है। अतः जनसघ अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का अतिक्रमण करके अन्य दलों से समझौता नहीं करना चाहती थी। इससे इसकी सगठनात्मक शक्ति में ह्रास की सम्भावना थी। श्री लाल कृष्ण आडवानी ने विपक्षी एकता के लिये श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन की सराहना की परन्तु उन्होंने विभिन्न विपक्षी दलों के विलय का स्पष्ट रूप से विरोध किया।³

आपातकाल की घोषणा के कुछ दिन पूर्व 16 जून 1975 को माउन्ट आबू में जनसघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में यह विचार प्रतिपादित किया गया कि ‘जय प्रकाश के आन्दोलन’ को समर्थन देने वाले सभी विपक्षी दल मिलकर एक ‘सघीय दल’ बनाये। बैठक में यह भी कहा गया कि “हमने गुजरात में इस सघीय विचार को उल्लेखनीय सफलता के साथ यथार्थ में परिवर्तित होते देखा है इसलिये इस प्रयोग को राष्ट्रीय स्तर पर आरम्भ किया जाना चाहिये।”⁴

भारतीय लोकदल का दृष्टिकोण विपक्षी एकता के विषय में भारतीय लोक दल का दृष्टिकोण भिन्न था। जहाँ जनसघ किसी भी प्रकार के विलय का विरोध कर रही थी, वहीं भारतीय लोकदल का विचार था कि “सभी गैर-साम्यवादी विपक्षी दलों के विलय से नवीन दल का निर्माण किया जाना चाहिये।”⁵ भारतीय लोकदल ने विपक्षी एकता के ‘जनसघी मॉडल’ की कटु आलोचना की। उनका विचार था कि विपक्षी दलों का ‘ढीला सघीय गठबन्धन’ एक अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था होगी। हमें 1967-68 के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में सयुक्त विधायक दल की सरकार एवं सन् 1971 के लोक सभा चुनाव में “सयुक्त मोर्चे” की असफलता के अनुभव से शिक्षा लेनी चाहिए। भारतीय लोक दल के विपक्षी एकता के प्रयासों को अनेक राजनीतिक दल सन्देह की दृष्टि से देख रहे थे क्योंकि “इसका प्रभाव मूल रूप से उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा तक ही सीमित था।”⁶

भारतीय लोक दल ने विलय के प्रयासों के साथ-साथ अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की रुपरेखा भी प्रस्तुत की इसने पंचवर्षीय योजनाओं की आलोचना की और कहा कि इससे ग्रामीण एवं शहरी आय के बीच खाई चौड़ी हुई है। भारतीय लोक दल भारतीय अर्थ व्यवस्था में राज्य की बढ़ती हुई भूमिका से चिन्तित था। इसने राज्य की शक्ति

-
- 1 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली फरवरी 13, 1975
 - 2 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया जून 16 1975
 - 3 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली जनवरी 25, 1975
 - 4 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, जून 17, 1975
 - 5 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया दिल्ली जनवरी 25 1975
 - 6 डी। एन। सिंह मदन लैण्ड, दिल्ली सितम्बर 7, 1974

के विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया। भारतीय लोक दल का विचार था कि, “वह भारत में कृषि विकास को वरीयता देगा और उसकी आर्थिक नीतियाँ कृषक एवं ग्रामीण विकासोन्मुख होंगी।”¹

भारतीय लोकदल के प्रयासों एवं नीतियों का सगठन कांग्रेस एवं जनसंघ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये दल कांग्रेस के ‘राष्ट्रीय विकल्प’ के निर्माण के लिये भारतीय लोकदल के साथ विलय के अनिच्छुक थे। जनसंघ ने भारतीय लोकदल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि “इस दल के अनेक सिपहसलार जिस प्रकार बाते एवं व्यवहार कर रहे हैं वह उनका बड़बोलापन है।”²

जब चौधरी चरण सिंह ने देखा कि विभिन्न दलों के बीच विलय को लेकर मतभेद हैं तो उन्होंने इस विषय में स्पष्ट अपना मत व्यक्त किया—

(1) भारतीय लोकदल ‘संयुक्त मोर्चे’ के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने का विरोध करता है।

(2) भारतीय लोकदल, कांग्रेस का मुकाबला करने के लिये विपक्ष दलों के विलय के उपरान्त बने ‘एक राजनीतिक दल’ के निर्माण का समर्थन करता है।

(3) भारतीय लोकदल ने जन संघ के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि ससद में एक “विपक्षी गुट” बनाया जाय।

(4) भारतीय लोकदल ‘जय प्रकाश आन्दोलन’ का समर्थन करता है, परन्तु वह इस विचार से सहमत नहीं है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प का प्रादुर्भाव इस प्रकार के आन्दोलन से अपने आप हो जायेगा।

(5) अन्त में चौधरी चरण सिंह भारतीय लोकदल की नीति वक्तव्य में पुनर्विचार करने को राजी हो गये थे जिससे अन्य प्रजातान्त्रिक दलों को “गाँधीवादी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक ढाँचे के अन्दर विलय के लिए प्रेरित किया जा सके।”³

विलय के सन्दर्भ में जनसंघ एवं भारतीय लोकदल में गम्भीर मतभेद थे। जनसंघ केवल भारतीय लोकदल के विलय के विचार का विरोध ही नहीं कर रही थी बल्कि उसका मानना था कि भारतीय लोकदल में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह अपने को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सके। क्योंकि “यह स्वयं एक सुगठित दल न होकर विभिन्न दलों एवं विरोधी गुटों का ढीला ढाला गठबन्धन है।”⁴ लेकिन चौधरी चरण सिंह ने विलय के लिए जो विचार प्रतिपादित किए थे उन्हें पर्याप्त समर्थन मिला था और उसका यथार्थ रूप भारतीय लोकदल के रूप में विद्यमान भी था। भारतीय लोकदल कठोर वैचारिक प्रतिबद्धताओं से मुक्त था। अतः अन्य विरोधी दलों का ध्यान आकृष्ट कर सकता था। यह स्थिति भारतीय दलीय व्यवस्था के अनुकूल थी। चौधरी चरण सिंह इन परिस्थितियों में कांग्रेस विरोधी भावनाएँ उभाड़कर विलय की प्रक्रिया को प्रेरित करना चाहते थे परन्तु विलय के लिये ये नकारात्मक प्रेरणा

1. भारतीय लोकदल पोर्सि एण्ड प्रोग्राम, नई दिल्ली, भारतीय लोकदल प्रकाशन
2. मद्र लण्ड, दिल्ली दिसम्बर 4, 1974
3. चौधरी चरण सिंह की प्रेस कांफ्रेंस, इंग्लैंड एक्सप्रेस, दिल्ली, दिसम्बर 9, 1974
4. मद्रलण्ड, दिल्ली, जनवरी 4, 1975

पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि "किसी भी प्रकार का विलय एवं विपक्षी एकता मात्र गैर-कांग्रेसवाद एवं इन्दिरा विरोधी भावनाओं के आधार पर स्थायी नहीं हो सकती थी"।¹

सगठन कांग्रेस का दृष्टिकोण जनसंघ के अलावा, सगठन कांग्रेस भी अन्य दलों के साथ विलय की इच्छुक नहीं थी। सगठन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता, सत्ता कांग्रेस की प्रजातान्त्रिक विरोधी नीतियों से मुकाबला करने के लिए एक 'संघीय दल' बनाना चाहते थे। परन्तु वे "जनसंघ एवं सी० पी० आई० (एम०) जैसे राजनीतिक दलों के साथ किसी प्रकार गठबन्धन एवं राजनीतिक समझौता नहीं करना चाहते थे।"² सगठन कांग्रेस 1969 में कांग्रेस के महाविघटन के पश्चात अस्तित्व में आयी थी। अभी तक न तो इसका अपना कोई सुदृढ़ सगठन विकसित हो पाया था और न ही यह अपना जनाधार व्यापक बनाने में सफल हुई थी। अतः किसी व्यापक जनाधार वाले दल जनसंघ या भारतीय लोकदल के साथ विलय कर अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहती थी। दूसरी ओर इसमें श्री मोरार जी देसाई जैसे नेता थे जो अपने सिद्धान्तों एवं मतव्यों में कोई परिवर्तन एवं समझौता करने के लिए राजी नहीं थे।

श्री मोरार जी देसाई का विचार था कि "विपक्षी दलों का किसी भी प्रकार का गठबन्धन 'निश्चित सिद्धान्तों' के आधारित होना चाहिए"³ उन्होंने कहा कि "कांग्रेस के विरुद्ध सभी समान विचार वाले दलों को चुनावी समझौता पट्टी खोलना चाहिए, परन्तु गुजरात में उन्होंने ऐसी किसी भी सम्भावना से स्पष्ट इकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वे अपने बल पर गुजरात का चुनाव जीत लेंगे।"⁴ सगठन कांग्रेस का गुजरात में पर्याप्त जनाधार था अतः वह वहाँ अकेले या प्रमुख दल बनकर एवं चुनाव जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना चाहती थी। इस सार्वजनिक वक्तव्यों के बावजूद सगठन कांग्रेस गुजरात में जून 1975 में हुए विधान सभा चुनाव में अन्य विपक्षी दलों के साथ 'जनता मोर्चा' बनाने को राजी हो गयी क्योंकि श्री जय प्रकाश नारायण सहित अन्य विपक्षी नेता 'जनता मोर्चा' बनाने के लिये दबाव डाल रहे थे। वैसे भी सगठन कांग्रेस कोई ऐसी सशक्त पार्टी नहीं थी, कि वह प्रारम्भ से ही विपक्षी एकता की प्रक्रिया में अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों की अवहेलना करती। "यह एक कमजोर पार्टी थी, जिसका प्रभाव केवल गुजरात एवं कर्नाटक में सीमित था। अतः विलय के सन्दर्भ में उसकी विचार धारा अत्यन्त अस्पष्ट एवं नकारात्मक थी।"⁵

सोशलिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण विलय के प्रश्न पर सोशलिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण वैसा ही गम्भीर था जैसा जनसंघ का। सोशलिस्ट पार्टी ने भी श्री जार्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन में भाग लिया था, लेकिन यह पार्टी "कांग्रेस के विकल्प के रूप में वामपथी प्रगतिशील ताकतों का गठबन्धन चाहती थी।"⁶ समाजवादियों का विचार था कि इस प्रकार का गठबन्धन ही सत्ता कांग्रेस को चुनौती देने में सक्षम होगा।

1. इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली जनवरी 23, 1975
2. दि स्टेट्समैन, दिल्ली, सितम्बर 30, 1974
3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, दिसम्बर 31, 1974
4. चालीस गांव में हुये सगठन कांग्रेस के सम्मेलन में व्यक्त विचार, टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, जनवरी 6, 1975
5. सी० पी० भाम्भरी "दि जनता पार्टी ए प्रोफाइल" पूर्वोक्त, पृ० 11

सोशलिस्ट पार्टी ने अनेक वामपथी दलो—जैसे कि सी० पी० आई (एम०), फारवर्ड ब्लाक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर, और पीजेन्ट एव वार्कर पार्टी आदि से गठबन्धन बनाने के लिये वार्तायें प्रारम्भ कीं। सोशलिस्ट पार्टी के महामन्त्री श्री सुरेन्द्र मोहन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इन वार्ताओं की सफलता के आसार कम हैं क्योंकि "सी० पी० आई (एम०) का मतव्य है कि जिन दलो को प्रस्तावित 'सयुक्त वाममोर्चे' में शामिल होने के लिए बुलाया जाय, सर्व प्रथम उनके बीच नीतियों एव कार्यक्रमों को लेकर समझौता हो जाना चाहिए।"¹ इसकी सम्भावना बहुत कम थी। अतः सत्ता कांग्रेस के 'वामपथी विकल्प' के निर्माण के शो जार्ज फर्नांडीज एव श्री सुरेन्द्र मोहन को प्रयासों की सफलता नहीं मिली।

समाजवादियों के साथ समस्या यह थी कि वे अपना वैचारिक आधार त्यागकर अपने दल के अस्तित्व एव महत्व को कम नहीं करना चाहते थे। परन्तु वैचारिक आधारों में नरमी लाये बिना किसी भी प्रकार की विपक्षी एकता सम्भव भी नहीं थी। श्री जय प्रकाश नारायण के समाजवादी रुझान के कारण समाजवादियों का व्यक्तिगत झुकाव उनकी ओर था और उनका विश्वास था कि श्री जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन विभिन्न राजनीतिक ताकतों को भविष्य में गठबन्धन के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। मधुलिमये का विचार था कि "बिहार में चल रहे आन्दोलन से ही कांग्रेस के विकल्प के रूप में 'सशक्त रेडिकल दल' का प्रादुर्भाव हो सकता है।"² जार्ज फर्नांडीज ने भी "इस आन्दोलन से एक सशक्त विपक्ष के प्रादुर्भाव की सम्भावना व्यक्त की थी।"³

समाजवादी, भारतीय लोकदल के विलय सम्बन्धी विचार को सिद्धान्तहीन मानते थे। भारतीय लोकदल ने गाँधीवादी समाजवाद के आधार पर जनसघ जैसी दक्षिणपथी पार्टी के विलय के लिए आमन्त्रित किया था। समाजवादियों के लिए यह सम्भव नहीं था क्योंकि इससे उनके वैचारिक प्रतिबद्धता को आघात पहुँचता दूसरी ओर उनका 'एक सयुक्त वाम मोर्चे' के निर्माण का प्रयास भी असफल रहा क्योंकि सी० पी० आई० (एम०) जैसे कठोर वैचारिक प्रतिबद्धता वाली पार्टियाँ पर्याप्त सहयोग नहीं कर रही थी। इसी दुविधा की स्थिति में समाजवादियों ने श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन का समर्थन किया। उनका विचार था कि "यह आन्दोलन एक सिद्धान्तवादी गठबन्धन की राजनीति की प्रक्रिया को प्रारम्भ करेगा।"⁴

विभिन्न गैर-साम्यवादी विपक्षी दलों के दृष्टिकोण के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि जून 1975 में आपातकाल की घाघणा के पूर्व तक इन दलों के मध्य गम्भीर मतभेद थे। परन्तु इसी बीच इससे दो सकारात्मक आयाम भी उभरकर आये प्रथम कोई भी राजनीतिक दल 1971 की "महागठबन्धन" जैसी विपक्षी दलों की चुनावी रणनीति के पक्ष में नहीं था। और द्वितीय, जय प्रकाश नारायण का उदय निर्विवाद रूप से विपक्षी दलों के नायक के रूप में हुआ और विभिन्न दलों के बीच समझौते में उनकी बातों को महत्व दिया जाने लगा।

6 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, नवम्बर 8, 1974 >

1 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, दिसम्बर 31, 1974

2 टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, जनवरी 1, 1975

3 इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, जनवरी 3, 1975

4 सी० पी० आई० भाभरसी "दि जनता पार्टी ए प्रोफाइल", पृ० 12

आपातकाल की घोषणा एवं विपक्षी एकता

25 जून 1975 की मध्य रात्रि में आपातकाल की घोषणा एवं सभी गैर साम्यवादी विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी ने दलीय राजनीति के एक नये अध्याय की शुरुआत की। आपातकाल एवं जेल के अनुभवों ने विपक्षी दलों के नेताओं को एकता के लिए नये सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया। पीडा अवसाद और वेदना से घिरे विपक्षी नेताओं के हृदय में आततायी सत्ता से मुकालबला करने के लिए नयी दृष्टि मिली। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक साहित्यकार अज्ञेय के अनुसार “वेदना में एक शक्ति है, जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है।”¹ अतः जेल के अनुभवों ने विपक्षी एकता के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया। परन्तु “श्री जय प्रकाश नारायण एवं विपक्षी नेताओं के प्रयासों एवं अटकलों से यह परिलक्षित होता है कि विपक्षी एकता एवं विलय की यह यात्रा सुगम नहीं थी।”²

प्रमुख विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के उपरान्त एकता एवं विलय की प्रक्रिया में आघात तो लगा, लेकिन जेल के अन्दर एवं बाहर इसके लिए प्रयास जारी रहे। जनवरी 1976 में ससद में विपक्षी दलों ने ‘जनता मोर्चा’ का निर्माण किया। श्री एन(0) जी(0) गोरे और श्री एच(0) एम(0) पटेल क्रमशः राज्य सभा एवं लोकसभा में ‘सयुक्त विपक्षी मोर्चे’ के नेता बने। ये नतागण देश में प्रजातन्त्र के बहाली के लिए श्रीमती इंदिरा गाँधी से वार्ताये करना चाहते थे। चूँकि आपातकाल में ससद पगु हो गयी थी, अतः श्रीमती इंदिरा गाँधी ने विपक्षी नेताओं के आग्रह पर कोई ध्यान नहीं दिया और विपक्ष पर देश की शान्ति भंग करने का आरोप लगाती रही।

जेल के एकान्त एवं सूनेपन में कितने ही महान राजनीतिज्ञों ने असाधारण काम किया था। लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी एवं पंडित जवाहर लाल नेहरू आदि नेताओं ने अपनी अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक योजनायें जेलों में ही बनायीं एवं अपनी विश्व विश्रुत पुस्तकें भी जेलों में लिखीं। विपक्षी एकता के लिए वार्ताये तिहाड एवं बम्बई जेल जहाँ श्री जय प्रकाश नारायण स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे, में जारी रही “जनता पार्टी के नेताओं का यह दावा कि जनता पार्टी का जन्म जेल में हुआ भावनात्मक नहीं, बल्कि आपातकाल के दौरान जेल में किये गये ठोस प्रयत्नों पर आधारित था।”³

“इसी तिहाड जेल में 8 फरवरी 1976 को चौधरी चरणसिंह ने जेल में अपने दूसरे साथियों सरदार प्रकाश सिंह बादल, जयपुर के राज कुमार श्री भावनी मिह, नाना जी देशमुख, मदरलैण्ड के सम्पादक श्री मलकानी, राजमाता महारानी सिन्धिया आदि से विचार-विमर्श करके इस योजना को सुनिश्चित रूप दिया कि सभी विरोधी दलों को मिलाकर ‘एक नया दल’ बनाया जाय। जेल में एक दूसरे से मिलने की सुविधा नहीं थी। फिर भी दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे तक यह बात पहुँचायी गयी। इसकी पहली बैठक तिहाड जेल के “बी” श्रेणी के वार्ड न(0) 14 में चौधरी साहब की अध्यक्षता में हुई इससे विपक्षी एकता के विचार का बीज बोया गया।”⁴

1. अज्ञेय “शेखर एक जीवनी (प्रथम भाग)”, सरस्वती प्रेस, 5 सरदार पटेल मार्ग इलाहाबाद, उपन्यास की प्रथम पर्वत, पृ(0) 7
2. देखें ब्रह्मदत्त, ‘फाइव हेडेड मान्सटर’ पूर्वोक्त, पृ(0) 4
3. सी(0) पी(0) भाम्भरी “दि जनता पार्टी ए प्रोफाइल,” पूर्वोक्त पृ(0) 14
4. अनिरुद्ध पाण्डेय धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह, ऋतु प्रकाशन गाजियाबाद, 1986, पृ(0) 122-123

7 मार्च 1976 को 'एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर श्री अशोक महता आदि नेताओं के साथ श्री चौधरी चरण सिंह भी तिहाड़ जेल से अचानक रिहा कर दिये गये'।¹ इसके पूर्व 12 नवम्बर 1975 को लोकनायक जय प्रकाश नारायण स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से जेल से पैरोल पर छोड़ दिये गये थे। "चौधरी चरण सिंह ने जेल से छूटने के बाद एक बैठक बुलायी जिसमें सशक्त विपक्षी दल बनाने के लिये एक समिति का गठन किया गया। श्री एन(जी) गोरे उस समिति के सयोजक मनोनीत किये गये। श्री शान्ति भूषण, श्री ओ(पी) त्यागी, एव श्री एच(एम) पटेल सदस्य बने।" चौधरी चरणसिंह ने कहा कि "अगर आज की परिस्थितियों में कांग्रेस का वैकल्पिक दल नहीं बना तो भविष्य में विपक्ष का नामोनिशान मिट जायेगा।"² "22-23 मई 1976 को बम्बई में इस सम्बन्ध में प्रमुख विपक्षी नेताओं की दूसरी बैठक हुयी परन्तु उसमें भी एक दल बनाने की सब की सहमति नहीं हो सकी।"³ इसी बीच विपक्षी दलों की सयोजक समिति ने श्री जय प्रकाश नारायण से अनुरोध किया गया कि वे विलय के उपरान्त 'एक नये दल' के गठन का प्रयास करें। श्री जय प्रकाश नारायण इसके लिये राजी भी हो गये।

विलय के विचार का विरोध भी विभिन्न दलों के द्वारा हो रहा था, "सगठन कांग्रेस की गुजरात शाखा एव पश्चिमी बंगाल शाखा के श्री बाबू भाई पटेल और श्री प्रताप चन्द्र चन्दर ने न केवल विलय का विरोध किया बल्कि उनके निर्देशन में विलय के विरोध में प्रस्ताव भी पारित किये गये।"⁴ इस प्रकार 'नयी पार्टी' की रूपरेखा के विषय में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के बीच मतभेद कायम रहा। श्री जय प्रकाश नारायण के प्रयत्नों के बावजूद 'पूर्ण विलय' और 'सघीय मॉडल' के समर्थक विपक्षी दल किसी भी समझौते पर नहीं पहुँच सके। चौधरी चरण सिंह ने दिशा निर्देशन समिति के अध्यक्ष श्री एन(जी) गोरे को लिखा कि "मैं यह बात दुहराना चाहता हूँ कि समय का बहुत महत्त्व है, यद्यपि कुछ दलों के लोग इस विलय प्रक्रिया को मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ समझते होंगे। आप उन्हें विश्वास दिलाये कि मैं नय दल का नेतृत्व किसी तरह स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन प्रजातन्त्र की सफलता के लिये 'कांग्रेस का लोकतान्त्रिक विकल्प' बनाना अति आवश्यक है।"⁵

इस घटनाक्रम में बिल्कुल साफ है कि जहाँ दूसरे दल वैकल्पिक पार्टी के स्वरूप के विषय में अनिश्चितता की स्थिति से गुजर रहे थे, वही चौधरी चरण सिंह विलय के लिये व्याकुल थे। चौधरी साहब ने अपने पत्र में जो त्याग एव बलिदान की बात कही थी, वह उनकी कूटनीति का एक हिस्सा थी, जिसे अन्य विपक्षी राजनीतिक दल बखूबी से समझ रहे थे, इसीलिए वे विलय से कतरा रहे थे।

विपक्ष का सरकार के प्रति समझौतावादी रुझान : श्रीमती गाँधी की कूटनीति

विपक्षी एकता में एक अन्य बाधा श्रीमती इंदिरा गांधी की कूटनीति थी। उन्होंने विपक्ष में फूट डालने के उद्देश्य से कुछ नेताओं को रिहा कर दिया एव कुछ विपक्षी नेताओं के प्रति अपना व्यवहार मृदु रखा। इससे जेल के

-
1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली मार्च 8, 1976
 2. अनिरुद्ध पाण्डेय पूर्वोक्त, पृ(1) 125
 3. वही, पृ(1) 127
 4. वही, पृ(1) 128
 5. 7 जुलाई 1976 को चौधरी चरण सिंह द्वारा एन(जी) गोरे को लिखा गया पत्र। उद्धृत, अनिरुद्ध पाण्डेय "धरती पुत्र चरण सिंह", पूर्वोक्त, पृ(1) 128

अन्दर (In-Siders) और बाहर (Out-Siders) के विपक्षी नेताओं के मध्य न केवल समझौता वार्ता होने में बाधा हो रही थी, बल्कि वे एक दूसरे के आचारण को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे थे। कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया कि श्री बालाजी देवरस एव श्री बीजू पटनायक श्रीमती इंदिरा गाँधी से समझौता वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मदत्त ने आरोप लगाया कि “बाला साहब देवरस ने यरवदा सेन्ट्रल जेल से श्रीमती इंदिरा गाँधी से पत्र द्वारा आग्रह किया है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ से प्रतिबन्ध हटा ले एवं स्वयंसेवकों को जेल से रिहा कर दे ताकि वे सरकार के विकास कार्यों में उनकी मदद कर सकें।”¹

सन् 1976 के प्रारम्भिक दिनों में कुछ विपक्षी नेताओं का विचार था कि सघर्ष का रास्ता त्यागकर सरकार से समझौता वार्ता प्रारम्भ करना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी की कूटनीति एव तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने इस विचार को बढ़ावा दिया। ससद में विपक्षी गुट के नेताओं—श्री एच० एम० पटेल एव एन० जी० गोरे—ने इसकी पहल की परन्तु सरकार चाहती थी कि सर्वप्रथम विपक्ष अपना आन्दोलन वापस ले और सवैधानिक तरीके से कार्य करे। विपक्ष के अधिकांश नेता जेल में थे एव सम्पर्क के अभाव में उनकी ओर से कोई आधिकारिक वक्तव्य देना उचित नहीं था। साथ ही साथ कुछ नेता जैसे श्री जार्ज फर्नांडीज सरकार से समझौते के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे।

जेल से रिहा होने के बाद चौधरी चरण सिंह ने “दिल्ली में भारतीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा की ओर घोषणा की कि अगर सरकार नागरिक स्वतन्त्रता एव प्रेस को स्वतन्त्रता प्रदान करे एव आपातकाल को समाप्त कर तो वार्ता के लिये वातावरण बन सकता है श्री चरण सिंह ने लोक सघर्ष समिति से नाता तोड़ने की घोषणा की और इसकी सूचना 1 जून 1976 को श्री जय प्रकाश नारायण को पत्र द्वारा दे दी।”² 26 जून 1976 आपातकाल की प्रथम वर्षगांठ में चौधरी चरण सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आग्रह किया “कि आपातकाल को समाप्त किया जाय, राजनीतिक बन्धियों का रिहा किया जाय, नागरिक स्वतन्त्रता बहाल की जाय, लोक सभा का चुनाव कराये जाय तथा सर्वसुरीर एव विपक्षी नेताओं की मीटिंग बुलाई जाय।” इस पत्र का सरकार ने कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया। वास्तव में भारतीय लोकदल की ये मांगें व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित न होकर सम्पूर्ण विपक्ष के लिए लाभप्रद थीं। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय लोकदल सरकार से केवल अपना पक्ष ही नहीं रख रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कार्य कर रहा था।

बीजू पटनायक का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही सरकार के प्रति नरम था। जेल से छूटने के बाद जिन्होंने 5 अक्टूबर 1976 को भुनेश्वर में एक लिखित वक्तव्य जारी किया, उसमें कहा गया था कि “देश ने आपातकाल में आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है। अनुशासन की स्थिति सुधारी है और 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक आर्थिक जीवन में सुधार हुआ।” विपक्षी नेताओं ने इस विवादस्पद वक्तव्य की आलोचना की एव चौधरी चरण सिंह को भी यह विचार अति समझौतावादी लगा जिससे वे पूर्णतया सहमत नहीं थे। नवम्बर 1976 में भारतीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्री बाल राज मधोक ने एक प्रलेख प्रस्तुत किया, जिसमें आग्रह किया गया था कि “भारतीय लोकदल नेताओं को अपने मूल सिद्धान्तों को बिना आघात पहुँचाये सरकार के साथ, ‘अनुक्रियावादी सहयोग’ का रास्ता अपना

1. ब्रह्मदत्त, “फाइव हेडेड मॉन्सटर”, पूर्वोक्त, पृ० 28

2. वही, पृ० 73

चाहिए।” उनकी धारणा थी कि वर्तमान स्थिति में दोनों पक्षों का अतिवादी दृष्टिकोण लोकतन्त्र के लिए हानिकारक है।

सरकार से समझौतावादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिवादक भारतीय लोकदल के नेता थे। जिसमें श्री बीजू पटनायक¹ एवं श्री बालराज मधोक² का नाम प्रमुख था। चौधरी चरण सिंह³ ने भी श्रीमती गांधी को पत्र लिखा था, परन्तु उनका दृष्टिकोण अन्य भारतीय लोकदल के नेताओं की तरह सरकार के प्रति प्रशंसात्मक नहीं था। यरवदा सेट्रल जेल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर सचचालक श्री बाला साहेब देवरस ने श्रीमती इन्दिरा गांधी⁴ एवं विनोबा भावे⁵ को पत्र लिखे। जिसमें उन्होंने सरकार की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रति मृदु होने का आग्रह किया था। “इन पत्रों की प्रतियों को जनसंघ एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने हितों चिन्तकों को बुकलेट के रूप में बाँटी।”⁶ इससे प्रतीत होता है कि आर० एस० एस० के दृष्टिकोण को एक सीमा तक जनसंघ का भी समर्थन प्राप्त था।

उल्लेखनीय है कि चार प्रमुख विपक्षी दलों - (संगठन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल एवं जनसंघ) में केवल जनसंघ एवं भारतीय लोकदल ही, दलीय संगठन एवं लोकप्रियता की दृष्टि से सुदृढ़ थे। इन्होंने जय प्रकाश आन्दोलन को खुला समर्थन किया था, अतः इन दलों के नेताओं का सरकार के प्रति रुझान आश्चर्य में डालने वाला था। वैसे यह सत्य नहीं है कि भारतीय लोकदल एवं जनसंघ के नेतृत्व का दृष्टिकोण सरकार प्रति नर्म था, परन्तु इन दलों का एक महत्वपूर्ण गुट सरकार से समझौता वार्ता करने को उत्सुक था। वास्तव में अन्य दलों की तुलना में भारतीय लोकदल का जनाधार व्यापक था, जिसके आधार पर वह सत्ता का महत्तम लाभ उठाना चाहता था। अतः भारतीय लोकदल एक ओर विलय के आन्दोलन का मार्गदर्शन रहा था, तो दूसरी ओर सत्ता से सहयोग करने की अपील भी कर रहा था, जिससे किसी भी प्रकार के सत्ता समीकरण में उसे अधिकतम लाभ हो।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं जनसंघ की भी यही स्थिति थी अन्तर केवल इतना था कि इनका संगठन भारतीय लोकदल से सुदृढ़ था परन्तु लोकप्रियता उससे कम थी। ये अपनी संगठनात्मक क्षमता के आधार पर एक ओर विपक्षी एकता का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी ओर सत्ता से सहयोग का प्रयास कर रहे थे। दोनों ही प्रकार के समीकरणों से उन्हें लाभ की सम्भावना थी।

संगठन कांग्रेस एवं सोशलिस्ट पार्टी का संगठन एवं जनाधार दोनों कमजोर थे, अतः उनकी प्रथम चिन्ता अपने अस्तित्व की थी। सत्ता कांग्रेस का व्यक्तित्व बहुत विशाल था, अतः संगठन कांग्रेस एवं सोशलिस्ट पार्टी

1 बीजू पटनायक द्वारा 15 अक्टूबर 1976 को भुवनेश्वर से जारी लिखित वक्तव्य उद्धृत- ब्रह्मदत्त, पूर्वोक्त, पृ० 82-84

2 बालराज मधोक द्वारा भारतीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्तुत प्रलेख, उद्धृत- वही, पृ० 84-88

3 चौधरी चरण सिंह द्वारा श्रीमती इन्दिरा गाँधी को लिखा गया पत्र, 26 जून 1976, उद्धृत- वही, पृ० 74-79

4 बाला साहेब देवरस द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी को 22 अगस्त एवं 10 नवम्बर 1975 को लिखे गये पत्र, उद्धृत- वही, पारशिष्ट IV पृ० 138-144

5 बाला साहेब देवरस द्वारा आचार्य विनोबा भावे को 12 जनवरी 1976 को लिखा गया पत्र, उद्धृत- वही, पृ० 145-147

6 ब्रह्मदत्त, पूर्वोक्त, पृ० 30

उसके साथ किसी भी प्रकार की समझौता वार्ता करके अपने बौनेपन को नहीं प्रकट करना चाहती थी। सोशलिस्ट नेता श्री जार्ज फर्नांडीज ने विपक्षी दलों के समझौतावादी दृष्टिकोण की कटु आलोचना की थी।

विपक्षी एकता में एक बड़ी बाधा विभिन्न दलों के "संगठन एवं लोकप्रियता" के आधार को लेकर उत्पन्न हुई। इस आधार पर भारतीय लोकदल एवं जनसघ सुदृढ़ थे, जबकि संगठन कांग्रेस एवं सोशलिस्ट पार्टी कमजोर थी। भारतीय लोकदल एवं जनसघ विपक्षी एकता की ऐसी रूपरेखा चाहते थे जिसमें उनके महत्व की वृद्धि हो जबकि संगठन कांग्रेस एवं सोशलिस्ट पार्टी ऐसी रूप रेखा चाहते थे, जिसमें उनके महत्व एवं अस्तित्व को आघात न पहुँचे। अतः कहा जा सकता है कि विपक्षी एकता के माध्यम से भारतीय लोकदल एवं जनसघ अपने महत्व में वृद्धि की तथा संगठन कांग्रेस एवं सोशलिस्ट पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे।

दिसम्बर 1976 तक अनेक विपक्षी नेता जेल से रिहा हो गये थे। ये सभी नेता बड़ी असमंजस में थे कि वर्तमान राजनीतिक मकट से किसी प्रकार निपटा जाय। भारतीय लोकदल एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ की समझौतावादी अपीलों से सरकार के कान में जूँ नहीं रेंग रही थी। धर्म मकट में पड़े विपक्षी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कान सा कदम उठाना चाहिए, कि जिससे वे डूबते हुये उदारवादी लोकतन्त्र के जहाज को बचा सकें। अतः इस बार सम्पूर्ण विपक्ष ने एक जुट होकर सरकार से अपील की कि वह देश में प्रजातान्त्रिक मूल्यों की स्थापना के प्रयास करे।

दिसम्बर 1976 को चौधरी चरण सिंह की सहमति से बीजू पटनायक द्वारा एक 'एप्रोच पेपर' तैयार किया गया। 4 दिसम्बर 1976 को चौधरी चरण सिंह ने इसे व्यक्तिगत रूप से भारत के गृह राज्य मंत्री श्री ओम मेहता को सौंपा। इस पेपर में ससर्दीय लोकतन्त्र के क्रियान्वयन के लिये 'सशक्त विपक्ष' के निर्माण पर जोर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि ससद के अन्दर एवं बाहर प्रजातन्त्र की स्थापना होनी चाहिए। राष्ट्रीय अनुशासन जनता की इच्छा से उत्पन्न होता है, भय से नहीं, अतः सरकार को भयमुक्त समाज की स्थापना के प्रयास करना चाहिये।¹ कुछ विपक्षी नेताओं ने इस पत्र का विरोध किया एवं इसे 'आत्मसमर्पण का प्रलेख'² कहा। श्री बीजू पटनायक ने सरकार की शर्का का निवारण करने के लिए भारत सरकार के गृहराज्य मंत्री श्री ओम मेहता को पत्र³ द्वारा सूचित किया कि उन्हें प्रदान किये गये 'एप्रोच पेपर' को सम्पूर्ण विपक्ष का समर्थन प्राप्त है।

इसी क्रम में डी० एम० के० नेता श्री करुणानिधि ने स्वयं को विपक्षी दलों के प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने 15 दिसम्बर 1976 की अपनी अध्यक्षता में 'गैर साम्यवादी विपक्षी दलों' की एक सभा आहूत की। इसका उद्देश्य विपक्ष एवं सरकार के बीच सवाद की सम्भावनाओं को तालाश करना था। इसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी को भी आमन्त्रित किया गया, परन्तु उन्होंने भाग लेने से इन्कार कर दिया। इस सभा में जनसघ के अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय लोकदल के श्री एच० एम० पटेल, श्री पीलू मोदी, श्री बीजू पटनायक, संगठन कांग्रेस के श्री अशोक मेहता, श्री दिग्विजय नारायण सिंह और श्री बनारसी दास, सोशलिस्ट पार्टी के श्री एन० जी० गोरे, श्री समर

1. एप्रोच पेपर के मूल पाठ से उद्धृत-ब्रह्मदत्त पूर्वोक्त, पृ० 91-93

2. ब्रह्मदत्त पूर्वोक्त, पृ० 94

3. बीजू पटनायक द्वारा ओम मेहता को 1 जनवरी 1977 को लिखा गया पत्र उद्धृत-ब्रह्मदत्त पूर्वोक्त, पृ० 94-96

गुहा, श्री सुरेन्द्र मोहन एव निर्दलीय सासद श्री कृष्ण कान्त और श्री शेर सिंह आदि नेता सम्मिलित हुए। इस सभा के दृष्टिकोण को जय प्रकाश नारायण का समर्थन प्राप्त था।¹ करुणानिधि ने यह सुझाव दिया कि वर्तमान राजनीतिक गत्यावरोध समाप्त करने के लिए व्यावहारिक होगा कि दोनों पक्ष बिना किसी पूर्व शर्तों के सवाद प्रारम्भ करें।²

16-17 दिसम्बर को श्री एच० एम० पटेल की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में भी सगठन कांग्रेस भारतीय लोकदल, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी एव डी० एम० के० नेताओं सहित अनेक निर्दलीय सासदों ने भाग लिया। विपक्षी दलों के कार्यकारी प्रवक्ता श्री एच० एम० पटेल ने कहा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए वर्तमान गत्यावरोध का अंत होना चाहिए। विपक्ष, कांग्रेस के कुछ कार्यक्रमों जैसे परिवार नियोजन एव वृक्षारोपण आदि का समर्थन करता है, परन्तु इन्हें लागू करने की पद्धति में हमारा मतभेद है, सरकार को विपक्ष से वार्ता करके सर्वसम्मति से इन कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए। यह दृष्टिकोण किसी भी व्यक्ति या सरकार के लिए अपमानजनक नहीं है।³ परन्तु सरकार ने कोई सकारात्मक पहल नहीं की।

विलय का नवीन विचार

जनवरी 1977 के प्रारम्भिक दो सप्ताहों के दौरान विलय के एक नये विचार का प्रादुर्भाव हुआ। “भारतीय लोकदल के वृद्ध नेता इस विचार पर राजी हो गये कि भारतीय लोकदल का, सगठन कांग्रेस में विलय विपक्षी एकता का प्रथम चरण होगा। यह प्रावधान किया गया कि सगठन कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया जायेगा जिससे भारतीय लोकदल उसमें समाहित हो सके तथा श्री अशोक मेहता के स्थान पर चौधरी चरण सिंह इसके अध्यक्ष होंगे। 13 जनवरी 1977 को लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इन विचार का अनुमोदन कर दिया।”⁴

14 जनवरी 1977 को पुनः भारतीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें भारतीय लोकदल के नेता ब्रह्मदत्त ने इस विषय में अनेक आपत्तियाँ उठायीं और स्पष्टीकरण माँगे। उन्होंने कहा कि ‘केवल नेतृत्व परिवर्तन से सम्पूर्ण भारतीय लोकदल का समायोजन सगठन कांग्रेस में नहीं हो पायेगा एव इससे भारतीय लोकदल के सदस्यों का महत्व कम हो जायेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि यह विलय तभी सार्थक होगा जब अखिल भारतीय सगठन कांग्रेस एक प्रस्ताव द्वारा चरण सिंह को अपना अध्यक्ष चुने एव अपनी केन्द्रीय, राज्य एव जिले स्तर की ईकाइयों को विघटित कर दे और नये अध्यक्ष को यह अधिकार दिया जाय कि वे नयी कार्यकारिणी, नयी अखिल भारतीय कांग्रेस (सगठन) कमेटी, और नयी राज्य एव जिले स्तर की ईकाइयों का गठन करें। इससे भारतीय लोकदल का सगठन कांग्रेस में उचित समायोजन होगा।’⁵

-
1. दि दृष्टिकोण एक्सप्रेस दिल्ली दिसम्बर 16, 1975
 2. वही •
 3. दि दृष्टिकोण एक्सप्रेस दिल्ली दिसम्बर 18, 1976
 4. ब्रह्मदत्त पूर्वोक्त, पृ० 110
 5. वही

जय लोकदल ने इस प्रस्ताव को सगठन कांग्रेस के नेताओं के समक्ष रखा, तो राजी नहीं हुए। इस पर भारतीय लोकदल नेता श्री चादराम ने कहा कि “विपक्षी नेताओं के बीच विश्वास का अभाव है। अतः हमें निरर्थक वार्तयि बन्द कर देनी चाहिये एवं भारतीय लोकदल को मजबूत बनाने का कार्य करना चाहिये।”¹

पुनः गत्यावरोध

एकता एव विलय की रूपरेखा पर कोई अन्तिम समझौता नहीं हो पा रहा था। मतभेदों के एक नहीं अनेक स्तर एव प्रकार थे। “इसी बीच सगठन कांग्रेस ने यह भी सुझाव दिया कि नये दल का, अगर वह बनता है, नाम ‘भारतीय जनता कांग्रेस’ रखा जाय। सोशलिस्ट पार्टी एव जनसंघ ने प्रस्तावित नाम पर सहमति प्रकट की। चौधरी चरण सिंह ने ‘कांग्रेस’ शब्द पर घोर आपत्ति प्रकट की।”² इस नाम से चौधरी चरण सिंह को यह सन्देश हुआ कि मोरारजी देसाई नव गठित दल के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। चरणसिंह ने 16 जनवरी 1977 के श्री जय प्रकाश नारायण के एक पत्र आग्रह पूर्वक लिखा “नये दल का गठन हो सकेगा, यह विश्वास हम जनता को नहीं दे पा रहे हैं। सगठन कांग्रेस वाले रोड़ा अटका रहे हैं। यदि वह सहमत भी हो जाये, तो फरवरी गुजर जायेगी जबकि आम चुनाव सम्भावित है। अतः दल का गठन चुनाव की घोषणा के पूर्व हो जाना आवश्यक है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद नव गठित दल का वह प्रभाव नहीं बन पायेगा जो पहले बनने से होगा।”³

मक्षेप में आपातकाल के दौरान विपक्षी दलों के बीच हुए वार्तालाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री जय प्रकाश नारायण जैसे चमत्कारी नेता के प्रयासों के बावजूद विलय एव एकता सम्बन्धी कोई समझौता नहीं हो सका। ब्रह्मदत्त लिखते हैं “18 जनवरी 1977 तक विपक्षी नेतागण अपने भविष्य के प्रयासों के विषय में अनिश्चित थे। अनेकों विवरणों के विषय में वार्तयि हुई थी, लेकिन कोई सुदृढ़ निर्णय नहीं लिया जा सका था।”⁴

लोकसभा चुनाव की घोषणा

श्री जय प्रकाश नारायण स्वयं ‘एक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रीय विकल्प’ के रूप में एक नये दल का गठन करना चाहते थे, परन्तु उनका यह प्रयास भी निष्फल रहा। विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा विपक्षी एकता के अनेक मॉडल एव रूप-रेखाएँ प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु कोई अन्तिम समझौता नहीं हो पा रहा था। अचानक श्रीमती इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा के चुनाव कराने की घोषणा कर दी, जिससे विपक्षी दलों ने एकता के प्रयास तीव्र कर दिये। “अतः विपक्षी दलों को ‘विलय एव एकता’ का कुछ श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को भी दिया जाना चाहिए, जिन्होंने जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा कर दी।”⁵ 18 जनवरी 1977 को श्रीमती इंदिरा गांधी आकाशवाणी एव दूरदर्शन पर बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से आधी और उन्होंने लोकसभा को भंग करने और मार्च 1977 में आम चुनाव कराये जाने की घोषणा की। उसी दिन श्री मोरार जी देसाई छोड़ दिये गये। चुनाव की घोषणा से विपक्षी खेमों में हलचल

-
1. उद्धृत ब्रह्मदत्त पूर्वोक्त, पृ० 111
 2. उद्धृत, अनिरुद्ध पाण्डेय “धरती पुत्र चरण सिंह”, पूर्वोक्त, पृ० 128
 3. पत्र के मूल पाठ से, उद्धृत, अनिरुद्ध पाण्डेय वही, पृ० 129
 4. ब्रह्मदत्त पूर्वोक्त, पृ० 111
 5. सी० पी० भाभरी पूर्वोक्त, पृ० 16

मच गयी। श्री पीलू मोदी जो 'वैकल्पिक दल' बनाने का प्रयास कर रहे थे, श्री मोरार जी से मिलने उनके आवास पर गये, तो मोरार जी ने तपाक से मोदी से कहा कि "अच्छा हुआ चुनाव घोषित हो गया, विलय के पाप से बच गये, अब मोर्चा बनाकर लडा जायेगा।"¹

उसी समय जनसघ नेता श्री लाल कृष्ण अडवानी ने कहा कि 'एकीकृत विपक्ष' हमारी त्वरित आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि "विपक्षी दलो को तथ्य सम्मत एकीकरण हो जाना चाहिए। विधि सम्मत विलय बाद मे वैधानिक एव तकनीकी औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद कर लिया जायेगा। 19 महीने की आपातकाल ने सम्पूर्ण विपक्ष को एक धरातल पर खडा कर दिया है, और विपक्षी एकता आपातकाल का सबसे बडा काम होना चाहिए।"²

18 जनवरी 1977 की रात्रि को श्री मोरार जी के नई दिल्ली वाले निवास 5 डूप्ले रोड पर सभी प्रमुख विपक्षी दलो की बैठक हुई। उसमे चौधरी चरण सिंह, श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री सुरेन्द्र मोहन, श्री पीलू मोदी, नानाजी देशमुख श्री एन(0) जी(0) गोरे, श्री अशोक मेहता शामिल हुए। इस बैठक मे भी सभी नेता विलय के लिए राजी नही हो पा रहे थे। बैठक मे भी मोरार जी देसाई ने मोर्चा बनाने पर जोर दिया जबकि चौधरी चरण सिंह एव एन(0) जी(0) गोरे ने उत्तेजित होकर विलय की माँग की। दिल्ली आकर श्री जय प्रकाश नारायण न स्थिति को समझ कर ऐलान किया कि "अगर एक दल नही बनाया जाता तो मै चुनाव प्रसार नही करुगा।"³

20 जनवरी 1977 को नई दिल्ली में हुई विपक्षी दलो की बैठक मे ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। सगठन कांग्रेस, जनसघ भारतीय लोकदल, और सोशलिस्ट पार्टी इस बात पर राजी हो गये कि 'आने वाले लोकसभा चुनाव मे वे मिलकर 'एकदल' की तरह कार्य करेगे। इस दल का नाम 'जनता पार्टी' होगी और वे एक झण्डे एव कार्यक्रम के तहत चुनाव लडेगे।'⁴

उसी दिन श्री मोरार जी देसाई ने एक प्रेस को बताया कि हमने निश्चय किया है कि हम 'एक दल' के रूप मे चुनाव लडुगे। अनेक वैधानिक एव तकनीकी कठिनाइयो के कारण अभी 'नये दल' के निर्माण की घोषणा नही की जा सकती है, वैसे हम बाद मे 'एकदल' बनाने के लिये दृढ प्रतिज्ञ है। इस 'नये दल का मॉडल' अतीत के 'सयुक्त मोर्चे' या चुनावी गठबन्धन से भिन्न था। श्री मोरार जी ने स्वय कहा कि 'इस दल का पैटर्न गुजरात के जनता मोर्चा से अलग होगा चुनाव मे प्रत्याशियो का चयन व्यक्तिगत दल द्वारा नही, वरन् 9 सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा।'⁵ इस प्रेस सम्मेलन मे चौधरी चरण सिंह श्री अटल बिहारी बाजपेयी, एव श्री मधुदण्डवते आदि नेता उपस्थित थे।

सोशलिस्ट नेता श्री जार्ज फर्नाडीज ने चुनाव के बहिष्कार की वकालत की परन्तु श्री मोरार जी देसाई ने कहा कि वे बहिष्कार को उचित नही मानते तथा वर्तमान स्थिति मे चुनाव मे भाग लेने के आलावा कोई दूसरा रास्ता नही

-
1. उद्धृत अनिरुद्ध पाण्डेय पूर्वोक्त, पृ(0) 129
 2. दि इंडियन एक्सप्रेस बम्बई, 20 जनवरी 1977, उद्धृत एस(0) देवदास पिल्लई "दि इनक्रेडिबल इलेवशन्स 1977. एक ब्लो बाइ ब्लो डॉक्यूमेंटम एज रिपोर्टेड इन इंडियन एक्सप्रेस" (सम्पादित) पापुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, 1977, पृ(0) 37
 3. उद्धृत अनिरुद्ध पाण्डेय, पृ(0) 129
 4. दि इंडियन एक्सप्रेस, बम्बई, जुलाई 21, 1977, उद्धृत एस(0) देवदास पिल्लई पूर्वोक्त, पृ(0) 38
 5. वही

है। इस क्रम में 22 जनवरी सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी के साथ मिलकर कार्य करेगी।

अन्ततोगत्वा 23 जनवरी को जय प्रकाश नारायण की उपस्थिति में एक प्रेस सम्मेलन में 'जनता पार्टी' का उद्घाटन किया गया। चारों दलों के नेताओं ने यह वचन दिया कि वर्तमान जनता पार्टी का गठन इस विचार से किया गया है कि बाद में 'एक दल' का निर्माण हो जाय। जनता पार्टी की एक 27 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया। सगठन कांग्रेस के श्री मोरार जी देसाई को इसका अध्यक्ष एवं भारतीय लोकदल के चौधरी चरण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। पूर्व कांग्रेसी नेता श्री रामधन, जनसघ के श्री एल० के० अडवानी एवं सोशलिस्ट पार्टी के श्री सुरेन्द्र मोहन को महासचिव एवं श्री शान्ति भूषण को कोषाध्यक्ष का पदभार दिया गया। इसके आलावा समिति में 21 अन्य सदस्य थे। यह जनता पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक समिति थी, जिसका प्रथम कार्य चुनावी घोषणा पत्र का निर्माण करना था।

23 जनवरी 1977 को घोषित जनता पार्टी मात्र, एक व्यवस्था थी, जिसमें घटकों का औपचारिक रूप से एक दल में विलय नहीं हुआ था, हालांकि उन्होंने विलय का निश्चय कर लिया था। कई दलों जैसे—सगठन कांग्रेस एवं जनसघ के दलीय सविधान में यह प्रावधान था कि किसी भी विलय के पूर्व इन दलों को अपनी पार्टी की आम सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी था। समयभाव के कारण चुनाव के पूर्व इस प्रकार का अनुमोदन सम्भव नहीं था। अतः यह निश्चय किया गया कि चुनाव के बाद में, दल अपने दलीय सम्मेलन में यह अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मार्च 1977 में लोक सभा चुनाव के बाद घटक दलों ने अपने दलीय सम्मेलन में यह अनुमोदन प्राप्त कर लिया, और घटकों के औपचारिक विलय के बाद 1 मई 1977 को 'जनता पार्टी' का औपचारिक एवं विधि सम्मत गठन हो गया। श्री चन्द्रशेखर उसके अध्यक्ष बने। जनता पार्टी के अनेक नेताओं के द्वारा इसके जन्म के सन्दर्भ में अनेक प्रशंसात्मक वक्तव्य दिये गये। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दावा किया कि 'भगवान कृष्ण की भाँति जनता पार्टी का जन्म जेल में हुआ, जेल से ही हमें विपक्षी एकता का विचार मिला, इसके लिये प्रधानमन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।'¹

निष्कर्ष

जनता पार्टी के उदय के तथ्यों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि विलय के विषय में विपक्षी दलों के बीच अनेकों आशाएँ, शकाएँ और पूर्वाग्रह थे। इन शकाओं एवं पूर्वाग्रहों का प्रशमन आशाओं एवं स्वार्थों के धरातल पर हुआ। एकरा का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिखरे हुये विपक्षी दल न तो सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे थे, और न ही अपना महत्व बढ़ा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में सभी विपक्षी दलों के व्यापक हित में था कि वे आपसी मतभेदों का भुलाकर एक जुट हो जायें और सत्ता कांग्रेस को चुनौती दें। विपक्षी एकता से एक साथ अनेक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। प्रथम विभिन्न विपक्षी दलों के अस्तित्व एवं महत्व को नया जीवन मिला, द्वितीय जनता को सत्ता कांग्रेस की तानाशाही से मुक्ति मिली, तृतीय लोकतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना हुई।

1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, मार्च 1, 1977

नि सन्देह जनता पार्टी के उदय मे आपातकाल का निर्णायक प्रभाव पडा । यदि आपातकाल के बिना विपक्षी एकता के प्रयास किये तो सम्भव था कि विभिन्न घटकों मे आन्तरिक फूट पड जाती । पूर्व के अनुभवों से यह विदित होता हे कि दलों के विलय की प्रक्रिया मे घटकों (दलों) में पुनः विघटन हुआ, जिसके एक धड ने विलय का समर्थन किया तो दूसरे ने विरोध किया । इस प्रकार विलय के बाद बने दल की शक्ति एव लोकप्रियता प्रारम्भ से ही क्षतिग्रस्त रही, इससे वे न तो चुनाव मे सफल हुए और न ही उनका गठबन्धन स्थायी रहा । भारतीय राजनीति की यह नवीन घटना थी कि विभिन्न दल बिना गम्भीर आन्तरिक विभाजन एव मतभेद के विलय के लिए राजी हुए थे ।

1977 मे विपक्षी एकता एव जनता पार्टी का उदय इस लिए सम्भव हो पाया क्योंकि इस विशेष समय मे विभिन्न विपक्षी दलों के व्यक्तिगत स्वार्थों एव राजनीतिक व्यवस्था के प्रजातान्त्रिक मूल्यों मे एक सामन्जस्य स्थापित हो गया था । इस सामन्जस्य ने विपक्षी एकता को सामाजिक मान्यता एव विलय के आन्दोलन को व्यापक समर्थन प्रदान किया । जनता पार्टी का विधि सम्मत गठन लोक सभा के चुनाव के बाद हुआ । इसलिये मार्च 1977 के छठी लोक सभा के चुनाव भारतीय राजनीतिक एव भारतीय दलीय व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण एव मील का पत्थर है ।

तृतीय - अध्याय

छठीं लोक सभा का चुनाव (1977) :
जनता लहर एवं कांग्रेस युग का अन्त

छठीं लोक सभा का चुनाव (1977) :

जनता लहर एवं कांग्रेस युग का अन्त

प्रस्तावना

आपातकाल के दौरान देश एक ऐसे राजनीतिक एवं सवैधानिक विकास के दौर में था, जिसमें विवेक की आवाज सत्ता के गलियारे में डूब गयी थी। एक छद्म लोकप्रियता, लोकतंत्र एवं विकास का आवरण देश में सर्वत्र छाया था और सत्ता के सामने घुटने टेकने और उसे अनुकूल साबित करने की भागम् दौड़ मची थी। परन्तु इतिहास पर नजर डालने पर यह सत्य उभरता है कि ऐसी ही सघन रात्रि के बाद उषाकाल का आगमन हुआ है। ऐसे समय लोकसभा के चुनाव की घोषणा जनता एवं विपक्ष के लिये मुँह माँगा वरदान थी।

18 जनवरी, 1977 को श्रीमती इंदिरा गाँधी ने लोकसभा को भंग कराने और मार्च 1977 में आम चुनाव कराये जाने की घोषणा की, उन्होंने यह भी कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की विहित राजनीतिक गतिविधियों के लिये आपात स्थिति में और ढील दी जा रही है।

जनता, विपक्ष एवं बुद्धिजीवियों के लिये यह घोषणा आश्चर्यजनक थी क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले लोकसभा की कार्यावधि एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के उपबन्ध (2) के अनुसार, “जब तक आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब तक लोकसभा की कालावधि को ससद विधि द्वारा किसी भी कालावधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी भी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।”¹

पाँचवीं लोकसभा का मार्च 1971 में गठन हुआ था और इसकी कालावधि मार्च 1976 तक थी। परन्तु इसी प्रावधान के अनुसार लोकसभा की कालावधि को दो बार बढ़ाया जा चुका था। प्रथम बार फरवरी 1976 और दूसरी बार नवम्बर 1976 को। इसके अलावा सरकार ने दिसम्बर 1976 को 42वाँ संविधान संशोधन भी पारित कर दिया था। जिसके अनुसार भी लोकसभा की सामान्य कालावधि को पाँच वर्ष से बढ़ाकर छ वर्ष कर दिया था। अतः इधर एक वर्ष तक किसी को चुनाव की आशा नहीं थी।

श्रीमती इंदिरा गाँधी ने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में अत्यन्त प्रजातांत्रिक मुद्रा में बोलते हुए कहा, “वैसे अगले 18 महीनों तक वैधानिक रूप से वर्तमान लोकसभा की कालावधि है, परन्तु अब प्रश्न यह है कि उन राजनीतिक

1. भारतीय संविधान अनुच्छेद 83(2)।

नेतागण सजय गाँधी से महत्वपूर्ण विषय में विचार-विमर्श करते थे। देश के महत्वपूर्ण सरकारी मामले एवं गुप्तचर रिपोर्टें सजय गाँधी के माध्यम से इंदिरा गाँधी तक पहुँचती थी। परन्तु वास्तव में सजय गाँधी को इस प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः श्रीमती इंदिरा गाँधी, श्री सजय गाँधी एवं उसके समर्थकों का लोकसभा में लाकर इस प्रक्रिया को वैधानिकता प्रदान करना चाहती थी। वे छद्म लोकप्रियता के कारण अपनी जीत के लिये आश्वस्त भी थी। अतः उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी।¹

(3) एक मत यह भी है कि श्रीमती इंदिरा गाँधी के पास ऐसी भी सूचनाएँ पहुँच रही थी कि सेना का एक भाग उनके सभी निर्णयों का समर्थन नहीं कर रहा है। सेना में जवान-वर्ग इस बात से चिंतित था कि श्री सजय गाँधी द्वारा चलाया गया, जबरजस्त 'नसबन्दी अभियान' उनके गाँव एवं परिवार में कहर ढा रहा है। इस बात से उनमें आक्रोश था। इससे श्रीमती इंदिरा गाँधी भी चिन्तित थी और वे शांतिशीघ्र इस स्थिति का अन्त करके सामान्य स्थिति बहाल करना चाहती थी। अतः उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी।

(4) विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित तथ्य यह भी उद्धाटित करते हैं कि इन्टेलिजेन्स ब्यूरो एवं रॉ (रिसर्च ऐण्ड एनालिसिस विंग) जैसी गुप्तचर संस्थाओं ने श्रीमती इंदिरा गाँधी को यह सूचना दी थी कि यदि शीघ्र (जनवरी 1977 से जून 1977 के बीच) लोकसभा के चुनाव कराये जायें; तो सत्ता कांग्रेस को लगभग 400 स्थानों में विजय प्राप्त होगी। इन गुप्तचर संस्थाओं की गणना इस अनुमान पर आधारित थी कि विपक्ष बिखरा हुआ है और उसका एक जुट होना संभव नहीं है, तथा जनता एवं मतदाता इतने भयभीत हैं कि वे गैर-कांग्रेसी प्रत्याशी को मत नहीं देंगे।²

स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी को यह विश्वास था कि उसके चुनावी-ससाधन एवं तत्र विपक्ष से हजारों गुना उत्तम है। साथ ही साथ विपक्ष को अपनी चुनावी रणनीति के लिये समय भी कम मिल रहा है, इसका लाभ सत्ता को ही मिलेगा। अतः उनकी जीत सुनिश्चित है, इसलिये श्रीमती इंदिरा गाँधी ने चुनाव की घोषणा कर दी।

(5) चुनाव की घोषणा के सदर्थ में कुछ बाह्य-दबावों का जिक्र करना भी प्रासंगिक होगा। 'यद्यपि श्रीमती इंदिरा गाँधी ने इस बात से इन्कार किया था कि उन्होंने चुनाव कराने का निर्णय किसी विदेशी या बाह्य दबाव में आकर लिया था।'³ परन्तु तथ्य कुछ और ही इंगित करते हैं। उस समय विदेशी संचार माध्यम, श्रीमती इंदिरा गाँधी को एक 'तानाशाह' एवं उदारवादी प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के शत्रु के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। एमनेस्टी इण्टरनेशनल, सोशलिस्ट इण्टरनेशनल और दूसरे अन्य मानवतावादी संगठन, विदेशी प्रेस की सहायता से ये तथ्य उजागर कर रहे थे कि श्रीमती इंदिरा गाँधी ने सत्ता में बने रहने के लिये सभी मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को तिलाजलि दे दी है। विश्व के अनेक बुद्धिजीवियों ने श्रीमती इंदिरा गाँधी को पत्र लिखे और भारत की स्थिति पर दुःख व्यक्त करते हुये माँग की कि देश में सामान्य स्थिति बहाल करके प्रजातान्त्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की जाए।⁴

1. कुलदीप ब्रैयर - 'दि जजमेण्ट' विकास, दिल्ली, 1977।

2. विभिन्न राष्ट्रीय दैनिकों प्राप्त तथ्य, देखें, हॉस्ट हार्टमैन "पॉलीटिकल पार्टीज इन इण्डिया", पूर्वोक्त, पृ० 254।

3. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया; दिल्ली, फरवरी 8, 1977 पृ० 1।

4. इसी सदर्थ में लन्दन के 'दि टाइम्स' में 15 अगस्त, 1975 को 500 बुद्धिजीवियों एवं समाज-सुधारकों का हस्ताक्षर सहित एक

बाह्य दबाव का एक अन्य आयाम भी है। श्रीमती इंदिरा गाँधी देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर अमेरिका से सबध सुधारना चाहती थी। अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चुनाव अभियान के दौरान यह घोषणा की थी कि “विश्व में मानवाधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारी विदेश नीति की रीढ़ होगी।”¹ श्रीमती इंदिरा गाँधी अमेरिका को यह दिखाना चाहती थी कि वे मानवाधिकारों की रक्षक हैं। अतः उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी।

(6) दिसम्बर, 1976 में जब प्रेस सेसरशिप में थोड़ा ढील दी गयी तो देश की तमाम पत्र-पत्रिकाओं में सरकार से आपातस्थिति खत्म करने एवं नागरिक स्वतंत्रताओं को बहाल करने की अपील की गयी। इण्डियन एक्सप्रेस के सम्पादक श्री वी० के० नरसिंहम् ने अनेक क्रमबद्ध लेखों द्वारा ‘तानाशाही के खबरो’ को उजागर किया। इसी दैनिक में 21 एवं 22 दिसम्बर को जे० ए० नैयक ने ‘डेमोक्रेसी एण्ड डेवेलपमेण्ट’ नामक लेख पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने आधुनिक इतिहास के राजनीतिक नियम के रूप में इस अवधारणा का प्रतिपादन किया कि अगर तानाशाही लम्बे अरसे तक जारी रही, तो देश का विघटन हो जायेगा।²

इन लेखों का श्रीमती इंदिरा गाँधी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने तुरन्त पत्र द्वारा विपक्ष को सूचित किया कि वे ससदीय लोकतंत्र का आदर करती हैं एवं वर्तमान परिस्थितियों को सामान्य बनाने के लिये इच्छुक हैं।³ 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा चुनाव की घोषणा इसी पत्र का व्यावहारिक रूपान्तर कही जा सकती है।

उपरोक्त वर्णित सभी कारकों के विश्लेषण के उपरान्त भी यह कहना कठिन है कि इन कारकों में किस एक या दो कारकों ने श्रीमती इंदिरा गाँधी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिससे उन्होंने चुनाव कराने का निर्णय ले लिया। वास्तविकता यह है कि सभी कारकों के सानूहिक प्रभाव न श्रीमती इंदिरा गाँधी को चुनाव की घोषणा के लिये बाध्य किया। एक कहावत है, जिन तानाशाहों को देवता नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें पहले अन्धा बना देते हैं। श्रीमती इंदिरा गाँधी भी गलत गणनाओं के कुचक्र में फँस चुकी थी और तब नियति ने हस्तक्षेप किया। अब तक की एक चालाक और हिमाची राजनीतिज्ञ, जो अपनी सही समय की पकड़ के लिये प्रसिद्ध रही हैं, उनकी (इंदिरा गाँधी की) उस घटनाक्रम पर मुट्टी ढीली पड़ गयी, जिसे उन्होंने गति दी थी।

जनता पार्टी एवं कांग्रेस की चुनावी रणनीति

1977 के लोकसभा चुनाव भारतीय प्रजातंत्र के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। इसमें भारतीय जनमानस ने श्रीमती इंदिरा गाँधी की तानाशाह कांग्रेसी सरकार को नकार दिया था। जनता पार्टी के लिये यह चुनाव एक चुनौती एवं अवसर दोनों था। जनता पार्टी को सफलता एवं असफलता पर भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य निर्भर था, जो कि सरटोरी के शब्दों में ‘विजड़ित एवं विखण्डित’⁴ हो चुका था।

विज्ञापन प्रकाशित किया गया, उद्धृत डी० सी० गुप्ता, पूर्वोक्त, पृ० 672, 25 अप्रैल, 1976 के ‘न्यूयार्क टाइम्स’ की अपील, उद्धृत, दीनानाथ मिश्र; पूर्वोक्त, पृ० 153।

1. ‘दी स्टेट्समैन’ दिल्ली, मार्च 19, 1977।
2. देखें, जे० ए० नैयक, पूर्वोक्त, पृ० 48-49।
3. २३ दिसम्बर, 1976 को श्रीमती इंदिरा गाँधी ने श्री अशोक मेहता को पत्र लिखा, उद्धृत, ब्रह्मदत्त, पूर्वोक्त, पृ० 101-103।

भारतीय प्रजातंत्र के लिये यह चुनाव और महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि यह आपातकाल की पृष्ठभूमि में हो रहा था तथा इसी चुनाव के माध्यम से जनता पार्टी के रूप में एक नवीन प्रयोग की परीक्षा होनी थी। जनता पार्टी ने इस परीक्षा में सफल होने की व्यापक तैयारी की थी। उसने अपनी सम्पूर्ण चुनावी रणनीति का तानाबाना लोकतंत्र बनाम सर्वाधिकारवाद के मुद्दे पर केन्द्रित किया था। उसने आपातकाल के दौरान की गयी ज्यादतियों को उभारकर कांग्रेस एवं श्रीमती इंदिरा गाँधी पर आक्रमण प्रारम्भ किया।

विरोधी पक्ष की त्वरित प्रतिक्रिया एवं जनता पार्टी की सामूहिक चुनावी रणनीति से श्रीमती इंदिरा गाँधी उग्र हो उठी। 22 फरवरी, 1977 को कानपुर में एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि 'विरोधी दलों की नीतियों को लेकर चुनाव लड़ना चाहिये। जब वे इतनी अलग-अलग नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं तो उनका एक साथ इकट्ठा हो जाना लोकतांत्रिक नहीं है।' ¹ इसी प्रकार का आरोप भारत के गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता ने लगाया, 'उन्होंने उसी दिन मद्रास में बोलते हुये कहा कि जनता पार्टी का उद्देश्य जन विरोधी है उसके पास इंदिरा हटाओ के सिवा कोई कार्यक्रम नहीं है।' ²

जगजीवन बम

जनता पार्टी एवं कांग्रेस अपने चुनावों की भावी रणनीतियों पर विचार कर ही रहे थे कि भारतीय राजनीति में एक नया धमाका हुआ। यह श्रीमती इंदिरा गाँधी के लिये अधिक अशुभ घटना थी जिसे 'जगजीवन बम' कहा गया, क्योंकि इसका भारत की राजनीति पर प्रचण्ड प्रभाव पड़ा। 2 फरवरी, 1977 को भारत के केन्द्रीय कृषिमंत्री श्री जगजीवन राम ने मंत्रिमण्डल एवं कांग्रेस दल से अपने त्यागपत्र की घोषणा की।

श्री जगजीवन राम ने अपने त्यागपत्र देने के माध्यम को पूर्णतया गोपनीय रखा। 2 फरवरी को प्रातः 10 बजे उन्हें कांग्रेस राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक में उठने आना था परन्तु 10:30 बजे तक वे अपना त्यागपत्र भेज चुके थे। जब तक उनका त्यागपत्र श्रीमती गाँधी के पास पहुँचा श्री जगजीवन राम एक प्रेस सम्मेलन बुला चुके थे। उन्होंने सवाददाताओं से बातचीत के दौरान एक विस्तृत वक्तव्य जारी किया। उन्होंने कहा कि सत्ता कांग्रेस के अन्दर एवं बाहरी प्रशासनिक व्यवस्था में ताभाशाही प्रवृत्तियाँ खतरनाक तरीके से बढ़ रही हैं और सत्ता का केन्द्रीकरण, एक गुट या व्यक्ति में होता जा रहा है। कांग्रेस के सभी स्तरों पर प्रजातंत्र का केवल ह्रास ही नहीं हुआ है बल्कि अन्त हो गया है। उन्होंने त्यागपत्र का कारण बताते हुये कहा कि इस सरकार में नागरिकों का जीवन एवं स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है अतः मैं ऐसी सरकार के साथ अपने को और ज्यादा सम्मिलित नहीं कर सकता। ³

सरकार एवं दल से श्री जगजीवन राम का त्यागपत्र एक से अधिक कारणों से विशिष्ट था। इस कदम ने उस भयानक गतिरोध को तोड़ दिया और भय की उस काली चादर को फाड़ डाला जो मंत्रियों को, कांग्रेस दल को और

4. गिऑवार्नी मार्टेरी "पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टम्स ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस," वायलुम-1, लन्दन, कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी प्रेस, 1976, पृ० 145-152।

1. उद्धृत, एस0 देवदास पिल्लई, दि इनक्रेडिबल इलेक्शन 1977 पूर्वोक्त पृ0 41।

2. वही, पृ0 42।

3. वही, पृ0 74-75।

पूरे राष्ट्र को अपने में लपेटे थी और सबकी सास रोके हुये थी। इस अर्थ में उन्होंने बिल्ली के गले घटी बाँधने का काम किया था।

श्रीमती इंदिरा गाँधा ने इसे 'विश्वासघात' की सज़ा दी एव प्रधानमंत्री के समर्थकों ने इसे 'पीठ में छुरा भोकना' बताया। कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकान्त बरुआ ने कहा कि एक व्यक्ति का त्यागपत्र कोई महत्व नहीं रखता और इससे दल में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 'जगजीवन बम' ने राजनीतिक विखण्डन की प्रक्रिया को गति दी जो देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में व्याप्त हो गयी। श्री जगजीवन राम के साथ अन्य लोग भी थे। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, उड़ीसा की पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्रीमती नन्दिनी सत्पथी, पूर्व वित्त राज्यमंत्री श्री के० आर० गणेश, बिहार के प्रमुख कांग्रेसी सासद श्री डी० एन० तिवारी एव उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मंत्री श्री राजमंगल पाण्डेय का नाम उल्लेखनीय है। इन नेताओं ने एक नये राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की, जिसका नाम "कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी" (सी० एफ० डी०) रखा। श्री जगजीवन राम इसके अध्यक्ष एव श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा महासचिव बनें।¹

जनता पार्टी का चुनाव अभियान

इसी बीच श्री जगजीवन राम एव श्री मोरार जी देसाई के बीच यह सहमति हुई कि दोनों दल एक चुनाव चिन्ह, एक राजनीति मंच एव एक प्रत्याशी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। सी० एफ० डी० का चुनाव घोषणा पत्र भी जनता पार्टी के समान था अर्थात् दलों के चुनावी घोषणा-पत्र समान सिद्धान्तों एव मुद्दों की वकालत कर रहे थे। वैसे जनता पार्टी का चुनाव अभियान प्रारम्भ हो चुका था परन्तु कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के साथ गठबन्धन के पश्चात् इसमें तेजी आयी। श्री मोरार जी देसाई ने कहा कि "यदि जनता पार्टी सत्ता में आयी तो वह ऐसी व्यवस्था करेगी कि भविष्य में कोई भी सरकार निरकुश होकर जनता की इच्छाओं का दमन न कर सके।"²

श्री जय प्रकाश नारायण ने जनता से आग्रह किया कि "यदि वे इस बार जनता पार्टी को विजयश्री नहीं दिला सके तो भविष्य में स्वतंत्र निष्पक्ष एव भयरहित चुनाव की सभावना खत्म हो जायेगी।"³ श्री अटल बिहारी वाजपेई ने जनता पार्टी के लक्ष्यों की व्याख्या करते हुये कहा कि "जनता पार्टी एक गठबन्धन नहीं बल्कि एक दल है, जो कांग्रेस के निरकुश शासन एव प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा है, हमने स्वयं अपने घरों को फूँककर एकता की ज्योति जलायी है।"⁴ पूरे उत्तर भारत में जनता लहर दिखाई पड रही थी। जनता पार्टी के नेताओं का भव्य स्वागत हो रहा था। लोग मीलों पैदल चलकर जनता पार्टी की सभाओं में नेताओं को सुनने और उन्हें समर्थन देने पहुँच रहे थे।

चुनाव अभियान में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने दल के उद्देश्यों एव कार्यक्रमों का गुणगान करके अपनी उच्च राजनीति छवि जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और विरोधी दलों की आलोचना करके उनकी कमियों और असफलताओं को उजागर करते हैं। चुनाव अभियान में जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वयं को 'एक दल'

1. वही, पृ० 75।
2. दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, मार्च 2, 1977।
3. दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, फरवरी 6, 1977।
4. दि स्टेट्समैन, दिल्ली, 6 फरवरी, 1977।

के रूप में प्रक्षेपित करना था, क्योंकि वास्तव में अपनी वर्तमान स्थिति में यह विभिन्न दलों का चुनाव के लिये एक 'चुनावी गठबन्धन' था। जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा-पत्र¹ 'रोटी और आजादी' को केन्द्र बिन्दु मानकर प्रस्तुत किया था। इसमें गांधीवाद, विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गयी थी।

घोषणा-पत्र की 19 सूत्री राजनीतिक रूपरेखा काफी व्यापक थी। उसमें कहा गया था कि जनता पार्टी के आदर्श हैं— **स्वाधीनता और लोकतंत्र**। पार्टी के मतकथ में भय रहित वातावरण का विशेष महत्व है। अतएव जनता पार्टी नागरिकों की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, विधि की सर्वोच्चता, प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायपालिका के यथोचित कार्यभार का पुनरोद्धार करेगी। घोषणा-पत्र में कहा गया है कि जनता पार्टी स्वतंत्रता संग्राम की उच्च परम्पराओं, देश की सांस्कृतिक विरासत एवं गाँधीवादी भावों से प्रेरणा ग्रहण करके भारत में एक प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी राज्य का निर्माण करना चाहती है।

घोषणा-पत्र में नवीन आर्थिक एवं सामाजिक रूपरेखा का समर्थन किया गया। इसमें कहा गया कि 'सामाजिक न्याय' मंगल कामनाओं की कोरी धारणा नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है, जिसे जीवन में उतारना चाहिये। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हों, जिसमें कृषि और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए तथा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से अलग किया जाए। इसके अलावा पार्टी सामाजिक उत्थान के लिये शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, नव-ग्राम आन्दोलन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देगी जिससे एक लोकतांत्रिक राज्य ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाज की भी स्थापना हो।

नव-निर्मित जनता पार्टी केवल सही मुद्दों और प्रचार के माध्यम से चुनाव नहीं जीत सकती थी। इसके लिये व्यापक रणनीति की आवश्यकता थी। जनता पार्टी की 27 सदस्यीय 'सर्वोच्च निर्णय समिति' ने निम्न मुख्य निर्णय लिये—

- (1) समिति ने लोकदल के चुनाव चिन्ह 'हलधर किसान' को जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह स्वीकार किया।
- (2) समिति ने 10 दिन के अन्दर राज्य ईकाइयों से प्रत्याशियों की अनुमोदन सूची माँगी।
- (3) समिति ने अकाली दल एवं डी0 एम0 के0 के साथ चुनावी गठबन्धन करने का निश्चय किया।
- (4) समिति ने चुनावी गतिविधियों में सामन्जस्य स्थापित करने के लिये क्षेत्रीय नेताओं (पर्यवेक्षकों / सयोजकों) की नियुक्ति की।

(5) श्री चरण सिंह को उत्तर भारत में चुनावी गतिविधियों के संचालन का भार सौंपा गया— इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली शामिल थे।

(6) श्री पी0 सी0 सेन को पूर्वी भारत में चुनावी गतिविधियों के संचालन के लिये नियुक्त किया गया— इसमें पश्चिमी बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, नागालैण्ड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल थे।

1 देखें 'जनता पार्टी' का चुनाव घोषणा-पत्र, 1977, नई दिल्ली 1977, यह 10 फरवरी, 1977 को जारी किया गया।

(7) श्री एन० सजीवा रेड्डी भारत के दक्षिणी राज्यों की गतिविधियाँ देख रहे थे ।

(8) श्री एस० एम० जोशी महाराष्ट्र में, श्री बाबू भाई पटेल गुजरात में और श्री इरस्मो सूरा गोवा में चुनाव की गतिविधियों का संचालन कर रहे थे ।

इन क्षेत्रीय सयोजकों को प्रत्येक राज्य में चुनावी गतिविधियों के संचालन के लिये राज्य स्तरीय सयोजकों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था । इस प्रकार विभिन्न राज्यों के लिये 14 सगोजकों की नियुक्ति हुई । इसमें जनसघ एवं भारतीय लोकदल के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा थी ।

जनता पार्टी के विभिन्न घटकों में जिस राज्य में जिस दल का अधिक प्रभाव था, उसे उस राज्य का सयोजक बना दिया गया । उदाहरण के लिये राजस्थान में जनसघ को एवं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उड़ीसा में भारतीय लोकदल को सयोजक बनाया गया । इस रणनीति के तहत जनता पार्टी अपने घटकों के प्रभाव को महत्तम लाभ उठाने में सफल रही । जनता पार्टी की चुनावी रणनीति कांग्रेस के विरुद्ध 'सयुक्त विपक्ष' के रूप में प्रस्तुत हुई थी । जनता पार्टी एवं इसके 'चुनावी-सहयोगी दल' के मध्य सीटों का बँटवारा इस प्रकार हुआ था कि जनता पार्टी ने वहाँ अधिकतम स्थानों में चुनाव लड़ा जहाँ इसकी या इसके घटकों की स्थिति मजबूत थी ।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रसार में विभिन्न दलों, समुदायों एवं सगठनों का बहुआयामी सहयोग प्राप्त किया । जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कांग्रेस को अत्याचारी बताते हुये, जनता पार्टी की प्रशंसा की । उन्होंने घोषणा की कि "क्या तुर्कमान गेट पर घटित गोलीकाण्ड के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक का हाथ था ?"¹ शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह तुर ने सभी सिक्खों से अपील की कि वे जनता पार्टी को ही विजयी बनाये । उन्होंने कहा, "जनता पार्टी की विजय अकाली दल की विजय है ।"² फारवर्ड ब्लाक सी० पी० एम० एवं अनेकों दूसरे क्षेत्रीय एवं स्थानीय दलों ने जनता पार्टी के समर्थन में अपील जारी की । श्रीमती इंदिरा गाँधी की बुआ, श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित ने पूरे देश में दौरा करके इंदिरा गाँधी की तानाशाही की खिलाफत की । उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस को वोट देने का तात्पर्य बर्बरता को वोट देना है ।"³

श्रीमती इंदिरा गाँधी ने आरोप लगाया कि जनता पार्टी के सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री पद के लिये झगड़ा प्रारम्भ हो जायेगा । श्री मोरार जी देसाई ने कहा कि अगर कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनने योग्य एक व्यक्ति है, तो हमारी पार्टी में अनेकों व्यक्ति हैं । यह गौरव की बात है, हम सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे । जनता पार्टी को जनता का अपार समर्थन प्राप्त हो रहा था । लोगों में कांग्रेस-विरोधी एवं इंदिरा-विरोधी भावना प्रबल थी । जनता पार्टी की सभाओं एवं रैलियों में विशाल जन-समूह हिस्सा ले रहा था, जबकि कांग्रेस को अनेकों चुनावी सभाओं को श्रोताओं के अभाव में स्थगित करना पडा ।

-
1. दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, फरवरी 26, 1977 । आपातकाल के दौरान पुलिस फायरिंग में तुर्कमान गेट में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मारे गये थे । अतः यह सरकारी दमन का प्रतीक बन गया था ।
 2. इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, मार्च 6, 1977 ।
 3. वही, मार्च 5, 1977 ।

कांग्रेस का चुनाव अभियान

सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 8 फरवरी, 1977 को अपना घोषणा-पत्र¹ जारी किया उसने 'गरीबी हटाओ और असमानता एव अन्याय' को अपना आदर्श वाक्य माना। घोषणा-पत्र में कहा गया कि कांग्रेस की शक्तिशाली एव स्थायी सरकार धर्म-निरपेक्षता एव सुरक्षा व्यवस्था के प्रति कृत संकल्प है। कांग्रेस ने विपक्ष पर अराजकता एव हिंसा फैलाने तथा प्रजातंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया। घोषणा-पत्र में कहा गया कि कांग्रेस, प्रजातंत्र, समाजवादी मूल्यों, एव ग्रामीण नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है। वह बहुसंख्यकों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये भी चिन्तित है।

चुनाव की घोषणा के समय श्रीमती इंदिरा गाँधी को शायद अपनी विजय का एहसास होगा, परन्तु चुनाव अभियान में उनका यह भ्रम टूट गया। 'जगजीवन बम' ने उन्हें हिला दिया था। इसके बाद उनके भाषणों का लहजा इस ओर इशारा करते हैं कि बारी-बारी से वे चिड़चिड़ी एव रक्षात्मक हो गयी थी। श्री जगजीवन राम के कारण हरिजन मतों का कांग्रेसी समीकरण गड़बड़ा गया था। 'हरिजन वोट बैंक' का रुझान कांग्रेस से हटकर श्री जगजीवन राम के दल की ओर इंगित था। कांग्रेस के लिये यह अपने में घातक प्रहार था।

कांग्रेस के चुनाव अभियान को आरम्भ करने के लिये 5 फरवरी को राजधानी में जो पहली सभा हुयी, उसी में लोगों की मन स्थिति और श्रीमती इंदिरा गाँधी के लहजे में आया परिवर्तन स्पष्ट हो गया था। इस सभा में जबरदस्ती लोगों को लाया गया था। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने मुट्ठी बँधकर कहा, "यदि जरूरत पड़ी तो हम अपना खून बहायेंगे, अपना जीवन देंगे, लेकिन देश को कमजोर नहीं पड़ने देंगे।"² आपात स्थिति के विरुद्ध तथा राजनीतिक नजरबंदियों के बारे में विरोधी दलों की आलोचनाओं का हवाला देते हुये उन्होंने कहा कि, "दुनिया की कोई भी सरकार और कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री विरोधी पक्ष को उतना बर्दास्त नहीं करेगा जितना हमने किया है।"³ इस सभा में भी श्रीमती इंदिरा गाँधी के विरुद्ध नारे लगे और भीड़ अस्थिर हो उठी इससे श्रीमती इंदिरा गाँधी को अपना भाषण छोटा करना पड़ा।

श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अपने चुनाव अभियान में अनेक घटिया तरीकों का इस्तेमाल किया। 6 फरवरी की रामलीला मैदान में होने वाली जनता पार्टी की सभा को असफल बनाने के कुत्सित प्रयास किये गये। सरकार द्वारा नियन्त्रित दूरदर्शन ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रविवार की संध्या के लिये निश्चित फिल्म 'वक्त' के स्थान पर सदाबहार 'बॉबी' को घोषित किया, और सामान्य से एक घंटा पहले उसे शुरू कर दिया। ताकि फिल्म का समय जनता पार्टी की सभा के समय से टकरा जाए फिर भी उस संध्या को रामलीला मैदान में मानव का समुद्र उमड़ पड़ा। श्रोताओं ने खड़े होकर श्री जय प्रकाश नारायण एव श्री जगजीवन राम का स्वागत किया। यह बात इस देश की सभाओं में पहले नहीं देखी गयी थी। यह कांग्रेस की हार का पूर्व संकेत थी।

1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, फरवरी 9, 1977।
2. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, फरवरी 6, 1977।
3. वही।

अब तक श्रीमती इंदिरा गाँधी दश के आर- पार चल रही 'जनता लहर' के प्रति अत्यन्त सचेत हो चुकी थी उन्होंने लोगो की भावनाओ को छूना प्रारम्भ किया। पश्चिम बंगाल में कोन्ताई में 19 फरवरी को एक भाषण में श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कहा कि 'ये विपक्षी दल मुझे घेरने और छुरा भोकने एकत्र हुए हैं। आगामी सप्ताहों में श्रीमती गाँधी के अभियान का यही मुख्य स्वर बन गया।' जनता पार्टी ने 'घेरने और छुरा धोपने' के इन आरोपों पर आपत्ति तो की ही इसके अलावा उन्हें यह डर भी लगा कि कहीं श्रीमती इंदिरा गाँधी भय और हिंसा का ऐसा वातावरण न पैदा कर दे, जिससे सार्वजनिक शान्ति भंग हो जाए और चुनाव रुक जाए। जनता पार्टी ने इस विषय में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा।

श्रीमती इंदिरा गाँधी की मन स्थिति आशका से आतक तक नीचे उतर आई थी। चुनाव अभियानों पर लिखने वाले पत्रकार जनता लहर की, और आपात स्थिति के दौरान किये गये अपमानों एवं अत्याचारों पर लोगो के रोष की अविश्वसनीय कहानियाँ लेकर लौट रहे थे। "सजय और इंदिरा, दमन एवं एकाधिकारवाद का प्रतीक बन चुके थे। जिस ढंग से अफसरो ने लोगो से व्यवहार किया था, उससे मानवीय प्रतिष्ठा पर आघात हुआ था।"¹

हरियाणा में श्री बशीलाल के चुनाव-क्षेत्र भिवानी में बोलते हुये श्रीमती इंदिरा गाँधी ने लोगो से अनुरोध किया कि "वे ज्यादातियो को भूल जाये और उन्हें क्षमा कर दे तथा कांग्रेस से नये सम्बन्ध जोड़े।"² श्री बशीलाल, श्रीमती इंदिरा गाँधी एवं अन्य नेताओं द्वारा क्षमा-याचना के बावजूद लोग अवसर की प्रातिक्षा में थे, कि कब वे राजनीतिक नवशे से शासक दल को मिटा डाले। भारत की जनता श्री बशीलाल, एवं उनके पुत्र, युवा कांग्रेस नेता सुरेन्द्र तथा श्री सजय गाँधी की कारगुजारियों से पूर्ण परिचित थी। अमेठी में श्री सजय गाँधी एवं श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा प्रचार के दौरान जनता ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाये और उनके द्वारा दिये गये उपहारों को ठुकरा दिया। श्रीमती मेनका गाँधी में एक ग्रामीण स्त्री ने कहा हम आपको जिताकर अपने मर्दों एवं बच्चों की नसबंदी नहीं कराना चाहते।

अन्त में, राज्यों की कांग्रेसी सरकारें एवं स्थानीय प्रशासन सामूहिक रिश्वतें देने में जुट गये। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को जनवरी 1977 की पिछली तारीखों से दो अतिरिक्त मँहगाई भत्ते देने की घोषणा की। पश्चिमी बंगाल के राज्य कर्मचारियों का किराया भत्ता 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के नगरों की नगरपालिकाओं ने अपने कर्मचारियों को किराया भत्ता देने की घोषणा की। मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिये चमड़ा कमाने के कारखाने के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन बढ़ा दिये गये।

राजस्थान में कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन तत्काल भुगतान किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र ने "प्राइवेट सेक्टर" की नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण का आश्वासन दिया तथा राज्य की नौकरियों के लिये उर्दू मर्दरसों से प्राप्त डिग्रियों को मान्यता प्रदान की गयी। इसी प्रकार के अनेक रियायतों की घोषणा केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली में की गयी, जिससे जनता को लुभाया जा सके।³

1. डी। आर। मेनकेकर और कमला मेनकेकर. (डेक्लाइन एण्ड फाल ऑफ इंदिरा गाँधी नाइन मन्थस ऑफ इमरजेन्सी का हिन्दी अनुवाद) इंदिरा गाँधी का पतन इमर्जेन्सी की लोमहर्षक कहानी. (अनुवादक वीरेन्द्र कुमार गुप्ता), राज्यपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ 202।
2. वही,।

श्री जगजीवन राम और 'जनता पार्टी' के नेता, 'मतदाताओं को खुश करने के लिये सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग' पर झींकते रहे । लेकिन इसके बारे में वे कुछ कर नहीं सकते थे । घृणास्पद 'नसबदी अभियान' को रातोंरात सजय गाँधी के पाँच सूत्री कार्यक्रम के साथ दफना दिया गया । फिर भी क्षमा-याचनाये, धमकियाँ, रिश्वते, साम्प्रदायिक एव जातीय अपीलें लोगों के क्रोध को शान्त नहीं कर सकी ।

इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपने घोषणा-पत्र जारी किये जिसमें — कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) — प्रमुख थी । इन दलों ने भी प्रजातंत्र की बहाली, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्थिक समानता को प्रमुख मुद्दा बनाया । परन्तु 1977 का चुनाव कुछ मुद्दों पर ज्यादा केन्द्रित था, जैसे — नसबन्दी, प्रेस सेसरशिप, सजय का सुन्दरीकरण अभियान, आपातकाल की तानाशाही । इन मुद्दों पर लगभग सारा विपक्ष एकमत था और सत्तारूढ़ कांग्रेस के विरुद्ध था और कांग्रेस का 'सुदृढ़ एव स्थायी सरकार' का मुद्दा जनता को प्रभावित न कर सका । जनता की दृष्टि एक केन्द्रीय मुद्दे में थी । वह मुद्दा था — स्वतंत्रता या गुलामी, लोकतंत्र या एक वंश की तानाशाही ।

चुनाव परिणाम : कांग्रेस युग का अन्त

अपने निश्चित समय से मार्च 1977 के तीसरे सप्ताह लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुये । इसमें 5 राष्ट्रीय और लगभग 14 क्षेत्रीय दलों ने भाग लिया । इसमें से अनेक क्षेत्रीय दलों¹ का जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबन्धन भी था जिसके आधार पर जनता पार्टी के विजयश्री का मार्ग प्रशस्त हुआ ।

20 मार्च, 1977 से लोकसभा चुनाव के चुनाव परिणाम आने प्रारम्भ हो गये थे । उसी दिन सध्या 5 बजे तक दिल्ली वालों ने स्तम्भित करने वाला समाचार सुन ही लिया कि दिल्ली की सातों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से कांग्रेस जनता पार्टी से हार गयी है । इन परिणामों ने पूरे उत्तरी भारत के लिये एक रुख निश्चित कर दिया ।

उसी दिन रात्रि में लगभग 8 बजे खबर आयी कि श्री सजय गाँधी अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह से चुनाव हार गये हैं और देर रात्रि तक यह आश्चर्यजनक समाचार लोगों को प्राप्त हुआ कि रायबरेली में श्रीमती इंदिरा गाँधी अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी श्री राजनारायण से चुनाव हार गयी हैं । दिल्ली की जनता ने इस आनन्दपूर्ण समाचार पर एक-दूसरे को बधाईयाँ दी, आलिंगन किया और खुशी से चीखकर आकाश गुँजा दिया ।²

'मन्त्रिमण्डल की एक तत्कालीन बैठक प्रधानमंत्री के घर 10 बजे रात्रि बुलाई गयी और उस क्षण की स्थिति पर विचार किया गया । मन्त्रिमण्डल ने कार्यकारी राष्ट्रपति श्री बी० डी० जती से आपातस्थिति को उठा लेने की सिफारिश की । कार्यकारी राष्ट्रपति के सोमवार 21 मार्च, 1977 की प्रातः इसमें हस्ताक्षर कर दिये ।'³

3. एस० देवदास पिल्लई . दि इन्क्रेडिबल इलेक्शन 1977, पूर्वोक्त पृ० 287-292 । (मूल स्रोत इण्डियन एक्सप्रेस) ।

1. महाराष्ट्र की पीसेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी (पी० डब्ल्यू० पी०), केरल एव पश्चिमी बंगाल की सी० पी० आई० (एम०), तामिलनाडु की डी० एम० के० तथा पंजाब की अकाली दल के साथ जनता पार्टी का चुनावी गठबन्धन था ।

2. दि इण्डियन एक्सप्रेस, मार्च 21, 1977, उद्धृत एस० देवदास पिल्लई, पूर्वोक्त, पृ० 435 ।

3. वही, मार्च 22, 1977, पृ० 436 ।

रात । बजे रायबरेली में गितनी पूरी हुई । अब कोई भी सन्देह नहीं रह गया था कि श्रीमती गाँधी उस चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गयी हैं, जिसे उन्होंने इतनी लगन एवं पक्षपात से पाला-पोसा था । तथाकथित अनियमितताओं के आधार पर फिर से गिनती कराने का अन्तिम क्षण का प्रयास भी विफल हो गया था । 21 मार्च को प्रातः जब समाचार-पत्र आये तो श्रीमती इंदिरा गाँधी के पराजय की खबर से दुनिया की नसों में बिजली सी दौड़ गयी और देश ने हर्ष मनाया । अततोगत्वा लम्बी काली रात का अन्त हो गया और सूर्य फिर से चमक रहा था ।

कोई भी तानाशाह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है चाहे उसका पतन क्यों न हो गया हो, “और जब इस ग्रीक त्रासदी का परदा गिर रहा था तो देश ने और ससार ने श्रीमती इंदिरा गाँधी को अब भी राजनीतिक मंच के बीचों-बीच खड़े देखा । इस नाटकीय उपसंहार के लिये अब भी पश्चाताप-रहित, अनम्र, अविनत भाव से वे प्रेस को, विरोधी पक्ष के तरीकों को, नौकरशाही को और अपने चतुर्दिक हर व्यक्ति और हर चीज को दोष दे रही थी ।”¹

इंदिरा गाँधी के चारों ओर अधेरे में उस दुर्ग के खण्डहर और टूटे-फूटे पत्थर बिखरे पड़े थे जिस दुर्ग का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जो अभेद्य, अनश्वर और शाश्वत माना जाता था । इन खण्डहरों के बीच कोने में दुबका सजय गाँधी दिख रहा था – जो इस भयानक विनाश के लिये सबसे अधिक जिम्मेदार था ।

जनता पार्टी की विजय ने कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन के एकाधिकार को खत्म कर दिया था । यह एक युग का अन्त और दूसरे की शुरुआत थी । जनता पार्टी और उसकी सहयोगी सी0 एफ0 डी0 ने 299 सीटों पर विजय पायी थी जबकि कांग्रेस को मात्र 153 सीटें मिली । जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के कारण इसमें एकता की भावना में वृद्धि हुई । 1977 के लोकसभा ने जनमत पूर्णतः जनता पार्टी के पक्ष में था । राष्ट्र की भावना एवं जनता का रुझान निश्चित रूप से कांग्रेस के स्थान पर दूसरी सरकार चाहता था ।

चुनाव परिणामों का विश्लेषण

1977 के लोकसभा चुनाव में सम्पूर्ण भारत में जनता का रुझान एक सा नहीं था । चुनाव परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि देश के विभिन्न भागों में मतदाताओं के मत-व्यवहार में अन्तर था । जैसे देश के उत्तरी क्षेत्र में कांग्रेस का पूर्णतया सफाया हो गया था । पूर्वी भारत की कमोवेश यही स्थिति थी । जबकि दक्षिणी भारत में कांग्रेस को पर्याप्त सफलता मिली, यहाँ जनता पार्टी की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही ।

‘उत्तरी भारत में जनता पार्टी को पूर्ण विजय मिली । कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत सकी । मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसे एक-एक स्थान मिला । अतः सम्पूर्ण हिन्दी भाषी क्षेत्र के 44% मतों में कांग्रेस को मात्र 2 सीटें ही मिली । पूर्वी राज्यों में भी कांग्रेस बुरी तरह परास्त हुई । वह पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा में क्रमशः 3 एवं 4 स्थानों में ही विजयी रही ।’² इस प्रकार उत्तरी, मध्य एवं पूर्वी भारत में जनता पार्टी को आशातीत सफलता प्राप्त हुई ।

-
1. डी0 आर0 मेनकेकर और कमला मेनकेकर पूर्वोक्त, पृ0 208 ।
 2. विभिन्न दैनिक समाचार-पत्र, देखें, जे0 ए0 नैयक पूर्वोक्त, पृ0 50 ।

सारणी संख्या - 6

1977 के लोकसभा चुनाव परिणाम

राज्य	कुल स्थान	कांग्रेस	जनता पार्टी	सी०पी०आई०	सी०पी०एम०	अन्य दल ●	निर्दलीय
आंध्र प्रदेश	42	41	1	-	-	-	-
असम	14	10	3	-	-	-	1
बिहार	54	-	54	-	-	-	-
गुजरात	26	10	16	-	-	-	-
हरियाणा	10	-	10	-	-	-	-
#हिमाचल प्रदेश	4	-	3	-	-	-	-
#जम्मू एव कश्मीर	6	2	-	-	-	2	-
कर्नाटक	28	26	2	-	-	-	-
केरल	20	11	-	4	-	5	-
मध्य प्रदेश	40	1	37	-	-	1	1
महाराष्ट्र	48	20	19	-	3	6	-
मणिपुर	2	2	-	-	-	-	-
मेघालय	2	1	-	-	-	1	-
नागालैण्ड	1	-	-	-	-	1	-
उड़ीसा	21	4	15	-	1	-	1
#पजाब	13	-	3	-	1	8	-
राजस्थान	25	1	24	-	-	-	-
सिक्किम	1	1	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	39	14	3	3	-	19	-
त्रिपुरा	2	1	1	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	85	-	85	-	-	-	-
प० बंगाल	42	3	15	-	17	6	1
संघीय प्रदेश							
अडमान	1	1	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश	2	1	-	-	-	-	-
चंडीगढ़	1	-	1	-	-	-	-
दादर और नगर हवेली	1	1	1	-	-	-	-
दिल्ली	7	-	7	-	-	-	-
गोवा	2	1	-	-	-	1	-
लक्षद्वीप	1	1	-	-	-	-	-
मिजोरम	1	-	-	-	-	-	1
पॉण्डिचेरी	1	-	-	-	-	1	-
कुल	542	153	299	7	22	51	7

● अन्य दल में अकाली, डी०एम०के०, ए०आई०ए० डी०एम०के०, मुस्लिम लीग एवं अन्य दल शामिल हैं ।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू एवं कश्मीर की एक-एक सीट पर बाद में चुनाव हुआ । अंत मार्च 1977 में कुल 539 लोकसभा सीटों का चुनाव सम्पन्न हुआ ।

सत्तारूढ़ दल के बड़े-बड़े दिग्गज इन क्षेत्रों में बुरी तरह से पराजित हुये । प्रधानमंत्री और उनके पुत्र के अलावा कांग्रेस के अनेक पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा एवं दिल्ली से अपना चुनाव हार गये । इन दिग्गजों में श्री बशीलाल, श्री वी० सी० शुक्ला, डा० एस० डी० शर्मा, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री के० डी० मालवीय, श्री स्वर्ण सिंह आदि प्रमुख थे ।

इन क्षेत्रों में जनता पार्टी की विजय ही नहीं, बल्कि विजयी एवं पराजित उम्मीदवारों के मतों का अन्तर भी महत्वपूर्ण था । 'उत्तरी एवं पूर्वी भारत के 239 निर्वाचन क्षेत्रों में, अधिकतर स्थानों से जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने निकटतम कांग्रेसी प्रतिद्वन्द्वियों से लगभग 1,00,000 या उससे अधिक मतों से विजयी हुये थे । श्रीमती इंदिरा गाँधी एवं सजय गाँधी क्रमशः लगभग 55,000 एवं 75,000 मतों में पराजित हुये थे । इन राज्यों में किसी भी स्थान पर कोंटे की टक्कर जैसी कोई चीज नहीं थी ।'

भारत के दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस को आश्चर्यजनक विजय मिली । 'आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल की 129 सीटों में कांग्रेस 92 स्थानों पर विजयी रही । सम्पूर्ण दक्षिणी क्षेत्र में जनता पार्टी को केवल 6 स्थान प्राप्त हुये ।' तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की सफलता इसके सहयोगी दलों पर निर्भर थी । कांग्रेस का तमिलनाडु में ए० डी० एम० के० एवं केरल में सी० पी० आई० से चुनावी गठबंधन था । आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस को अपने प्रबल जनाधार के कारण विजय मिली । यहाँ विपक्ष की स्थिति अत्यन्त निर्बल थी ।

उत्तरी, मध्य, पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों के पूर्ण ध्रुवीकरण के विपरीत पश्चिम क्षेत्र में कांग्रेस एवं जनता पार्टी के बीच सीटों का लगभग सन्तुलित बँटवारा हुआ । यद्यपि सन्तुलन जनता पार्टी के पक्ष में था । 'महाराष्ट्र की कुल 48 एवं गुजरात की 26 सीटों में कांग्रेस को क्रमशः 20 एवं 10 स्थान प्राप्त हुये । जनता पार्टी को इन राज्यों में क्रमशः 19 एवं 16 स्थान प्राप्त हुये ।' अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर की लहर पश्चिम में कारगर नहीं रही । महाराष्ट्र की 19 सीटों में 6 बम्बई शहर और एक पुणे की थी जहाँ जनता लहर काफी तेज थी ।

मत-व्यवहार के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि उत्तरी भाग की 'जनता लहर' दक्षिण में बिल्कुल नहीं पहुँची थी, और पश्चिमी भाग में केवल शहरों तक सीमित थी । पश्चिमी भाग के ग्रामीण जन कमोवेश इस लहर से अनभिज्ञ थे । इसी कारण आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कांग्रेस के अभेद्य गढ़ बने रहे । गुजरात एवं महाराष्ट्र में इनकी स्थिति मजबूत थी, जबकि तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के माध्यम से विजय प्राप्त की । इसके अलावा उत्तरी भारत की तरह दक्षिणी एवं पश्चिमी भारत में, सजय गाँधी का नसबन्दी अभियान उतनी जबरदस्ती और तीव्रता से नहीं लागू किया गया । अतः जनमानस का आक्रोश कांग्रेस के प्रति कम था ।

जनता पार्टी की चुनावी विजय से इसके औपचारिक गठन की प्रक्रिया को बल मिला । जनता पार्टी एवं इसके विभिन्न घटकों के नेताओं को यह एहसास हो गया था कि अगर वे देश की बागडोर थामना चाहते हैं तो उन्हें अपनी एकता को सुदृढ़ करना होगा ।

जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा कार्य प्रधानमंत्री का चयन था इस मुद्दे पर विभिन्न घटक गुटों के मध्य तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया। श्री मोरार जी देसाई, श्री जगजीवन राम एवं श्री चरण सिंह प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे। यह अच्छी शुरूआत नहीं थी। श्री जय प्रकाश नारायण एवं आचार्य जे० बी० कृपलानी ने अपने सदप्रभावों के माध्यम से मतभेदों का सतही निवारण किया और घोषणा की कि श्री मोरार जी देसाई को लगभग सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है।

24 मार्च, 1977 को कार्यकारी राष्ट्रपति बी० डी० जत्ती ने श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और इसी दिन जनता पार्टी के चुने हुये सांसदों ने राजघाट बापू की समाधि पर श्री जयप्रकाश जी की उपस्थिति में निम्न शपथ ग्रहण (प्रतिज्ञा) की।

“राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की समाधि पर एकत्रित जनता के हम चुने हुये प्रतिनिधि उससे प्रेरणा लेते हुये संकल्पपूर्वक शपथ लेते हैं कि हम पूरे मन से उनके शुरू किये हुये कामों को पूरा करेंगे। अपने देशवासियों की सेवा करेंगे और उनमें जो सबसे कमज़ोर और गरीब है उन पर विशेष ध्यान देंगे।

हम अपने गणराज्य के नागरिकों की जानमाल और आजादी के मूलभूत अधिकारों की रखा करेंगे।

हम मिलजुल कर समर्पण की भावना से काम करेंगे। राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के लक्ष्यों को पूरा करेंगे और गाँधी जी के जीवन एवं कामों से सूचित होने वाली अचूक दिशा में बढ़ते रहेंगे।

हम अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में सादगी एवं ईमानदारी को व्यावहारिक रूप में अपनाएंगे।

गाँधी जी का आशीर्वाद, हमारा मार्ग प्रशस्त करें !”¹

जनता पार्टी का औपचारिक गठन

सरकार की जिम्मेदारी संभालने के बाद जनता पार्टी के नेताओं ने घटकों के औपचारिक विलय का कार्य पूरा किया। 29-30 अप्रैल को संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी दल ने औपचारिक रूप से अपने अस्तित्व को समाप्त कर जनता पार्टी में विलय की घोषणा की। पहले इन दलों की ‘कार्यसमितियों’ ने विलय प्रस्ताव पारित किये और बाद में प्रतिनिधि सम्मेलन में उनका अनुमोदन किया। लोकतंत्रीय कांग्रेस (सी० एफ० डी०) ने प्रारम्भ में कुछ हिचकिचाहट दिखाई परन्तु बाद में विलय के लिये राजी हो गयी। श्री जगजीवन राम ने 1 मई को प्रगति मैदान की सभा में स्वयं उपस्थित होकर ‘लोकतंत्रीय कांग्रेस’ की जनता पार्टी में विलय की घोषणा की। इस प्रकार 1 मई, 1977 को जनता पार्टी का औपचारिक गठन हो गया और जनता पार्टी वास्तविक रूप में अस्तित्व में आयी।² श्री चन्द्रशेखर को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 11 मई को चुनाव आयोग द्वारा जनता पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।

1. जन-विश्वासघात; जनता पार्टी प्रकाशन; साधना प्रिंटर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली, अगस्त 1979; पृ० 1।

2. दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली; मई 2, 1977।

11 मई, 1977 को नई दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित संस्थापना सम्मेलन में घटक-दलों के प्रतिनिधियों ने, जो गत दिवस तक भारतीय राजनीति की 5 विभिन्न धाराओं से सम्बन्धित थे, नई पार्टी (जनता पार्टी) को 'जनता की इच्छा का मुखर एवं अनुक्रियाशील साधन' बनाने का सकल लिये।¹

निष्कर्ष एवं महत्व

चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति के नक्शे को बुरी तरह से अस्त-व्यस्त कर डाला। ये चुनाव परिणाम अत्यन्त दृग्गामी एवं विशिष्ट सिद्ध हुए। इन परिणामों से भारतीय राजनीति में लम्बे समय से स्थापित अनेकों धारणाएँ एवं मान्यताएँ बदल गयीं तथा नये मापदण्डों एवं मूल्यों में उनका स्थान ले लिया।

जनता पार्टी की विजय का वास्तविक महत्व आकने के लिये उन मुद्दों का विश्लेषण करना होगा, जिनके कारण जनसाधारण के मत-व्यवहार में परिवर्तन आया। इम लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत के लोगों का मत-व्यवहार जाति, वर्ग एवं साम्प्रदायिक शक्तियों से प्रभावित नहीं था। श्रीमती इंदिरा गाँधी एवं कांग्रेस का यह दावा खोखला सिद्ध हुआ कि वे ही अल्पसंख्यकों एवं दलितों के मसीहा हैं। यहाँ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता लहर प्रवेश कर गयी थी और तहाँ इसने तूफान बनकर क्रान्ति को जन्म दिया। यह एक शान्तिपूर्ण क्रान्ति थी।

यद्यपि इस चुनाव में आपातस्थिति, भ्रष्टाचार, नरसबन्दी आदि मुद्दों ज्वलन्त रूप से हावी थे। परन्तु उत्तर भारत के मतदाताओं का यह पैटर्न रहा है कि वे पृथक-पृथक मुद्दों से नहीं, बल्कि सरकार के सम्पूर्ण क्रियाकलापों (जैसे - भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही आदि) से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं और कमोवेश लहर का निर्माण करते हैं, जैसे 1967 में 'कांग्रेस विरोधी लहर', 1971 में 'इंदिरा लहर' तथा 1977 में 'जनता लहर' थी।

वेसे भी जयप्रकाश नारायण ने इस चुनाव में 'प्रजातंत्र बनाम तानाशाही' को केन्द्रीय मुद्दा बना दिया था। परन्तु इसे आधार मानकर दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों के मत-व्यवहार का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। क्या दक्षिण एवं पश्चिम में तानाशाही का समर्थन किया था? नहीं। यह सत्य है कि यहाँ आपातस्थिति का प्रभाव कम था, परन्तु था, अवश्य। यहाँ कांग्रेस की विजय के दो मुख्य कारण थे।

प्रथम - जन-संचार माध्यमों में सरकारी नियंत्रण के कारण उत्तरी भारत के लोग जिस भयानक रात से गुजर रहे थे, उससे दक्षिण के लोगों को अनजान रखा गया तथा श्री सजय गाँधी ने दक्षिण भारत की यात्रायें भी कम की। इसलिये दक्षिणवासियों ने लोकसभा चुनाव में अतीत के ढंग पर ही मत दिये।

द्वितीय - उत्तर के मतदाताओं ने अपनी जाति, वर्ग एवं सम्प्रदाय आदि सीमाओं से परे जाकर, शासकों को उनके सम्पूर्ण क्रिया-कलापों के आधार पर वोट दिया। दक्षिण एवं पश्चिम के मतदाता जाति, वर्ग और धन के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाये थे। तमिलनाडु में करुणानिधि को भ्रष्ट सरकार से लोग रुष्ट थे अतः यहाँ डी0एम0के0 बुरी तरह पराजित हुई। इसका लाभ कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दल को मिला। इसके अलावा जनता पार्टी इस क्षेत्र में कांग्रेस के 'भ्रष्ट एवं तानाशाह चरित्र' को उद्घाटित करने में असफल रही। अतः कांग्रेस यहाँ विजयी रही।

1. जन-विश्वाससभा, पूर्वोक्त, पृ0 1।

इस चुनाव का एक अन्य आयाम भी उल्लेखनीय है। वास्तव में उत्तर भारत में कांग्रेस की हार का तात्पर्य मूलतः जनसाधारण की विजय थी, न कि केवल जनता पार्टी की। उत्तर में वास्तविक संघर्ष कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच न होकर वशानुगत तानाशाही एवं सरसदीय लोकतंत्र के बीच था। जनता के पास विकल्प अत्यन्त सीमित थे अतः उसने क्रूर शासकों को एक ही प्रहार में सत्ताच्युत कर दिया। “भारतीय इतिहास की यह प्रथम घटना थी कि जनसाधारण ने शक्तिशाली शासकों को एक ही आघात में पदच्युत कर दिया। अतः इस घटना को मात्र चुनाव कहना उसके ऐतिहासिक महत्त्व एवं जनसाधारण की उपलब्धियों का अपमान करना है।”¹ यह निःसन्देह एक शान्तिपूर्ण क्रांति थी।

जे(ए) नैयक पूर्वोक्त, पृ(ए) 55।

चतुर्थ - अध्याय

केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार का गठन :
दलीय एकता में दरारें

केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार का गठन :

दलीय एकता में दरारें

संसदीय लोकतन्त्र में, संसद में बहुमत प्राप्त दल ही सरकार का निर्माण करते हैं और सामान्यतः सरकार की शक्ति सत्तारूढ़ दल की शक्ति पर निर्भर होती है। यदि दल सुदृढ़, संगठित एवं लोकप्रिय हैं तो सरकार भी मजबूत और शक्तिशाली होगी। इसके विपरीत अनेक गुटों से मिलकर बने दल की सरकार अपेक्षाकृत कम स्थायी होगी। ऐसी सरकार में आन्तरिक संघर्ष आम बात है और सरकार का भविष्य अधर पर अटवग रहता है। कांग्रेस की स्थायी सरकारों का पृष्ठभूमि में उसके 'दलीय संगठन' की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जनता पार्टी के सन्दर्भ में इस स्थिति का आकलन करना है। जनता पार्टी की विजय 'जनता - लहर' के कारण हुई, इससे जनता पार्टी में 'एकता की भावना' सुदृढ़ हुयी थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह 'एकता की भावना' सरकार के गठन में अक्षुण्ण बनी रही ?

मार्च 1977 में जब जनता पार्टी ने छठी लोकसभा चुनावों में भाग लिया था, उस समय वह औपचारिक रूप से एक दल न होकर अनेक दलों का 'ढीला संगठन' थी। जिसने एक 'झण्डे एवं एक चुनाव चिन्ह' के नीचे चुनाव लड़ा था, इस चुनाव में उसे अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई थी। यद्यपि चुनाव के पूर्व जनता पार्टी के सभी घटकों ने 'विलय' के लिये सहमति व्यक्त की थी। परन्तु इस सफलता से उत्पन्न हुई 'एकता की भावना' या 'जनता-भावना' ने दलीय एकीकरण को प्रोत्साहित किया। यह 'एकता की भावना' किसी औपचारिक संगठन से अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसमें जनता का विश्वास विवेक एवं आशाये निहित थी।

इसी 'एकता की भावना' को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिये 24 मार्च 1977 को राजघाट में जनता सांसदों ने 'एकता एवं विश्वास' की प्रतिज्ञा की थी। परन्तु प्रधानमंत्री के चयन में यह प्रतिज्ञा निर्मूल सिद्ध हुई एवं प्रधानमंत्री के चयन में जनता पार्टी जिस प्रक्रिया से गुजरी वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण थी। जनता पार्टी की सरकार के गठन के समय से पार्टी के घटक-दलों के बीच अविश्वास और कटुता पैदा हो गयी थी।

आपसी अविश्वास की पृष्ठभूमि

जिस प्रकार कहा जाता है कि वर्साय सन्धि (पेरिस शान्ति समझौते) 1919 में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिये गये थे, उसी लहजे में जनता पार्टी की सरकार के गठन ने जनता पार्टी के विघटन की दिशा निर्धारित कर दी थी। प्रधानमंत्री के चयन के सन्दर्भ में विभिन्न घटक-दलों के मध्य शक्ति परीक्षण प्रारम्भ हो गया था। परन्तु श्री जय प्रकाश नारायण एवं आचार्य कृपलानी के प्रयासों से जो आग सहमति स्थापित की गयी, उससे इस समस्या का सतही निवारण हुआ। अनेक जनता नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ एवं निहित स्वार्थ उनके सीने में सिसक कर रह गये, जिसकी छीखें शीघ्र ही जनता को सुनाई पडने लगी थी। वैसे घटकों के मध्य अविश्वास और शकायें तो जनता

पार्टी के गठन की प्रक्रिया में दृष्टिगोचर हुयी थी, परन्तु राजनीतिक परिस्थितियों एवं 'साझा स्वार्थों' ने उन्हें विलय के लिये बाध्य किया था ।

विलय की पृष्ठभूमि में जनता पार्टी के घटकों के मध्य जो मत वैभिन्न्य था, वह उनके निहित स्वार्थों के अनुकूल था । भारतीय लोकदल सभी गैर-साम्यवादी दलों का विलय करके 'कांग्रेस का विकल्प' प्रस्तुत करना चाह रहे थे । जबकि जनसघ का विचार था कि विपक्षी दलों की एक 'सघीय व्यवस्था' स्थापित की जाय, जिसमें प्रत्येक दल की अपनी अलग पहचान हो । वास्तव में वे एक 'यूनाइटेड फ्रन्ट' बनाकर चुनाव लड़ना चाहते थे । कांग्रेस (सगठन) भी किसी विलय के विरुद्ध थी, उसका प्रभाव क्षेत्र सीमित था— मात्र गुजरात के चुनाव तक— अतः वे विलय करके अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहते थे । समाजवादी पार्टी वामपथी दलों का गठबंधन चाहती थी अतः विलय के सदर्थ में इतने भिन्न दृष्टिकोण के कारण एक सुदृढ़ दल का निर्माण एक टैढी खीर थी ।

दल विहीन प्रजातन्त्र के समर्थक, जयप्रकाश नारायण के लिये 'सयुक्त विपक्ष' का निर्माण एक महान कार्य बन चुका था । वे इस विलय को राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में देख रहे थे । उन्होंने सभी विपक्षी दलों को चेतावनी दी कि 'यदि विपक्षी दलों ने एक दल के रूप में चुनाव नहीं लड़ा तो इन दलों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा ।'¹ इस चेतावनी के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आये । 20 जनवरी 1977 को श्री मोरार जी देसाई के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक हुयी, श्री देसाई ने इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं कर ली । स्वयं को 'सयुक्त विपक्ष' का प्रबल नेता मानने वाले श्री चरणसिंह ने इसका विरोध किया और बैठक में भाग न लेने का फैसला किया । परन्तु श्री लालकृष्ण अडवानी एवं श्री अटल बिहारी वाजपेई के आग्रह पर श्री चरणसिंह बैठक में सम्मिलित हुये । तब तक श्री मोरारजी देसाई ने स्वयं को 'सयुक्त विपक्ष' का अध्यक्ष मानकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी । बैठक में श्री चरणसिंह के विलय की मांग लगभग स्वीकार कर ली गयी । परन्तु इस बैठक से बिना किसी बहस के यह मुद्दा भी निश्चित हो चला था कि श्री मोरार जी देसाई 'सयुक्त विपक्ष' के नेता होंगे ।

चरणसिंह के समर्थकों ने इस व्यवस्था पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि यह श्री चरणसिंह के लिये अपमान का विषय है अतः उन्हें इस विलय से हाथ खींच लेना चाहिये ।² श्री चरणसिंह स्वयं इसी विचार से सहमत थे, परन्तु वे जनमत का दबाव महसूस कर रहे थे । उनका मानना था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी तीव्र आलोचना होगी और सम्भव है उनके कुछ राजनीतिक मित्र उनका साथ छोड़ दें । अतः उन्होंने केवल नेतृत्व का प्रश्न उठाया । उन्होंने कहा कि 'पहले नेतृत्व का सवाल तय हो जाना चाहिये ।' नेतृत्व के प्रश्न को छोड़ना ठीक नहीं होगा, उन्होंने कहा कि इस विषय में मुझे श्री जयप्रकाश नारायण का निर्णय मान्य होगा । श्री चरणसिंह का विचार था कि सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण उन्हें ही 'सयुक्त विपक्ष' का नेता चुनेंगे । इस पर समाजवादी नेता श्री एस० एम० जोशी न श्री चरणसिंह को श्री जयप्रकाश का लिखा एक पत्र दिखाया, जिसमें उन्होंने श्री मोरारजी देसाई को नये

१ दि इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली जनवरी 20, 1977 ।

२ वही, जनवरी 21, 1977 ।

दल का नेतृत्व सौपने की बात कही थी। चरणसिंह ने अवसादपूर्ण ढंग से इसे स्वीकार कर लिया।¹ श्री चरणसिंह को नये दल नव गठित दल (जनता पार्टी) का उपाध्यक्ष बनाया गया।

इस घटना क्रम के बाद चौधरी चरणसिंह का हृदय में गाठ पड़ गयी। उन्होंने अत्यन्त अवसाद पूर्ण ढंग से अपन उद्गार व्यक्त किये कि 'सारी जिन्दगी की कमाई बरबाद हो गयी और अब मुझ सी० बी० गुप्ता, जैसे लोगो से वोट मागना पड़ेगा।'² जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता का ऐसा वक्तव्य नव जात पार्टी के लिये निश्चय ही घातक था। किसी भी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति की यह कमजोरी होती है कि वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिये अनेको विरोधाभासी समीकरणों पर विश्वास कर लेता है जो उसके एव उससे सम्बन्धित सस्था के हानिकारक होते हैं। यह टिप्पणी कमोवेश रूप से सभी जनता पार्टी के नेताओं पर लागू होती है, परन्तु श्री चरणसिंह के व्यक्तित्व एव कृतित्व पर यह कथन पूर्ण रूप से खरा उतरता है।

श्री चरणसिंह की लोकप्रियता एव आक्रोश को ध्यान में रखकर उन्हें पूरे उत्तर भारत में टिकटों के बँटवारे का दायित्व सौपा गया। टिकट बँटवारे में कृपादृष्टि प्राप्त करने के लिये जनसभ के वरिष्ठ नेताओं ने श्री चरणसिंह से कहा कि 'श्री मोरारजी को तो देवकान्त बरूआ बनाया गया है, इंदिरा तो आप बनेंगे।'³ श्री चरणसिंह जैसे अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिये यह आश्वासन असाध्य रोग बन गया, जिसके लक्षण सरकार के गठन के समय से ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। जनसभी नेतागण सत्ता की होड में प्रत्यक्षत शामिल न होकर सत्ता का खेल बखूबी खेल रहे थे।

प्रधानमन्त्री पद के दावेदार एवं वस्तुस्थिति

छठी लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को ससद में पूर्ण बहुमत मिला और उसे ससदीय लोकतन्त्र की मान्यताओं के अनुरूप सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया गया। जनता पार्टी के लिये प्रधानमन्त्री का चुनाव एव सरकार का गठन एक परीक्षा की घडी थी। इसमें जनता पार्टी की एकता, सुदृढता, आपसी सहयोग एव सामजस्य की परीक्षा होनी थी क्योंकि औपचारिक अर्थों में अभी भी यह एक दल न होकर अनेक दलों का 'ढीला गठबन्धन' था। जनता पार्टी ईभ परीक्षा में खरी न उतर सकी। सर्वसम्मति से प्रधानमन्त्री के चयन में पार्टी जिस घटनाक्रम से गुजरी उसे सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इसमें जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं के बीच खुला सभर्ष दृष्टिगोचर हुआ और इससे जनसाधारण में भी पार्टी की छवि धूमिल हुयी।

लोकसभा चुनाव के दौरान श्रीमती इंदिरा गाँधी ने जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि 'यह एक दल न होकर अनेक स्वार्थी दलों की भीड है जो देश को नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकते।' उन्होंने कहा कि अगर जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? श्रीमती गाँधी यद्यपि विरोधी दल की नेता थी, तथापि जनता

1 जर्नादन ठाकुर "ऑल दि जनता मेन", विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा० लि०, नई दिल्ली, 1978, पृ० 2।

2 वही, पृ० 3

3 वही।

4 दि इण्डियन एक्सप्रेस दिल्ली, फरवरी 18, 1977।

पार्टी की प्रकृति देखते हुये उन्होंने सार्थक प्रश्न किया था। 'जनता लहर' में लागो न इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया परन्तु जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मोरार जी देसाई ने इन आरोपो का खण्डन करते हुये कहा कि 'यदि जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है तो प्रधानमंत्री का चुनाव बिना किसी मतभेद के होगा।' ¹ जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री चरणसिंह ने भी स्पष्ट किया कि 'हमारी पार्टी में नेतृत्व के प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है। जनता पार्टी को 'काग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प' बनाने के लिये पार्टी के अनेक लोगो ने अपने हितो का बलिदान किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दल के नेता का चुनाव सर्वसम्मति से होगा।' ²

श्री मोरारजी एव श्री चरणसिंह के ये आश्वासन समय की कसौटी में खरे नहीं उतरे। श्रीमती इंदिरा गाँधी के प्रश्न का उत्तर देते समय शायद इन नेताओ को यह विश्वास रहा होगा कि प्रधानमंत्री तो वे ही बनेगे। इन नेताओ के इस विश्वास से ही परस्पर अविश्वास का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारम्भ में श्री मोरार जी एव श्री चरणसिंह ही प्रधानमंत्री के पद की दौड़ में शामिल थे, चुनाव के बाद श्री जगजीवन राम भी इसमें शामिल हो गये। इन नेताओ के प्रधानमंत्री बनने के लिये अपने अपने तर्क एव पूर्वाग्रह थे।

श्री मोरार जी देसाई जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता थे। वे अपनी गाँधीवादी छवि बरकरार रखते हुये, काग्रेस सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पद धारण कर चुके थे। उम्र में श्री जयप्रकाश से बड़े एव गाँधीवादी रूझान के कारण श्री जयप्रकाश के निकट थे। अपने काग्रेस काल में वे कई बार प्रधानमंत्री पद का दावा पेश कर चुके थे। वे स्वयं को प्रधानमंत्री पद का एक मात्र दावेदार समझ रहे थे, उनका गिचार था कि वर्तमान राजनीतिक समीकरणों में उन्हें ही श्री जयप्रकाश का आर्शीवाद प्राप्त होगा।

प्रधानमंत्री पद के लिये दूसरे प्रमुख दावेदार श्री चरणसिंह थे, जो स्वयं को जनता पार्टी का असली जन्मदाता समझते थे। विलय की लम्बी प्रक्रिया में श्री चरणसिंह का महयोग एव प्रयास सराहनीय थे एव उत्तर भारत में उनके घटक दल (बी० एल० डी०) को व्यापक समर्थन प्राप्त था। जनता पार्टी में जनसंघ के बाद उनका ही सबसे बड़ा घटक था (जनसंघ-५३, भारतीय लोक दल-७१) और जब जनसंघ ने अपना दावा पेश नहीं किया तो वे स्वयं को प्रधानमंत्री के पद का एकमात्र दावेदार समझने लगे। इसके पूर्व जब श्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे उस समय जनसंघ के वरिष्ठ नेताओ ने श्री चरणसिंह को प्रधानमंत्री बनने में सहायता देने का सब्ज-बाग दिखाया था। ³ उत्तर भारत में अपनी सुदृढ़ स्थिति, जनता पार्टी के स्वयंभू जन्मदाता एव जनसंघ की कृपादृष्टि के आधार पर चरणसिंह स्वयं को प्रधानमंत्री का एक मात्र दावेदार समझते थे।

जनता पार्टी के तीसरे दिग्गज नेता बाबू जगजीवन राम थे। वे हरिजन कुल के थे और आजादी के बाद से ही देश के हरिजनों के बड़े नेता माने जाते थे। आजादी के बाद में केन्द्रीय सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे थे। उनकी कुशाग्र बुद्धि एव राजनीतिक सूझ-बूझ उच्च कोटि की मानी जाती थी। जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय में श्री जगजीवन

1 सण्डे स्टैडई दिल्ली, फरवरी 20, 1977।

2 दि स्टेटसमैन दिल्ली, फरवरी 19 1977।

3 जर्नादन ठाकुर "ऑल दि जनता मेन", पूर्वोक्त, पृ. 3।

राम की पार्टी 'सी० एफ० डी०' की भूमिका उल्लेखनीय थी। कांग्रेस से उनके त्याग पत्र ने कांग्रेस की हार सुनिश्चित कर दी थी क्योंकि 'हरिजन वोट बैंक' कांग्रेस से खिसककर जनता पार्टी के पक्ष में आ गया था।

प्रारम्भ में श्री जगजीवन राम नेतृत्व की दौड़ में शामिल नहीं थे, परन्तु जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आये वैसे ही वे भी इस दौड़ में शामिल हो गये। व्यक्तिगत रूप से श्री जगजीवन राम और श्री जयप्रकाश में अच्छे सम्बन्ध थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में बिहार आन्दोलन की तो आलोचना की परन्तु अन्य कांग्रेसी नेताओं की भाँति श्री जय प्रकाश नारायण पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया।¹ इसके अलावा जनसघी एवं समाजवादी नेतागण भी श्री जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे। 'वे महसूस कर रहे थे कि एक हरिजन को देश का प्रधानमंत्री बना देने से निश्चित लाभ होगा, तथा उनकी मजी हुई प्रशासनिक कुशलता और विभिन्न विचारों के लोगों को साथ लेकर चलने की योग्यता नये प्रशासन के लिये वरदान सिद्ध होगी।'² इसी पृष्ठभूमि में श्री जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने की आशा हो गयी थी और इसी कारण वे श्री जयप्रकाश नारायण से मिलने से पूर्व 'इस बात पर राजी हो गये थे कि सी० एफ० डी० का जनता पार्टी में विलय हो जायेगा।'³ जबकि श्री मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सवाददाताओं को बताया कि उनकी पार्टी 'संसद में एवं उसके बाहर' अपना पृथक अस्तित्व रखेगी।⁴

इन परिस्थितियों में जनता पार्टी के नेता का चुनाव सरल कार्य नहीं था। चुनाव अभियान के दौरान जनता पार्टी के नेताओं ने नेतृत्व के प्रश्न को आसानी से टाल दिया था, परन्तु अब वे इसे टाल नहीं सकते थे, परिस्थितियाँ निर्णायक स्थिति पर पहुँच चुकी थी। 23 मार्च 1977 को श्री जयप्रकाश नारायण दिल्ली पहुँच चुके थे। वे जनता पार्टी के नेताओं का महत्वाकांक्षाओं, पूर्वाग्रहों, योग्यताओं एवं क्षमताओं से परिचित थे। वे चाहते थे कि नेता के चुनाव में ऐसी उठा-पटक न हो कि नवगठित जनता पार्टी का भविष्य संकट में पड़ जाये, परन्तु वे नेताओं के तेवर देखकर किर्करतव्यविमूढ़ थे। जनता पार्टी के 302 सांसदों में (बाद में तीन निर्दलीय सांसद जनता पार्टी में शामिल हो गये थे) विभिन्न घटकों की स्थिति इस प्रकार थी— जनसघ-93, बी० एल० डी०-71, सगठन कांग्रेस-51, समाजवादी पार्टी-28, सी० एफ० डी०-28, चन्द्रशेखर गुट-6, क्षेत्रीय एवं अन्य-25। पुन भारतीय लोक दल के 71 सांसदों में 26 राजनारायण गुट के, 14 बी० जू पटनायक गुट के थे, शेष श्री चरणसिंह के धुर अनुयायी थी। इन परिस्थितियों में एक दूसरे के सहयोग एवं समर्थन के बिना कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। चुनाव अभियान के दौरान नेतृत्व के प्रश्न पर श्री मोरारजी देसाई एवं श्री चरणसिंह द्वारा दिये गये, आदर्शवादी बयान शून्य में तिरोहित हो गये यथार्थ का सामना होते ही शतरज बिसात बिछ गयी और सर्वोच्च सत्ता प्राप्ति का खेल प्रारम्भ हो गया।

प्रधानमंत्री दौड़ में शामिल नेताओं में श्री चरणसिंह सबसे ज्यादा सशक्त थे। दो माह पूर्व पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में वे श्री मोरार जी देसाई से मात खा चुके थे। अतः वे इस बार शीघ्रता से समीकरण बैठाने का प्रयास कर रहे

1 जनार्दन ठाकुर "आल दि जनता मेन", पूर्वोक्त पृ० 21।

2 अटल बिहारी वाजपेई (लेख) "वर्तमान संकट के लिये सभी जिम्मेदार", "सिद्धान्त या अवसरवादिता" ? जनता पार्टी प्रकाशन, दिल्ली, अगस्त 1979, पृ० 10।

3 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, मार्च 23, 1977।

4 दि इण्डियन एक्सप्रेस, मार्च 25, 1977।

थे। जनसघी नेताओं के पूर्व के आश्वासनों एवं जनता पार्टी में उनकी गुटीय शक्ति के आधार पर श्री चरणसिंह का विचार था कि जनसघ घटक उनके लिये उपयोगी सिद्ध होगा और यदि वे जनसघ को प्रसन्न कर लेते हैं तो ताज उनके सिर पर होगा। श्री चरणसिंह अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये अपने निकटतम सहयोगियों की बलि चढ़ाने में नहीं चूके। अतः उन्होंने जनसघ से सम्बन्ध सुधारने के हर सम्भव प्रयास किये।

श्री सतपाल मलिक एवं श्री ब्रह्मदत्त बी० एल० डी० के प्रमुख नेता एवं श्री चरणसिंह के प्रति अत्यन्त निष्ठावान व्यक्ति थे। परन्तु ये नेताद्वय बी० एल० डी० एवं जनसघ के बढ़ते हुये सम्बन्धों से अप्रसन्न थे। श्री चरणसिंह ने पहले इन्हीं सेनापतियों¹ को जनसघ के विरुद्ध प्रचार के लिये तैयार किया था। इसी कारण इन नेताओं, विशेषकर सतपाल मलिक के जनसघ से सम्बन्ध अत्यन्त तनाव पूर्ण थे। ये लोग श्री चरणसिंह एवं जनसघ के बढ़ते हुये सम्बन्धों के लिये घातक सिद्ध हो सकते थे। इसलिए श्री चरणसिंह इनसे छुटकारा पाना चाहते थे।

इस समय श्री चरणसिंह का एक मात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति था जिसके लिये वे जनसघ का समर्थन चाहते थे। उन्होंने श्री सतपाल मलिक एवं श्री ब्रह्मदत्त को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिये बी० एल० डी० से निष्कासित कर दिया ताकि जनसघ के घावों में मरहम लगा सके। श्री चरणसिंह ने अपनी महत्वाकांक्षों की पूर्ति के लिये व्यक्तिगत सम्बन्धों एवं नैतिकता को दाव में लगा दिया। परन्तु इसे दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि किसी व्यक्ति ने उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिये प्रस्तावित नहीं किया। यह ऐसी पाड़ा थी जिसे श्री चरणसिंह रुभा नहीं भुला सके और तभी से वे जनसघ के प्रति गम्भीर द्वेष रखते थे। यह बात अलग है कि भविष्य के अनेकों राजनीति समीकरणों में भारतीय लोक दल एवं जनसघ के बीच सौहार्द एवं सामंजस्य देखा गया।

राजनीति में कोई भी स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता, यह टिप्पणी जनता पार्टी के जीवन काल में चरितार्थ होती नजर आती है। आजादी के बाद से प्रथम बार जनता पार्टी के घटक के रूप में जनसघ को लोक-सभा में इतने अधिक सीटें प्राप्त हुई थीं। जनसघ की छवि एक अतिराष्ट्रवादी दक्षिणपंथी दल के रूप में थी, जिसे समाज के विभिन्न वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं था। वह अपने जनाधार को व्यापक करना चाहती थी। अतः उसने एक ऐसी पार्टी का समर्थन करना उचित समझा जिससे उसकी छवि में सुधार हो और लोग उसे केवल हिन्दुओं और उसमें भी केवल सवणों की पार्टी न समझे। इसके लिये सबसे उपयुक्त व्यक्ति श्री जगजीवन राम ही थे। जिनका समर्थन करके जनसघ की छवि मुस्लिमों और हरिजनों के बीच सुधर सकती थी। साथ ही साथ जनसघ का यह भी विचार था कि एक हरिजन को देश का प्रधानमंत्री बना देने से जनता पार्टी की छवि भी उज्ज्वल होगी।²

इसके अलावा श्री जगजीवन राम को अल्पसंख्यकों एवं प्रगतिशील गुटों (समाजवादियों एवं चन्द्रशेखर गुट) का भी समर्थन प्राप्त था। समाजवादियों के लिये संगठन कांग्रेस एवं भारतीय लोकदल मूलतः दक्षिणपंथी दल ही थे अतः वे भी जगजीवनराम का समर्थन करना चाहते थे। इन परिस्थितियों में यदि प्रजातान्त्रिक ढंग से ससदीय दल के नेता का चुनाव होता तो श्री जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने की सभावना थी। परन्तु उनके विरुद्ध एक

1 मतपाल मलिक ने सर सच्चालक बाला साहब देवरस के उन पत्रों को सार्वजनिक किया था, जिसमें उन्होंने श्रीमती इंदिरा गाँधी के प्रति निष्ठा व्यक्त की थी। देखें, ब्रह्मदत्त पूर्वोक्त, पृ० 29-30।

2 जनार्दन ठाकुर 'आल दि जनता में', पूर्वोक्त, पृ० 23।

महत्वपूर्ण तर्क यह था कि कांग्रेस सरकार में आपातस्थिति लागू करने के विधेयक को ससद में उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। दूसरा यह कि अपनी मजी हुई प्रशासनिक कुशलता के बावजूद उनकी राजनीतिक छवि स्वच्छ नहीं थी।

कूटनीतिक चालें

सर्वोच्च सत्ता प्राप्ति का असली नाटक तो श्री मोरारजी के सर्वोदयी समर्थकों द्वारा खेला गया। ये लोग समझ चुके थे कि अगर इन्हीं समीकरणों के तहत चुनाव हुआ तो श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अतः वे किसी भी तरह श्री मोरारजी के नाम पर सर्वसम्मति चाहते थे। श्री मोरारजी की ओर से उत्तर प्रदेश के पुराने राजनीतिक धुरन्धर श्री चन्द्रभानु गुप्ता एवं अन्य सर्वोदयी नेतागण शतरज की गोट बिछा रहे थे। लोक सभा चुनाव परिणामों के तुरन्त बाद, सर्वप्रथम उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण की इच्छा जाननी चाही कि वे किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ताकि सही दिशा में प्रयास किये जा सकें।¹ सर्वोदयी नेताओं का विचार था कि श्री जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री पद के लिये श्री मोरारजी देसाई का ही समर्थन करेंगे क्योंकि श्री देसाई स्वच्छ छवि वाले पार्टी के वयोवृद्ध नेता, कुशल प्रशासक एवं गाँधीवादी रूझान के व्यक्ति हैं। परन्तु उन्हें आशंका थी कि सम्भव है, कि जनता पार्टी के गुटीय समीकरणों के कारण श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री न बन सकें। अतः उन्होंने अपनी कूटनीतिक चाले चलना प्रारम्भ की।

श्री जगजीवन राम एवं श्री एच. एन. बहुगुणा इन गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं थे। शायद उन्होंने भी श्री जयप्रकाश नारायण के दृष्टिकोण को भाप लिया था। इसीलिये वे बार-बार जोर दे रहे थे कि ससदीय दल के नेता का चुनाव प्रजातान्त्रिक पद्धति से होना चाहिये। परन्तु जनता पार्टी के अन्य नेताओं का विचार था कि इससे पार्टी में अनावश्यक तनाव उत्पन्न होगा, और जनता के समक्ष पार्टी की छवि धूमिल होगी। अन्त में इस सम्पूर्ण मामले को श्री जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य जे. बी. कृपलानी को सौंपा गया। 'उनसे यह आग्रह किया गया कि वे पार्टी-सासदों की इच्छा का पता लगायें जिससे औपचारिक रूप से चुनाव की आवश्यकता न पड़े और परिणाम को सर्वसम्मति का रूप दिया जा सके।'² गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान के सचिव श्री राधाकृष्ण ने घोषणा की कि चयन प्रक्रिया 24 मार्च 1977 को होगी।

इस घोषणा से श्री मोरारजी देसाई के समर्थक अत्यन्त चिन्तित हुये क्योंकि इस प्रक्रिया में श्री जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य कृपलानी की स्थिति मात्र क्लर्क की रह गयी थी और सम्भव था कि उन्हें ऐसे नाम की घोषणा करनी पड़ सकती थी जिसे वे स्वयं नहीं चाहते थे। इसी बीच सर्वोदयी नेताओं ने नया खेल प्रारम्भ किया। उन्होंने श्री लालकृष्ण अडवानी से भेट करके कहा कि श्री जयप्रकाश नारायण श्री मोरारजी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। श्री अडवानी ने कहा कि 'हमारे दल ने श्री जगजीवन राम को समर्थन देने का फैसला किया है क्योंकि हमसे बताया गया था कि श्री जयप्रकाश नारायण यही चाहते हैं। परन्तु उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस पर अगली सुबह विचार करेंगे।'³

1 जनार्दन ठाकुर "आल दि जनता में", पूर्वोक्त, पृ. 24,

2 सिद्धान्त या अवसरवादिता, पूर्वोक्त पृ. 11।

3 जनार्दन ठाकुर: 'आल दि जनता में', पूर्वोक्त, पृ. 25।

दूसरे दिन सुबह सर्वोदयी नेता श्री राधाकृष्ण एव श्री नारायण देसाई श्री बीजू पटनायक से मिले ताकि श्री चरणसिंह के विचार जाने जा सके। श्री चरणसिंह वेलिंगटन अस्पताल में स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे। श्री पटनायक ने बताया कि; श्री चरणसिंह ने धमकी दी है कि यदि श्री जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया गया तो मैं जनता पार्टी से अलग हो जाऊंगा। इसी बीच दोनों सर्वोदयी नेताओं ने, श्री जय प्रकाश नारायण से मिलकर उनकी वास्तविक इच्छा पूछी। श्री जयप्रकाश नारायण ने इसके पूर्व किसी के (प्रधानमंत्री बनाये जाने के) पक्ष में अपनी इच्छा का उद्घाटन नहीं किया था, परन्तु वे पूरी गतिविधियों पर नजर रखे जाये थे। उन्हें यह मालूम हो गया था कि श्री चरणसिंह किसी भी हालत में श्री जगजीवन राम को प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे और जनता पार्टी टूट जायेगी। ऐसी स्थिति में श्री जगजीवन राम भी श्री चरणसिंह को प्रधानमंत्री नहीं स्वीकार कर सकते थे। सम्भव है श्री मोरार जी देसाई भी इसका विरोध करते। यह वस्तुस्थिति एव श्री जयप्रकाश नारायण का द्वन्द था। इसके परे यह भी सम्भव है कि बिना किसी दबाव के श्री जयप्रकाश नारायण स्वेच्छा से श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो। कारण चाहे जो भी रहे हो अततोगत्वा सर्वोदयी नेताओं के पूछने पर श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि श्री मोरार जी देसाई प्रधानमंत्री बने परन्तु श्री चरणसिंह एव श्री जगजीवन राम मन्त्रिमण्डल में रहे।

श्री जयप्रकाश के इस वक्तव्य से श्री मोरारजी के समर्थकों ने पासा पलटना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने श्री जय प्रकाश से आग्रह किया कि वे श्री मोरारजी देसाई के नाम की घोषणा कर दें क्योंकि अन्य लोग भी इससे सहमत हैं। राजघाट में श्री अटल बिहारी वाजपेई एव श्री नानाजी देशमुख ने स्पष्ट कर दिया कि 'यदि श्री जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो हम लोगों का उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, हम किसी प्रकार का सकट नहीं उत्पन्न करना चाहते।' ¹

इस नाटक के अन्तिम अंक के रूप में श्री चन्द्र भानु गुप्ता ने तुरूप का पत्ता फेका। उन्होंने तुरन्त श्री राजनारायण को श्री चरणसिंह के पास भेजा। श्री राजनारायण ने श्री चरणसिंह को बताया कि श्री जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 'जब यह प्रस्ताव चौधरी चरणसिंह के समक्ष रखा गया तो उन्होंने इसे तुरन्त अस्वीकृत कर दिया और यह सकेत दिया कि वे ऐसे व्यक्ति को समर्थन देने के बजाय, जिसने आपातस्थिति लागू करने के लिये ससद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, श्री मोरार जी देसाई का समर्थन करेंगे, जिन्होंने आपातकाल में यातनाये सही है।' ² श्री चरणसिंह ने श्री राजनारायण के हाथ एक नोट लिखकर भेज दिया कि वे श्री मोरारजी देसाई के सहयोगी के रूप में कार्य कर सकेंगे। यह सर्वोदयी नेताओं एव श्री चन्द्र भानु गुप्ता की कूटनीति थी कि उन्होंने चौधरी चरणसिंह के पास ऐसा प्रस्ताव भेजा जिससे वे श्री मोरारजी देसाई के समर्थन के लिये राजी हो जाये। इस प्रकार जब तीन वरिष्ठ नेताओं में से दो एक मत हो गये तो तीसरे का दावा छोड़ दिया गया।

इधर गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान पर सासदों की भीड़ जमा थी। सर्वोदयी नेता श्री राधाकृष्ण ने आचार्य कृपलानी को बताया कि पूर्व निर्धारित चयन प्रक्रिया को छोड़ दिया गया है। जनता पार्टी के सासद यह घोषणा सुनकर स्तब्ध रह गये कि ससदीय दल का नेता मनोनीत किया जायेगा और उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। स्वयं श्री जगजीवन

1 वही, पृ. 26।

2 सिद्धान्त या अवसरवादिता ?, पूर्वोक्त, पृ. 10।

राम इस घटनाक्रम से अनभिज्ञ थे। जैसे ही श्री राजनारायण लौटे, श्री चन्द्रभानु गुप्ता ने उनका पत्र (जो श्री चरणसिंह द्वारा भेजा गया था) सांसदों को पढ़कर सुनाया। इस विस्फोटक समाचार के बाद उन्होंने प्रस्ताव किया कि ऐसी परिस्थितियों में सर्वसम्मति प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं है। अतः श्री जय प्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी का यह अधिकार दिया जाय कि वे ससदीय दलों के नेता को मनोनीत करें। शीघ्र ही इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्राप्त हो गया। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया जिसमें प्रमुख श्री रामधन थे, परन्तु निर्णय हो चुका था और श्री जगजीवन राम चुपचाप उठकर चले गये।

पूर्व निर्धारित चयन प्रक्रिया को अचानक बदल देना पूर्णतया अप्रजातान्त्रिक था। इस प्रक्रिया के परिवर्तन का अधिकार केवल सांसदों को होना चाहिये न कि किसी व्यक्ति विशेष को। स्वयं आचार्य कृपलानी इस घटनाक्रम से सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि 'इस घटनाक्रम का उद्देश्य चाहे जितना पवित्र क्यों न हो परन्तु इस प्रकार चयन प्रक्रिया को छोड़ना आलोचनाओं को निमन्त्रण देना है।'¹

श्री मोरार जी देसाई की प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्ति

संसद के केन्द्रीय हाल में श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमन्त्री पद के लिये श्री मोरार जी देसाई को मनोनीत किया। इस खुशी के अवसर पर श्री जगजीवन राम और श्री एच० एन० बहुगुणा नहीं थे। धीरे-धीरे सी० एफ० डी० के सभी सदस्य हाल से उठकर चले गये। उधर आचार्य कृपलानी ने श्री मोरार जी के प्रधानमन्त्री बनने के बाद पत्रकारों से विषादपूर्ण मुद्रा में कहा कि 'अगर सविधान के अनुसार दो प्रधानमन्त्री होते तो वे दोनों को मनोनीत करते।'² यह गम्भीरता से नहीं प्रत्युत औपचारिक रूप से कहा गया था लेकिन मनो में गाठ डालने के लिये काफी था। इस वक्तव्य से श्री जगजीवन राम का महत्व बढ़ गया और उनकी रमण धारणा हो गयी कि अगर कुछ लोगो ने उनके विरुद्ध दुरभिसन्धि न की होती तो वे ही प्रधानमन्त्री बनते। जबकि इस वक्तव्य से सबसे ज्यादा दुःखी श्री चरणसिंह हुए, जिन्हें इस दौड़ में शामिल ही नहीं समझा गया था।

श्री जगजीवन राम के समर्थकों के लिये 'जनता क्रान्ति' निरर्थक हो गयी थी। 'श्री जगजीवन राम के आवास पर उनके समर्थकों ने जनता पार्टी के झण्डे फाड़ डाले और उन्हें पैरों से रौंद डाला।'³ जनता पार्टी के कुछ नेतागण श्री जगजीवन राम के घर की ओर दौड़े ताकि उन्हें समझाया-बुझाया जा सके। 'इसी बीच उन्होंने सवाददाताओं को बताया कि उनकी पार्टी संसद के अन्दर एवं बाहर एक अलग संगठन के रूप में रहेगी।'⁴ यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था परन्तु जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह एवं विशाल जनमानस के दबाव के कारण चार दिन बाद वे मन्त्रिमण्डल में शामिल होने को राजी हो गये। इसी बीच उन्हें पटना से श्री जयप्रकाश नारायण का सन्देश मिला, कि 'बिना तुम्हारे सहयोग के नये भारत का निर्माण सम्भव नहीं है।'⁵ और इस प्रकार टूटे स्वप्नों, सिसकती महत्वाकांक्षाओं एवं अपूरित स्वार्थों को नयी दिशा देने के लिये वे नये भारत के निर्माण में जुट गये।

- 1 जनार्दन ठाकुर "ऑल दि जनता मेन", पूर्वोक्त, पृ० 26।
- 2 दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, 25 मार्च 1977।
- 3 वही।
- 4 वही।
- 5 उद्धृत जनार्दन ठाकुर, "ऑल दि जनता मेन", पूर्वोक्त, पृ० 29।

श्री मोरारजी देसाई अपनी वरिष्ठता एवं दीर्घ अनुभव के कारण कट्टर लीकवादी बन चुके थे। वे जनता पार्टी के विभिन्न घटकों की नीति-रीति में आमजस्य नहीं स्थापित कर सके एवं जितना लचीला उन्हें होना चाहिये वे नहीं हो सके। मन्त्रिमण्डल के गठन के विषय में कोटा पद्धति पर सहमति हुई थी। 27 मार्च 1977 को श्री जगजीवन राम ने कहा था कि नये मन्त्रिमण्डल में प्रत्येक घटक से दो मंत्री होंगे।¹ उल्टे श्री मोरारजी देसाई ने 12 सदस्यों के स्थान पर 19 सदस्यीय मन्त्रिमण्डल की घोषणा की, उन्होंने अपने भूतपूर्व दल, सगठन कांग्रेस के 7 सदस्यों को पूर्ण सक्षम मंत्री बनाया। दूसरे प्रमुख घटक भूतपूर्व जनसंघ एवं भारतीय लोक दल के तीन-तीन मंत्री एवं समाजवादी पार्टी, सी० एफ० डी० और अकाली दल के दो-दो सदस्य मंत्री बनाये गये। कोटा पद्धति के आधार पर कैबिनेट का गठन उस समय स्पष्ट हो गया, जब नानाजी देशमुख के त्यागपत्र देने पर जनसंघ के श्री बृजलाल वर्मा को मंत्री बनाया गया। श्री मोरारजी ने मन्त्रिमण्डल के गठन में जिस प्रकार से समानुपात के नियम को तोड़ा इससे जनता पार्टी के भूतपूर्व घटकों में प्रारम्भ से ही नेतृत्व के प्रति क्षोभ और अविश्वास बढ़ना स्वाभाविक था।

प्रधानमंत्री के पद पर श्री मोरार जी देसाई के चयन की भाँति जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर श्री चन्द्रशेखर का चयन भी एक प्रकार से राजनीतिक समीकरणों का परिणाम था। जनता पार्टी में सासदों की संख्या के दृष्टिकोण से भूतपूर्व बी० एल० डी० एक शक्तिशाली घटक था। इसके सर्वोच्च नेता चोधरी चरणसिंह, श्री कर्पूरी ठाकुर या श्री पालू मोदी को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाकर अपने आहत अह की पूर्ति करने के साथ-साथ भविष्य के राजनीतिक समीकरणों में अपना पक्ष मजबूत करना चाहते थे। परन्तु श्री मोरार जी देसाई एवं कतिपय अन्य लोग इससे राजी नहीं थे। श्री जयप्रकाश नारायण की मौन स्वीकृति श्री चन्द्रशेखर के प्रति थी। अतः जयप्रकाश नारायण ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रभाव का प्रयोग करके श्री चन्द्रशेखर को पार्टी अध्यक्ष बनाया।

श्री चन्द्रशेखर किसी विशेष गुट से नहीं आये थे। उनका कोई जनाधार भी नहीं था। उनकी एकमात्र उपलब्धि यह थी कि वे 'यूना तुर्क' की हैसियत से कांग्रेस में अग्रणी रह चुके थे। आपातकाल में कैद किये जाने के बाद लोकनायक के निकट माने जाते थे। इन सबसे उनकी महत्वाकांक्षायें बासों उछलने लगी थी। वे भी प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न मन ही मन पाल रहे थे। यह सत्य है कि उन्हें लोकनायक का पर्याप्त आर्शीवाद प्राप्त था, परन्तु सीमित जनाधार, अत्याल्प गुटीय शक्ति (मात्र-6 सासद) और साधारण राजनीतिक हैसियत के कारण उनका स्वप्न नहीं पूरा होना था। अतः उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद में ही सन्तोष कर लिया। श्री चन्द्रशेखर एवं पार्टी के दूसरे पदाधिकारी अस्थायी तौर पर मनोनीत हुये थे एवं आगामी नवम्बर में सगठन का विधिवत चुनाव होना तय हुआ था।

निष्कर्ष

जनता पार्टी की सरकार के गठन में जनता पार्टी के नेताओं द्वारा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, निहित स्वार्थों एवं दुरभिसन्धियों का जो नाटक खेला गया उससे जनता पार्टी की एकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। छठी लोक सभा के चुनाव के दौरान जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जिन उच्च आदर्शों, उद्देश्यों एवं मूल्यों का दावा किया गया था, वे सभी खोखले साबित हुये। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता पार्टी में एकता का मूलाधार सकारात्मक न होकर नकारात्मक

1 दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, मार्च 27, 1977।

अर्थात् गैर कांग्रेसवाद था। जैसे ही सत्ता रूपी रगमच से कांग्रेस एव श्रीमती इंदिरा गाँधी का अवसान हुआ, वैसे ही जनता पार्टी के नेताओं के मतभेद सतह पर आ गये।

राजनीतिक दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो कार्य किया जाये या जो निर्णय लिये जाये वह न केवल उचित हो बल्कि उचित प्रतीत हो। यदि यह मान भी लिया जाय कि इस प्रकार मोरार जी देसाई का मनोनयन उचित था, तो भी यह औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। प्रधानमंत्री के चुनाव में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से गला घोंटा गया था। प्रधानमंत्री के चयन के लिये निर्धारित प्रक्रिया का परित्याग करना न तो प्रजातान्त्रिक था और न ही व्यावहारिक रूप से बुद्धिमतापूर्ण था विभिन्न राजनीतिक समीकरणों एव वार्ताओं के परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित हो गया था कि जनसघ एव बी० एल० डी० गुट श्री मोरार जी देसाई के नेतृत्व में सहमत है। ऐसी परिस्थिति में यदि पूर्व निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो श्री मोरार जी देसाई की जीत निश्चित थी और इससे एक स्वस्थ प्रजातान्त्रिक आदर्श स्थापित होता। परन्तु ऐसा नहीं हो सका इससे जनता पार्टी के नेताओं में दूरदर्शिता के अभाव का परिचय मिलता है और इससे इस बात का पूर्ण आभास हो जाता है, कि जनता पार्टी का विघटन सुनिश्चित था।

जहाँ तक श्री जयप्रकाश नारायण एव आचार्य कृपलानी द्वारा श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री मनोनीत करने का प्रश्न है, इस विषय में दो मत व्यक्त किये जा सकते हैं। प्रथम मतानुसार श्री जयप्रकाश नारायण की पूर्ण इच्छा एव पूर्वाग्रह के कारण श्री मोरार जी देसाई प्रधानमंत्री बने और दूसरे मतानुसार तत्कालीन परिस्थितियों में श्री मोरार जी को प्रधानमंत्री मनोनीत करना श्री जयप्रकाश नारायण की इच्छा नहीं वरन् मजबूरी थी। इन दोनों मतानुसार प्रजातन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं का पालन नहीं होता है।

प्रथम मत के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के चयन में श्री जयप्रकाश नारायण एव आचार्य कृपलानी को अपनी ओर से कोई समाधान नहीं प्रस्तुत करना चाहिये। ये व्यक्ति जनता पार्टी के पितामह थे। अतः उन्हें अपनी गरिमा के अनुरूप हस्तक्षेप की राजनीति में मुक्त रहना चाहिये, चाहे वह इन पर आरोपित ही क्यों न की गयी हो। उन्हें प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट रूप से बहुमत की इच्छा के अनुरूप कार्य करना चाहिये था। श्री जयप्रकाश नारायण ने महात्मा गाँधी की परम्परा¹ का पालन करते हुये अपनी इच्छा एव पूर्वाग्रहों के अनुरूप श्री मोरार जी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया, परन्तु वे भूल गये कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में श्री जवाहर लाल नेहरू एव सरदार पटेल जैसे उच्च राजनीतिक चरित्र वाले व्यक्तियों का नितान्त अभाव है। अतः यदि प्रधानमंत्री का चुनाव लोकतान्त्रिक ढंग से होता तो सम्भवतः जनता पार्टी की नीव अधिक मजबूत होती।

दूसरे मत के अनुसार श्री मोरारजी को प्रधानमंत्री बनाना श्री जयप्रकाश नारायण की मजबूरी थी। इस मत के समर्थन में यह तर्क दिया जा सकता है कि श्री देसाई ने कुछ वर्ष पहले अनेकों बार श्री जय प्रकाश की कटु आलोचना की थी। उन्हें 'स्वीमिंग पेण्डुलम' कहा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि श्री जय प्रकाश अपने दृढ़ विश्वास नहीं बल्कि 'निराशा आर कुठा' के कारण साम्यवाद के प्रबल विरोधी बने हैं।² इन वक्तव्यों को श्री जयप्रकाश नारायण

1 स्वतन्त्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री पद के लिये दो दावेदार थे, श्री जे० एल० नेहरू एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल। महात्मा गाँधी के इच्छा के अनुरूप श्री जे० एल० नेहरू को प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया था।

2 देखें, वाल्स हैंजेन आफ्टर नेहरू द ?

भूल नहीं सकते थे अतः वे श्री मोरार जी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने के इच्छुक नहीं थे, परन्तु श्री चरणसिंह के द्वारा श्री जगजीवन राम के विरोध में दिये गये वक्तव्य के सन्दर्भ में श्री जयप्रकाश नारायण के पास जनता पार्टी के व्यापक हित के लिए श्री मोरार जी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था ।

इसके अलावा श्री जयप्रकाश के अधिकांश सर्वोदयी आन्दोलन के सहयोगी श्री मोरार जी देसाई के लिये दबाव डाल रहे थे । श्री जयप्रकाश की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे इस दबाव का विरोध करें । अतः उन्होंने श्री देसाई के नाम पर सहमति व्यक्त की ।

यहाँ महत्वपूर्ण यह नहीं है कि श्री मोरारजी देसाई के अलावा किसी अन्य का प्रधानमंत्री बनना व्यावहारिक एवं प्रजातान्त्रिक था या नहीं, बल्कि यह है कि श्री मोरार जी देसाई का मनोनयन प्रजातान्त्रिक ढंग से हुआ कि नहीं ? श्री जयप्रकाश नारायण सर्वोदयी नेता आ एवं श्री चन्द्रभानु गुप्ता के कुचक्र में इस प्रकार उलझ गये थे कि उनके पास श्री मोरारजी देसाई के मनोनयन के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था ।

यदि इन दोनों मतों का तुलनात्मक रूप से विश्लेषण किया जाये तो प्रथम मत ही ज्यादा उपयुक्त एवं सत्य के निकट प्रतीत होता है । परन्तु यदि द्वितीय मत में रचना भी सत्यता है तो श्री देसाई की मनोनयन की प्रक्रिया और भी दोषपूर्ण हो जाती है । यहाँ मुख्य आक्षेप श्री देसाई के प्रधानमंत्री बनने पर नहीं बल्कि उनकी मनोनयन प्रक्रिया पर है । अतः इन मनोनयन में न तो उच्च आदर्शों एवं प्रजातान्त्रिक मूल्यों का पालन ही हुआ और न ही जनता पार्टी की एकता सुरक्षित रह सकी । इस घटनाक्रम से पार्टी एवं सरकार के अन्दर जिन अन्तर्विरोधों, विद्वेषों एवं संघर्षों का प्रादुर्भाव हुआ उनमें अगले ढाई वर्षों के 'जनता शासन काल' में वृद्धि होती रही ।

पंचम् - अध्याय

दस राज्यों में विधान सभा के चुनाव : जनता गकता की
पुनरावृत्ति

(I) जनता पार्टी की सरकार/ द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग : ?

एक विवादस्पद प्रकरण

(II) विधान सभा चुनाव एवं जनता पार्टी :

गुटीय सघर्ष की शुरुआत

जनता पार्टी की सरकार द्वारा अ.च्छेद 356 का प्रयोग : एक विवादास्पद प्रकरण

एक विवादास्पद प्रकरण भारतीय राजनीति में मार्च 1977 के लोक सभा चुनावों का विशिष्ट महत्व है। इस चुनाव में प्रथम बार केन्द्र में गैर-कांग्रेसी दल को बहुमत मिला एवं जनता पार्टी की सरकार बनी। इस चुनाव का उल्लेखनीय तथ्य यह था कि उत्तर भारत में जनता पार्टी को आश्चर्यजनक सफलता मिली एवं देश के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में भी इसकी स्थिति सन्तोषजनक थी परन्तु दक्षिण भारत में जनता पार्टी कांग्रेस के अस्तित्व को चुनौती न दे सकी। यहाँ कांग्रेस को शानदार विजय मिली।

मार्च 1977 में लोक सभा चुनाव में मिली विजय जनता-नेतृत्व के लिये एक चुनौती थी, क्योंकि यह विजय उसे बिना व्यापक राष्ट्रीय जनाधार के प्राप्त हुई थी। उत्तर भारत में मिले व्यापक जन-समर्थन के आधार पर ही वह सतारुढ़ हुई थी। जबकि भारत के दक्षिणी राज्यों में जनता पार्टी को पूर्णतया नकार दिया था। लोक सभा के चुनाव में जनता पार्टी की विजय उसके अस्तित्व के लिये आवश्यक थी, किन्तु मात्र इस विजय के आधार पर वह कांग्रेस के 'राष्ट्रीय क्लृप्त' होने का दावा नहीं कर सकती थी, जनता पार्टी का प्रथम कार्य सम्पूर्ण देश में अपना प्रभाव बढ़ाकर कांग्रेस दल को चुनौती देना था जनता नेतृत्व इस तथ्य से भली भाँति परिचित था कि 'जनता लहर' के कारण ही उसे लोक सभा चुनाव में विजय हासिल हुई है। यह लहर क्षणिक होती है। अतः पार्टी नेतृत्व शीघ्रातिशीघ्र राज्यों के विधान सभा चुनाव सम्पन्न कर के इस लहर का पुनः लाभ उठाना चाहता था।

18 अप्रैल, 1977 को तत्कालिक केन्द्रीय गृह-मंत्री श्री चरण सिंह ने नौ राज्यों -उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, और पश्चिमी बंगाल के मुख्यमन्त्रियों को सलाह दी कि वे सम्बद्ध विधान सभाओं को भंग करने के लिये राज्यपालों को परामर्श दे और तत्काल चुनाव कराये। परन्तु मुख्यमन्त्रियों ने गृहमंत्री की सलाह को ठुकरा दिया।¹ गृह-मंत्री ने विधान सभा चुनाव कराने के पीछे यह तर्क दिया कि इन नौ राज्यों के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। अतः राज्यों की कांग्रेसी सरकारें जनता की सच्ची प्रतिनिधि नहीं रही। केन्द्र ने यह भी आशंका व्यक्त की कि ऐसा भी सम्भव है कि जनता इन राज्य सरकारों की आज्ञा का उल्लंघन प्रारम्भ कर दे। इससे कानून एवं व्यवस्था की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमन्त्रियों ने केन्द्रीय सरकार की इस सलाह को सविधान और लोकतान्त्रिक परम्पराओं के पूर्णतया विरुद्ध बताया। इनमें से कतिपय कांग्रेसी राज्यों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज की गयी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि गृहमंत्री ने इन राज्यों में कानून व्यवस्था बिगड़ने का जो तर्क दिया है, वह

1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, अप्रैल 20, 1977

सही नहीं है और क्योंकि यह मामला राज्यों एव केन्द्र के विवाद का है, इसलिये सर्वोच्च न्यायालय को फैसला करना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार को अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करना चाहिये या नहीं। राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय से एक स्थायी समादेश प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे कि केन्द्र इस राज्यों के विरुद्ध अनुच्छेद 356 का प्रयोग न कर सके।

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय सविधान पीठ ने 29 अप्रैल, 1977 को इस याचिका को रद्द करते हुये कहा कि इस प्रकार का समादेश या अन्तरिम आदेश किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता, और केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने में स्वतंत्र है।¹ उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया—यह सम्भव है कि यदि न्यायालय को यह दर्शित किया जाय कि उद्घोषणा दुर्भावपूर्ण की गयी थी या राष्ट्रपति के समाधान के लिये असंगत आधारों पर की गयी है, तो उसे विखंडित किया जा सकेगा। किन्तु राष्ट्रपति प्रायः आधार प्रकट नहीं करते और न ही आवश्यक ही है कि कारण दिये जाय। इसलिये किसी भी विशिष्ट अवसर पर उद्घोषणा का निकाला जाना राजनीतिक क्षेत्र में आन्दोलन का विषय होगा।²

तदुपरान्त केन्द्रीय जनता सरकार ने अल्पकालीन विधायिका कदम उठाया और बिना राज्यपाल की अनुशासा के केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि नौ राज्यों में विधान सभाये भंग कर दी जाये, और अल्पकाल के लिये राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। थोड़ी आनाकानी के पश्चात् राष्ट्रपति ने मन्त्रिमण्डल की सलाह मान ली। इस प्रकार केन्द्र ने नौ कांग्रेस शासित राज्यों— उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा— में विधान सभाओं का भंग करके नये चुनाव कराने के आदेश दे दिये। केन्द्र सरकार ने अपने कदम को उचित ठहराते हुये कहा कि लोकसभा के चुनावों के परिणामों के परिपेक्ष्य में ये विधान सभाये निर्वाचकों के विश्वास एव भावनाओं को प्रतिबिम्बित नहीं करती, अतः ये सरकारें जनता से पुनः शासनादेश प्राप्त करें। जनता सरकार के इस कदम को अकाली दल एव सी० पी० एम० ने उचित ठहराया जबकि कांग्रेस एव उसके सहयोगी दलों (जैसे सी० पी० आई०) ने इसकी कटु आलोचना की।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के प्रयोग की औचित्यता

भारतीय सविधान में किसी राज्य के सवैधानिक तन्त्र के विफल हो जाने पर प्रशासन चलानेके उपबन्ध किये गये हैं, जिसमें संघ को राज्यों की देखभाल का दायित्व सौंपा गया है। इसके अनुसार 'संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार सविधान के उपबन्धों के अनुसार चलती रहे।'³ इसके अलावा सविधान के अनु० 356 (1) के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है, जिसमें कि उस राज्य का शासन इस सविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।⁴ राष्ट्रपति यह

1. दि स्टेट्समैन, अप्रैल 30, 1977
2. राजस्थान बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० एस० सी० 1361 (पैरा 124, 144), मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ए० आई० आर०, 1980, एस० सी० 1789, (पैरा 103-104)
3. भारतीय सविधान, अनु० 355
4. भारतीय सविधान, अनु० 356 (1)

घोषणा उस समय भी कर सकता है, जब सघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुये किन्ही निर्देशों के अनुपालन में यह उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है।¹ राष्ट्रपति ऐसी घोषणा द्वारा—

(क) उस राज्य की कार्यपालिका के या अन्य किसी प्राधिकारी के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकेगा। केवल उच्च न्यायालय के कृत्य नहीं लिये जा सकेगे।

(ख) यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग ससद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जा सकेगा सक्षेप में ऐसी उद्घोषणा द्वारा सघ न्यायिक कृत्यों को छोड़कर राज्य प्रशासन के सभी कृत्यों पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है।

यह स्पष्ट है कि यह अधिकार सघ की असाधारण शक्ति है, जिससे वह लोकतन्त्रात्मक सरकार को बनाये रखे और गुटों के आपसी संघर्ष में राज्यों का शासनतन्त्र विफल न हो सके। 'भारत की राजनीतिक प्रणाली में इस शक्ति के महत्त्व को ओझल नहीं किया जा सकता, विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि सविधान के प्रथम 38 वर्षों में इसका प्रयोग 74 बार किया गया है।'²

अनुच्छेद 356 के अधीन सघ को प्रदत्त शक्ति के प्रयोग के पूर्वगामी इतिहास को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका व्यापक प्रयोग हुआ है, जबकि डा० अम्बेडकर ने सविधान सभा में दलील दी थी कि "हम आशा करते हैं कि इस अनुच्छेद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी और ये पुस्तक में ही बने रहेंगे। यदि इन्हे कभी प्रवृत्त किया जाता है तो मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रपति किसी प्रान्त के प्रशासन को निलम्बित करने के पहले सभी उचित पूर्वावधानी बरतेगे।"³

अतः स्वाभाविक है कि इस अनुबन्ध जिसके बारे में कल्पना की गयी थी कि वह पुस्तक में रहेगा, बार-बार प्रयोग किये जाने के औचित्य को प्रश्नगत किया जा सकता है—

(क) यह बात बल देने हुये कही जा सकती है कि अनुच्छेद 356 के अधीन शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे मन्त्रिमण्डल के पदच्युत करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये, जिसे विधान मण्डल में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। 42वें सविधान सशोधन द्वारा राष्ट्रपति इस शक्ति के प्रयोग को 'न्यायिक पुनरावलोकन' से बाहर कर दिया था, किन्तु अब 44वें सविधान सशोधन द्वारा यह बन्धन हटा लिया गया है। परिणामस्वरूप इस घोषणा की सर्वैधानिकता को संभवतः दुर्भाग्यपूर्ण होने के आधार पर प्रश्नगत किया जा सकता है।

(ख) एक आलोचना यह भी की जाती है कि वृहद सविधान होने के बावजूद, राज्य की 'सर्वैधानिक तन्त्र की विफलता' को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया। अतः केन्द्र सरकार ने इस संकटकालीन शक्ति का प्रयोग कभी राजनीतिक गत्यावरोध मिटाने के लिये कभी यथास्थिति को अपने पक्ष में करने के लिये और कभी विपक्षी दलों की

1. भारतीय सविधान, अनु० 356

2. डा० डी० डी० बसु भारत का सविधान एक परिचय, ब्रज किशोर शर्मा (अनुवादक हिन्दी), प्रेटिस हाल आफ इण्डिया प्रा० लि०, नई दिल्ली, 1989, पृ० 315

3. कॉन्सिटिट्यूट एसेम्बली डिबेट, IX, पृ० 177

लोकप्रिय सरकार को हतोत्साहित करने के लिये मनमाने ढंग से किया गया है। 'स्पष्ट रूप से इस 'संवैधानिक अभाव' का लाभ सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक औचित्यता के लिये उठाता रहा है। यही कारण है कि अनेक अवसरों पर केन्द्र सरकार इसका प्रयोग करती रही है।'¹

सविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो प्रावधान किया है उसके सम्बन्ध में प्रारम्भ से भय व्यक्त किया गया एव सविधान निर्माताओं ने यह भी स्वीकार किया था कि अनु0 356 का दुरुप्रयोग दलगत हितों के लिये किया जा सकता है अर्थात् केन्द्र के शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से विरोधी दलों की सरकारों का दमन कर सकता है। 'लेकिन उसे आवश्यक बुराई के रूप में अपना अनिवार्य था अन्यथा सविधान निर्माण के सारे प्रयास निरर्थक हो जाते हैं।'² सन् 1959 में केरल के साम्यवादी मन्त्रिमण्डल को जिस प्रकार पदच्युत किया गया उससे स्पष्ट हो गया कि सविधान निर्माताओं का भय निराधार नहीं था।

1967 में चतुर्थ आम चुनाव के बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में अनेक राज्यों में इस सकट-कालीन उपबन्ध का उपयोग किया गया। मार्च 1972 में विधान सभा चुनावों के बाद राज्यों में जो राजनीतिक स्थिति सामने आयी,³ उसमें सोचा गया था कि अब राज्यों में 'संवैधानिक तन्त्र की विफलता' के अवसर कम ही उत्पन्न होंगे, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं हुआ। सत्तारूढ़ दल अपने दलीय हितों के लिये इस अनुच्छेद का प्रयोग करता रहा।

इस अनुच्छेद का सबसे विवादस्पद प्रयोग जून 1977 में सभ की जनता सरकार द्वारा किया गया। जनता सरकार ने नौ राज्यों के कांग्रेसी विधानमण्डल को इस लिये भंग कर दिया गया कि मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। भारतीय राजनीतिक के इतिहास में सामूहिक रूप से विधानमण्डलों को भंग करने का यह प्रथम अवसर था। यहाँ जनता सरकार ने प्रजातान्त्रिक मूल्यों एव आदर्शों की पूर्ण अवेहलना की गयी थी।

जनता सरकार का यह तर्क कि लोकसभा के चुनाव परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के विधान मण्डल उस राज्य के निर्वाचक गणों को प्रतिबिम्बित नहीं करते, युक्तियुक्त नहीं था। इस तर्क में यह दोष है कि राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन में अन्तर्वलित मुद्दे वही हों, जो ससद के निर्वाचन के लिये हों, यह आवश्यक नहीं है। राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के लिये जो मुद्दे होते हैं, वे प्राथमिक रूप से स्थानीय हित के लिये होते हैं जबकि ससद के निर्वाचन में अखिल भारतीय विचार और दल की शक्ति पर ध्यान दिया जाता है। जून 1977 में पश्चिमी बंगाल राज्य के विधान मण्डल के लिये इसके बाद जो निर्वाचन हुए उससे यह बात उपदर्शित होती है। लोकसभा के निर्वाचन के लिये जनता पार्टी को काफी मात्रा में मत मिले किन्तु राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिये मत अल्प मात्रा में मिले और साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल विशाल बहुमत प्राप्त कर सका। इसलिये "यह प्रस्थापन की कि राज्य

1. शिवराज नकडे 'सविधान का अनुच्छेद 356 इसके प्रयोग और दुरुप्रयोग', एल0 एम0 सिंघवी (सम्पादित) "यूनियन स्टेटरेलेशन इन इण्डिया," दिल्ली 1969 पृ0 81
2. टी0 टी0 कृष्णामचारी. सी0 ए0 डी0, IX पृ0 235
3. 1972 में 19 राज्यों एव केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में चुनाव हुये जिसने केवल मणिपुर मेघालय, मिजोरम और गोवा, दमन दियू के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली- में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ

विधान सभा के बृवात्त राज्य के निर्वाचक गणों के मत रांग की रासद के निर्वाचन में प्रतिबिम्बित मत के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहिये, तर्क शुद्ध नहीं है।”¹

इसके अतिरिक्त डा० अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि अनु० 356 को सामान्यतः पुस्तक में बन्द रहना चाहिये और इसका अभिलम्ब तभी लिया जाना चाहिये जब सब साधन समाप्त हो गये हों। अतः इस व्यक्तिपरक उपधारणा पर कि राज्य की विधान सभा, राज्य के निर्वाचक गणों की राय प्रतिबिम्बित नहीं करती, इस शक्ति का प्रयोग करना सविधान के निर्माताओं के उद्देश्यों का अतिलघन करना है।

जनता सरकार के इस कृत्य की अनेक अध्येताओं, न्यायविदों, बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिज्ञों ने कटु आलोचना की थी। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि जनता पार्टी के आदर्श खोखले हैं एवं वह ससदीय व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है। “कांग्रेस ने इसे ‘संवैधानिक विरुपता’ की सज़ा दी। विपक्षी कांग्रेसी नेता श्री वाई० बी० चव्हाण ने इसे सविधान की आत्मा का हनन बताया।”² कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जनता पार्टी ने विधान सभाओं का विघटन अपने राजनीतिक एवं दलीय हितों के लिये किया है। “वास्तव में जनता सरकार अगस्त 1977 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में विधान सभा के वोटों का प्रयोग करना चाहती है ताकि वह चुनाव जीत सके।”³

जनता पार्टी ने चुनाव अभियान के दौरान प्रजातान्त्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया था एवं विशेष रूप से अनु० 356 के विषय में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वह —“धारा 356 में ऐसा सशोधन करेगी कि सत्तारूढ़ दल अथवा उस दल का अनुग्रह प्राप्त गुट अपना स्वार्थ साधने के लिये किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन न लाद सके।”⁴ जनता सरकार का यह कृत्य अपने घोषणा के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था। जनता पार्टी द्वारा दिये गये आश्वासन समय की धार पर खरे न उतर सके और समय आने पर दिये गये आश्वासन एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य राजनीतिक औचित्यता की भेट चढ़ गये। राजनीतिक औचित्यता हमेशा प्रजातान्त्रिक मूल्यों का पर्याय नहीं होती है।

निष्कर्ष जनता सरकार ने सामूहिक रूप से विधान मण्डलों को विघटित करके जो अनुचित परम्परा डाली उससे भविष्य में अनु० 356 के दुरुपयोग की सम्भावनाओं में वृद्धि हुई। इसी को नज़ीर मानकर कांग्रेस सरकार ने भी फरवरी 1980 में नौ राज्यों की विधान सभाओं को भंग⁵ किया था। कांग्रेस सरकार का यह कार्य और भी आलोचनास्पद है। वास्तव में कांग्रेस लगभग 100 वर्ष पुरानी पार्टी थी अतः उसे जनता पार्टी के इस अनुचित कृत्य का अनुशरण नहीं

1. डी० डी० बसु पूर्वोक्त, पृ० 320
2. कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिजोल्यूशन, नई दिल्ली, अप्रैल 30 1977, उद्धृत ए० एम० जैदी ए सन्धुरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन इण्डिया (सम्पादित), पब्लिकेशन डेपार्टमेंट, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड पोलिटिकल रिसर्च, नई दिल्ली, 1985 पृ० 421
3. कांग्रेस वर्किंग कमेटी स्टेटमेंट, मई 2, 1977, वही, पृ० 422
4. जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र-1977, जनता पार्टी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 15
5. उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा और गुजरात में कांग्रेस (इ०) का शासन नहीं था। अतः यहाँ की विधान सभा भी भंग कर दिया गया। उद्घोषणा में कोई कारण नहीं दिया गया था किन्तु इसका स्पष्ट आधार यह था कि राज्यों में जो दल सत्तारूढ़ थे उन्हें 1980 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम मत मिले थे। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अभिव्यक्त रूप से जनता पार्टी के उदाहरण का अनुकरण किया।

करना चाहिये था एक सशक्त पार्टी होने के नाते उसे और जिम्मेदारी एवं गरिमापूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिये था । कांग्रेस ने जनता पार्टी के इस कृत्य को मान्यता देकर इसे एक प्रथा के रूप में लगभग स्थापित कर दिया अन्यथा संभवतः यह एक अवाञ्छनीय अपवाद बनकर रह जाता । अतः जनता पार्टी ने जिस अप्रजातान्त्रिक परम्परा की शुरुआत की थी, कांग्रेस (इ०) ने उसे औचित्यता प्रदान कर दी । संविधान निर्माताओं ने जिसे विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किये जाने वाला 'अभय दीप' समझा था व्यवहार में केन्द्रीय सरकार ने उसे विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के उखाड़ फेंकने का साधन बना लिया । इसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता ।

विधान सभा चुनाव एवं जनता पार्टी :

राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत

विधान सभा चुनाव क्यों ?

५

किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व एवं भविष्य के लिये यह आवश्यक कि उसका व्यापक जनधार एवं सुदृढ़ राजनीतिक सगठन हो। जनता पार्टी को ये दोनों चीजें प्राप्त करनी थी। मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में जनता पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है, अतः सच्चे अर्थों में जनता पार्टी एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता था इसके लिये जरूरी था कि कम से कम देश के प्रत्येक भाग में उसका कुछ न कुछ प्रभाव आवश्यक हो। अतः जनता सरकार लोकसभा चुनाव के दौरान उपजी 'जनता लहर' का फायदा विधान सभा चुनावों में भी उठाना चाह रही थी। इस परिपेक्ष्य में जनता सरकार के लिये राज्यों के विधान सभाओं के चुनाव आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो गये थे। इसके अलावा जनता पार्टी इन चुनावों में विजय हासिल करके राज्य - सभा में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी ताकि भविष्य में संविधान संशोधन आसानी से कर सके।

इसी क्रम में इन विधान सभा के चुनावों में प्राप्त विजय का उपयोग जनता पार्टी सरकार भविष्य में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में करना चाह रही थी। ससदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, वह मन्त्रिमण्डल की सलाह पर अपने कार्यों का सम्पादन करता है। परन्तु किसी भी सरकार के लिये विपक्षी दल के राष्ट्रपति के साथ समायोजन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अतः जनता पार्टी की सरकार विधान सभाओं में जीत हासिल करके, राष्ट्रपति पद के लिये अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करना चाह रही थी अतः उसके लिये विधान सभा के चुनाव अत्यन्त आवश्यक थे। इन्हीं कारणों से जनता सरकार ने अप्रैल 1977 में शीघ्रता से 9 कांग्रेस शासित राज्यों की विधान सभाओं को भंग करके जून 1977 में देश में 'लघु आम चुनाव' कराने की घोषणा कर दी। इस 'लघु आम चुनावों' में इन नौ राज्यों के अलावा तमिलनाडु, जम्मू - कश्मीर एवं तीन केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली, गोवा दमन दीयू एवं पांडिचेरी में भी चुनाव कराये गये।

राज्यों में सत्ता प्राप्त करके जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार अपने 'दलीय सगठन' को मजबूत बनाना चाहती थी जनता पार्टी की रणनीति का मूल आधार यह था कि सशक्त 'दल निर्माण' के लिये राज्यों की सत्ता का अधिग्रहण आवश्यक है। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक शक्ति की सहायता से राज्य स्तर पर अपना दलीय आधार मजबूत करना। जनता पार्टी के पूर्व 'कांग्रेसी नेतागण' अपने व्यक्तिगत अनुभवों से इस तथ्य से भली-भाँति अवगत थे कि 'दल-निर्माण' के लिये सरकारी तन्त्र का उपयोग कितने प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि जब कांग्रेस राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर सत्ता में थी तो उसने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग 'दलीय सगठन' को मजबूत करने के लिये किया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सत्ताधारी दल हमेशा बड़ी संख्या में समर्थकों

एव सक्रिय कार्यकर्ताओं को आकर्षित करता है। सरकारी तन्त्र के राजनीतिक संरक्षण में दल-निर्माण के अनेकों कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न होते हैं।

जनता पार्टी की विधान सभाओं के चुनाव सबन्धी रणनीति में मुख्य दोष यह था कि पार्टी ने केवल इसके सकारात्मक आयामों को ही ध्यान में रखा था। जनता पार्टी अपने नवीन संसाधनों का उपयोग करके पूरे देश में अपने 'दलीय सगठन' का मजबूत जाल बिछाना चाहती थी। परन्तु इसी के साथ-साथ एक चुनौती भी उभर कर आयी। इस रणनीति के अनुसार जनता पार्टी ने आशा की थी कि उसका प्रत्येक घटक दल राष्ट्रीय स्तर पर एक 'सुदृढ़ दलीय सगठन' बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। पार्टी के कर्णधारों का यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ। वे यह अनुमान नहीं लगा सके कि 'नवजात-दल' के पूर्व घटक अपने अस्तित्व को नहीं भूल पाये होंगे और विधान सभा चुनाव में गुटबारी एवं आन्तरिक कलह उभर कर आयेगी।

जनता पार्टी ने 'दलीय-निर्माण' की जो रूपरेखा बनायी थी उसके अनुसार चुनायी विजय एवं विधान मण्डल में बहुमत के माध्यम से सुदृढ़ "दलीय सगठन का निर्माण" करना था। इस रूपरेखा के अन्तर्गत विधान सभा चुनाव के सकारात्मक एवं नकारात्मक आयामों के मध्य तीव्र अन्त क्रिया हुई जिसके तात्कालिक परिणाम तो एक सीमा तक जनता पार्टी के लिये सुखद रहे परन्तु इसके दूरगामी परिणाम पार्टी के लिये उत्साहवर्धक नहीं थे। जनता पार्टी इन चुनाव में विजय हासिल करके अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाना चाहती थी। जबकि इसके 'घटक-दल' पार्टी के अन्दर अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि वे पार्टी एवं सरकार का उपयोग अपने गुटिय हितों के लिये कर सकें।

जनता पार्टी की चुनावी रणनीति : गुटबंदी का श्री गणेश

जनता पार्टी ने राज्य विधान सभाओं के चुनाव की घोषणा तो कर^{सु} परन्तु स्वयं उसके पास विभिन्न राज्यों में चुनाव संचालित करने के लिये सुदृढ़ सगठन का अभाव था। अभी तक पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति (सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट्री बोर्ड) का गठन नहीं हुआ था। 19 मई 1977 को 'जनता पार्टी-कार्य समिति' ने औपचारिक रूप से यह निर्णय लिया कि पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन के लिये 'राज्य चुनाव समिति' स्थापित करने का फैसला किया है एवं ये समितियाँ राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के निर्देशानुसार कार्य करेंगी। इस निर्णय की पार्टी के अन्दर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। विभिन्न राज्यों की चुनाव समितियों एवं पर्यवेक्षकों के मनोनयन के प्रश्न पर पार्टी के 'घटक दलों' के बीच गम्भीर मतभेद दृष्टिगोचर हुये, इन्हे किसी प्रकार ऊपरी तौर पर समायोजित किया गया। 'पार्टी कार्य समिति' ने विभिन्न राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, इन पर्यवेक्षकों को विधान सभा के चुनाव के लिये प्रत्याशियों के चयन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया और यह भी कहा गया कि मतभेद की स्थिति में वे पार्टी अध्यक्ष से सम्पर्क करें।¹

राज्य चुनाव समितियों एवं पर्यवेक्षकों के मनोनयन में जनता पार्टी में गम्भीर आन्तरिक मतभेद उत्पन्न हुये। इससे कुछ 'राज्य चुनाव समितियाँ' की कार्यवाही पगु हों गयीं राजस्थान में जनता पार्टी नेता श्री कुम्भाराम आर्या एवं पंजाब में डा० कालीचरण शर्मा ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि समितियाँ सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकीं। डा०

1. पैट्रियॉट; दिल्ली, मई 10 1977

कालीचरण शर्मा पूर्व सगठन कांग्रेस के नेता थे। 'उन्होंने यह कहते हुये समिति की बैठक से बहिष्कार किया कि जनता पार्टी में पूर्व जनसघी तत्वों को हावी नहीं होने दिया जायेगा।'¹ यह स्थिति जनता पार्टी एवं सरकार दोनों के लिये विषाद पूर्ण थी। इस समय जनता पार्टी के सामने मुख्य चुनौती यह थी कि वह आने वाले विधान सभा चुनाव में किस प्रकार अपने आन्तरिक विरोधाभासों से ऊपर उठकर स्वयं को एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली पार्टी सिद्ध कर सके।

जनता पार्टी में यह अन्तःकलह केवल राज्य स्तर पर सीमित नहीं थी। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण भी इस संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में लिप्त थे। श्री चरण सिंह को उत्तर प्रदेश में पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, वे इसे अपना अपमान समझ रहे थे क्योंकि पूर्व लोकसभा के चुनाव में वे सम्पूर्ण उत्तर भारत के चुनाव प्रभारी थे। उन्होंने इस नियुक्ति पर असन्तोष भी व्यक्त किया था तथा 'उत्तर-प्रदेश में विधान सभा के प्रत्याशियों के चयन में पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर से उनकी खुली भिडन्त हुई।'² विधान सभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर, ऊभरे गुटीय संघर्ष से जनता पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी, पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा में कहा कि "इस समय दल में एकता बनाये रखना नितान्त जरूरी है और हमें अपने मतभेदों का निपटारा सगठन के ढाँचे के अन्तर्गत करना चाहिये।"³

यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जनता पार्टी का औपचारिक उद्घाटन मात्र 12 दिन पूर्व, 1 मई 1977 को हुआ था और इसके सदस्यों ने अनुशासन एवं एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। वास्तव में पार्टी ने 1 मई को अपने सदस्यों पर भारी दायित्व सौंपा था कि वे समाज की नवीन शक्तियों को संचारित करके सुदृढ़ सगठन का निर्माण करें जो देश की मूलभूत समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। परन्तु यह दायित्व केवल बयानबाजी तक ही सीमित रहा।

जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने दलीय एकता बनाये रखने की अपील की और कहा कि पार्टी के घटक दलों को आपसी खींचा तानी से बचना चाहिये। यह विडम्बना थी कि जनता पार्टी के आदर्शात्मक परिदृश्य एवं उसके व्यवहार सम्बन्धी आनुभाविक तथ्यों के मध्य गम्भीर विरोधाभास की स्थिति थी। विधान सभा चुनावों में पार्टी का प्रत्येक घटक दल अपने समर्थक प्रत्याशियों के लिये टिकट प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नेताओं ने विभिन्न गुटों के दावों एवं स्वार्थों का समायोजन आपसी समझौतों द्वारा करके, एक सीमा तक अन्तर्गुटीय संघर्षों के निराकरण का प्रयास किया, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली। 'जनता- लहर' के कारण जनता प्रत्याशियों के जीतने की प्रबल आशा थी इसी कारण प्रत्याशियों की संख्या भी अत्यधिक थी जनता पार्टी का 'दलीय सगठन' स्वयं इतना व्यवस्थित नहीं था कि प्रत्याशियों का चयन करे अतः पार्टी की कार्य समिति ने 'राज्य चुनाव समितियों' एवं प्रेक्षकों को निम्न दिशा निर्देश दिये

(1) आपातस्थिति एवं 20 सूत्री कार्यक्रमों के समर्थकों को टिकट नहीं दिया जायेगा।

-
- 1 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, मई 14, 1977
 - 2 दि स्टेट्समैन, दिल्ली, मई 12, 1977
 - 3 दि स्टेट्समैन, दिल्ली, 13 मई 1977

(2) बिहार के सन्दर्भ में जिन लोगों ने 'जय प्रकाश आन्दोलन' के समर्थन में बिहार विधान मण्डल से त्यागपत्र दे दिया था, उन्हें टिकट दिया जायेगा।

(3) लोक सभा चुनाव में जो व्यक्ति जनता पार्टी के प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़े हैं, उन्हें विधान सभा से पार्टी का टिकट नहीं दिया जायेगा।

कार्य समिति ने प्रत्याशियों के चयन में नवयुवकों अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व देने के भी निर्देश जारी किये।¹ कार्यसमिति चाहती थी कि आपातस्थिति के समर्थकों एवं अपराधी तत्वों को टिकट न दिया जाये। 'जय प्रकाश-आन्दोलन' के समर्थकों को पार्टी में स्थान मिले।

इन दिशा निर्देशों के बावजूद 'राज्य चुनाव समितियों' एवं केन्द्रीय पर्यवेक्षकों ने घोर पक्षपात किया, एवं जनता पार्टी कार्य समिति के निर्देशों का उल्लंघन किया। अतः जातिवाद और गुटवाद के नाम पर टिकट बाँटे गये तथा पार्टी के सक्रिय एवं विश्वसनीय सदस्यों, जिन्होंने 'जय प्रकाश आन्दोलन' में भाग लिया था, की अवहेलना की गयी।² प्रत्येक गुट ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट देना चाहता था। अतः अनेक लोगों ने कार्य समिति से शिकायत की कि पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया है जो कल तक आपातकाल के घोर समर्थक थे।³ पार्टी के महासचिव श्री राम कृष्ण हेगड़े ने स्वीकार किया कि हरियाणा राज्य से दिशा निर्देशों के उल्लंघन की अनेकों शिकायतें पार्टी-मुख्यालय को प्राप्त हुई हैं। 21 मई 1977 से पार्टी के सक्रिय नेता श्री सिम्बन लाल सक्सेना भूख हड़ताल में बैठ गये उनकी माँग थी कि पार्टी प्रत्याशियों का मनोनयन योग्यता के आधार पर होना चाहिये।⁴

उत्तर प्रदेश में श्री चरणसिंह और श्री चन्द्रशेखर के बीच आरोपो-प्रत्यारोपो का खुला अदान-प्रदान हुआ। यह कहा गया कि पार्टी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की सूची में अपने समर्थकों को ममायोजित कर रहे हैं। श्री जय प्रकाश नारायण ने इन विवादों और आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुये कहा, कि 'अब प्रत्याशियों के चयन सम्बन्धी सभी विवादों को खत्म हो जाना चाहिये। किसी के द्वारा कुछ ऐसा नहीं किया जाना चाहिये जिससे पार्टी कमजोर हो या उसकी छवि धूमिल हो।'⁵

सरटोरी के अनुसार एक प्रजातान्त्रिक दल में हमेशा सघर्षरत विरोधाभासी हितों का दबाव बना रहता है और सौदेबाजी द्वारा ही दलीय अन्तर्कलह का निवारण किया जाता है। एक प्रजातान्त्रिक दल विजातीय हितों को समायोजित करता है और उन्हें सम्मिलन, सौदेबाजी तथा दबाव डालने का अवसर प्रदान करता है।⁶ प्रजातान्त्रिक दल का मुख्य कार्य सर्व सम्मति विकसित करना एवं विभिन्न गुटों के विरोधी हितों एवं सघर्षों का समझौते एवं समायोजन द्वारा निराकरण करना है।⁷ जनता पार्टी मूलतः एक प्रजातान्त्रिक दल था, अतः इसने अपने अन्दर विरोधी गुटों एवं हितों को

1. दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, मई 13, 1977

2. एस(0) के(0) घोष 'दि बिट्रेयल पोलिटिक्स ऐज इफ पीपुल मैटर्स', स्टेलिंग पब्लिशर्स, प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 1979, पृ0 6

3. दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, मई 17, 1977

4. दि स्टेट्समैन, दिल्ली, मई 21, 1977.

5. श्री जय प्रकाश नारायण का वक्तव्य, दि स्टेट्समैन, मई 27, 1977

6. देखें जियोवानी सरटोरी "पार्टीज एव पार्टी सिस्टमस् ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस", पूर्वोक्त, 1976

7. देखें थियोडोर एम(0) न्यूकोम्ब, "दि स्टडी ऑफ कॉन्सेन्सस" इन राबर्ट के० मार्टिन (सम्पादित) सोशयोलॉजी टुडे, बेसिकबुक 1959

सौदेबाजी एव सम्मिलन का पूर्ण अवसर प्रदान किया, परन्तु वह विभिन्न हितों के मध्य समायोजन स्थापित करने में असफल रहा।

जनता पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर पाँच सुव्यवस्थित 'घटक दलों' के मध्य गुटीय सघर्ष प्रारम्भ हुआ ये घटक दल जनता पार्टी में अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिये सघर्ष कर रहे थे। प्रत्येक गुट अपने सामर्थ्य के अनुसार चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिये सीटें प्राप्त करना चाहता था। मई 1977 के दौरान जनता पार्टी के अन्दर सघर्ष का मूलाधार यही था।

जनता पार्टी के अन्दर सघर्ष की स्थिति यहाँ तक पहुँची कि एक गुट के नेताओं ने दूसरे गुट के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया। गुटीय नेताओं ने अपने कुछ स्वार्थों के लिये पार्टी को कमजोर करना प्रारम्भ कर दिया। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। अनेक विद्वानों, बुद्धिजीवियों एवं पत्र-पत्रिकाओं ने लेख लिखकर जनता पार्टी को इस स्थिति से उबरने का आग्रह किया। 'इण्डियन एक्सप्रेस' ने टिप्पणी की कि 'जनता पार्टी को सचेत होने का समय आ गया है।' इन्होंने अपने अन्दर आवश्यकता से अधिक विभाजन एवं सघर्ष की शक्तियों को जगह प्रदान की है।¹ 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने अपने प्रमुख लेख 'वार्निंग सिगनल्स' में लिखा कि 'जनता पार्टी के कुछ आकाओं ने राज्यों के विधान सभाओं के चुनावों में जिस ढंग से चुनाव प्रचार करना स्वीकार किया, उससे यह सन्देह हुआ कि भाग्यी सौहार्द, सामजस्य एवं दलीय एकीकरण के लिये विभिन्न मत सतान्तरो के प्रति मात्र सहिष्णुता ही पर्याप्त नहीं है इसके लिये 'कुछ और' होनी चाहिये।² यह 'कुछ और' जनता पार्टी द्वारा दिये गये आश्वासनों की गयी प्रतिज्ञाओं एवं निर्धारित आदर्शों का निचोड़ था।³ इनसे जनता पार्टी के नेतागणों ने भुला दिया था।

सारणी संख्या 7

जून 1977 में राज्य विधान सभाओं के चुनाव में राजनीतिक दल की स्थिति

राज्य	कुल सीटें	जनता पार्टी	कांग्रेस	सी(पी)आई(0)	सी(पी)आई(एम)	अन्य राजनीतिक दल	निर्दलीय
बिहार	324	219	57	21	4	5	17
हरियाणा	94	75	3	-	-	5	7
हिमाचल प्रदेश	68	53	9	-	-	-	6
मध्य प्रदेश	320	230	84	-	-	-	6
उड़ीसा	147	110	26	1	1	-	9
पंजाब	117	24	17	7	8	58	2
राजस्थान	200	150	41	1	1	-	6
तमिलनाडु	234	10	27	5	12	180	-
उत्तर प्रदेश	425	351	46	9	1	-	-
प० बंगाल	294	29	20	2	178	52	3

1. दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, 21 मई 1977

2. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, 1 जून 1977

नोट (1) बिहार और पश्चिमी बंगाल की एक एक सीट एवं उत्तर प्रदेश की दो सीटों का चुनाव स्थगित कर दिया गया था ।

(2) पंजाब में अन्य राजनीतिक दल की सभी 58 सीटें अकाली दल को प्राप्त हुई ।

(3) तमिलनाडु में अन्य राजनीतिक दल की कुल 180 सीटों में डी० एम० के०-48, ए० डी० एम० के० 130, मुस्लिम लीग-1 फारवर्ड ब्लाक-1 ।

चुनाव परिणाम

जून 1977 के द्वितीय सप्ताह में 10 विधान सभाओं के चुनाव सम्पन्न हुये । पूर्व लोकसभा चुनावों की भाँति विधान सभा चुनावों में भी कांग्रेस एवं जनता पार्टी की सीधी टक्कर थी । इन दोनों दलों ने विभिन्न दलों से चुनावी गठबन्धन किया था । कांग्रेस का सी० पी० आई० एव तमिलनाडु में ए० डी० एम० के० से चुनावी गठबन्धन था जबकि जनता पार्टी का पंजाब में अकाली दल से तमिलनाडु में डी० एम० के० से चुनावी गठबन्धन था । अनेक कोशिशों के बावजूद प० बंगाल में जनता पार्टी और सी० पी० एम० में चुनावी समझौता नहीं हो सका । इन चुनावों में 'जनता लहर' तीव्र तो नहीं थी, परन्तु पर्याप्त अवश्य थी । ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के शीघ्र बाद हो रहे थे, अतः 'जनता-लहर' का लाभ जनता पार्टी को मिला एवं कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ । (देखें सारिणी न० 7)

इन चुनावों के परिणाम आश्चर्यजनक न होकर आशानुरूप थे । यह विदित था कि इन चुनावों में जनता पार्टी की विजय होगी, अतः कुछ राज्यों, जहाँ क्षेत्रीय दलों का प्राधान्य था, को छोड़कर शेष में जनता पार्टी सत्ता में आयी । पश्चिमी बंगाल, और तमिलनाडु में जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही । पश्चिमी बंगाल में सी० पी० एम०, तमिलनाडु में ए० डी० एम० के० की सरकार बनी । पंजाब में 'अकाली-जनता-सी० पी० एम० गठबन्धन' ने कुल 117 स्थानों में 90 सीटें जीती (अकाली दल-58, जनता पार्टी-21, सी० पी० एम०-8) । शेष सात राज्यों में जनता पार्टी ने अकेले लगभग 70% या उससे भी अधिक सीटें प्राप्त की ।¹

इस चुनाव परिणामों से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आये ।

(1) लगभग सभी राज्यों में कमोवेश मतदाताओं ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत दिया । तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में क्रमशः ए० डी० एम० के० और सी० पी० एम० के स्पष्ट बहुमत मिला ।

(2) कुछ क्षेत्रीय दलों की उपलब्धियाँ उनकी योग्यता एवं क्षमता से अधिक थी । इसका भविष्य में देश की राजनीतिक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा । उदाहरण के लिये पंजाब का अकाली दल ।

(3) इन चुनावों में विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बढ़ती संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुये । इससे यह भय उत्पन्न हुआ कि सम्भव है ये लोग भविष्य में राज्य की राजनीतिक में आशाजनक भूमिका न निभा सकें ।

1. हॉर्स्ट हॉर्टमैन: पूर्वोक्त, पृ० 284

चाहे जो कुछ भी हो, परन्तु जनता पार्टी ने अपने दावे के अनुसार केन्द्र एवं अनेक प्रमुख राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली।

मन्त्रिमण्डल का गठन एवं अन्तर्गुटीय संघर्ष

हरियाणा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, एवं उड़ीसा में जनता पार्टी की चुनावी विजय से पार्टी की प्रतिष्ठा तो बढ़ी लेकिन राज्यों में विधायक दल के नेता के चुनाव के सन्दर्भ में पुनः अन्तर्गुटीय प्रतिस्पर्द्धा प्रारम्भ हुई। जनता पार्टी ने घोषणा की कि राज्यों में नेताओं का चुनाव विधायकों द्वारा प्रजातान्त्रिक पद्धति से किया जायेगा। पार्टी के महासचिव रामकृष्ण हेगडे ने कहा कि जनता पार्टी के राज्य विधान सभाओं के नेता का चुनाव प्रजातान्त्रिक पद्धति से 'पार्टी विधायक मण्डल' द्वारा किया जायेगा। उन्हें हाई कमान द्वारा राज्यों के ऊपर थोपा नहीं जायेगा, जैसा कांग्रेस करती रही है।¹

जनता पार्टी नेता श्री राजनारायण ने श्री हेगडे के विचार का समर्थन करते हुये कहा कि 'मैं जनता नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे ऊपर से मुख्यमंत्री थोपे जाने के किसी भी विचार को प्रोत्साहन न दे। जनता पार्टी न तो कांग्रेस है और न ही साम्यवादी पार्टी।' ² परन्तु जनता पार्टी नेता द्वारा व्यक्त किये गये ये उद्गार दिखावा मात्र थे। वास्तव में पार्टी के अन्दर घटकवाद एवं गुटबंदी तो विधान सभा चुनाव के समय से ही थी और यह राज्यों में पार्टी के विधायक दल के नेता के चयन के समय भी न रुक सकी।

जनता पार्टी ने सम्बन्धित राज्यों के विधायकों को सलाह दी कि वे 21 जून 1977 को राज्यों के राजधानियों में एकत्र होकर राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा मनोनीत 'पर्यवेक्षकों' के निर्देशानुसार विधायक दल के नेता का चुनाव करें। पर्यवेक्षकों की भूमिका केवल दलीय नेताओं के चुनाव का संचालन करना था। सात राज्यों में से जनता पार्टी विधायक दलों ने तीन राज्यों उड़ीसा, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में अपने नेताओं का चुनाव सर्व सम्मति से किया जबकि शेष राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में नेताओं का चयन औपचारिक निर्वाचन के उपरान्त हुआ।

उड़ीसा में श्री नीलमणि राउतराय जनता विधायक दल के नेता चुने गये क्योंकि इन्हें श्री बीजू पटनायक का वरदहस्त प्राप्त था। हरियाणा में श्री देवी लाल नेता चुने गये, ये राजनीतिक रूप से श्री चरणसिंह पर आश्रित थे। मध्य प्रदेश में जनता विधायक दल ने श्री कैलाश नाथ जोशी को नेता चुना। श्री जोशी जनता पार्टी के प्रभावशाली जनसघ गुट से सम्बन्ध रखते थे। कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से श्री जोशी के स्थान पर इसी गुट के श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री बनाये गये। इन प्रदेशों के तीनों नेताओं का चयन सर्व सम्मति से हुआ क्योंकि सम्बन्धित गुट के राष्ट्रीय नेताओं ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में जनता विधायक दलों के नेताओं का चयन 'औपचारिक निर्वाचन' के उपरान्त हुआ। हिमाचल प्रदेश में श्री शान्ता कुमार ने श्री रणजीत सिंह को 25 के मुकाबले 28 मतों से हराया। राजस्थान में श्री भैरोसिंह शेखावत ने श्री आदित्येन्द्र को 29 के मुकाबले 122 मतों से परास्त किया। बिहार में

1 दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली जून 9 1977

2 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, जून 16, 1977

श्री कर्पूरी ठाकुर को श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा से 84 के मुकाबले 144 मतो से विजय प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में श्री राम नरेश यादव मुख्य मन्त्री बने, उन्होंने श्री रामधन को बुरी तरह हराया।¹

इन राज्यों की विधान सभा चुनाव से कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े हुये। जैसे गङ्गखेम में चुनाव एव पार्टी नेताओं की चयन प्रक्रिया का जनता पार्टी के भविष्य के प्रकार्यों में क्या प्रभाव पड़ा? पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने किस प्रकार राज्यों के चुनाव एव उसके नेतृत्व का उपयोग अपने निहित स्वार्थों के लिये किया? इन चुनाव का जनता पार्टी की 'भावनात्मक एकता' पर क्या प्रभाव पड़ा? इन प्रश्नों की सही व्याख्या एव उत्तर विधान सभा चुनावों का विश्लेषण करते हुये ही दिया जा सकता है।

जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने दावा किया कि केन्द्रीय नेतृत्व राज्यों में विधायक दल के नेताओं के चयन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।² पार्टी अध्यक्ष का यह वक्तव्य श्री रामधन के इस कथन के प्रतिकूल था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय नेताओं के एक गुट (Caucus) ने इन चुनावों को छलयोजित किया है।³ श्री जग जीवन राम ने भी श्री रामधन के विचार का समर्थन करते हुये स्पष्ट किया कि जिस प्रकार राज्यों में विधायक दल के नेताओं का चयन हुआ है, उससे पार्टी के सदस्यों में गहरा आक्रोश है।⁴ यह आक्रोश ही जनता पार्टी के 'भावनात्मक एकीकरण' के लिये सबसे ज्यादा हानिकारक था। यह पार्टी का दुर्भाग्य था कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा पार्टी में व्याप्त इस आक्रोश को दूर करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया।

जनता पार्टी को इन विधान सभाओं चुनाव से कुछ लाभ अवश्य हुआ जैसे-उसे सत्ता प्राप्त हुई और उसका सामाजिक आधार व्यापक हुआ। परन्तु उसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी पार्टी को भुगतने पड़े। विधान सभाओं के चुनावों की घोषणा के पश्चात जनता पार्टी के नेताओं ने तीव्रता से चुनावी दौरे किये। इससे सरकार का लोक कल्याणकारी कार्य ठप्प हो गया। 'घटकवाद और गुटबन्दी जो मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद दब गयी थी पुन ऊभर कर आ गयी। पार्टी नेताओं द्वारा पार्टी को मजबूत बनाने की अपील पाखण्ड पूर्ण लगने लगी। और ऐसा लगता था कि पार्टी में विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है।⁵

जैसे ही विधान सभा चुनावों की घोषणा हुई जैसे ही पार्टी में गुटबन्दी प्रारम्भ हो गयी। राज्यों के इन चुनावों में जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेता सक्रिय रूप से शामिल थे और अपने गुटीय हितों का प्रोत्साहित कर रहे थे। इसमें जनसघ एन बी० एल० डी० शक्तिशाली गुट के रूप में उभर कर आये तथा सगठन कांग्रेस समाजवादी पार्टी एव सी० एफ० डी० आपेक्षाकृत कम शक्तिशाली गुट साबित हुये। लेकिन इन गुटों ने भी दल निर्माण एवं दलीय एकता के प्रवर्द्धन के लिये सिद्धान्त पर आधारित कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। 'इन कम शक्तिशाली गुटों ने भी गलत

-
1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, जून 21-25, 1977
 2. दि स्टेट्समेन, दिल्ली, जून 22, 1977
 3. नेशनल हेराल्ड, दिल्ली जून 23, 1977
 4. दि स्टेट्समेन, दिल्ली, जून 26, 1977
 5. एस० के० घोष पूर्वोक्त, पृ० 6

सौदेबाजी द्वारा अपने गुट के लिये ज्यादा से ज्यादा टिकट प्राप्त करने की कोशिश की परन्तु एक बार जनसघ एव बी० एल० डी० गुट से परास्त हो जाने के पश्चात उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी ।¹

जनता पार्टी में अपनी पैठ बनने के लिये जनसघ एव बी० एल० डी० सयुक्त रूप से दुर्जेय सिद्ध हुये । इन्होंने पार्टी में अन्य घटकों के महत्व को कम कर दिया । जनता पार्टी के केवल 'जनसंघ एव बी० एल० डी०' घटकों ने सयुक्त रूप से मिलकर सात राज्यों के मुख्यमंत्री पद हस्तगत कर लिये । इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव, बिहार के श्री कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा के श्री देवी लाल एव उड़ीसा के श्री नील मणि राउतराय बी० एल० डी० गुट के थे । शेष तीन राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में क्रमशः श्री कैलाश जोशी, श्री शान्ता कुमार और श्री भैरोसिंह शिखावत मुख्यमंत्री बने ये तीनों जनसघ गुट के थे । जून 1977 में कुल 10 राज्यों में चुनाव हुये थे, अतः 2 राज्यों (तमिलानाडु एव पंजाब) में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों एव एक (पश्चिमी बंगाल) में सी० पी० एम० के मन्त्रिमण्डल बने ।

जनता पार्टी के तीन अन्य घटक, सगठन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एव सी० एफ० डी० अन्तर्गुटीय प्रतिस्पर्धा में कोई महत्व नहीं प्राप्त कर सके । इन्होंने जनता पार्टी में कुछ विशेष गुटों (जनसघ एव बी० एल० डी०) के वर्चस्व की कटु आलोचना की । इससे जनता पार्टी की एकता का स्खलन हुआ । श्री रामधन ने वेदनापूर्ण शब्दों में कहा कि "यह आशा कि घटक दलों के विलय के बाद जनता पार्टी एक सुदृढ़ दल के रूप में कार्य करेगी, मिथ्या सिद्ध हो चुकी है । विधान सभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन में प्रत्येक 'घटक-दल' के लिये कोटा निर्धारित था । राज्यों में विधायक दल के नेता के चयन में पुनः जोड़-तोड़ एव दुराभिसन्धि का घृणास्पद खेल खेला गया ।"² पार्टी के किसी भी महत्वपूर्ण नेता का यह वक्तव्य पार्टी के भविष्य के लिये शुभ संकेत नहीं था ।

निष्कर्ष

जनता पार्टी इन विधान सभाओं के चुनावों में 'प्राप्त विजय' के माध्यम से अपने सामाजिक एव राजनीतिक आधार को व्यापक बनाने के साथ साथ 'दल निर्माण' करना चाहती थी । अतः इन चुनावों में जनता पार्टी की विजय 'दल निर्माण प्रक्रिया' के लिये वरदान थी परन्तु यही विजय 'दलीय एकीकरण' के लिये दुष्क्रियात्मक भी सिद्ध हुई ।

भारत में सरकारी तन्त्र 'दलीय समेकन' का एक अनिवार्य उपकरण है । अनेक 'सामाजिक एव राजनीतिक गुट' शासन से लाभ अर्जित करने की दृष्टि से सत्ताधारी दल में शामिल होते हैं । सत्ताधारी दल की ओर विभिन्न शक्तिशाली गुटों का रुझान एव आकर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ताधारी दल कितनी तत्परता एव सक्षमता से उन्हें संरक्षण प्रदान करता है । विशिष्ट परिस्थितियों में यह 'राजनीति संरक्षण' एक दल के लिये लाभकारी एव क्रियात्मक सिद्ध हो सकता है, साथ ही साथ 'राजनीतिक संरक्षण' की यह नीति किसी राजनीतिक दल के लिये दुष्क्रियात्मक भी हो सकती है । इसमें विभिन्न असन्तुष्ट सामाजिक एव राजनीतिक गुट सत्तादल को त्याग कर अन्य दलों में शामिल होने लगते हैं । यह सत्ता दल का विभाजन कर देते हैं । अतः यह संरक्षण की राजनीतिक एक दल का

1. एस० के० घोष पूर्वोक्त, पृ० 7

2. नेशनल हेराल्ड, दिल्ली जून 23, 1977

समेकन भी कर सकती है एव उसके विघटन एवं अपकर्ष का कारण भी बन सकती है । जनता पार्टी के जीवन काल में दुष्क्रियात्मक राजनीतिक ही हावी रही और पार्टी का शनैः शनैः अपकर्ष होता रहा ।

यदि लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को जीत हासिल न होती तो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य से इसका नामोनिशान लगभग मिट गया होता । परन्तु इसी चुनावी विजय ने जनता पार्टी में गम्भीर आन्तरिक मतभेदों को जन्म भी दिया एव राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों में इन सघर्षों में वृद्धि हुई अतः जनता पार्टी ने विधान सभा चुनाव के माध्यम से 'दल निर्माण' की जिस रणनीति को अगीकार किया उसमें एकीकरण एव विघटनकारी दोनों तत्व समाहित थे । यह जनता पार्टी के नेतृत्व के समक्ष एक स्वर्ण अवसर होने के साथ साथ एक चुनौती भी थी कि वे इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे । वास्तव में जनता पार्टी द्वारा अपनायी गयी रणनीति में अनेक गम्भीर दोष थे, इससे पार्टी के अन्दर क्रियात्मक खिचावों एव दबावों का ऐसा वातावरण बना जिससे जनता पार्टी भविष्य में कभी मुक्त नहीं हो पायी ।

जनता पार्टी के मुख्य घटक-दलों ने इन विधान सभाओं के चुनावों को एक ऐसे स्वर्ण अवसर के रूप में देखा जिसके माध्यम से वे पार्टी के अन्दर अपनी गुटीय शक्ति में वृद्धि कर सकते थे । जिससे 'दलीय सगठन' में उनका वर्चस्व बना रहे । सत्ता सघर्ष में सम्मिलित प्रत्येक गुट यह महसूस करता था कि पार्टी के अन्दर उसका महत्व इस बात पर निर्भर है कि राज्यों की विधान सभाओं में उसके कितने समर्थक हैं इन्हीं कारणों से जनता पार्टी में अन्तर्गुटीय सघर्ष ने गम्भीर रूप धारण किया । अतः विभिन्न गुटों द्वारा 'शक्ति के समेकन' के लिये भी ये विधान सभाओं के चुनाव अत्यन्त निर्णायक थे इसी कारण पार्टी के अन्दर विभिन्न घटक-दलों ने खुले आम अपने गुटीय हितों की वकालत की । इस प्रक्रिया से जनता पार्टी के आपेक्षाकृत कमजोर घटक इस तथ्य से भयभीत हुये कि बड़े एवं शक्तिशाली गुटों द्वारा उनका विलोपन या आत्मसात्करण कर लिया जायेगा । अतः इन चुनावों ने गुटबन्दी को प्रोत्साहित किया । इससे यह भी सिद्ध हो गया कि जनता पार्टी में 'भावात्मक एकता' का पूर्ण अभाव था ।

जनता पार्टी के वे नेतागण, जो कांग्रेस की सस्कृति में शिक्षित हुये थे, दल की राज्य ईकाई पर अपने राजनीतिक नियन्त्रण के महत्व को भली-भाँति समझते थे । अतः इन नेताओं एव जनता पार्टी के अन्य नेतागणों ने राज्य स्तर की राजनीति में पर्याप्त हस्तक्षेप किया । जनता पार्टी के श्री चरण सिंह, श्री चन्द्र शेखर, एव श्री एच० एन० बहुगुणा उत्तर प्रदेश की राज्य स्तर की राजनीति में पूर्णतया आवेष्टित थे । भारत में राष्ट्रीय नेताओं एव राज्यों में उनके आश्रितों (राज्यों के दलीय नेता) के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है, एव इसी कड़ी के माध्यम से राष्ट्रीय नेता राज्यों की राजनीतिक में अपनी शतरज की गोठ बिछाते हैं । इससे भी तो पार्टी में अन्तर्गुटीय प्रतिस्पर्धा में तीव्रता आयी । अतः इन चुनावों ने जहाँ जनता पार्टी के बाह्य प्रभाव का विस्तार किया वही आन्तरिक सघर्षों एव प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप जनता पार्टी विघटनोन्मुख हुई ।

षष्ठम् - अध्याय

जनता पार्टी का पराभव : भाग 1 :

कारण एवं प्रक्रिया

- (I) प्रस्तावना
- (II) जनता पार्टी घटकवाद का प्रभाव : विवाद के विभिन्न मुद्दे
- (III) जनता पार्टी एवं सरकार की प्रकृति : एक संविद व्यवस्था
- (IV) जनता पार्टी के नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षायें एवं
अतालोलुपता : त्रिमूर्ति विवाद
- (V) आलोचनाओं, आक्षेपों एवं दुरभिसन्धियों की राजनीति

जनता पार्टी का पराभव भाग-१ : कारण एवं प्रक्रिया

प्रस्तावना

जनता पार्टी का उदय ऐतिहासिक सकट के सिद्धान्त के आधार पर हुआ था अर्थात् भारतीय राजनीति के इतिहास में आपातस्थिति ने ऐसा सकट उत्पन्न कर दिया था, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों को तानाशाही सत्ता द्वारा कुचल दिया गया था। सकट के इस गहन अधिकार को चीरते हुये जनता पार्टी का उदय, एक राजनीतिक नही बल्कि ऐतिहासिक घटना के रूप में हुआ था। जनता पार्टी ने कांग्रेस के एकाधिकार को चुनौती देकर केन्द्र एवं भारतीय सघ के लगभग आधे राज्यों में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। दलीय गठबधन, विलय और विघटन भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता रही है। इसके पूर्व कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों का 'गठबधन-प्रयोग' असफल रहा था अतः इस बार उन्होने जनता पार्टी के रूप में 'विलय प्रयोग' द्वारा विजय प्राप्त की थी। परन्तु जनता पार्टी कभी भी एक सुदृढ़ पार्टी के रूप में नहीं ऊभर सकी। यह भी मूलतः 'गठबधन प्रयोग' ही था जो समय और परिस्थितियों के दबाव में आकर छिन्न-भिन्न हो गया।

जनता पार्टी की अन्दरूनी कहानी पार्टी के विभिन्न घटकों के मध्य आन्तरिक संघर्ष, गुटीय प्रतिस्पर्धा एवं गम्भीर अन्तर्कलह को उद्घाटित करती है। जनता पार्टी इन सकटों को रोकने में असमर्थ रही और इन्ही कारणों से पार्टी एक 'सशक्त दलीय संगठन' का निर्माण नहीं कर सकी। जनता पार्टी में नये सदस्यों की भर्ती, दलीय संगठन के चुनाव, राज्य सरकारों की राजनीति में शक्ति परीक्षण विभिन्न घटकों की वैचारिक पृष्ठभूमि एवं उससे उपजे गुटीय आर्थिक एवं राजनीतिक हित जनसघ घटक के सदस्यों की 'दोहरी सदस्यता' का प्रश्न, सर्वोच्च सत्ता प्राप्ति के लिये विभिन्न गुटीय नेताओं की चरम स्वार्थपरता एवं 'काति-प्रकरण' आदि मुद्दे जनता पार्टी के विघटन के लिये उत्तरदायी हैं।

यदि जनता पार्टी के पतन एवं विघटन की विवेचना करें तो अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे— विपक्षी दलों की यह 'विलय-प्रयोग' क्यों असफल रहा? जनता पार्टी गुटीय संघर्षों के निवारण की प्रक्रिया का विकास क्यों नहीं कर सकी? क्या विभिन्न घटक दलों की वैचारिक पृष्ठभूमि ही पार्टी के विघटन का मूल कारण थी? क्या इसका पतन राजकीय नीति एवं कार्यक्रमों के कारण हुआ? क्या पार्टी जन-समस्याओं के प्रति पूर्णतः असवेदनशील हो गयी थी? क्या कांग्रेस की दुरभिसन्धि इसके पतन का मूल कारण थी? क्या 'जनता पार्टी की सरकार' मूलतः एक सविद सरकार थी। इन प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' या 'न' में नहीं दिया जा सकता है, इनकी व्याख्या एक गम्भीर विवेचना का विषय है।

सैद्धान्तिक रूप में दल व्यवहार के अध्ययन के दो उपागम या दृष्टिकोण हैं। प्रथम दृष्टिकोण के समर्थक **राबर्ट मिशेल, एम. डुवर्जर** और **सैमुअल इल्डर्सवेल्ड** आदि विद्वान दल के 'आन्तरिक क्रिया-कलाप' को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं क्योंकि इससे 'दल-व्यवहार' के विषय में अन्तर्दृष्टि मिलती है। मिशेल ने अन्तःदलीय प्रक्रिया के अध्ययन के लिये 'गुटतंत्र के लौह नियम' का प्रतिपादन किया, जबकि डुवर्जर ने दल के कार्य व्यापार के विश्लेषण के लिये अपना ध्यान 'आन्तरिक दलीय संगठन' पर केन्द्रित किया। इल्डर्स वेल्ड ने इस उपागम के महत्व का वर्णन

करते हुये कहा है कि, "दल स्वयं अपने आप में राजनीतिक व्यवस्था का 'लघुरूप' है। इसकी एक सत्ता संरचना होती है... इसमें चुनावी व्यवस्था एवं प्रतिनिधि प्रक्रिया भी निहित होती है। साथ ही साथ नेताओं की भर्ती, लक्ष्यों का निर्धारण एवं आन्तरिक व्यवस्था के संघर्षों के निस्तारण की क्षमता भी होती है। अतः मूल रूप से दल एक 'निर्णय-परक व्यवस्था' है।"¹

किसी भी दल की दलीय गत्यात्मकता की वास्तविकता को समझने के लिये उस दल 'आन्तरिक शक्ति संरचना' और नेतृत्व के प्रतिमान का अध्ययन करना उचित है, परन्तु एक मात्र इसी उपागम के आधार पर दल के वास्तविक कार्य व्यापार से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह बात विकासशील देशों के सांक्रातिक समाज के लिये ज्यादा उपयुक्त है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों की दलीय संरचना अस्थायी, गुटीय एवं व्यक्तिमूलक है। आधुनिक समाज की राजनीतिक एवं सामाजिक विशेषताएँ यह माँग करती हैं कि दलीय व्यवस्था को बाह्य एवं सम्पूर्ण सामाजिक पर्यावरण से जोड़कर ही इनकी (दल की) विकास एवं विघटन की समस्याओं का अध्ययन किया जाना चाहिये।²

दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक दलों के 'आन्तरिक क्रिया-कलापों' को राजनीतिक व्यवस्था के सम्पूर्ण बाह्य तत्वों से जोड़कर, दलों के उदय, विलय, विभाजन एवं विघटन की व्याख्या की जानी चाहिये। सारटोरी का कथन सत्य है कि 'दलीय व्यवस्थाएँ, राजनीतिक व्यवस्था को गढ़ती हैं' लेकिन यह भी सत्य है कि दलीय व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था का यह पारस्परिक सम्बन्ध भिन्न-भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में भिन्न-भिन्न स्तर का होता है।

कभी-कभी किसी राजनीतिक व्यवस्था में दलों के उदय एवं अवसान में राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण रूप से हावी रहती है, जबकि यह भी सम्भव है कि किसी अन्य राजनीतिक व्यवस्था में या उसी राजनीतिक व्यवस्था के किसी ऐतिहासिक मोड़ पर दलों के 'आन्तरिक क्रिया-कलाप' ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जनता पार्टी के अध्ययन में यही दृष्टिकोण उभर कर आता है कि जनता पार्टी के उत्थान में राजनीतिक व्यवस्था के 'बाह्य कारकों' का अधिक महत्व रहा है जबकि इसके पतन के लिये जनता पार्टी के आन्तरिक क्रिया-कलाप अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी हैं।

कुछ राजनीतिक चिन्तकों का अभिमत है कि जनता पार्टी विभिन्न घटकों से मिलकर बनी थी अतः इसके घटक दलों की भिन्न-भिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि एवं उससे सम्बन्धित घटकों के वर्गीय हितों के कारण शीर्षस्थ गुटीय नेताओं में मतभेद उत्पन्न हुये, जिन्हें उनकी महत्वाकांक्षाओं ने बढ़ावा दिया और अन्ततोगत्वा जनता पार्टी का पराभव हो गया। जबकि वास्तविकता यह है कि शीर्षस्थ गुटीय नेताओं की सर्वोच्च सत्ता प्राप्ति की महत्वाकांक्षाओं एवं निहित स्वार्थों ने आपसी शक्ति संघर्ष का बढ़ावा दिया एवं उन्होंने अपने वर्गीय हितों एवं वैचारिक पृष्ठभूमि को उपकरण

1 सैगुअल जे इल्डर्सवैल्ड पोलिटिकल पार्टीज ए विहोअरल एनालिसिस ऐण्ड मैकनैले, 1964 पृ 1। देखें - जी सारटोरी, "फ्राम दि सोशलओलॉजी ऑफ पोलिटिक्स टु पोलिटिकल सोशलओलॉजी" एस एम लिप्सेट (सम्पादित) पोलिटिक्स एण्ड सोशल साइसेज, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 1969, पृ 78-79।

2 देखें डेविड एटर "दि पोलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन" शिकागो, 1965; विस्तृत अध्ययन के लिये देखें सेमुअल पी. हटिंग्टन "पोलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसायटीज", येल् यूनीवर्सिटी प्रेस, 1968, ग्रेबियन-आमड ऐंड जेम्स कोलमैन (सम्पादित) "दि पोलिटिक्स ऑफ डेवेलपिंग एरियाज" प्रिंस्टन, प्रिंसटन यूनीवर्सिटी प्रेस, 1960, बरिंगटन मूर "सोशल ओरिजन ऑफ डिक्टेटरशिप ऐंड डेमोक्रेसी," बोस्टन, 1966।

के रूप में प्रयोग किया। इस अभिमत के प्रकाश में जनता पार्टी की अन्दरूनी कहानी को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़कर देखने का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि पार्टी के पराभव एवं व्यवहार की सम्पूर्ण वास्तविकता की व्याख्या हो सके।

जनता पार्टी के पतन के सदर्थ में एक अन्य तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस पार्टी के उद्भव में जनसाधारण का भरपूर योगदान था क्योंकि इसका वास्तविक गठन मार्च 1977 के लोकसभा के चुनाव में (जनता) पार्टी की विजय के बाद ही हुआ था। जबकि इसके पराभव में जनसाधारण की सक्रिय या निष्क्रिय किसी प्रकार की भागीदारी नहीं थी। जनता पार्टी का पराभव इसकी अलोकतांत्रिक या जन-विरोधी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कारण नहीं हुआ, बल्कि यह स्वयं अपने अन्तर्विरोधों का शिकार हो गयी। जनवरी 1980 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस (इ०) की अप्रत्याशित जीत हुयी और जनता पार्टी परास्त हुयी। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस लोकसभा चुनाव के पूर्व ही 'मूल जनता पार्टी' का विघटन हो गया था। अतः मतदाताओं ने उस जनता पार्टी को नहीं हराया जिसे उन्होंने मार्च 1977 में विजयी बनाकर लोकसभा में भेजा था। इस हार के बाद जनता पार्टी का पुनः विभाजन हुआ और शनैः-शनैः यह अनेक घटकों में बँट गयी।

जनता पार्टी में विचारवाद का प्रभाव : विचारों के विभिन्न मुद्दे

जनता पार्टी के पराभव के लिये उत्तरदायी अनेक कारणों में एक प्रमुख कारण गुटीय प्रतिद्वन्द्विता थी। जनता पार्टी अपनी गर्भावधि से लेकर अपने विकास एवं प्रायोगिक काल तक के किसी भी समयान्तराल में इस प्रतिद्वन्द्विता से ऊपर नहीं उठ सकी। प्रारम्भ से ही जब विपक्षी एकता के प्रयास जारी थे, उस समय नव गठित 'दल के स्वरूप' को लेकर काफी तनातनी थी। जनवरी 1977 में लोकसभा चुनाव भी घोषणा के बाद सभी घटक विलय के लिये राजी हुये परन्तु मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव एवं प्रधानमंत्री के चयन में यह गुटीय प्रतिद्वन्द्विता हावी रही। अतः पार्टी जिन घटक दलों से मिलकर बनी थी वे कभी भी पार्टी के 'एकीकृत दलीय व्यक्तित्व' में अपनी गुटीय पहचान का निरसन नहीं कर सके। यह जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता और कमी थी।

इसके अलावा समय-समय पर अनेक कारणों एवं परिस्थितियों ने इस गुटीय प्रतिद्वन्द्विता को प्रोत्साहित किया। जैसे— विभिन्न घटकों की वैचारिक पृष्ठभूमि, पूर्व जनसंघ के सदस्यों की 'दोहरी सदस्यता' का प्रश्न, घटक-दलों के आर्थिक हितों में संघर्ष, पार्टी में नये सदस्यों की भर्ती का अभियान एवं दलीय सगठन के चुनाव की माँग, राज्यों के विधान सभाओं के चुनाव एवं राज्यों की राजनीति में शांति परीक्षण आदि।

जनता पार्टी के घटक-दलों की वैचारिक पृष्ठभूमि

कहा जाता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल हैं परन्तु दलीय व्यवस्था का अभाव है। इस कथन के पीछे यह तर्क है कि इस देश में छोटे-बड़े अनेक राजनीतिक दल हैं परन्तु दलों के निश्चित राजनीतिक व्यवहार एवं सिद्धान्त के प्रति जनसाधारण का भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक लगाव नहीं है। अनेक पश्चिमी विकसित देशों में दलों के निश्चित राजनीति व्यवहार दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे— ब्रिटिश दलीय व्यवस्था में अनुदार दल एवं मजदूर दल के मत लगभग निश्चित होते हैं, जबकि अप्रतिबद्ध मतों का रुझान ही दलों की विजय सुनिश्चित करता है। ब्रिटेन में दो-दलीय व्यवस्था है और दोनो दल वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। अमेरिका में भी दो दलीय व्यवस्था है, परन्तु वहाँ दलों की कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। अमेरिका के दोनो दलों— रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियाँ एवं कार्यक्रम लगभग समान हैं, फिर भी वहाँ दो दलीय व्यवस्था स्थायी रूप से बनी हुई है।

भारत में इस प्रकार की दलीय व्यवस्था का अभाव है, यहाँ अधिकांश राजनीतिक दल 'व्यक्तिमूलक' हैं, इसलिये दलीय व्यवस्था में स्थायित्व का अभाव रहा है। दूसरी ओर भारत की विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति में वही दल सफल रहे हैं, जिन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न विश्वासों, गुटों एवं विचारों को समायोजित करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिये स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद कांग्रेस दल ने नेतृत्व की विरासत को स्वीकार किया। इसने क्षेत्रीय एवं वर्गीय हितों को एक साथ आत्मसात किया एवं इसका कार्यक्रम पर्याप्त उदारवादी एवं लचीला था, परिणामस्वरूप यह विभिन्न वर्गों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं से उत्पन्न विभिन्न हितों को समायोजित कर सका। इसने कभी भी विचारधारा की दृष्टि से अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया। कांग्रेस के कार्यक्रमों में देहाती एवं नगरीय हितों, कुटीर एवं बड़े उद्योगों तथा कृषि एवं औद्योगिक हितों को शामिल किया गया। कांग्रेस पार्टी विभिन्न हितों, कार्यक्रमों एवं दृष्टिकोणों को समायोजित करने में सफल रही। यही समायोजन ही इसकी सफलता का मूल कारण रहा है, जबकि जनता पार्टी इन्हीं हितों एवं दृष्टिकोणों का समायोजन करने में असफल रही।

ऐतिहासिक उत्पत्ति की दृष्टि से भी कांग्रेस की प्रकृति, जनता पार्टी से भिन्न थी। कांग्रेस के अन्दर से समय-समय पर विभिन्न राजनीतिक विचारों एवं गुटों का प्रादुर्भाव हुआ, जबकि जनता पार्टी का उदय विभिन्न राजनीतिक गुटों के सम्मिलन से हुआ, परन्तु दोनों दलों की मूल समस्या विभिन्न राजनीतिक गुटों एवं हितों के समायोजन की थी। जनता पार्टी का गठन वैचारिक एवं गैर-वैचारिक राजनीतिक दलों से मिलकर हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनसंघ वैचारिक पृष्ठभूमि के राजनीतिक दल थे, जबकि भारतीय लोकदल, सगठन कांग्रेस एवं लोकतंत्रीय कांग्रेस (सी० एफ०डी०) गैर-वैचारिक राजनीतिक दल थे। वैसे इन गैर-वैचारिक दलों में भी कुछ वैचारिक तत्व शामिल थे जैसे- भारतीय लोकदल का रुझान समाजवाद की ओर एवं सगठन कांग्रेस का गाँधीवाद की ओर था। इन्हीं वैचारिक तत्वों के कारण जनता पार्टी में 'समागी एकता' (Homo genous Unity) की समस्या उत्पन्न हुयी थी, जबकि गैर वैचारिक दल मूलतः व्यक्तिमूलक थे जिनके विशिष्ट गुटीय एवं वर्गीय हित थे।

जनता पार्टी का मुख्य कार्य इन विचारधाराओं एवं वर्गीय हितों में सामंजस्य स्थापित करना था, क्योंकि "जनता पार्टी का भविष्य इस तथ्य पर निर्भर था कि इसके विभिन्न घटक-दल किस सीमा तक अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं से मुक्त हो पाते हैं।"¹ जनता पार्टी में असमझौतावादी व्यक्तित्व एवं विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिये था। जनता पार्टी का उदय एक महान राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक था, यह परिवर्तन गुटीय नेताओं की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन की माँग करता था।

यदि जनता पार्टी के कतिपय घटक-समाजवादी या जनसंघी-अपने पूर्व तौर तरीके से कार्य करते तो पार्टी में एकीकरण की प्रक्रिया ही आरम्भ न होती। अगर कतिपय घटकों ने अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को वृहद प्रजातांत्रिक मूल्यों की परम्परा में न देखा होता तो जनता पार्टी का प्रादुर्भाव असंभव था क्योंकि वामपंथी रुझान के समाजवादी और दक्षिणपंथी रुझान के जनसंघी एक मंच में शामिल नहीं हो सकते थे। जनता पार्टी मूलतः वामपंथी एवं दक्षिणपंथी विचारों से परे स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय के प्रजातांत्रिक एवं गाँधीवादी मूल्यों के प्रति समर्पित थी, जिससे सभी घटक दल सहमत थे। उल्लेखनीय है कि जनता पार्टी में कटु मतभेदों का प्रारम्भ पूर्व समाजवादी पार्टी एवं पूर्व जनसंघ के मध्य नहीं हुआ, बल्कि व्यक्तिगत रूप से श्री चरण सिंह और श्री मोरार जी देसाई एवं श्री चन्द्रशेखर के मध्य प्रारम्भ हुआ। ये तीनों नेतागण किसी भी वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध घटक के सदस्य नहीं थे। यह मूलतः सर्वोच्च सत्ता के लिये संघर्ष था।

घटकों के मध्य बढ़ती प्रतिद्वन्द्विता और जनता पार्टी के विघटन के लिये मूलतः दो सदस्यों में गुटों की वैचारिक पृष्ठभूमि को दुहाई दी जाती है-

प्रथम- भारतीय लोकदल और सगठन कांग्रेस एवं जनसंघ के बीच बढ़ती हुई खाई मूलतः इन गुटों की विचारधारा एवं उससे सम्बन्धित आर्थिक हितों के कारण थी।

द्वितीय- पूर्व जनसंघ घटक के विरुद्ध 'दोहरी सदस्यता' का मुद्दा भारतीय लोकदल एवं समाजवादी घटकों ने उठाया था। यह मूलतः प्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी विचारों की टकराहट का परिणाम था।

1 जे० ए० नैयक दि ग्रेट जनता रिवोल्यूशन, पूर्वोक्त, पृ 108।

इन दोनों सन्दर्भों की सम्यक विवेचना की आवश्यकता है।

1. गुटीय आर्थिक हितों का मुद्दा

प्रथम सदर्थ की विवेचना करते हुये कहा जा सकता है कि यह सत्य है कि जनता पार्टी के विभिन्न घटक, विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के थे। भारतीय लोकदल को मध्यवर्ती जाति एवं धनी किसानों की पार्टी कहा जाता था, जबकि जनसघ दुकानदारों एवं शहरी व्यापारियों के हितों की सुरक्षा करती है और सगठन कांग्रेस पूँजीपतियों के हितों को वरीयता देती थी। इसके बावजूद जनता पार्टी के ढाई वर्षों के जीवन काल में कोई ऐसा आर्थिक मुद्दा नहीं आया जिसमें इन घटकों के मध्य वैमनश्यता या मत विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई हो। ये तीनों घटकों (जिन्हें आर्थिक गुट कहना समीचीन नहीं है) में से किसी ने कभी भी ऐसा कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत किया जिससे दूसरे घटक का अस्तित्व सकट में पड़ जाय। वास्तव में इन घटकों के आर्थिक हितों में कोई मौलिक भेद नहीं था, एवं सभी गुट धनी वर्गों के हितों की ही रक्षा कर रहे थे।

भारत में सत्ता का दावा करने वाले सभी राजनीतिक दल बुर्जुआ और धनी ग्रामीण वर्गों के गठबन्धन को ही प्रतिबिम्बित करते हैं। इन दलों के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का प्रारूप ऐसा होता है इससे दोनों धनी वर्गों (शहरी एवं ग्रामीण) को लाभ पहुँचे। भारत के पूँजीवादी विकास से औद्योगिक विकास की ऐसी अधिसरचना का निर्माण हुआ, जिससे कृषि उत्पादन को भी लाभ पहुँचा। उर्वरकों पर आधारित नयी कृषि नीति एवं नवीन जैव-प्रौद्योगिकी से धनी कृषकों को भरपूर लाभ पहुँचा। भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति, औद्योगिक विकास एवं जैव तकनीक का ही परिणाम है। इससे एक ओर तो पूँजीवाद का विकास हुआ तो दूसरी ओर केवल जमींदारों एवं बड़े किसानों को लाभ पहुँचा। इसका वास्तविक लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के चुने हुये क्षेत्रों एवं व्यक्तियों तक ही सीमित रहा। अतः भारतीय लोकदल, सगठन कांग्रेस एवं जनसघ के आर्थिक हितों को एक-दूसरे के विरोधाभासी रूप में देखना समीचीन नहीं होगा।

अपने प्रारम्भिक काल में श्री चरणसिंह ने श्री जवाहर लाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गाँधी की आर्थिक नीतियों को यह कहकर आलोचना की कि इससे ग्रामीण वर्गों को नहीं वरन् शहरी पूँजीपति वर्ग को लाभ पहुँचा है। इस कारण इनकी छवि एक कृषक नेता की बन गयी थी। इस छवि के बावजूद जनता पार्टी में उनके द्वारा उठाये गये मुद्दे अपने गुट के आर्थिक हितों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित थे। जनता पार्टी के सगठन के चुनाव का प्रकरण, क्रांति प्रकरण, श्रीमती इंदिरा गाँधी की गिरफ्तारी का प्रकरण आदि ऐसे मुद्दे थे, जिसे उन्होंने समय-समय पर विचारों एवं सिद्धान्तों का जामा पहनाने का प्रयास किया।

इस सदर्थ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि अगर चौधरी चरण सिंह द्वारा उठाये गये विवादास्पद मुद्दे भारतीय लोकदल के आर्थिक हितों से प्रेरित थे तो उन्हें पूरे गुट का समर्थन मिलना चाहिये था, परन्तु वास्तुस्थिति इससे विपरीत थी। 29 अप्रैल, 1978 को श्री चरण सिंह ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं ससदीय बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया तो “उनके तीनों वफादार मुख्यमंत्रियों – श्री देवी लाल, श्री राम नरेश यादव एवं श्री कर्पूरी ठाकुर – ने दबे जुबान से इसका समर्थन किया। श्री बीजू पटनायक के निकटवर्ती सूत्रों का कहना है कि भारतीय लोकदल घटक के मंत्रियों

ने कभी भी खुलकर श्री चरण सिंह की माँग का समर्थन नहीं किया और न ही त्यागपत्र देने की पेशकश की।¹ केवल कुछ मंत्री जैसे श्री राजनारायण अपनी विशिष्ट विध्वंसक, शैली में श्री चरण सिंह का साथ दे रहे थे। अतः यह कहना कि वैचारिक पृष्ठभूमि या आर्थिक हितों के कारण गुटीय प्रतिद्वन्द्विता प्रारम्भ हुयी, सत्य को दुरूह करना है, गुटीय प्रतिद्वन्द्विता का मूल कारण व्यक्तिगत स्वार्थ एवं महत्वाकांक्षायें ही थीं।

2. दोहरी सदस्यता का मुद्दा

पूर्व जनसघी नेताओं की 'दोहरी सदस्यता' का प्रश्न भी उन ज्वलन्त विवादों में एक था, जिसके कारण पार्टी में गुटीय प्रतिद्वन्द्विता में वृद्धि हुई। पूर्व जनसघी नेताओं में अधिकांशतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, अतः भारतीय लोकदल एवं समाजवादी घटक ने इस (दोहरी सदस्यता) पर आपत्ति की और इस मुद्दे की सैद्धान्तिक एवं वैचारिक मतभेद के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब देखना यह है कि 'दोहरी सदस्यता' का प्रश्न क्या वास्तव में वैचारिक एवं सैद्धान्तिक मापदण्डों पर आधारित था?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका उद्देश्य नवयुवकों को अनुशासित कर के उनका चरित्र निर्माण करना है जिससे वे समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपना समुचित योगदान दे सकें। यह एक गैर-राजनीतिक संगठन है एवं पूर्व-जनसघ के नेतागण इसके सदस्य थे। यह कोई अनहोनी बात नहीं थी। एक साधारण नागरिक किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने के साथ-साथ अनेकों संस्थाओं एवं समुदायों से अपना सम्बन्ध रखता है जैसे कोई आर्य समाज या अन्य किसी सांस्कृतिक या धार्मिक संगठन का सदस्य है। इससे उसकी उस राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा को सदिग्ध नहीं माना जाना चाहिये और न ही इस आधार पर 'दोहरी सदस्यता' का प्रश्न उठाया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राजनीतिक दल नहीं है। अतः इस आधार पर जनता पार्टी के किसी सदस्य की निष्ठा पर सन्देह करना उचित नहीं था कि वह आर० एस० एस० का भी सदस्य है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व जनसघ एवं आर० एस० एस० के सम्बन्ध जनता पार्टी के गठन के बाद नहीं बने थे। जब पहले ही पार्टी के सभी घटक दल जनसघ एवं आर० एस० एस० के सम्बन्धों को मान्यता दे चुके थे तो फिर ऐसे कौन से कारण थे जिससे बी० एल० डी० एवं समाजवादी गुटों के नेताओं ने 'दोहरी सदस्यता एवं आर० एस० एस० का हौवा खड़ा कर दिया। इन लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थों, महत्वाकांक्षाओं, एवं सत्ता संघर्ष को सिद्धान्तों एवं आदर्शों से जोड़कर जनता पार्टी के धर्म निरपेक्ष स्वरूप के बारे में विवाद खड़ा किया। इन लोगों की प्रतिबद्धतायें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही हैं। भारतीय लोक दल का जनसघ एवं आर० एस० एस० के प्रति ऐसा ही व्यवहार था। "आरम्भ में ये तत्त्व भूतपूर्व जनसघ को साथ मिलाने को उत्सुक थे परन्तु बाद में वे इस गुट के कट्टर शत्रु बन गये। पूर्ण आत्मसमर्पण से पूर्ण विरोध के दायरे में चले जाना उन्हीं लोगों के लिये सम्भव है जिनमें अपना उद्देश्य सिद्ध करने की असाधारण क्षमता और अवसर के अनुकूल बदलने की अपूर्व योग्यता होती है।"²

1 एस० के० घोष "दि विट्रियल" पूर्वोक्त पृ० 172

2 चन्द्रशेखर 'जनता पार्टी के साथ विश्वासघात' (लेख) "सिद्धान्त या अवसरवादिता" जनता पार्टी प्रकाशन, अगस्त 1979, पृ० 6-7।

श्री चरणसिंह का जनसघ के प्रति दृष्टिकोण उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर निर्धारित हो रहा था। जब जनता पार्टी के गठन की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय उन्होंने जनसघ से विलय के लिये आग्रह करते हुये कहा था कि आर० एस० एस० एक राष्ट्रवादी सगठन है, जिसने आपातकाल में ऐतिहासिक कार्य किया था। इसके आलावा उन्होंने आर० एस० एस० प्रमुख श्री बाला साहेब देवरस से आग्रह किया था कि जनसघ को विलय के लिये राजी होने में सक्रिय योगदान दे।¹ प्रधानमंत्री के चयन में श्री चरणसिंह को विश्वास था कि जनसघ गुट उनका साथ देगा, परन्तु जब जनसघ गुट ने श्री मोरार जी का समर्थन किया, तो जनसघ के प्रति चरणसिंह के मन में गोंठ पड़ गयी।

सन् 1977-78 में राज्यों के विधान सभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में जनता सरकार बनी वहाँ भारतीय लोकदल एव जनसघ घटक ही सत्ता के वास्तविक भागीदार थे। राज्यों की राजनीति में कुछ उठा पटक के बावजूद इस काल में भारतीय लोकदल एव जनसघ घटक के सम्बन्ध लगभग ठीक रहे। यही कारण था कि जब श्री चरणसिंह ने जनता सरकार से त्यागपत्र दे दिया तो मुख्यतः जनसघी नेताओं ने ही अभिमान चलाकर श्री मोरार जी देसाई पर दबाव डाला कि वे श्री चरणसिंह को पुनः मन्त्रिमण्डल में शामिल कर ले। इसके परिणाम स्वरूप श्री चरणसिंह को उपप्रधानमंत्री के रूप में मन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया, परन्तु वे जनसघ के प्रति अपनी कड़वाहट भूल नहीं सके।

सन् 1978-79 की कहानी अलग है। इस काल में नवीन राजनीतिक समीकरणों के तहत भारतीय लोकदल और जनसघ गुट के मध्य दूरिया बढ़ी और राज्यों की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिये घटकों के मध्य (मूल रूप से भारतीय लोकदल एव जनसघ के बीच) शक्ति संघर्ष चरम पर पहुँच गया, जिसमें कहीं भी सिद्धान्तों का नामोनिशान नहीं था। इसके लिये एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। जब श्री चरणसिंह सरकार के बाहर थे तो उनके समर्थकों ने यह सार्वजनिक दलील दी थी कि “अगर प्रधानमंत्री को मन्त्रिमण्डल के सहयोगियों को चुनने का विशेषाधिकार दिया गया तो पार्टी की एकता खतरे में पड़ जायेगी।”² जिस दिन श्री चरणसिंह मन्त्रिमण्डल में शामिल हुये, उसके दूसरे दिन उनके गुट के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मन्त्रिमण्डल से चार मन्त्रियों को हटा दिया। इसमें दो पूर्व जनसघ गुट के थे। जब इस पर आपत्ति की गयी तो उन्हीं समर्थकों ने कहा कि “अपने मन्त्रिमण्डल में मन्त्रियों को चुनना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। बी० एल० डी० गुट के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने सार्वजनिक रूप से ऐसी कलाबाजी और मौकापरखी का प्रदर्शन किया, जिसका औचित्य सिद्ध करना कठिन है।”³

उत्तर प्रदेश के प्रकरण की जनसघ गुट में तीव्र-प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री राम नरेश यादव के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। तदुपरान्त शक्ति परीक्षण में श्री राम नरेश यादव हार गये और उनके स्थान पर श्री बनारसी दास मुख्यमंत्री बने। वे भारतीय लोकदल के नहीं थे, परन्तु उन्हें भारतीय लोकदल का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने भी ‘दोहरी सदस्यता’ का प्रश्न उठा दिया और कहा कि जब तक यह प्रकरण सुलझ नहीं जाता, जनसघ गुट के किसी मन्त्री को मन्त्रिमण्डल में शामिल नहीं किया जायेगा। इसके बाद बी० एल० डी० और जनसघ गुट के बीच गाली गलौच का लम्बा सिलसिला प्रारम्भ हुआ जिसका सीधा प्रभाव बिहार और हरियाणा राज्यों पर पड़ा। इन राज्यों में

1 एल० के० अडवानी “दि पीपुल बिट्टेयड”, विजन बुक प्रा० लि०, दिल्ली, 1979, पृ० 85।

2 चन्द्रशेखर ‘जनता पार्टी के साथ विश्वासघात’ (लेख), “सिद्धान्त या अवसरवादिता”, पूर्वोक्त, पृ० 5।

3 वही, पृ० 6।

जनसघ गुट के विरोध के कारण बी० एल० डी० गुट के मुख्यमन्त्री हटा दिये गये । अतः बी० एल० डी० गुट द्वारा उठाया गया 'दोहरी सदस्यता का प्रकरण' शक्ति सघर्ष से प्रेरित था, वैचारिक प्रतिबद्धताओं से नहीं ।

जनता पार्टी के समाजवादी गुट ने भी 'दोहरी सदस्यता' का मुद्दा उठाया था । इसी गुट के श्री मधुलिमिये द्वारा उठाया गया यह मुद्दा वैचारिक नहीं बल्कि शक्ति सघर्ष से प्रेरित थी । श्री मधुलिमिये ने प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई से जोरदार आग्रह किया था कि वे श्री चरणसिंह एवं पूर्व समाजवादी श्री राजनारायण को पुनः मन्त्रिमण्डल में शामिल कर ले । प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने श्री चरणसिंह को उपप्रधानमन्त्री के रूप में कैबिनेट में वापस ले लिया जबकि श्री राजनारायण को वापस लेने से इन्कार कर दिया । श्री मधुलिमिये ने महसूस किया कि श्री मोरार जी देसाई जनसघ गुट के साथ मिलकर समाजवादी गुट को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं । 'अतः उन्होंने जनसघ एवं श्री मोरार जी को कमजोर करने के लिये क्रमशः 'दोहरी सदस्यता' एवं 'काति देसाई के विरुद्ध भ्रष्टाचार' के मुद्दे को तूल दिया । बाद में श्री मधुलिमिये ने स्वयं श्री राम जेठ मलानी के एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया कि दोहरी सदस्यता का प्रश्न सैद्धान्तिक न होकर सत्ता सघर्ष से प्रेरित था ।'¹

जनता पार्टी में शामिल होकर काम करने वाले जनसघ गुट के भूतपूर्व नेताओं के 'रूख और व्यवहार' का मूल्यांकन उसके पिछले व्यवहार से नहीं बल्कि जनता पार्टी में काम करने के ढंग से करना चाहिये । कारण चाहे जो रहे हों परन्तु जनता पार्टी में जनसघ गुट के व्यवहार में पूर्व व्यवहार से काफी बदलाव आया था । "यह कोई अत्युक्ति नहीं है कि इस गुट के चोटी के नेता सगठनात्मक एवं प्रशासनिक विवादों में सबसे अधिक समझौतावादी थे और प्रमुख नीति सम्बन्धी मामलों में उनके रूख में स्पष्ट परिवर्तन था ।"² सगठित एवं अनुशासित सस्था के रूप में यह गुट केन्द्र एवं राज्यों की राजनीति में ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ । इससे बी० एल० डी० के प्रभाव को धक्का पहुँचा, अतः उनकी जनसघ गुट के प्रति प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी । उन्होंने आर० एस० एस० के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों के कारण जनसघ को साम्प्रदायिक कहा गया । इससे कुछ दोष जनसघ के अत्युत्साही कार्यकर्ताओं का भी था जिन्होंने जनता पार्टी को आर० एस० एस० के दर्शन एवं विचारों को प्रचार करने के मंच के रूप में बदलने का अबुद्धिमता पूर्ण प्रयास किया । इससे अन्य गुटों का भय और बढ़ गया, परन्तु पुनः उनके भय का मूल कारण जनसघ की वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं बल्कि सत्ता में बढ़ती हुई भागीदारी थी ।

ऐसी स्थिति में आर० एस० एस० के नेताओं ने बुद्धिमानी से काम लिया और स्पष्ट कर दिया कि वे इस बात को मानने को राजी हैं कि जनता पार्टी का कोई सासद, विधायक या पदाधिकारी आर० एस० एस० की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा ।³ यह पहल स्वागत योग्य थी परन्तु इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । प्रतिद्वन्दी गुटों ने आर० एस० एस० को मुख्य रूप से एक साम्प्रदायिक सगठन के रूप में प्रचारित किया । जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर **जार्ज मैथ्यू** ने अपने एक शोध लेख में स्पष्ट किया है कि 'मार्च 1977 के लोक सभा चुनाव में धर्म एवं

1 शोधकर्ता की श्री सुरेन्द्र मोहन (जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव) के साथ हुई भेंट वार्ता का अंश, मऊ (बॉदा), नवम्बर 27, 1994 ।

2 चन्द्रशेखर "सिद्धान्त एवं अवसरवादिता", पूर्वोक्त, पृ० 6 ।

3 राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के महामन्त्री, श्री राजेन्द्र सिंह का वक्तव्य जुलाई 24], 1979, उद्धृत - एल० के० अडवानी, पूर्वोक्त, परिशिष्ट VI, पृष्ठ 148-149 ।

साम्प्रदायिक शक्तियों की भूमिका नगण्य थी जबकि इस चुनाव में जनसघ एव आर० एस० एस० सक्रिय रूप से शामिल थे।¹ प्रसिद्ध समाजवादी विचारक अच्युत पटवर्धन ने अपने एक लेख में कहा है कि 'पहले मैं आर० एस० एस० का आलोचक था परन्तु अब महसूस करता हूँ कि वर्तमान समय में इसमें बहुत परिवर्तन आया है। इससे 'हिन्दू राष्ट्र' की जगह 'भारतीय राष्ट्र' को अपना लिया है और परमाणु नीति सम्बन्धी इसके विचार भी उदारवादी हुये हैं। इन परिस्थितियों में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि श्री राजनारायण एव श्री मधुलिमि ए आर० एस० एस० का क्यो विरोध कर रहे हैं?'²

इन तर्कों का तात्पर्य यह नहीं है कि जनसघ एव आर० एस० एस० ने अपने वैचारिक मापदण्डों का परित्याग कर दिया था, अपितु मूल प्रश्न यह है कि जनसघ की वैचारिक प्रतिबद्धता से ऐसा कोई नया सकट उत्पन्न नहीं किया जिससे जनता पार्टी का अस्तित्व सकट में पड़ जाय। जहाँ तक सत्ता सघर्ष का प्रश्न है, जनसघ गुट भी अत्यन्त कूटनीति से अपनी राजनीतिक चाले चलता रहा। जनता पार्टी के विघटन में जनसघ गुट की भी भूमिका रही थी, परन्तु इस विघटन के मूल में सत्ता सघर्ष था, वैचारिक मतभेद नहीं। वास्तव में कठोर वैचारिक प्रतिबद्धता तो कही थी ही नहीं यहाँ तक कि जनसघ एव आर० एस० एस० की कट्टरवादिता में सशोधन और शिथिलता दृष्टिगोचर होने लगी थी।

राजनीतिक स्वार्थों एव महत्वाकांक्षाओं को 'धर्म निरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता' तथा 'कुलक बनाम बुर्जुआ' जैसे उच्चादशों एव सिद्धान्तों का जामा केवल सत्ता सघर्ष के औचित्य को सिद्ध करने के लिये पहनाया गया था। यह बात समझ से परे है कि जनता पार्टी के गठन से लेकर उस दिन तक जनसघ एव आर० एस० एस० ने ऐसा क्या किया था जिससे राजनारायण एव मधुलिमि ए इसके कटु आलोचक बन गये। बड़े आश्चर्य की बात है कि वित्तमन्त्री होते हुये श्री चरणसिंह ने सरकार पर आर्थिक मोचे पर विफलता का आरोप लगाया। "जिस दिन से जनता पार्टी सत्ता में आयी उस दिन से उस क्षण तक जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का निश्चय किया, किसी समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी या पार्टी के किसी अन्य मंच को यह सूचना नहीं दी कि जन सघ या कोई अन्य घटक उन्हें घोषणा पत्र में निर्धारित आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन से रोकता है।"³ सर्वथा अनुचित आचरण का औचित्य सिद्ध करने के लिए आदर्शवाद का मुखौटा लगाना बाद का विचार है। यह एक ऐसा विचित्र व्यवहार है जो न तो सार्वजनिक जीवन के किसी उच्च आचरण के अनुरूप है और न ही किसी राजनीतिक सिद्धान्त के अनुकूल है।

दलीय संगठन से सम्बन्धित विवाद

जनता पार्टी ने केन्द्र एव अनेक राज्यों में अपनी सरकार बनाकर कांग्रेस को गम्भीर चुनौती दी थी, वह कांग्रेस के 'राष्ट्रीय विकल्प' के रूप में उभरना चाहती थी, जो बिना 'सशक्त दलीय संगठन' के सम्भव नहीं था। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपने संगठन के माध्यम से लोगों को व्यापक जन सह भागिता के लिये प्रेरित करते हैं। आधुनिक राजनीतिक दल अपने पूर्ववर्ती दलों से इस आधार पर भिन्न होते हैं कि वे अपने सशक्त नेताओं के माध्यम

* 1 देखे, जार्ज मथ्य का लेख "रलीजन, पॉलिटिक्स ऐण्ड 1977 लोक सभा इलेक्शन इन इण्डिया", एशिया क्वार्टर्ली, जनवरी-मार्च 1977।

2 देखे - अच्युत पटवर्धन, "जनता, आर० एस० एस० ऐण्ड दि नेशन", दि इण्डियन एक्सप्रेस जून 9, 1979।

3 चन्द्रशेखर "सिद्धान्त एव अवसरवादिता", पूर्वोक्त, पृ० 2।

से नही बल्कि सशक्त सगठन के माध्यम से सरकार की निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित करते हैं।¹

एक उदारवादी प्रजातान्त्रिक सरकार चुनौती और विरोध भरे वातावरण में कार्य करती है, जिसके लिये उसे एक सगठन की आवश्यकता होती है। इसी सगठन के माध्यम से राजनीतिक दल सरकार की नीतियों का समर्थन या विरोध करके अपने पक्ष में जनमत तैयार करते हैं। राष्ट्रीय स्तर से ब्लाक स्तर सगठन की शाखाओं का विस्तार करना सफल एवं शक्तिशाली दल का कार्य है। जनता पार्टी सशक्त 'दलीय सगठन' बनाकर अपनी जीत को वास्तविक स्वरूप प्रदान करना चाहती थी, परन्तु इसकी प्रकृति एवं विशिष्टताओं को देखते हुये यह अत्यन्त कठिन कार्य था। इसके लिये पहला कार्य दल के 'स्वरूप एवं सविधान' के विषय में सामान्य एवं व्यापक सहमति थी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सामान्यतः राजनीतिक दलों के सगठन के दो प्रतिमान प्रचलित हैं--

(1) प्रथम प्रतिमान का प्रतीक कांग्रेस दल है, जो खुली सदस्यता, ढीले दलीय अनुशासन एवं सघीय व्यवस्था के सिद्धान्तों पर आधारित है। ऐसा दल अनेक विचार धाराओं, समुदायों एवं सगठन की भावनाओं एवं हितों को समाहित एवं समायोजित करता है। भारत में अधिकांश दलों का यही प्रतिमान है।

(2) द्वितीय प्रतिमान के प्रतीक जनसघ एवं साम्यवादी दल है। यह वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध, अनुशासित सवर्ग के व्यक्तियों का, अत्यन्त केन्द्रीकृत एवं पद-सोपान पर आधारित 'दलीय सगठन' है।

जनता पार्टी पाँच घटक दलों में मिलकर बनी थी। अतः स्वाभाविक एवं व्यवहारिक रूप से उसने कांग्रेस का प्रतिमान अपनाया और उसी के अनुसार अपने सविधान का निर्माण किया। जनता पार्टी ने अपने सविधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविधान से बहुत कुछ उधार लिया है।²

1 मई 1977 को जनता पार्टी औपचारिक रूप से अस्तित्व में आयी। विभिन्न गुटों की सहमति के आधार पर श्री चन्द्रशेखर को जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष पद ग्रहण करते हुये श्री चन्द्रशेखर ने कहा था, "जनता पार्टी के सभी पूर्व घटकों का एकीकरण मेरी प्रथम वरीयता होगी।"³ दलीय एकता के सन्दर्भ में सभी नेताओं ने पवित्र वचन कहे, परन्तु सगठन की विभिन्न समितियों के गठन में घटकों की गुटीय शक्ति को वरीयता प्रदान की गयी। इस बात को स्वयं पार्टी अध्यक्ष ने स्वीकार करते हुये कहा कि "यह दावा करना असत्य होगा कि पार्टी की कार्य समिति में प्रतिनिधित्व के सन्दर्भ में विभिन्न दलों की तुलनात्मक शक्ति का ध्यान नहीं रखा गया।"⁴

सन् 1977-1979 के बीच दलीय सगठन सम्बन्धी गतिविधियों से पता चलता है कि दलीय एकता का भाव सतही था और पार्टी में जबरदस्त अतर्कलह विद्यमान थी। पार्टी का प्रत्येक घटक दलीय सगठन में अपना प्रभाव

-
- 1 देखें एम। आस्ट्रोगोस्की "डेमाक्रेसी एण्ड आगेनाइजेशन आफ पोलिटिकल पार्टीज" (एफ। क्लार्क, अनु।) मैकमिलन, 1902।
 - 2 सी। पी। भण्भरी 'दि जनता पार्टी ए प्रोफाइल', पूर्वोक्त, पृ० 48, जुलाई 11, 1969 को बंगलौर सत्र में सशोधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविधान से साम्य।
 - 3 दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, मई 3, 1977।
 - 4 दि हिन्दू, मद्रास, मई 4, 1977।

जमाने के लिये अन्य घटकों के साथ सघर्षरत था। जनता पार्टी के शिखरस्थ नेताओं की सहमति से मई 1977 में एक तदर्थ कार्य समिति का, एक वर्ष, या जब तक नये पदाधिकारियों का चुनाव न हो, के लिये गठन किया गया था। तदर्थ पदाधिकारी 28 महीने तक कार्य करते रहे क्योंकि जनता पार्टी में नये सदस्यों की भर्ती के मुद्दे एव सगठन के चुनाव कराने के विषय में विभिन्न घटकों में मतभेद बने रहे।

नये सदस्यों की भर्ती एवं संगठन का चुनाव

जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने यह आशा की थी कि शीघ्रातिशीघ्र 'दलीय सगठन' के चुनाव करा लिये जायेंगे और जनता पार्टी एक सशक्त दल के रूप में उभर सकेगी। लेकिन पार्टी के विभिन्न घटकों के बीच अविश्वास के कारण यह सम्भव न हो सका। पूर्व जनसघी नेता श्री नाना जी देशमुख ने अनेकों बार सगठन को मजबूत करने की अपील की और उन्होंने स्वयं भी केबीनेट मन्त्री का पद अस्वीकार करके सगठन को मजबूत बनाने के लिये अपनी सेवाएँ अर्पित करने का उदाहरण रखा। उन्होंने तालुक, जिला एवं राज्य स्तर पर पार्टी का सगठन करने, अक्टूबर 1977 तक सदस्यों की भर्ती पूर्ण करने और दिसम्बर 1977 में दल में चुनाव कराने का सुझाव दिया।¹

जनता पार्टी में सदस्यों के भर्ती का अभियान सुचारू रूप से नहीं चल सका। पार्टी के विभिन्न घटक दल इस भर्ती अभियान में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की भर्ती दिखाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। नाना जी देशमुख ने भी स्वीकार किया कि "ऐसी सूचना है कि घटक दल स्वयं अपने सदस्यता पत्र छापकर सदस्यों की भर्ती कर रहे हैं।"² पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने सुझाव दिया सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये वैध पत्रों पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिये। श्री पीलू मोदी ने आरोप लगाया कि "पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को सदस्यता कार्य नहीं मिल रहे हैं, जबकि गुटीय नेता इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।"³ इन महत्वपूर्ण नेताओं के वक्तव्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्यों के भर्ती अभियान में व्यापक हेरा फेरी चल रही थी जिसके कारण विभिन्न नेताओं में गम्भीर आक्रोश था।

सदस्यों की भर्ती एवं सगठन के चुनाव की तिथियाँ बारम्बार बढ़ायी गयीं और अन्ततोगत्वा विभिन्न गुटों के मध्य अविश्वास के कारण सगठन के चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके। जाली सदस्यों के भर्ती के प्रकरण ने इसलिए तूल पकड़ा कि विभिन्न घटकों को शायद यह विश्वास था कि सभी स्तरों पर चुनाव नहीं कराये जायेंगे और ब्लाक एवं जिला स्तर पर उनके सदस्यों की संख्या के अनुपात में राज्य स्तर पर विभिन्न घटकों के मतदाताओं की संख्या का निर्धारण कर लिया जायेगा। जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी एवं प्रत्येक स्तर पर चुनाव होना था यदि प्रत्येक स्तर पर चुनाव होते तो जाली सदस्यों की समस्या का समाधान हो गया होता क्योंकि एक वास्तविक सदस्य सशरीर उपस्थित होकर दस मत कैसे दे सकता है। अगर सभी (वास्तविक एवं तथाकथित जाली) सदस्य चुनाव में उपस्थित होकर मतदान करते तो सभी सदस्य असली या वास्तविक ही माने जाते चाहे वे जिस घटक के हो क्योंकि घटकों का औपचारिक विलय हो चुका था। इस भर्ती अभियान में घटकों की तुलनात्मक या सापेक्षिक शक्ति में वृद्धि होना

1 दि स्टेटसमेन जुलाई 21, 1977।

2 दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, सितम्बर 12, 1977।

3 दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, सितम्बर 12, 1977।

स्वाभाविक था, क्योंकि प्रारम्भिक रूप से भी घटकों की शक्ति में अन्तर था। अतः कमजोर एवं प्रतिद्वन्दी गुट ने भय एवं अविश्वास के कारण जाली सदस्यों की भर्ती का होवा खड़ा किया। “जाली या फर्जी सदस्यों की भर्ती का मुद्दा मूलतः आतार्किक एवं अव्यावहारिक था। यह विभिन्न घटकों के मध्य अविश्वास से उपजा था। इसमें घटकों ने ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर प्रभाव डालने की कोशिश की थी। यदि चुनाव हो गये हो तो स्थिति स्पष्ट हो गयी होती।”¹

गुटीय प्रतिद्वन्दिता के कारण जनता पार्टी के कार्यकाल के प्रथम वर्ष सगठन के चुनाव नहीं हो सके, इससे पार्टी के सकट में वृद्धि हुयी। फरवरी-मार्च 1978 में होने वाले आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के विधान सभाओं के चुनावों में जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हुई क्योंकि जनता पार्टी इन राज्यों में मजबूत सगठन, जिनके माध्यम से उसे चुनाव लड़ना था, का निर्माण नहीं कर सकी। सगठन के चुनाव न होने के कारण पार्टी के ‘तदर्थ पदाधिकारियों’ का कार्यकाल बढ़ाना पडा, इससे भी विवाद बढ़ा। पश्चिमी बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में गुटबन्दी का यह हाल था कि अप्रैल 1978 तक जिले स्तर में समितियां नहीं बन सकी। अतः 21-22 अप्रैल 1978 को कार्यकारिणी की बैठक में पुनः सगठन के चुनाव की तिथि अक्टूबर 1978 तक बढ़ायी गयी और प्रस्ताव में कहा गया कि दिसम्बर 1978 में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जायेगा। इस बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि पार्टी के कार्य संचालन सबसे बड़ी बाधा उसके भूतपूर्व घटकों में एकरसता एवं भावनात्मक एकता का अभाव है।²

राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने श्री राजनारायण के इस सुझाव को रद्द कर दिया कि अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव जनता पार्टी में सासदों एवं विधायकों से बने निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाय, क्योंकि पार्टी सविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। साथ ही साथ सदस्यों ने अध्यक्ष पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और निश्चय किया कि जब तक नयी कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों का चुनाव नहीं हो जाता तब तक अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि पार्टी सदस्यों को सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर दोषारोपण की इजाजत नहीं दी जा सकती।³ इन निर्देशों के बावजूद अन्तर्गुटीय मतभेदों पर कोई कमी नहीं आयी।

जून 1978 तक स्थिति और गम्भीर हो गयी क्योंकि श्री चरणसिंह ने सगठन एवं सरकार के विभिन्न पदों से त्यागपत्र दे दिया। ऐसी स्थिति में सदस्यों का भर्ती अभियान एवं सगठन की चुनाव प्रक्रिया पुनः खटाई में पड़ गयी। पूर्व भारतीय लोकदल घटक ने आरोप लगाया कि श्री चरणसिंह को पार्टी से निकाल कर उनकी स्थिति को कमजोर किया गया है और इसी बीच सगठन कांग्रेस, जनसंघ एवं सी।एफ।डी।आदि घटकों ने अपने सदस्यों की भर्ती करके अपनी स्थिति सरकार एवं सगठन दोनों में मजबूत कर ली है।⁴ इसके आलावा लोकदल घटक ने यह भी आरोप लगाया कि सहयोग और सहभागिता के प्रजातान्त्रिक मूल्यों को नकार कर पार्टी के ‘केन्द्रीय चुनाव पैनल’⁵ में भारतीय

1 शोधकर्ता की जनता पार्टी के महासचिव सुरेन्द्र मोहन से भेटवार्ता, नवम्बर 27, 1994।

2 दि टाइम्स आफ इण्डिया दिल्ली, अप्रैल 24, 1978।

3 वही, देखें “जनविश्वास-घात”, जनता पार्टी प्रकाशन, पूर्वोक्त, पृ० 4-5।

4 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, जुलाई 28, 1978।

5 प्रारम्भ में ‘केन्द्रीय चुनाव पैनल’ में तीन सदस्य थे— श्री सुरेन्द्र मोहन (समाजवादी गुट), श्री एस।एस। भण्डारी (जनसंघ) एवं श्री रामकृष्ण हेगडे (सगठन कांग्रेस)। बाद में इसमें सी।एफ।डी।के श्री एच।एन। बहुगुणा और भारतीय लोकदल के श्री रविराय

लोकदल को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और जानबूझ कर भारतीय लोकदल को सगठन की चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, अतः वह इसमें भाग नहीं लेगी।¹

श्री चरणसिंह को मन्त्रिमण्डल में पुनः प्रवेश के पश्चात् गुटीय सघर्ष कम होने के बजाय और तीव्र हो गया। श्री चरणसिंह का मानना था कि सगठन एवं सरकार में उनकी स्थिति कमजोर करने में जनसघ घटक ने सक्रिय भूमिका निभायी है। इस काल में जनसघ का बदला हुआ रूख भारतीय लोकदल की इन आशकाओं की पुष्टि करता था, क्योंकि पहले जनसघ गुट भारतीय लोकदल के साथ था जबकि बाद में सगठन कांग्रेस एवं चन्द्रशेखर गुट के साथ हो गया था। इसी कारण सदस्यों की भर्ती एवं सगठन के चुनाव के प्रश्न पर इन गुटों में खुला सघर्ष प्रारम्भ हो गया। जनसघ गुट ने भारतीय लोकदल गुट पर आरोप लगाया कि वह पार्टी की एकता भंग करने का घृणित कार्य कर रहा है। जबकि भारतीय लोकदल ने जनसघ गुट को कमजोर करने के लिये 'दोहरी सदस्यता' का मुद्दा उठाया।

भारतीय लोकदल गुट के साथ श्री मधुलिमिए एवं श्री राजनारायण ने भी जनसघ के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी उन्होंने माग की—

(1) जनसघी नेतागण आर(0) एस(0) एस(0) से अपने सम्बन्ध विच्छेद करें।

(2) पार्टी के चुनाव स्थगित किये जायें।

श्री एस(0) एस(0) भण्डारी ने चुनाव स्थगित करने की माग का विरोध करते हुये कहा अगर सगठन के चुनाव न कराये गये तो आपसी अविश्वास बढ़ेगा और पार्टी कमजोर होगी। 28-29 दिसम्बर 1978 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह सुनिश्चित हुआ कि 10 मार्च 1979 तक सभी स्तरों के चुनाव करा लिये जायेंगे। अतः बदले हुये समीकरणों के तहत भारतीय लोकदल के साथ सी(0) एफ(0) सी(0) गुट भी चुनाव स्थगित करने की माग करने लगे। ये दोनों गुट जनसघ गुट का विरोध कर रहे थे। इस गुटीय प्रतिद्वन्दता में सगठन के चुनाव लगभग असम्भव हो गये थे। इससे पार्टी की छवि खराब होने के साथ-साथ उसमें निहित प्रजातान्त्रिक मूल्यों का हास हो रहा था और पार्टी शनै-शनै विघटनेन्मुख हो रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में 5 अप्रैल 1979 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पार्टी के पदाधिकारियों के सम्पूर्ण चुनावी प्रकरण को एक छः सदस्यीय उपसमिति को सौंप दिया। इस समिति में श्री मोरार जी देसाई, श्री चन्द्रशेखर, श्री चरणसिंह, श्री जगजीवन राम, श्री अटलबिहारी वाजपेई एवं श्री जार्ज फर्नांडीज थे। आशा के अनुरूप इस समिति के निर्णय के अनुसार सगठन के चुनाव स्थगित कर दिये गये। इसके बाद जनता-शासित राज्यों में ऐसी उठा-पटक प्रारम्भ हुयी कि जनता-काल में सगठन के चुनाव नहीं हो सके।

इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में भी 5 सदस्यीय 'केन्द्रीय चुनाव पैनल' कुछ कार्य कर रहा था और उसके सघन प्रयासों से आठ राज्यों—केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और असम में सगठन के चुनाव करा दिये गये थे। इन राज्यों में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर के नेताओं में कोई शक्ति सघर्ष नहीं था।

को शामिल किया गया।

1 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिसम्बर 13, 1978।

2 वही, दिल्ली, जनवरी 1, 1979।

जनता पार्टी शासित राज्यों में चुनाव कराना असम्भव हो रहा था, क्योंकि यहाँ 'शिखरस्थ गुटीय नेता' केन्द्र एव राज्य दोनों स्तरों पर सघर्षरत थे।¹ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एव राजस्थान में मुख्यतः भारतीय लोकदल एव जनसघ के गुटीय सघर्ष ने चुनाव को असम्भव बना दिया था।

जनता शासित राज्यों में विभिन्न घटकों का यह दृष्टिकोण था कि अगर मुख्यमंत्री उनके घटक का हैं तो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष भी उनके घटक का होना चाहिये। अतः पार्टी एवं सरकार के बीच सन्तुलन की बात नहीं हो रही थी बल्कि जहाँ तक सम्भव था प्रत्येक गुट, सगठन एव सरकार दोनों में अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा था। उन्हें यह भी डर था कि कहीं दूसरे गुट का अध्यक्ष उनके गुट के मुख्यमंत्री के लिये चुनौती न बन जाये। इस सन्देह और अविश्वास की स्थिति ने ही जनता पार्टी में आन्तरिक कलह और गुटीय प्रतिद्वन्द्विता को जन्म दिया।²

जनता पार्टी के गुटीय नेताओं के शक्ति सघर्ष एव अविश्वास के कारण सगठन के चुनाव नहीं हो सके और जनता पार्टी कभी भी एक सुदृढ़ एव एकीकृत दल के रूप में नहीं ऊभर सकी। इससे अनेकों अन्य सक्तों का जन्म हुआ। राज्य स्तर पर सगठन की क्रियात्मक इकाइयों के अभाव के कारण केन्द्रीय नेतृत्व राज्य सरकारों के ऊपर उचित नियन्त्रण नहीं स्थापित कर सका। इसके परिणामस्वरूप पार्टी एव सरकार के सम्बन्धों में दरार आ गयी, यह दोनों के लिये हानिकारक सिद्ध हुआ।

राज्यों की राजनीति

जनता पार्टी के शासन काल में राज्यों की राजनीति का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि इस काल में राजनीति न तो केन्द्र से निर्देशित-नियन्त्रित थी, और न ही राज्य का नेतृत्व, केन्द्र में प्रभावशाली होने के लिये प्रयत्नशील था लेकिन इसे इस दृष्टि से स्वस्थ स्थिति नहीं माना जा सकता कि राज्य सरकारें अत्यधिक गुटबन्दी से ग्रस्त थीं। इस काल में भारतीय सघ के लगभग आधे राज्यों में जनता पार्टी का शासन था तथा शेष राज्यों में अन्य राजनीतिक दलों का। वैसे तो कमोवेश रूप में लगभग सभी राज्यों में अस्थिरता थी लेकिन जनता पार्टी राज्य सरकारों इस व्याधि से अधिक ग्रस्त थी। जनता पार्टी की राज्य सरकारों की स्थिति वस्तुतः 'सविद सरकारों' जैसे ही थी।

जनता पार्टी पराभव में जनता शासित राज्यों की राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पार्टी के शीर्षस्थ नेतागण इन्हीं राज्य सरकारों के माध्यम से शक्ति-संग्रह एव अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते थे। इससे पार्टी में गुटबन्दी, तोड़-जोड़ एव अतर्कलह में वृद्धि हुई, और राज्य सरकारों में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। इस प्रक्रिया के चरम परिणित के रूप में केन्द्रीय नेतृत्व के प्रति भी असन्तोष उभरा, जिसके परिणाम स्वरूप जनता पार्टी का विघटन हो गया।

जनता पार्टी व्यावहारिक दृष्टि से कभी भी एकीकृत पार्टी नहीं थी। इसके घटक दल हमेशा अपनी गुटीय शक्त के प्रति ही सवेदनशील रहे थे। राज्यों की राजनीति ने घटकों की इस सवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया। जनता पार्टी शासित राज्यों की राजनीति को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

1 प्रख्यात समाजवादी एव जनतापार्टी के तत्कालीन महासचिव, श्री सुरेन्द्र मोहन से शोधकर्ता की भेंट वार्ता— नवम्बर 27, 1994।

2 वही।

प्रथम— राज्य विधान सभाओं के चुनाव घोषणा से लेकर राज्यों में मन्त्रिमण्डल निर्माण तक की राजनीति ।

द्वितीय— जनता शासित राज्यों में मुख्यमन्त्रियों के प्रति असन्तोष एवं शक्ति परीक्षण की राजनीति ।

इसमें प्रथम भाग का विस्तृत वर्णन एवं विश्लेषण “दस राज्यों में विधान सभाओं के चुनाव” नामक पिछले अध्याय में किया जा चुका है । यहाँ द्वितीय भाग का वर्णन एवं विश्लेषण करना है । सम्यक विश्लेषण के लिये इस भाग को पुन दो भागों में विभाजित करते हैं— जनता पार्टी का प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष । यह विभाजन मात्र समय पर आधारित न होकर जनता पार्टी के दो शक्तिशाली घटकों— जनसघ एवं भारतीय लोकदल- के सम्बन्ध पर आधारित है । जनता पार्टी शासन काल के प्रथम वर्ष ये दोनों घटक सहयोगी रहे जबकि दूसरे वर्ष इनमें घोर प्रतिद्वन्द्विता दृष्टिगोचर हुई ।

प्रथम वर्ष (1977-78)— उल्लेखनीय है कि जनता शासित राज्यों में मुख्यमंत्री पद का बँटवारा केवल दो घटकों ने मिलकर किया था । उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एवं उड़ीसा में भारतीय लोकदल एवं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में जनसघ घटक के मुख्यमंत्री थे । इन सभी राज्यों में मूलतः ‘सविद सरकार’ ही थी जिसमें भारतीय लोकदल एवं जनसघ गुटों की प्रमुख हिस्सेदारी थी । ऐसी स्थिति में पार्टी के अन्य घटकों को यह महसूस हुआ कि उनकी शक्ति में ह्रास हो रहा है, इससे उनका एवं उनके गुट का अस्तित्व सकट में पड़ सकता है । अतः ये घटक- मूलतः सगठन कांग्रेस, सी० एफ० डी० एवं चन्द्रशेखर गुट - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति-सघर्ष में शामिल हो गये और ऐसे मौके की तलाश करने लगे जिससे वे ‘जनसघ-लोकदल’ की सामूहिक शक्ति को चुनौती दे सकें । इसी बीच हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में विधायकों के बढ़ते हुये असन्तोष के कारण पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने इन राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को पुनः विश्वास-मत प्राप्त करने का निर्देश दिया । इस सघर्ष में उस समय नया मोड़ ले लिया जब केन्द्रीय नेतृत्व के इस निर्णय के विरोध में श्री चरणसिंह ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं ससदीय बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया और आरोप लगाया कि “हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश में उनके घटक के मुख्यमन्त्रियों को केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा परेशान किया जा रहा है और ऊपर से घटकवाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।”¹

इस घटनाक्रम से घटक दलों के मध्य दूरियाँ बढ़ी तथा इन दूरियों एवं मतभेदों को कम करने के भी प्रयास किये गये । श्री अटल बिहारी वाजपेई ने श्री चरणसिंह से आग्रह किया कि वे अपना त्यागपत्र वापस ले लें । उन्होंने कहा, “मैं श्री चरणसिंह के बिना जनता पार्टी की कल्पना नहीं कर सकता । मेरा विचार है कि पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर एवं प्रधानमंत्री श्री देसाई पार्टी में न तो मतभेदों को बढ़ावा दे रहे हैं और न ही अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं ।”² अन्य घटकों के नेतागण भी इन मतभेदों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, परन्तु इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जनसघी नेताओं की थी । क्यों ? क्या वे उच्चादर्यों से प्रेरित थे ? क्या वे अति समझौतावादी थे ? इन प्रश्नों के सन्दर्भ में जनसघ की भूमिका का विश्लेषण करना अत्यावश्यक हो जाता है ।

जनता पार्टी में बढ़ती हुयी गुटबन्दी एवं तनाव के सन्दर्भ में जनसघ की भूमिका एवं रणनीति उच्चादर्यों से

1 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, मई 1, 1978 ।

2 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, मई 2, 1978 ।

नही बल्कि शुद्ध सत्ता - सघर्ष से प्रेरित थी। तत्कालीन परिस्थितियों में जनसघी नेताओं का समझौतावादी दृष्टिकोण उनके लिये शक्ति-संग्रह का सर्वोत्तम साधन था। जनता पार्टी में जनसघ घटक के सबसे ज्यादा सासद थे और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार एवं मध्य प्रदेश आदि राज्य सरकारों में उनकी सत्ता में भागीदारी थी। भारतीय राजनीति में यह प्रथम अवसर था जब जनराध, केन्द्र एवं इतने राज्यों में एक साथ सत्ता की हिस्सेदार बनी थी। जनता पार्टी के विघटन से वैसे तो सभी गुटों को नुकसान होता, परन्तु जनसघ गुट को सबसे ज्यादा हानि होती, क्योंकि वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की प्रांर्या में थी। इस सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में उसे भारतीय लोकदल का सहयोग चाहिये था। अतः वह भारतीय लोकदल गुट का सहयोग एवं पार्टी एवं सरकार में श्री चरणसिंह की वापसी का समर्थन कर रही थी।

जब जनता पार्टी के दो प्रभावशाली घटक एक साथ हो गये तो अन्य घटक- सगठन कांग्रेस, सी० एफ० डी० एवं चन्द्रशेखर गुट- अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे। ये घटक दल ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे कि भारतीय लोकदल एवं जनसघ को कमजोर किया जा सके। जनसघ एक अत्यन्त अनुशासिक सवर्ग की पार्टी थी और उसके नेतागण अपनी विशिष्ट राजनीतिक शैली के तहत समझौतावादी रूख अपनाये हुये थे। अतः इन गुटों को जनसघ के विरुद्ध दुरभिसन्धि करने का मौका नहीं मिला। इसके विपरीत भारतीय लोकदल गुट एवं उसके नेता श्री चरणसिंह पहले ही केन्द्रीय नेतृत्व से नाराज थे। मई 1978 जब श्री चरणसिंह के मर्जी के विरुद्ध केन्द्रीय नेतृत्व ने उनके प्रबल समर्थक, हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री देवीलाल को विश्वासमत प्राप्त करने का निर्देश दिया तो श्री चरणसिंह ने इसे पक्षपातपूर्ण माना और कहा कि यह कुछ गुटों द्वारा भारतीय लोकदल को कमजोर करने का घृणित प्रयास है। हरियाणा विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान जनसघ गुट ने लोकदल गुट का सहयोग एवं समर्थन किया और मुख्यमन्त्री श्री देवीलाल ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया, परन्तु इससे भारतीय लोकदल एवं सी० एफ० डी० और सगठन कांग्रेस के बीच खाई बढ गयी ॥१

हरियाणा में श्री देवीलाल की विजय से ऐसा प्रतीत होने लगा कि जनता पार्टी दो प्रमुख गुटों में बट गयी है। प्रथम पूर्व कांग्रेसी गुट (सगठन कांग्रेस, सी० एफ० डी० एवं चन्द्रशेखर गुट), इसमें वे लोग थे जिन्होंने आपेक्षाकृत बाद में कांग्रेस छोड़ी थी और द्वितीय गैर-कांग्रेसी गुट, इसमें भारतीय लोकदल एवं जनसघ थे। 'उस समय ऐसी भी चर्चा होने लगी थी कि किसान एवं व्यापारी के हित एक हैं, अतः वे साथ-साथ हो गये हैं।' हरियाणा जैसी घटना की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में भी हुई और केन्द्रीय नेतृत्व ने चौधरी चरणसिंह के प्रबल समर्थक उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री रामनरेश यादव को विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शक्ति समीकरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है और राष्ट्रीय नेतागण अपने गुटीय हितों के लिये इसकी राजनीति में अपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहते थे। अतः यहाँ भारतीय लोकदल, सगठन कांग्रेस एवं सी० एफ० डी० के मध्य गम्भीर सघर्ष प्रारम्भ हो गया। जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि मात्र श्री जय प्रकाश नारायण के आर्शीवाद से वे अपने पद पर नहीं बने रह सकते।

1 देखे, दि टाइम्स ऑफ इण्डिया जून 9, 1978।

2 समाजवादी गुट के वरिष्ठ जनता पार्टी के नेता श्री सुरेन्द्र मोहन से शोधकर्ता की भेटवार्ता।

जनता पार्टी के 'पूर्व कांग्रेसी गुट' के विरोध के बावजूद 4 जून 1978 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव ने विधान सभा में विश्वासमत प्राप्त कर लिया। जनसघ गुट ने कुछ सदेहास्पद वक्तव्यों के बावजूद श्री रामनरेश यादव का समर्थन किया और भारतीय लोकदल घटक अपने मुख्यमंत्री को बचाने में सफल रहा।¹ अतः जनता शासन के प्रथम वर्ष (लगभग जून 1978 तक) लोकदल और जनसघ गुट में प्रबल सहयोग बना रहा और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः इन गुटों की ही 'संविद सरकार' चलती रही। मई-जून 1978 में जनसघ गुट के सहयोग से हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में भारतीय लोकदल गुट की विजय से गुटिय सघर्ष के एक पहलू का तो समाधान हो गया, परन्तु भारतीय लोकदल गुट के, अन्य घटकों से प्रबल मतभेद हो गये।

घटकवाद केवल हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। मध्य प्रदेश में जनसघ एवं समाजवादी गुटों के मध्य सघर्ष प्रारम्भ हो गया और जनसघ गुट ने मधुलिमि एव समाजवादी घटक पर 'जनता पार्टी को सकट में डालने का आरोप लगाया और राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह किया कि उन तत्वों से कड़ाई से निपटा जाय जो पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।'² इस सम्पूर्ण गुटबारी का सीधा प्रभाव केन्द्र पर पड़ा और राष्ट्रीय स्तर के गुटिय नेताओं के बीच आरोपो-प्रत्यारोपो का धिनौना खेल प्रारम्भ हो गया। भारतीय लोकदल गुट एवं श्री राजनारायण ने पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर से त्यागपत्र की माग की, क्योंकि लोकदल गुट महसूस कर रहा था कि पार्टी में 'पूर्व-कांग्रेसी गुट' उनके विरुद्ध दुरभिसन्धि कर रहे हैं। 'पूर्व कांग्रेसी गुट' ने पार्टी में अनुशासन का मुद्दा उठाया। जनता पार्टी की ससदीय बोर्ड की बैठक में श्री मोरारजी देसाई ने गुटिय नेताओं से अनुशासित रहने की अपील की और जब स्थिति काबू नहीं हुई तो प्रधानमंत्री ने श्री चरणसिंह एवं श्री राजनारायण से त्यागपत्र माग लिया। 30 जून 1978 को श्री चरणसिंह ने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। श्री देवीलाल ने इसे लोकदल के विरुद्ध विरोधी गुट का षड्यन्त्र कहा³

श्री रवि राय ने जनता पार्टी के महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया और कहा कि श्री चरणसिंह से त्यागपत्र माँगना केन्द्रीय नेतृत्व की 'पूर्व नियोजित' चाल थी।⁴

अपने कार्य-काल के प्रथम वर्ष में ही जनता पार्टी खुले रूप से घटकवाद का शिकार हो गयी थी परन्तु यह अपने अन्तर्निहित गुटिय असन्तोषों एवं हितों के समायोजन का कोई फार्मूला नहीं विकसित कर सकी। इस काल में पार्टी में घटकवाद की प्रकृति विशिष्ट थी, क्योंकि पार्टी मोटे तौर पर दो गुटों में बँटी थी 'पूर्व कांग्रेस गुट' (सगठन कांग्रेस, सी० एफ० डी० एवं चन्द्रशेखर गुट) और गैर कांग्रेस गुट (भारतीय लोकदल एवं जनसघ)। ससद में पूर्व-कांग्रेसियों की शक्ति गैर कांग्रेसी गुट की अपेक्षा कम थी, परन्तु इसी गुट सदस्य केन्द्रीय सरकार एवं पार्टी के सर्वोच्च पदों पर आसीन थे। जबकि राज्य सरकारों में इनका प्रभाव एवं भागीदारी नगण्य थी। गैर-कांग्रेसी गुट के साथ ठीक इसका उल्टा था अर्थात् केन्द्र में इनका प्रभाव कम था, परन्तु राज्य सरकारों में इनका पूर्ण दबदबा था। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय नेतृत्व शक्ति-संग्रह करने के लिये राज्य सरकारों में हस्तक्षेप कर रहा था एवं 'गैर कांग्रेसी गुट' (मूलतः भारतीय लोकदल गुट) केन्द्रीय नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास कर रहा था, जिससे तुलनात्मक रूप

1 दि स्टेटस्मैन, दिल्ली, जून 6, 1978।

2 देखे, आर्गेनाइज़र, दिल्ली, मई 14 एवं मई 21, 1978।

3 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, जुलाई 1, 1978।

4 वही, जुलाई 3, 1978।

मे उनके प्रभाव में वृद्धि हो। इस गुटबन्दी ने पार्टी को अस्थिरता प्रदान की जिससे इसका कांग्रेस के 'राष्ट्रीय विकल्प' के रूप में उभरने का स्वप्न चूर-चूर हो गया।¹

द्वितीय वर्ष (1978-79) – जनता पार्टी के दूसरे वर्ष के कार्यकाल में नवीन गुटीय समीकरणों का पुनर्निर्माण हुआ। इस काल में जनसघ गुट अपना पक्ष बदलकर सगठन कांग्रेस एवं चन्द्रशेखर गुट के साथ हो गया। इससे नवीन कटुताओं का जन्म हुआ। भारतीय लोकदल गुट का मानना था कि श्री चरणसिंह को पार्टी एवं सरकार से निष्कासित करके उनकी स्थिति को कमजोर किया गया है और इसके लिये सभी गुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। वास्तव में जिस समय श्री चरणसिंह एवं उनका गुट के मुख्यमंत्री अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय अन्य घटक अपनी गुटीय शक्ति सग्रहित कर रहे थे। इसी शक्ति सग्रह की प्रक्रिया में जनसघ गुट शनै-शनै भारतीय लोकदल गुट से दूर हटकर 'पूर्व कांग्रेस गुट' के समीप जा रहा था। वह (जनसघ गुट) एक ओर श्री मोरारजी देसाई पर जोर डाल रही थी कि वे श्री चरणसिंह को पुनः सरकार में ले लें और दूसरी ओर पार्टी में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये श्री मोरारजी देसाई एवं श्री चन्द्रशेखर से गठबन्धन में लगी थी। जनसघ गुट भारतीय लोकदल गुट के प्रति सशक्ति भी था क्योंकि लोकदल ही पार्टी में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी घटक था। इन परिस्थितियों में लोकदल एवं जनसघ गुट एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी बन गये और इस प्रतिद्वन्दिता में, सगठन कांग्रेस एवं चन्द्रशेखर गुट ने लोकदल गुट के विरुद्ध जनसघ गुट का साथ दिया। यह नवीन गुटीय समीकरण जनता पार्टी के लिये घातक सिद्ध हुआ क्योंकि जनसघ एवं लोकदल गुटों के सहयोग से बनी राज्य सरकारों का अस्तित्व एवं भविष्य सदिग्ध हो गया।

24 जनवरी 1979 को श्री चरणसिंह उप-प्रधानमंत्री एवं वित्त-मंत्री बनकर मन्त्रिमण्डल में लौटे। मन्त्रिमण्डल से बाहर रहकर उन्होंने महसूस किया था कि अन्य गुटों की भाँति जनसघ भी छद्म-रूप में उन्की जड़े खोदने का प्रयास कर रही है। अतः उन्होंने सर्वप्रथम जनसघ गुट से ही निपटने की ढानी। जिस दिन वे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल हुये, उसी दिन उत्तर प्रदेश के भारतीय लोकदल घटक के मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव ने चार कनिष्ठ मन्त्रियों को अपने मन्त्रिमण्डल से अलग कर दिया। इसमें दो जनसघ गुट के थे, जनसघ में कोहराम मच गया, इस गुट ने मुख्यमंत्री को हटाने की माँग की और उ० प्र० सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। विधान सभा में शक्ति परीक्षण के दौरान श्री रामनरेश यादव विश्वासमत प्राप्त करने में असफल रहे।² इनके स्थान पर श्री चरणसिंह और श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के सहयोग से श्री बनारसी दास नये मुख्यमंत्री बनाये गये। श्री बनारसी दास ने एक भी पूर्व जनसघ सदस्य को मन्त्रिमण्डल में शामिल नहीं किया और आर० एस० एस० से सम्बन्धित 'दोहरी सदस्यता' का विवाद खड़ा करते हुये, जनसघ घटक को सत्ता से दूर रखा। यह घटनाक्रम जनता पार्टी के विघटन की वास्तविक शुरुआत थी। वास्तव में यहाँ भारतीय लोकदल गुट का मुख्यमंत्री अवश्य बदल गया था परन्तु जनसघ गुट की जीत नहीं हुयी थी।³

उत्तर प्रदेश की इस घटनाक्रम की प्रतिक्रिया अन्य राज्यों में भी हुयी। बिहार, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा में पूर्व भारतीय लोकदल एवं जनसघ घटकों का गुटीय संघर्ष प्रारम्भ हो गया। बिहार में जनसघ गुट ने लोकदल

1 दि दायम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, जून 22, 1978।

2 वही, फरवरी 20, 1979।

3 "न्यू हेल्समैन इन यू० पी०", जनता, दिल्ली, वायलुम XXXIV न० 5, मार्च 4, 1979, पृ० 2।

घटक के मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस ले लिया और उनके विरुद्ध अविश्वासमत पारित हो गया, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इनके स्थान पर श्री रामसुन्दर दास, जो समाजवादी थे और सगठन कांग्रेस में रह चुके थे, को नया नेता एव मुख्यमंत्री चुना गया। हिमाचल प्रदेश में लोकदल घटक के विधायकों ने बगावत कर दी, परन्तु शक्ति परीक्षण के दौरान जनसघ घटक के मुख्यमंत्री श्री शान्ताकुमार विश्वासमत प्राप्त करने में सफल रहे।¹ इसके बाद हरियाणा में लोकदल गुट के मुख्यमंत्री श्री देवीलाल को हटाने में देर न लगी। जून 1979 में पार्टी के ससदीय बोर्ड ने श्री देवी लाल को विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। श्री देवीलाल अपनी वस्तुस्थिति से भली भाँति परिचित थे। अतः उन्होंने शक्ति परीक्षण से पूर्व ही मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और श्री भजन लाल को नया नेता चुन लिया गया।

राज्यों की राजनीति में शक्ति परीक्षण के दौरान भारतीय लोकदल घटक ने उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में अपने तीन मुख्यमंत्री खो दिये, जबकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में जनसघ के मुख्यमंत्री बने रहे। इससे जनसघ गुट की अपेक्षा लोकदल गुट की स्थिति अत्यन्त कमजोर हो गयी। इसका सीधा प्रभाव केन्द्र पर पड़ा, लोकदल गुट ने केन्द्र सरकार के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजा दिया और जनता पार्टी विघटन के कगार पर पहुँच गयी। जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर स्वयं को सुरक्षित रखने के लिये कभी इधर कभी उधर अपना दाव लगाते रहे, परन्तु वे पार्टी को समन्वित न रख सके और शायद उनमें क्षमता भी नहीं थी।

जनता पार्टी के विघटन में 'राज्यों की राजनीति' की प्रमुख भूमिका थी। राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद जब सगठन कांग्रेस ने बिहार एवं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का दावा पेश किया तो जनता पार्टी के प्रभावशाली गुटों (लोकदल एवं जनसघ) को महसूस हुआ कि सगठन कांग्रेस केन्द्र की तरह राज्यों में भी प्रभाव जमाने का प्रयास कर रही है। अतः यहाँ वे मित्र बन गये और उत्तर प्रदेश में श्री रामनरेश यादव ने श्री रामधन को और बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर ने श्री एस० एन० सिन्हा को हरा दिया। बाद के शक्ति संघर्ष में लोकदल एवं जनसघ गुट का एक दूसरे से मोह भग हुआ और 'लोकदल-जनसघ' सहयोग से बनी राज्य सरकारों का पतन प्रारम्भ हो गया।

इन राज्य सरकारों के गिरने से दिल्ली की सरकार पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा, यह दिल्ली के पार्टी कार्यालय में श्री सुरेन्द्र मोहन, श्री कर्पूरी ठाकुर एवं श्री सुन्दर सिंह भण्डारी वार्तालाप से स्पष्ट हो जाता है।² उस समय उत्तर प्रदेश में भी रामनरेश यादव की सरकार गिर चुकी थी और श्री कर्पूरी ठाकुर का बिहार में विश्वासमत प्राप्त करना था।

श्री कर्पूरी ठाकुर (श्री भण्डारी से) आप तो बिहार में हमारा साथ देंगे ही क्योंकि आप हमारे पुराने 'गुट-मित्र' रहे हैं।

श्री भण्डारी हम तो अछूत हैं। राम नरेश यादव ने हमारे आदमियों को लखनऊ से हटा दिया और बनारसी दास कहते हैं कि हम आर० एस० एस० के लोगों को सरकार में नहीं रखेंगे। जब हम लखनऊ में अछूत हैं तो पटना में आपका साथ कैसे दे सकते हैं ?

1 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, अप्रैल 19-20, 1979।

2 शोधकर्ता से भेंटवार्ता के दौरान श्री सुरेन्द्र मोहन ने इस अनौपचारिक वार्तालाप का अंश सुनाया।

श्री सुरेन्द्र मोहन फिर आप दिल्ली में इनका साथ कैसे दे रहे हैं ? इस सरकार की भी छुट्टी होनी चाहिये ।

श्री भण्डारी आप दिल्ली की तुलना पटना से कर रहे हैं । क्या आप दोनों का फर्क नहीं समझते ?

श्री सुरेन्द्र मोहन माफ करना, मैं फर्क समझता हूँ, परन्तु मैं हवा का रूख भी पहचानता हूँ । यदि लखनऊ की आग पटना को जला सकती है, तो पटना की आग दिल्ली को भी जला सकती है । मेरा मानना है कि जिस दिन बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार जायेगी, उसके 3-4 महीने बाद दिल्ली की सरकार भी चली जायेगी ।

ज्ञातव्य है कि 19 अप्रैल, 1979 को बिहार में कर्पूरी ठाकुर (भारतीय लोक दल गुट) की सरकार गिर गयी और इसके लगभग 3 महीने बाद (15 जुलाई, 1979 को) केन्द्र की जनता पार्टी की सरकार का भी पतन हो गया ।

जून 1979 तक भारतीय लोकदल गुट ने अपने तीन मुख्यमंत्री खो दिये जबकि जनसघ गुट के तीनों मुख्यमंत्री बरकरार थे । जिस गुट के मुख्यमंत्री अन्य गुटों के सहयोग से हटा दिये गये हो, उससे यह आशा करना निरर्थक है कि वह गुट केन्द्र में अन्य गुटों का साथ देगा । सभी घटक-दल स्वार्थी एवं शक्ति सघर्ष से प्रेरित थे एवं राजनीतिक नैतिकता एवं आदर्शों को भूल चुके थे । इसी पृष्ठभूमि लोकदल गुट केन्द्र सरकार से अलग हो गया, इससे जनता पार्टी का विभाजन एवं जनता सरकार का पतन हो गया । इस दुर्भाग्य पूर्ण घटना क्रम के लिये लोकदल गुट सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, परन्तु पार्टी के विघटन एवं पतन के लिये कमोवेश रूप में सभी घटक जिम्मेदार हैं । अतः जनता पार्टी के पूरे कार्य काल में घटकवाद हावी रहा । 'दोहरी सदस्यता' का मुद्दा, 'दलीय सगठन' के चुनाव, पार्टी में 'नये सदस्यों की भर्ती', 'राज्यों की राजनीति' इसी घटकवाद को ही प्रतिबिम्बित करते हैं । इसी कारण जनता पार्टी कभी भी सुदृढ़ एवं एकीकृत रूप में नहीं उभर सकी और घटकवाद का दबाव यहाँ तक पड़ा कि पार्टी में फूट पड़ गयी और उसका पराभव प्रारम्भ हो गया ।

जनता पार्टी एवं सरकार की प्रकृति : एक संविद व्यवस्था

जनता पार्टी का उदय भारतीय राजनीति की अभूतपूर्व घटना थी। छठी लोकसभा चुनाव में इसकी विजय भारतीय राजनीतिक इतिहास की प्रथम गौरवमयी क्रांति थी, जिसमें शान्तिपूर्ण ढंग से एक अधिनायकवादी सरकार को अपदस्थ कर प्रजातांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की गयी थी। यह मॉग एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि श्री जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रांति के स्वप्न को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का राजनीतिक प्रशासनिक एवं नैतिक उपकरण भी थी। इसके कर्णधारों ने घोषणा की थी कि “1977 की प्रजातांत्रिक क्रांति के बाद एक नवीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें जनसाधारण प्रभावशाली ढंग से भाग ले सकेंगे, का विकास होगा।”¹ परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। श्री जय प्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री श्री मोरार जी को एक पत्र में कहा कि “मैं महसूस करता हूँ कि आप और आपके सहयोगियों ने उन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का उचित प्रयास नहीं किया, जिन्होंने सन् 1977 में आपको सत्ता सौंपी थी।”²

जनता पार्टी के पतन के पीछे बहुत से कारण काम कर रहे थे। जनता पार्टी के नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ, मुख्यतः प्रधानमंत्री बनने की श्री चरण सिंह की अमिट आकांक्षा, लोहियावादियों की विध्वंसक संस्कृति, घटकवाद, आपातस्थिति के परिणामों से बच निकलने की श्रीमती इंदिरा गाँधी और उसके बेटे की निराशोन्मुक्त कोशिशें और इनसे बढ़कर देश पर शासन करने की समस्याओं से पूरी तरह निपटने की जनता सरकार की नाकामयाबी। परन्तु इन सबसे महत्वपूर्ण जनता पार्टी की विचित्र राजनीतिक-संस्कृति एवं जनता सरकार की ‘संविद प्रकृति’ थी, जिसने इन कारणों रूपी ‘नवजात पौधों’ को अत्यधिक उपजाऊ भूमि प्रदान की।

जनता पार्टी की संस्कृति

जनता पार्टी की अगर कोई राजनीतिक-संस्कृति थी तो वह बहुत ही विचित्र राजनीति संस्कृति थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक धाराओं का समावेश था। इसमें जनसंघ की संस्कृति थी जिसकी जड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थी, इसका सम्पूर्ण प्रयास एकात्मक अनुशासन और विशिष्ट समझौतावादी दोहरी राजनीतिक शैली के माध्यम से शक्ति-संग्रह पर था।

जनता पार्टी में एक और संस्कृति थी, जिसकी जड़े स्वतंत्रता से पहले के दिनों की कांग्रेस में थी। अब इसके कुछ अवशेष ही बचे थे, क्योंकि राजनीतिक मंच पर श्रीमती इंदिरा गाँधी के आने के बाद कांग्रेस में सत्तालोलुपों की वह पीढ़ी हावी हो गयी थी जिसकी प्रतीक स्वयं श्रीमती इंदिरा गाँधी थी। जनता पार्टी में वे पुराने कांग्रेसी आये थे जो श्रीमती इंदिरा गाँधी की प्रगतिशीलता की लहर आने के बाद कांग्रेस में अप्रासंगिक हो गये थे। इनके प्रतीक वृद्ध गाँधीवादी, श्री मोरार जी देसाई थे। “लेकिन अपने तमाम परम्परावादी और अक्खड़ व्यवहार के बावजूद, उनमें

1 श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा श्री मोरार जी देसाई को लिखे गये पत्र से, मार्च 2, 1978।

2 वही।

पुरानी दुनिया के कुछ सस्कार भी थे। वे टूट सकते थे, पर झुक नहीं सकते थे।”¹

जनता पार्टी में एक और धारा आयी थी, जो सत्तालोलुप थी, चालबाजी की राजनीति की विशेषज्ञ थी और अन्दर से अमीरपरस्त थी। श्रीमती इंदिरा गाँधी की कांग्रेस से जनता पार्टी में आये इस सस्कृति के लोग थे—श्री बीजू पटनायक, श्री हंमवती नन्दन बहुगुणा, सुश्री नन्दिनी सतपथी और बाधू जगजीवन राम। इस धारा के प्रतीक—श्री जगजीवन राम में वह तमाम कालिमा थी जो आजादी के बाद कांग्रेस में छा गयी थी। श्री जगजीवन राम की यह कालिमा उनके अच्छे प्रशासक होने की बहुप्रचारित क्षमता से नहीं ढँक पाती थी।”²

जनता पार्टी में एक और छोटी-सी उप-सस्कृति के लोग भी थे, जो कांग्रेस से आये थे। इसमें श्री चन्द्रशेखर थे। वह वर्षों श्रीमती इंदिरा गाँधी के साथ रहे थे, लेकिन उनकी सस्कृति के साथ एकाकार नहीं हो पाये थे। “यह एक ऐसा ‘हैमलेट’ जैसा चरित्र था जिसका तन तो उनके साथ था, मगर मन नहीं। आचार्य नरेन्द्र देव की राजनीतिक पाठशाला में पढ़े होने के कारण वह कांग्रेस के बाहरी तत्व ही बने रहे। लेकिन यही उनकी शक्ति बन गयी।”³

इसके अलावा जनता पार्टी में कुछ बचे हुये समाजवादी थे। समाजवादी आन्दोलन में टूटने और जुड़ने का सिलसिला लम्बे अरसे तक चला और यह (समाजवादी) पार्टी अनेकों बार टूटी। समाजवादियों की दो धारायें जनता पार्टी में आयी। इसमें श्री एस० एम० जोशी, श्री एन० जी० गोरे, श्री मधु दण्डवते जैसे समर्पित कार्यकर्ता प्रजा समाजवादी पार्टी वाले थे। ये लोग श्री राजनारायण, श्री मधुलिमि ए और श्री जार्ज फर्नाण्डीज से भिन्न राजनीतिक चरित्र के थे। श्री राजनारायण ने अपने गुरु डा० राम मनोहर लोहिया के किसी महान गुण को नहीं, बल्कि उनके तमाम रूखेपन को विरासत के रूप में अपना लिया था। श्री मधुलिमि ए और कुछ अन्य लोग डा० लोहिया के बौद्धिक वारिस होने का अभिनय करते थे। इस पक्ष के सिद्धान्तवेत्ता ट्रेड यूनियन नेता श्री जार्ज फर्नाण्डीज ऐसे जुझारू व्यक्ति थे जो अचानक कुशल प्रशासक के तौर पर अपनी क्षमता प्रदर्शित करने को उत्सुक दिखाई पड़ते थे। लेकिन वह भूमिका उनके लिये मुनासिब नहीं थी। “भारतीय राजनीति का यह कबीला विध्वंस और पार्टी तोड़ने का विशेषज्ञ था। वे केवल तोड़ सकते थे, जोड़ नहीं सकते थे।”⁴

जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण कुनबा भारतीय लोकदल का था, जिसे उत्तर भारत में ग्रामीण वर्गों एव मध्यवर्ती जातियों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त था। स्वार्थों एव सिद्धान्तों में भेद न करने वाले चौधरी चरण सिंह इसके सर्वमान्य नेता थे। श्री जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गाँधी की आर्थिक एव औद्योगिक नीतियों का विरोध करते हुये, इन्होंने एक समर्पित किसान नेता की छवि बना ली थी और वे अपनी पार्टी को गाँधीवादी विरासत का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते थे। उनका मानना था कि जनता पार्टी के असली निर्माता एव जीत के कारण वही हैं और उन्हें ही पार्टी तोड़ने का पूरा हक है।

अतः जनता पार्टी का निर्माण विभिन्न धाराओं, उपधाराओं एव राजनीतिक सस्कृति वाले कुनबों एव कबीलों

1 जनार्दन ठाकुर. “इंदिरा गाँधी का राजनीति खेल” पूर्वोक्त, पृ 107।

2 वही, पृ 108।

3 वही।

4 वही।

से मिलकर हुआ था। ये राजनीतिक-संस्कृतियाँ एक-दूसरे से भिन्न ही नहीं बल्कि विरोधी भी थीं। इसके अलावा इन कबीलों के प्रधानों के मध्य व्यक्तित्व एवं अहम् का क्षुद्र एवं भयकर टकराव भी था। गैर-काग्रेसवाद के तूफान एवं 'इंदिरा संस्कृति' के भय ने उन्हें एक स्थान पर लाकर एकत्रित कर दिया था, जहाँ उन्हें अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिये आपसी एकता के सिवा अन्य कोई चारा नहीं था। परन्तु जैसे ही इंदिरा-संस्कृति रूपी दानव का भय इनके मन से हटा वैसे ही ये अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिये एक-दूसरे से लड़ने-झगड़ने लगे। कुल मिलाकर जनता पार्टी 'भानुमती का पिटारा' थी एवं उसमें ऐसी विध्वंसक, महत्वाकांक्षी एवं सत्तालोलुप संस्कृतियों की धाराएँ एवं उपधाराएँ थीं कि इसका पतन असम्भावी था।

दलीय संगठन की समस्याएँ

व्यावहारिक रूप में जनता पार्टी एक एकीकृत दल न होकर एक 'संविद व्यवस्था' थी, जिसका प्रत्येक घटक दलीय संगठन में अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहा था ताकि संगठन के माध्यम से सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। 'जनता पार्टी में वास्तविक संघर्ष' उसके दलीय संगठन में नियंत्रण के लिये हुआ, यह संघर्ष जनता सरकार की नहीं बल्कि जनता पार्टी की संविद प्रकृति को उद्घाटित करता है इस रादर्भ में उन दो परस्पर सम्बन्धी मुद्दों का संक्षेप में उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिनके कारण अन्त दलीय संघर्ष तीव्र हुआ (वेसे दलीय संगठन से सम्बन्धित समस्याओं की विस्तृत चर्चा इसी अध्याय के प्रथम उप-अध्याय में की जा चुकी है)

प्रथम— जनता पार्टी के सभी घटक-दलों ने औपचारिक रूप से जनता पार्टी में विलय की घोषणा कर दी थी, परन्तु उनके अन्य सहायक (क्रियात्मक) संगठन जैसे— युवा मोर्चा, ट्रेड यूनियन एवं किसान संगठन— आदि अपना अलग अस्तित्व बनाये हुये थे। जनसंघ घटक के पास एक अत्यन्त सगठित युवक दल (आर० एस० एस०) था। पार्टी के दूसरे घटक यह दबाव डाल रहे थे कि जनसंघ एवं आर. एस. एस. के सम्बन्धों का मूल्यांकन हो। जनसंघ हमेशा यह दावा करती रही है कि आर० एस० एस० एक सांस्कृतिक संगठन है। इसके अलावा आर० एस० एस० ने भी दावा किया था कि "यह एक सांस्कृतिक संगठन है और इसके स्वयंसेवक किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बनने के लिये स्वतंत्र हैं—"¹ परन्तु अन्य घटक इससे सहमत नहीं थे। जनसंघ और आर० एस० एस० के नेतागण एक ओर तो इसे पूर्णतः सांस्कृतिक संगठन कहते थे तथा दूसरी ओर बड़ी चालाकी से इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी स्वीकारते थे। बाला साहेब देवरस ने स्पष्ट कहा था कि "राजनीति मानव जीवन का आवश्यक तत्व है, यद्यपि आर. एस. एस. इससे अलग है परन्तु आर० एस० एस० का प्रत्येक स्वयंसेवक राजनीति में सक्रिय भाग लेने के लिये स्वतंत्र है।"²

विपक्षी एकता अभियान एवं जनता पार्टी के निर्माण के दौरान आर० एस० एस० का मुद्दा चर्चा में था परन्तु विलय की व्यावहारिकता को देखते हुये इसे हाशिये में डाल दिया गया था। जनता पार्टी के बनने के बाद जनसंघी नेताओं ने इसे टालने का प्रयास किया। जनता पार्टी के नेता श्री मधुलिमिण का विचार था कि पार्टी के सभी घटकों के

1 गदरलैण्ड, दिल्ली, फरवरी 8, 1975।

2 स्टेट्समैन, दिल्ली, अप्रैल 1, 1977।

स्वयंसेवी एव सांस्कृतिक सगठनों का एकीकरण हो जाये और इन सभी का जनता पार्टी में विलय हो जाये। जनसघ एव आर.एस.एस. ने इस विचार का विरोध किया, आर.एस.एस. के महामंत्री श्री माधव राव मूले ने श्री मधुलिमि ए से कहा कि “वे आर० एस० एस० को बहुत अच्छी सलाह न दे।”¹ जनसघी नेता आर० एस० एस० का अन्य स्वयंसेवी सगठनो एव जनता पार्टी के साथ विलय नहीं चाहते थे क्योंकि वे इस शक्तिशाली सगठन का प्रयोग मात्र अपने गुटीय हितों के लिये करना चाहते थे। श्री नानाजी देखमुख ने कहा “कि जब सर सघचालक ने स्पष्ट रूप से नकार दिया है तो जनता पार्टी एव आर० एस० एस० के विलय का प्रश्न ही नहीं उठता।”² जनसघ के इस रवैये ने अन्य घटकों में शकाये उत्पन्न कर दी और उन्होंने इस मुद्दे को वैचारिक जामा पहनाकर तूल देने का प्रयास किया, इससे जनता पार्टी में ऐसी दरार पड़ी जिसे कभी नहीं भरा जा सका।

द्वितीय – जनता पार्टी के नेताओं के बीच आर० एस० एस० का मुद्दा एक मात्र झगड़े का कारण नहीं था, पार्टी में नये सदस्यों की भर्ती एव सगठन के पदाधिकारियों का चुनाव भी अत्यन्त गम्भीर मुद्दा था। इसकी तारीखें अनेकों बार बढ़ायी गयी परन्तु सदस्यों की भर्ती एव सगठन के चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके, यह ‘नवजात जनता पार्टी’ के लिये एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, जिसमें वह असफल रही। “वह राजनीतिक दल कैसे जीवित रह सकता है जो अपने चुनाव न करा सके, सदस्यों को सुचारू रूप से भर्ती न कर सके, जिसके नेतागण एक-दूसरे के खून के प्यासे हो, जिसके सदस्यों को कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा हो, कुछ को निलम्बित किया जा रहा हो, मुख्यमंत्री, मंत्रियों को अपदस्थ कर रहे हो और विधानसभा में ‘विधायक दल’ मुख्यमंत्री को पदच्युत कर रहा हो।”³ यह सम्पूर्ण गाथा जनता पार्टी की है।

श्री नानाजी देशमुख ने केन्द्रीय मंत्री के पद को ठुकरा कर सगठन का महासचिव बनना स्वीकार किया था, उनकी सीधी दृष्टि ‘दलीय सगठन’ में नियंत्रण की थी। उनका विचार था कि आर० एस० एस० एव जनसघ की भाँति जनता पार्टी को शक्तिशाली अनुशासित सवर्ग (कैंडर आधारित) की पार्टी बनाया जाय। ‘कैंडर-आधारित दल’ का विचार ‘सघीय’ एव ‘खुले’ प्रजातान्त्रिक दल के विचार से पूर्णतया भिन्न है। श्री नानाजी देखमुख अपने विचार को इसलिये नहीं कार्यान्वित कर सके, क्योंकि जनता पार्टी के दूसरे घटक लचीले दलीय सगठन के समर्थक थे।

इसके अलावा पार्टी के अन्य घटक दलों ने अनेकों बार यह आशका भी व्यक्त की थी कि जनसघ घटक आर० एस० एस० के माध्यम से ‘दलीय सगठन’ के स्वरूप को विकृत करने और उसमें अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा है। इसी कारण पार्टी के अनेक घटकों, जैसे कि भारतीय लोकदल एव सी० एफ० डी० गुट आदि ने सगठन के चुनाव को लगातार विरोध किया, उनका मानना था कि अगर चुनाव हुये तो सगठन में जनसघ घटक का आधिपत्य हो जायेगा। जनता पार्टी के दलीय सगठन के चुनाव और सदस्यों की भर्ती के विषय में पार्टी के नेताओं में गंभीर मतभेद एव अन्तर्विरोध थे लेकिन पार्टी किसी ऐसी प्रक्रिया का विकास न कर सकी, जिससे अन्तर्विरोधों का प्रशमन हो सके। संक्षेप में “जनता पार्टी का ‘दलीय सगठन’ पार्टी के अन्दर शक्ति सघर्ष का मुख्य कारण था और जनता पार्टी का लगभग ढाई वर्षों के अस्तित्व की कहानी मूलतः पार्टी सगठन के ऊपर नियंत्रण सम्बन्धी सघर्ष

1 आर्गेनाइजर, दिल्ली, अगस्त 29, 1977।

2 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, सितम्बर 1, 1977।

3 अरुण शौरी, “इस्टीमेशन इन दि जनता फेज”, पापुलर प्रकाशन प्रा० लि०, बाम्बे, 1980 पृ 2-42।

पर आधारित थी।¹

जनता पार्टी की सरकार : मूलतः एक संविद सरकार

छठी लोकसभा चुनाव के बाद केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई। जनता पार्टी कभी भी अपने सुदृढ़ एव एकीकृत स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकी। इसमें हमेशा गुटबंदी हावी रही, तथा दल एव सरकार दोनों स्तरों पर घटक दलों को लगभग उनकी शक्ति के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा। अतः मूलतः यह एक मिली-जुली या 'संविद सरकार' ही थी, जिस पर जनता पार्टी का झीना आवरण डाल दिया गया था। यह एक सामान्य नहीं बल्कि 'विशिष्ट संविद व्यवस्था' थी, परन्तु इसमें 'संविद सरकार' के सभी गुण-दाप निहित थे। अब यह देखना है कि विभिन्न प्रकार की संविद व्यवस्थाओं में यह किस प्रकार की 'संविद व्यवस्था' थी।

एक ससदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केन्द्र मंत्रिमण्डल होता है, जो अपने कार्यों के लिये सामूहिक रूप से ससद के प्रति उत्तरदायी होता है। ससदीय परम्परा के अनुरूप प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् ससद के निम्न सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, सामान्यतया उसी दल के नेता को मंत्रिमण्डल बनाने के लिये आमन्त्रित किया जाता है। इस प्रकार बहुमत प्राप्त दल द्वारा गठित मंत्रिमण्डल को 'समदलीय (Homogeneous) मंत्रिमण्डल' कहा जाता है क्योंकि इसके सारे सदस्य या मंत्री एक दल के होते हैं।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि विधानमण्डल में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल 'न्यूनतम कार्यक्रम' के आधार पर सगठित हो जाते हैं और इस तरह बहुमत प्राप्त करके मंत्रिमण्डल का गठन करते हैं। इसे 'संयुक्त मोर्चा मंत्रिमण्डल', 'मिश्रित मंत्रिमण्डल', 'संविद सरकार' या 'मिली-जुली सरकार' कहा जाता है। ऐसे मंत्रिमण्डल में सामान्यतया उन सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो कुछ सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर सगठित होते हैं, परन्तु सरकार में शामिल होने के बाद भी घटक राजनीतिक दल अपने पृथक दलीय अस्तित्व को बनाये रखते हैं। कभी-कभी यह भी होता है कि कोई दल सरकार (मंत्रिमण्डल) में सम्मिलित हुये बगैर, सरकार को समर्थन देता रहता है।

इसके अलावा कभी-कभी आम चुनाव के पूर्व कुछ राजनीतिक दल मिलकर एक निश्चित कार्यक्रम बना लेते हैं, उस निश्चित कार्यक्रम के आधार पर आपसी सामंजस्य एव तालमेल स्थापित करते हैं और यदि चुनाव के बाद इन दलों को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो सर्वसम्मति या मतदान से अपना नेता निर्वाचित कर लेते हैं, और नेता द्वारा निर्मित 'संविद मंत्रिमण्डल' में सभी दलों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये मंत्रिमण्डल समझौतावादी कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलजुल कर कार्य करते हैं। "सामान्यतः संविद का अर्थ 'अस्थायी गठबंधन' है परन्तु राजनीतिक अर्थों में संविद का तात्पर्य एक 'सहकारी व्यवस्था' से है जिसके अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दल या प्रत्येक स्थिति में इन दलों के सदस्य मिलकर सरकार या मंत्रिमण्डल का निर्माण करते हैं।"²

1 देखें, मारकस फ्रान्का "स्माल इज पोलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशनल अल्टरनेटिव्स इन इण्डियाज रूरल डेवेलपमेंट", वेजली इस्टर्न लिमिटेड, दिल्ली 1979, पृ 195-225।

2 जे० सी० जौहरी "इण्डियन गवर्नमेंट एण्ड पोलिटिक्स", विशाल पब्लिकेशन्स, जालन्धर, सितम्बर, 1985, पृ 887।

राजनीतिक अर्थों में उपरोक्त वर्णित सभी व्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष, स्पष्ट या 'औपचारिक सविद सरकार' कहा जाता है। इनसे भिन्न कुछ सरकारें ऐसी होती हैं, जिन्हें औपचारिक अर्थों में 'सविद सरकार' नहीं कहा जा सकता, परन्तु उनका मूल-चरित्र सविद ही होता है। इसे 'अन्तर्निहित सविद सरकार' कहते हैं, "इसमें सत्ता एक दल में निहित होती है, परन्तु यह दल अन्य दलों के अप्रकट या ज्ञेय सहयोग पर आश्रित रहता है।"¹ इसी 'अन्तर्निहित सविद व्यवस्था' का एक अन्य रूप भी है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का एक दल में विलय हो जाता है, और सत्ता औपचारिक रूप से एक दल में निहित होती है, परन्तु इसके विभिन्न घटक दल अपना पृथक अस्तित्व बनाये रखते हैं। इस प्रकार यह सरकार अपने वास्तविक व्यवहार में 'सविद सरकार' ही होती है। यद्यपि जनता सरकार एक दल की सरकार थी, परन्तु वास्तव में यह एक प्रकार की 'अन्तर्निहित सविद व्यवस्था' थी। जनता सरकार की प्रकृति एवं कार्य-प्रणाली देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि "जनता पार्टी की सरकार औपचारिक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक रूप से एक 'सविद सरकार' था।"²

1977 के पूर्व भारत के राजनीति परिदृश्य में 'मिली-जुली सरकारों' का अनुभव राज्यों की राजनीति में हुआ था। छठी लोकसभा चुनाव के बाद मार्च 1977 में सर्वप्रथम केन्द्र में जनता पार्टी की 'विशिष्ट सविद सरकार' बनी, जिसका पतन 28 महीने में हो गया। इसके पश्चात् केन्द्र में भी 'सयुक्त मन्त्रिमण्डल' बनने का सिलसिला प्रारम्भ हो गया। जुलाई 1979 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार, जनता (एस0) और कांग्रेस (एस0) की 'मिली-जुली सरकार' थी, जिसका तीन सप्ताह के अन्दर पतन हो गया। नवम्बर 1989 में लोकसभा चुनाव के बाद दिसम्बर 1989 एक बार पुनः केन्द्र में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में 'जनता दल' की सविद सरकार बनी। इसका 11 महीने बाद नवम्बर 1990 में पतन हो गया। सविद सरकार की अस्थिरता असम्भावी होती है, अतः जनता पार्टी की सरकार का पतन स्वाभाविक एवं सुनिश्चित था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है "कि ससदीय प्रणाली का 'सयुक्त मन्त्रिमण्डल' के साथ तालमेल नहीं बैठाया जा सकता है।"³

'सविद सरकार' अपनी अस्थायी प्रकृति के कारण बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था को उचित दिशा प्रदान नहीं करती, परन्तु अस्थायित्व ही इनका एकमात्र दोष नहीं है। ये अनेक अन्य दोषों से भी ग्रस्त होती हैं। जनता पार्टी सरकार की मूल प्रकृति को समझने के लिये उसका परीक्षण 'सविद सरकार' एवं विशेष रूप से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की सविद सरकारों के गुण-दोषों के आधार पर करना होगा, जो निम्नवत् है।

प्रथम – सामान्यतः 'सविद सरकारों' के घटक दलों में वैचारिक मतभेद पाया जाता है। इसमें ऐसे राजनीतिक गुट अपने साझा स्वार्थों के तहत एक झण्डे के नीचे आ जाते हैं, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, विचारधारा, नीतियाँ एवं कार्यक्रम एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में एक सरकार में इन दलों के प्रतिनिधियों का साथ-साथ कार्य करना कठिन हो जाता है।

जनता पार्टी के घटकों में प्रारम्भ से ही विभिन्न मुद्दों पर गुटीय और व्यक्तिगत हितों का टकराव था। जनता

1 वही।

2 आचार्य जे० बी० कृपलानी "दि नाइट मेयर एण्ड आफ्टर", पूर्वोक्त, पृ 222।

3 प्रेम भसीन "पोलिटिक्स नेशनल एण्ड इण्टरनेशनल", (एसोसिएटेड, नई दिल्ली), पृ० 16।

पार्टी के निर्माण के समय 'विलय' के प्रश्न पर विभिन्न घटकों में मतभेद ऊभरे एव समय-समय पर अनेक मतभेद उभरते रहे । "जनता पार्टी में ऐसे समूह शामिल थे जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आधार और विचारधाराएँ एक-दूसरे से भिन्न ही नहीं कई प्रकार से विपरीत भी थी, उदाहरण के लिये हिन्दू राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ तथा वामपंथी रुझान का पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी दल ।"¹ भारतीय लोकदल गुट एव समाजवादियों ने "दोहरी सदस्यता" का मुद्दा 'धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता' के तर्ज पर उठाया । इन मुद्दों के पीछे अन्य कारण भी थे परन्तु वैचारिक पृष्ठभूमि ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि एक सविद- सरकार की भाँति जनता सरकार का पतन हो गया ।

वास्तव में भारतीय लोकदल गुट एव समाजवादियों ने जनसंघ गुट के बढ़ते हुये प्रभुत्व और प्रभाव को कमजोर बनाने के लिये 'दोहरी सदस्यता' का आरोप सबसे सुविधाजनक समझा क्योंकि इसके सहारे पूरे विवाद को "साम्प्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता" में बदला जा सकता था, यद्यपि समझते थे कि यह महज एक राजनीतिक चाल थी । भारतीय राजनीति में समय-समय पर निरन्तर अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों द्वारा इसका प्रयोग होता रहा है ।

द्वितीय-संसदीय व्यवस्था में मन्त्रिमण्डल सामूहिक-उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करता है, सविद-सरकार संसदीय नियमों एव सिद्धान्तों की व्यापक अवहेलना करती है । इन सरकारों में एक मंत्री सार्वजनिक रूप से दूसरे मंत्री की आलोचना करता है । सरकार का एक घटक अपनी ही सरकार का मजाक उड़ाता है एव उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता है । इससे सरकार का पतन असम्भावी हो जाता है । जनता पार्टी भी पूर्णतया इस रोग से ग्रस्त थी । केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हुये भी श्री चरणसिंह एव श्री राजनारायण ने प्रधानमंत्री श्री मोरारजी दसाई एव पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर की सार्वजनिक आलोचना करते रहे । श्री चरणसिंह श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध सख्त और शीघ्र कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुये कहा कि, "लोग सोचने लगे हैं कि सरकार में हम सब 'नपुंसक लोग' का झुंड है, जो देश का शासन नहीं चला सकते ।"² श्री चरणसिंह का यह वक्तव्य सामूहिक-उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लंघन था । जनता पार्टी के अनेक मंत्री एव सांसद ऐसे समय पार्टी छोड़कर चले गये जब विरोधी पक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिये उस पर सीधा प्रहार किया । "अविश्वास प्रस्ताव केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि सम्पूर्ण सरकार के विरुद्ध था । संसदीय व्यवस्था में मन्त्रियों का ऐसा आचरण अपराध एव अक्षम्य है ।"³

इसके आलावा जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारें मौलिक रूप से सविद-सरकारें ही थी । जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव ने अपनी सरकार से जनसंघ घटक के मन्त्रियों को बर्खास्त कर दिया, तो जनसंघ ने उत्तर प्रदेश सरकार से समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गयी । इसके बाद जनसंघ गुट ने बिहार में

-
- 1 जोया खलिक हसन, "अन्य राष्ट्रीय दल जनता, लोकदल एव भारतीय जनता पार्टी" (लेख), प्रो सुशीला कौशिक (सम्पादित) "भारतीय शासन एव राजनीति", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 1985, पृ 467 ।
 - 2 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, जून 29, 1978 ।
 - 3 श्री चन्द्रशेखर "जनता पार्टी के साथ विश्वासघात" लेख, "सिद्धान्त या अवसरवादिता" ? पूर्वोक्त, पृ 6 ।

कर्पूरी ठाकुर एव हरियाणा मे श्री देवी लाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। अतः अपनी सविद प्रकृति के कारण केन्द्र एव राज्य दोनो स्तर पर जनता सरकारे ससदीय नियमो की अवहेलना करती रही।

तृतीय 'मिले-जुले मन्त्रिमण्डल' के कार्यकाल मे तनाव एव प्रचंड गुटबन्दी का समावेश होता है। जनता पार्टी का पूरा इतिहास तनाव एव गुटबन्दी का ज्वलत दरतावेज है। जनता पार्टी के निर्माण, जनता सरकार के गठन, राज्यों मे विधानसभाओ के चुनाव, एव सरकार के संचालन आदि मे जनता पार्टी के विभिन्न घटको एव गुटीय नेताओ मे व्यापक तनाव एव गुटबन्दी की स्थिति थी। "जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के तुरन्त बाद घटको द्वारा अलग-अलग प्रभाव क्षेत्र बनाने के खुलकर प्रयत्न किये गये। इसके लिये किसी गुट विशेष को दोष नहीं दिया जा सकता।"¹ परन्तु यह गुटबन्दी जनसघ एव भारतीय लोकदल गुट के बीच अधिक थी क्योंकि यह दोनो शक्तिशाली घटक थे और "इसलिए दोनो मे 'दलीय की सगठन एव शक्ति' के ढाँचे को प्रभावित करने की होड़ थी। इन दोनो ने एक दूसरे को दुर्बल करने का प्रयत्न किया, परन्तु इस प्रयत्न मे वे जनता पार्टी को ही खडित कर बैठे।"²

चतुर्थ सविद- सरकारो के विधायको, सासदो और नेताओ मे पदलोलुपता अपनी चरम सीमा पर होती है। जो गुट एव व्यक्ति सरकार मे मनचाहा पद प्राप्त करने मे विफल होते है, वे सरकार को कमजोर करने या दूसरी सरकार बनाने का प्रयत्न करने लगते है, ताकि उनकी महत्वाकाक्षा पूर्ण हो सके। ये व्यक्ति या गुट अवसरवादी एव सत्तालोलुप होते है, जिन्हे व्यक्तिगत स्वार्थो के सिवा कुछ नहीं दिखता। जनता पार्टी की सरकार का इतिहास सविद-सरकार के दस चरित्र को उद्घाटित करता है। "चौधरी चरणसिंह इस वास्तविकता से कभी सामजस्य न कर सके कि वे देश के प्रधानमन्त्री नहीं बन सके थे। सभी राजनीतिक पक्ष जो वे उठा रहे थे देश का प्रधानमन्त्री बनने की उनकी महत्वाकाक्षा के मूलाधार पर बने ऊपरी ढाँचे मात्र थे।" प्रधानमन्त्री बनने के बाद बिना किसी वाक्छल के धृष्टता पूर्वक घोषणा की कि— "मेरे जीवन की महत्वाकाक्षा पूरी हो गया।"³ जनता पार्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद जिस प्रकार सासदो एव मन्त्रियो ने जनता सरकार से त्यागपत्र दिये इससे उनकी राजनीतिक अवसरवादिता, महत्वाकाक्षा एव पदलोलुपता सिद्ध होती है।

पचम सविद सरकारो के घटकदलो मे नकारात्मक ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति भी पायी जाती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मे सविद सरकारो की प्रेरणा इस निश्चय से मिली कि कांग्रेस दल की सरकार न बनने दी जाय। डा० राम मनोहर लोहिया ने यह मत प्रतिपादित किया था कि चुनाव मे कांग्रेस की विजय का कारण गैर-कांग्रेसी दलो मे एकता का अभाव है, और वे 'सयुक्त मोर्चा' बनाकर कांग्रेस को हरा सकते है। अतः 1967 के पश्चात् भारतीय दलीय व्यवस्था मे 'नकारात्मक ध्रुवीकरण' को अधिक बल मिला। इसी प्रवृत्ति के कारण 1967-1971 के बीच अनेक राज्यों मे 'गैर कांग्रेसी सविद सरकारे बनी। मार्च 1977 मे केन्द्र मे सत्तारूढ़ जनता पार्टी के गठन का मूलाधार 'इंदिरा हटाओ' और 'गैर-कांग्रेसवाद' का नकारात्मक दृष्टिकोण ही था। वास्तव मे "जनता पार्टी का तत्कालीन आधार तो आपातकाल विरोधी भावना से आया।"

1 वही, पृ० 5।

2 जोया खलिक हुसैन पूर्वोक्त पृ० 478।

3 मधुदण्डवते, "सत्ता की राजनीति एव वर्तमान राजनीतिक सकट", 'सिद्धान्त या अवसरवादिता?', पूर्वोक्त, पृ० 18-19।

षष्ठम 'सविद सरकार' अस्थिरता के असाध्य रोग से पीडित होती है और इसी क्रम में ये सरकारें दल-बदल की भी प्रेरक होती हैं। दल बदल के पश्चात् पुन 'नयी सविद सरकारों' का गठन होता है। वास्तव में सविद- सरकारों के घटकों में कोई ताल-मेल नहीं होता, अतः ये सरकारें अस्थायी होती हैं। प्रो० कोठारी के अनुसार "1967 के बाद गैर-कांग्रेसी दलों में गठजोड़ होते रहे हैं। अनेक बार ये गठजोड़ बिल्कुल विरोधी एवं विपरीत दलों में हुये हैं। ये गठजोड़ भानुमती के कुनबे जैसे हैं। फलस्वरूप ये 'गैर-कांग्रेसी सयुक्त सरकारें' ज्यादा दिन न चल सकी और एक के बाद एक गिरती चली गयी।"¹ प्रो० कोठारी का यह कथन जनता पार्टी सरकार के सन्दर्भ में खरा उतरता है।

जनता पार्टी का वास्तविक पतन दल-बदल के कारण ही हुआ। जब केन्द्रीय मंत्री श्री राजनारायण को उनकी सरकार विरोधी गतिविधियों के लिये पार्टी की कार्यकारिणी से निकाल दिया गया तो वे पार्टी से अलग हो गये और अपने नये गुट का नाम 'जनता पार्टी (एस०)' रखा। इसके बाद दल-बदल का व्यापक सिलसिला प्रारम्भ हो गया। जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने ऐसे समय पार्टी छोड़ने का निश्चय किया जब विपक्ष द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप जनता पार्टी की सरकार गिर गयी। जनता सरकार मूलतः सविद सरकार थी, इसकी अस्थिरता इसकी मूल प्रवृत्ति में ही निहित थी। अतः इसका पतन भी असम्भावी था।

इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि जनता पार्टी की सरकार औपचारिक रूप से नहीं, परन्तु व्यावहारिक रूप से एक 'सविद व्यवस्था' थी। इसमें 'सविद सरकार' के सभी गुण-दोष निहित थे। जनता पार्टी-जनसंघ, भारतीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, सगठन कांग्रेस एवं सी० एफ० डी० आदि घटकों से मिलकर बनी थी। जिस प्रकार सन्तरे के कोमल आवरण के नीचे इसकी फाँके पूर्णतः अलग-अलग होती हैं, उसी प्रकार जनता पार्टी के झीने आवरण के नीचे इसके सभी घटक अपना पृथक् अस्तित्व बनाये हुये थे। साथ ही साथ जनता सरकार में इन घटकों के मध्य मतभेद एवं विसंगतियाँ, गुटबन्दी और तनाव, व्यक्तिगत स्वार्थ, अवसरवादिता और पदलोलुपता आदि लक्षण इसकी 'सविद प्रकृति' को ही उद्घाटित करते हैं। अपनी 'सविद प्रकृति' के कारण ही श्री जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुष की छत्रछाया में भी जनता पार्टी (एव सरकार) एकता का प्रदर्शन न कर सकी। इसी प्रकार प्रारम्भ से ही इसका अस्तित्व आशंकित था। कृत्रिम गठजोड़ (Patch-Work) की अपनी सीमित आयु होती है। जनता सरकार अपने ही कर्णधारों के परस्पर सघातिक प्रहार से चरमराने लगी और मध्य जुलाई 1979 को श्री मोरार जी देसाई के त्यागपत्र के पश्चात् 28 महीने पुरानी जनता सरकार की 'सविद व्यवस्था' का अन्त हो गया।

1 रजनी कोठारी "भारत में राजनीति", पूर्वोक्त, पृ० 128।

जनता पार्टी नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षायें एवं सत्तालोलुपता: त्रिमूर्ति विवाद

जिन परिस्थितियों में जनता पार्टी का गठन हुआ था, उसमें घटकों एवं गुटिय नेताओं के मध्य मतभेद होना स्वाभाविक था। किसी भी ऐसी पार्टी, जो आकस्मिक एवं आसाधारण परिस्थितियों से पैदा हुयी हो, के लिये इन मतभेदों का निवारण अत्यावश्यक था। यह जनता पार्टी के नेताओं की दूरदर्शिता, राजनीतिक सूझबूझ एवं नैतिकता से ही सम्भव था और इससे जनता पार्टी 'कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प' के रूप में उभर कर आती। परन्तु पार्टी के नेताओं में उस क्षमता एवं चरित्र का अभाव था जिसके आधार पर यह आशा की जा सकती कि वे पार्टी को परिस्थितियों के अनुरूप दिशा दे सकेंगे। पार्टी एवं सरकार के स्तर पर उठे विभिन्न विवादों के सुलझाने की प्रक्रिया को केवल शिखर वार्ताओं एवं राजनीतिक जोड़-तोड़ तक ही समिति कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आन्तरिक विग्रह से ग्रस्त जनता पार्टी का वही हथ्र हुआ जिसकी आशंका थी। निःसन्देह राजनीति के इस घटनाक्रम में गुटिय नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, पदलोलुपता, स्वार्थपरता एवं अवसर-वादिता का खुलकर प्रदर्शन हुआ।

श्रीमती इंदिरा गाँधी की निरंकुशता से अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये अनेक गुटों के नेतागण जनता पार्टी रूपी 'दुर्ग' में एकत्र हुये थे। परन्तु जैसे ही इस बाध्य शत्रु से मुक्ति मिली, वे आपस में लड़ने-झगड़ने लगे। "श्रीमती इंदिरा गाँधी के पतन के साथ पैदा हुये उन्माद ने उन्हें वस्तु स्थिति के प्रति अन्धा बना दिया था। राजघाट में शपथ लेने के एक घंटे के भीतर नेताओं के राजनीतिक दम का टकराव शुरू हो गया था।"¹ सत्ता के मद में चूर इन नेताओं के बीच ऐसा सघर्ष प्रारम्भ हुआ कि इन्होंने न केवल एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाया बल्कि सम्पूर्ण 'दुर्ग' को ही तहस-नहस कर दिया।

जनता पार्टी एवं सरकार के सभी चोटी के नेताओं ने ऐसा व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया कि जैसे जीत उनके ही कारण हुई है। पार्टी की सर्वोच्च त्रिमूर्ति श्री मोरारजी देसाई, श्री जगजीवन राम और श्री चरणसिंह के बीच हमेशा शीत-युद्ध चलता रहा, जो बाद में खुले सघर्ष में बदल गया।

श्री मोरार जी देसाई

श्री मोरारजी देसाई पार्टी के सबसे वयोवृद्ध नेता थे और पार्टी उनकी अध्यक्षता में जीती थी, अतः वे स्वयं को सर्वोच्च एवं प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते थे। "वे हमेशा यही सोचते आये थे कि श्री जवाहर लाल नेहरू के बाद प्रधान मंत्री के वाजिब उत्तराधिकारी वही थे, राजनीतिक के छोटे-2 लोगों ने अपनी चालबाजियों से उन्हें प्रधान मंत्री नहीं बनने दिया।"²

1. जनार्दन ठाकुर "इंदिरा गाँधी का राजनीतिक खेल, पूर्वोक्त, पृष्ठ 18
2. जनार्दन ठाकुर इंदिरा गाँधी का राजनीतिक खेल, पूर्वोक्त, पृष्ठ 10

तनाव और खीचातानी तो विलय के समय से ही पैदा हो गयी थी। श्री मोरार जी देसाई सर्वप्रथम तो विलय को 'पाप' समझत थे और द्वितीय वे सगठन- कांग्रेस का विलय किसी ऐसे दल में नहीं चाहते थे जिसके अध्यक्ष वे स्वयं न हों और उन्होंने ऐसा ही किया। लोकसभा चुनाव के समय जब श्री चरणसिंह ने उत्तर भारत में चुनाव संचालन की मॉग की तो श्री देसाई ने अस्वीकार करते हुये कहा, 'मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ। ऐसा लगा कि सारा ढाँचा चरमरा जायेगा। बाद में श्री मोरारजी देसाई ने बड़ी कठिनाई से यह बात स्वीकार की कि श्री चरणसिंह को उत्तर भारत का चुनाव प्रभारी बनाया जाय।' ¹ लोक सभा के चुनाव में विजय के बाद श्री मोरार जी देसाई का सर्व सम्मति से प्रधानमन्त्री पद पर मनोनयन हुआ, परंतु सर्व सम्मति की आड़ में जिस प्रकार की राजनीतिक चाले चली गयी उससे प्रत्यक्ष रूप से श्री जग जीवन राम और अप्रत्यक्ष रूप से श्री चरणसिंह आहत हुये।

प्रधानमन्त्री बनते ही श्री मोरार जी सर्वोच्च की तरह व्यवहार करने लगे। उन्होंने सरकार में अपना दबदबा बनाये रखने के लिये सगठन- कांग्रेस को मन्त्रिमण्डल में सबसे ज्यादा स्थान प्रदान किया, जबकि लोक सभा में सगठन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या काफी कम थी। इससे अन्य घटक- दलों में असन्तोष उभरा और इसी कारण विधान सभा चुनाव के बाद राज्यों में जनता सरकारों के गठन के समय घटक परक आस्थाये कठोर हो गयी। अतः जब 'मोरार जी गुट' ने राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये अपने दावे प्रस्तुत किये तो भारतीय लोक दल एवं जनसघ गुट ने आपसी सहमति से अन्य घटकों को बाहर कर दिया। इससे सत्ता संघर्ष में वृद्धि हुई। जनसघी नेता बड़ी सौम्यता से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। जनसघ लोकसभा में सबसे बड़ा गुट था और उसका मानना था कि "राज्यों में जनसघ और भारतीय लोकदल के एक हो जाने से यह गठबन्धन अपराजेय और लाभदायक रहेगा। शीघ्र ही जनसघ ने दोहरी नीति अपना ली- केन्द्र में श्री मोरार जी देसाई के साथ और जनता पार्टी शासित राज्यों में श्री चरण सिंह के साथ।" ²

श्री जगजीवन राम

सर्वोच्च त्रिमूर्ति में दूसरा नाम श्री जगजीवन राम का था। उन्होंने भी प्रधानमन्त्री बनने की आकांक्षा श्री मोरार जी देसाई और श्री चरणसिंह की तरह पाल रखी थी। उन्हें भी पूर्ण विश्वास था कि जनता पार्टी की जीत उन्हीं के कारण हुई है। यदि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर धमाका न किया होता तो श्रीमती इंदिरा गाँधी पुनः सत्ता में आ जाती। श्री जगजीवन राम का कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र निश्चित रूप से अवसरवादी राजनीति का परिणाम था। उन्होंने कांग्रेस को तभी छोड़ा जब उन्हें विश्वास हो गया कि अगले लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गाँधी बुरी तरह से पराजित होने वाली है। अन्य सत्तालोलुपों की भाँति उनकी भी दृष्टि प्रधानमन्त्री की कुर्सी पर थी। उनका मानना था कि, "अगर वह आज प्रधानमन्त्री नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा

-
1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, जनवरी 25 1977
 2. जनार्दन ठाकुर पूर्वोक्त, पृ० 111

गांधी का साथ ही क्यों छोड़ा ? अगर केवल मंत्री बने रहना होता तो तानाशाही के खिलाफ उनकी लड़ाई का तुक ही क्या था ?”¹ उनके सहायक श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा उनसे ज्यादा निराशा हुये थे, जिन्होंने यह आशा बाँध रखी थी कि बाबूजी की कुर्सी के पीछे शासन चलायेगे ।

प्रारम्भ से ही श्री जग जीवन राम और उनकी पार्टी सी० एफ० डी० का दृष्टिकोण जनता पार्टी के प्रति समझौतावादी नहीं बल्कि सौदेबाजी का था । यह माना जाता था कि लोकसभा चुनाव के बाद सी० एफ० डी० का जनता पार्टी में विलय सरलता से हो जायेगा । “परन्तु सी० एफ० डी० ही नेताओं का दृष्टिकोण उनके जनता पार्टी में विलय के प्रति गम्भीर एवं अनुकूल नहीं था । उनके कार्यकलापो से ऐसा प्रतीत होता था, कि वे अपने आपको प्रबल सौदेबाजी की स्थिति में रखना चाहते थे ।”² उदाहरण के लिये, प्रथम- लोक सभा चुनाव, के बाद श्री जग जीवन राम ने घोषणा की कि ‘उनकी पार्टी ससद के अन्दर एवं बाहर एक अलग सगठन के रूप में रहेगी ।’³ अर्थात् उनकी पार्टी जनता पार्टी में विलय की कमोवेश अनिच्छुक थी । द्वितीय- जब श्री जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सके तो उन्होंने और श्री एच० एन० बहुगुणा ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल होने पर हिचकिचाहट दिखाई । बाद में व्यापक जन समुदाय के दबाव में इन दोनों घटनाओं ने नाटकीय एवं सकारात्मक मोड़ लिया । इससे श्री जगजीवन राम की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई । यह सम्पूर्ण घटनाक्रम जनता पार्टी के अस्तित्व एवं भविष्य के लिये घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि सी० एफ० डी० गुट के नेताओं का मन साफ नहीं हुआ था ।

श्री चरणसिंह

सत्तालोलुपो एवं अवसरवादी राजनीतिज्ञों की जमात में तीसरा परन्तु सर्वप्रमुख नाम चौधरी चरणसिंह का है । एक दिन के लिये भी वह सरकार और दल में अपनी दायम स्थिति नहीं स्वीकार कर पाये थे । जनता पार्टी के गठन एवं विजय का मुख्य नायक वे स्वयं को मानते थे । वे इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे कि सन् 1969 में पहली बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में 100 सीटें जीतकर कांग्रेस को गम्भीर चुनौती दी थी, और गैर-कांग्रेसवाद की अमली जामा पहनाया था । “श्री चरणसिंह मानते थे कि जनता पार्टी ‘सयुक्त विधायक दल’ का राष्ट्रीय संस्करण है । चूँकि उन्होंने राज्य स्तर पर इसका नेतृत्व किया था । अतः राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व का अवसर उन्हें मिलना चाहिये ।”⁴ इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त चौधरी साहब यह सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें ‘जनता सरकार’ में प्रधानमंत्री नहीं बनाया जायेगा ।

जब जनता पार्टी के गठन की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय चोटी के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं धरातल पर आ गयी थी । श्री मोरार जी विलय के विरोधी थे, जबकि श्री चरणसिंह ‘विलय’ के प्रबल समर्थक थे । जब विलय का प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो वे समझते थे कि वही इसके स्वाभाविक अध्यक्ष होंगे । परन्तु जब उनके ही दल के महामंत्री पीलू मोदी ने अध्यक्ष पद के लिये श्री मोरार जी देसाई का नाम सुझाया, तो उन्हें धक्का लगा । बाद में श्री

-
1. जनार्दन ठाकुर “इंदिरा गांधी का राजनीतिक खेल” पूर्वोक्त, पृ० 109
 2. हॉस्ट हार्टमैन “पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया”, पूर्वोक्त, पृ० 272
 3. दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, मार्च 21, 1977
 4. अरुण गाँधी “दि मोरार जी पेपर्स फाल आफ दि जनता गवर्नमेंट”, विजन बुक्स प्रा० लि०, दिल्ली, 1984, पृ० 54

चरणसिंह ने कुपित होकर पीलू मोदी पर आरोप लगाया कि “तुमने मेरा नाम इसलिये नहीं प्रस्तावित किया कि मैं गुजराती नहीं हूँ।”¹ प्रधानमंत्री के चयन के समय जब जनसघी नेताओं में श्री चरणसिंह का साथ नहीं दिया, तो बदले में उन्होंने श्री जगजीवन राम के खिलाफ अपनी घृणा का प्रदर्शन करते हुये मजबूरी में श्री मोरार जी का समर्थन किया। श्री चरणसिंह को दूसरा आघात तब लगा, जब उनके गुट के कर्पूरी ठाकुर के बजाय श्री जय प्रकाश नारायण ने श्री चन्द्रशेखर का पार्टी का अध्यक्ष बनाया।

अहम् का टकराव

जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता त्रय- श्री मोरार जी देसाई, श्री चरणसिंह और श्री जगजीवन राम- किसी भी मुद्दे में एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। इन तीनों नेताओं ने विभिन्न समयों में कांग्रेस छोड़ी थी, सबसे पहले श्री चरणसिंह ने (1967) उसके बाद श्री मोरारजी देसाई ने (1969) और सबसे बाद श्री जगजीवन राम ने (1977)। इन नेताओं द्वारा कांग्रेस छोड़ने का मूल कारण यह था कि इन्हें सत्ता में समुचित भागीदारी नहीं मिल रही थी और सत्ता के दायरे में इनकी उपेक्षा हो रही थी। इन तीनों नेताओं ने स्वयं को मूल कांग्रेस दल से अलग करके स्वयं अपने ‘नवीन दल’ का गठन किया था। अतः इनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे किसी अन्य छोटे राजनीतिक दल (कांग्रेस की तुलना) में विलय करके उसमें अपनी द्वितीयक स्थिति स्वीकार करें। इसके आलावा कांग्रेस द्वारा इनकी उपेक्षा से जन्मी राजनीतिक कुंठा और अहम् ने इन्हें असहजतायादी बना दिया था।

श्री चरणसिंह स्वयं को महान जन-नेता समझता थे, श्री जगजीवन राम स्वयं की एक कुशल प्रशासक एवं कूट नीतिज्ञ तथा श्री मोरार जी देसाई का हाल यह था कि वे किसी भी राजनीतिक सकट में अपने दृष्टिकोणको भ्रमातीत समझते थे। यही कारण था कि श्री जय प्रकाश नारायण की अनेक अपीलों के बावजूद इन सर्वोच्च त्रिमूर्तियों ने जनता पार्टी की एकता बनाये रखने के लिये खुले हृदय से न तो प्रयास किया और न ही आपसी मतभेदों को दूर किया।

जनता पार्टी के मन्त्रिमण्डल में एक से बढ़कर एक अनुभवी और योग्य प्रशासक एवं राजनीतिज्ञ थे, परन्तु लोगो के नजरो में इसकी साख गिरती जा रही थी। जनता पार्टी के वयोवृद्ध शुभ चिन्तक आचार्य कृपलानी का मानना था कि “जनता पार्टी और सरकार के तीन सर्वोच्च नेताओं - श्री मोरार जी, श्री जगजीवन राम और श्री चरणसिंह- के बीच गम्भीर मतभेद के कारण पार्टी और सरकार की छवि खराब हुई।”² जब श्री मोरारजी देसाई का इस मतभेद की ओर ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि “ऐसे मतभेद तो सभी लोकतान्त्रिक दल एवं सरकार में होते हैं।”³ यह सत्य है कि स्वतन्त्र भारत के प्रथम मन्त्रिमण्डल में प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल के बीच मतभेद थे और इसके बाद की सरकारों में भी इस प्रकार के मतभेद विद्यमान थे। परन्तु वे कभी भी इतने सार्वजनिक नहीं हुये जितने जनता पार्टी के।

1. जनार्दन ठाकुर “इंदिरा गाँधी का राजनीतिक खेल”, पूर्वोक्त, पृ० 110

2. आचार्य जे० बी० कृपलानी ‘व्हाट एल्स जनता पार्टी एवं गवर्नमेंट’ (लेख, “जनता एरा फर्स्ट इयर”, जनता पार्टी प्रकाशन, मई 1978, पूर्वोक्त, पृ० 14)

3. वही

जनता पार्टी के यह मतभेद इतने गम्भीर और सार्वजनिक थे कि मन्त्रिमण्डल के कुछ कनिष्ठ मन्त्रियों ने इस स्थिति पर आक्षेप किया। उद्योग मन्त्री जार्ज फर्नांडीज न दल की 'राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति' में कबूल किया था कि दल और सरकार दोनों की प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। चोटी पर बैठी सर्वोच्च त्रिमूर्ति की ओर परोक्ष रूप से सकेत करते हुये उन्होंने कहा "इन नेताओं को अपनी राजनीतिक साख का इस्तेमाल करके दल को ठीक रखने के लिये सयुक्त प्रयास करना चाहिये। देश, पार्टी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति यह उनका कर्तव्य है। अगर वे इसमें चूकते हैं तो इसका परिणाम हर व्यक्ति के लिये दुःखद होगा।"¹

इन सर्वोच्च नेतात्रय के बीच केवल सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी गम्भीर मतभेद थे। श्री मोरार जी देसाई निजी बातचीत में श्री जगजीवन राम पर व्यक्तिगत नैतिकता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नहीं थकते थे। "श्री देसाई के ढोंग की कोई सीमा नहीं थी। सार्वजनिक रूप से वह जगजीवन राम के सरकार बनाने के दावे का समर्थन करते हैं और व्यक्तिगत बातचीत में वह उनकी कठोर शब्दों में निन्दा करते रहे हैं। वह कहते रहे हैं कि वह उस व्यक्ति को प्रधानमन्त्री नहीं बनने देंगे जिसकी निजी नैतिकता और सार्वजनिक निष्ठा में खोट है।"² जब जुलाई 1979 में विपक्ष ने जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा, उस समय श्री जय प्रकाश नारायण ने श्री मोरार जी देसाई बहुत ही दयनीय अपील की कि "वे श्री जगजीवन राम के पक्ष में पद-त्याग दे, परन्तु श्री देसाई ने ऐसा नहीं किया और जब त्यागपत्र दिया भी तो उस समय बहुत देर हो चुकी थी।"³ श्री मोरार जी देसाई ने लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने के पूर्व प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिससे उन की सरकार को लोकसभा में पराजय का मुँह न देखना पड़े। ऐसा करके "श्री मोरार जी पुनः सरकार बनाने के अपने दावे को बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि वे अब भी लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता थे।"⁴ श्री जगजीवन राम की दृष्टि में श्री देसाई थोपे गये प्रधान मंत्री, अड़ियल व्यक्ति एवं अकुशल प्रशासक थे।

श्री चरणसिंह ने श्री जगजीवन राम के प्रधानमन्त्री बनने के प्रस्ताव को घृणापूर्वक अस्वीकार करते हुये कहा था, कि "कल तक जिसने हमें जेल में बंद किया वह आज प्रधानमन्त्री बनेगा?"⁵ श्री जगजीवन राम खुले आम श्री चरणसिंह को 'कुलक नेता' कहते रहे थे। यहाँ तक कि श्रीमती मेनका गाँधी के साथ एक भेट वार्ता में 'उन्होंने चौधरी चरणसिंह का खासा मजाक उड़ाया और व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा कि आप चरणसिंह को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानती हैं।'⁶

जनता पार्टी आन्तरिक रूप अत्यन्त कमजोर हो गयी थी फिर भी गुटीय सघर्ष बेरोक-टोक चलते रहे और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने इन्हे (गुटीय सघर्ष) तीव्रता प्रदान की। जब प्रारम्भ से ही पार्टी के एक घटक ने सत्ता पर कब्जा कर लिया तो दूसरा घटक सत्ता को हथियाने के लिये खुलकर लड़ाई में जुट गया और घृणास्पद हद तक चरित्र

1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, अप्रैल 24, 1978
2. एस(0) के(0) घोष "दि बिट्टेरल," पूर्वोक्त, पृ(0) 201
3. वही
4. वही
5. जनार्दन ठाकुर "ऑल दि जनता मेन"; पूर्वोक्त, पृ(0) 27
6. सूर्या, मई 1978

हनन करने लगा। सवाल चाहे टिकटों के बँटवारे का हो या मन्त्रिमण्डल में पद के, बँटवारे का, सत्ता की व्यक्तिगत आकाक्षाओं के कारण नग्न सिद्धान्तहीन समीकरण राजनीतिक वातावरण में छाये रहे जो लोग अपनी महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति में लगे थे, उनके लिये दल की नीतियाँ और कार्यक्रम असंगत होने लगे थे। यहाँ तक कि श्री जय प्रकाश नारायण की अपीलों और अनुरोध को ठुकरा दिया गया। शायद ही कभी राष्ट्रीय कार्य समिति में किये गये वादों और जनता की समस्याओं पर गम्भीर विचार विमर्श किया गया हो। शीत-युद्ध जैसी स्थिति में कोई भी रचनात्मक विचार विमर्श सम्भव भी नहीं था। अतः “जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं ने उस उत्तरदायित्व को नहीं निभाया, जो जनता द्वारा उन पर डाला गया था। ऐसा दायित्व इतिहास में बहुत लोगों को नहीं मिलता। परन्तु इनके आपसी झगड़ों ने इनको और पार्टी को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को आहत किया।”¹

जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव श्री सुरेन्द्र मोहन ने शोधकर्ता से एक लम्बे साक्षात्कार² के दौरान इस त्रिमूर्ति विवाद के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुये कहा कि “श्री मोरार जी देसाई और श्री चरणसिंह स्वयं को जनता पार्टी का सर्वेसर्वा मानकर चल रहे थे, अतः उनमें टकराव होना स्वाभाविक था।” इस त्रिमूर्ति या त्रिगुटीय संघर्ष के सन्दर्भ में उनका विचार था कि “अगर श्री जगजीवन राम और उनके गुट के स्थान पर, जनसंघ गुट को समाहित कर लिया जाय तो वस्तुस्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाती है।” उन्होंने कहा कि, “यहाँ तीन गुट (जिसमें व्यक्ति प्रमुख हैं), जिसकी अपने बारे में सोच यह है कि एक (श्री मोरार जी देसाई) समझता है कि वह अतीत और वर्तमान की कड़ी है, दूसरा (श्री चरणसिंह) समझता है कि उत्तर भारत का किसान वर्ग उसके साथ है और तीसरा (जनसंघ गुट) समझता है कि मुझ पर ही आपातकाल की लड़ाई का भार था। इन पूर्वग्रहों की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार इन तीनों का एका हुआ वह ठीक नहीं था यह एका उनकी शक्ति के आधार पर होता तो शायद जनता पार्टी की सरकार चल जाती, जैसा यूरोप में होता है”।

एक प्रश्न के उत्तर में श्री सुरेन्द्र मोहन ने कहा कि ‘जनसंघ का रवैया कभी भी सामन्जस्यपूर्ण नहीं था क्योंकि यह गुट केन्द्र और राज्य में दोहरी नीति अपनाये था, जनसंघ गुट केन्द्र में श्री मोरारजी देसाई और राज्यो में श्री चरणसिंह का सहयोग कर रहा था।’ परन्तु श्री सुरेन्द्र मोहन के इस तर्क से यह सिद्ध नहीं होता कि पूरी ‘जनता प्रक्रिया’ के दौरान जनसंघ गुट का रवैया असमझौतावादी या असामन्जस्यपूर्ण था। जनसंघ गुट अनुशासित एवं शक्तिशाली गुट था, इसी कारण इसके शक्ति के समेकन के प्रयास को अन्य गुटों द्वारा भय और आशंका की दृष्टि से देखा जाता था, जबकि सभी घटक दल इस प्रकार का प्रयास कर रहे थे।

निष्कर्ष

जनता पार्टी के सम्पूर्ण इतिहास को देखने से प्रतीत होता है कि जनसंघ जनता पार्टी का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गुट था। लेकिन इस गुट को यह एहसास था कि सम्भव है कि प्रधानमन्त्री पद के संघर्ष में जनता पार्टी के अन्य घटक दल उसका समर्थन न करें। अतः वस्तुस्थिति का आकलन करके उसने (जनसंघ गुट) कभी भी सर्वोच्च सत्ता की दावेदारी प्रस्तुत नहीं की और न ही इसके लिये कोई राजनीतिक जोड़-तोड़ या दुरभिसन्धि की। इसके आलावा

1. आचार्य जे। बी। कृपलानी ‘व्हाट ऐल्स जनता पार्टी ऐण्ड गवर्नमेंट’ (लेख) पूर्वोक्त, पृ० 16
2. शोधकर्ता का श्री सुरेन्द्र मोहन से वृहद साक्षात्कार, देखे, इसी शोध प्रबंध में, परिशिष्ट-1,

जनसघ गुट के किसी शीर्षस्थ नेता ने प्रधानमन्त्री न बनने के कारण, कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं या कुठाओं की अभिव्यक्ति नहीं की, और न ही इसके किसी वरिष्ठ नेता ने इस कारण जनता पार्टी के अन्य शीर्षस्थ गुटीय नेताओं की सार्वजनिक आलोचना की जैसा कि श्री चरणसिंह ने किया। जनसघ गुट ने जनता पार्टी में कभी भी ऐसा सकट उत्पन्न नहीं किया, जिससे पार्टी और सरकार की छवि धूमिल हो। कारण चाहे जो रहे हो, परन्तु यह तथ्य है कि मुख्यतः जनसघी नेताओं के प्रयासों से श्री चरणसिंह को पुनः केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया, जबकि मन्त्रिमण्डल में वापस लौटने के बाद उन्होंने जनसघ गुट के विरुद्ध खुली मुहिम छेड़ दी।

श्री सुरेन्द्र मोहन यह तो स्वीकार करते हैं कि श्री चरणसिंह अपनी प्रधानमन्त्री बनने की आकांक्षा पूरी करना चाहते थे, परन्तु उनके (श्री चरणसिंह) द्वारा सरकार को की गयी आलोचनाओं एवं राजनीतिक दुरभिसन्धियों को एक सहज प्रतिक्रिया मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। भारतीय लोकदल, जनता पार्टी में, जनसघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा घटक था। इसके नेता श्री चरणसिंह ने प्रारम्भ से ही सर्वोच्च सत्ता प्राप्ति अन्य गुटों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था, इस प्रयास में जिस गुट का सहयोग उन्हें नहीं मिला वे उस गुट के कट्टर दुश्मन बन गये। प्रधानमन्त्री बनने में श्री चरणसिंह को जनसघ गुट से समर्थन मिलने की पूर्ण आशा थी, क्योंकि इस गुट ने प्रधानमन्त्री पद के लिये अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की थी। श्री चरणसिंह को यह सहयोग नहीं मिला अतः अन्य गुटों के साथ साथ वे जनसघ गुट के शत्रु बन गये। यह राजनीतिक, नैतिक एवं व्यावहारिक किसी भी दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं था। व्यावहारिक स्थिति तो यह थी कि जिस प्रकार जनसघ गुट ने अपनी वस्तुस्थिति का आकलन करके, प्रधानमन्त्री पद की दावेदारी प्रस्तुत नहीं की। उसी प्रकार अगर भारतीय लोकदल गुट के श्री चरणसिंह भी अपनी सीमाओं को पहचान कर प्रधानमन्त्री पद के लिये लालयित न होते, तो शायद जनता पार्टी का भविष्य सुखद होता।

आलोचन ओं, आक्षेपों एवं दुरभिसन्धियों की राजनीति

लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में विपक्ष द्वारा सरकार की आलोचना करना, उस पर आक्षेप करना एवं शान्तिपूर्ण ढंग से उसे अपदस्थ करने के लिये कूटनीतिक चाले चलना, एक स्वाभाविक एवं सवैधानिक प्रक्रिया है। परन्तु जब यही कृत्य स्वयं अपनी सरकार एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किये जाने लगे, तो उस सरकार एवं पार्टी का भविष्य अन्धकार मय समझना चाहिये। जनता सरकार के लगभग ढाई वर्षों का शासनकाल इन्हीं आलोचनाओं आक्षेपों और दुरभिसन्धियों से भरा पड़ा है। यही कारण था कि "श्री मोरार जी के नेतृत्व में सरकार के विभिन्न मन्त्रीगण- चौधरी चरणसिंह, श्री लाल कृष्ण अडवानी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जग जीवन राम, श्री राज नारायण, श्री एच० एन० बहुगुणा, एवं श्री जार्ज फर्नांडीज तथा पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर कभी भी सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सके।"¹ जनता पार्टी एवं सरकार के मीरजापुर की सूची तो बहुत लम्बी है परन्तु इनमें कुछ लोगों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं- जैसे श्री चरणसिंह, श्री एच० एन० बहुगुणा, श्री राज नारायण, श्री जार्ज फर्नांडीज एवं श्री मधुलिमिए।

श्री चरण सिंह

जनता पार्टी में उत्पन्न हुये लगभग सभी राजनीतिक सक्तों के केन्द्र बिन्दु चौधरी चरणसिंह थे क्योंकि वे प्रधानमन्त्री बनने के अपने स्वप्न को साकार करना चाहते थे। सभी राजनीतिक प्रश्न (जो प्रच्छन्नत आक्षेप और दुरभिसन्धियाँ ही थीं) जो वे उठा रहे थे देश के प्रधानमन्त्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षाओं के मूलाधार पर बने ऊपरी ढाँचे मात्र थे।² प्रधानमन्त्री बनने के बाद उन्होंने बिना किसी वाकछल के धृष्टतापूर्वक घोषणा की थी, "मेरे जीवन की महत्वाकांक्षा पूरी हो गयी।"³

प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी को कमजोर करने के लिये, श्री चरणसिंह ने उनके पुत्र श्री काति देसाई का प्रकरण उठाया और आरोप लगाया कि प्रधानमन्त्री पुत्र- मोह में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दोनों नेताओं के बीच इसी प्रकरण से सम्बन्धित छः पत्रों⁴ का आदान प्रदान हुआ। ये पत्र अति गोपनीय थे, परन्तु बाद में इसकी हवा प्रेस को दे दी गयी, इससे दोनों नेताओं के सम्बन्ध बिगडने के साथ साथ सरकार की बदनामी हुई।

प्रधानमन्त्री, श्री मोरार जी के विरुद्ध इस पडयत्र में श्री मधुलिमिए भी श्री चरणसिंह का साथ दे रहे थे। श्री मधुलिमिए, चौधरी साहब के अत्यन्त विश्वास पात्र एवं राजनीतिक सलाहकार भी थे। "जब श्री चरणसिंह प्रधानमन्त्री नहीं बन सके तो उन्होंने श्री मोरार जी देसाई का समर्थन इसलिये किया था कि वे (और मधुलिमिए) यह विश्वास करते

1. अरुण गाँधी "दि मोरार जी पेपर्स," पूर्वोक्त, पृ० 98
2. मधुदण्डवने 'सत्ता की राजनीति एवं वर्तमान राजनीतिक सक्त' (लेख), उद्धृत, "सिद्धान्त या अवसरवादिता" ? पूर्वोक्त, पृ० 18
3. वही. पृ० 19
4. एल० के० अडवानी "दि पीपुल बिट्रेड", 11 मार्च 1978 से 29 मार्च 1978 के बीच लिखे गये सभी पत्र मूल रूप से अंकित हैं, पूर्वोक्त परिशिष्ट 1, पृ० 125-136

थे क्योंकि श्री मोरार जी देसाई 'काति प्रकरण' पर अति सवेदनशील है, अतः उनसे अपनी इच्छानुसार अपदस्थ किया जा सकता है।" 1

जून 1978 में प्रधानमंत्री श्री चरणसिंह के मन्त्रिमण्डल से निष्कासन के कुछ दिनों बाद श्री मधुलिमिने जनता पार्टी के महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया और बयान दिया कि जून 1977 के विधान सभा चुनाव में काति देसाई ने पूँजीपतियों से पैसा लेकर अपने लोगों को दिया है। श्री सुरेन्द्र मोहन ने भेटवार्ता के दौरान बताया कि "वास्तविकता यह थी कि सट्टेल आफिस से जितना पैसा 1977 के चुनाव में आता जाता था वह सब मेरी और मधुलिमिने की जानकारी में था। प्रत्येक उम्मीदवार को 3-3 हजार रुपये दिये गये थे। यदि कोई उम्मीदवार आपातकाल में जेल गया या अनुसूचित जाति, जन जाति या अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उसे दो हजार रुपये ज्यादा दिये गये। यदि कोई महिला जेल गयी थी तो उसे दो हजार रुपये और ज्यादा दिये गये थे। इतना जानते हुये अगर मधुलिमिने यह बात कहते हैं तो यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। और यदि कहना है तो पार्टी की केन्द्रीय समिति या ससदीय बोर्ड में कहिये, उन्हें सभी अवसर थे, इस प्रकार के सार्वजनिक वक्तव्य देने का क्या प्रायोजन था?" 2 नि.सन्देश यह श्री मोरार जी देसाई और जनता सरकार को कमजोर करने का निन्दनीय प्रयास था।

सन् 1968 में जब श्री मोरार जी देसाई केन्द्रीय सरकार में वित्त मंत्री थे इस समय 'काति प्रकरण' पर तूफान उठा था और जाँच करायी गयी थी। इसमें काति देसाई को निर्दोष पाया गया था। इस बार वैद्यलिंगम् समिति ने 'काति प्रकरण' की जाच की और काति देसाई के विरुद्ध सभी आरोपों का निराधार पाया। स्पष्ट है कि यह श्री मोरार जी के विरुद्ध एक दुरभिसन्धि थी, जिसमें सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गयी थी।

जब श्री चरणसिंह को यह महसूस हुआ कि 'काति प्रकरण' को लोग उनकी, प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई से व्यक्तिगत लड़ाई के रूप में देख रहे हैं, तो उन्होंने सरकार पर ऐसे आरोप लगाना प्रारम्भ कर दिया, जिन्हे वैचारिकता का जामा पहनाया जा सकता था। चौधरी साहब ने सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों पर प्रहार किया उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति में सामान्य जनता की सुविधाओं और आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है और जो लोग कल तक भारी उद्योगों को प्राथमिकता देते थे वे आज सत्ता का केन्द्र बने हुये हैं।" 3 चौधरी चरणसिंह का यह वक्तव्य प्रधानमंत्री श्री देसाई, वित्तमंत्री श्री एच.एम. पटेल और उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज़ पर सीधा आक्षेप था। "श्री चरणसिंह का चाहे जो आशय रहा हो परन्तु यह 'सामूहिक-उत्तरदायित्व' के सिद्धान्त का सीधा उल्लंघन था। यद्यपि सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।" 4 यह एक राजनीतिक मूल थी क्योंकि किसी भी कैबिनेट मंत्री को अपनी सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। किसी मंत्री के इस कृत्य, उपेक्षा करना राजनीतिक अदूरदर्शिता का प्रमाण था। इसे भावी घटनाओं की पूर्व सूचना समझा जाना चाहिये था।

1. अरुण गाँधी "दि मोरार जी पेपर्स", पूर्वोक्त, पृ. 52
2. शोधकर्ता की श्री सुरेन्द्र मोहन से हुयी भेटवार्ता का अंश। देखे इसी शोध प्रबन्ध में परिशिष्ट-1,
3. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, मई 31, 1978
4. एल.के. अडकानी: "दि पीपुल विट्रेड", पूर्वोक्त, पृ. 26

श्री चरणसिंह एवं श्री एच० एन० बहुगुणा : आरोप प्रत्यारोप

अनेक पूर्वाग्रहों एवं राजनीतिक समीकरणों के तहत श्री चरणसिंह की, श्री, एच० एन० बहुगुणा के प्रति घृणा सर्वविदित थी। एक ही दल एवं सरकार के सदस्य होते हुये, ये नेताद्वय एक दूसरे के कटु आलोचक थे। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी रह चुके थे और दोनों का जनाधार मुख्यतः यही प्रदेश था। अगर श्री चरणसिंह किसानों के नेता थे तो श्री बहुगुणा की मुसलमानों में गहरी बैठ थी। श्री चरणसिंह ने 2 अप्रैल 1978 को प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने श्री बहुगुणा की कड़ी भर्त्सना करते हुये कहा कि 'बहुगुणा जी प्रारम्भ से ही मुझे और मेरे गुट को बदनाम करने की काशिश करते रहे हैं। श्री बहुगुणा एवं उनके अभिन्न मित्र एवं सासद श्री रामधन ने सम्भल (उ० प्र०) में हुये दंगों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की वन नीति के विरुद्ध पहाड़ी लोगों का भड़का कर नैनीताल क्लब में आग लगवाई ताकि उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी हो।' ¹

श्री चरणसिंह ने आरोप लगाया कि 'जामा मस्जिद के इमाम सैय्यद अब्दुला बुखारी जनता सरकार की नीतियों के कटु आलोचक हैं, इसके बावजूद श्री बहुगुणा, श्री बुखारी से साठ-गाठ किये हुये हैं। श्री बुखारी ने श्री बहुगुणा की सह पर ही लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में हुये साम्प्रदायिक दंगों के लिये मुझसे त्यागपत्र की माग की। श्री चरणसिंह ने श्री बहुगुणा पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये तथा उन्हें पूर्व सोवियत सघ की गुप्तचर सस्था के० जी० बी० का एजेंट करार दिया और मांग की कि ऐसे व्यक्ति को तो कडे से कडा दण्ड मिलना चाहिये ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस 'नटवर लाल' का अनुसरण न कर सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रश्न किया कि ऐसा भ्रष्ट आदमी किस प्रकार आप की कैबिनेट में है?' ²

इसके पूर्व 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' गुट के सासद प्रो० शिब्यन लाल सक्सेना ने श्री एच० एन० बहुगुणा पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और यहाँ तक की वेश्यावृत्ति के० 101 आरोप लगाये थे। ² प्रो० सक्सेना ने इससे सम्बन्धित एक पत्र भी श्री मोरार जी देसाई को लिखा। श्री मोरार जी देसाई ने 15 फरवरी 1978 को श्री एच० एन० बहुगुणा को एक पत्र लिखा, 'जिसमें उन्होंने कहा कि यद्यपि मैं इन आरोपों पर विश्वास नहीं करता और न ही इस प्रकरण की जाँच करना चाहता हूँ तथापि आपका स्पर्ष्टाकरण आपेक्षित है।' ³ प्रो० शिब्यन लाल द्वारा लगाये गये आरोप पत्र में नाम, दिनांक और रुपये आदि आँकड़े इस प्रकार उल्लेखित थे, कि प्रतीत होता था इसे किसी 'व्यावसायिक अभिकरण' के निर्देशन में तैयार किया हो। "यद्यपि श्री मोरार जी देसाई ने इस बात का खण्डन किया था कि श्री सक्सेना को आरोप पत्र की सामग्री श्री चरणसिंह ने उपलब्ध करायी थी। परन्तु यह अपवाह थी कि अपने गृहमन्त्रित्वकाल में श्री चरणसिंह ने अपने सहयोगियों के कामकाज की जासूसी करने में जाँच सस्थाओं का भरपूर प्रयोग किया है।" ⁴

1 पत्र के मूल पाठ से, उद्धृत, श्री अरुण शौरी "इन्स्टीट्यूशन इन दि जनता फेज़", पूर्वोक्त, पृ० 248-252

2 आरोप पत्र का मूल पाठ, उद्धृत, अरुण गाँधी "दि मोरारजी पेपर्स", पूर्वोक्त; परिशिष्ट II, पृ० 129-136

3 पत्र के मूल पाठ से, उद्धृत अरुण गाँधी "दि मोरार जी पेपर्स", पूर्वोक्त; पृ० 109

4 अरुण गाँधी; पूर्वोक्त; पृ० 109

श्री एच० एन० बहुगुणा ने 10 जुलाई 1978 को श्री मोरार जी देसाई को एक पत्र लिखा। 'इसमें उन्होंने श्री चरणसिंह और प्रो० शिब्वन लाल द्वारा लगाये गये आरोपों का कड़ाई से खण्डन किया और कहा कि ये सभी आरोप घटिया, बेवनीयाद और घृणास्पद राजनीति के अंग हैं, तथा ये उनकी लोकप्रियता को कलकित करने के लिये लगाये गये हैं। अपने पत्र में बहुगुणा ने कहा कि श्री चरणसिंह 'आत्म-मोह' से ग्रसित हैं, अतः वे किसी अन्य व्यक्ति में कोई अच्छाई नहीं देख सकते। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रश्न किया कि क्या किसी देश के गृहमन्त्री को यह अनुमति दी जानी चाहिये कि वह अपने पद का दुरुपयोग दूसरों के चरित्र हनन के लिये कर सके?'¹ इस प्रकरण से दोनों नेताओं की छवि धूमिल हुई हो या नहीं, परन्तु जनता पार्टी एवं सरकार प्रतिष्ठा को अवश्य ही आघात लगा। क्या यह किसी भी सरकार के खोखलेपन का प्रमाण नहीं है कि एक मन्त्री अपने दूसरे साथी मन्त्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये? ऐसे सरकार का पतन तो अवश्यभावी था, प्रश्न केवल समय का था कि कब?

इस सम्पूर्ण प्रकरण के दो पक्ष हैं। प्रथम यदि यह मान भी लिया जाय कि श्री चरणसिंह एवं प्रो० शिब्वन लाल द्वारा श्री बहुगुणा पर लगाये गये सभी आरोप असत्य हैं तो भी श्री बहुगुणा छल कपट की राजनीति में लिप्त होने के आरोपों से मुक्त नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री श्री देसाई के बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, श्री एच० एन० बहुगुणा जामा मस्जिद के शाही इमाम श्री बुखारी के साथ दगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री एवं सरकार में उनकी आस्था सदिरघ थी' और वह जनता पार्टी एवं सरकार में अन्य गुटों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये उनके गुटीय नेताओं की छवि धूमिल करना चाहते हैं और अपना निजी प्रभाव क्षेत्र बना रहे थे।

इस पूरे प्रकरण का दूसरा और सबसे निन्दनीय पक्ष यह है कि अपने गृहमन्त्रित्व काल में श्री चरणसिंह ने श्री बहुगुणा पर जो आरोप लगाये थे, वे इतने गम्भीर थे कि देशद्रोह की परिधि में आते हैं। किन्तु जनता सरकार के पतन के बाद जब वे स्वयं (श्री चरणसिंह) प्रधानमंत्री बने और उन्हीं बहुगुणा जी को वित्तमन्त्री बनाकर उनके हाथों देश का पूरा खजाना सौंप दिया। ऐसी हालत में क्या समझा जाय कि चौधरी साहब ने द्वेषवश श्री बहुगुणा को मन्त्रिमण्डल से हटाने के लिये झूठे आरोप लगाये थे या प्रधानमंत्री बनने की अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिये उन्होंने बहुगुणा जी के अपराधों पर परदा डालकर उन्हें वित्तमन्त्री बनाया और देश के साथ धोखा किया। इसे श्री एच० एन० बहुगुणा का राजनीतिक आदर्श कहा जाय या सत्ता की भूख कि उन्होंने उस व्यक्ति के प्रधानमन्त्रित्व में कैबिनेट मन्त्री बनना स्वीकार किया, जिसने उन्हें भ्रष्ट और अपराधी करार दिया था।

बहुगुणा-बुखारी सांठ-गांठ

जनता शासन काल में जामा मस्जिद के इमाम सैय्यद अब्दुला बुखारी और श्री एच० एन० बहुगुणा के सबन्ध सर्वविदित थे। ये दोनों नेता स्वयं को मुसलमानों का सबसे बड़ा हित-चितक समझते थे, एवं दोनों में 'सहजीवी सांठ-गांठ' थी। श्री बहुगुणा, शाही इमाम के साथ मिलकर साम्प्रदायिक नामलो का उपयोग अपने विरोधियों को परास्त करने के लिये किया करते थे जबकि श्री बुखारी श्री बहुगुणा की सह पर सरकार के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप किया करते थे। जब भी कहीं कोई साम्प्रदायिक सुगबुगाहट होती थी, तो श्री बुखारी प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई को पत्र लिखते थे। यह सरकार के कार्यों में किसी धार्मिक नेता का सीधा हस्तक्षेप था। श्री मोरार जी देसाई ने श्री

1. पत्र के मूल पाठ का सार सक्षेप, उद्धृत, अरुण शौरी "इंस्टीट्यूशन इन दि जनता फेज", पूर्वोक्त, पृ० 252-256

बुखारी का आड़े हाथों लिया और उनके पत्रों का जवाब देना एव उनसे मिलना लगभग बन्द कर दिया। उन्होंने श्री एच० एन० बहुगुणा को भी इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी थी, परन्तु श्री बहुगुणा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।¹

श्री बहुगुणा एव श्री बुखारी की इस घृणित साठ-गाठ के कारण जनता पार्टी एव सरकार को अनेकों बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्री बुखारी ने अपनी एक मुलाकात के दौरान श्री मोरार जी देसाई को बताया कि केन्द्रीय सरकार एव उनके मध्य एक समझौता हो गया है। यह समझौता - वार्ता फरवरी 1978 में श्री जग जीवन राम के घर में सम्पन्न हुई और इसमें श्री एच० एन० बहुगुणा के अलावा जनता पार्टी के अन्य नेता गण भी शामिल थे। श्री बुखारी ने बताया कि इस समझौते में अनेक आश्वासन दिये गये हैं जैसे- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्प-संख्यक एव लोकतान्त्रिक स्वरूप सुनिश्चित करना, उर्दू को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली की 'द्वितीय राज्यभाषा' बनाना तथा जनता पार्टी की केन्द्रीय एव राज्यीय इकाइयों में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना आदि।² प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई को आश्चर्य हुआ कि उनकी जानकारी के बिना ये लोग भारत सरकार की ओर से बाई समझौता कैसे कर सकते हैं ?

इस प्रकरण के सत्यापन के लिये श्री मोरार जी ने श्री जगजीवन राम और श्री एच० एन० बहुगुणा का पत्र लिखा कि मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के बिना उन्होंने भारत सरकार की ओर से कोई समझौता कैसे कर लिया ? दोनो नेताओं ने प्रधानमंत्री को बताया कि श्री बुखारी के साथ हुई बैठक एक अनौपचारिक वार्ता थी और उन्होंने सरकार की ओर से कोई समझौता नहीं किया है। श्री बुखारी ने इस वार्ता का गलत अर्थ निकाला है।³ इससे निष्कर्ष निकलता है कि किस प्रकार एक धार्मिक नेता, मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्यों की सह पाकर भारत के प्रधानमंत्री को गुमराह और परेशान कर सकता है ? और दूसरी ओर सरकार के वरिष्ठ मन्त्री किस प्रकार सरकार एव प्रधानमंत्री को अत्यन्त दुविधा की स्थिति में डाल सकते हैं ? वैसे तो इस प्रकार की अनौपचारिक वार्ता भी इन मन्त्रियों के लिये उचित नहीं थी, क्योंकि ये नीति के प्रश्न थे, जिन पर एक धार्मिक सम्प्रदाय के नेता के साथ गुप्त वार्तालाप करना किसी भी दशा में उपयुक्त नहीं था।

श्री एच० एन० बहुगुणा एव श्री बुखारी की इस मिली-भगत से जनता पार्टी के कतिपय गुटीय नेता अत्यन्त अमन्तुष्ट थे। जब श्री बहुगुणा और श्री इमाम बुखारी ने उत्तर प्रदेश में दगे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस पर एक रिपोर्ट तैयार की तो श्री चरणसिंह अत्यन्त कुपित हुये, और उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश की सरकार (लोकदल गुट) को बदनाम करने की सोची समझी रणनीति बताया। वास्तव में श्री बहुगुणा जोड़ - तोड़ एव दुरभिसन्धियों की राजनीति से स्वयं को मुक्त नहीं रख सके, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई की अनेक चेतावनियों को बावजूद श्री बहुगुणा एव श्री बुखारी ने हमेशा अनुचित हस्तक्षेप किया और आचरण के सभी मापदण्डों के विरुद्ध सम्प्रदायिक दगों से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।⁴ चूकि किसी भी प्रकार के दगों आदि का सम्बन्ध कानून एव व्यवस्था से होता है,

- *1. अरुण गाँधी. "दि मोरार जी पेपर्स", पूर्वोक्त, पृ० 99
2. अरुण गाँधी. "दि मोरार जी पेपर्स", पूर्वोक्त पृ० 99-100
3. वही पृ० 100
4. अरुण गाँधी "दि मोरार जी पेपर्स", पूर्वोक्त पृ० 103

जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। अतः साधारणतः किसी केन्द्रीय मन्त्री का दगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा अनुचित एवं अनावश्यक माना जाता है जब तक कि प्रधानमन्त्री यह अनुभव नहीं करता कि स्थिति राज्य सरकार के नियन्त्रण से बाहर हो गयी है। अतः श्री एच(0) एन(0) बहुगुणा के कुचक्रों से जहाँ एक ओर केन्द्रीय सरकार को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा वहीं दूसरी ओर जनता पार्टी के अन्दर गुटीग सघर्षों में वृद्धि हुई।

श्री राजनारायण

जनता पार्टी के विघटन के सम्पूर्ण घटना क्रम में श्री राजनारायण की भूमिका अत्यन्त अप्रिय थी। वे समाजवादी राजनीति के विध्वंसक संस्करण एवं अखाड़ा राजनीति के समर्थक थे। उनका मानना था कि रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गाँधी को हटाने एवं श्री मोरार जी देसाई को प्रधानमन्त्री पद तक पहुँचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अतः जनता पार्टी और सरकार उनके बेहूने व्यक्तित्व को स्वीकार करने के लिये बाध्य है। “जनता पार्टी के शासन काल में वे लगातार अनुशासन-हीनता के कार्यों में लिप्त रहे। पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमन्त्री पर व्यक्तिगत आक्रमण करते रहे और राज्यों की ‘जनता सरकारों’ पर झूठे आरोप लगाते रहे। ऐसा करके उन्होंने भारत के करोड़ों लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये मिलकर काम करने की उस प्रतिज्ञा का तोड़ दिया जो राजघाट पर की गयी थी।”¹

अप्रैल 1978 में जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह सुनिश्चित किया गया था कि पार्टी के नेतागण अपने दलीय एवं नीतिगत मतभेदों पर सार्वजनिक वक्तव्य नहीं देंगे।² इस बैठक में श्री राजनारायण भी उपस्थित थे, परन्तु उसके बाद भी उन्होंने पार्टी के तदर्थ अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर से त्यागपत्र की माँग की। जब अनुशासन हीनता के लिये श्री राजनारायण की खिचाई की गयी तो उन्होंने साम्प्रदायिकता एवं ‘दोहरी सदस्यता’ का राग अलापना शुरू कर दिया। इस प्रकरण में श्री मधुलिमिए एवं श्री चरणसिंह श्री राजनारायण के सहायक एवं पथ प्रदर्शक थे।

25 जून 1978 को श्री राजनारायण ने शिमला में धारा 144, जो उस क्षेत्र में लगी थी, को तोड़कर एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया एवं हिमाचल प्रदेश की ‘जनता-सरकार’ की आलोचना की। अतः 29 जून को प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने श्री चरणसिंह के साथ उनका भी इस्तीफा माँग लिया। बाद में जब श्री राजनारायण को छोड़कर श्री चरणसिंह को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में वापस ले लिया गया, तो श्री राजनारायण ने पार्टी एवं सरकार तोड़ने की शपथ ली, और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि “मैं बाहर से पार्टी को तोड़ूँगा और श्री चरणसिंह सरकार में रहते हुए उसे तोड़ेंगे।”³ इसके बाद श्री राजनारायण का एक ही लक्ष्य था- श्री मोरार जी देसाई को अपदस्थ करना और इसके लिये श्री चरणसिंह को पार्टी छोड़ने को राजी करना। श्री राजनारायण ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि “विगत दो वर्षों में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जब तक श्री मोरार जी देसाई प्रधानमन्त्री पद पर बने रहेंगे, तब तक ‘जनता सरकार’

1. जन-विश्वासघात-जनता पार्टी प्रकाशन पूर्वोक्त, पृ० 22
2. वही पृ० 4
3. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली जनवरी 24, 1979

अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिये सही दिशा में कार्य नहीं कर सकती। यदि जनता पार्टी के सासद इस विषय में सोचेंगे तो वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और नया प्रधानमंत्री चुनेंगे।”¹

आक्षेपों एवं दुरभिसन्धियों के प्रमुख नायक श्री राजनारायण को अपनी इस मुहिम में श्री मधुलिमि का आशीर्वाद प्राप्त था और उन्होंने श्री चरणसिंह को अपने पक्ष में करने के लिये आर० एस० एस० का मुद्दा उठाया। श्री राजनारायण ने घोषणा की कि श्री चरणसिंह ही उनके नेता हैं इस पर बिहार के जनता सासद एवं भूतपूर्व समाजवादी नेता श्री रामानन्द तिवारी को दुखी होकर कहना पड़ा कि ‘यह तथ्य है कि सन् 1966-67 में उन्होंने (श्री राजनारायण) श्री चरणसिंह के विरुद्ध सी० बी० गुप्ता से साठगाठ कर ली थी और चरणसिंह को ‘चेयरसिंह’ कहा करते थे। श्री राजनारायण ‘भस्मासुर के समान हैं, जिसने भी उनकी सहायता की उसी को उन्होंने भस्म कर दिया। सबसे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को तोड़ा फिर एस० एस० पी० को तोड़ा अब जनता पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।’²

श्री राजनारायण ने केवल प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि पार्टी अध्यक्ष को भी अपना निशान बनाया और श्री चन्द्रशेखर के अपने पद में बने रहने पर आपत्ति की। सरकारी नीतियों की आलोचना करते हुए, उन्होंने सार्वजनिक रूप से जन समाज से आग्रह किया कि “वह सरकार को बदल दे, जो बर्झमान है तथा जिसने जनता से किये हुये वादे पूरे नहीं किये”³ इन्हीं वक्तव्यों के कारण केन्द्रीय अनुशासन समिति ने 12 जून 1979 को श्री राजनारायण को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से एक वर्ष के लिये निष्कासित कर दिया। उसी दिन उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि ‘मैं कार्यवाही से डरा हुआ नहीं हूँ उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही की है।’⁴ श्री चरणसिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से श्री राजनारायण के निष्कासन पर टिप्पणी करने से इकार कर दिया। इसी बीच श्री राजनारायण ने जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। पार्टी से त्यागपत्र देने के कुछ दिनों बाद, श्री राजनारायण ने ‘इण्डिया टुडे’ पत्रिका को दी गयी एक भेटवार्ता में दावा किया कि पार्टी से त्यागपत्र की राय श्री चरणसिंह ने दी थी।⁵ श्री चरणसिंह ने राजनारायण के इस दावे को गलत बताया और कहा ‘अब तो हद हो गयी है, मैं समझता हूँ कि हमारे मार्ग अन्तिम रूप से अलग-अलग हो गये हैं।’⁶ वास्तव में सभी घटनायें निश्चित योजना के अनुसार चल रही थी। श्री चरणसिंह अन्त तक अन्दर रहकर खेल खेलते रहे और जब उनकी प्रधानमंत्री बनने की सम्भावनायें प्रबल हो गयी तो वे सब से बाद में सरकार और पार्टी से बाहर आये।

सत्ता प्राप्ति के लिये किया गया भौड़ा संघर्ष जिसे देश हैरानी से देख रहा था, तब निम्नतम स्तर पर पहुँच गया जब जनता पार्टी से अलग हुये राजनारायण - चरणसिंह गुट, जनता पार्टी (सेक्यूलर) ने कांग्रेस (इ०) के साथ अपवित्र गठबंधन किया। भारतीय जन-समुदाय ने सत्ता-अधिनायकवाद से लड़ने के निश्चित प्रयोजन के लिये जनता

1. वही
2. उद्धृत, ‘जन-विश्वासघात’ जनता पार्टी प्रकाशन, पूर्वोक्त पृ० 22-23
3. ‘जन विश्वासघात’ जनता पार्टी प्रकाशन, पूर्वोक्त, पृ० 9
4. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया दिल्ली, जून 13, 1979
5. ‘जन विश्वासघात’, पूर्वोक्त, पृ० 11
6. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया दिल्ली, जुलाई 3, 1979

पार्टी को चुना था। जर्नल जनता पार्टी के किसी वर्ग या गुट का श्रीमती इंदिरा गाँधी के साथ गठबन्धन करना निश्चित रूप से जनता के साथ विश्वासघात करना था। 'कैसी विडम्बना है कि जिस व्यक्ति ने श्रीमती इंदिरा गाँधी को जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे में हराया, जिसके परिणामस्वरूप आपातस्थिति की घोषणा हुई और सारा देश तानाशाही के चंगुल में फँस गया। आज वही व्यक्ति अपने कट्टर राजनीतिक दुश्मन श्री मोरार जी देसाई को अपदस्थ करने के लिये अपना आत्म-सम्मान बेच कर उन्हीं श्रीमती इंदिरा गाँधी से जोड़ तोड़ कर रहा है।'¹

इण्डियन एक्सप्रेस ने अपनी सम्पादकीय में लिखा 'कि राजनारायण ने जो नुकसान जनता पार्टी का किया है वह हमारी चिन्ता का विषय नहीं है। मुख्य चिन्ता का विषय तो यह है कि राजनीतिक नैतिकता के मापदण्डों का पतन बिना रोक-टोक के जारी है।'² टाइम्स ऑफ इण्डिया ने राजनारायण को 'भारतीय मेफिस्टोफिल्स' (ग्रीक पैराणिक कथाओं में वर्णित सात राक्षसों में एक राक्षस, मेफिस्टोफिल्स है) करार दिया और कहा कि विगत वर्षों में राजनारायण से ज्यादा ^{अन्य} अन्य व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन के उन मूल्यों का निषेध नहीं किया, जिसके लिये उन्होंने वचन दिया था।'³

श्री जार्ज फर्नांडीज़

जनता पार्टी के विघटन रूपी 'नाटक' के अन्तिम दृश्य में जार्ज फर्नांडीज़ की छोटी परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह भूमिका उस समय आरम्भ होती है जब कांग्रेस (एस0) ने जनता पार्टी के विरुद्ध ससद में अविश्वास प्रस्ताव रखा। इसके पूर्व जनता पार्टी से उसके सासदों का धीरे-धीरे त्यागपत्र देने का सिलसिला प्रारम्भ हो गया था। श्री जार्ज फर्नांडीज़ ने इस प्रकार गुटबन्दी को असामयिक बताया और कहा कि वे 12 जुलाई 1979 को ससद में सरकार के समर्थन में बोलेंगे। 'श्री फर्नांडीज़ ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का तगड़ा विरोध करते हुये सरकार की नीतियों समर्थन किया।'⁴ सरकार के समर्थन के लिये सदन एव राष्ट्र ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की परन्तु जब वे भी उसी सरकार और पार्टी को छोड़कर अलग हो गये तो देश के अनेक लोगो ^{की} आघात लगा। ऐसी परिस्थिति में महान रोमन सम्राट जूलियस सीज़र की तर्ज पर श्री मोरार जी देसाई के मुँह से यह अवश्य निकला होगा- 'तुम भी फर्नांडीज़'!

7 अप्रैल 1979 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित ताजा लेख में श्री फर्नांडीज़ ने 'दल- बदल' और 'दल विभाजन' में अन्तर दिखाने की कोशिश की और अपने त्यागपत्र और दल-विभाजन को उचित बताया। परन्तु उन्हें यह याद रखना चाहिये कि वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिये जब उन्होंने 7-8 जुलाई 1978 को नई दिल्ली में समाजवादियों की एक औपचारिक बैठक बुलाई थी, तो आमन्त्रियों को अपने पत्र में उन्होंने लिखा- "सैद्धान्तिक बहस जारी रखना आवश्यक है, इससे बचना आवश्यक नहीं। गत दो वर्षों के अनुभव के प्रकाश में पुनः गुटबन्दी जरूरी है, परन्तु उससे जनता पार्टी टूटनी न चाहिये। तत्काल जनता पार्टी का कोई लाकतान्त्रिक विकल्प नहीं है। जो जनता

1. अरुण गाँधी "दि मोरार जी पेपर्स", पूर्वोक्त, पृ0 226
2. इण्डियन एक्सप्रेस 'इन बैड ऑर्डर', दिल्ली, अगस्त 23, 1979
3. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया; दिल्ली, अक्टूबर 4, 1979
4. देखें, जार्ज फर्नांडीज़ द्वारा जनता सरकार के समर्थन में दिये गये वक्तव्य का मूलपाठ, उद्धृत, एल0 के0 अडवानी; "दि पीपुल विट्रेड", पूर्वोक्त, परिशिष्ट VII पृ0 150-160

पार्टी को तोड़ेगे वे अपने उद्देश्यों का छोड़कर सैनिक या असैनिक अधिनायकवाद के एजेन्ट के रूप में ही कार्य करेंगे।”¹

मार्च 1977 के चुनावी घोषणा पत्र में एकता के लिये दिये गये आश्वासन से तथा उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि जनता पार्टी के सभी वर्ग उसकी एकता के लिये प्रतिबद्ध थे और सभी ने उसे न तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। इस आश्वासन को अति दुष्टता से भंग किया गया, जिससे लोग गम्भीर चिन्ता में पड़ गये। जनता की याददाश्त अल्पकालिक होती है परन्तु अल्पता की भी एक सीमा होती है।

यह बताने की जरूरत नहीं है कि ‘जनता सरकार’ के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आने पर जनता पार्टी के समस्त नेताओं का एक मात्र कर्तव्य यह था कि सब एक हो जाते और प्रस्ताव को गिरा देते। इसके बजाय हुआ क्या? निष्ठा का लोप, राजनीतिक बेइमानी, अवसरवादिता और निर्लज्जता का प्रदर्शन, वह भी अनावश्यक प्रश्नों को लेकर।

श्री मधुलिमिए

समाजवादियों की पार्टी तोड़क शृंखला में एक अन्य प्रसिद्ध नाम समाजवादी विचारक श्री मधुलिमिए का है जून 1978 जब केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से श्री चरणसिंह और श्री राजनारायण को निष्कासित कर दिया गया, तो श्री मधुलिमिए के जिम्मे एक ही काम था श्री मोरार जी देसाई अपदस्थ करना। ‘इसका सही कारण केवल वही जानते थे कि वे क्यों जनता पार्टी को नष्ट करना चाहते थे? श्री राम मनोहर लोहिया के ढाँचे में ढल कर उन्हें भी विध्वंसक राजनीति में सुख मिलने लगा था। जब जनता पार्टी का गठन हो रहा था, तब उन्होंने अपने एक अभिन्न मित्र से कहा था कि मैं जनता पार्टी के सर्वनाश के लिये कार्य करता रहूँगा।’² पिछले अनेक दशकों से समाजवादियों ने भारतीय राजनीति में कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। वे भली-भाँति जानते हैं कि वे देश में कभी सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिये शायद कुठामें वे नकारात्मक राजनीतिक द्वारा अपनी उपस्थिति महसूस कराना चाहते थे।

श्री मधुलिमिए का श्री मोरार जी देसाई के प्रति धृणा का एक कारण शायद यह रहा हो कि वे इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे कि श्री मोरार जी देसाई का व्यवहार पूर्व समाजवादियों और विशेषकर श्री राजनारायण के प्रति निष्ठुर था। जब श्री राजनारायण को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से निष्कासित किया गया तो श्री मधुलिमिए प्रधानमंत्री श्री देसाई के कटु आलोचक बन गये। बाद में जब जनवरी 1979 में श्री राजनारायण को छोड़कर श्री चरणसिंह के पुनः केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया तो श्री मधुलिमिए जनता पार्टी एवं श्री मोरार जी देसाई के प्रबल शत्रु बन गये। उन्होंने श्री राजनारायण को विश्वास दिलाया कि ‘जनसघ गुट’ के विरुद्ध अभियान चलाकर वे श्री देसाई और जनता पार्टी दोनों को कमजोर कर सकते हैं। श्री मधुलिमिए जानते थे कि सरकार में तो उनका वर्चस्व है नहीं, और यदि दल के सगठनात्मक चुनाव होते हैं तो ‘पार्टी सगठन’ में भी जनसघ गुट का वर्चस्व स्थापित हो जायेगा। इसलिये उन्होंने सगठन के चुनाव स्थगित कराने का अभियान चलाया। उनका बहाना था कि पचास प्रतिशत से अधिक नये सदस्य

1. उद्धृत, मधु दण्डवते, ‘सत्ता की राजनीति एवं वर्तमान राजनीतिक सकट’ (लेख), “सिद्धान्त या अवसर वादिता”, पूर्वोक्त, पृ० 118, देखें: मेन स्ट्रीम वार्षिक अंक 1979
2. अरुण गाँधी, “दि मोरार जी पेपर्स”, पूर्वोक्त, पृ० 122

जाली है और जनसघ वालो ने जाली सदस्यो की भर्ती की है। जबकि, “जाली सदस्यो का मुद्दा बेतुका था अगर सगठन के चुनाव होते तो स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाती।”¹

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये श्री मधुलिमिए ने एक और चाल चली उन्होने श्री चरणसिंह और श्री एच० एन० बहुगुणा को, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत समय से एक दूसरे के शत्रु थे, साथ लाने का भरसक प्रयत्न किया। इन दोनो ने एक दूसरे के विरुद्ध श्री मोरार जी भाई की चिट्ठियाँ लिखी थी और दोनों में से कोई उन आरोपो को नहीं भूल सकता था, जो उन पत्रों में लगाये गये थे। इस बात के बावजूद दोनो को श्री मधुलिमिए की बात में तुक दिखाई दिया क्योंकि दोनो वर्तमान समय में जनता पार्टी एव सरकार में अपनी स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे। फिर “दोहरी सदस्यता के प्रश्न” को लेकर आरोपो और कुचक्रों का धिनौना नाटक प्रारम्भ हुआ, उसकी अन्तिम परिणित जनता पार्टी के विघटन के रूप में हुई।

श्री मधुलिमिए एव श्री मोरारजी देसाई के बीच अनेक पत्रों² का आदान प्रदान हुआ। श्री मधुलिमिए ने इन पत्रों में सरकार की कटु आलोचना करते हुये अनेक प्रश्न उठाये थे। श्री देसाई ने लगभग सभी पत्रों का उत्तर देते हुये श्री मधुलिमिए से आग्रह किया कि “वे कभी भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर इन मुद्दों पर वार्ता कर ले। इससे आपकी गलत-फहमी भी दूर होगी और विभिन्न विवादस्पद मुद्दों का समुचित समाधान भी निकल सकेगा। परन्तु श्री मधुलिमिए ने श्री मोरार जी देसाई के इन आग्रहों एव निमन्त्रणों को हमेशा अस्वीकार कर दिया। क्या उन्हें श्री देसाई से भय था? या वे लज्जा का अनुभव करते थे।”³

15 अगस्त 1978 को श्री मधुलिमिए ने श्री मोरार जी को पत्र लिखा जिसमें उन्होने श्री काति देसाई पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाये। 24 अगस्त को श्री देसाई को पत्र लिखकर उन्होने भारतीय विदेश नीति के कुछ आयामों पर आक्षेप किये। 28 अगस्त को उन्होने पुन ‘काति प्रकरण’ पर श्री देसाई को पत्र लिखा। कुछ दिन चुप रहने के बाद 24 नवम्बर 1978 को श्री मधुलिमिए ने श्री मोरार जी देसाई को पत्र लिखकर जनता पार्टी एव आर० एस० एस० के सम्बन्धों पर आक्षेप किया। श्री मोरार जी ने इन सभी पत्रों का यथोचित उत्तर देते हुये, श्री मधुलिमिए को व्यक्तिगत वार्ता के लिये आमन्त्रित किया परन्तु श्री मधुलिमिए ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। “श्री मधुलिमिए की श्री मोरार जी के प्रति यह रुग्ण अरुचि और आपसी हितों के मुद्दों पर उनसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता करने से इन्कार करना अव्याख्येय है।”⁴ इस सम्पूर्ण ‘पत्राचार-प्रकरण’ की एक ही व्याख्या हो सकती है कि श्री मधुलिमिए किसी भी समस्या का समाधान नहीं चाहते थे “वे उत्पीड़न को राजनीति पर विश्वास करते थे और उनका एक मात्र उद्देश्य जनता पार्टी में सकट पैदा करके उसमें फूट डालना था।”⁵

-
1. शोधकर्ता की श्री सुरेन्द्र मोहन से वार्ता का अंश
 2. इन सभी पत्रों के सन्दर्भ एव मूलपाठ-उद्धृत हैं, अरुण गांधी-“दि मोरार जी पेपर्स”, पूर्वोक्त पृ० 122-128
 3. अरुण गाँधी “दि मोरार जी पेपर्स”, पूर्वोक्त, पृ० 122
 4. वही, पृ० 123
 5. वही, पृ० 124

निष्कर्ष

प्रकारान्तर से श्री मधुलिमिए अपने पड्यत्र में सफल हुये। जनता पार्टी के विघटन एव श्री मोरार जी देसाई को प्रधानतन्त्री पद से अपदस्थ करने को उनकी योजना सरलता से कार्यान्वित हो गयी। इस षड्यत्र में सम्मिलित “प्रत्येक गुट एव व्यक्ति ने जनता पार्टी के ताबूत में अन्तिम कील ठोकने में पूरी सहायता प्रदान की।” जनता सरकार के पतन के बाद श्री मधुलिमिए ने श्री मोरार जी को पुन उतपीडित करते हुये 20 जुलाई 1979 को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सरकार के पतन के लिये अपनी भूमिका को उचित ठहराया। श्री मोरार जी देसाई ने 31 जुलाई 1979 को श्री मधुलिमिए के पत्र का उत्तर देते हुये एक पत्र लिखा, ‘मैं जनता पार्टी के प्रति आपके दृष्टिकोण को समझ सकता हूँ, जब आपने इसे ‘जर्जर साठ-गाठ’ की सज़ा दी। जनता पार्टी के कुछ सदस्यों के इसी दृष्टिकोण में जनता पार्टी के विघटन के बीज निहित थे। ...आप लोगो के द्वारा जनता पार्टी के लिये किये गये सम्पूर्ण कृत्यों को एक मुहावरे में समाहित किया जा सकता है, कि ‘आप लोगो ने इसकी पीठ में छुरा भोका।’¹ जनता पार्टी सत्ताच्युत हो गयी, एव उसका विघटन हो गया परन्तु मूल तथ्य यह है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने जनता से किये गये वादो को हवा में उडा दिया और जनता से विश्वासघात किया। उन्हें ‘दल-बदलू’ कहा जाय या ‘पार्टी तोडने वाले’ कोई फर्क नहीं पडता।

अत जनता पार्टी एव सरकार का पतन मुख्य रूप से उसकी नीतियो एव विपक्ष की रणनीति के कारण नहीं हुआ बल्कि अपने ही नेताओं के क्षुद्र आचरण के कारण हुआ। किसी सस्था, समुदाय या देश को वास्तविक खतरा बाह्य शत्रुओं से नहीं बल्कि आन्तरिक शत्रुओं से होता है। यह बात जनता पार्टी एव सरकार के लिये अक्षरश सत्य है। जनता पार्टी के अन्दर कुछ गुट एव व्यक्ति सरकार के विरुद्ध लगातार ‘निदा-अभियान’ चला कर सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। ऐसा लगता था कि, “जनता पार्टी श्रीमती इंदिरा गाँधी की पार्टी है और जनता पार्टी के नेतागण उनके परम उत्साही अनुचर हैं। सम्पूर्ण जनता शासन काल में इन नेताओं का एक-सूत्री कार्यक्रम था कि ‘श्रीमती गाँधी को वापस सत्ता सौंप दो।’ अगर इस सूत्र को ध्यान में रखा जाय तो जनता पार्टी के नेताओं के आक्षेपों, आलोचनाओं एव दुरभिसन्धियों की सही व्याख्या की जा सकती है।”²

अत जनता पार्टी नेताओं की सर्वोच्च सत्ता की भूख, पदलोलुपता राजनीतिक अवसरवादिता और दुरभिसन्धियों के कारण केवल एक राजनीतिक दल एव सरकार का ही पतन नहीं हुआ, बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर को गवा दिया गया। जिसका उपयोग करके देश को नयी दिशा दी जा सकती थी और देश की मूल्यवादी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं एव सस्थाओं को सुदृढ किया जा सकता था।

1. पत्र से उद्धृत, अरुण गाधी “दि मोरार जी पेपर्स”, पूर्वोक्त, पृ० 127-128

2. अरुण शौरी “इन्स्टीट्यूशन इन दि जनता फेज”, पूर्वोक्त, पृ० 224

द्वितीयम् - अध्याय

जनता पार्टी का पराभव : भाग 2 :

संक्षेप घटनाक्रम एवं परिणाम

- (I) जनता पार्टी का विघटन एवं श्री देसाई की सरकार का पतन
- (II) जनता पार्टी (एस0) की सरकार का गठन एवं पतन

जनता पार्टी का विघटन एवं श्री देसाई की सरकार का पतन

राजनीति यथासम्भव अतर्विरोधों के बेहतर प्रबन्धन का या उसे ठीक-ठाक परदे में रखने का दूसरा नाम है। लेकिन यह हो नहीं पाता और अनेक कारणों से अतर्विरोध धरातल पर आ जाते हैं। राजनीति में ये अतर्विरोध सम्बन्धित सस्था एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के लिये घातक सिद्ध होते हैं। फिर इन अतर्विरोधों से निपटने की प्रत्येक पार्टी एवं नेतृत्व की अलग-अलग क्षमताये होती हैं। जनता पार्टी एवं इसके नेतृत्व में निश्चित रूप से इसका अभाव था। दोष चाहे व्यक्तियों का रहा हो या परिस्थितियों का, परन्तु जनता पार्टी एवं सरकार अपने अतर्विरोधों का प्रबन्धन नहीं कर सकी और उसका पतन हो गया।

किसी भी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था में सर्वैधानिक रूप से किसी सरकार का पतन एक स्वाभाविक घटना है, परन्तु जब सरकार के पतन के साथ सम्बन्धित पार्टी का भी विघटन हो जाये तो यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ऐसी पार्टी का विघटन, जिसका गठन एक ऐतिहासिक घटना हो तो, सम्पूर्ण घटनाक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कारण जनता पार्टी का 'उद्भव एवं पराभव' दोनों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाये हैं। यह सुनिश्चित करना कठिन है कि जनता पार्टी का पतन कहाँ से और कब प्रारम्भ हुआ, परन्तु इसके पतन के बीज इसके गठन के समय ही बो दिये गये थे। पिछले कुछ अध्यायों में उन कारणों एवं प्रक्रियाओं का वर्णन एवं विश्लेषण किया गया है, जिसके कारण जनता पार्टी एवं सरकार का पतन हुआ। इस अध्याय में जनता पार्टी एवं सरकार के विभिन्न सकटों एवं उसके पतन के सम्पूर्ण घटनाक्रम को कालक्रमानुसार रखा गया है।

लोक सभा चुनाव में जनता पार्टी की विजय के बाद प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष के चयन एवं केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के निर्माण के समय गुटिय नेताओं के बीच पर्याप्त अन्तर्कलह दिखाई दी थी। जनता पार्टी एवं सरकार में वास्तविक सकट की शुरुआत विधानसभाओं के चुनावों एवं राज्यों में जनता मन्त्रिमण्डल के गठन के समय हुई। इसमें जनता पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच सघर्ष खुलकर सामने आ गये और वरिष्ठ नेताओं द्वारा आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं का सिलसिला प्रारम्भ हो गया। इससे सरकार एवं पार्टी दोनों की छवि धूमिल हो रही थी, अतः पार्टी नेतृत्व ने इसे गम्भीरता से लिया।

जनता पार्टी की कार्य समिति ने अपनी पाँचवी बैठक में जो 18, 19 और 20 अगस्त 1977 को हुई, अन्य प्रस्तावों के साथ सगठनात्मक विषयों पर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें कहा गया "विधानसभाओं के चुनावों एवं मन्त्रिमण्डलों के निर्माण के समय पुराने दलों के प्रति लगाव देखा गया और यह अस्वाभाविक न था.....। परन्तु ऐसे लगाव से पार्टी के अन्दर भावात्मक एकता का मार्ग अवरुद्ध होता है। पार्टी के स्वस्थ विकास के लिये यह परमावश्यक है कि ऐसे घट्टकवाद की भावना का त्याग किया जाय। ... सबसे पहली आवश्यकता पार्टी के अन्दर भावात्मक एकता

पैदा करने की है।¹ बैठक में सुझाव दिया गया कि “यदि किसी कार्यकर्ता को कोई शिकायत हो तो उसे अपना विरोध प्रकट करने के लिये अखबारों और सार्वजनिक मंचों का सहारा नहीं लेना चाहिये। उसे पारस्परिक विचार विनिमय द्वारा अथवा वारिष्ठ नेताओं की सहायता से अपने मतभेदों को दूर करना चाहिये।”²

जनता पार्टी कार्य समिति के इस प्रस्ताव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पार्टी के ‘सगठनात्मक चुनाव’ को लेकर विवाद छिड़ गया। पार्टी में नये सदस्यों की भर्ती के प्रश्न को लेकर भारतीय लोकदल और जनसघ गुट में तीखी नोक-झोंक हुई। पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने दल निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुये कहा कि, “हमें सभी दवाबों के बावजूद अपने सगठन को कारगर बनाना है।”³ इन अपीलों के बावजूद नये सदस्यों की भर्ती एवं सगठन के चुनाव का मामला अन्त तक अधर में लटक रहा।

21 और 22 अप्रैल 1978 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने पार्टी की अन्दरूनी लड़ाई और उससे होने वाली हानि का उल्लेख किया। श्री मोरार जी देसाई ने सुझाव दिया कि पार्टी के सदस्यों के लिये एक आचार-सहिता बनायी जाय। इसमें पारित एक प्रस्ताव में कहा गया—

“... पार्टी के सदस्य विभिन्न विषयों पर, जिसमें सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम भी शामिल हैं, पार्टी की बैठकों में अपने विचार व्यक्त करने को स्वतन्त्र हैं। परन्तु उन्हें सार्वजनिक रूप से तथा समाचार पत्रों के माध्यम से एक दूसरे पर दोषारोपण का इजाजत नहीं दी जा सकती, ऐसे सभी मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिये, चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हों।”⁴

राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह निर्णय किया कि पार्टी के अन्दर सभी स्तर के चुनाव अक्टूबर 1978 तक करा लिये जायेंगे और दिसम्बर 1978 में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जायेगा। कार्यकारिणी ने श्री राजनारायण के उस सुझाव को रद्द कर दिया कि अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव जनता पार्टी के सासदों एवं विधायकों से बने ‘निर्वाचक मण्डल’ द्वारा किया जाए, क्योंकि पार्टी के सविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। पार्टी पदाधिकारियों का एक वर्ष का तदर्थ कार्यकाल समाप्त हो रहा था, अतः श्री चन्द्रशेखर ने महासचिवों सहित त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की। सदस्यों ने अध्यक्ष पर पूरा-पूरा विश्वास व्यक्त किया और सर्वसम्मति से निश्चय किया कि जब तक नयी कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों का चुनाव न हो तब तक अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी अपने पदों पर बने रहें।

गम्भीर मोड़

अप्रैल 1978 में स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ‘असन्तुष्ट विधायकों’ की गतिविधियाँ तेज हो गयीं और इन्होंने केन्द्रीय नेतृत्व से माँग की कि स्थिति में उचित हस्तक्षेप करें। केन्द्रीय नेतृत्व ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपने विधायक दल से विश्वासमत प्राप्त करने को कहा। बाद में उ० प्र० के मुख्यमंत्री को

1. जन विश्वासघात - जनता पार्टी प्रकाशन, पूर्वोक्त, पृ० 3, देखें दि इण्डियन एक्सप्रेस दिल्ली, अप्रैल 22, 1977।
2. वही।
3. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया दिल्ली, नवम्बर 3, 1977।
4. जनविश्वासघात - जनता पार्टी प्रकाशन, पूर्वोक्त, पृ० 4, देखें दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, अप्रैल 23, 1978।

भी यही निर्देश दिया गया। इसके विरोध में केन्द्रीय गृहमन्त्री एव पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चरणसिंह ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और ससदीय बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया।

28 अप्रैल 1978 के अपने त्यागपत्र में श्री चरणसिंह ने पार्टी नेताओं पर यह दोष लगाया कि “वे हरियाणा, उ० प्र० और बिहार में अनुशासन हीनता को माफ ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की सरकार के मुख्यमन्त्रियाँ और पार्टी के हितों के विरुद्ध खुल्लम-खुल्ला काम करने के लिये सक्रिय रूप से उत्साहित एवं प्रेरित कर रहे हैं।”¹ उन्होंने आरोप लगाया “कि पार्टी में घटकवाद ऊपर से प्रोत्साहित किया जा रहा है।”²

इस घटना से श्री मोरारजी देसाई, श्री चन्द्रशेखर एव श्री चरण सिंह के बीच खुलेआम दोषारोपण प्रारम्भ हो गया और एकाएक पार्टी एव सरकार की स्थिति नाजुक हो गयी। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने स्थिति को सभालने का प्रयास किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि, “मैं श्री चरणसिंह के बिना जनता पार्टी की कल्पना नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर या प्रधानमन्त्री श्री देसाई पार्टी के अन्दर मतभेदों को बढ़ावा दे रहे हैं या अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।”³

इसी बीच हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री देवी लाल ने 8 मई को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री राम नरेश यादव ने 4 जून को अपने-अपने विधायक दलों से विश्वास मत प्राप्त कर लिया। श्री राजनारायण घटनाओं के इस मोड़ से सन्तुष्ट न हुये। 5 जून को उन्होंने पार्टी के भूतपूर्व कांग्रेसियों की अच्छी खबर ली, और नयी कार्यकारिणी बनाने एव नये पार्टी अध्यक्ष के चयन की माँग की। 12 जून को जयपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि “प्रत्येक मुद्दे में अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये राजनीतिक प्रश्न हैं इन्हें वार्ता से सुलझाया जाना चाहिये।”⁴ पार्टी का आन्तरिक संकट बढ़ने लगा। 22 जून को ससदीय बोर्ड ने श्री राजनारायण पर पार्टी निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया और स्पष्टीकरण माँगा कि उन्होंने पार्टी के आन्तरिक मतभेदों को सार्वजनिक रूप से क्यों व्यक्त किया? श्री चरणसिंह ने बोर्ड द्वारा श्री राजनारायण से स्पष्टीकरण माँगने को अनुचित ठहराया और कहा इससे पार्टी के मृत्युनाद का स्वर ध्वनित होता है। जब श्री अटल बिहारी और श्री जार्ज फर्नांडीज इस प्रकरण पर उनसे वार्ता करने गये तो उन्होंने कहा कि ‘ऐसी स्थिति’ में उनका पार्टी में रहना सम्भव नहीं है।⁵ यह मात्र चौधरी चरणसिंह ही जानते थे कि ‘ऐसी स्थिति’ से उनका क्या तात्पर्य है।

25 जून को श्री राजनारायण ने शिमला में रिज पर धारा 144 तोड़कर, जो उस क्षेत्र में लगी हुई थी, एक सभा को सम्बोधित किया। श्री राजनारायण ने हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने सभा से भी राज्य सरकार की निन्दा करने का आग्रह किया।⁶ जनता पार्टी में संकट गहरा रहा था। श्री चरणसिंह, श्री राजनारायण एव श्री देवीलाल की पार्टी पदाधिकारियों के विरुद्ध मुहिम जारी थी। इस संकट का चरम बिन्दु उस समय पहुँचा जब श्री

1 वही, पृ० 5।

2 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, मई 1, 1978।

3 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, मई 1, 1978।

4 दि स्टेट्समैन, दिल्ली, जून 13, 1978।

5 वही, जून 24, 1978।

6 वही, जून 26, 1978।

चरणसिंह ने दिल्ली के समीप सूरजकुण्ड से 28 जून 1978 को एक वक्तव्य जारी किया। इसमें 'उन्होंने श्रीमती इंदिरा गाँधी के विरुद्ध सख्त और जल्द कार्रवाई करने की माग करते हुए कहा कि उन्हें मीसा के अन्दर नजरबन्द कर देना चाहिये और उन पर विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिये।' उन्होंने कहा कि 'श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध कार्रवाई न करने पर लोग सोचते हैं कि सरकार में 'हम नपुंसक लोगों का समूह' है जो देश का शासन नहीं चला सकते।' ¹ श्री चरणसिंह का यह वक्तव्य जनता सरकार के विरुद्ध युद्ध की स्पष्ट घोषणा एवं सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्तों का खुला उल्लंघन था।

सिद्धान्तों की रक्षा

29 जून को श्री मोरारजी देसाई ने श्री चरणसिंह और श्री राजनारायण के व्यवहार पर आपत्ति की और उनसे तत्काल केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देने को कहा। 'श्री देसाई ने दोनों नेताओं को दो अलग-अलग पत्र लिखे। इससे कुछ ही घंटे पहले मन्त्रिमण्डल की आकस्मिक बैठक हुयी थी जिसमें सर्वसम्मति से उस तरीके के प्रति अपना विरोध प्रकट किया गया था, जिस तरीके से दोनों मन्त्री व्यवहार कर रहे थे तथा प्रधानमंत्री को अधिकार दिया कि वे जैसी कार्यवाही ठीक समझे वैसी करे।' ² श्री चरणसिंह को लिखे पत्र में श्री देसाई ने विशेष रूप से उस वक्तव्य पर आपत्ति की जिसमें उन्होंने श्रीमती इंदिरा गाँधी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में विलम्ब के लिये सरकार को दोष दिया था। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी पर अभियोग चलाने में देर की गयी है। उन्होंने कहा 'कि श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध मीसा का प्रयोग करने का अर्थ होगा, वह सब उलट देना, जिसका जनता पार्टी समर्थन कर रही है।' ³

श्री चरणसिंह ने श्रीमती इंदिरा गाँधी पर विशेष अदालत में मुकदमा चलाने की बात अवश्य की थी परन्तु जब वे गृहमन्त्री थे तब उन्होंने मन्त्रिमण्डल के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया था। श्री मोरारजी देसाई का कथन था "कि श्री चरणसिंह का वक्तव्य सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन है तथा सप्तदीय प्रणाली के सभी नियमों एवं प्रथाओं के विपरीत है। किसी भी सरकार में इस किस्म का व्यवहार खोज पाना कठिन है अतः श्री चरणसिंह से त्यागपत्र की प्रार्थना करना मेरा दुःखद कर्तव्य है।" ⁴

श्री राजनारायण के त्यागपत्र के लिये लिखे गये पत्र में श्री देसाई ने कहा, "कि शिमला में उनका व्यवहार अविवेकपूर्ण था। मन्त्रिमंडलीय मन्त्री होते हुये भी उन्होंने केवल कानून का उल्लंघन नहीं किया अपितु एक राज्य के मुख्यमन्त्री की आलोचना भी की।" ⁵ 30 जून 1978 को श्री चरणसिंह और श्री राजनारायण ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद श्री चरणसिंह ने एक सवाददाता के प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि 'हम षडयंत्र का शिकार हुये हैं।' उन्होंने सरकार से अपने मतभेदों को उचित बताते हुये कहा 'कि सरकार में मैं भ्रष्ट लोगों से घिरा हुआ था। मैंने अपने मतभेदों को ईमानदारी से व्यक्त किया है। मैं किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार और बुराई

-
1. जन विश्वासघात, पूर्वोक्त, पृ० 6, देखे एल० के० अडवाणी, पूर्वोक्त पृ० 31, दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, जून 30 1978।
 2. वही, देखें एल० के० घोष, पूर्वोक्त, पृ० 176।
 3. वही।
 4. जन विश्वासघात, पूर्वोक्त, पृ० 6-7।
 5. वही, पृ० 7।

से समझौता नहीं कर सकता। त्यागपत्र देने में मुझे राहत महसूस हो रही है।¹ उन्होंने राहत मिलने की जो बात कही थी, वह श्रीमती इंदिरा गाँधी के उस भरपूर राहत वाली बात जैसी विश्वसनीय थी जो मार्च 1977 में लोक सभा चुनाव में पराजित होने के बाद श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कही थी।

इन नेताओं के त्यागपत्र से भारतीय लोकदल के कुछ नेताओं ने भी त्यागपत्र दे दिया, परन्तु श्री चरणसिंह इससे कोई बहुत बड़ा समर्थन नहीं हासिल कर सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री देवीलाल ने कहा कि 'जिन घटनाओं के बाद श्री चरणसिंह और श्री राजनारायण से त्याग पत्र माँगा गया वह भारतीय लोकदल गुट के विरुद्ध अन्य गुटों का गम्भीर षड्यंत्र था।'² श्री रवि राय ने 'श्री चरणसिंह के बलात् त्यागपत्र को 'पूर्व-नियोजित' कहते हुये पार्टी के महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया।'³ जबकि श्री बीजू पटनायक और श्री एच० एम० पटेल जैसे भारतीय लोकदलगुट के वरिष्ठ मन्त्रियों ने त्यागपत्र नहीं दिया। परन्तु इस प्रकरण से जनता शासित राज्यों की सरकारों में राजनीतिक अस्थिरता का बढ़ावा मिला। 'इधर दो-तीन महीने से जनता पार्टी एव सरकार में जो कुछ घटित हो रहा था, वह एक त्रासदी या हास्य - नाटिका नहीं बल्कि विस्मयकारी घटना थी, जिसमें नायक एव खलनायक तथा झूठ और सच में अन्तर करना कठिन था।'⁴

श्री चरणसिंह और उनके समर्थक सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहे। श्री चरणसिंह ने आरोप लगाया कि 'श्री चन्द्रशेखर और श्री जगजीवन राम कांग्रेस एव श्रीमती इंदिरा गाँधी से मिले हुए हैं।' बाद में उन्होंने घोषणा की कि 'वे 17 जुलाई को ससद के समक्ष वृहद 'किसान रैली' में पार्टी में उच्च स्तर पर हो रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे।'⁵ उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमन्त्रियों ने रैली के पक्ष में अवश्य थे, परन्तु हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री देवीलाल ने इसका जोरदार समर्थन किया। इस पर ससदीय बोर्ड ने श्री देवीलाल को आदेश दिया कि या तो वे अपने पद से हट जायें या फिर रैली के समर्थन में दिये गये अपने वक्तव्य को वापस ले। ससदीय बोर्ड ने निश्चय किया कि 7 जुलाई को हरियाणा में नये विधायक दल के नेता का चुनाव होगा।

सद्भावना की अपील

इस संकट को सुलझाने के लिये पार्टी के विभिन्न स्तरों पर प्रयास चल रहे थे। 6 जुलाई को श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री बीजू पटनायक, श्री राम कृष्ण हेगड़े और अन्य केन्द्रीय मन्त्रियों की श्री चरणसिंह और उनके समर्थकों के बीच सद्भावनापूर्ण बात हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि श्री चरणसिंह ने 17 जुलाई को अपनी प्रस्तावित किसान रैली स्थगित कर दी। इसके साथ ही हरियाणा विधायक दल की उस बैठक को भी स्थगित कर दिया गया जिसमें देवीलाल के स्थान पर नये विधायक दल के नेता का चुनाव होना था।

-
1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, जुलाई 2, 1978।
 2. वही, जुलाई 1, 1978।
 3. वही, जुलाई 3, 1978।
 4. एस० के० घोष, पूर्वोक्त, पृ० 181, देखें 'शाम लाल 'दि नेशनल सीन जनता पार्टी इन ए ट्रेप' दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, जुलाई 28, 1978।
 5. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली जुलाई 2, 1978।

चौधरी चरणसिंह के त्यागपत्र से उठे सकट पर विचार विमर्श करने के लिये 11 जुलाई 1978 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक बैठक बुलायी गयी। कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पार्टी के सदस्यों से अपील की कि "वे मिल-जुलकर कार्य करें तथा सद्भाव, विश्वास और एकता का वातावरण पैदा करें।" राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहती है कि श्री चरणसिंह पार्टी अध्यक्ष को लिखे अपने 28 अप्रैल 1978 के पत्र को वापस ले ले और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और ससदीय बोर्ड में बने रहे।¹ श्री चरणसिंह ने दूसरे दिन अपना त्यागपत्र वापस ले लिया। श्री देसाई और श्री चरणसिंह के बीच मतभेदों को दूर करने के लिये चोटी के नेताओं ने अनेकों प्रयास किये परन्तु वे असफल रहे। श्री मोरारजी देसाई ने स्पष्ट कह दिया था कि श्री चरणसिंह उस समय तक सरकार में प्रवेश नहीं पा सकते जब तक वे सरकार के विरुद्ध अपने आक्षेपों को वापस नहीं लेते। अतः स्थिति यह थी कि श्री चरणसिंह पार्टी में तो थे परन्तु सरकार में नहीं। स्थिति को सभालने के लिये श्री कर्पूरी ठाकुर ने सुझाव दिया कि भारतीय लोकदल गुट को समायोजित करने के लिये श्री चरणसिंह को श्री चन्द्रशेखर की जगह पार्टी अध्यक्ष बनाया जाय-² इस प्रस्ताव का श्री मोरारजी देसाई गुट एव श्री सी० बी० गुप्ता, एव श्री रामधन, आदि न विरोध किया। वैसे श्री चरणसिंह को अवसर देन के लिये श्री चन्द्रशेखर ने 17 अगस्त 1978 को जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की थी परन्तु पार्टी के अनेक पूर्व घटकों ने इसका विरोध किया था।

इसी बीच श्री चरणसिंह ने सुझाव दिया कि 'जनता पार्टी में शामिल सभी घटक दलों को पुनरुज्जीवित किया जाय और 'मिली-जुली सरकार' बनायी जाये।³ 22 दिसम्बर 1978 को उन्होंने लोकसभा में अपने त्यागपत्र पर एक वक्तव्य दिया और आरोप लगाया कि 'श्री मोरारजी देसाई उन्हें अपने मन्त्रिमण्डल से निकालने का बहाना ढूँढ रहे थे।' इसके एक दिन बाद अर्थात् 23 दिसम्बर को उन्होंने नई दिल्ली में विशाल 'किसान रैली' का आयोजन किया। श्री चरणसिंह ने रैली को सम्बोधित करते हुये कहा कि 'वर्तमान सरकार में किसानों के हितों को अनदेखा किया गया है और किसानों का 20 सूत्री मागपत्र ही श्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध मेरा घोषणा पत्र है।'⁴

श्री चरणसिंह ने रैली से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था और यह संकेत भी दे दिया था कि अगर 1 फरवरी 1979 तक समस्या का पूर्ण समाधान (उन्हें सरकार में वापस न लिया गया) न किया गया तो वे 'नये दल' के गठन के विषय में विचार करेंगे। अतः 1979 के प्रारम्भ से ही कतिपय गुटों ने जिसमें जनसंघ प्रमुख था, श्री मोरारजी देसाई और श्री चरणसिंह के बीच मेल कराने के गम्भीर प्रयास किये और उन्हें सफलता मिली। 24 जनवरी, 1979 को श्री चरणसिंह वित्त मन्त्री एव उपप्रधानमन्त्री के रूप में फिर 'देसाई मन्त्रिमण्डल' में शामिल हो गये।

नवीन संकट

यह समझा जाता था कि श्री चरणसिंह के केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल हो जाने से अनेक संघर्षों का समाधान हो जायेगा, परन्तु यह नहीं हो सका। इस बार गुटीय संघर्षों की रणभूमि केन्द्र क बजाय राज्य थे। यह एक दुर्योग ही

1. जन विश्वासघात, पूर्वोक्त, पृ० 7।
2. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली अगस्त 18, 1978।
3. वही, दिसम्बर 18, 1978।
4. वही, दिसम्बर 24, 1978, किसान रैली में 'माग पत्र' स्वीकार किया गया, देखें, जनता दिल्ली, वायलुम XXXIII, न० 41, दिसम्बर 31 1978; पृ० 10।

था कि जिस दिन श्री चरणसिंह को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव ने अपने मन्त्रिमण्डल से 'जनसघ गुट' के चार मन्त्रियों को हटा दिया। जनसघ गुट ने रामनरेश यादव सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार अल्पमत में आ गयी। तेजी से राजनीतिक समीकरण बनने लगे। श्री चरणसिंह और भूतपूर्व सी० एफ० डी० नेता श्री एच० एन० बहुगुणा के समर्थन से 27 फरवरी 1978 को श्री बनारसी दास, श्री रामनरेश यादव की जगह मुख्यमंत्री बनाये गये।

उसी बीच श्री राजनारायण अपने सार्वजनिक भाषणों और प्रेस सम्मेलनों में श्री मोरारजी देसाई और श्री चन्द्रशेखर के विरुद्ध निन्दा अभियान चलाते रहे। 11 मार्च को उन्होंने 'समानान्तर जनता पार्टी' बनाने का संकेत दिया।¹

4 अप्रैल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने श्री राजनारायण से अपने पार्टी विरोधी भाषणों एवं वक्तव्यों की सफाई देने को कहा। 7 अप्रैल को ससदीय बोर्ड ने अपनी बैठक में निश्चय किया कि हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्री अपने-अपने विधायक दलों से विश्वास मत प्राप्त करें। कई गुटीय नेताओं द्वारा बार-बार आग्रह किये जाने पर बोर्ड ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को भी अपने विधायक दल से विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया। ससदीय बोर्ड ने तीनों राज्यों में बैठके आयोजित करने के लिये 19 अप्रैल का दिन निश्चित किया।² हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में मुख्यमन्त्रियों को विश्वास मत मिल गया, परन्तु बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर को नहीं मिला, और उनकी जगह श्री राम सुन्दर दास मुख्यमंत्री चुने गये। जनता शासित राज्यों की राजनीति मूलतः भारतीय लोकदल और जनसघ गुटों के संघर्ष की कहानी है, जिसमें जनसघ गुट विजयी हुआ। भारतीय लोकदल गुट का मानना था कि राज्यों में भारतीय लोकदल गुट के मुख्यमन्त्रियों को हटाने में केन्द्रीय नेतृत्व की जनसघ के साथ मिली-भगत थी। अतः भारतीय लोकदल ने केन्द्रीय नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया।³

12 जून को केन्द्रीय अनुशासन समिति ने श्री राजनारायण को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया तथा उन्हें एक वर्ष के लिये उसका सदस्य बनने से वंचित कर दिया। उसी दिन बगलौर में एक प्रेस-सम्मेलन में श्री राजनारायण ने कहा कि 'मैं कार्यवाही से डरा नहीं हूँ', 'उन्होंने (अनुशासन समिति के सदस्यों ने) अपने खिलाफ कार्यवाही की है।' जब उनसे पूछा गया कि क्या श्री चरणसिंह आपके साथ हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया 'हर कोई मेरे साथ है'।⁴ श्री चरणसिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से श्री राजनारायण के निष्कासन पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।

1. जन विश्वासघात, पूर्वोक्त, पृ० 8, देखें दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, मार्च 12, 1979, शाम लाल दिनेशनल सीन "सर्चफ़ार न्यू एलाइज", टाइम्स ऑफ इण्डिया, मार्च 16, 1979।

2. 'जन विश्वासघात' पूर्वोक्त पृ० 9।

3. शारदा श्रोत्रर ग्रीड लाइक इंडियन सोसायटी - (i) "जनता एक रिफ्लेक्शन आफ रीयलिटी" ऐण्ड, (ii) "टू फेसेस ऑफ जनता पार्टी," टाइम्स ऑफ इण्डिया, मई 6 एवं 7, 1979।

4. जन विश्वास घात, पूर्वोक्त, पृ० 9, देखें, दि स्टेटसमैन, दिल्ली, जून 13, 1979।

रणनीति

इस घटना के बाद भारतीय लोकदल गुट की गतिविधियाँ तेज हो गयीं। 21 जून को दिल्ली के कुछ समाचार पत्रों में छपा कि नयी दिल्ली के श्री चरणसिंह के निवास स्थान पर श्री राजनारायण राहित उनके कुछ समर्थकों की बैठक हुई, जिसमें भारतीय लोकदल की नयी रणनीति तय की गयी है। अपने भाषणों में अनेक महारथियों ने इस बात पर जोर दिया कि 'जनता पार्टी से जितनी जल्दी हम अलग होंगे, उतना ही हमारे और देश के लिये अच्छा होगा।'¹ 23 जून को श्री राजनारायण ने जनता पार्टी से अलग होने की घोषणा कर दी। उन्होंने दोष लगाया कि 'पार्टी में आर० एस० एस० का सम्प्रदायवाद, श्री मोरारजी का अधिनायकवाद, तथा श्री चन्द्रशेखर की पडयन्त्रात्मक रणनीति और निष्क्रियता हावी है।'²

जनता पार्टी से त्यागपत्र देने के कुछ दिनों बाद श्री राजनारायण ने दावा किया कि 'उनके कार्यों में श्री चरणसिंह के विचार प्रतिबिम्बित हैं और उन्हें पार्टी से त्यागपत्र की राय श्री चरणसिंह ने ही दी है।'³ 2 जुलाई को श्री चरणसिंह ने श्री राजनारायण के दावे को गलत बताया और कहा कि 'यह तो हद हो गयी। मैं समझता हूँ कि हमारे मार्ग अन्तिम रूप से अलग-अलग हो गये हैं।'⁴ इसके तुरन्त बाद श्री राजनारायण ने सवाददाताओं को बुलाकर कहा कि 'मैं श्री चरणसिंह से सम्बन्ध नहीं तोड़ सकता क्योंकि हमारे सम्बन्ध शुद्ध और आध्यात्मिक हैं, जो कभी टूट नहीं सकते। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देसाई सरकार दिसम्बर तक गिर जायेगी और श्री चरणसिंह नयी सरकार बनायेंगे।'⁵

जनता पार्टी के विभिन्न घटकों में फिर से सुगबुगाहट प्रारम्भ हो गयी थी। 'इन घटनाओं के कुछ पहले, 17 मई 1979 को श्री मधुलिमि ने एक बैठक बुलाई ताकि यह पता चल सके कि देश में वामपंथी दलों की एकता के उनके स्वप्न सकार होने की सम्भावना है या नहीं? इस बैठक में श्री राजेश्वर राव, श्री भूपेश गुप्त, श्री पी० राममूर्ति, श्री बासव पुन्नाया, हरकिशन सिंह सुरजीत तथा पीजेन्टस एण्ड वर्कर्स पार्टी और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे। इसके अतिरिक्त श्री चन्द्रजीत यादव, श्री रघुनाथ रेड्डी, श्री केशव देव मालवीय, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री श्यामनन्दन मिश्र और चौधरी ब्रह्मप्रकाश भी इस बैठक में आये थे।'⁶ इस बैठक में वामपंथी दलों की एकता के सन्दर्भ में कोई सहमति नहीं हो सकी। परन्तु इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि ये लोग लगभग उन्ही तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्होंने बाद में मिलकर श्री चरणसिंह सरकार को समर्थन दिया।

इसी श्रृंखला में श्री जार्ज फर्नांडीज ने 7 और 8 जुलाई को 'भूतपूर्व सोशलिस्ट पार्टी' के सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में पार्टी में प्रकट होने वाली प्रवृत्तियों के प्रति असन्तोष व्यक्त किया, परन्तु यह भी कहा गया कि जो भी जनता पार्टी की एकता को भंग करेगा वह तानाशाही लौटाने में सहायक होगा। सम्मेलन में कहा गया कि, "पार्टी और सरकार के कुछ अन्दरूनी विवाद न तो उन सैद्धान्तिक प्रश्न से सम्बन्धित हैं, जिन पर खुली और

1 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, जून 21, 1979।

2 जन विश्वास घात, पूर्वोक्त, पृ० 9, देखे, दि स्टेटसमेन, दिल्ली, जून 24, 1979।

3 वही, पृ० 11।

4 वही, देखे दि टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली, जुलाई 3, 1979।

5 वही, पृ० 11।

6 जगदीश ठाकुर इंदिरा गांधी का राजनीतिक खेल, पूर्वोक्त, पृ० 129, देखे दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, मई 18, 1979।

स्वतन्त्र बहस की जरूरत है और न ही जनता के कल्याण से सम्बन्धित है, जो परमावश्यक है। वे सत्ता की भूख, व्यक्तियों के टकराव और काम करने के ढंग में किसी प्रकार के निष्पन्नण के पूर्ण अभाव के कारण पैदा हुये हैं।”¹

इन गतिविधियों के मूल मतव्यों को समझते हुए पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने कहा, “यदि व्यक्तियों की गुटबन्दी की जाती है अथवा पार्टी के घटकों को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया जाता है, तो इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। जो लोग अपने पुराने दलों को पुनरुज्जीवित करने की बात कर रहे थे, उन्हें उन्होंने याद दिलाया कि आपातकाल के पहले वे सभी राजनीतिक दल अपने-अपने सश्लेष समूहों में काम कर रहे थे, परन्तु वे असफल थे। यदि वे 1977 के चुनाव में जनता के प्रखर उद्घोष का ध्यान नहीं देंगे तो इतिहास की एक प्रमुख घटना को ही भुला देंगे।”² परन्तु वर्तमान परिदृश्य में जनता पार्टी एवं सरकार राजनीति पतन के जिस नग्न सत्य का सामना कर रही थी, वहाँ इस प्रकार की अपीलें और चेतावनियों का कोई स्थान नहीं था।

मार्च 1977 के बाद कांग्रेस की स्थिति एवं भूमिका

मार्च 1977 के लोकसभा और जून 1977 में सम्पन्न हुये विधान सभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। इन चुनाव परिणामों के सामने आते ही कांग्रेस में आन्तरिक द्वन्द्व प्रारम्भ हो गया। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी उसकी सत्ता की पकड़ कमजोर हुई, उसका विभाजन हुआ। इस बार वह सत्ताच्युत थी अतः विभाजन की पूर्ण सम्भावना थी और यही हुआ। कांग्रेस के आन्तरिक सकट की इसी शृंखला में अप्रैल 1977 को श्री देवकान्त बरूआ के स्थान पर सरदार स्वर्णसिंह को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अन्तरिम अध्यक्ष बनाया गया। 5 और 6 मई 1977 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में 27 वर्ष बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिये सघर्ष हुआ। इस सघर्ष में श्रीमती इंदिरा गाँधी के समर्थन से श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, श्री सिद्धार्थ शंकर रे एवं डा० कर्णसिंह को हराकर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुये।

श्रीमती इंदिरा गांधी का विचार था कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, अध्यक्ष के रूप में, उनके निर्देशों का पालन करेंगे, परन्तु श्री रेड्डी इसके लिये तैयार न थे। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने पहले तो सत्ता कांग्रेस में रहते हुये इस पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने की चेष्टा की। इस हेतु श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के स्थान पर पुनः अपने पसन्द के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब इसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कांग्रेस के विभाजन का मार्ग अपनाकर अपना एक अलग राजनीतिक दल स्थापित करने की सोची।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिल्ली में अपने समर्थकों का एक सम्मेलन 1 और 2 जनवरी 1978 को आयोजित किया। इस सम्मेलन में एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना की गयी। श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुना गया और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस (इंदिरा) के नाम से असली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस घोषित किया गया।

1. जन विश्वास घात पूर्वोक्त, पृ० 11-12।

2. वही, पृ० 12।

फरवरी 1978 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव¹ में, कांग्रेस (इ०) की अप्रत्याशित जीत ने, रेड्डी कांग्रेस के राजनीतिक अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। इसके बाद चिकमगलूर (कर्नाटक) से नवम्बर 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी की भारी विजय के साथ लोकसभा में वापसी एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने एक बार पुनः दक्षिण भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रभाव को यथावत पुष्ट कर दिया।²

चिकमगलूर विजय के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री देवराज अर्स के बीच मतभेद उभरने लगे। 24 जून 1979 को कांग्रेस (इ०) की कार्यसमिति ने श्री अर्स को पार्टी विरोधी कार्यों, अनुशासन हीनता और विश्वासघात का आरोप लगाकर 6 वर्ष के लिये कांग्रेस (इ०) से निष्कासित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 25 जून 1979 को श्री अर्स ने कांग्रेस (इ०) से नाता तोड़कर कर्नाटक-कांग्रेस³ नाम से अलग दल की स्थापना की। राज्य में अधिकतर कांग्रेस (इ०) विधायक श्री अर्स के साथ रहे। इस प्रकार कांग्रेस का एक और विभाजन हो गया। बाद में श्री रेड्डी, श्री चव्हाण, श्री स्वर्णसिंह वाली कांग्रेस तथा कर्नाटक कांग्रेस का विलय हो गया। इसको बाद में कांग्रेस (एस०) नाम दिया गया, जिसके अध्यक्ष शरद पवार बनाये गये। यह भी निश्चय हुआ कि ससद में कांग्रेस यूनिटे तत्काल एक ही नेता के आधीन होकर काम करे, इसके फलस्वरूप कर्नाटक कांग्रेस के आठ सासद कांग्रेस ससदीय दल में शामिल हो गये, जिससे उनकी सदस्य संख्या बढ़कर 76 हो गयी और वह लोक सभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल हो गया। इसलिये कांग्रेस (इ०) नेता श्री सी० एम० स्टीफन को विपक्ष के नेता पद से हटाना पड़ा और कांग्रेस (एस०) के नेता श्री वाई० बी० चव्हाण लोक सभा में विपक्ष के नेता मान लिये गये।

मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी का राजनीतिक जीवन खत्म सा हो गया है। जनता पार्टी के आन्तरिक झगड़ों और उसके नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण जनता सरकार की छवि धूमिल हो रही थी। फरवरी 1978 में कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के विधान सभा चुनाव में विजय तथा नवम्बर 1978 में ससद में पुनरागमन से श्रीमती इंदिरा गांधी की राजनीतिक इच्छाये बलवती होती जा रही थी। जनता पार्टी को आन्तरिक फूट एवं सत्ता संघर्ष ने श्रीमती गाँधी की मुश्किले आसान कर दी थी और उन्हें लगने लगा था कि जनता पार्टी कांग्रेस का विकल्प नहीं हो सकती।⁴

श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी में फूट का फायदा उठाया और एक कूटनीतिक योजना के तहत श्री चरणसिंह को जनता पार्टी में सकट उत्पन्न करने के लिये प्रेरित करती रही। इसी श्रृंखला में उन्होंने अपने प्रमुख राजनीतिक शत्रु श्री चरणसिंह की बीमारी के समय एवं उनके जन्म-दिन के शुभावसर पर उन्हें फूलों के गुलदस्तों के

-
1. फरवरी 1978 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र, असम और मेघालय में भी विधानसभा के चुनाव हुये थे।
 2. गिरी लाल जैन "दि रिटर्न ऑफ इंदिराम्मा चिकमगलूर एण्ड आफ्टर", दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, नवम्बर 9, 1978, गिरी लाल जैन. "दि ट्रायल ऑफ इंदिरा गांधी, डाइबोर्स बिटवीन लीगलिटी एण्ड पोलिटिकल प्रोसेस", दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिसम्बर 5, 1978, एम० वी० कामथ "इंदिरा गांधी इन पार्लियामेन्ट", इलुस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया दिसम्बर 1-7 1978।
 3. सम्पादकीय "दि कर्नाटक कांग्रेस हिन्दुस्तान टाइम्स, जून 26, 1979।
 4. गिरी लाल जैन "जनता नो सब्सीट्यूड फॉर कांग्रेस" दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, अप्रैल 6, 1979। गिरी लाल जैन "जनता टियरिंग इटसेल्फ एपार्ट" फियर ऑफ इनस्टेबिलिटी एट दि सेन्टर, दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, जनवरी 7, 1979, के० सी० खन्ना, जनताज प्रोग्राम डीलेम्मा वेजेज ऑफ इनफाईटिंग एण्ड इन एपर्टीटयूड," दि टाइम्स ऑफ इण्डिया नवम्बर 21 1978।

साथ अपनी शुभकामनाये भेजी। वे भविष्य में श्री चरणसिंह की कमजोरी (सत्ता लोलुपता) का लाभ उठाने की योजना बना रही थी। उनका पुत्र सजय गांधी, श्री राजनारायण से मिलकर जनता पार्टी की जड़े खोदने का प्रयास कर रहा था। 'श्रीमती इंदिरा गांधी जानती थी कि यदि यह सरकार 1982 तक चली तो इस सरकार द्वारा आपातकाल की ज्यादातियों के लिये बंटाये गये जॉच आयोगों की रिपोर्ट आ जायेगी और उनकी कारगुजारियों का पर्दाफाश हो जायेगा। अतः वे शीघ्रातिशीघ्र मध्यावधि चुनाव चाहती थी।' ¹ परन्तु उन्हें विश्वास न था कि यह अयसर इतनी जल्दी आ जायेगा।

इंदिरा गांधी जून 1979 में कांग्रेस (इ.०) के विभाजन से पुनः निराश हुयी थी। परन्तु जब कांग्रेस (एस०) ने लोकसभा में जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने श्री चरणसिंह को अपना मोहरा बनाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ी उदारता से न केवल अपने प्रबलतम विरोधी कांग्रेस (एस०) के कन्धे से कंधा मिलाया बल्कि श्री चरणसिंह को बिना शर्त समर्थन का प्रस्ताव भी रखा। श्री चरणसिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उसी उदारता के साथ चरणसिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और 22 दिन पुरानी 'चरणसिंह सरकार' लोकसभा में अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर सकी। इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने प्रबलतम राजनीतिक शत्रु श्री चरणसिंह एव कांग्रेस (एस०) को सबक सिखाया बल्कि जनता पार्टी एव सरकार के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और अपनी कृत्नीतिक चाल से देश को शीघ्रातिशीघ्र मध्यावधि चुनाव के लिये मजबूर कर दिया। ²

जनता पार्टी में फूट

संसद के मानसून सत्र के पहले ही जनता पार्टी के विघटन की सभी परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी थी। 9 जुलाई, 1979 को लोकसभा के वर्षाकालीन अधिवेशन के पहले दिन ही जनता पार्टी के 13 सांसदों ने जनता संसदीय दल से त्यागपत्र दे दिया, इसमें अधिकतर श्री राजनारायण एव भारतीय लोकदल गुट के समर्थक थे। परन्तु यह पलायन केवल भारतीय लोकदल-गुट तक सीमित नहीं रहा। 10 जुलाई 14 और सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। श्री राजनारायण ने कहा कि हमारे गुट का नाम 'जनता पार्टी (सेक्युलर)' है। ³

कांग्रेस (एस०) संसदीय दल के निर्णयानुसार विपक्ष के नेता श्री वाई० बी० चव्हाण ने 10 जुलाई को मोरार जी देसाई सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर 16 जुलाई को मतदान होना सुनिश्चित हुआ। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय श्री चव्हाण को विश्वास न था कि जनता सरकार का पतन हो जायेगा, परन्तु उसी दिन 22 और संसद सदस्यों ने जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार कुल 49 सदस्यों के त्यागपत्र देने से 11 जुलाई, 1979 को संसद में जनता पार्टी की शक्ति 302 से घटकर 253 रह गयी और जनता सरकार अल्पमत में आ गयी। ⁴

-
1. एल० के० आडवाणी पूर्वोक्त, पृ० 41।
 2. सम्पादकीय, 'ओवर टु चरणसिंह,' दि हिन्दुस्तान टाइम्स, जुलाई 22, 1979, गिरी लाल जैन "फाल ऑफ चरणसिंह लेक-ऑफ हार्ड हेडेड टरीयलिज्म" दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, अगस्त 23, 1979, इन्दर महरोत्रा "टेन टरबुलेन्ट वीक्स डेज वर" टाइम्स ऑफ इण्डिया, अगस्त 23, 1979; सम्पादकीय 'ऐण्ड नाउ एट दि सेन्टर' टाइम्स ऑफ इण्डिया, अगस्त 25, 1979।
 3. जन विश्वासघात, पूर्वोक्त, पृ० 13।
 4. वही।

12 जुलाई को उद्योगमंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज ने लोकसभा में जनता सरकार के समर्थन में लम्बा वक्तव्य दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुये उन्होने शक्तियों की पुनः गुटबन्दी को असामायिक बताया और सरकार की नीतियों का प्रबल समर्थन किया तथा प्रस्ताव के पक्षधरो पर तीव्रतम प्रहार किया।¹ इससे उनके इरादे के बारे में अटकलबाजी की कोई गुजाइश न रही और ऐसा लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव के सफलता की आशा समाप्त हो गयी है। 12 जुलाई को जनता पार्टी छोड़ने वालों की संख्या 56 हो गयी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्री रवि राय भी थे।

इसी बीच जनता पार्टी के नेताओं और शुभचिन्तकों द्वारा लगातार एकता की अपील की जाती रही। आचार्य जे० बी० कृपलानी ने जनता पार्टी के सब गुटों से आह्वान किया कि 'वे इस निर्णायक काल में एक जुट हो जायें। उनका तत्कालिक उद्देश्य विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करना होना चाहिये। उन्होने सुझाव दिया कि बाद में जनता पार्टी शान्त वातावरण में मिलकर मतभेद दूर करने के उपाय खोज सकती है।'² इन अपीलों से कोई फायदा नहीं हुआ— 13 जुलाई को 4 राज्यमंत्रियों सहित श्री एच० एन० बहुगुणा ने मंत्रिमण्डल से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। 14 जुलाई को इस्पातमंत्री श्री बीजू पटनायक ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया। इधर चौधरी चरणसिंह पर दबाव पड़ रहा था कि वे जनता सरकार के समर्थन में वक्तव्य दें, परन्तु श्री चरणसिंह ने कहा, "मैं अपने अनुयायियों की बात मानूंगा और वही करूंगा, जो मुझसे कहेंगे।"³

श्री मोरार जी देसाई के राजनीतिक जीवन का सफट उस समय चरम पर पहुँचा जब उनके अपने नजदीकी मित्र उन्हें प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने की सलाह देने लगे। 14 जुलाई, 1979 को श्री जगजीवन राम ने श्री मोरार जी देसाई को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होने श्री मोरार जी देसाई को वर्तमान सकट के लिये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराते हुये कहा कि 'मैं हमेशा आपके साथ हूँ परन्तु आशा करता हूँ कि वर्तमान सकट की गुरुता को ध्यान में रखकर आप उचित कदम उठायेगे।'⁴ श्री जगजीवन राम ने पूर्ण राजनीतिक परिष्कृतता से श्री मोरार जी देसाई से त्यागपत्र की माग की थी। परन्तु श्री देसाई, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिये पूर्णतः अनिच्छुक थे। इसी बीच श्री मोहन धारिया ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि सरकार को ससद के पटल में पराजय और अपयश से बचाने का एक ही उपाय है कि आप त्यागपत्र दे दें।⁵ आचार्य कृपलानी ने भी सुझाव दिया कि दलीय एकता के लिये श्री देसाई को त्यागपत्र दे देना चाहिये।

-
1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, जुलाई 13, 1979, देखें वक्तव्य का मूल पाठ एल० के० आडवाणी, 'दि पीपुल बिट्ट्रेड' परिशिष्ट VII, पृ० 150-160।
 2. दि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, जुलाई 12, 1979।
 3. दि स्टेट्समैन, दिल्ली, जुलाई 11, 1979।
 4. श्री जगजीवन राम द्वारा श्री मोरार जी देसाई को लिखे गये पत्र के मूल पाठ से, उद्धृत: अरुण गाँधी, 'मोरार जी पेपर्स', पूर्वोक्त, पृ० 234-236।
 5. उद्धृत, अरुण गाँधी, पूर्वोक्त, पृ० 238।

श्री मोरार जी देसाई का त्यागपत्र

श्री मोरार जी देसाई ने पार्टी के अन्दर में पड रहे दबावों के प्रकाश में अपनी वस्तुस्थिति का आकलन किया और 15 जुलाई को सरकार से अपना त्यागपत्र दे दिया। 16 जुलाई, 1979 को श्री मोरार जी देसाई ने राष्ट्रपति को लिखे गये पत्र में पुनः सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि 'वे अब भी जनता ससदीय दल के नेता हैं तथा दलबदल के बावजूद जनता पार्टी लोकसभा में अब भी सबसे बड़ा दल है। अतः लोकसभा में किसी अन्य दल के मुकाबले जनता ससदीय दल के लिये समर्थन जुटा पाना आसान है।'¹ "श्री मोरार जी देसाई का यह कथन तथ्यात्मक रूप से ठीक था। एक दिन पहले प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद उन्हें क्या अधिकार था कि वे राष्ट्रपति से यह आग्रह करें कि सदन में सबसे बड़े दल का नेता होने के कारण उन्हें ही सर्वप्रथम सरकार बनाने की सभावनाओं का पता लगाने के लिये आमंत्रित करना ही उचित होगा।"²

15 जुलाई को श्री जार्ज फर्नांडीज, श्री पुरुषोत्तम लाल कौशिक और श्री भानु प्रताप सिंह ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया। श्री फर्नांडीज के त्यागपत्र से उन लोगों का आधात लगा जो जनता पार्टी से सहानुभूति रखते थे। श्री मुधुलिमि ए और अन्य 6 सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी।

16 जुलाई को जब श्री चरण सिंह को विश्वास हा गया कि वे अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो उन्होंने भी श्री देसाई की 'काम-चलाऊ सरकार' से त्यागपत्र दे दिया। उसी दिन पार्टी अध्यक्ष को भेजे गये एक वाक्य के पत्र में उन्होंने कहा, 'मैं अखिल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देने की प्रार्थना करता हूँ।'³ श्री चरणसिंह ने यह कदम श्री राजनारायण द्वारा बनायी गयी जनता पार्टी (एस०) के नेता चुने जाने के बाद उठाया। श्री मोरार जी देसाई के त्यागपत्र से जनता सरकार का औपचारिक पतन हो गया था जबकि जनता पार्टी के विघटन की प्रक्रिया जारी थी। श्री मोरार जी देसाई ने सरकार बनाने का दावा अवश्य पेश किया था, परन्तु उन्हें इसका अवसर नहीं मिला।

श्री मोरार जी की सरकार के पतन से जनता पार्टी के पराभव का एक महत्वपूर्ण भाग पूर्ण हो गया था और वास्तविक अर्थों में यह जनता पार्टी और सरकार का औपचारिक पराभव था। परन्तु इसी दल का एक बड़ा भाग जनता पार्टी (एस०) के रूप में अभी सरकार बनाने का प्रमुख दावेदार था। अतः जनता पार्टी के पराभव के इतिहास में जनता पार्टी (एस०) की सरकार के गठन एवं पतन के घटनाक्रम को सम्मिलित करना उचित होगा।

1. उद्धृत, अरुण गाँधी 'दि मोरार जी पेपर्स', पूर्वोक्त, पृ० 239।
2. एच० एम० जैन. "प्रेसीडेन्शियल प्रोग्रेसिव इन ए सिचुएशन ऑफ मल्टी पार्टी कान्टेस्ट फॉर पॉवर", जर्नल ऑफ कान्स्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्ट्री स्टडीज, वायलुम XVI न 1-2 (जनवरी-जून 1982), नई दिल्ली, पृ० 93।
3. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, जुलाई 17, 1979।

जनता पार्टी (एस०) की सरकार का गठन एवं पतन

जनता पार्टी के विघटन एवं पतन की प्रक्रिया तो श्री मोरार जी देसाई के त्यागपत्र के पूर्व में प्रारम्भ हो गयी थी किन्तु जनता सरकार का औपचारिक पतन श्री देसाई के त्यागपत्र के बाद हुआ। परन्तु जनता पार्टी से अलग हुये एक बड़े धड़े ने ही जनता पार्टी (एस०) का गठन किया, जिसे बाद की सरकार बनाने का अवसर मिला और कुछ दिनों बाद इस सरकार का पतन भी हो गया। अतः जनता पार्टी (एस०) की सरकार के पतन को भी जनता पार्टी के पराभव की श्रृंखला में देखना उचित होगा। क्योंकि इसके बाद इस दल के किसी भी धड़े द्वारा सरकार बनाने की सभावनाओं का अन्त हो गया। भारतीय दलीय व्यवस्था के अनुरूप व्यक्तित्व की टकराहट के कारण भविष्य में जनता पार्टी एवं जनता पार्टी (एस०) का विघटन जारी रहा, जबकि एक सगठित एवं एकीकृत पार्टी के रूप में जनता पार्टी का पराभव हो चुका था।

राष्ट्रपति का निमंत्रण

श्री मोरार जी देसाई के मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र के बाद नई सरकार के गठन का प्रश्न जटिल और पेचीदा हो गया क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति में लोकसभा में किसी एक दल का बहुमत नहीं रह गया था। श्री जगजीवन राम का विचार था कि श्री मोरार जी के पदत्याग के बाद वे ही पार्टी के स्वाभाविक नेता होंगे, इसके लिये उन्होंने जोड़-तोड़ भी प्रारम्भ कर दी थी। परन्तु 17 जुलाई को श्री मोरार जी देसाई ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनका 'जनता ससदीय दल' से हटने का कोई इरादा नहीं है। इससे जगजीवन राम की आशाओं में पानी फिर गया। अतः 16 जुलाई को ही श्री देसाई और श्री चरणसिंह ने राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया।

लोकसभा में विभिन्न दलों की संख्या, शक्ति और आपसी सम्बन्धों की विचित्रतायें 'मिली-जुली सरकार' की सम्भावनाओं को क्षीण बना रही थी। ऐसी परिस्थिति में 18 जुलाई को राष्ट्रपति ने विपक्ष के नेता श्री वाई० बी० चव्हाण को यह पता लगाने के लिये आमन्त्रित किया कि 'टिकाऊ और स्थायी सरकार' बनायी जा सकती है या नहीं। सत्ता पक्ष के पद त्याग के बाद विपक्ष को अवसर दिये जाने की परम्परा है और राष्ट्रपति ने उसी परम्परा का पालन किया। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कांग्रेस (एस०) के नेता श्री चव्हाण को यह आशा नहीं थी कि उन्हें सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया जायेगा। उस समय लोकसभा में कांग्रेस (एस०) के 76 सदस्य थे और कामचलाऊ सरकार बनाने के लिये उन्हें न्यूनतम 270 सांसदों का समर्थन चाहिये था। श्री वाई० बी० चव्हाण ने चार दिनों तक चरणसिंह एवं अन्य दलों से समर्थन जुटाने का प्रयास किया परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। 22 जुलाई को श्री चव्हाण ने राष्ट्रपति से निवेदन किया कि वे 'टिकाऊ और स्थायी सरकार' बनाने में असमर्थ हैं। राष्ट्रपति को अपनी विफलता की सूचना देते हुये श्री चव्हाण ने लिखा, "फिर भी हमारे प्रयासों से दलों एवं गुटों का ऐसा मिला जुला

स्वरूप बन गया है जो मेरे विचार से 'टिकाऊ और स्थायी सरकार' दे सकता है।"¹ किसी भी प्रकार की राजनीतिक भ्रम की स्थिति को मिटाने के लिये श्री जगजीवन राम ने उसी दिन यह घोषणा की कि वे जनता समदीय दल के नेतृत्व के दावेदार नहीं हैं। इससे पार्टी में श्री मोरार जी देसाई की स्थिति स्पष्ट हो गयी।

श्री चरणसिंह बनाम श्री मोरार जी देसाई

राष्ट्रपति द्वारा श्री चव्हाण को सरकार बनाने के निमन्त्रण को सवैधानिक औपचारिकता मानते हुये, प्रधानमन्त्री पद के दोनो दावेदारो (श्री देसाई और श्री चरणसिंह) ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि उन्हें सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया जाय। 20 जुलाई को श्री देसाई ने कहा कि वर्तमान समय में जनता पार्टी लोकसभा में अब भी सबसे बड़ी अकेली पार्टी है। अतः राष्ट्रपति को चाहिये कि उसके नेता को सरकार बनाने को आमन्त्रित करे। श्री चरणसिंह ने 22 जुलाई को राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कांग्रेस (एस०) के आलावा वामपन्थी दलो एव अकाली दल का भी समर्थन प्राप्त है तथा वे आशा करते हैं कि अन्ना द्रमुक का समर्थन भी उन्हें मिलेगा। इस समय तक वामपन्थी दलो, अन्ना द्रमुक और अकाली दल का रूझान सदिग्ध था और कांग्रेस (इ०) ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया था।

'इन सभी सुझावों, दावों और विकल्पों को अनदेखा करते हुये राष्ट्रपति ने यद्यपि सवैधानिक सीमाओं के अतर्गत परन्तु बिना किसी राजनीतिक प्रतिबन्ध के प्रथम बार अपने 'विवेकाधिकार' का प्रयोग किया।² 23 जुलाई को राष्ट्रपति ने श्री मोरार जी देसाई और श्री चरणसिंह दोनो से कहा कि वे 48 घंटे के अन्दर (जुलाई 25, 1979 तक) अपने दावों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करें कि वे नई सरकार बना सकते हैं। 23 जुलाई को श्री मोरार जी देसाई, ने राष्ट्रपति श्री नीलम सजीव रेड्डी से मुलाकात की और बाद में बताया कि उन्होंने अपना समर्थन जुटाने के लिये राष्ट्रपति से एक अतिरिक्त दिन की मांग की है। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आपको एक और दिन दिया जायेगा तथा समय की कोई कठोर सीमा रेखा निर्धारित नहीं है।³ यद्यपि राष्ट्रपति ने अपने 'विवेकाधिकार' का प्रयोग किया था परन्तु सवैधानिक इतिहास में एक नयी घटना थी जिसमें किसी 'सवैधानिक मन्त्रणा एव ससदीय परिपटी' को आधार नहीं बनाया गया था। अपने इस कदम के कारण राष्ट्रपति अनजाने में विवाद के कारण भी बन गये।

इसके साथ ही दिल्ली एक बड़े नाटक का केन्द्र बन गयी। जनता पार्टी 'दोहरी सदस्यता' के प्रश्न पर ध्यान दे रही थी। 24 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ के नेतागण ने उसके (जनता पार्टी के) सविधान में ऐसा सशोधन करने को राजी हो गये, जिससे ससद और राज्य विधान मण्डलो के सदस्य सघ के रोजमर्रा कार्यों में भाग न ले सकें। अपने एक विस्तृत वक्तव्य में आर० एस० एस० के महासचिव श्री राजेन्द्र सिंह ने इस बात से इन्कार किया कि आर० एस० एस० की कभी यह महत्वाकांक्षा रही है कि वह सत्ता की कुजी अपने नियन्त्रण में रखे जैसा कि निहित स्वार्थों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है।⁴ इस वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए जनता पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने कहा कि

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, जुलाई 22, 1979।

एच० एम० जैन पूर्वोक्त, पृ० 100।

अरुण गाँधी, 'दि मोरारजी पेपर्स' पूर्वोक्त, पृ० 241।

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, जुलाई 25, 1979, देखें वक्तव्य का मूल पाठ एल० के० अडवानी "दि पीपुल बिट्रेयड," पूर्वोक्त, परिशिष्ट vi, पृ० 148-149।

‘जो सदस्य जनता पार्टी से दोहरी सदस्यता के आधार पर अलग हुये हैं, उन्हें पार्टी में वापस आ जाना चाहिये। वे उन सब की वापसी का स्वागत करेंगे।’¹ परन्तु सदा की भाँति सत्ता की राजनीति में आदर्शों और सिद्धांतों को भुला दिया गया।

राष्ट्रपात भवन से निमन्त्रण प्राप्त होने पर दोनों दल — जनता पार्टी एवं जनता पार्टी (एस०) — अपनी ‘सख्या शक्ति’ बढ़ाने एवं अपने लिये समर्थन जुटाने में लग गये। राजनीतिक गठबन्धन एवं सौदेबाजी का मानो कोहराम मच गया और कल तक की कट्टर ‘राजनीतिक शत्रुताये’, नये मैत्री सबंधों में ढलने लगी। कल तक जिन्हें अपराधी और अछूत समझा जा रहा था उन्हीं के साथ हाथ मिलाने की तत्परता सामने आने लगी।

सहयोगियों एवं समर्थकों की खोज

वेकल्पिक सरकार बनाने के लिये श्री चरणसिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी के सहयोग एवं समर्थन के प्रति काफी आशान्वित थे, क्योंकि कुछ माह पूर्व से ही कांग्रेस (इ०) एवं श्री चरण सिंह गुट के बीच जोड़-तोड़ प्रारम्भ हो गया था। अप्रैल 1979 तक यह सुनिश्चित हो गया था कि जनता पार्टी को तोड़ने के लिये कांग्रेस (इ०) षडयन्त्र रच रही है। श्री सजय गांधी एवं श्री राजनारायण की बैठके और मुनाकाते अब गोपनीय नहीं रह गयी थी। कुछ अन्य लोग जैसे श्री एच० एन० बहुगुणा भी श्री सजय गांधी के साथ गुप्त वार्ताये कर रहे थे। जनता पार्टी नेताओं की ये गुप्त वार्ताये कांग्रेस (इ०) नेता श्री कल्पनाथ राय के माध्यम से सम्पन्न हो रही थी। श्री राय एवं चौधरी चरणसिंह के पारिवारिक सम्बन्ध थे और श्री राय यह बात अच्छी तरह जानते थे कि श्री चरणसिंह का इस्तेमाल किस प्रकार किया जा सकता है।

भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुये श्री कल्पनाथ राय ने श्री चरणसिंह से अनेक बार भेट की थी और उन्हें आश्वासन दिया था, ‘कि यदि वे कोई (जनता पार्टी तोड़ने की) रणनीति अपनाते हैं, तो वे (कल्पनाथ राय), उन्हें (श्री चरणसिंह) कांग्रेस (इ०) का समर्थन दिलाने के लिये हर सम्भव प्रयास करेंगे।’² श्री कल्पनाथ राय ने कांग्रेस (इ०) के इस षडयन्त्र पर परदा डालने के लिये प्रधानमंत्री श्री देसाई को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने श्री चरणसिंह के कार्यों एवं नीतियों की कट्टर आलोचना की थी।³

इसके आलावा श्री राजनारायण अपना सम्पूर्ण आत्म सम्मान बेचकर श्री सजय गांधी का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। यह विश्वास करना कठिन है कि श्री राजनारायण राजनीतिक रूप से इतने अपरिपक्व थे, कि वे यह नहीं समझ पाये कि श्री सजय गांधी उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये कर रहा है। वास्तव में श्री राजनारायण अपने कृत्यों के परिणामों से पूर्णतः अवगत थे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उस समय उनका एक मात्र उद्देश्य श्री मोरार जी देसाई सरकार को अपदस्थ करना था।

1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, जुलाई 25, 1979।

2. अरुण गाँधी मोरार जी पेपर्स पूर्वोक्त, पृ० 228।

3. उद्धृत वही, पृ० 228-230।

इसी पृष्ठभूमि में अपनी सरकार बनाने के लिये श्री चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी का समर्थन प्राप्त करने का लगातार प्रयत्न कर रहे थे। इसके लिये उन्होंने श्रीमती गांधी को एक पत्र भी लिखा और अपने तीन विश्वासपात्र सहयोगियों श्री राजनारायण, श्री एस. एन. मिश्रा और श्री बनारसी दास — को कांग्रेस (इ.) नेता श्री कमलापति त्रिपाठी एवं श्री सी. एम. स्टीफन के पास भेजकर यह अनुरोध किया कि वे, उन्हें अपने दल कांग्रेस (इ.) का सहयोग प्रदान करें।

कांग्रेस (इ.) अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट न करके सबको असमजस में डाले रही परन्तु गुप्त रूप से श्री चरणसिंह के साथ सौदा भी करती रही। अन्त में कांग्रेस (इ.) श्री चरणसिंह को बाहर से समर्थन देने को राजी हो गयी। “श्री चरणसिंह को सरकार बनाने और उत्तराधिकार के इस युद्ध में कांग्रेस (इ.) का यह समर्थन अत्यन्त निर्णायक एवं महत्वपूर्ण था। यह कांग्रेस की अवसरवादी राजनीति की विजय थी।”¹ इधर श्री चरणसिंह को समर्थन देने के प्रश्न पर कांग्रेस (एस.) के सासदों में तीव्र मतभेद पैदा हो गये। कांग्रेस का एक गुट श्री चरणसिंह को समर्थन देने का विरोध कर रहा था। उसका तर्क था कि ऐसे समर्थन का अर्थ यह होगा कि कांग्रेस (एस.) ‘दल-बदलुओं’ के एक गुट में केवल दूसरे स्थान पर ही नहीं रहेगी अपितु वह एक ऐसी सरकार को सहयोग भी देगी, जो अपने जीवन और कार्यों के लिये पूर्णतया श्रीमती इंदिरा गांधी पर निर्भर रहेगी। अतः कांग्रेस (एस.) इस विरोधाभास में पर्दा डालने में सफल हो गयी और 25 जुलाई को श्री चरणसिंह ने अपने समर्थकों की सूची राष्ट्रपति को दे दी।

श्री मोरार जी देसाई को जनता पार्टी के 206 सासदों का ठोस बहुमत प्राप्त था। 24 जुलाई को अन्ना द्रमुक नेता श्री एम. जी. रामचन्द्रन ने यह निर्णय लिया कि केन्द्र में स्थायी सरकार बनाने के लिये उनके दल के 18 सासद श्री देसाई की जनता सरकार का समर्थन करेंगे। श्री देसाई ने 11 निर्दलीय सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त कर लिया। अतः उनकी पार्टी को समर्थन देने वालों की संख्या 235 हो गयी थी।

पांच वामपंथी दलों में सी. पी. आई. (एम.) फारवर्ड ब्लाक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने तटस्थ रहने का फैसला किया। लोक सभा में इनकी सदस्य संख्या क्रमशः 22, 3 और 4 थी। जबकि सी. पी. आई. और पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी, जिनकी लोकसभा में सदस्य संख्या 7 और 8 थी, श्री चरणसिंह को समर्थन देने की घोषणा की। श्री मोरार जी देसाई ने श्री देवराज अर्स से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था श्री अर्स जो उस समय बंगलौर में थे, ने टेलीफोन कर श्री देसाई को सकारात्मक आश्वासन देते हुये कहा था कि वे 25 जुलाई की शाम तक दिल्ली आकर अपने पार्टी सदस्यों से वार्ता करके अन्तिम और सुनिश्चित निर्णय देंगे। इसी बीच 25 जुलाई को प्रातः राष्ट्रपति के सचिव ने घोषणा की कि समर्थकों की सूची भेजने की अन्तिम तिथि आज शाम 4 बजे तक है। श्री देसाई ने अपने समर्थकों की सूची लगभग साय 4:30 बजे भेजते हुये पत्र लिखकर राष्ट्रपति, श्री नीलम सजीवा रेड्डी से आग्रह किया कि उन्हें अपना समर्थन जुटाने के लिये एक दिन का समय और दिया जाय, परन्तु राष्ट्रपति ने इसे लिखित रूप में अस्वीकार कर दिया।² राष्ट्रपति संभवतः चरणसिंह गुट के प्रभाव में थे। इस गुट को भय था कि कहीं श्री मोरार जी देसाई श्री देवराज अर्स का समर्थन प्राप्त करने में सफल न हो जाये। राष्ट्रपति श्री रेड्डी का श्री देसाई के प्रति कोई

1. एच. एम. जैन पूर्वोक्त, पृ. 101।

2. उद्धृत अरुण गांधी ‘दि मोरारजी पेपर्स’, पूर्वोक्त, पृ. 243।

लगाव भी नहीं था और इस सम्भावना को खत्म करने के लिये वे अपने दिये गये वचन से मुक्त हुए।¹ 26 जुलाई को श्री मोरारजी देसाई ने पुन राष्ट्रपति को एक लम्बा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस (इ०) और अकाली दल द्वारा श्री चरणसिंह को दिये जाने वाले समर्थन के प्रति सन्देह व्यक्त किया।²

श्री चरणसिंह को निमन्त्रण

यद्यपि 25 जुलाई तक दोनों दावेदार—श्री चरणसिंह और श्री मोरारजी देसाई— लोक सभा में बहुमत सिद्ध करने लायक सदस्यों का समर्थन नहीं जुटा पाये थे। परन्तु यह आश्चर्य की बात थी कि दोनों ने अपने समर्थन में 280 सदस्यों की सूची राष्ट्रपति को प्रेषित की थी। तत्कालीन 538 सदस्यों की लोक सभा में कम से कम 37 सदस्यों (अकाली दल को मिलाकर) ने तटस्थ रहने की घोषणा की थी। अतः यह निश्चित था कि दोनों सूचियों में कुछ नाम उभयनिष्ठ थे। श्री चरणसिंह और श्री मोरारजी देसाई द्वारा अपने समर्थकों की प्रस्तुत की गयी, सूचियों की राष्ट्रपति भवन में उपलब्ध दस्तावेजों एवं सबूतों के आधार पर छानबीन की गयी। इससे पता चला कि श्री चरणसिंह को 202 और श्री मोरारजी को 236 सदस्यों का बहुमत प्राप्त है।

26 जुलाई को राष्ट्रपति ने श्री चरणसिंह को सरकार बनाने को आमन्त्रित किया। राष्ट्रपति ने श्री चरणसिंह को लिखे अपने पत्र में कहा कि, “मैंने पाया कि लोकसभा में आपको श्री देसाई से ज्यादा सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।” राष्ट्रपति को इस स्थिति का पूर्ण सञ्ज्ञान था कि श्री चरणसिंह को भी सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। अतः उन्होंने अपने पत्र में आवश्यक रूप से जोड़ा कि “मुझे विश्वास है कि उच्चतम लोकतान्त्रिक परम्पराओं के अनुसार तथा स्वस्थ परम्पराये डालने के लिये, आप लोकसभा में शीघ्रातिशीघ्र और अधिक से अधिक अगस्त 1979 के तीसरे सप्ताह तक विश्वास मत प्राप्त कर लेंगे।”³ 28 जुलाई को श्री चरणसिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

श्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति को जो सूची दी थी, उसमें कांग्रेस (एस०) के 20 सदस्यों के नाम उनकी बिना अनुमति के शामिल किये गये थे। इनमें से 15 सदस्यों ने इसके विरुद्ध राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया था। 27 जुलाई को जैसे ही श्री मोरारजी देसाई को यह पता चला, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुये प्रायश्चित्त के रूप में ‘जनता ससदीय दल’ से त्यागपत्र दे दिया। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मेरी गलती नहीं थी, यह सूचना मेरे सहयोगियों ने दी थी और मेरे पास सूचियों के सत्यापन का समय नहीं था। राष्ट्रपति ने उन्हें एक दिन का और समय नहीं दिया जिसका उन्होंने वादा किया था। फिर भी मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और अपराध स्वीकार करता हूँ।⁴

राष्ट्रपति के निर्णय की वैधानिकता

भारतीय ससदीय व्यवस्था के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब राष्ट्रपति ने बिना किसी पूर्वोदाहरण के प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने ‘विवेकाधिकार’ का प्रयोग किया था। साथ ही यह भी पहला अवसर था, जब किसी नेता को सरकार बनाने के निमन्त्रण के साथ यह भी कहा गया हो कि वह स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्परा कायम रखने के

1 यही, पृ० 242।

2. देखें, श्री देसाई द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गये पत्र का मूल पाठ, उद्धृत वही, पृ० 244-245।

3 दि स्टेट्समैन, दिल्ली जुलाई 27, 1979।

4 जन विश्वासघात पूर्वोक्त, पृ० 18, देखें सण्डे, कलकत्ता, दिसम्बर 21, 1979।

लिये शीघ्रातिशीघ्र लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री चुनने का जो तरीका अपनाया था, उससे उन गुटों को, जो सरकार चलाने के बजाय सरकार गिराने में ज्यादा इच्छुक थे, एक जुट होने का मौका मिला और वे गणना में आगे निकल गये।

उस समय 538 सदस्यों के लोकसदन में श्री चरणसिंह के जनता पार्टी (एस०) के मात्र 77 सदस्य थे तथा उन्हें अपने समर्थकों सहित भी सदन में बहुमत नहीं प्राप्त था। श्री चरणसिंह को समर्थन देने के मुद्दे पर कांग्रेस (एस०) में गम्भीर मतभेद थे। यद्यपि कांग्रेस (इ०) ने श्री चरणसिंह को बिना शर्त समर्थन दिया था, परन्तु उसके द्वारा दिये गये समर्थन का स्थायित्व पूर्णतया सदिग्ध थी। यही स्थिति सी० पी० आई० की भी थी।

श्री चरणसिंह के शपथ ग्रहण करने के बाद सी० पी० आई० नेता श्री भूपेश गुप्ता ने कहा, “कि श्री चरणसिंह को उनका समर्थन केवल सरकार बनाने तक ही सीमित था, यह समर्थन सरकार चलाने का नहीं जिन्होंने मेरे वक्तव्य का गलत अर्थ लगाया उन्हें ससद में मेरे दृष्टिकोण से पता लग जायेगा।”¹ कांग्रेस (इ०) का भी यही दृष्टिकोण था। कांग्रेस (इ०) नेता श्री सी० एम० स्टीफन ने एक सम्वाददाता सम्मेलन में कहा, “मेरी पार्टी ने श्री चरणसिंह को सरकार बनाने के लिये समर्थन दिया था। श्री चरणसिंह के शपथ लेते ही यह अध्याय बन्द हो गया।”² वास्तव में यह स्थिति बाद में नहीं बल्कि प्रारम्भ से ही निश्चित थी। श्री मोरारजी देसाई ने 26 जुलाई को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इन स्थितियों से अवगत कराया था। “ऐसे अनिश्चित और सीमित समर्थन से श्री चरणसिंह को सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं था, और इससे राष्ट्रपति के निर्णय की सवैधानिकता तो नहीं परन्तु औचित्यता अवश्य प्रश्नगत होती है।”³ ऐसी सरकार जिसका अस्तित्व उन राजनीतिक दलों पर निर्भर हो जो एक साथ सरकार के समर्थन और विरोध की घोषणा करते हो, ससदीय लोकतन्त्र के लिये एक लज्जास्पद मखौल था जिसके लिये भारतीय सवैधानिक इतिहास राष्ट्रपति श्री सजीवा रेड्डी को सदैव प्रताडित करता रहेगा।

राष्ट्रपति श्री नीलम सजीवा रेड्डी एक ओर श्री चव्हाण को सरकार बनाने की सम्भावनाओं को तलाश करने के लिये आठ दिन का समय देते हैं जबकि दूसरी ओर श्री मोरारजी देसाई को एक दिन ज्यादा नहीं दे सकते थे ? उन्हें सरकार गठित करने की इतनी जल्दी क्यों थी ? देश में कोई आपातस्थिति जैसे बात भी नहीं थी। अतः राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के चयन की जो प्रक्रिया अपनायी, उससे उनके निर्णय की औचित्यता और विश्वसनीयता सन्देहास्पद हो जाती है। “यह दुरभिसन्धि नहीं है तो क्या है ? यह भी विश्वास करना कठिन है कि श्री नीलम सजीवा रेड्डी जैसे दक्ष राजनीतिज्ञ को यह विश्वास हो कि ‘चरणसिंह सरकार’ जनता पार्टी के बचे हुये कार्यकाल को पूरा करेगी। स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी स्थिति और श्री चरणसिंह की सत्ता की लालसा का प्रयोग, श्रीमती इंदिरा गांधी को वापस लाने के लिये किया।”⁴ वास्तव में श्री सजीवा रेड्डी का मुख्य उद्देश्य अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने का था, जिसकी

-
1. दि स्टैट्समैन, दिल्ली, जुलाई 28, 1979।
 2. दि स्टैट्समैन, जुलाई 29, 1979।
 3. एच० ए० जैन, पूर्वोक्त, पृ० 106।
 4. अरुण गाँधी ‘दि मोरार जी पेपर्स’ पूर्वोक्त, पृ० 246।

परिस्थितिया (एव समीकरण) नहीं बन पायी और परिणाम स्वरूप श्रीमती इन्दिरा गाधी के पुनः सत्ता में आने का मार्ग सुनिश्चित हुआ।¹

प्रो० के० डी० राव का भी मत था कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री चरणसिंह की नियुक्ति न तो राजनीतिक रूप से विवेकपूर्ण थी और न ही सबैधानिक रूप से उचित थी। प्रो० एच० एम० जैन ने अपने एक शोध लेख में इस सम्पूर्ण घटनाक्रम विश्लेषण किया है, उनका अभिमत है, “यह निश्चय ही एक अल्पमत सरकार और सबैधानिक प्रक्रिया पर एक कलक थी। अन्य लोगों के साथ-साथ यह बात राष्ट्रपति को भी पूर्णतया स्पष्ट थी कि कांग्रेस (इ०) द्वारा समर्थन का वादा, जनता सरकार के पराभव को सुनिश्चित करने की एक रणनीति या साधन के आलावा कुछ नहीं था। चरणसिंह सरकार की असफलता प्रारम्भ से ही नियत थी।”² आदर्श स्थिति तो यह होती कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अन्य विकल्पों पर भी विचार करते यथा सम्भव निर्णय लेते।

जैसी कि आशंका थी चरणसिंह मन्त्रिमण्डल में शामिल होने के प्रश्न पर अंतिम समय कांग्रेस (एस०) में भारी विवाद छिड़ गया। जिस समय श्री चरणसिंह ने शपथ ली, उस समय कांग्रेस (एस०) में फूट के कारण, इनके ७ नामितों का शपथ ग्रहण रद्द कर दिया गया। कांग्रेस (इ०) के श्री कल्पनाथ राय ने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि श्री चरणसिंह की इंदिरा-समर्थित सरकार, में श्रीमती इंदिरा गाधी से धृणा करने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। अतः कांग्रेस के केन्द्रीय ससदीय बोर्ड ने काफी गहमा गहमी के बाद ७ लोगों के नाम निश्चित किये। कांग्रेस (एस०) को यह गठबन्धन काफी भारी पड़ा क्योंकि 17 अगस्त को लगभग इसके 15 सासदों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। इस प्रकार चरणसिंह सरकार का भविष्य अधर में लटका हुआ था।

सी० पी० आई० और कांग्रेस (इ०) दोनों ने चरणसिंह सरकार से मुँह मोड़ना प्रारम्भ कर दिया था। 1 अगस्त को सी० पी० आई० के महासचिव ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया उन्होंने कहा, “कि जनता (एस०) की सरकार को समर्थन देने का मुख्य उद्देश्य सभी स्तर पर जनता पार्टी के पूर्ण विघटन का मार्ग सुनिश्चित करना था। इसके लिये श्री चरणसिंह सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे।”³ श्री चरणसिंह के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती श्रीमती इंदिरा गाँधी का समर्थन प्राप्त करना था। ऐसी स्थिति में चरणसिंह-सरकार का भविष्य श्रीमती इंदिरा गाधी के दया पर निर्भर था। यह श्री चरणसिंह के ही उर्वर मस्तिष्क की योजना थी जिसके तहत उन्होंने ढाई वर्ष पहले की, सत्ताच्युत एवं कमजोर राजनीतिज्ञ, श्रीमती इंदिरा गाधी को भारतीय राजनीति में पुनः सत्ता का नियन्ता बना दिया। 9 अगस्त को श्रीमती इंदिरा गाधी ने चरणसिंह मन्त्रिमण्डल को ‘दूसरी खिचड़ी सरकार’ की सजा दी। उन्होंने कहा कि हम सरकार के कार्य - कलापो को देखेंगे और उसके गुण-दोषों के अनुसार निर्णय लेंगे। 20 अगस्त को चरणसिंह सरकार को लोकसभा में विश्वासमत प्राप्त करना था। उसी दिन सुबह कांग्रेस (इ०) ससदीय बोर्ड ने निर्णय लिया कि वे विश्वासमत का विरोध करेंगे। इसी के साथ चरणसिंह सरकार का भाग्य एव भविष्य सुनिश्चित हो गया।

1. श्री मुरंद् मोहन ने शोधकर्ता से साक्षात्कार के दौरान इस रहस्य का उद्घाटन किया।
2. एच० एम० जैन पूर्वोक्त, पृ० 105।
3. स्टेट्समैन, दिल्ली, अगस्त 2, 1979।

अतः लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने की निर्धारित तिथि यानी 20 अगस्त 1979 को प्रातः 11 बजे श्री चरणसिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें अपने मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र सौंप दिया। लगभग इसी समय उन्हें लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना था। त्यागपत्र देने का निर्णय केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की एक असाधारण बैठक में लिया गया, जब श्री चरणसिंह को यह ज्ञात हो गया कि कांग्रेस (इ०) लोकसभा में सरकार के विरुद्ध मत देगी। बाद में राष्ट्रपति ने श्री चरणसिंह का त्यागपत्र मजूर कर लिया। राष्ट्रपति ने सरकार का त्यागपत्र स्वीकार करते हुये, उन्हें “नयी व्यवस्था होने तक” काम चलाते रहने को कहा। श्री चरणसिंह ने त्यागपत्र देने के साथ ही राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश भी कर दी। इस प्रकार पिछले पांच सप्ताह में दूसरी बार देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया।

दूसरा संवैधानिक संकट एवं राष्ट्रपति का निर्णय

चरणसिंह सरकार के त्यागपत्र देने के लगभग 1 घंटे बाद विपक्ष के नेता श्री जगजीवन राम (जो श्री मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद सर्वसम्मति से जनता ससदीय दल के नेता चुने गये थे) राष्ट्रपति से मिले और वैकल्पिक सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। उन्होंने लोकसभा भंग करने के प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि श्री चरणसिंह को ऐसी सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं था।

इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास दो विकल्प थे—

- (i) वे चरणसिंह मन्त्रिमण्डल के परामर्श के अनुसार लोकसभा भंग कर दें।
- (ii) वे वैकल्पिक सरकार बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये विपक्ष के नेता श्री जगजीवन राम को आमन्त्रित करें।

इसमें प्रथम संवैधानिक प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति ‘चरणसिंह मन्त्रिमण्डल की सलाह मानने को बाध्य है। बयालिसवे एवं चौवालिसवे संविधान सशोधन से यह बात सुनिश्चित हो गयी है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का सम्पादन मन्त्रिमण्डल की सलाह पर ही करेगा। परन्तु राष्ट्रपति को सलाह देने के विशेष सन्दर्भ में पुनः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वास्तविक अर्थों में संविधान की भावना के अनुरूप ‘चरणसिंह मन्त्रिमण्डल’ एक ‘मान्य मन्त्रिमण्डल’ था? अगर वास्तविक रूप में देखा जाय तो चरणसिंह मन्त्रिमण्डल को इसका कोई वैधानिक एवं नैतिक अधिकार नहीं था कि वे राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने का परामर्श दे और यदि श्री चरणसिंह ऐसी सलाह देते भी हैं तो यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं थी।

प्रो० एच० एम० जैन ने अपने शोध लेख में स्पष्ट किया है कि अगर श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति को लोकसदन को भंग करने की परामर्श देते, तो यह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती परन्तु श्री चरणसिंह के मामले में स्थिति अलग थी क्योंकि—

- (i) प्रधानमंत्री पद पर श्री चरणसिंह की नियुक्ति लोकसभा के अनुमोदन प्राप्त कर लेने की शर्त पर की गयी थी। इसलिये वे एक ‘कामचलाऊ और औपबन्धिक’ प्रधानमंत्री ही थे। चूँकि वे लोकसभा का अनुमोदन नहीं प्राप्त कर सके, अतः राष्ट्रपति पर उनकी सलाह बाध्यकारी नहीं थी।

(ii) 'चरणसिंह मन्त्रिमण्डल' प्रारम्भ से ही अल्पमत में था। यह एक वैधानिक सरकार के अपदस्थ होने पर सत्ता में आया था। इसे किसी भी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुमत प्राप्त नहीं था। यह न तो जनता द्वारा चुनी गयी सरकार थी, और न ही यह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर पायी थी। यह राष्ट्रपति के 'ओपबन्धिक आमन्त्रण' से सत्ता में आयी थी। इसलिए श्री चरणसिंह किसी अन्य व्यक्ति या गुट को उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते थे, जिसका स्वयं उन्होंने दावा किया था और प्राप्त किया था। अतः श्री चरणसिंह मन्त्रिमण्डल की लोकसभा भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं थी।¹

चरणसिंह सरकार जनता द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति की इच्छा द्वारा निर्मित थी और उन शर्तों को पूरा करने में असफल रहा जिन्हें राष्ट्रपति ने लगायी थी। अतः इन परिस्थितियों में अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की परामर्श देते हैं तो राष्ट्रपति यह परामर्श मानने को बाध्य नहीं हैं। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति की स्थिति सर्वोच्च हो जाती है और वह अपने 'विवेकाधिकार' का प्रयोग करने को पूर्ण स्वतन्त्र हो जाता है।

अनेक प्रख्यात न्यायविदों जैसे श्री एम० सी० छागला, श्री एफ० एस० नारीमन, श्री वाई० एस० चीतले और श्री यू० एन० तारकुडे आदि का भी मानना था कि श्री चरणसिंह की अल्पमत सरकार को यह अधिकार नहीं था कि वे राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे और इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह मानने को बाध्य भी नहीं हैं। ये सभी न्यायविदों ने बात पर सहमत थे कि वर्तमान संवैधानिक संकट में राष्ट्रपति को संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिये।²

सम्भवतः राष्ट्रपति ने इसी 'विवेकाधिकार' का प्रयोग करते हुये दो दिन तक विपक्षी नेताओं से परामर्श के दौरान यह महसूस किया कि किसी अन्य 'वैकल्पिक सरकार' की सम्भावनाओं को तलाश करना निरर्थक है। अतः 22 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति ने घोषणा की कि "सविधान के अनु० 85(2) में दिये गये अधिकार का प्रयोग करते हुये मैं लोकसभा के विघटन की घोषणा करता हूँ।"³ बाद में एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुये राष्ट्रपति ने यह उद्घाटित किया कि "लोक सभा के विघटन का निर्णय उनके 'विवेक' पर आधारित था, चरणसिंह मन्त्रिमण्डल की सलाह पर नहीं।"⁴ यह एक संयोग ही था कि राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार भी उसी निर्णय पर पहुँचे जिसकी सलाह 'पद मुक्त मन्त्रिमण्डल' ने दी थी। इसी संयोग के कारण राष्ट्रपति के निर्णय की संवैधानिकता नहीं बल्कि औचित्यता सन्देह के घेरे में आ गयी।

1. एच० एम० जैन पूर्वोक्त, पृ० 110-112, लेखक ने अपने एक अन्य शोध लेख "इण्डियन पार्लियामेन्ट एण्ड प्रसीडेन्ट" में भी इस मत का समर्थन किया।
2. उद्धृत . एच० एम० जैन पूर्वोक्त, पृ० 111।
3. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, अगस्त 23, 1979।
4. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति के रजत जयन्ती समारोह का उद्घाटन करते हुये राष्ट्रपति श्री नीलम सजीवा रेड्डी ने कहा कि केन्द्र में लिया गया निर्णय (लोक सभा भंग करने का) उनके 'विवेक' पर आधारित था और उन्होंने प्रभु वेंकटेश्वर से यह प्रार्थना की थी कि वे उन्हें अपने निर्णय में दृढ़ रहने की शक्ति दें। देखें नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, सितम्बर 3, 1979।

जगजीवन राम का मामला

20 अगस्त 1979 को श्री जगजीवन राम ने सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया और कहा कि विपक्ष का नेता होने के कारण यह स्वाभाविक है कि उन्हें वैकल्पिक सरकार बनाने की सम्भावनाओं को तलाश करने का अवसर प्रदान किया जाय। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि व लोकसभा में अपना समर्थन जुटा लेगे, परन्तु उन्होंने राष्ट्रपति को अपने समर्थक सासदों की सूची देने से इकार कर दिया। बाद में उन्होंने समावदाताओं से वार्ता करते हुये कहा कि, "मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं समझता हूँ कि मेरे बहुमत का शक्ति-परीक्षण लोकसभा में होना चाहिये। इसके पूर्व राष्ट्रपति द्वारा श्री चरणसिंह को ऐसा मौका दिया गया है। इसके आलावा राष्ट्रपति ने विपक्ष के नेता को सरकार बनाने का आमन्त्रण देकर एक नजीर भी प्रस्तुत की है।"¹

राष्ट्रपति श्री सजीवा रेड्डी, श्री जगजीवन राम के दावे को सन्देह की दृष्टि से देख रहे थे। इसी बीच उन्होंने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि श्री जगजीवन राम लोकसदन में पर्याप्त बहुमत नहीं जुटा पायेंगे। विभिन्न दलों के नेतागण मध्यावधि चुनाव के पक्ष में थे। सभी वामपथी दल जनता पार्टी को किसी प्रकार का समर्थन देने के विरुद्ध थे। जनता पार्टी (एस०) द्वारा श्री जगजीवन राम को समर्थन देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कांग्रेस (एस०) श्री चरणसिंह का सहयोगी दल था उसने भी मध्यावधि चुनाव पर अपनी सहमत व्यक्त की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वे जनसघ समर्थित श्री जगजीवन राम की सरकार का समर्थन नहीं करेगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति को यह विश्वास हो गया था कि श्री जगजीवन राम लोकसभा में बहुमत नहीं प्राप्त कर सकते।

इसी राजनीतिक गरमा गरमी की चरम सीमा के बीच 22 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग करने और मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी। घोषणा में कहा गया कि मध्यावधि चुनाव तक श्री चरणसिंह की कामचलाऊ सरकार कार्य करती रहेगी और इन चुनावों को दिसम्बर में कराये जाने का निश्चय किया गया।

इस घोषणा के पूर्व राष्ट्रपति ने तीन महत्वपूर्ण बैठकें की। पहली बैठक कांग्रेस (इ०) नेता श्री सी० एम० स्टीफन के साथ थी, जिसमें समझा जाता है कि कांग्रेस (इ०) नेता ने मध्यावधि चुनाव की माग की थी। दूसरी बैठक में राष्ट्रपति श्री रेड्डी जनता ससदीय दल के नेता श्री जगजीवन राम एवं जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर से मिले। इस बैठक में राष्ट्रपति ने इन नेताओं से कहा कि वे अपने बहुमत का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करें। इस वार्ता के बाद इन नेताओं ने राष्ट्रपति को अपने समर्थकों की सूची देने का निर्णय लिया था। बाद में समावदाताओं से बात करते हुये श्री चन्द्रशेखर ने कहा था कि राष्ट्रपति उनके प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। तीसरी मन्त्रणा श्री चरणसिंह एवं उनके सहयोगियों के साथ हुई, जिसमें श्री चरणसिंह ने राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनाव का आयोजन शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव होने तक उनकी काम चलाऊ सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिससे कोई नयी नीति या प्रशासनिक निर्णय निर्धारित हो।

1 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली, अगस्त 21 1979।

जनता पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति के इस कार्य को 'विश्वासघात' की सजा दी।¹ जब राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग करने की घोषणा की, इसी बीच श्री जगजीवन राम, राष्ट्रपति श्री सजीवा रेड्डी को एक पत्र भेज चुके थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे शाम तक अपने बहुमत के सन्दर्भ में प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे।² जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने उन्हें समय देने का वादा किया था, परन्तु श्री मोरार जी के मामले की तरह इस मामले में भी घपला किया। अतः उनका यह कार्य दुर्भावनापूर्ण, अनुचित और असंवैधानिक था। श्री जगजीवन राम ने कहा कि 'जो कुछ हुआ है, वह पहले से रचे पड्यन्त्र की परिणित था। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति श्री रेड्डी ने श्री मोरारजी देसाई और श्री चरणसिंह को एक साथ अपने-अपने समर्थकों की सूची प्रस्तुत करने को कहा था, तभी मुझे पड्यन्त्र का आभास हो गया था।

जहाँ तक संवैधानिकता एवं ससदीय परम्परा का प्रश्न है, साधारण परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं लोकसदन के विसर्जन के सन्दर्भ में राष्ट्रपति को व्यावहारिक अर्थों में किसी प्रकार का कोई विवेकाधिकार नहीं होता। परन्तु असाधारण राजनीतिक परिस्थितियाँ राष्ट्रपति को विवेकाधिकार प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करती हैं। वर्तमान परिस्थिति में यह राष्ट्रपति के 'विवेकाधिकार' के अतर्गत था कि वे श्री जगजीवन राम को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित करते या नहीं। "यह बिना किसी पूर्वोदाहरण के राष्ट्रपति की सर्वोच्च सत्ता का क्षण था। थोड़े समय के लिये राष्ट्रपति राजनीतिक सघर्षों के सर्वोच्च व्याख्याकार एवं राज्य की शक्ति के स्वतन्त्र अंग बन गये थे।"³ अतः राष्ट्रपति श्री रेड्डी ने श्री जगजीवन राम के दावे को ठुकराकर, लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी।

राष्ट्रपति श्री सजीवा रेड्डी के इस निर्णय की राजनीतिक हलकों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। अनेक राजनीतिक पंडितों एवं सविधानविदों इसकी कटु आलोचना करते हुये कहा कि लोकसभा भंग करने के पूर्व राष्ट्रपति को श्री जगजीवन राम को सरकार बनाने का अवसर अवश्य देना चाहिये। वास्तव में अगर इस वस्तुस्थिति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर भी लिया जाय कि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो गया था कि श्री जगजीवन राम लोकसभा में अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पायेंगे, वही भी उनके इस 'विवेकाधिकार की औचित्यता' को अनेक कारणों से प्रश्नगत किया जा सकता है—

(1) 'विवेकाधिकार' का तात्पर्य विवेक के कुछ मानक मापदण्डों से है, 'स्वेच्छाचार' या 'निरकुश अधिकार' से नहीं। राष्ट्रपति श्री रेड्डी को एक समान परिस्थितियों में अलग-अलग मापदण्ड नहीं अपनाने चाहिये। जब उन्होंने प्रथम बार त्रिपक्ष के नेता श्री बाई. बी. चव्हाण को सरकार बनाने को आमन्त्रित किया था, तो क्या उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि मात्र 76 सांसदों वाले कांग्रेस (एस.के) के नेता श्री चव्हाण लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध

1. देखें जगजीवन राम का पत्र, दि. स्टेटमैन अगस्त 25, 1979।

2. श्री जगजीवन राम द्वारा राष्ट्रपति श्री रेड्डी का लिखा गया पत्र, दिनांक अगस्त 22, 1979, देखें पत्र का मूल पाठ, उद्धृत, एल.के. आडवानी 'दि पीपुल विट्रेड', पूर्वोक्त, परिशिष्ट III, पृ. 138-139।

3. ए.के. एस. जैन, पूर्वोक्त, पृ. 118।

कर पायेंगे ? अगर उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो श्री जगजीवन राम के मामले में यह भेदभाव क्यों बरता गया ? जबकि श्री जगजीवन राम को उस समय कांग्रेस (एस०) से ज्यादा सासदों का ठोस बहुमत प्राप्त था ।

(2) राष्ट्रपति श्री नीलम सजीवा रेड्डी ने ससदीय परम्पराओं का पालन करते हुये सत्ता पक्ष के पद त्याग के बाद विपक्ष के नेता श्री चव्हाण को सरकार बनाने को आमन्त्रित किया था । वर्तमान परिस्थितियों में प्रधानमंत्री श्री चरणसिंह के त्यागपत्र देने के बाद श्री जगजीवन राम विपक्ष के नेता बन गये थे । अतः रेड्डी को अपने द्वारा प्रस्तुत उस उदाहरण का पालन करते हुये श्री जगजीवन राम को सरकार बनाने को आमन्त्रित करना चाहिये ।

(3) कुछ विद्वानों ने राष्ट्रपति के निर्णय का समर्थन करते हुये कहा कि अगर राष्ट्रपति श्री जगजीवन राम को सरकार बनाने को आमन्त्रित करते तो राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती और व्यर्थ में राजनीतिक जोड़-तोड़ सौदेबाजी और सासदों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलता । लेकिन क्या राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति का सञ्ज्ञान केवल श्री जगजीवन राम के मामले में हुआ । इसके पूर्व जब उन्होंने लोकसभा में अल्पमत प्राप्त कांग्रेस (एस०) के नेता श्री चव्हाण एवं जनता पार्टी (एस०) के नेता श्री चरणसिंह को आमन्त्रित किया था, तो उस समय उन्होंने इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया था ? और यदि दिया था तो क्या वे श्री चरणसिंह, श्री चव्हाण एवं श्रीमती इंदिरा गांधी को अत्यन्त उच्च आदर्शों वाला व्यक्ति मानते थे, जो सत्ता प्राप्ति के लिये इस प्रकार के क्षुद्र राजनीतिक मापदण्डों का इस्तेमाल न करते ?

(4) राष्ट्रपति श्री नीलम सजीवा रेड्डी के इस निर्णय की औचित्यता इसलिये भी सन्देह के घेरे में आ जाती है, क्योंकि जनता पार्टी एवं उसके नेताओं के प्रति उसका रवैया राष्ट्रपति पद एवं गरिमा के अनुकूल नहीं था । फरवरी 1978 से फरवरी 1979 के बीच राष्ट्रपति श्री रेड्डी और प्रधानमंत्री श्री देसाई के बीच हुये पत्र व्यवहार से निष्कर्ष निकलता है कि दोनों के सम्बन्ध कटुता की किसी सीमा को पार कर चुके थे । दिसम्बर 1978 को राष्ट्रपति श्री रेड्डी ने श्री सी० राजगोपालाचारी 'जन्म-शताब्दी' समारोह में बिना लिखा हुआ भाषण दिया और सरकार के विरुद्ध कुछ अविवेकपूर्ण टिप्पणी की । उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सरकार एवं अप्रत्यक्ष रूप से श्री मोरारजी देसाई की आलोचना की । श्री देसाई ने इसका कडा विरोध करते हुये राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा । इसके बाद दोनों महानुभावों ने पत्र के माध्यम से एक दूसरे पर व्यापक आक्षेप किये ।¹ वास्तव में श्री नीलम सजीवा रेड्डी अत्यन्त महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने जो कार्य किये उन्हीं के परिणामस्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी का सत्ता में वापस आना सम्भव हुआ ।² इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में 'उन्होंने उन शक्तियों का साथ दिया, जो वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने के लिये उतावली थी ।'³ इसी पृष्ठभूमि में ही दोनों सवैधानिक सक्तों में 'राष्ट्रपति के विवेकाधिकार' की व्याख्या की जानी चाहिये अन्यथा नहीं ।

1 फरवरी 1978 से फरवरी 1979 तक राष्ट्रपति श्री रेड्डी और प्रधानमंत्री श्री देसाई के बीच लगभग 10 पत्रों का आदान-प्रदान हुआ । देखें पत्रों का मूल पाठ, उद्धृत अरुण गाँधी 'दि मोरार जी पेपर्स', पूर्वोक्त, पृ० 4-26 ।

2 अरुण गाँधी पूर्वोक्त, पृ० 2 ।

3 अरुण गाँधी 'दि मोरार जी पेपर्स', पूर्वोक्त, पृ० 26 ।

(१) इसे राष्ट्रपति का 'विवेकाधिकार' कहा जायेगा या पक्षपात कि उन्होंने जनता पार्टी एव उसके नेताओं के किसी भी आग्रह को स्वीकार नहीं किया। प्रथम बार जब श्री मोरार जी ने राष्ट्रपति से अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये एक अतिरिक्त दिन की मांग की थी, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। बाद की परिस्थितियों में 22 अगस्त 1979 को प्रातः श्री जगजीवन राम ने राष्ट्रपति से कहा कि वे शाम तक अपने बहुमत के समर्थन का प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे। परन्तु उसी दिन दोपहर को राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग करने की घोषणा कर दी। विचारणीय प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति जी श्री चव्हाण और श्री चरणसिंह को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने को क्रमशः एक सप्ताह और तीन सप्ताह का समय देते हैं, परन्तु वे श्री मोरारजी देसाई एव श्री जगजीवन राम को क्रमशः एक दिन एव कुछ घंटों का समय नहीं दे सकते। क्यों? जबकि उस समय देश में आपात काल जैसी कोई बात भी नहीं थी। बाद में इन दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने उन्हें समय देने का मौखिक वादा किया था, जिससे वे बाद में मुकर गये और हमारे साथ विश्वासघात किया।

अतः इस सवैधानिक सकट में राष्ट्रपति का अपने 'विवेकाधिकार' के अनुसार लिया गया निर्णय अनेक कारणों से औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इन सवैधानिक सकटों से परे आदर्श स्थिति तो यह होती कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद श्री मोरारजी देसाई लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते। यह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती। परन्तु श्री मोरारजी देसाई स्वयं अपनी सत्तालोलुपता के कारण ऐसा नहीं कर सके। दूसरी सुखद स्थिति यह होती कि जब प्रधानमंत्री पद के दोनों दावेदार श्री चरणसिंह और श्री मोरारजी देसाई राष्ट्रपति को अपने बहुमत का प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सके, तो उस समय राष्ट्रपति श्री सजीवा रेड्डी को उस तर्क, जिसका आश्रय उन्होंने बाद में श्री जगजीवन राम के मामले में लिया, का आधार लेकर लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिये। इससे देश को सबसे बड़ा लाभ यह होता कि वह लगभग छ माह एक ऐसी 'अल्पमत सरकार' के शासन से बच जाता जिसे कभी भी जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बहुमत प्राप्त नहीं था और जो जनता द्वारा चुनी गयी एक 'वैधानिक सरकार' को अपदस्थ करके औपबन्धिक रूप से सत्ता में आयी थी।

जब राष्ट्रपति पहले ऐसा नहीं कर सके तो उनको यह चाहिये था कि अपने द्वारा स्थापित नजीर का पालन करते हुये विपक्ष के नेता श्री जगजीवन राम को सरकार बनाने का आमन्त्रण देकर अनिश्चय की स्थिति समाप्त करते। यदि जगजीवन राम बहुमत का समर्थन हासिल करके सरकार न बना पाते तो अन्य कोई सम्भावना ही नहीं बचती और तभी मध्यावधि चुनाव का प्रश्न उत्पन्न होता। वास्तव में बड़े राजनीतिक निर्णय उचित ही नहीं होने चाहिये बल्कि उचित प्रतीत भी होने चाहिये। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने और मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की अनेक समाचार पत्रों ने आलोचना की।¹ प्रसिद्ध सविधानविद नानी पालगुवीवाला ने भी राष्ट्रपति के इस निर्णय की कटु आलोचना की।² जब राष्ट्रपति पर पक्षपात के आरोप लागने लगे कि उन्होंने श्री चरणसिंह की परामर्श पर लोकसभा भंग की तो उस समय उन्होंने उद्घाटित किया कि उनका निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं बल्कि 'विवेक पर

1. सम्पादकीय लेख "इन बैड ओर्डर", (इण्डियन एक्सप्रेस), अगस्त 23, 1979, "ए डाउटफुल डिसिज़न", "एण्ड नाउ एट दि सेन्टर", "नाट बाई कॉन्शंस", (दि टाइम्स आफ इण्डिया), अगस्त 23, अगस्त 25, सितम्बर 5, 1979।
नानी ए. पालगुवीवाला. "दि प्रेसीडेन्ट्स डिज़िज़न कान्सिक्व्यून्सेस ऑफ डिजोलुशन" दि टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली, अगस्त 24, 1979।

आधारित' था। परन्तु राष्ट्रपति का यह कथन, राष्ट्रपति श्री सजीवा रेड्डी को उनके पक्षपात पूर्ण रवैये से उन्हे दोष मुक्त नहीं करता। कुल मिलाकर राष्ट्रपति नीलम सजीवा रेड्डी की छवि एक निष्पक्ष, एव निर्दलीय सर्वैधानिक राष्ट्राध्यक्ष की न रहकर एक सक्रिय स्वार्थी राजनीतिज्ञ की बन गयी।

काम चलाऊ सरकार का मामला

लोकसभा भग करने के बाद राष्ट्रपति ने श्री चरणसिंह को कामचलाऊ प्रधानमंत्री बना दिया। एक ऐसे व्यक्ति जिसने कभी लोकसभा का समाना न किया हो, के हाथ में कुछ समय के लिये (अगस्त 20, 1979 से जनवरी 13, 1980 तक) देश की बागडोर सौंप दी गयी। जनता पार्टी एव कांग्रेस (इ०) दोनो ने इस बात का विरोध किया कि श्री चरणसिंह अन्तरिम काल में प्रधानमंत्री बने रहे। 24 अगस्त 1979 को कांग्रेस (इ०) नेता श्री सी० एम० स्टीफन एव श्री कमलापति त्रिपाठी ने एक ज्ञापन देकर श्री चरणसिंह को हटाने एव 'उत्तराधिकारी काम चलाऊ सरकार' की नियुक्ति की माग की।¹ जनता पार्टी नेता श्री जगजीवन राम ने इस सरकार को 'अनाधिकारग्राही सरकार' की सज्ञा दी।² जनता ससदीय दल ने अपने एक प्रस्ताव में कहा कि यह एक 'अवैध काम चलाऊ सरकार' है, जिसे लोकसभा में पर्याप्त अल्पमत भी प्राप्त नहीं है।

उसी बीच श्रीमती इंदिरा गाँधी ने स्वतन्त्र एव निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये 'राष्ट्रीय सरकार' के विचार का प्रतिपादन किया, जिसे जनता पार्टी के नेताओं ने ठुकरा दिया। अत विभिन्न राजनीति दलों में इस बात पर सहमति नहीं हो सकी कि अन्य "वैकल्पिक काम चलाऊ सरकार" का स्वरूप क्या होगा? ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस (इ०) और राष्ट्रपति श्री रेड्डी के पास श्री चरणसिंह को 'अन्तरिम काल' के लिये 'काम-चलाऊ प्रधानमंत्री' स्वीकार करने के आलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था।

पटाक्षेप

वैसे तो श्री मोरारजी देसाई की सरकार के पतन के बाद जनता पार्टी का औपचारिक पराभव हो चुका था, परन्तु श्री चरणसिंह के नेतृत्व में अलग हुये इसके एक महत्वपूर्ण धड़े 'जनता पार्टी (एस०) की सरकार' के पतन के बाद इस सम्पूर्ण महान ऐतिहासिक घटनाक्रम का अत्यन्त त्रासदीय पटाक्षेप हो गया। इस सम्पूर्ण घटनाक्रम का एक अत्यन्त रोचक एव मार्मिक पक्ष यह है कि जनता पार्टी के पराभव में 'जनता-जनार्दन' की कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही। जिन लोगो ने इसे बड़ी आशाओं के साथ सत्ता सौंपी थी, वे अश्रुपूर्वत नेत्रों से इसका दु खद अन्त देखते रहे, परन्तु कुछ कर नहीं सके, शायद कुछ कर भी नहीं सकते थे। जनता पार्टी के पराभव का इतिहास आन्तरिक-सघर्षों, छल-प्रपचों, सत्तालोलुपता एव पड़थों भरा पड़ा है। जनता पार्टी के नेताओं ने इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी क्षुद्र राजनीतिक महत्वाकाक्षाओं के कारण गवा दिया। इस प्रकार उन्होंने न केवल भारतीय जनता एव राजनीति व्यवस्था के वर्तमान बल्कि भविष्य के साथ भी महान विश्वासघात किया। जनता पार्टी के त्रासदीय पराभव के प्रमुख नायक या खलनायक तो स्वयं जनता पार्टी के नेतागण थे, परन्तु इसके पतन को सुनिश्चित करने में जिन लोगो ने अभिकारक की भूमिका निभायी उनमें श्री सजय गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और एक सीमा तक राष्ट्रपति श्री नीलम सजीवा रेड्डी का नाम लेना अनुचित न होगा।'

1. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, अगस्त 25, 1979।

2. वही, अगस्त 23, 1979।

अष्टम् - अध्याय

उपसं.ार

उपसंहार

महान विश्वासघात

“राष्ट्रपति महात्मा गाँधी की समाधि पर एकत्रित जनता के हम चुने हुये प्रतिनिधि उनसे प्रेरणा लेते हुये सकल्प पूर्वक शपथ लेते हैं कि हम पूरे मन से उनके शुरू किये हुये कार्यों को पूरा करेंगे। अपने देशवासियों की सेवा करेंगे और उनमें से जो सबसे कमजोर और गरीब हैं उन पर विशेष ध्यान देंगे। हम अपने गणराज्य के नागरिकों की जानमाल और आजादी के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करेंगे। हम मिलजुलकर समर्पण की भावना से कार्य करेंगे। राष्ट्रीय एकता और सदभाव के लक्ष्यों को पूरा करेंगे और गाँधी जी के जीवन और कामों से सूचित होने वाली अचूक दिशा में बढ़ते रहेंगे। हम अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में सादगी और ईमानदारी को व्यावहारिक रूप में अपनाएँगे। गाँधी जी का आर्शावाद, हमारा मार्ग प्रशस्त करे।”

24 मार्च 1977 को राजघाट, नई दिल्ली में जनता पार्टी के सासदों द्वारा यह प्रतिज्ञा की गयी। यह प्रतिज्ञा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास के उस निर्णायक दौर में की गयी, जब विपक्षी दलों ने अपने सामूहिक एवं एकीकृत प्रयास से, 1947 से केन्द्र में सत्ता में एक अत्यन्त शक्तिशाली राजनीतिक दल, कांग्रेस को परास्त करके, न केवल सत्ता हासिल की बल्कि एक लोकतान्त्रिक सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलन की शुरुआत भी की। परन्तु, इस प्रतिज्ञा को अतिदुष्टता एवं निर्दयता पूर्वक भंग किया गया। जनता पार्टी के नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, सत्ता लोलुपता एवं अवसरवादिता के कारण 28 महीने में ही जनता पार्टी न केवल सत्ताच्युत हुई बल्कि टूट कर बिखर गयी। यह घटनाक्रम सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और विशेषकर दलीय व्यवस्था के लिये अत्यन्त त्रासदीपूर्ण था। यह सार्वजनिक जीवन के उन मूल्यों का पूर्ण निषेध था, जिन्हें स्थापित करने का हमने वचन दिया था। निःसन्देह यह भारतीय जनमानस, राजनीतिक आदर्शों एवं राष्ट्र के साथ गम्भीर एवं महान विश्वासघात था।

भारतीय राजनीतिक इतिहास के इस अल्प-समयान्तराल (1977-1979) में घटी घटना, भारतीय राजनीतिक सत्ता के चरित्र पर एक तीखी टिप्पणी है, कि हमारे नतागण कितने स्वार्थी, पाखंडी, सत्तालोलुप, झूठे, अवसरवादी एवं बेईमान हैं, जो अपने न्यस्त स्वार्थों के लिये अपने ही लोगों का गला घोट देते हैं। यह घटना उन ऐतिहासिक सन्दर्भों की भी व्याख्या है कि हम प्राचीनकाल से ही मुट्टी भर विदेशी आतताइयों एवं आक्रमणकारियों का मुकाबला क्यों नहीं कर पाये? आपसी फूट एवं विश्वासघात हमारा इतिहास रहा है, हम उस इतिहास को एकाएक कैसे बदल देते? हमने अपनी क्षुद्र राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये विदेशी आतताइयों का सहयोग कर, अपने लोगों के विरुद्ध दुरभिसन्धियों की, जिसका परिणाम हुआ, सैकड़ों वर्षों की गुलामी। वर्तमान में अन्तर केवल इतना था कि आततायी विदेशी नहीं भारतीय था।

मार्च 1977 में जनता पार्टी का सत्ता रोहण भारतीय राजनीतिक इतिहास के नवीन युग की शुरुआत थी, इसके उद्भव को भारत की दूसरी आजादी की सज़ा दी गयी। भारतीय जनता के आशाओं के अनुरूप जनता पार्टी ने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के लिये अनेक नये आयामों की शुरुआत की, परन्तु

उसके सभी सत्कार्य आपसी कलह, अवसरवादिता एवं मत्ता सघर्ष के कुहासे में ढक गये और जुलाई 1979 तक अत्यन्त दुभाग्यपूर्ण ढंग से जनता पार्टी की सरकार का पतन एवं पार्टी का विघटन हो गया तथा जनता की इच्छाओं के विरुद्ध देश में मध्यावधि चुनाव लाद दिये गये ।

सारणी संख्या 8

1980 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का निष्पादन

राजनीतिक दल	कुल प्राप्त स्थान	प्राप्त स्थानों का प्रतिशत	प्राप्त मता का प्रतिशत
कांग्रेस (इ०)	352	66.79	42.68
कांग्रेस (अर्स)	13	2.47	5.29
जनता पार्टी	31	5.88	18.93
जनता पार्टी (सेक्युलर)	41	7.78	9.42
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	11	2.09	2.59
कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	36	6.83	6.16
राज्य-राजनीतिक दल	34	6.45	7.69
रजिस्टर्ड राजनीतिक दल	01	0.19	0.82
निर्दलीय	08	1.52	6.42
योग	527	100.00	100.00

स्रोत— 'भारत में लोक सभा के सातवें साधारण निर्वाचनों की रिपोर्ट', भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।

जनवरी 1980 में सातवीं लोकसभा के 527 सीटों के लिये चुनाव सम्पन्न हुये । इस मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत हुई, उसे 352 स्थान प्राप्त हुए । (देखें सारणी संख्या 8) जनवरी 1980 के चुनाव में कांग्रेस (इ०) का दो तिहाई बहुमत से वापस आना एक राजनीतिक चमत्कार था । कांग्रेस (इ०) की अप्रत्याशित विजय के दो मौलिक कारण थे— प्रथम जनता सरकार का अत्यधिक निराशाजनक निष्पादन और द्वितीय, श्रीमती इंदिरा गाँधी का प्रभावशाली

व्यक्तित्व । जनता पार्टी को मात्र 31 स्थान मिले तथा जनता (एस०) को 41 तथा कांग्रेस (अर्स) को 13 स्थान मिले । जनता (एस०) न कांग्रेस (अर्स) से चुनावी गठबंधन किया था परन्तु वह अपनी स्थिति सुधार न सकी, इस प्रकार ये चुनाव भी जनता पार्टी की दुर्गति का स्पष्ट संकेत दे रहे थे, कांग्रेस (इ०) की विजय से श्रीमती इंदिरा गाँधी इस दावे को पुष्टि करने में कामयाब हुई कि उनके नेतृत्व वाली पार्टी ही असली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ।¹

लोकसभा चुनाव के पूर्व जनता पार्टी दो दलों में विभाजित हो गयी थी— जनता पार्टी और 'जनता (एस०) सेक्यूलर' । 1980 के लोक सभा चुनाव में जनता पार्टी एवं जनता (एस०) की पराजय से विभाजन की यह प्रक्रिया और आगे बढ़ी । सबसे पहले मार्च 1980 में श्री जगजीवन राम न जनता पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस संस्कृति में जनता (जे०) का निर्माण किया तथा बाद में वे कांग्रेस (अर्स) में सम्मिलित हो गये । कुछ दिनों बाद उन्होंने कांग्रेस (अर्स) तोड़कर अपनी अध्यक्षता में कांग्रेस (जे०) का निर्माण किया, जिसका राजनीति में प्रभाव नगण्य रहा । इसके बाद 'दोहरी सदस्यता' के प्रश्न पर अप्रैल 1980 में जनता पार्टी में एक और विभाजन हुआ । इनमें पूर्व जनसघ घटक ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया, इस प्रकार जनता पार्टी पुन दो दलों में बँट गयी— जनता पार्टी (जे० पी०) और भारतीय जनता पार्टी ।

जुलाई 1979 में जिस जनता (एस०) की स्थापना हुई थी, श्री चरणसिंह अपने सहयोगी श्री राजनारायण की उपेक्षा करते हुये उस पर अपना पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने की चेष्टा कर रहे थे । इस सम्बन्ध में मतभेदों ने अप्रैल 1980 में जनता (एस०) में विभाजन का जन्म दिया और यह दल दो भागों में बँट गया । जनता (एस०) चरणसिंह और जनता (एस०) राजनारायण इस प्रकार मूल जनता पार्टी के चार टुकड़े हो गये— जनता पार्टी (जे० पी०), भारतीय जनता पार्टी, जनता (एस०) चरणसिंह और जनता (एस०) राजनारायण ।

जनता पार्टी का विघटन जारी था । इसी बीच फरवरी 1980 को श्रीमती इंदिरा गाँधी ने नौ राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र) की विधान सभाओं को भंग करा कर इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, और जून 1980 में चुनाव कराये ।² इन नौ राज्यों के चुनाव परिणाम, जनवरी 1980 में हुये लोकसभा के चुनाव परिणामों की पुनरावृत्ति थी । तमिलनाडु को छोड़कर शेष आठ राज्यों में कांग्रेस (इ०) की सरकार बनी । इन चुनावों में जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता (एस०) के दोनों धड़ों की काफी दुर्गति हुई । कांग्रेस (आई०) की सत्ता में वापसी के इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप देश की विपक्षी राजनीति को

1 गिरी लाल जैन "वन पार्टी डोमीनेन्स अगेन फेक्टर बिहाइंड मिसेज गाँधीज ट्राइम्फ", दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, जनवरी 9, 1980 ।

2 के० सी० खन्ना "टर्मोअल इन दि स्टेट कांग्रेस (आई०) न्यू डिलेम्मा", दि टाइम्स आफ इण्डिया, जनवरी 22, 1980, इन्दर मेहरात्रा "डिफ्ट टुवर्ड्स डिज्जोल्यूशन कलकुलेशन ऑफ कांग्रेस (आई०)" टाइम्स ऑफ इण्डिया जनवरी 31, 1980, "डिज्जोल्यूशन एण्ड आफ्टर" (सम्पादकीय) दि टाइम्स आफ इण्डिया, फरवरी 20, 1980, नानी ए० पालखीवाला "डिलोल्जेशन ऑफ दि ऐसेम्बलीज— एप्रोवल ऑफ राज्य सभा इरैलेवेन्ट", दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, फरवरी 22, 1980 ।

गहरा आघात लगा। जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव एवं इन चुनाव परिणामों से ऐसा प्रतीत हुआ कि देश में पुनः 'एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली' स्थापित हो गयी है।¹ इस प्रकार एक दलीय व्यवस्था का वर्चस्व खत्म होने और पुनःस्थापित होने से दलीय व्यवस्था वही पहचान गयी जहाँ में जनता पार्टी (प्रक्रिया) की शुरुआत हुई थी।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1977 से लेकर 1980 तक घटी घटनाओं में भारतीय दलीय व्यवस्था की विशिष्टताओं के साथ-साथ भारतीय मतदाताओं के चरित्र का पूर्ण प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। जिसकी जड़े हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं स्वतन्त्रयोपरान्त की दो दशकों की राजनीति में निहित थीं। स्वतन्त्रता के बाद जब कांग्रेस ने सत्ता सभाली, तो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की माँग थी कि भारत में एक शक्तिशाली केन्द्रीकृत सत्ता हो। शीत युद्ध के वातावरण एवं पड़ोसियों (चीन एवं पाकिस्तान) के शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण स्वतन्त्र विदेश नीति, आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के मुद्दे इतने प्रभावी हो गये कि अन्य महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक मुद्दे जैसे विकेन्द्रीकरण, सघीय व्यवस्था एवं प्रभावशाली विपक्ष का विकास आदि, हाशिये में चले गये। इसका परिणाम यह हुआ कि एक स्वस्थ एवं प्रतियोगी दलीय व्यवस्था का स्वाभाविक विकास नहीं हो सका।

1950 का भारतीय गणतन्त्र विभिन्न प्रादेशिक एवं भाषायी एककों का 'ढीला ढाला गठबन्धन' था। इस समय भी केन्द्र के विरुद्ध असन्तोष की एक लहर राज्यों के पुनर्गठन, तैलागाना आन्दोलन एवं अन्य आर्थिक शोषण से जन्मे आन्दोलनों के रूप में प्रतिबिम्बित हुई, परन्तु नेहरू के विशाल एवं चमत्कारिक व्यक्तित्व एवं नेतृत्व में ये सभी आन्दोलन दब गये। इसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर कांग्रेस शनैः शनैः शक्तिशाली होती गयी। दूसरी ओर उसमें प्रतिबद्धता की कमी आती गयी।

गाँधी जी का विचार था कि कांग्रेस को भग करके एक 'लोक सेवक सघ' की स्थापना की जाये तथा ससदीय क्षेत्र नवीन एवं स्पष्ट रूप से राजनीतोन्मुख सगठनों एवं व्यक्तियों के लिये छोड़ देना चाहिये। शायद उनकी आकांक्षा थी कि श्री नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में दो राजनीतिक दलों का गठन किया जाये, इससे भारत में दो दलीय व्यवस्था का विकास होता। लेकिन यह नहीं हो सका, और कांग्रेस भ्रम और परिस्थितियों वश स्वतन्त्रता सग्राम के बलिदानों की एक मात्र उत्तराधिकारिणी बन बैठी, जबकि वास्तविकता यह है कि समाजवादी, साम्यवादी, हिन्दू महासभाई, और क्रांतिकारी सबके लिये कांग्रेस ही आजादी की लड़ाई का प्रमुख मंच था। शायद यही कारण था कि गाँधी जी ने कांग्रेस को भग करने का सुझाव दिया था। परन्तु कांग्रेसी नेताओं ने इसे ठुकरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस न सिर्फ राष्ट्रीय आन्दोलन की एक मात्र दावदार बन गयी बल्कि इससे भारत की अशिक्षित एवं शिक्षित जनता (बुद्धिजीवियों) में राष्ट्र (राज्य) एवं सरकार और दल को एक ही समझने की भ्रांति पैदा हो गयी। श्री जवाहर लाल नेहरू और विशेषकर श्रीमती इंदिरा गाँधी इस भ्रम को बार-बार यह कहकर भुनाती रही कि हमने देश के लिये इतनी कुर्बानियाँ दी और ने क्या किया? इस क्रम के चलते विरोधी दलों की विश्वसनीयता राष्ट्र को चलाने के सन्दर्भ

1 सम्पादकीय "पोल सप्राइजेज", दि टाइम्स आफ इण्डिया, जून 3, 1980, बी० एम० बडोला "अपोजीशन येट टु लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स" दि इण्डियन एक्स्प्रेस जनवरी 14, 1981। गिरी लाल जैन "ए रीपीट परफॉर्मन्स", दि टाइम्स आफ इण्डिया जून 3, 1980।

में विकसित नहीं हो पायी, और विपक्ष के अनेक प्रतिभाशाली नेताओं की उपेक्षा हुई, इससे इन उपेक्षित प्रतिभाशाली नेताओं में एक राजनीतिक कुठारापड़ा हो गया। इसी कुठारे में विपक्ष में अहमू के टकराव की राजनीति को जन्म दिया। चूँकि सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली एवं उपेक्षित नेता समाजवादी ही थे, अतः समाजवादियों में यह टकराव भटवहन एवं बिखराव, सबसे ज्यादा दृष्टिगोचर होता है। इन सबके परिणामस्वरूप विपक्ष का आकार एवं प्रभाव अत्यन्त बौना हो गया।

इसके अलावा एक अन्य स्तर-संगठनात्मक स्तर, पर कांग्रेस केन्द्रीकृत और मजबूत होती जा रही थी। संगठन में अपना प्रभाव जमाने के लिये श्री नेहरू एवं सरदार पटेल के बीच थोड़ी खीचातानी हुई, परन्तु सरदार पटेल की मृत्यु के बाद सत्ता और संगठन दोनों में श्री जवाहर लाल नेहरू का एकाधिकार हो गया। कांग्रेस के आन्तरिक लोकतन्त्र को खत्म कर दिया गया, यह एक गलत परम्परा थी, जो श्रीमती इंदिरा गाँधी एवं श्री राजीव गाँधी से होती हुई वर्तमान समय (श्री नरसिम्हाराव) तक चली आ रही है। धीरे-धीरे कांग्रेस की मसीही अपील खत्म होने लगी और श्री नेहरू के अन्तिम दिनों में सिडीकेटो का एक गुट कांग्रेस में प्रभावशाली हो गया, जिसने सत्ता और संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करनी चाही।

1967 के आम चुनाव में डॉ० लोहिया के गैर-कांग्रेसवाद के विचार ने विपक्षी एकता को प्रक्रिया की एक नयी दिशा दी। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार तो बन गयी परन्तु उसे लोकसभा में पहले से कम स्थान प्राप्त हुये, इसके आलावा आठ राज्यों में गैर-कांग्रेसी 'सविद मन्त्रिमण्डल' बने, इसने राज्यों की राजनीति में गम्भीर अस्थिरता को जन्म दिया और सिद्ध कर दिया कि विपक्षी गठबन्धन कोई भी सरकार चलाने में अक्षम है। इसी बीच कांग्रेस के सिन्डीकेट नेताओं ने श्रीमती इंदिरा गाँधी के सत्ता के केन्द्रीकरण का विरोध किया, परिणामस्वरूप 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि भविष्य में कांग्रेस का एक छत्र राज समाप्त हो जायेगा।

इन्हीं अटकल बाजियों के बीच 1971 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव सम्पन्न हुये। इस चुनाव में चार विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चे, 'महागठबन्धन' ने कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा। इसमें श्रीमती इंदिरा गाँधी की कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली और 'विपक्षी गठबन्धन' द्वारा कांग्रेस के 'राष्ट्रीय विकल्प' प्रस्तुत करने का स्वप्न चूर-चूर हो गया। कांग्रेस की सफलता एवं विपक्ष की असफलता के कमोवेश वही ऐतिहासिक कारण थे। पुनः 1971 के भारत-पाक युद्ध की सफलता का श्रेय श्रीमती इंदिरा गाँधी को मिला और आगे आने वाले दिनों में उन्होंने एक साम्राज्य की भाँति भारत में शासन किया और समय के साथ यह प्रवृत्ति बढ़ती गयी। भारत जैसे बहुभाषाभाषी एवं सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश के लिये यह प्रवृत्ति घातक थी, इसकी सर्वोच्च परिणित जून 1975 के आपातकाल की घोषणा में हुई।

श्री जय प्रकाश नारायण के जन आन्दोलनों में निहित नैतिक सन्देश ने पहली बार कांग्रेस के जनाधार एवं विश्वसनीयता पर गहरी चोट की। इसके साथ-साथ आपातकाल की ज्यादातियों ने लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति गहरी वितृष्णा भर दी। इस अवसर का लाभ उठाकर विपक्षी दलों ने एकता का अभूतपूर्व प्रयास किया, जनता पार्टी बनी और सत्तारूढ़ हुई। भारतीय राजनीतिक इतिहास की यह ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व घटना थी, अनेक राजनीतिक समीक्षकों ने इसे 'दो दलीय व्यवस्था' के प्रारम्भ की सज्ञा दी, परन्तु यह उनका भ्रम था, शायद उन्होंने भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया। वास्तव में जनता पार्टी का

उद्भव सर्जनात्मक ऊर्जा से ज्यादा नकारात्मक रूझानों से प्रेरित था। इसका परिणाम यह हुआ कि सत्ता में आते ही जनता नेताओं (पूर्व विपक्षी नेतागण) के बीच कूठत अहम् का टकराव प्रारम्भ हो गया और घटकवाद एवं सत्ता सघर्ष के चलते जनता पार्टी लगभग ढाई वर्षों में टूट कर विखर गयी।

भारतीय जनमानस में कांग्रेस के प्रति विरक्ति अल्पकालीन थी, क्योंकि उसके नवीन विश्वास के आधार (जनता पार्टी) ढह गये थे। जनता पार्टी के नेताओं के राजनीतिक व्यवहार एवं चरित्र ने जनता के समक्ष उनकी (पूर्व विपक्ष) ऐतिहासिक अविश्वसनीयता, अकुशलता और उत्तरदायित्वहीनता की पुष्टि कर दी। भारतीय जनता पुनः सोचने लगी कि कांग्रेस ही एक मात्र सत्ता की सक्षम एवं उत्तरदायी दावेदार है। इसी कारण 1980 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता ने कांग्रेस (इ०) को भारी समर्थन देकर पुनः 'एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था' की स्थापना के पक्ष में मतदान किया। अतः 1977-80 के बीच घटी घटनाओं (जनता पार्टी का पराभव एवं एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था की पुनःस्थापना) की व्याख्या तत्कालीन कारणों के साथ-साथ ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में की जानी चाहिये, अन्यथा नहीं।

दलीय व्यवस्था के इस ऐतिहासिक परिपेक्ष्य का एक अन्य आयाम भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन दल है। यहाँ अधिकांश विपक्षी दलों का निर्माण कांग्रेस से अलग हुये, उपेक्षित एवं प्रतिभाशाली लोगों ने किया, चाहे इस उपेक्षा का कारण वैचारिक रहा हो या व्यक्तिगत परन्तु, इन विद्रोही नेताओं को कांग्रेसी सत्ता में समुचित भागीदारी नहीं मिल रही थी, इसलिये उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर उसी संस्कृति के नये दलों का निर्माण किया। वृत्त सभा शीर्षस्थ विपक्षी नेतागण कांग्रेस जैसा विशाल संस्था एवं नेतृत्व को चुनौती देकर अलग हुये थे अतः उनके लिये यह असम्भव था कि वे किसी अन्य छोटे दल के साथ समझौता, गठबन्धन या विलय करके नवीन दल में अपना द्वितीयक स्थिति स्वीकार करें। यदि किन्हीं राजनीतिक बाध्यताओं के तहत ऐसा हो भी गया तो वे सर्वोच्च सत्ता से कम किसी अन्य राजनीतिक पद को स्वीकार करना अपने स्तर के अनुकूल नहीं समझते थे, क्योंकि इसी कारण तो वे अपने सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन को दाँव में लगाकर अपनी मातृसंस्था कांग्रेस से अलग हुये थे। विपक्षी एकता के मार्ग में यह ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण सबसे बड़ी बाधा थी, विपक्षी राजनीति की दुर्गति का मूल कारण भी यही था।

महत्व, प्रांसागिकता एवं नये दिशा संकेत

जनता पार्टी का गठन जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हुआ, उन्हें कमोवेश प्राप्त नहीं किया जा सका। इसका मूल कारण यह था कि जनता पार्टी की सरकार का अत्यन्त अल्पकाल में पतन हो गया और जनता पार्टी अनेक धड़ों में बंट गयी, जिसमें यह सुनिश्चित करना दुष्कर हो गया कि मूल जनता पार्टी कौन सी है? परन्तु फिर भी सम्पूर्ण भारतीय राजनीति एवं विशेषकर दलीय व्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय में इसके नवीन संस्करणों के माध्यम से इसके लक्ष्यों की यात्रा जारी है और भविष्य के नये दिशा संकेतों के सन्दर्भ में इसकी प्रांसागिकता बनी हुयी है।

जनता पार्टी का उद्भव एक राजनीतिक दल के उद्भव के साथ-साथ प्रजातान्त्रिक मूल्यों की स्थापना एवं कांग्रेस का 'राष्ट्रीय विकल्प' प्रस्तुत करने के लिये एक राजनीतिक आन्दोलन भी था। एक राजनीतिक दल के रूप में तो एक सीमा तक इसका पराभव (यद्यपि पूर्ण नहीं) कहा जा सकता है परन्तु एक राजनीतिक आन्दोलन के रूप में, यह आज भी जारी है। इतिहास के किसी समयान्तराल में किसी आन्दोलन की असफलता, आन्दोलन में निहित मूल्यों

एव लक्ष्यों की असफलता नहीं कही जा सकती। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान 1857, 1920, 1932, एव 1942 के सभी आन्दोलन यदि असफल नहीं रहे तो उन्हें पूर्ण रूप से सफल भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु इनकी पुनरावृत्ति उन मूल्यों एव लक्ष्यों की विजय थी, जिनके लिये ये आन्दोलन चलाये गये। यह लक्ष्य था – स्वाधीनता। वर्तमान समय में स्वाधीनता प्राप्ति के सदर्थ में इन आन्दोलनों की सफलता स्वयसिद्ध है।

इसी प्रकार जनता पार्टी ने 1977-80 तक एक आन्दोलन चलाया, उसमें निहित लक्ष्य थे – कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प, रोटी और वास्तविक आजादी। यह आन्दोलन असफल रहा, परन्तु इसमें निहित मूल्यों एव लक्ष्यों की यात्रा जारी रही। 1989 में पुन 'जनता दल एव राष्ट्रीय मोर्चे' ने ऐसा ही आन्दोलन चलाया और केन्द्र में एक गैर कांग्रेसी (राष्ट्रीय मोर्चे की) सरकार बनी। यह प्रयोग भी सफल नहीं हो सका, परन्तु आज पुन विपक्षी एकता के प्रयास जारी है। जिसकी सफलता एव असफलता के विषय में स्पष्ट विचार व्यक्त करना अभी जल्दबाजी होगी।

एक दल के रूप में भी जनता पार्टी का पूर्ण पराभव नहीं माना जा सकता क्योंकि अगर 1979-80 में इसका पूर्ण विघटन मान लिया जाय, 1983 में कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार कैसे बन पाती? पुन 1987-89 के बीच विपक्षी एकता की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई उसमें जनता पार्टी के लोग काफी सक्रिय रहे जैसे – श्री मधुदण्डवते, श्री जयपाल रेड्डी, श्री चन्द्रशेखर, श्री सुरेन्द्र मोहन, श्री जार्ज फर्नांडीज आदि। 1988 में जनता पार्टी एव उससे अलग हुये गुट लोकदल (अ), लोकदल (ब) तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनमोर्चा आदि ने मिलकर 'जनता दल' के रूप में मुख्य विपक्षी धुरी का निर्माण किया, जो जनता पार्टी के सदस्यों की प्रतिज्ञा थी वही 'जनता दल' की है, जो जनता पार्टी का कार्यालय था वही 'जनता दल' का कार्यालय बना।

जनता पार्टी का भारतीय राजनीति पर सर्वप्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि सघवाद के प्रश्न को उभर कर आने का मौका मिला। जनता पार्टी के घोषणा पत्र एव नीतियों में राज्यों को स्वायत्तता देने की ओर स्पष्ट आग्रह था। इसके पूर्व श्रीमती इंदिरा गाँधी केन्द्रीकरण के रास्ते में चल रही थी। जनता पार्टी की सरकार ने सघवाद को बढ़ावा दिया और राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता की ओर ध्यान दिया इसी के शासन काल में प्रथम बार जुलाई 1977 में जम्मू और कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव कराये गये और वहाँ श्री शेख अब्दुला ब. नेतृत्व में 'नेशनल काफ्रम' सत्ता में आयी। जनता पार्टी ने पंजाब में अकाली दल के साथ 'सचिद सरकार' बनायी। अतः जनता पार्टी ने क्षेत्रीय स्वायत्तता की नवीन प्रवृत्ति की शुरुआत की। 1980 में श्रीमती इंदिरा गाँधी ने पुन जो केन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की, उससे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उद्भव की मांग बढ़ी और अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभरे जैसे आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम् और असम में असम गण परिषद। इसका श्रेय जनता पार्टी को ही है।

भारतीय दलीय व्यवस्था और विशेषकर कांग्रेस की यह विशेषता रही है कि दल में एक नेता की 'बात एव अधिकार' सर्वोपरि है। श्रीमती इंदिरा गाँधी एव श्री राजीव गाँधी के शासन काल में उनके विरोध करने वालों को पार्टी से फौरन निकाल दिया जाता था। कांग्रेस जब विपक्ष में भी रही, तो भी श्रीमती इंदिरा गाँधी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को अपनी इच्छानुसार बदल दिया करती थी। प्रजातान्त्रिक दलों में यह अधिनायकवादी व्यवस्था थी। जनता पार्टी ने इस प्रवृत्ति को बदलने का प्रयास किया। जनता दल एव राष्ट्रीय मोर्चे ने इसी धारा को आगे बढ़ाया। लोकतान्त्रिक दल में आलोचनाएँ तो चलती ही हैं। अतः जिस देश में राजनीतिक दल तानाशाही या अलोकतान्त्रिक ढंग से चलते रहे हों, वहाँ लोकतन्त्र की शुरुआत करने में दिक्कतें आना स्वाभाविक है और इसी कारण बिखराव भी होता है।

लेकिन यह सक्राति काल है, अतः यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में राजनीतिक दलों के अन्दर भी लोकतान्त्रिक पद्धति मजबूत होने लगेगी और बिखराव भी नहीं होगा।

जनता पार्टी के शासन काल में पचायत राज विधेयक, लोकपाल विधेयक एवं दल-बदल विरोधी विधेयक की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी थी। यह सच है कि ये विधेयक पारित नहीं हो सके परन्तु इसने (जनता पार्टी) जिन विकेन्द्रीकरण एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं की शुरुआत की, उनका प्रभाव भविष्य की सरकारों में स्पष्ट देखा जा सकता है। जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 38वें, 39वें एवं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की विकृतियों को भी समाप्त कर दिया।

जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति के अनेक मूल्यों एवं प्रक्रियाओं को पुनर्परिभाषित किया। नेहरू युग में बड़े उद्योगों एवं कारखानों की स्थापना पर जोर दिया गया। इसके साथ केन्द्र का आर्थिक व्यवस्था पर ज्यादा से ज्यादा नियमन भी था। कृषि, कुटीर उद्योगों एवं रोजगार उत्पन्न करने की ओर ध्यान बहुत कम था। ये नीतियाँ 1952-57 में अपनायी गयीं और 1977 तक चलती रहीं। जनता पार्टी ने इन दोनों प्रवृत्तियों को बदला, कृषि की ओर ध्यान दिया गया जिससे एक ओर किसानों को लाभ हुआ, और दूसरी ओर रोजगार के अवसर उत्पन्न हुये। जनता पार्टी के शासन काल में 'ग्रामीणोन्मुख गाँधीवादी समाजवाद' की ओर ध्यान दिया गया, जो हमारी घरेलू जरूरतों एवं मूल्यों के अनुरूप था इस प्रकार जनता पार्टी ने विकास के लिये 'कृषि और लघु उद्योगों' का रास्ता अपनाया।

जहाँ तक आर्थिक नियमन की बात है जनता पार्टी ने कठोर आर्थिक नीतियों को ढीला किया। गवेषणा एवं विकास परियोजनाओं के लिये आवश्यक चीजों की व्यवस्था की जा सके इसके लिये आयात-नीति को उदार बनाया गया। श्री राजीव गाँधी ने जिस आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी, उसके स्वस्थ अंकुर जनता पार्टी के शासन काल में फूट थे, परन्तु वर्तमान सरकार (श्री नरसिम्हाराव की) का 'अन्धाधुंध आर्थिक उदारीकरण' जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं था। जनता पार्टी के उत्तराधिकारी 'जनता दल' ने श्री नरसिम्हाराव की इन आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का स्पष्ट विरोध किया है।

भविष्य में पुनः विपक्षी एकता की क्या सम्भावनाएँ हैं? भारतीय राजनीति में एक ऐसे दल का विकास दृष्टिगोचर होता है, जो भविष्य की वास्तविकता बनने वाला है, यह दल निश्चित रूप से मध्यमार्गी होगा। जब जनता पार्टी बनी थी तो उसमें दक्षिणपथी एवं समाजवादी दोनों दल शामिल थे, यह प्रयोग असफल रहा, यह उस दल के विकास का प्रथम चरण था। 1989 में इस दल के लिए विकास का दूसरा चरण प्रारम्भ होता है, जिसमें मध्यमार्गी जनता दल में दक्षिण पथी दल, भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित नहीं हुआ, परन्तु कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिये उस मध्यमार्गी दल (जनता दल) ने एक ओर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी ओर साम्यवादी दलों से गठबन्धन किया। यह प्रयोग भी असफल रहा। आज इसके विकास का तीसरा चरण चल रहा है, ये 'सामाजिक न्याय' वाले विभिन्न मध्य मार्गी दल भारतीय जनता पार्टी से किसी भी रूप में कोई सहयोग लेने या देने को तैयार नहीं हैं। अतः 1977 से 1989 में फर्क पड़ा और अब 1989 से भविष्य में फर्क पड़ने वाला है।

श्री नरसिम्हाराव की कांग्रेस सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, उसे जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। इसकी जुलाई 1995 में हुये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के विधान सभा चुनावों से पुष्टि होती है। उड़ीसा को छोड़कर सभी जगह गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आयी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है,

उसकी स्थिति काफी सुदृढ़ हुई है, परन्तु अभी उपस्थिति तक नहीं पहुँची है कि केन्द्र में सरकार बना ले। भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं मुस्लिम वर्गों का समर्थन मिलने की सम्भावना कम है। यदि उसे केन्द्र में बहुमत नहीं मिलता है और वह लोकसभा में सबराज्य बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है, तो उसे अन्य दलों का समर्थन मिलने की उम्मीद कम है। अतः केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक दूर की सम्भावना है।

अतः वर्तमान समय में पुनः जनता पार्टी जैसी किसी प्रक्रिया की शुरुआत की सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इस प्रक्रिया से उभरा 'तीसरा विकल्प', जिसे मध्यमार्गी कहा जाय या केन्द्र वामपंथी, वास्तव में जनता पार्टी के विकास की आगे की स्थिति है, 'जिसका विचार' आजकल चल रहा है। जनता पार्टी ने परिवर्तन की जिस प्रक्रिया की शुरुआत की थी, 'तीसरा विकल्प' निश्चित रूप से उसका नवीन संस्करण होगा। अतः सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं विशेषकर दलीय व्यवस्था पर जनता पार्टी का व्यापक प्रभाव पडा। भविष्य के दिशा संकेतों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट (I)

शोधकर्ता का जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव श्री सुरेन्द्र मोहन से साक्षात्कार

जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव एव समाजवादी नेता श्री सुरेन्द्र मोहन न शोधकर्ता से साक्षात्कार में यह उद्घाटित किया कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षायें, शक्ति सन्धय की भावना और गुटीय स्वार्थ जनता पार्टी एव सरकार के पतन के लिये जिम्मेदार थे। उन्होंने इस घटनाक्रम के लिये सभी गुटीय नेताओं को सगान रूप से जिम्मेदार माना और कहा कि यदि त्रिमूर्ति सघर्ष या त्रिगुटीय सघर्ष में श्री जगजीवन राम एव उनके गुट के स्थान पर यदि जनसघ गुट की भूमिका को समाहित किया जाय तो स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। श्री सुरेन्द्र मोहन के अपने वैचारिक रूझान हो सकते हैं परन्तु फिर भी इससे श्री मोरार जी, श्री चरणसिंह और जनसघ नेताओं के गुटीय स्वार्थ एव व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में समुचित प्रकाश पड़ता है। प्रस्तुत है उस साक्षात्कार का एक वृहद अंश—

शोधकर्ता जनता पार्टी के पतन के लिये व्यक्ति (व्यक्तिगत महत्वाकांक्षायें) कहां तक जिम्मेदार थे ?

श्री सुरेन्द्र मोहन व्यक्ति तो जिम्मेदार थे ही परन्तु व्यक्ति से ज्यादा कुछ प्रक्रियायें भी इसके लिये जिम्मेदार थीं। जैसे सन् 1969 और सन् 1971 में 'सयुक्त मन्त्रिमण्डल' या दलों की असफलता के बाद यह माना जाने लगा था कि सफलता के लिये सयुक्त नहीं बल्कि 'एकीकृत पार्टी' होनी चाहिये। अतः जनता पार्टी के एकीकृत स्वरूप को स्वीकार किया गया जबकि मूलतः यह 'सयुक्त दल या दलों का सघ' था। दूसरा कारण यह था कि इस पार्टी में अलग-अलग घटक दलों के लोग थे और सभी चाहते थे कि इस पार्टी एव सरकार में जितना अपना बना सकते हो बना लो। यह बात दलगत रूप में भी कही जा सकती है और व्यक्तिगत स्वार्थों के रूप में भी।

त्रि-गुटीय सघर्ष के सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि एक ओर मोरार जी देसाई थे जो यह महसूस करते थे कि सन् 1969 में जो जीत उनसे छीन ली गयी थी और श्रीमती इंदिरा गाँधी को प्रधानमन्त्री बना दिया गया था, इतिहास की इस गलती को ठीक करने का उपयुक्त समय है। वे अपने आपको 'एकीकृत पार्टी' का सर्वमान्य नेता मानते थे। वे कह सकते थे कि वे अतीत और वर्तमान को जोड़ने की कड़ा है, अनुभवी हैं। उनका मानना था कि सन् 1975 में उन्होंने ही भूख हड़ताल करके श्रीमती इंदिरा गाँधी को गुजरात में चुनाव कराने के लिये मजबूर किया था और वहाँ जनता 'जनता मोर्चा' की सरकार बनवाई। बाद में जो हालात बने, वह वही 'जनता मोर्चे' की स्वाभाविक परिणति थी। अतः उन्हें प्रधानमन्त्री बनने का हक है। ये बातें उनके मन में कितनी सफाई के साथ थीं और कितने उनके पूर्वाग्रह थे, यह कहना कठिन है, परन्तु उनकी वर्तु स्थिति ऐसी ही थी।

जहाँ तक चौधरी चरणसिंह का सवाल है, वे यह मानकर चलते थे कि सन् 1967 में उन्होंने देश के इतिहास को बदला है। इस मायने में बदला है कि 1967 में अनेक प्रदेशों में 'सयुक्त विधायक दल' की सरकारें बनीं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय सफलता उत्तर प्रदेश में थी जहाँ 1969 के विधान सभा चुनाव में चौधरी साहब के 'भारतीय क्रांति दल' को 100 सीटें मिलीं जबकि उन्होंने केवल 17 सदस्यों को लेकर काँग्रेसी छोड़ी थी। इसी बीच

सन् 1974 में उनके साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के समाजवादी दल के अनेक लोग मिल गये, जिसमें श्री कर्पूरी ठाकुर और श्री राजनारायण प्रमुख थे। अतः उन्हें लगा कि पटियाला से लेकर भागलपुर तक उनका दबदबा है और वे ही भारत के किसान वर्ग के एक मात्र नेता हैं। इसीलिये प्रधानमंत्री पद के वास्तविक दावदार वहाँ हैं।

तीसरे प्रमुख गुट भारतीय जनसंघ के नेताओं की अजीब मन स्थिति थी। यह उनकी भात्म प्रवचना कहिये या आत्म शोध परन्तु जनसंघ के लोगों का मानना था कि आपातकाल के दौरान जितनी यातनाये उन्होंने सही हैं, जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, उतनी किसी अन्य ने नहीं। जबकि वास्तविकता यह थी कि उसके ज्यादा से ज्यादा लोग 'पैरोल' पर रिहा होकर आये थे।

अब यहाँ तीन गुट (जिसमें व्यक्ति प्रमुख) हैं, जिनकी अपने बारे में सोच यह है - एक समझता है वह अतीत और वर्तमान की कड़ी है, दूसरा समझता है कि उत्तर भारत का किसान वर्ग उसके साथ है और तीसरा समझता है कि मुझ पर ही पूरे आपात काल की लड़ाई का भार था। इन पूर्वग्रहों की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार इन तीनों का एका हुआ वह ठीक नहीं था। यह एका अगर उनकी शक्ति के आधार पर होता तो शायद सरकार चल जाती जैसा यूरोप में होता है और वहाँ 'सविद सरकारें' चलती हैं।

शोधकर्ता क्या श्री मोरारजी देसाई ऊपर से थोपे गये प्रधानमंत्री थे ?

श्री सुरेन्द्र मोहन श्री मोरार जी देसाई को ऊपर से थोपे गये प्रधानमंत्री तो कहना कठिन होगा क्योंकि जनता पार्टी के दो सबसे बड़े गुट-जनसंघ और भारतीय लोकदल उनके साथ थे और तीसरा गुट स्वयं उनका अपना था। अतः अगर चुनाव भी होते तो श्री मोरार जी देसाई प्रधानमंत्री बनते।

शोधकर्ता परन्तु चुनाव हो जाने चाहिये क्योंकि यह ज्यादा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थी ?

श्री सुरेन्द्र मोहन वास्तव में उस समय यह आम सहमति थी कि चुनाव नहीं कराये जाने चाहिये और प्रधानमंत्री के चयन का दायित्व श्री जय प्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी पर छोड़ देना चाहिये। लागो को डर था कि अगर चुनाव हुये तो गुट बदी खुलकर बाहर आ जायगी और पार्टी टूट सकती है।

शोधकर्ता श्री मोरार जी देसाई किस प्रकार के प्रधानमंत्री थे। साधारणतः उन पर हठवादिता का आरोप लगाया जाता है। क्या जनता पार्टी एव सरकार में उठे विभिन्न सफटों में उनका रवैया समाधानात्मक नहीं था ?

श्री सुरेन्द्र मोहन : मोरार जी पर जो हठवादिता का आरोप लगाया जाता है, वह बहुत ठीक नहीं है। अगर वे इतने हठी होते तो श्री चरणसिंह को वापस क्यों लेते ?

शोधकर्ता 'काति-देसाई प्रकरण' में तो यह हठ उभरकर सामने आता है। जब विपक्ष एव स्वयं अपनी पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा 'काति प्रकरण' में जाच की माग की जा रही थी। उस समय श्री मोरार जी देसाई ने

श्रीमती इंदिरा गाँधी की तर्ज पर कहा था 'काति पर आक्षेप अप्रत्यक्ष रूप से मुझपर आक्षेप है।' ¹ क्या यह हठवादिता नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र मोहन ये काफी उलझे हुये मामले हैं। यह सही है कि श्री मोरारजी देसाई को पुत्र मोह था। परन्तु यह बात भी सही है कि उनके पुत्र के साथ कही-कही शुरुआत से अन्याय हुआ है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि वह (काति) अच्छा आदमी था और उसने कोई गलती नहीं की। जुलाई 1978 को श्री मधुलिमिए ने यह बयान दिया कि मैं महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। कारण यह था कि चौधरी साहब को पद से हटा दिया गया था। इसके बाद श्री मधुलिमिए ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है आप इस्तीफा दे सकते हैं परन्तु इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बयान दिया कि जून 1977 के विधान सभा चुनाव में काति देसाई ने पूजीपतियों से पैसा लेकर अपने लोगों को दिया है। वास्तविकता यह थी कि सेंट्रल आफिस से जितना पैसा 1977 के विधान सभाओं के चुनाव में आता जाता था वह मेरी और श्री मधुलिमिए की जानकारी में था। प्रत्येक उम्मीदवार को 3-3 हजार रुपये दिये गये थे। अगर कोई उम्मीदवार आपातकाल में जेल गया या अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्प संख्यक वर्ग का था तो उसे 2000 रु० ज्यादा दिये गये। अगर कोई महिला जेल गयी थी तो उसे 2000 रु० और ज्यादा दिया गया था। इतना जानते हुये भी अगर श्री मधुलिमिए यह बात कहते हैं तो गलत है और अगर कहना ही है तो पार्टी की केन्द्रीय समिति या ससदीय बोर्ड में कहिये। उन्हें सभी अवसर थे। किन्तु मधुलिमिए के उस बयान को कोई याद नहीं करता क्योंकि मामला काति देसाई के खिलाफ था और काति एक बदनाम आदमी था।

शोधकर्ता - क्या मधुलिमिए का आरोप या बयान गलत था ?

श्री सुरेन्द्र मोहन तथ्यात्मक रूप से गलत था और अगर सही भी था तो उसे सार्वजनिक रूप से देने की क्या जरूरत थी ? अगर आप राजनारायण और चौधरी चरणसिंह के बयान को ले लें और मधुलिमिए और सुन्दरसिंह भण्डारी के बयानों को छोड़ दें, तो किसी घटनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण नहीं हो पायेगा, और यही हुआ।

अब मधुलिमिए 'काति प्रकरण' की जांच के लिये श्री मोरारजी देसाई को उस समय पत्र लिखते हैं जब कांग्रेस वाले भी काति देसाई पर प्रहार कर रहे हैं। उस समय कहा जाता था कि काति देसाई, बाला सुब्रमण्यम और सजय गाँधी मिले हुये हैं। हकीकत चाहे जो रही हो। उस समय हम लोग राज्य सभा में थे - मैं, मन्मूभाई शाह, लालकृष्ण आडवाणी और पीलू मोदी, श्री मोरार जी देसाई के पास गये और कहा कि राज्य सभा हमारे बिल्कुल प्रतिकूल हो गयी क्योंकि वहाँ कांग्रेस वालों का बहुमत है। हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस (एस०) वालों से कोई बदरबाट कर ले। श्री देसाई ने कहा, नहीं, यह वसूलों का सवाल है। इसमें क्या वसूल थे ? हम लोग कांग्रेस (एस०) वालों से बात करके गये थे।

जब राज्यसभा के हालात बहुत गड़बड़ हो गये, मन्त्रिमण्डल की बैठक में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वे राज्य सभा में जनता पार्टी ससदीय दल के नेता थे, श्री आडवाणी के त्यागपत्र को मधुलिमिए और बीजू पटनायक ने समर्थन दिया। उस समय मोरारजी भाई राजी हुये और तीन लोगों की एक समिति बना दी

¹ देखें अरूण शौरी . इन्स्टीट्यूशन इन दि जनता फेज, 'सन्स ऐण्ड लवर्स (लेख) पूर्वोक्त, पृ० 238-241।

तथा 'काति प्रकरण' के सभी कागजात सर्वोच्च न्यायालय के एक जज के पास जाँच के लिये भेज दिया। तो दोनों बाते थी। अगर मोरार जी जिद न करते तो हम लोग कांग्रेस (एस०) से दोस्ती कर लेते और अगर वे इतने ही ज्यादा जिद्दी होते तो श्री लालकृष्ण अडवार्णा का त्यागपत्र स्वीकार कर लेते, 'काति प्रकरण' में जाँच न बैठते। अतः उनमें जिद भी थी और लचीलापन भी था।

शोधकर्ता . जनता पार्टी एव सरकार में जो सकट उत्पन्न हुये, उनमें क्या चौधरी चरणसिंह का दृष्टिकोण सबसे ज्यादा असमझौतावादी नहीं था ? उन्होंने पार्टी और सरकार में रहते हुये, सरकार पर जो आक्षेप लगाये, ऐसे आक्षेप किसी अन्य व्यक्ति या गुट ने नहीं लगाये। तो क्या पार्टी तोड़ने में हम इनकी सबसे ज्यादा भूमिका नहीं मान सकते ?

श्री सुरेन्द्र मोहन चौधरी साहब के बयान कब आये ? वे क्यों आहत हुये ? इस बात का अध्ययन करना चाहिये। इसके लिये सभी घटनाओं को क्रम से देखना होगा।

शोधकर्ता जून 1977 जब राज्य विधान सभाओं के चुनाव हो रहे थे उस समय श्री चरणसिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भारतीय लोकदल का चुनाव चिन्ह¹ वापस लेने की बात की थी। क्या यह उचित था ?

श्री सुरेन्द्र मोहन वैसे यह बात तो ठीक नहीं थी, परन्तु चरणसिंह ने ऐसा क्यों किया इसका कारण समझना चाहिये। इसका कारण यह था कि चरणसिंह ने उत्तर प्रदेश के लिये जो उम्मीदवार तय किये थे, चन्द्रशेखर ने पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उसमें तब्दीली कर दी। उन्होंने जनसघ और भारतीय लोकदल के 85 उम्मीदवारों के नाम बदल दिये और दूसरे घटकों के लोगों को ले लिया।² अतः जब चन्द्रशेखर ने हस्तक्षेप किया तो चरणसिंह ने चुनाव आयोग का पत्र लिख दिया।

शोधकर्ता . श्री चरणसिंह जनता सरकार में गृहमन्त्री होकर जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे, 'सरकार को नपुसको का समूह' कह रहे थे। क्या यह उचित था ?

श्री सुरेन्द्र मोहन : आपको हर एक घटना को दूसरे से जोड़ना पड़ेगा। चौधरी साहब के विरोध के बावजूद चौधरी देवी लाल को हरियाणा विधान सभा में विश्वासमग्न प्राप्त करने को कहा गया। अतः चरणसिंह ने ससदीय बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया और 'सूरजकुंड' में जाकर बैठ गये और इस प्रकार का बयान देना शुरू किया।

शोधकर्ता . लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी थी कि श्री देवी लाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी था। तो क्या प्रस्ताव इसलिए नहीं लाना चाहिये कि श्री देवीलाल, श्री चरणसिंह के गुट के हैं और उनके आश्रित हैं ?

1 हलधर किसान मूलतः लोकदल का चुनाव चिन्ह था। पूर्व में श्री चरणसिंह की सहमति से जनता पार्टी ने इसे अपने चुनाव चिन्ह के रूप में अपनाया था।

2 वैसे साक्षात्कार के दौरान श्री सुरेन्द्र मोहन ने यह स्वीकार किया था कि चरणसिंह ने जो उम्मीदवार तय किये थे, गुटीय स्तर पर उसमें अत्यधिक असन्तुलन था और इससे अन्य गुटों में भारी असन्तोष था।

श्री सुरेन्द्र मोहन नहीं, वात यह है कि अगर एक जगह यह लागू होता है, तो दूसरी जगह क्यों नहीं ? जबकि सभी राज्यों में स्थिति मिली जुली सरकारों की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनमण्डल ने राम नरेश यादव को समर्थन दिया। बाद में सुन्दरामह भण्डारी ने कहा कि रामनरेश यादव बिल्कुल अक्षम व्यक्ति है, इसके बावजूद हमने इसे समर्थन दिया। यह तो सचर माध्यम की खूबिया है कि आप सुन्दर सिंह भण्डारी के बयान को भूल जाते हैं और चौधरी चरण सिंह के बयान को उद्धृत करते हैं।

एक सवाल सांस्कृतिक परिष्कृतता (Cultural-Sophistication) का है, जिसे आप छद्म परिष्कृतता (Pseudo-sophistication) भी कह सकते हैं। हमेशा से यह होता रहा है कि यह मेरी जाति या गुट का आदमी नहीं है, मेरी पसन्द का नहीं है। अतः मैं इसे बदलना चाहता हूँ। किसी को मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी या कुछ और बनाना या उस पद से हटाना हो तो सुश्री मायावती और श्री काशीराम यह महसूस नहीं कर पाते कि उसे किस तरह से करना है। उनमें सांस्कृतिक परिष्कृतता की कमी है, वे इसका ऐलान कर देते हैं जबकि वे इसे चुपके से भी कर सकते थे। परन्तु जो शुरू से सत्ता-भोगी रहें हैं, उन्हें पता है कि इसे किस प्रकार करना है। जिनके पास सत्ता पहली बार आ रही है, वे इसका समुचित प्रयोग करना नहीं सीखे हैं।

मोरारजी भाई क्या कर रहे थे ? वे भारतीय लोक दल के कोटे से एच० एम० पटेल को कैबिनेट में लेते हैं। चौधरी चरणसिंह कहते हैं कि मैंने एच० एम० पटेल का नाम नहीं दिया। कौन नहीं जानता कि एच० एम० पटेल गुजराती हैं जब मोरार जी भाई केन्द्र में वित्त मंत्री थे तो पटेल का सचिव थे। अतः मोरार जी भाई अपने काम को जिस परिष्कृतता से कर सकते थे, चौधरी साहब उस परिष्कृतता, चालाकी या बेईमानी से नहीं कर सकते थे। मोरार जी और चरणसिंह में यह बड़ा अन्तर था। यही अन्तर आज भी पुराने एव लगातर सत्ता भोगियों और नये सत्ता भोगियों में है।

शोधकर्ता : जनता पार्टी शासन काल के दौरान उत्पन्न हुये विभिन्न राजनीतिक सफटों में, क्या जनसघ का दृष्टिकोण सामजस्यपूर्ण था ?


श्री सुरेन्द्र मोहन जनसघ का दृष्टिकोण सामजस्यपूर्ण नहीं था। विभिन्न राजनीतिक दलों के जनता पार्टी में विलय के बाद हम लोगों ने यह प्रस्ताव किया कि विभिन्न दलों के सामाजिक एव सांस्कृतिक सगठनों का विलय हो जाना चाहिये। जनसघ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दूसरी बात यह है कि जनसघ कभी मोरार जी के साथ था और कभी चरणसिंह के साथ। यह तो कोई सामजस्य की बात नहीं हुई यह तो झगडे की बात है। तीसरी बात जब बिहार के मुख्यमन्त्री कर्पूरी ठाकुर के विश्वास मत पर विचार हो रहा था, उस समय चन्द्रशेखर के यहाँ एक बैठक हुयी - इसमें मैं, रामकृष्ण हैगडे, फर्नांडीज, नाना जी दशमुख आदि लोग थे। उस समय यह आम सहमति थी कि यदि कर्पूरी ठाकुर की सरकार जायेगी तो दिल्ली की सरकार भी जायेगी। हम लोगों ने नानाजी देशमुख से बहुत आग्रह किया कि बिहार में जनसघ कर्पूरी ठाकुर का विरोध न करे। परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। जनसघ वालों ने कर्पूरी ठाकुर के विरुद्ध मत दिया। यह लोकदल की दूसरी सरकार थी जो अपदस्थ हुई थी। इसके बाद मोरार जी की सरकार भी चली गयी। अगर सामजस्यपूर्ण रवैया रखने वालों को यह बात समझ में नहीं आती तो कैसे काम चलेगा।

टिप्पणी— श्री सुरेन्द्र मोहन समाजवादी रूझान के बुद्धिजीवी नेता और अनेक समाचार पत्रों में स्थायी स्तम्भ लेखक हैं। उन्होंने श्री मोरारजी देसाई, चौधरी साहब और जनसघी नेताओं के चरित्र एव स्वार्थों का विश्लेषण अत्यन्त

सयमी भाषा में किया है। उन्होंने जनता पार्टी के पतन के लिये सभी सम्बन्धित व्यक्तियों एवं गुटों को समान रूप से जिम्मेदार माना। वास्तव में जनता पार्टी के विघटन के लिए कोई एक व्यक्ति या गुट जिम्मेदार नहीं है फिर भी इस सम्पूर्ण घटनाक्रम के लिये कुछ व्यक्तियों एवं गुटों का ज्यादा उत्तरदायी माना जा सकता है। जिसमें लोकदल और चौधरी चरणसिंह को प्रमुखता से लिया जा सकता है। इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं एवं सत्ता की भूख से व्याकुल कुछ राजनीतिज्ञों ने अत्यन्त शर्मनाक प्रदर्शन किया। इससे केवल राजनीतिज्ञों के प्रति ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली के प्रति हमारी निष्ठा को आघात पहुँचा है।

पाराशब्द 11

भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था



कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (सी० पी० आर०)

1924

1964

सी० पी० आर०

सी० पी० आर० (मार्क्सवादी)

सी० पी० आर० (एम०)

1969

सी० पी० आर० (मार्क्सवादी लानिवादी)

सी० पी० आर० (एम० एम०) (बाल मजूमदार गुट)

सी० पी० आर० (एम० एम०) (नाग रट्टी गुट)

- भारतीय नाक दल में इन तीन दलों क आलावा या अन्य दर्जा का भी किन्तु हुआ था- भारतीय क्रोलिकारी (बराण सिंह) उल्कल काग्रस (बीजू पटनायक) किसान मजदूर पार्टी (चौद रोम) पञ्जाब खतीबारी मजदूर यूनियन (बान्वा महेंद्र सिंह) इसमें भारतीय क्रोलिक दल सबसे प्रमुख दल था जिसका गठन नवम्बर 1907 में हुआ था, इसका निर्माण 1908-07 क दौरान बिहार परिषदमें बंगाल उत्तर प्रदेश राजस्थान, पञ्जाब आदि क काग्रस से निकले 'असन्तुष्ट काग्रसी गुट' न मिलकर किया था। बाद में इसकी शक्ति केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गयी, जिसस नेता श्री चरणसिंह थे।

सन्दर्भ सूची

दलीय साहित्य

1. जनता पार्टी प्रकाशन

- जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र 1977 ।
- जनता पार्टी का सविधान 1977 ।
- जनता एरा-प्रथम वर्ष, मई 1, 1978 ।
- जनता एरा-द्वितीय वर्ष, मई 1, 1979 ।
- जन सचार माध्यमों के साथ बलात्कार, 1978 ।
- तानाशाह कटघरे में 1978 ।
- कितने वायदे पूरे किये ? 1978 ।
- इंदिरा गुट का षडयन्त्र 1979 ।
- जन विश्वासघात, जुलाई 1979 ।
- सिद्धान्त और अवसरवादिता ? अगस्त 1979 ।
- वायदे और उपलब्धिया 1980 ।
- आरक्षण एवं जनता पार्टी 1985 ।

2. अन्य राजनीतिक दलों के दलीय प्रलेख

- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया का सविधान, सी० पी० आई, प्रकाशन, 1958 ।
- सी० पी० आई० राष्ट्रीय परिषद का प्रस्ताव, नवम्बर 1962 ।
- शोशलिस्ट यूनिटी-एनॉदर अटेन्ट फेलरा, प्रसोपा प्रकाशन, जून 1963 ।
- प्रसोपा के साँतवे सम्मेलन, की रिपोर्ट रामगढ़ प्रसोपा प्रकाशन, मई 1964 ।
- पी० एस० पी० सर्कुलर, फरवरी 7, 1975 ।
- बी० एल० डी० नीतियों का ड्राफ्ट स्टेटमेंट, बी० एल० डी० प्रकाशन, 1974 ।
- कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिजोल्यूशन, नई दिल्ली, अप्रैल 30, 1977 ।

3 भारतीय संविधान एवं संसदीय अधिनियम

भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेद ।

38वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम जुलाई 1975 ।

39वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम अगस्त 1975 ।

जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, अगस्त 1975 ।

42वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 ।

कान्स्टिट्यूट ऐसेम्बली डेवेट IX ।

4 ग्रन्थ एवं शोध पत्र

अडवाणी, एल० के० : 'दि पीपुल डिट्रेयड', विजय बुक्स, दिल्ली, 1979 ।

आस्ट्रोगोस्की, एम० : 'डेमोक्रेसी ऐंड आर्गेनाइजेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज',
(एल क्लार्क अनु०) मैकमिलन, 1962 ।

इल्डर्सवेल्ड, सैमुअल जे० 'पोलिटिकल पार्टीज एक विहैवियरल एनालिसिस', रेड
मैकनैले, 1964 ।

इर्डमैन, हावर्ड एल० : 'दि स्वतन्त्र पार्टी ऐंड इंडियन कान्जरवेटिज्म', कैब्रिज
यूनिवर्सिटी प्रेस, 1967 ।

कौशिक, सुशीला : 'भारतीय शासन एवं राजनीति' (स०) हिन्दी माध्यम
कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली,
1985 ।

कृपलानी, जे० बी० : 'दि नाइट मेयर ऐंड आफ्टर', पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1980 ।

कोठारी, रजनी : 'भारत में राजनीति', (अनु० अशोकजी) ओरियन्ट लॉग मैन,
नई दिल्ली, 1972 ।

कोठारी, रजनी : 'दि कांग्रेस सिस्टम ऑन ट्रायल', एसियन सर्वे फरवरी 1967 ।

- कैरास, मैरी सी० : 'ए पोलिटिकल बायोग्राफी इदिरा गॉधी इन दि क्रुसिबल ऑफ लीडरशिप', जैकी प्रेस, बाम्बे, 1979 ।
- गॉधी, अरुण 'दि मोरार जी पेपर्स, फाल ऑफ दि जनता गवर्नमेंट', विज्ञान बुक्स, दिल्ली, 1984 ।
- गुप्ता डी० सी० 'इण्डियन गवर्नमेंट ऐंड पोलिटिक्स', विकास, नई दिल्ली, 1979 ।
- घोष, एस० के० 'दि बिट्रेयल पोलिटिक्स ऐज इफ पीपुल मैटर्स', स्टर्लिंग पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1979 ।
- जैन, एच० एम० : 'प्रेसीडेन्शियल प्रोग्रेटिव इन ए सिचुएशन ऑफ मार्ल्टी पार्टीट कान्टस्ट फार पावर', जर्नल ऑफ कास्टीट्यूशन ऐंड पालियामेन्टरी स्टडीज़, वायलुम XVI न० 1-2, जनवरी - जून 1982, दिल्ली ।
- जैन, एच० एम० : 'इण्डियन पॉरियामेंट ऐंड प्रेसीडेन्ट', वायलुम XV न० 1-4, जनवरी-दिसम्बर 1981, दिल्ली ।
- जौहरौ, जे० सी० : 'इण्डियन गवर्नमेंट ऐंड पोलिटिक्स', विशाल पब्लिकेशन्स, जालन्धर, 1985 ।
- जेलमैन, हैरी : 'दि कम्युनिस्ट पार्टी बिटु इन मास्को ऐंड पेकिंग', वाशिगटन, 1962 ।
- जैदी, ए० एम० . 'ए सन्चुरी आफ स्टेट क्राफ्ट इन इण्डिया' (स०) पब्लिकेशन डेपार्टमेंट, इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड पोलिटिकल रिसर्च, नई दिल्ली, 1985 ।

- जैदी, ए० एम० : दि एनुअल रजिस्टर ऑफ इंडियन पोलिटिकल पार्टी, 1980, नई दिल्ली, 1981 ।
- टिकर इरने 'लीडर शिप ऐंड पोलिटिकल इस्टीमेशन इन इंडिया' (स०) प्रिंसटॉन, 1959 ।
- ठाकुर, जनार्दन . 'इंदिरा गाँधी का राजनीतिक खेल' (अनु० दीनानाथ मिश्र), राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1979 ।
- ठाकुर, जनार्दन 'ऑल दि जनता मेन', विकास, नई दिल्ली, 1978 ।
- ठाकुर, जनार्दन . 'ऑल दि प्राइमिनिस्टर मेन', विकास, नई दिल्ली, 1977 ।
- डुवर्जर, मैरिस : 'पोलिटिकल पार्टी', (अनुवादक राबर्ट एण्ड बारबरा I), नार्थ लन्दन, 1954 ।
- देवनन्दन, पी० डी० ऐड 'प्राब्लेम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी' (स०), बगलौर, 1962 । थामस एम० एम० ।
- नारायण, इकबाल . 'स्टेट पोलिटिक्स इन इंडियन स्टेट' (स०), मेरठ, 1967 ।
- नारायण, जयप्रकाश 'प्रिजन डायरी', पापुलर प्रकाशन, नई दिल्ली, 1975 ।
- नैयक : जे० ए० . 'दि ग्रेट जनता रिवोल्यूशन', एस० चॉद, नई दिल्ली, 1977 ।
- नरसिंहम्, वी० के० . 'डेमोक्रेसी, 'रीडीम्ड" एस० चॉद, नई दिल्ली, 1977 ।
- नम्बूदरीपाद, इ० एम० एस० इंडिया अण्डर काग्रेस रूल', कलकत्ता, 1967 ।
- नारगोलकर, बसन्त : 'जे० पी० क्रूसेड फॉर रिवोल्यूशन', बाम्बे, 1975 ।
- नैयर, कुलदीप . 'दि जजमेट', विकास, दिल्ली, 1977 ।
- नैयर कुलदीप 'इंडिया आफ्टर नेहरू', विकास, दिल्ली, 1977 ।

- नारवेन, कविता : 'दि ग्रेट बिट्टेयल 1966-1977', पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1980 ।
- पाण्डेय, अनिरुद्ध 'धरती पुत्र चौधरी चरणसिंह', ऋतु प्रकाशन, गाजियाबाद, 1986 ।
- पंडित, सी० एस० 'ऐन्ड ऑफ एन ऐरा दि राइज ऐंड फाल ऑफ इदिरा गाँधी', एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1977 ।
- पामर, नार्मन डी० 'दि इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम', एलेन ऐंड अनविन, लन्दन, 1963 ।
- पिल्लई, एस० देवदास . 'दि इनक्रेडिबल इलेक्शन्स, 1977 ए ब्लो बाई ब्लो डॉकुमेन्टस् ऐज रिपोर्टेड इन दि इण्डियन एक्सप्रेस' (स०) पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1977 ।
- फ्रान्डा, मारकस : 'स्माल इज पोलिटिक्स, आर्गेनाइजेशनल, अल्टरनेटिब्ज इन इण्डियाज रूरल डेवलपमेट', वेजली, इस्टर्न लिमिटेड, दिल्ली, 1979 ।
- फ्रान्केल प्रगन्सिन . 'इण्डिया पोलिटिकल इकॉनोमी 1947-77' (आवर्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस), नई दिल्ली, 1978 ।
- पामर एन० डी० 'इंडिया फोर्थ जनरल इलेक्शन्स', ऐशियन सर्वे, मई 1967 ।
- ब्रह्मदत्त : 'फाइव हैडेड मॉन्सटर : ए फैकचुअल नरेटिव ऑफ दि जेनिसिस ऑफ दि जनता पार्टी', सर्ज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1978 ।
- बसु, डी० डी० : 'भारत का सविधान - एक परिचय' (अनु० ब्रज किशोर शर्मा) प्रेडिस हाल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 1989 ।

- बैक्सटर, क्रैग 'दि जनसघ', फिला डेलफिया, 1969 ।
- भट्टाचार्य, अजीत 'जय प्रकाश नारायण – ए० पोलिटिकल बायोग्राफी', विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1975 ।
- भम्भारी, सी० पी० 'दि जनता पार्टी ए प्रोफाइल', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1982 ।
- मधोक, बालराज 'हवाट जनसघ स्टैंड फॉर', अहमदाबाद, 1966 ।
- मिश्र, दीनानाथ : 'एमरजेन्सी में गुप्त क्रांति', आई० बी० सी० प्रेस, दिल्ली, 1977 ।
- मैकाइवर, आर० एम० 'दि माडर्न स्टेट', आक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस, 1926 ।
- मोरिस जोन्स, डब्ल्यू० एच० 'भारत शासन और राजनीति', (अनु० हरिन्दर छावड़ा) सुरजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1965 ।
- मसानी मीनू . 'हवाई स्वतन्त्र', बाम्बे, 1967 ।
- मार्टिन राबर्ट के० . 'सोश्लोजी टुडे' (स०) बेसिक बुक, 1959 ।
- मेनकेकर डी० आर० एवं
कमला मेनकेकर 'इदिरा गांधी का पतन एमरजेन्सी की लोमहर्षक कहानी' (अनु० वीरेन्द कुमार गुप्त) राजपाल ऐंड सन्स, दिल्ली, 1978 ।
- युगेश्वर 'आपातकाल का धूमकेतु राजनारायण', हिन्दी प्रकाशक सस्थान, वाराणसी, 1978 ।
- युनुस, मोहम्मद . 'परसन्स, पैसन्स ऐंड पोलिटिक्स', विकास नई दिल्ली, 1979 ।
- लिप्सेट, एस० एम० 'पोलिटिक्स ऐंड सोशल साइसेज' (सं०) आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969 ।

- वासुदेव, उमा 'टु फेसेम ऑफ इंदिरा गाँधी', विकास, नई दिल्ली, 1977 ।
- वीनर मायरन 'पार्टी बिल्डिंग इन एक न्यू नेशन - दि इंडियन नेशनल कांग्रेस', शिकागो, 1967 ।
- वीनर मायरन 'दि 1971 एलेक्शन ऐंड इंडियन पार्टी सिस्टम', एसियन सर्वे (बर्कले) दिसम्बर, 1971 ।
- शान्फेल्ड बेजामिन एस० 'दि बर्थ ऑफ इंडियन सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी', 1965 ।
- शाह, घनश्याम 'प्रोटेस्ट मूवमेंट इन टु इंडियन स्टेट ए स्टडी ऑफ गुजरात एण्ड बिहार मूवमेंट', अजन्ता पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1978 ।
- सिंघली, एल० एम० 'यूनियन स्टेट रिलेशन्स इन इण्डिया' (स०), दि इस्टीट्यूट ऑफ कांस्टिट्यूशनल ऐंड पार्लियामेटरी स्टडीज़, दिल्ली, 1969 ।
- शौरी, अरुण : 'इन्स्टीट्यूशन इन दि जनता फेज़', पापुलर प्रकाशन, बाम्बे 1980 ।
- सिन्हा, बी० एम० : 'आपरेशन एमरजेसी', हिन्द पाकेट बुक, दिल्ली, 1977 ।
- सर्टोरी, गिआवानी 'पार्टीज ऐंड पार्टी सिस्टम' ए फ्रेमवर्क फॉर एनालेसिस वायलुम 1, लन्दन, 1976 ।

5. लेख

- शाम लाल 'दि नेशनल सीन—दि जनता पार्टी इन ए ट्रेप', दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, जुलाई 28, 1978 ।
- गिरी लाल जैन 'दि रिटर्न ऑफ इंदिराम्मा : चिकमगलूर ऐंड आफ्टर', दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नवम्बर, 9, 1978 ।

के० सी० खन्ना	'जनजात ग्रीडिंग डी लेम्मा वेजज ऑफ, इनफाइटिंग एण्ड एन एपटीटयूड', टाइम्स ऑफ इंडिया, नवम्बर, 21, 1978 ।
एम० वी० कामथ	'इदिरा इन पार्लियामेन्ट', इलुस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, दिसम्बर 1-7, 1978 ।
गिरी लाल जैन .	'डिस्सीडेन्स इन जनता गवर्नमेन्ट . नाइदर यूनिटी नॉर स्पलिट इन साइट', टाइम्स आफ इंडिया, दिसम्बर 9, 1978 ।
गिरी लाल जैन .	'जनता ट्रियरिंग इटशेल्फ एपार्ट फियर ऑफ इनस्टेबिलिटी एट दि सेन्टर', टाइम्स ऑफ इण्डिया, जनवरी 7, 1979 ।
इन्दर मेहरोत्रा	'क्वेस्ट फॉर कांग्रेस यूनिटी सडन रिवाइवल ऑफ होपस्', टाइम्स ऑफ इंडिया, मार्च 1, 1979 ।
शाम लाल	'दि नेशनल सीन-सर्च फार न्यू एलाइज', टाइम्स ऑफ इंडिया, मार्च 16, 1979 ।
गिरी लाल जैन .	'जनता नो सब्सीटयूड फॉर कांग्रेस', टाइम्स ऑफ इंडिया, अप्रैल 6, 1979 ।
शारदा गोवर	(i) 'जनता-ए रिफ्लेक्शन ऑफ रीयलिटी', एण्ड (ii) 'टू फेसेस ऑफ जनता पार्टी', टाइम्स ऑफ इंडिया, मई 6 एव 7, 1979 ।
सम्पादकीय .	ओवर टू चरणसिंह दि हिन्दुस्तान टाइम्स, जुलाई 22, 1979 ।
अच्युत पटवर्धन :	'जनता, आर० एस० एस० ऐड दि नेशन', दि इंडियन एक्सप्रेस, जून 9, 1979 ।
सम्पादकीय	'ए डाउट फुल डिसिश्जन' . दि टाइम्स ऑफ इंडिया, अगस्त 23, 1979 ।

- गिरी लाल जैन : 'फाल ऑफ चरणसिंह : लोक ऑफ हार्ड-हैडेड, रीयलिज्म',
टाइम्स ऑफ इण्डिया, अगस्त 23, 1979 ।
- इन्दर मेहरोत्रा 'टेन टरबुलेन्ट वीक्स देज वर', टाइम्स आफ इण्डिया, अगस्त
23, 1979 ।
- सम्पादकीय 'इन बेड ऑडवर', दि इण्डियन एक्सप्रेस, अगस्त 23, 1979 ।
- नानी ए० पालखीवाला 'दि प्रेसीडेन्टस डिसशजन कान्सीक्यून्सेस ऑफ
डिजोलुशन', टाइम्स ऑफ इण्डिया, अगस्त 24, 1979 ।
- सम्पादकीय 'एंड नाऊ एट दि सेटर', टाइम्स ऑफ इण्डिया, अगस्त 25,
1979 ।
- इन्दर मेहरोत्रा 'डिजोलुशन ऐंड आफ्टर रीमूविंग कान्स्टीट्यूशनल
लेकुना', टाइम्स ऑफ इण्डिया, अगस्त 30, 1979 ।
- ए० एस० अब्राहम 'रूटस ऑफ प्रेजेन्ट क्राइसिस न्यू नोर्न्स ऑफ पोलिटिकल
बि हैवीयर', टाइम्स ऑफ इण्डिया, सितम्बर 5, 1979 ।
- सम्पादकीय 'इण्डियन मेफीस्टोफेल्स', टाइम्स आफ इण्डिया, अक्टूबर 4,
1979 ।

6. कुछ अन्य प्रमुख स्रोत :

किसिगस कॉन्टेम्पोरेरी आकिव्ज (वीकली डायरी आफ वर्ड इवेन्ट) ब्रिस्ट्राल किसिगस पब्लिकेशन्स,
फरवरी-अक्टूबर 1975 । एसियन सर्वे ।

मुख्य दैनिक समाचार पत्र . दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दि इण्डियन एक्सप्रेस, दि हिन्दुस्तान टाइम्स,
दि मशर लैण्ड, दि हिन्दू नार्दन इण्डिया पत्रिका, नेशनल हैराल्ड ।

पत्रिकायें : मेनस्ट्रीम, दि सेमानार, दि इकोनोमिक ऐण्ड पोलिटिकल
वीकली ।

जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव श्री सुरेन्द्र मोहन से भेटवार्ता एव साक्षात्कार ।